UNIVERSAL
LIBRARY

OU_186725

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H301 ज 49 S Accession No. G-H 3295

Author फिक, आर्थर ई और अतेक.

Title समाज सेवा का क्षेत्र.

This book should be returned on or before the date last marked below.

समाज-सेवा का क्षेत्र

[द्वितीय खण्ड]

हिन्दी-समिति-ग्रन्थमाला—८५

समाज-सेवा का क्षेत्र

[द्वितीय खण्ड]

लेखक

आर्थर ई. फिंक

स्कूल आफ सोसल वर्क, नार्थ कैरोलाइना विश्वविद्यालय

ईवरेट ई. विल्सन

स्कूल आफ सोसल वर्क, नार्थ कैरोलाइना विश्वविद्यालय

मेरिले बी. कोनोवर

स्कूल आफ सोसल वर्क, पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय

अनुवादक

डॉ० शम्भुनाथ सिंह

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

हिन्दी समिति, सूचना विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रथम संस्करण

१९६४

[Translated from "The Field of Social Work" by Arthur E. Fink, Everett E. Wilson and Merrill B. Conover; Published by Messrs. Henry Holt and Company New York.]

मूल्य

आठ रुपये, पचास नये पैसे

८.५०

Checked 1969

मुद्रक : ओमप्रकाश कपूर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी (बनारस) ६११७-२०

प्रकाशकीय

पिछले कुछ वर्षों मे सामाजिक समस्याओ को लेकर गम्भीर चिन्तन की परम्परा विकसित हुई है । यूरोप तथा अमेरिका मे इस सबध मे काफी कार्य हुआ है और सामाजिक सेवा एक व्यवस्थित विज्ञान एव कला का रूप लेने की स्थिति मे आ गयी है । द्वितीय महायुद्ध के बाद एक ओर दुनिया तेजी से छोटी होती जा रही है, उसी अनुपात से चिन्तन की गहराई भी बढ़ी है । मनुष्य को केन्द्र बनाकर इधर इतना अधिक कार्य हुआ है कि उसे देखते हुए वैज्ञानिको का यह कथन सत्य नही प्रतीत होता कि मनुष्य, मनुष्य का शत्रु हो गया है । सामाजिक चिन्तन के क्षेत्र मे मनुष्य को लेकर इतने सारे प्रयोग वैज्ञानिको के इस तर्क को व्यर्थ सिद्ध करने के लिए काफी है ।

'सामाजिक सेवा का क्षेत्र' विषयक यह पुस्तक भी मनुष्य को केन्द्र बनाकर किये गये चिन्तन की दिशा मे एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न है । श्री आर्थर ई फिक प्रभृति की लिखी हुई मूल पुस्तक की अग्रेजी मे काफी ख्याति है । हिन्दी मे इस पुस्तक के अनुवाद की आवश्यकता पिछले कई वर्षों से अनुभव की जा रही थी । विश्वविद्यालयो मे इधर सामाजिक सेवा विषय के पठन-पाठन की ओर लोगो का ध्यान गया है और पद-पद पर गम्भीर सामाजिक अध्ययनो की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है । इसी आवश्यकता के चलते हिन्दी समिति ने यह कार्य हाथ मे लिया । पुस्तक काफी बड़ी थी और छपने पर पृष्ठ-संख्या तथा मूल्य की अधिकता के कारण विद्यार्थियो की पहुंच के बाहर हो जाती, इसलिए हमने इसे दो खण्डो मे प्रकाशित करने का निश्चय किया । प्रमुख सामाजिक प्रश्नो पर अलग-अलग अध्यायो मे विचार होने के कारण पुस्तक के मूल्याकन मे इस कारण कोई बाधा नही उपस्थित होगी, ऐसा हमे विश्वास है ।

इस खण्ड मे सुधारात्मक सेवाओ, विद्यालयो मे किये जाने वाले असामान्य विद्यार्थियो के सुधार के लिए प्रयत्नो, समाज मे वृद्धो की अवस्था सुधारने के लिए किये गये कार्यों, सामूहिक समाज-सेवाओ तथा समाज-कल्याण सम्बन्धी अन्य प्रश्नो पर बहुत गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इसीलिए यह पुस्तक जहाँ एक ओर समाजशास्त्र के विद्यार्थियो के लिए अत्यन्त आवश्यक है वही सामाजिक कार्यकर्ताओ के लिए भी पथ-निर्देश का कार्य करने वाली सिद्ध होगी ।

डा० शम्भुनाथ सिंह ने बड़े ही श्रम से इस पुस्तक का अनुवाद किया है। वे हिन्दी के मर्मज्ञ विद्वान् है और रचनात्मक साहित्यस्रष्टा के रूप में उनकी ख्याति है। इस कार्य मे सामाजिक सेवा के प्रसिद्ध विद्वान् श्री राजाराम शास्त्री का निर्देश समिति को बराबर प्राप्त होता रहा है, यह हमारे लिए अत्यन्त सौभाग्य की बात है। उन्होने कृपा करके पूरे अनुवाद को सम्पादित किया है, इसके लिए हम उनके आभारी है।

ठाकुर प्रसाद सिंह
सचिव, हिन्दी समिति

प्रस्तावना

हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इनमें उच्च कोटि के प्रामाणिक ग्रन्थ अधिक से अधिक संख्या में तैयार किये जायँ। शिक्षा-मन्त्रालय ने यह काम अपने हाथ में लिया है और इसे बड़े पैमाने पर करने की योजना बनायी है। इस योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रन्थों का अनुवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रन्थ भी लिखाये जा रहे हैं। यह काम राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशकों की सहायता से आरम्भ किया गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशन-कार्य शिक्षा-मंत्रालय स्वयं अपने अधीन करा रहा है। प्रसिद्ध विद्वान् और अध्यापक हमें इस योजना में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अनूदित और नये साहित्य में भारत सरकार की शब्दावली का ही प्रयोग किया जा रहा है ताकि भारत की सभी शैक्षणिक संस्थाओं में एक ही पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके।

यह पुस्तक भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय की ओर से हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इसके अंग्रेजी संस्करण के लेखक सर्वश्री आर्थर ई० फिक, ईवरेट ई० विल्सन और मेरिले बी० कोनोवर हैं और इसका हिन्दी अनुवाद डॉ० शम्भुनाथ सिंह ने किया है। आशा है कि भारत सरकार द्वारा मानक ग्रंथों के प्रकाशन सम्बन्धी इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जायेगा।

महम्मद अली करीम चागला
शिक्षा मंत्री
भारत सरकार

विषय-सूची

अध्याय ११

सुधारात्मक सेवाएँ; वैयक्तिकीकरण और न्यायालय; बाल-न्यायालय, २; परिवीक्षा ४; अवकाश-मुक्ति (पेरोल) ३०; सैनिक वातावरण मे इन पद्धतियो का प्रयोग ३३; उपसंहार ३४; सहायक ग्रन्थ-सूची ३६; एक सुधार-सस्था मे वैयक्तिक सेवा-कार्य ३६; वैयक्तिक सेवा-कार्य ४४; चक मार्गन ४६ ।

अध्याय १२

विद्यालयों मे समाज-सेवा; एक सामाजिक आविष्कार ८२; विद्यालय के बालको की वैयक्तिक सेवा ८३; कामनवेल्थ-कोश द्वारा सहायता ८६; बच्चे और कार्यकर्ता के बीच सम्पर्क ८७; कार्यकर्ता का कार्य ६३; अध्यापको के साथ सम्बन्ध ६५; अध्यापक के साथ कार्यकर्ता का रचनात्मक कार्य ६७; माता-पिता के साथ सम्बन्ध ६६; बच्चे पर भार १०१; बच्चे के साथ सम्बन्ध १०३, प्रवृत्तियाँ १०६; सहायक ग्रन्थ-सूची १११; आर्की प्रिस ११३;

अध्याय १३

वृद्धों के लिए सामाजिक सेवाएँ; वृद्धो की सेवा मे अभिरुचि का प्रारम्भ १४२; जनसंख्या का आयुगत वर्गीकरण १४३; आयु का क्या अर्थ है ? वृद्ध कौन है ? ६५ वर्ष ही क्यों ? १४६; आय-अनुरक्षण १४८; रोजगार और वृद्ध व्यक्ति १५२; तथ्य क्या है ? १५५; सेवा निवृत्ति की निरंकुश पद्धति क्यो १५७; उम्र और स्वास्थ्य १६०; ज़रा और व्यक्तित्त्व १६३; वृद्धो की वैयक्तिकीकृत सेवा १६७; शैक्षणिक सेवाएँ १७०; वर्च द्वारा किया जाने वाला कार्य १७३; आवास-व्यवस्था और वृद्ध व्यक्ति १७५; अभिरुचि एवं सक्रियता से सम्बन्धित कार्यक्रम १८२; दिवस-केन्द्र १८४; अन्य सामूहिक कार्यक्रम १८७; संस्थावासियों के लिए कार्यक्रम (संस्थाओ में) १८६; संस्था से बाहर जानेवाले या बाहर रहने वाले वृद्धों के लिए कार्यक्रम १६०; पालन-गृह-

सेवा १९२; गृहकार्य सहायक १९४; लोक-कल्याण-विभाग और समुदाय का उत्तर-दायित्व १९७; सहायक ग्रन्थ-सूची २०१; श्रीमती बेन्सन २०४; वृद्धसेवार्थी २०५; निजी आवास-व्यवस्था २०७; श्रीमती बेन्सन का व्यवस्थापन के लिए आवेदन २०९; निष्कर्ष २३९।

अध्याय १४

सामूहिक समाज-सेवा-कार्य; सम सामयिक समाज मे समूह की कार्य-भूमिका २४२; सामूहिक कार्य की ऐतिहासिक प्रगति २४५; लोक-मनोरजन २४९; शिक्षा २५०; वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य, सामाजिक कार्यो का एकीकरण २५१; सामूहिक कार्य की परिभाषा २५३; सामूहिक सेवा-कार्य की शैक्षणिक सम्भावनाएँ २५५; सामूहिक समाज-सेवा-कार्यकर्ता की कार्य-भूमिका २५८; स्वयंसेवक २६४; वैयक्तिक और सामूहिक सेवा-कार्यो का समन्वय २६६; सामूहिक कार्य-कौशल-सम्बन्धी नयी माँगे २७२; सहायक ग्रन्थ-सूची २८०; मिडटाउन ब्वायज क्लब २८३।

अध्याय १५

समाज कल्याण-सम्बन्धी सामुदायिक संघटन; वैयक्तिक सेवा-कार्य, सामूहिक सेवा-कार्य और सामुदायिक संघटन ३११; ऐतिहासिक विकास ३१२, कोष-सग्रह ३१३; समन्वय और प्रतिमान-निर्धारण-सम्बन्धी-कार्यक्रम ३१६; सामुदायिक संघटन के सामाजिक कार्य-सम्बन्धी संघटक अवयव ३२०; अन्तःसामूहिक समाज-सेवा-कार्य की प्रक्रिया ३२२; शिक्षात्मक और उत्कर्षात्मक प्रक्रिया ३२८; सामुदायिक संघटन में प्रशासन-प्रक्रिया ३२९; सामुदायिक संघटन मे वृत्तिक कार्यकर्ता की कार्य-भूमिका ३३१; सामुदायिक सघटन और वैयक्तिक तथा सामूहिक सेवाकार्य ३३५; संघटन के अन्तर्गत सामुदायिक सघटन की प्रक्रिया ३३६; स्थानीय स्तर पर सामुदायिक सघटन ३३८; राज्य-स्तर पर सामुदायिक संघटन ३४२; राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम ३४४; अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक संघटन २४९; सामुदायिक सघटन की प्रवृत्तियाँ ३५०; राज्य स्तर पर किये जाने वाले प्रयास ३५२; निष्कर्ष ३५३; सहायक ग्रन्थ-सूची ३५४; ओक हर्स्ट की सामुदायिक समिति ३५७; ओक हर्स्ट सामुदायिक समिति ३६३।

अध्याय १६

समाज-सेवा-वृत्ति; मत्र तथा सख्या के रूप में ३८६; आचार-सहिता, वृत्तिक आचरण के सिद्धान्त ३८८; वृत्तिक सदस्यता वाले सघटन ३९२, अभिकरण-संघ ३९३;

अन्य सामाजिक सेवाकार्य-सम्बन्धी संघटन, वृत्तिक प्रशिक्षण ३९४; प्रशासन-प्रशिक्षण, अनुसन्धान ३९९; सामाजिक सेवाकार्य विद्यालयों का उत्तरदायित्व ४००; वृत्तिक प्रशिक्षण के पूर्व की तैयारी ४०२; सामाजिक सेवाकार्य-सम्बन्धी नौकरियाँ और वेतन ४०३; सामाजिक सेवाकार्य-सम्बन्धी प्रकाशन ४०४; पत्र-पत्रिकाएं और प्रतिवेदन ४०५; चलचित्र ४०७; जीवनी और आत्मकथा ४०८; अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने वाले सामाजिक सेवाकार्य ४१०; सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची ४१२।

पारिभाषिक शब्दावली

(अंग्रेजी से हिन्दी) ४१७

(हिन्दी से अंग्रेजी) ४३३

——:०:——

अध्याय ११

सुधारात्मक सेवाएँ

वैयक्तिकीकरण और न्यायालय

संस्थागत सामाजिक सेवाओं के प्रारम्भ के पूर्व भी आपराधिक न्यायालयों का अस्तित्व था। इङ्गलैण्ड में एलिजाबेथ-कालीन निर्धनता-कानून लागू होने के बहुत पहले से ही न्यायालयों में अपराधियों को दण्ड देने का कार्य होता आ रहा था। अमेरिका में जिस समय सामाजिक सेवा-कार्य पेशे का रूप धारण करने लगा, उस समय तक न्यायालयों में आपराधिक न्याय का एक निश्चित स्वरूप स्थिर हो चुका था। यदि उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम २५ वर्षों में विकसित होने वाले दान-संघटन आन्दोलन से वृत्तिक सामाजिक सेवा-कार्य का प्रारम्भ माना जाय तो तुरन्त यह बात समझ में आ जायेगी कि इस देश मे अन्य देशों की तुलना मे यह कार्य कितने बाद में प्रारम्भ हुआ।

अमेरिका में सामाजिक कार्य के देर से प्रारम्भ होने की बात पर जोर देना इसलिए आवश्यक है कि इसे जानने के बाद हम आसानी से समझ सकते है कि न्यायालयों में इसका प्रवेश इतना धीरे धीरे क्यो हुआ। आपराधिक न्यायालय एक ऐसा सामाजिक संघटन है जो मूलतः, और शायद अनिवार्यतः, रूढ़िवादी होता है और जिसके रूपाकार मे बहुत मन्द-गति से परिवर्तन होता है। इन न्यायालयो मे हजार वर्षों से भी उपर की जो व्यवहार और मिसाल सम्बन्धी परम्परा चली आ रही थी उसको देखते हुए इसमें आश्चर्य की कोई बात नही है कि इस नये प्रारम्भ हुए पेशे के नवीन सिद्धान्तों और पद्धतियों का न्यायालयों मे प्रवेश करने के विचार का न्यायालयों द्वारा इतना विरोध हुआ। इसके अतिरिक्त नये समाज-सेवक व्यक्ति और समग्र समाज के कल्याण पर इतना अधिक बल देने में जो उत्साह प्रदर्शित कर रहे थे, वह भी न्यायालयों के न्यायाधीशों और वकीलों को अधिक तर्क-संगत नही प्रतीत हुआ होगा, क्योंकि उनके अनुसार न्यायालय तो हमेशा से यही काम करते आ रहे थे। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि सामाजिक सेवा-कार्य के उस प्रारम्भिक काल में उसके सिद्धान्त और व्यवहार अभी निश्चित रूप नही ग्रहण कर सके थे। केवल दृढ़ आस्था और उत्साह तथा सहायता-कार्य के लिए साम्प्रदायिक ढंग की व्यग्रता ही उन न्याया-

बाल-न्यायालयों का प्रभाव अन्य न्यायालयों, जैसे—पारिवारिक न्यायालय तथा आपराधिक न्यायालय,—पर भी पड़े बिना नहीं रह सका। कुछ वर्षों से यह बात आधिकारिक रूप से स्वीकार की जाने लगी है कि परिवार में रहने वाले व्यक्ति और उस परिवार की समस्याओं का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, इसलिए ऐसे पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना हुई है जिनमें न्यायाधीश और परिवीक्षा-कर्मचारी, परिवार के सदस्यों के मामलों पर वैयक्तिकीकृत पद्धति से विचार करते हैं। इसके कारण परिवार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों तथा परिवारों की सहायता के लिए आवश्यक कौशलों के समझने की बात पर विशेष बल दिया जाने लगा है, किन्तु साथ ही व्यक्ति के कानूनी अधिकारों के सुरक्षोपायों का भी न बलिदान किया जाता है, न उन्हें खतरे में डाला जाता है। इन कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए पिछले एक हजार वर्षों से संघर्ष होता आ रहा है अतः सदुद्देश्य पूर्ण सहायता के प्रयत्नों के नाम पर उन अधिकारों का त्याग अथवा उनमें अधिक परिवर्तन नही होना चाहिये। व्यक्तियों को (जिनमे बालक भी होते हैं) यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि उनके समस्त अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा जिन समस्याओं के कारण उन्हें न्यायालय में जाना पडा है, उन्हें सुलझाने में उनकी इस प्रकार की सहायता की जायेगी कि वे अपनी इच्छा-शक्ति और क्षमताओं का विकास करके अपनी कठिनाइयाँ स्वयं दूर कर सकेंगे। ठीक यही बातें उन न्यायालयों पर लागू होती है जिनमें अपराधियों के मुकदमों का विचार होता है। न्यायालय के कर्मचारी चाहे अपराधी की सहायता करने का कितना भी महत् उद्देश्य क्यों न रखते हों किन्तु उसके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विश्वास दिलाना न्यायालय का आधार-भूत कर्त्तव्य है। सुधारात्मक और दण्डात्मक सेवाओं के क्षेत्र में किये जाने वाले सामाजिक कार्यों के सम्बन्ध में विचार करते समय इन तमाम बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

परिवीक्षा

यद्यपि परिवीक्षा-कार्य का बाल-न्यायालय से अविच्छिन्न सम्बन्ध माना जाता है किन्तु वस्तुतः परिवीक्षा-कार्य बाल-न्यायालयों के प्रारम्भ के वर्षों पहले से होता आ रहा था। सन् १८४१ में बोस्टन के एक जूते के रोजगारी, जॉन आगस्टस, ने एक पकडे गये शराबी की जमानत ली और रोज उसकी देख-रेख करने लगा, इस तरह एक प्रकार से उसने सर्वप्रथम स्वेच्छापूर्वक परिवीक्षा-अधिकारी का कार्य प्रारम्भ किया था। सन् १८७८ में, अर्थात् बाल-न्यायालय की स्थापना के २१ वर्ष पूर्व, सर्वप्रथम बोस्टन में साधिकार परिवीक्षा-कार्य प्रारम्भ हुआ और दो वर्ष के भीतर ही पूरे राज्य में आधिकारिक रूप से यह कार्य होने लगा। उस समय से अब तक अमेरिका के सभी (४८) राज्यों में आधिकारिक

वयस्क-परिवीक्षा-कार्य होना प्रारम्भ हो गया, और १८९९ में बाल-न्यायालय के प्रारम्भ होने के बाद से प्रत्येक राज्य में अपराधी बालकों की परिवीक्षा की व्यवस्था हो गयी है। सन् १९२५ मे संयुक्त-राज्य-संघ ने भी परिवीक्षा-सेवा का प्रारम्भ किया। इस सेवा के अन्तर्गत ऐसे वयस्कों और बालको की, जो संघीय कानून की दृष्टि में अपराधी होते हैं, परिवीक्षा का कार्य किया जाता है।

परिवीक्षा की प्रक्रिया का प्रथम चरण यह है कि दण्ड देने के पूर्व अपराधी के सम्बन्ध में जाँच की जाय और उसका अधीक्षण किया जाय। इसके लिए मानव व्यक्तित्व और व्यवहार के बाह्य और अभ्यन्तर स्वरूपों को अच्छी तरह समझना आवश्यक है। वस्तुतः अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरह परिवीक्षा अधिकारी की पूर्ण योग्यता के लिए भी यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति की भावनाओं, दृष्टिकोण, विचारो, प्रेरणाओं, शक्तियों और दुर्बलताओं अर्थात् उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व की पूरी तरह जानकारी रखे।

कार्यकर्ता, आवारागर्दी या अपराध से सम्बन्धित व्यवहार को किस रूप में समझता है? अपराधी के किसी विशेष व्यवहार का क्या उद्देश्य है? व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताएँ क्या हैं और वह उनकी पूर्ति द्वारा किस प्रकार का सन्तोष प्राप्त करना चाहता है? उसका व्यवहार किस सीमा तक लक्षणात्मक है और उसके वे लक्षण किस बात के हैं? क्या कार्यकर्ता इस बात को समझने की आवश्यकता का अनुभव करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अपनी विशिष्टताओं से युक्त होता है और हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं तथा अपने वातावरण के अनुरूप अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करता है? कार्यकर्ता अपराधी के सम्बन्ध में निर्णय करते समय जिन प्रतिमानो का उपयोग करता है वे कैसे और किसके है? क्या एक ही स्थिर प्रतिमान मनमाने ढंग से सभी व्यक्तियों पर लागू किया जा सकता है? क्या कार्यकर्ता का अपने प्रतिमान को, जो उसके जीवन की भिन्न परिस्थितियों में विकसित हुआ है और इस तरह वह उसके निजी और भिन्न व्यक्तित्व का प्रतिमान है, अन्य व्यक्तियों पर लादना उचित है? क्या कार्यकर्ता सेवा की प्रक्रिया में अपने को उस समूह से, जिसका वह अंग रहा है, पूर्णतः विच्छिन्न कर सकता है? और क्या अपने को उस समूह से बिना विच्छिन्न किये वह ऐसे व्यक्तियों की सहायता के कार्य में प्रवृत्त हो सकता है जो उस समूह के लोकाचारों की मर्यादा तोड़ चुके है? परिवीक्षा, पेरोल और सुधारात्मक, दण्डात्मक संस्थाओं के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के सामने इस प्रकार के अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। इन प्रश्नों से सम्बन्धित दृष्टिकोणों और उनके उत्तर के अनुसार ही परिवीक्षा-अधिकारी की कार्य-पद्धति का स्वरूप बहुत कुछ निर्धारित होता है और उसके कार्य की सफलता भी बहुत कुछ उन्हीं पर निर्भर करती है।

अपराधी-व्यवहार को समझने के प्रयत्न का एक दूसरा पक्ष और भी है जिसे अपराधी

के व्यक्तित्व की गहराई में घुसकर उसे जानने की बलवती इच्छा के कारण हम बहुधा विस्मृत कर देते हैं। आखिर व्यक्ति शून्य में तो नहीं रहता, उसके अन्य व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध होते हैं, वह किसी विशेष पड़ोस और घर में रहता है, उसके पास कोई रोजगार-धन्धा होता है अथवा वह बेकार होता है, निष्कर्ष यह कि वह इस कामकाजी दुनिया मे रहता है और अवकाश का समय बिताने के लिए उसके भी कुछ पसन्द के काम, जैसे क्लब में जाना, लोगों से मिलना-जुलना आदि होते है। ये सभी बातें ऐसी होती है जो उससे बाहर की होती हैं, फिर भी उस पर प्रभाव डालती हैं। बेकार होने पर, विशेष रूप से बहुत समय तक बेकार रहने पर, व्यक्ति सन्तोष प्राप्त करने के अन्य साधनों की खोज करता है अथवा ऐसे काम करता है जिन्हें वह संसार के सुखो के भोग में अपना न्यायोचित भाग प्राप्त करने की दृष्टि से आवश्यक समझता है। यदि किसी मुहल्ले में उपद्रवी लड़को का कोई दल है और उस मुहल्ले का कोई लड़का उस दल में सम्मिलित होता है तो यह मानना चाहिये कि उस बालक को सन्तुष्ट करनेवाली जो आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति न होने के कारण ही वह उस दल में सम्मिलित हुआ है जहाँ उसे क्षति-पूर्ति के रूप मे कुछ सन्तोष प्राप्त हो जाता है। किसी गन्दी-बस्ती मे, जिसे उसकी बीभत्सता कम करने के लिए खुशी से निम्नस्तरीय मकानों वाली बस्ती कहा जाता है, रहने से ही अपराधी-व्यवहारों से सम्बन्धित दृष्टिकोण का निर्माण नही होता किन्तु गन्दी बस्तियों में ही प्रायः अपराधी बालक होते है। इस कथन से यह स्पष्ट है कि व्यक्तित्व और वातावरण का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है,फिर भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का विकास उसके आन्तरिक मनोवैज्ञानिक संगठन, जन्म के बाद से लेकर अब तक के उसके अनुभव तथा अन्य व्यक्तियो और चतुर्दिक् की संस्थाओं के साथ उसके सम्बन्धो के अनुरूप होता है। वस्तुतः अपराध करने वाला व्यक्ति होता है, घर या पड़ोस नही और इसी कारण अपराधी को समझने के लिए व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश में रखकर देखना और समझना आवश्यक है।

दण्ड देने के पूर्व की जाँच की विधि——दण्ड देने के पूर्व अपराधी के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने का उद्देश्य क्या है? परिवीक्षाधिकारी यह कार्य कैसे करता है, वह किन बातों का पता लगाता है और पता लगाकर क्या परिणाम निकालता है? ये प्रश्न ऊपर से देखने में बड़े आसान मालूम पड़ते हैं किन्तु यदि परिवीक्षा-अधिकारी को अपने कर्त्तव्य का ज्ञान है तो वह परिवीक्षा सम्बन्धी कार्य के हर कदम को महत्त्वपूर्ण मानकर अपने उत्तरदायित्व का पालन करता है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि परिवीक्षा-कार्य से अपराधियों को पूरी तरह तभी लाभान्वित किया जा सकता है जब कि उसे वैयक्तिक-सेवा-कार्य के रूप में मान्यता दी जाय और उसी तरह उसका संचालन भी हो। यदि यह

बात समझ में आ जाती है तो यह कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि अपराधी के साथ परिवीक्षा-अधिकारी के प्रारम्भिक साक्षात्कारों का कितना महत्त्व है क्योंकि उन साक्षात्कारों द्वारा बाद में कार्यकर्ता और कार्यार्थी के बीच स्थापित होने वाले सम्बन्ध के रूप और वैशिष्ट्य का आधार निर्मित होता है। परिवीक्षा की प्रक्रिया, दण्ड देने के पूर्व की जाँच के सम्बन्ध में साक्षात्कार से प्रारम्भ होती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि अपराधी व्यक्ति की परिवीक्षा-अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

इस बात को कार्य का सैद्धान्तिक आधार मान लेने पर दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि परिवीक्षा सम्बन्धी जांच की पद्धति क्या हो ? दण्ड के पूर्व की जाँच के अन्तर्गत समीक्षण, जिरह तथा अभियोजक-अटार्नी की कार्यविधि के परिष्कार और विस्तार से सम्बन्धित बातें सम्मिलित हैं। इसमें यह पता लगाया जाता है कि सम्बन्धित व्यक्ति की वे परिस्थितियाँ क्या हैं जिनके बीच वह रहता है और उनमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं ? इसके अतिरिक्त यह भी पता लगाया जाता है कि उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताएँ क्या हैं, उन आवश्यकताओं का उस व्यक्ति की कठिनाइयों से क्या सम्बन्ध है, अपनी कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में कुछ कर सकने की क्षमता उसमें कहां तक है, अथवा परिवीक्षा-पद्धति द्वारा उसकी जो सेवा की जा रही है उससे वह लाभ उठा सकता है या नहीं, उसके पारिपार्श्विक वातावरण के वे कौन से घटक हैं जिनके कारण व्यक्ति के भीतर आपराधिक वृत्ति उत्पन्न हुई है, उसके वैवाहिक और पारिवारिक उत्तरदायित्व क्या हैं, उसका पड़ोस कैसा है, उसके नौकरी सम्बन्धी अनुभव क्या हैं, उसके सहायक सहयोगी कौन हैं, चर्च तथा क्लब के कामों में तथा अन्य क्रिया-कलापों में वह भाग लेता है या नहीं ? साथ ही सामाजिक सेवा-संस्थाओं द्वारा उस व्यक्ति तथा उसके परिवार की क्या सहायता की जा चुकी है ? इस सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है।

जब व्यक्ति और उसकी परिस्थितियों से सम्बन्धित आँकड़े एकत्र हो जाते हैं तो उनका विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। इस स्थिति में पहुँचकर परिवीक्षा-अधिकारी के सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या वह व्यक्ति परिवीक्षा के योग्य है ? इस प्रश्न के उत्तर पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। इसका सम्बन्ध केवल इन्हीं बातों से नहीं है कि उस व्यक्ति के घर में पत्नी अथवा बच्चा बीमार है अथवा उसको नौकरी अभी नहीं मिल सकी है अथवा उसने बार-बार यह प्रतिज्ञा की है कि वह इस प्रकार का अपराध-कार्य फिर नहीं करेगा। हो सकता है कि उसके घर में कोई बीमार हो, उसे नौकरी मिलने वाली हो अथवा अपनी अन्तरात्मा की पुकार से ही उसके मर्म पर आघात लगा हो; किन्तु जब तक परिवीक्षा-अधिकारी को इस बात का पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता कि अपराधी परिवीक्षा-सेवा का पूरा उपयोग करेगा तब तक वह उसको परिवीक्षा

के अन्तर्गत रखने की संस्तुति नही करता । यदि परिवीक्षा-अधिकारी इसके विपरीत कार्य करता है तो वह न केवल अपराधी का अहित करता है बल्कि न्यायालय, अपने पेशे तथा स्वयं अपने प्रति भी विश्वासघात करता है । किन्तु यह बात मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है कि परिवीक्षा द्वारा किस प्रकार की सेवा की जा सकती है । परिवीक्षा-अधिकारी द्वारा परिवीक्षा के लिए संस्तुति किये जाने का यह अर्थ है कि उसे अपने कार्य-कौशल तथा अपने पेशे द्वारा की जाने वाली सहायता की सार्थकता में पूर्ण आस्था है । निष्कर्ष यह है कि उसके भीतर यह विश्वास होना चाहिये कि परिवीक्षा-कार्य भी एक वैयक्तिक-सेवा-कार्य ही है और उसमें भी वैयक्तिक-समाज-सेवा कार्यकर्त्ता के समान ही क्षमताएँ वर्तमान हैं ।

परिवीक्षा-अधिकारी किसी अपराधी की परिवीक्षा के लिए संस्तुति तभी करता है जब उसे विश्वास हो जाता है कि अपराधी जेल में रहने की अपेक्षा समाज में मुक्त भाव से रहते हुए अधीक्षण द्वारा विशेष रूप से लाभान्वित हो सकता है । साथ ही उसे इस बात का भी विश्वास हो जाना आवश्यक है कि अपराधी ने अब अपने को, समाज के अन्य लोगों तथा अपने चारों ओर की वस्तुओं की वास्तविकता को सही ढंग से समझना शुरू कर दिया है और वह परिवीक्षा-अधिकारी की सहायता से अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ करने को तैयार है और उसमें उसके लिए आवश्यक क्षमता भी है । परिवीक्षा-अधिकारी को यह अच्छी तरह समझना चाहिये कि कुछ अपराधी न तो ऐसा करने को तैयार होते है न उनमें वैसी क्षमता ही होती है और ऐसे व्यक्तियो को जेल भेजने के अतिरिक्त, उनके सुधार का अन्य कोई रास्ता नही होता है; क्योंकि कुछ अपराधी तो केवल जेल के अनुभव से ही कुछ लाभ उठा सकते है, चाहे वे जेल में रह कर लाभ उठायें या जेल से बाहर निकलने के बाद । जेल भी ऐसा नही होना चाहिये जो अपने आप में एक बड़ा अभिशाप मालूम पड़े ।

जब जाँच का कार्य पूरा हो जाता है और परिवीक्षा-अधिकारी का प्रतिवेदन आ जाता है तो न्यायाधीश इस सम्बन्ध मे निर्णय देता है कि अपराधी को परिवीक्षा की सुविधा मिलनी चाहिये या नहीं । बाल-न्यायालय में तो मुकदमे की सुनवाई हो जाने के बाद ही न्यायाधीश के सामने बालक और उसकी परिस्थिति का पूरा नक्शा उपस्थित हो जाता है पर अन्य न्यायालयों में वयस्क अपराधियों के मुकदमे के सम्बन्ध में यह बात नहीं लागू होती । ऐसे न्यायालयों में अभियोजक-अटार्नी सजा दिलाने की दृष्टि से तथ्यों को उपस्थित करता है और प्रतिवादी वकील अपराधी को अभियोग से बरी करने के लिए बहस करता है । इस तरह न्यायाधीश की स्थिति बड़ी असंगत हो जाती है, क्योंकि उस समय यह माना जाता है कि न्यायाधीश अपराधी के बारे में सभी ज्ञातव्य बातें जान चुका है जब कि

वास्तविकता यह है कि उस समय उसके सम्बन्ध में उसे केवल परस्पर विरोधी बातें ही मालूम रहती हैं और उन्हीं के आधार पर उसे विचार और निर्णय करना होता है।इस दृष्टि से परिवीक्षा सम्बन्धी जाँच का महत्त्व बहुत अधिक है, क्योंकि उससे न्यायाधीश को निर्णय देने में सहायता मिलती है; उसके न रहने पर न्यायाधीश का उद्देश्य पवित्र रहने पर भी उसका निर्णय मनमाना या आधारहीन हो सकता है। परिवीक्षा-अधिकारी का जाँच-कार्य जितना ही अच्छा होगा, न्यायाधीश को अपराधी की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त निर्णय देने में उतनी ही अधिक सुविधा होती है। परिवीक्षा-अधिकारी का उत्तरदायित्व न्यायालय और अभियुक्त दोनो के प्रति होता है, क्योकि अभियुक्त के सम्बन्भ में उसकी संस्तुति को केवल न्यायालय के आदेश द्वारा ही कार्यान्वित किया जा सकता है।

परिवीक्षा सम्बन्धी प्राधिकार––कार्यकर्ता, जो यह जानता है कि वह किस प्रकार का कार्य कर रहा है, अच्छी तरह समझता है कि अपराधी की वैयक्तिक सेवा के कार्य में प्राधिकार का क्या महत्त्व होता है और न्यायिक तथा परिवीक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए वह कितना आवश्यक है। वह इस बात को केवल बौद्धिक तथ्य के रूप मे ही नही स्वीकार करता बल्कि उसकी आवश्यकता का अपने अन्तरतम में अनुभव करता है और परिवीक्षाधीन व्यक्ति के मामले मे कार्य करते समय प्राधिकार को अपनी कार्यपद्धति का एक अनिवार्य अग मानता है। अन्य किसी भी प्रकार से अपने को तथा परिवीक्षाधीन व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए वह वैयक्तिकीकृत उपचार की आधुनिक विचार-धारा और अपराधी के प्रति दण्डात्मक दृष्टिकोण रखने की प्राचीन परम्परा के बीच समझौता नही करा सकता है। उस प्राधिकार के बिना परिवीक्षा-अधिकारी न्यायालय की शर्तों को अभियुक्त पर आरोपित करने के सम्बन्ध में ऐसी भाषा का प्रयोग नही कर सकता था जिसका कोई अर्थ न होता।

प्रारम्भ से ही सुयोग्य परिवीक्षा-अधिकारी यह जानता रहता है कि प्राधिकार द्वारा ही उस क्षेत्र का निर्धारण होता है जिसमें उसे तथा परिवीक्षाधीन व्यक्ति को काम करना पड़ता है। न्यायालय की कुछ निश्चित शर्तें रहती हैं जिनका पालन करना परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है और यदि वह व्यक्ति उन शर्तों के नियमों का अधिक उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे नियन्त्रित करने के लिए अधिक कठोर उपायों का अवलम्बन ले सकता है[१]। परिवीक्षाधिकारी अपने को न्यायालय का एक अभिकर्ता

(१) इन नियमों के अनुसार यह आवश्यक होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति के सम्बन्ध में परिवीक्षा-अधिकारी को नियमित रूप से सूचना मिलती रहे। वह व्यक्ति नियमित रूप से कुछ निश्चित घंटे तक काम करे तथा परिवीक्षा-अधि-

समझता है । परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी उसे ऐसा व्यक्ति समझता है जिसको न्यायालय ने कुछ प्राधिकार सौप दिये हैं । अतः इसी सन्दर्भ में कार्यकर्ता को अपना उत्तरदायित्व और कार्य की सीमा समझने की आवश्यकता होती है । इस सम्बन्ध में ये प्रश्न उठते है– क्या कार्यकर्ता स्वयं न्यायालय है ? क्या वह न्यायालय से अभिन्न है ? क्या वह न्यायालय के समस्त प्राधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है ? क्या वह प्राधिकारों के जाल में इतना उलझा होता है कि उनसे कुछ अलग हटकर परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सहायता कर ही नहीं सकता ? इन प्रश्नों के उत्तर द्वारा परिवीक्षा-कार्य के मर्म को समझा जा सकता है ।

प्रतिबन्धों का प्रयोग––इस व्याख्या को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से अच्छा होगा कि हम एक पन्द्रह वर्षीय बालक की परिस्थितियों का उदाहरण लें जिसने कोई अपराध किया है । उसके अपराध-कार्य से ही यह सिद्ध है कि वह किसी प्रकार का प्रतिबन्ध स्वीकार करने को तैयार नही है अथवा उसका अपराध इस बात का भी लक्षण हो सकता है कि उस लड़के के लिए कुछ प्रतिबन्धों की आवश्यकता है ताकि उसके आन्तरिक आवेगों और समुदाय के प्रति उसके उत्तरदायित्वों के बीच सन्तुलन स्थापित हो सके । यदि कोई लड़का खुलेआम अपराध-कार्य करता है तो यह इस बातका द्योतक है कि उस पर प्रतिबन्ध लगाकर उसकी सहायता की जानी चाहिये । ऐसे बालक की ओर बाल-न्यायालय और परिवीक्षा-अधिकारी का ध्यान आकृष्ट होता है । ऐसी स्थिति में न्यायालय जो शक्ति, प्राधिकार और भयात्मकता से युक्त होता है, बालक की समस्याओं को सुलझाने में क्या सहायता कर सकता है ? यदि हम अपने प्रति ईमानदार है तो न्यायालय का पूर्ण सम्मान करते हुए भी हम यह कहने को बाध्य होंगे कि यदि न्यायालय बालक के ऊपर अपने समस्त प्राधिकारों का उपयोग करके उसे अच्छा बालक बनने के लिए बाध्य करना चाहेगा तो उसे शायद ही सफलता मिले । यदि बालक समुदाय के व्यापक प्राधिकारों के साथ अपना सामञ्जस्य नहीं कर सका तो न्यायालय के प्राधिकार उसे वह कार्य करने को बाध्य नहीं कर सकते जो वह समाज के बीच नही कर सका । इसका यह अर्थ नही कि न्यायालय की कोई उपयोगिता ही नहीं है । इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि परिवीक्षा-कार्य के बिना न्यायालय अधिक उपयोगी नही हो सकता । सच पूछा जाय तो बालक न्यायालय के पूर्ण प्राधिकार के अनुसार कार्य नही कर सकता क्योंकि न्यायालय उसके कार्यो

कारी की अनुमति के बिना कोई मोटर गाड़ी न चलाये तथा विवाह न करे और अपने राज्य अथवा जिले की सीमा से बिना अनुमति प्राप्त किये बाहर न जाय ।

के लिए उसको उत्तरदायी मानकर उस पर आवश्यकता से बहुत अधिक नियन्त्रण रखना चाहता है। न्यायालय कहता है—"तुमने समाज का कानून तोड़ा है। समाज ने इस न्यायालय में तुम्हारे विरुद्ध अभियोग उपस्थित किया है, इसलिये न्यायालय तुम्हें अच्छा लड़का बनने का आदेश देता है।" इस आदेश की प्रतिक्रिया बालक पर यह होती है कि वह स्वयं को सुधारने के अपने उत्तरदायित्व से और भी दूर भागता है और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है।

किन्तु जब न्यायालय अपने समग्र प्राधिकार को विभाजित करके उसका कुछ अंश किसी ऐसे अभिकरण को सौंप देता है जिसकी स्थापना उसने इसी कार्य के लिए की है तब ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें बालक सहायता लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसी स्थल पर परिवीक्षा-अधिकारी का कार्य प्रारम्भ होता है। परिवीक्षा-विभाग न्यायालय के संघटन का ही एक अंग है, उसके कुछ विशेष कर्त्तव्य होते हैं और वह कुछ विशेष साविधिक और कार्यात्मक सीमाओं के भीतर रहकर काम करता है। यदि परिवीक्षा-विभाग बालक की सहायता सम्बन्धी सेवा करना चाहता है तो उसे न्यायालय के समग्र प्राधिकारों से अपने को कुछ अलग रखना होगा पर साथ ही न्यायालय का एक अंग भी बना रहना होगा। यह कथन केवल शब्दों की क्रीड़ा मात्र नहीं है। जब परिवीक्षा-विभाग अपने को अलग कर लेता है तो उसके बाद बालक को आसानी से बताया जा सकता है कि न्यायालय ने उसे परिवीक्षा-अधिकारी के पास सहायता के लिये भेज दिया है और बालक इस बात के लिए स्वतन्त्र है कि वह इस विभाग की सहायता को स्वीकार या अस्वीकार करे। इस तरह निर्णय की पूरी जिम्मेदारी बालक के ऊपर चली जाती है और यही उचित भी है। बालक सहायता लेना अस्वीकार कर सकता है और उसे अच्छा बनाने के लिए परिवीक्षा-अधिकारी जो प्रयत्न करता है वह उसका विरोध भी कर सकता है। परिवीक्षा-अधिकारी चाहे अपने समस्त कौशल का उपयोग क्यों न कर डाले पर सहायता को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय का अधिकार बालक के हाथ में ही होना है। बालक ऐसे काम कर सकता है जिसके कारण उसे परिवीक्षा से हटाकर किसी ऐसी संस्था में भेज दिया जाय जहाँ उसका अधिक नियन्त्रण-पूर्ण उपचार हो सके। यदि इसके विपरीत कार्यकर्ता की सहायता के प्रभाव से बालक अपने चरित्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करने लगता है तो बालक और कार्यकर्ता, दोनों के सहयोग से बालक की कठिनाइयों को दूर करने का कार्य प्रारम्भ होता है। बालक के अपराध-कार्य का अर्थ यह है कि वह अपने प्रति अपने उत्तरदायित्व को अपने भीतर से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहता है। जब वह सहायता लेना अस्वीकार करता है तब भी उसकी यही स्थिति रहती है। परिवीक्षा-अधिकारी की चुनौती स्वीकार करके बालक अपने जीवन में पहली बार यह समझने लगता

है कि वह जो कुछ है अथवा जिस किसी कारण वह जो कुछ करता है उन सबकी जिम्मेदारी स्वयं उसी पर है। एक बार बालक जब ऐसा निर्णय कर लेता है तब कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक नही रह जाता कि वह बालक को अच्छा बनाने का प्रयत्न करे, इसके विपरीत वह बालक की इस प्रकार सहायता करता है कि बालक स्वयं अपनी समस्याओं का सामना करता और उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करता है। ऐसी ही समय में बालक को प्राधिकारों का सामना करने तथा उसे समझने का अवसर मिलता है और वह उस प्राधिकार की सीमा के भीतर ही रचनात्मक ढंग से कार्य करने की स्वतन्त्रता का अनुभव करता है, उसे अब प्राधिकारो से निरन्तर संघर्ष करने की आवश्यकता नही रह जाती।

इस सम्बन्ध में इतने विस्तार मे विचार करने का उद्देश्य इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करना था कि परिवीक्षा का कार्य एक निश्चित प्राधिकार के ढाँचे के अन्तर्गत किया जाता है; वह प्राधिकार विधेयात्मक और रचनात्मक दृष्टि से उपयोगी होता है क्योंकि उसके कारण व्यक्ति को कुछ निश्चित सीमाओं और प्रतिबन्धो के अन्तर्गत रहकर कार्य करने का अवसर मिलता तथा उसके लिए उपयुक्त पद्धति की भी जानकारी होती है। साथ ही व्यक्ति जब अपना उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण कर लेता है तो इस कारण उसके अन्तरतम में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है जो कृत्रिम नही, वास्तविक होती है। इन सब बातों के मूल में जो सत्य निहित है वह यह है कि परिवीक्षा-अधिकारी द्वारा की जाने वाली सेवा का गुणात्मक स्तर बहुत ऊँचा होना चाहिये। इस सेवा का इस विश्वास के साथ व्यावहारिक सम्बन्ध है कि कठिनाइयो में पडे व्यक्तियों की ऐसी सहायता की जा सकती है जिससे वे अपने भीतर तथा बाह्य जगत् अर्थात् अपने समुदाय में अपने को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। इसके साथ ही परिवीक्षा-अधिकारी भी व्यक्ति की अपने जीवन का कुछ उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण करने की अन्तर्निहित क्षमता में विश्वास करता है।

यहाँ अपराधी बालकों की परिवीक्षा की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है, वह सब वयस्क अपराधियो के साथ भी लागू होता है। दोनों में मुख्य अन्तर यही हो सकता है कि बालकों की अपेक्षा वयस्को की परिवीक्षा-प्रक्रिया में अधिक कठिनाइयाँ उपस्थित होती है क्योंकि वयस्क व्यक्ति की आदतें अधिक पक्की हो गयी रहती है जिससे उस पर सुझावों का प्रभाव अधिक नही पड़ता है। वयस्क व्यक्तियों में बालकों जैसी निश्छलता और स्पष्टता प्रायः नही होती, न तो उसकी प्रतिक्रियाएँ ही अन्तर्बाधामूलक होती हैं। वयस्क व्यक्ति की परिवीक्षा की प्रक्रिया की गति अपेक्षाकृत अधिक मन्द हो सकती तथा सम्भव है, उस व्यक्ति के चरित्र में कोई नाटकीय परिवर्तन भी न हो, किन्तु यदि परिवर्तन होता है और एक बार जब वह अपने ऊपर काबू पा लेता है तो उसके दैनिक जीवन की जिम्मे-

दारियों की वास्तविकता तथा जीवन में उत्पन्न स्थायित्व के कारण उसका वह परिवर्तन टिकाऊ होता है ।

अपने और अपनी सेवा के प्रति कार्यकर्ता की जागरूकता—कार्यकर्ता परिवीक्षाधीन व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया के प्रति इतना सावधान होता है कि वह परिवीक्षा सम्बन्धी प्रारम्भिक साक्षात्कारों के महत्त्व से पहले ही से परिचित रहता है । अपनी सावधानी और जानकारी का प्रयोग वह अपराधी के दण्डित होने के पूर्व उसके लिए किये जाने वाले कार्यों में करता है । पर किसी व्यक्ति को परिवीक्षा के लिए भेजने का अर्थ ही यह है कि उसकी स्थिति मे उसी समय से परिवर्तन प्रारम्भ हो जाता है। परिवीक्षा में जिस प्राधिकार की अभिव्यक्ति होती है वह स्वयं सम्बन्धों की सीमाएँ निर्धारित करता तथा उनका स्वरूप निश्चित करता है । परिवीक्षाधीन व्यक्ति को भी यह जानने की आवश्यकता होती है कि उन सम्बन्धों का स्वरूप और सीमाएं क्या है ? परिवीक्षा-अधिकारी इस कार्य मे केवल मौखिक रूप से नही बल्कि क्रियात्मक रूप से जुट कर सफलता प्राप्त करता है । उसकी सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि वह क्या करता है तथा किस ढंग से करता है । उदाहरण के लिए यदि कोई कार्यकर्ता अपराधी के पास उसे दण्ड देने या प्रतिशोध लेने की भावना लेकर जाता है तो भले ही मुख से वह अपराधी से परिवीक्षा-कार्य की विशेषताएं बताये, पर अपने कार्यों द्वारा वह अपनी कही बातों का खण्डन करता या समस्त प्रभाव नष्ट कर देता है । इसका सम्बन्ध निश्चित रूप से इस बात से है कि कार्यकर्ता अपने को, अपनी भावात्मक अनुक्रिया को, वैयक्तिक कार्य सम्बन्धी अपनी विचार-धारा को, अपने लिए निश्चित प्रतिमान को कितना समझता है । यह बात सबसे अधिक स्पष्ट रूप मे दूसरे के साथ उसके प्राधिकारिक सम्बन्धो में दिखाई पड़ती है । जो कार्यकर्ता स्वय अपने विकास मे सम्बन्धित अनुभवों में प्राधिकारों के साथ समझौता करने में सफल नही हो सका है वह ऐसे व्यक्तियो की, जो मुख्यतः प्राधिकारों से संघर्ष करने में लगे है, अधिक सहायता नही कर सकता है ।

उसी तरह कल्पना कीजिये कि कोई कार्यकर्ता ऐसा है जो अपने बचपन में अपने पिता के मनमाने व्यवहार का कष्ट भोग चुका है; यदि वह प्रशिक्षण के अनुशासन में नही रहा है, तो वह ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिए, जो अपने परिवार को छोड़ चुका है या छोड़ने वाला ही है, कुछ भी करने में कठिनाई का अनुभव कर सकता है । कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी होते है जिन्हें बचपन में अपने परिवार वालो से कोई भावात्मक संघर्ष नही करना पडा है और इस कारण वे अपने व्यक्तित्व की सुरक्षा की उपलब्धि नही कर सके है । ऐसे कार्यकर्ता भी उन व्यक्तियों की अधिक सहायता करने में सफलता नही प्राप्त कर सकते जो भावात्मक स्वतन्त्रता की स्थिति में पहुँच चुके है । तुलना की दृष्टि से जो कार्यकर्ता अभी

मुक्ति की प्रक्रिया के बीच से होकर गुजर रहा है, वह उस परिवीक्षाधीन व्यक्ति के ही समान है जो उसी प्रकार के अनुभव करने में लगा हुआ है; निष्कर्ष यह कि प्रायः सभी व्यावहारिक कार्यों की दृष्टि से दोनों एक ही प्रकार के संघर्ष में लगे हुए हैं। इस तरह जिसका काम दूसरों को सहायता करना है, वह स्वयं वैसा ही असहाय बन जाता है जैसा वह व्यक्ति जिसकी सहायता उक्त कार्यकर्ता करने वाला था। इस स्थिति में उन दोनों का सम्बन्ध कार्यकर्ता और कार्यार्थी का नही रह जाता, इसके विपरीत वे दोनो कार्यार्थी बन जाते हैं, कार्यकर्ता कोई नही रह जाता। जिस कार्यकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति के साथ सन्तोषपूर्ण स्नेह-सम्बन्ध स्थापित करने में कभी संघर्ष नही करना पड़ा है, वह अपनी आत्म-पीड़न-प्रवृत्ति को उस परिवीक्षाधीन व्यक्ति के पास स्थानान्तरित कर देता है, जो अपने संघर्ष के बीच अभी अपने को सन्तुलित नही कर सका है। यद्यपि यह बात कुछ अधिक विश्लेषणात्मक हो गयी है किन्तु वैयक्तिक-सेवा-कार्यकर्ता के अन्य व्यक्तियों के साथ सम्बन्धों की व्याख्या की दृष्टि से आवश्यक है क्योंकि कार्यकर्ता के कार्य की प्रभावात्मकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने स्वयं अपनी व्यक्तिगत और वृत्तिक कठिनाइयों को हल करके किस सीमा तक सुख-सन्तोष का अनुभव किया है।

व्यक्ति और पर्यावरण—यहाँ परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सन्तुलित सेवा की आवश्यकता पर बल देना जरूरी है। प्रत्येक अपराध-कार्य करने वाला व्यक्ति अपने भीतर व्यक्तित्व सम्बन्धी द्वन्द्व का अनुभव नही करता। इसी कारण सामाजिक कार्यकर्ता यह आवश्यक समझता है कि वह उन सांस्कृतिक तत्त्वों से, चाहे वे महत्त्वपूर्ण हों या न हों, पूर्णतया परिचित हो जो उसकी रोजमर्रा की जिन्दगी को प्रभावित करते है। समाज-शास्त्रज्ञ और मानव-वैज्ञानिक वर्षो से व्यक्तित्व और संस्कृति के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन करते आ रहे है और उस क्षेत्र में इतनी अधिक ज्ञान-सम्पदा उपलब्ध की जा चुकी है कि सामाजिक कार्यकर्ता के लिए उस ज्ञान-राशि से परिचित होना आवश्यक हो गया है, क्योंकि उसे विभिन्न स्थितियों में रहने वाले व्यक्तियो के जीवन के सम्पर्क में आना पड़ता है। समाज-शास्त्र के क्षेत्र में भी बहुत पहले से यह माना जाता रहा है कि मूल्य और प्रतिमान सापेक्ष होते है। समाज-शास्त्रियों ने बार-बार उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि एक स्थान पर लोकाचार के दबाव से जिन नीतियों और मान्यताओं का प्रचलन होता है, यह आवश्यक नहीं है कि अन्यत्र भी वे प्रचलित हों। मानव-संस्कृति के अध्येताओं ने लोकरीति और लोक-संस्कृति में स्पष्ट रूप से अन्तर किया है। जो कार्यकर्ता अन्य व्यक्तियों तथा समुदायों के लिए नैतिक प्रतिमान स्थिर करने की बहुत अधिक उत्सुकता दिखाते हैं उनको उपर्युक्त अन्तर का अध्ययन करने से बहुत लाभ हो सकता है।

कुछ परिवीक्षा-कार्य अपराधी की व्यक्तित्व सम्बन्धी कठिनाइयों में तथा कुछ उसके

पर्यावरण से सम्बन्धित कठिनाइयों को हल करने में सहायता करने की दृष्टि से किये जाते है । परिवीक्षा-अधिकारी प्रारम्भिक साक्षात्कारों में ही समझ लेता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति की आश्यकताएँ क्या है । यदि उसे मनश्चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता होती है तो वह परिवीक्षा-अधिकारी द्वारा उचित अभिकरण के पास भेज दिया जाता है । यदि कोई मनश्चिकित्सक उपलब्ध नही होता है तो कार्यकर्ता उस व्यक्ति को अपने परिवीक्षा-सम्बन्धी कार्यो की सीमा के अन्तर्गत ही उसकी यथाशक्ति सेवा करता है पर यह सेवा न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट कार्यो की सीमा के अन्तर्गत ही होती है । कभी-कभी परिवीक्षा-अधिकारी कुछ ठोस सहायता—जैसे नौकरी दिलाना—भी करता है । अधिकाश कार्य-कर्ता यह अच्छी तरह जानते हैं कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति नौकरी पाने से अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ हो सकता है । इससे उस व्यक्ति में यह भावना आती है कि वह कहीं का है और कोई उसका है और वह कुछ ऐसा कार्य सम्पन्न कर रहा है जिससे उसके जीवन में स्थायित्व आ सकता है । ऐसी स्थिति में, अर्थात् नौकरी मिल जाने पर, कार्यकर्ता समय-समय पर नौकरी देने वाले मालिक से मिलता रहता है, अथवा कभी-कभी वह नौकरी दिलाने के बाद अपने को उस प्रसंग से अलग कर लेता है । अधिकाश परिवीक्षा-अधिकारी और परिवीक्षाधीन व्यक्ति नौकरी मिलते समय ही मालिक को पूरी स्थिति बता देते हैं ताकि बाद में परिवीक्षाधीन व्यक्ति के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करने पर उसे भय और घबड़ाहट न हो । नौकरी दिलाने के अतिरिक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति की और भी कई प्रकार से सहायता की जा सकती है, जैसे—किसी अच्छे पास-पड़ोस वाले मकान में उसके रहने की व्यवस्था करना, उसके अवकाश के समय के लिए मनोरंजन सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के कार्यो की व्यवस्था करना, चर्च और विद्यालय से उसका सम्पर्क स्थापित कराना, व्याव-सायिक प्रशिक्षण में उसे लगाना आदि । परिवीक्षाधीन व्यक्तियो को प्राय: अन्य सामाजिक अभिकरणो के पास भेजने की आवश्यकता पड़ती है जिसमें से ये है—पारिवारिक समिति, बाल-निर्देशन-स्वास्थ्य-गृह और अस्पताल का सामाजिक सेवा-विभाग । कार्यकर्ता परिवीक्षाधीन व्यक्ति तथा उसके परिवार वालों को यह भी बताता है कि सरकारी अभि-करणों और जन-कल्याण विभाग द्वारा किस प्रकार की सहायता की जाती है । परिवीक्षा-अधिकारी इस प्रकार की सहायता इसलिये नही करता कि यह उसका कर्त्तव्य है बल्कि इसलिये करता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यह अच्छी तरह मालूम हो जाय कि समाज उसे कितने प्रकार की सुविधाएँ देने को तैयार है । इन सामुदायिक सेवाओं को स्वीकार करने का अन्तिम निर्णय परिवीक्षाधीन व्यक्ति स्वयं करता है, कार्यकर्ता नहीं ।

साक्षात्कार और साक्षात्कार-प्रक्रिया—प्रत्येक परिवीक्षा-अधिकारी, चाहे उसके पास परिवीक्षा सम्बन्धी अधिक मामले हों या कम, साक्षात्कार करने की अपनी अलग

व्यक्ति के घर बार-बार जाने से वह यह समझने लगता है कि उसका काम केवल अपने घर बैठे रहकर कार्यकर्ता के आने की प्रतीक्षा करना है जो आकर उसे यह बतायेगा कि उसे क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये । इस कारण अधिकांश परिवीक्षा-अधिकारी यह उचित समझते है कि परिवीक्षा-कार्यालय में और परिवीक्षाधीन व्यक्ति के घर दोनों जगह बारी-बारी से साक्षात्कार होना चाहिये ।

कार्यालय में और घर पर मिल कर परिवीक्षाधीन व्यक्ति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के अतिरिक्त, एक तीसरा मार्ग यह है कि हर महीने परिवीक्षाधीन व्यक्ति अधीक्षक के पास डाक से अपने बारे में सूचना भेजता है । यदि कार्यकर्ता कार्यालय में या घर पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति से मिलने की प्रक्रिया में कुछ ऐसी बातें देखता है जिनसे यह सन्देह होता है कि वह व्यक्ति अपने बारे में सही बातें नहीं बता रहा है, तो पत्रों द्वारा उसे अधिक क्या मालूम हो सकता है, जिनमें बराबर यही लिखा रहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है । अतः इस पद्धति के बारे में उसका संदेहशील होना स्वाभाविक है । जब डाक द्वारा सूचना प्राप्त करने की पद्धति में परिवीक्षाधीन व्यक्ति कार्यकर्ता से एकतरफा सम्बन्ध रखता है अर्थात् केवल वही पत्र लिखता है तो अपने पत्रों में वह इससे अधिक और क्या लिखेगा कि सब ठीक-ठाक है । इस कथन द्वारा उन नियमों की उपेक्षा नहीं की जा रही है जो स्थानीय निकायो, राज्यों और संघ में परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा अपने सम्बन्ध में डाक से रिपोर्ट भेजने के सम्बन्ध में प्रचलित हैं । किन्तु इस पद्धति की प्रभावात्मकता पर विचार करना हमारा उद्देश्य अवश्य है । मान लीजिये कि ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी परेशानी में फँस जाता है तो अधीक्षक से कैसे सहायता प्राप्त करेगा ? यद्यपि डाक द्वारा सूचना देने की पद्धति बहुत दिनों से प्रचलित है पर उससे व्यक्ति की सहायता के कार्य को न तो कुछ प्रोत्साहन मिलता है, न उससे इस सिद्धान्त का समर्थन ही होता है । यदि परिवीक्षा-विभाग परिवीक्षाधीन व्यक्ति से पत्र द्वारा सूचना प्राप्त करने की पद्धति को जारी रखना आवश्यक समझता हो तो भी उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में उसे, कार्यकर्ताओं को तथा परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को भ्रम में नहीं रहना चाहिये । यह पद्धति कभी भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार की पद्धति की स्थानापन्न नहीं हो सकती ।

परिवीक्षा का प्रतिसंहरण—परिवीक्षा-कार्य में सदैव सफलता ही नहीं मिलती । कभी-कभी परिवीक्षाधीन व्यक्ति में कुछ भी परिवर्तन या सुधार नही होता । इस कार्य में दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, कार्यकर्ता और परिवीक्षाधीन व्यक्ति । उनके प्रयत्नों की सफलता कई बातों पर निर्भर करती है जिनमें से कुछ तो उनके वश की और कुछ उनके वश के बाहर की होती हैं । उनमें से सबसे पहला स्थान स्वयं उस व्यक्ति का है जिसको दण्ड देने के पूर्व की जाँच के आधार पर न्यायालय परिवीक्षा-सेवा के अन्तर्गत रखने के योग्य

समझता है । यदि यह मान कर चला जाय कि उसे परिवीक्षा के अन्तर्गत रखने का आदेश तर्कसंगत और आशापूर्ण फलानुमान के आधार पर दिया गया है, तो भी और कुछ ऐसी बाते हैं जो अपराधी की सफल सहायता के लिए आवश्यक हैं । निस्सन्देह उनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि परिवीक्षा-अधिकारी उस व्यक्ति के लिए जो वैयक्तिक सेवा-कार्य करता है वह किस स्तर का है । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति का अपने को नियंत्रित करने तथा उस नियन्त्रण को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य बहुत कुछ इन बातों पर भी निर्भर करता है कि उस समुदाय के, जिसमें वह व्यक्ति रहता है, साधन क्या हैं, उसमें उस व्यक्ति की नौकरी-धन्धे के लिए सुविधाएं हैं या नहीं , उसे मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेकर अपनी शक्तियों का सदुपयोग करने का अवसर मिल सकता है या नहीं और उस व्यक्ति के प्रति उसके सम्बन्धियों (कुटुम्बियों आदि), मित्रों, नौकरी देने वाले मालिकों और समूचे समुदाय का क्या रुख और धारणा है ? व्यक्ति समुदाय के भीतर अपना जो व्यवस्थापन करता है, वह अपने आप नहीं घटित हो जाता, उसके लिए व्यक्ति की सहायता की दृष्टि से पर्याप्त अनुकूल वातावरण तथा कार्यकर्ता और कार्यार्थी के सहयोगपूर्ण और संयुक्त प्रयत्न की आवश्यकता होती है । कभी-कभी समुदाय से ही पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती, कभी परिवीक्षा-अधिकारी ही सहायता-कार्य में शिथिलता दिखाने लगता है और कभी तो उसे यह समझ में नहीं आता कि उस व्यक्ति को किस तरह की सहायता की आवश्यकता है और यह बात विशेष रूप से इस कारण क्षम्य है कि मानव-चरित्र का पूर्ण ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है और अभी तक हम उसके बारे में बहुत कम जान सके है ।

इसमें कोई सन्देह नही कि परिवीक्षा-अधिकारी के सामने इस प्रकार के कई प्रश्न उपस्थित होते है, जैसे--मैने अब तक परिवीक्षाधीन व्यक्ति की क्या सहायता की है ? उसने मेरी सहायता का उपयोग किस सीमा तक किया है ? परिवीक्षा-कार्य के अन्तर्गत उस व्यक्ति को और कितनी सहायता की आवश्यकता है ? निष्कर्ष यह कि क्या परिवीक्षा के अन्तर्गत रह कर उसमें इतना सुधार हुआ है कि यह आशा बँधे कि औरों द्वारा त्याग दिये जाने का संकट उपस्थित होने पर भी वह परिवीक्षा के अनुभवों का लाभ उठाता रहेगा ? इन प्रश्नों का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि परिवीक्षा-कार्य में स्वयं कार्यकर्ता का कितना विश्वास है । यदि परिवीक्षा-कार्य अपराधी को जेल में भेजने की एक पूर्व भूमिका मात्र है अथवा वह उसके सिर पर हमेशा लटकती रहने वाली तलवार की तरह है, तो उस स्थिति में कार्यकर्ता उस व्यक्ति की समस्या के मूल तक पहुँचने का प्रयत्न न करके केवल कर्तव्य-निर्वाह के रूप में नियमों का पालन भर करता है । यदि इस कारण वह व्यक्ति परिवीक्षा की शर्तो का उल्लंघन करता है तो स्पष्ट ही कार्यकर्ता का अगला कदम उसकी

परिवीक्षा को उपसंहृत करना होगा । उस समय आसानी से यह बात भुला दी जाती है कि परिवीक्षा की असफलता वस्तुतः उस व्यक्ति की असफलता नहीं, बल्कि स्वयं कार्यकर्ता की असफलता है । परिवीक्षा के उपसंहरण का एक कारण यह भी हो सकता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा-अधिकारी द्वारा दी गयी सहायता का उपयोग करने में अक्षम होता है । अतः इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि परिवीक्षा-अधिकारी को हमेशा यह बात समझने का प्रयत्न करना चाहिये कि परिवीक्षा के उपसंहरण का निर्णय करने का आधार क्या है ? क्या यह निर्णय स्वयं उसके वृत्तिक कौशल से सम्बन्धित त्रुटियों के कारण किया गया है अथवा इसलिए कि अपराधी में सहायता से लाभ उठाने की आन्तरिक क्षमता नहीं है या समुदाय में इस प्रकार की सुविधाएँ नहीं हैं जिनके बिना परिवीक्षा-कार्य की सफलता संदिग्ध होती है ।

परिवीक्षा-नियमों के उल्लंघन के प्रति समुदाय का रुख––परिवीक्षा-अधिकारी को स्थिति का सामना कभी न कभी अवश्य करना पड़ता है जब कि अपराधी द्वारा परिवीक्षा के नियमों का उल्लंघन किये जाने पर उसके प्रति समुदाय का दृष्टिकोण उसके सामने एक कठिन समस्या बन कर उपस्थित होता है । कई स्थितियाँ ऐसी आती हैं जब कि परिवीक्षा के नियमों का उल्लंघन समुदाय की दृष्टि में अत्यन्त निन्दनीय होता है, किन्तु परिवीक्षा-अधिकारी की दृष्टि में वह ऐसा नहीं होता कि उससे परिवीक्षा की सफलता में ही सन्देह उत्पन्न हो जाय । उदाहरण के लिए मान लीजिये कि कोई बालक कोई ऐसी गम्भीर शरारत करता है जो समुदाय को गहरा आघात पहुँचाने वाली है और इस अपराध के लिए न्यायालय उसे परिवीक्षा-विभाग के अधीक्षण में रख देता है; परिवीक्षा की अवधि में उस अपराधी बालक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है किन्तु परिवीक्षा-अधीक्षक की उसके सम्बन्ध में यह राय है कि उसने अपने को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है । फिर भी कभी-कभी उस बालक की कठिनाइयाँ अधिक बढ़ जाती हैं और किसी ऐसे ही संघर्ष के क्षण में वह फिर पाप-कर्म में रत होकर कोई दूसरा अपराध कर बैठता है । पर इसके बाद भी परिवीक्षा-अधिकारी यह अनुभव करता है कि वह बालक परिवीक्षा से अब भी लाभ उठा सकता है किन्तु जनता यह माँग करती है कि उसे शीघ्र प्रतिशोधात्मक दण्ड दिया जाना चाहिये । उस समय परिवीक्षा-अधिकारी को क्या करना चाहिये ? क्या वह जनता की बात मान कर बालक को न्यायालय में भेज दे या यह विश्वास करके कि वह अब भी सहायता से लाभ उठा सकता है, वह उसे परिवीक्षा के अन्तर्गत ही रखे ? कार्यकर्ता इस घटना को इस रूप में ले सकता है कि परिवीक्षा के नियमों के प्रतिबन्ध से संघर्ष करने की प्रक्रिया में ही बालक ने दुबारा अपराध किया है, अतः यह भी उसकी विकास-प्रक्रिया का ही सूचक है । ऐसी स्थिति में अपने वृत्तिक कौशल से काम ले सकता है और

यह कह सकता है कि उसका प्रमुख उद्देश्य परिवीक्षाधीन व्यक्ति का हित-साधन करना है। दूसरे शब्दों में उस व्यक्ति ने उस समय तक जितनी प्रगति की है, कार्यकर्ता का लक्ष्य उसकी रक्षा करना है। अतः उपर्युक्त स्थिति उत्पन्न होने पर परिवीक्षा-अधिकारी को न्यायालय के विचारार्थ एक ऐसा वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन भेजना चाहिये जिसमें बालक के परिवीक्षा-कालीन अपराध तथा उसके अनुभवों का आकलन किया गया हो।

यहाँ पर कोई व्यावहारिक दृष्टि वाला व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि जो परिवीक्षा-अधिकारी बराबर न्यायालय के नियमों के विपरीत मत रखता है वह न तो परिवीक्षा-विभाग का और न अपना ही भला करता है। वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य के अन्य क्षेत्रों की भाँति इस क्षेत्र में भी यह दुविधा की स्थिति प्रायः उत्पन्न हो जाया करती है। वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा मानवीय सम्बन्धों के क्षेत्र में योग्यता का विशेष स्तर निश्चित कर लिया है और साथ ही उन्होंने जरूरतमन्द व्यक्तियों की सहायता के निमित्त किये जाने वाले वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य के मूल्य और महत्त्व के सबन्ध में कुछ निश्चित विचारों और धारणाओं का भी विकास किया है। उन विचारों—धारणाओं तथा समुदाय के दृष्टिकोण के बीच जिसका प्रतिनिधित्व समुदाय का एक अभिकरण न्यायालय करता है, प्रायः विरोध दिखाई पड़ता है। कार्यकर्ता आवश्यकता पड़ने पर अपने सब सिद्धान्तों को छोड़ कर आगे बढ़ सकता है अथवा अपने सिद्धन्तों पर अडिग रहते हुए तथा अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की दृष्टि से अपने कौशल का प्रयोग करते हुए अपनी नौकरी से सम्बन्धित दायित्व को पूरा करता है और अन्त में न्यायालय के अन्तिम निर्णय को बड़े उदात्त भाव से स्वीकार करता है, चाहे वह निर्णय उसके विरुद्ध ही क्यों न हो। इससे अधिक की माँग उससे शायद कोई नही करेगा और अपने पेशे के सिद्धान्त के अनुरूप वह निर्णय करने का अधिकार उसी को देता है जिसके पास उस अधिकार का रहना उचित और आवश्यक है। वस्तुतः यदि प्रशिक्षित कार्यकर्ता अपने सिद्धान्तों पर स्थिर नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा अथवा उन्हें विकसित करने की चिन्ता कौन करेगा ? यह बात अन्य क्षेत्रों पर शायद उतनी लागू नही होती जितनी परिवीक्षा, पेरोल और दण्डात्मक-सुधारात्मक संस्थाओं पर लागू होती है क्योंकि इन क्षेत्रों में ऐसे लोगों के लिए कार्य करना पड़ता है जो समाज के कलंकित व्यक्ति होते हैं।

दण्डात्मक-सुधारात्मक संस्थाओं में वैयक्तिक सेवा-कार्य

ऐसा माना जाता है कि मानव-व्यवहार के सम्बन्ध में अब तक जितना ज्ञान उपलब्ध किया जा चुका है उसके अनुसार सुधार या दण्ड से सम्बन्धित तीनों प्रमुख संस्थाएँ—सुधार-(प्रशिक्षण) विद्यालय, सुधारालय या व्यावसायिक विद्यालय और जेल—समाज के लिए

आवश्यक हैं। परिवीक्षा-कार्य के आदर्श कार्य के लिए अत्यधिक उत्साह के बावजूद न तो समाज के सामान्य लोगों की ही यह राय है और न सुधार-कार्य के पेशे में लगे विशेषज्ञ ही यह स्वीकार करते हैं कि अपराधी की देख-भाल और मानसिक उपचार के लिए आज इन संस्थाओं की आवश्यकता नहीं रह गयी है। सामाजिक कार्यकर्ता यह स्वीकार करते हैं कि इन संस्थाओं की आवश्यकता अभी बहुत दिनों तक रहेगी और उनका यह भी विश्वास है कि जहाँ कहीं भी मानवीय और सामाजिक आवश्यकताएँ वर्तमान हैं, वहाँ वैयक्तिक सेवा-कार्य उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए ऐसे कार्यकर्ता बराबर इस बात पर जोर देते आये हैं कि संस्थाओं के भीतर भी वैयक्तिक सेवा-कार्य होना चाहिये। उनकी राय में कूड़ा-घर में कूड़ा जमा करने के समान अपराधियों को किसी एक संस्था में यों ही एकत्र करने से अधिक अच्छा यह है कि जिन अपराधियों को परिवीक्षा में रखे जाने की सुविधा नहीं मिली है अथवा जिनकी परिवीक्षा उपसंहृत हो चुकी है उनको वैयक्तिकीकृत सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है। यद्यपि सामाजिक कार्यकर्ता निर्भ्रान्त भाव से यह मानते हैं कि किसी संस्था का वातावरण वैयक्तिक सेवा-कार्य के लिए उपयुक्त नही हो सकता, फिर भी वे स्वीकार करते हैं कि उन संस्थाओं के सुधारात्मक ढाँचे की सीमा के अन्तर्गत ही वैयक्तिक सेवा द्वारा बहुमूल्य सेवा की जा सकती है। यद्यपि इस सम्बन्ध में कार्यकर्ता और कार्यार्थी को जिस वास्तविक स्थिति का सामना करना पड़ता है उसकी अपनी सीमाएँ होती हैं जिन्हें सामाजिक कार्यकर्ता अच्छी तरह समझता है, फिर भी उसके अनुसार संस्थाओं के अन्तर्गत वैयक्तिक सेवा-कार्य में उन सीमाओं का भी रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है[२]।

(२) सुधारात्मक संस्थाओं की सीमाओं के उपयोग के गम्भीर विश्लेषण तथा व्यापक क्षेत्र में वैयक्तिक सेवा के प्रचार की जानकारी के लिए देखिये—केनेथ एल० एम० प्रे—"द प्लेस आफ सोशल केसवर्क इन ट्रीटमेण्ट आफ डेलिङ्क्वेन्सी"—सोशल सर्विस रिव्यू—जिल्द १६, जून १६४५, पृ० २३५ – २४४। केनेथ एल० एम० प्रे०—"द प्रिन्सिपिल्स आफ सोशल केसवर्क एज़ एप्लाइड टु प्रोबेशन एण्ड पेरोल।"—फेडरेल प्रोबेशन, जिल्द ६, अप्रिल–जून १६४५, पृ० १४ – १८। केनेथ एल० एम० प्रे—"सोशलवर्क इन द प्रिजन प्रोग्राम"—फेडरेल प्रोबेशन, जिल्द ७, अक्तूबर-दिसम्बर १६४३, पृ० ३ – ७। और भी देखिये—मेजाई एंफ० रप्पा पोर्ट—"द पासिबिलिटी आफ हेल्प फार द चाइल्ड रिटर्निंग फ्राम ए स्टेट स्कूल"—जरनल आफ सोशल वर्क प्रासेस, जिल्द ५, १६५४, पृ० २१ – ४६।

राज्यों के कुछ सुधारालयों और जेलों में तथा संघ के अधिकांश सुधारालयों और जेलों में वैयक्तिक सेवा की व्यवस्था की गयी है। इन संस्थाओं में नियमित योजना के अनुसार या तो एक अलग सामाजिक सेवा-विभाग होता है या कम से कम एक वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्यकर्ता नियुक्त किया जाता है जिसका काम अन्य विभागों के साथ सहयोग-पूर्ण समन्वय करना होता है। ये विभाग कई प्रकार के होते हैं, जैसे—चिकित्सा-विभाग, मनोविज्ञान-विभाग, व्यवसाय-विभाग, धर्म-विभाग, अवकाश-मुक्ति-विभाग और सामाजिक सेवा-विभाग। ये सभी विभाग संस्था के संघटनात्मक कार्यों की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। जिस तरह न्यायायलयों में धीरे-धीरे सामाजिक सेवा का महत्त्व स्वीकार किया गया और न्यायाधीश परिवीक्षा-अधिकारी के सहयोग से काम करने लगे उसी तरह सुधारात्मक संस्थाओं में अधीक्षकों और संरक्षकों ने भी क्रमशः यह बात समझ ली है कि वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्यकर्ता उनके लिए जहमत नही वल्कि वे भी अपने ढंग मे कुछ महत्त्वपूर्ण उपयोगी काम करते है।

अपराधी जिस समय इस प्रकार की किसी संस्था मे लाया जाता है उस समय तक उसका कानून से अर्थात् पुलिस,जेल और न्यायालय से पाला पड़ चुका होता है। इस प्रकार जेल या किसी अन्य संस्था में प्रवेश करने पर अपने पीछे फाटक के बाद होने की आवाज सुनकर उसे इस बात की चिन्ता नही होती कि अब वह अपने परिवार, घर, मित्रों, पड़ोसियों और नौकरी से न जाने कब तक के लिए अलग कर दिया गया है। संस्था में आने के समय बहुधा वह प्रतिशोध और घृणा की भावना से भरा रहता है जो या तो उसके कारावास-काल में भीतर ही भीतर आग की तरह सुलगती रहती है और रिहा होने पर प्रतिकार के लिए भड़क उठती है अथवा उसी समय अनियन्त्रित रूप में भड़क उठती है जबकि उसे मालूम हो जाता है कि उसे कैद की सजा मिल गयी। संस्था में आने पर कुछ ही समय बाद सामाजिक कार्यकर्ता उससे मिलता है। यह मुलाकात उसके कारावास जीवन के प्रथम मास में स्वास्थ्य-गृह में भेजने के लिए होने वाले साप्ताहिक परीक्षण के समय होती है। प्रारम्भिक साक्षात्कारों के समय वह कड़वाहट और विरोध से भरा हो सकता है। यह विरोधी भावना प्रत्यक्षतः सामाजिक कार्यकर्ता के प्रति होती है किन्तु उससे यह सूचना मिलती है कि वह उन प्राधिकारों का सामना करने को तैयार नहीं है जिनके बन्धन में वह चारों ओर से घिरा हुआ है और जिनके साथ, स्वतन्त्र रहने पर, वह कभी भी समझौता नहीं कर सकता था। दूसरी स्थिति यह होती है कि दण्डित व्यक्ति एक दम भावना-शून्य हो जाता है, जेल के कर्मचारी वर्ग में से किसी का विश्वास नहीं करता और सामाजिक कार्यकर्ता से ऐसी कोई बात नहीं कहता जिससे उसके मर्म का उद्घाटन हो सकता है।

सुयोग्य वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्यकर्ता यह अनुभव करता है कि वह किसी भी बन्दी को इस बात के लिए विवश नहीं कर सकता कि वह अपने मन की भावनाएँ उसके सामने उद्घाटित करे। वह यह भी जानता है कि उस व्यक्ति को यह समझने में कुछ समय लगेगा कि सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ उसकी कठिनाइयों में सहायता करने के लिए रहता है। प्रथम साक्षात्कार में कार्यकर्ता को इस बात में कुछ सफलता मिल सकती है कि वह बन्दी के मुँह से उसकी कुछ ऐसी भावनाओं को उद्घाटित करा ले जो अब तक उसके मन में अवरुद्ध पड़ी थीं। मुलाकात के समय कार्यकर्ता इस बात का भी बुरा नहीं मानता कि बन्दी सभी प्रकार के प्राधिकारों के विरुद्ध भयंकर विष वमन करता है। जब बन्दी अपनी आरोपित भावनाओं के भ्रम को समझने लगता है तभी वह अपने आगामी जीवन के समय के सदुपयोग की दृष्टि से कुछ रचनात्मक कार्य प्रारम्भ करता है। उसे केवल मौखिक रूप से यह विश्वास दिलाने से नहीं काम चल सकता कि वैयक्तिक समाज-सेवा का उद्देश्य उसकी सहायता करना है, इसके लिए कुछ करके दिखाना आवश्यक है। जो व्यक्ति जेल तक पहुँच गया है वह ऐसे सभी व्यक्तियों के प्रति अविश्वास रखता है जो दूसरों की सहायता करना अपना उद्देश्य बताते हैं। वह प्राधिकार से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति को अविश्वास की दृष्टि से देखता है। किन्तु दूसरी ओर कुछ अपराधी ऐसे आते हैं जो अपनी निराशा से पूर्ण दुःख की स्थिति में जीवन में पहली बार यह अनुभव करते हैं कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है। कार्यकर्ता के कार्य का एक अंग इस बात का निश्चय करना है कि किसी विशेष बन्दी को किस प्रकार की आवश्यकता है, वह कितनी सहायता स्वीकार करने को तैयार है और कार्यकर्ता तथा संस्था में उसकी कितनी सहायता करने का सामर्थ्य है। प्रायः कार्यकर्ता इन तीनों बातों में से किसी न किसी एक या कुछ के सम्बन्ध में निर्णय करने में गलती कर बैठता है। और वह बन्दी की सहायता के लिए इतनी अधिक तत्परता दिखलाता है कि बेचारा बन्दी घबड़ा उठता है और उसके लिए कुछ भी सहायता स्वीकार करना असम्भव हो जाता है।

सामाजिक कार्यकर्ता के कामों के महत्त्व के सम्बन्ध में रिचार्ड फैरो ने जितनी स्पष्टता तथा आकर्षक ढंग से अपने विचार व्यक्त किये हैं उस रूप में अब तक और किसी ने नहीं किया है। उन्होंने लिखा है, "एक गैर सरकारी अभिकरण के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जेल में सहायता का कार्य करते हुए मैंने जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य की खोज की है वह यह है कि यदि मुझे बन्दियों की सहायता करनी है तो मुझे इस बात की ओर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिये कि बन्दी जल्दी से जल्दी जेल के बाहर जायँ बल्कि मेरा काम उनकी

इस प्रकार सहायता करना है कि वे जेल में रहना पसन्द करें[३]।" बन्दी को ऐसी सहायता की आवश्यकता होती है जिससे वह अपने जेल में होने के कठोर सत्य का तथा उसके कारणों का साहस के साथ सामना कर सके, उन्हें समझ सके और कारावास-जीवन में अपने समय और अनुभवों का रचनात्मक ढंग से उपयोग करने की ओर अग्रसर हो सके। सामाजिक कार्यकर्ता की वास्तविक उपयोगिता यहीं दिखाई पड़ती है।

कभी-कभी बन्दी को कुछ ठोस बातों में सहायता की आवश्यकता होती है जैसे कि उसे इस बात की चिन्ता होती है कि वह अपने घर को जिस दशा में छोड़ आया था उसका क्या होगा अथवा उसकी नौकरी या पेशे का क्या होगा ? कभी-कभी उसे संस्थागत जीवन से सम्बन्धित बातों में भी, जैसे—उसको सौंपा गया काम, निवास-स्थल अथवा सुविधाएँ देने के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध किये गये पक्षपात का सन्देह आदि—सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इन शिकायतों का आधार सही हो सकता है और उन्हीं को लेकर कार्यकर्ता और बन्दी मिलकर काम करना और विचार-विमर्श करना शुरू कर सकते हैं। इन शिकायतों के दूर हो जाने पर भी बन्दी की कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकताएँ रह जाती है जिनके सम्बन्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए वह कार्यकर्ता के पास जाता है। वह मूलभूत आवश्यकता यह हो सकती है कि बन्दी अपने भीतर ही कुछ द्वन्द्वमूलक कठिनाइयों का अनुभव करता है जो इस बात से स्पष्ट हो जाती हैं कि वह अपने अन्य सहवासियों के साथ मिलकर नहीं रह सकता अथवा रक्षकों से उसकी नही पटती है या संस्था के प्राधिकारों को स्वीकार करने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। यह भी हो सकता है कि उसकी आवश्यकता उसकी घरेलू कठिनाइयों से सम्बन्धित हो अथवा स्वतन्त्र होने के लिए उसके द्वारा किये जाने वाले उन संघर्षो से सम्बन्धित हो जिनकी वह बातचीत के सिलसिले में चर्चा करता है और बताता है कि उसकी परेशानियों का कारण वह द्वन्द्व था जो उसके घर में उसके और उसके माँ-बाप के बीच में हुआ करता था। अतः किसी सुधारालय या जेल में काम करने वाले कार्यकर्ता को इस बात का अनुभव होना चाहिये कि वह बन्दी को यह अच्छी तरह समझा सके कि उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है।

बाहरी अभिकरणों के कार्यकर्ता को जिस उत्साह से अपना कौशल दिखाने का अवसर मिलता है, इन संस्थाओं में काम करने वाले कार्यकर्ता को वैसा करने का कम अवसर रहता है। गोर्डन हैमिल्टन ने ठीक ही लिखा है कि अन्य अभिकरणों के कार्यकर्ता प्रयत्न

(३) रिचार्ड जी० फैरो,—"दि बेसिक प्रॉब्लम आफ पेनल ऐडमिनिस्ट्रेशन" —प्रिजन जर्नल, जिल्द २२, अप्रैल १९४२, पृष्ठ २०२।

और प्रभावात्मकता को एक ही वस्तु समझने लगते हैं। इसके विपरीत इन संस्थाओं के कार्यकर्ता को सूक्ष्म भावनाओं के क्षेत्र में काम करना पड़ता है; वह यह देखता है कि बन्दी का अपने अपराध, अपनी सजा और जेल में अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है और उनके कारण उसके मन में किस प्रकार की भावनाएँ उत्पन्न हुई हैं। कार्यकर्ता बन्दी के सामने उसकी समस्याओं का इस तरह विश्लेषण और स्पष्टीकरण करता है कि बन्दी स्वयं अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ करने को उद्यत हो जाता है और उनके लिए दूसरों को दोषी सिद्ध करने का प्रयत्न छोड़ देता है। वह अपने सिद्धान्तों पर इस विश्वास के आधार पर अडिग बना रहता है कि कार्यकर्ता को कार्यार्थी की समस्याओं को सुलझाने में उसकी सहायता करनी चाहिये, न कि उसकी समस्याओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ लेनी चाहिये।

जिन संस्थाओं में वर्गीकरण-स्वास्थ्य-गृह है, उनमें कार्यकर्ता ऐसे स्वास्थ्य-गृहों मे जाकर बन्दियों की सहायता करते है। बन्दी की गिरफ्तारी से लेकर, उसे हवालात और जेल मे भेजे जाने के समय तक उसको कोई ऐसा व्यक्ति नही मिलता जो उसे व्यक्ति के रूप में देखे और उसी रूप में उसकी समस्याओं पर विचार करे। प्रारम्भ से वह अपराधियों की भीड़ का एक अंग बना रहता है। पर संस्था में आने के बाद पहली बार उसे यह मालूम होता है कि वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो उसकी कठिनाइयों में सहायता कर सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक नये आये कैदी से साक्षात्कार करके यह पता लगाता है कि उसके लिए आगे का क्या कार्यक्रम निश्चित किया जा सकता है और इसी प्रसंग मे बाद में और मुलाकातों के लिए रास्ता खुल जाता है। इस तरह पहली मुलाक़ात से कैदी को कम से कम इतना विश्वास हो जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर वह उस कार्यकर्ता के पास जाकर सहायता माँग सकता है। नये आये कैदी के, संस्था के वातावरण में, अपने को व्यवस्थित करने की समस्या की दृष्टि से यह बात विशेष महत्त्वपूर्ण है। वर्गीकरण की पद्धति का उद्देश्य यह है कि कैदी को संस्था में चलने वाली विभिन्न योजनाओं में से उसके लिए उपयुक्त किसी एक योजना में लगाया जा सके और जहाँ तक व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव हो, संस्था कैदी को उसके अनुकूल प्रतीत हो सके। इस तरह जहाँ अपराधियों की भीड़ जमा है उस वातावरण में वैयक्तिक सेवा-कार्य का उद्देश्य कैदी को एक व्यक्ति समझ कर उसके रोजी सम्बन्धी व्यवस्थापन, शैक्षणिक प्रशिक्षण, आवास, और मनोरंजन आदि से सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा उसके घर से उसका सम्पर्क स्थापित कराना है। इस दृष्टि से सामाजिक कार्यकर्ता कैदी की तैयारी और उसके व्यक्तित्व सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य आरम्भ करता है। इस तरह उसका

कार्य मुख्यतः कैदी की इस तरह सहायता करना है जिससे वह संस्था के वातावरण के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करके अपने को व्यवस्थित कर सके[४]।

रिहाई के लिए तैयारी——सुधारात्मक-दण्डात्मक संस्थाओं में की जाने वाली सेवा का एक अंग, जो कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, अपनी रिहाई के लिए तैयारी करने में कैदियों की सहायता करना है। चूंकि अपराधियों को जेल में भेजने और रिहा करने की पद्धतियाँ भिन्न-भिन्न स्थान में अलग-अलग हैं, अतः अनिश्चित सजा वाले अपराधियों की सहायता के तरीके भी विभिन्न संस्थाओं में अलग-अलग हैं। सम्भव है, किसी संस्था में उनको धमकी देकर संस्था के नियमों का पालन करने के लिए विवश किया जाता हो जिसका कैदियों के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो; पर कुछ संस्थाओं में उनके साथ किया जाने वाला व्यवहार रचनात्मक होता है जिसके प्रभाव से कैदी अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजता तथा अपनी रिहाई की स्थिति के लिए अपने को तैयार करने का प्रयत्न करता है। जिस संस्था में अपराधियों के साथ कठोरता का व्यवहार किया जाता है, वहाँ निश्चय ही ऊपरी शान्ति दिखाई पड़ सकती है अर्थात् वहाँ पहले कैदी नियमों के बन्धनों के विरुद्ध विद्रोह करता है जो शीघ्र ही दबा दिया जाता है और उसके बाद कैदी किसी प्रकार उस दिन की प्रतीक्षा करने लगता है जब कि वह फिर विद्रोह करेगा। इस तरह की संस्थाओं में कैदी अत्यन्त नियम-परायण हो सकता है अथवा संस्था से लाभ उठाने के लिए अपनी ओर से कुछ भी करना अस्वीकार कर सकता है, अपने भीतर कोई भी परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी स्वयं न लेकर दूसरों पर डाल सकता है, निष्कर्ष यह कि वह किसी भी बात को अपने भीतर तक नही पहुँचने देता, हर वस्तु को अपने से अलग ही रखता है, यहाँ तक कि वह अनुभव से भी कुछ सीखना स्वीकार नहीं करता। सुधारालय और जेल के कठोर शासन को देखते हुए कैदियों की यह प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक नही प्रतीत होती, क्योंकि इन संस्थाओं के लिए यह सामान्य बात है कि वहाँ से कैदी अच्छे कैदी बन कर तो निकलते है पर पूर्ण समन्वित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन कर नहीं निकलते। इसका कारण यह है कि वर्गीकरण और पुनर्वर्गीकरण के कार्यक्रम के अंग के रूप में कैदी के लिए जो योजना निर्धारित की जाती है उसे वे घबराहट में बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेते हैं। पेरोल की भूमिका के रूप में भी इसी तरह योजना निर्धारित की जाती है। पर इन पद्धतियों द्वारा

(४) केनेथ एल० एम० प्रे——"पेरोल इन रिलेशन टु क्लासिफिकेशन ऐण्ड केसवर्क इन प्रिजन"——इयर बुक आफ द नैशनल प्रोबेशन एसोसियेशन——सन् १९४४, पृ० १८२ – १९५।

अवकाश-मुक्ति (पेरोल)

प्रायः ऐसा कहा जाता है कि कैदी की अवकाश-मुक्ति की तैयारी उसी समय से शुरू हो जाती है जब कि अभी वह सुधार-संस्था में आया भी नहीं रहता है। यहाँ आने के पूर्व उसके साथ पुलिस, जेलर, अभियोजक-अटार्नी और न्यायाधीश का जो बर्ताव होता है, उसका उसके ऊपर स्थायी प्रभाव पड़ जाता है और जब वह जेल छोड़कर बाहर जाता है तो उन अधिकारियों के प्रति उसका दृष्टिकोण उसी प्रभाव के अनुरूप होता है। अवकाश-मुक्ति के लिए उसकी निश्चित रूप से तैयारी सुधार-संस्था में प्रवेश करने के बाद से प्रारम्भ होती है। सुधारालयों और जेलों की हम चाहे कितनी भी कड़ी आलोचना क्यों न करें, पर वस्तुतः उनका उद्देश्य, आदर्श रूप में ही सही, बन्दियों को सुधार कर रिहा करना है। सुधारालय में उनकी अवकाश-मुक्ति की तैयारी उसके संग-रोध (मिलने-जुलने पर प्रतिबन्ध) से प्रारम्भ होती है और फिर वर्गीकरण, पुनर्वर्गीकरण तथा उसके लिए कार्यक्रम-निर्धारण की प्रक्रियाओं के रूप में आगे बढ़ती है।

कोई व्यक्ति अवकाश-मुक्ति के लिए किस सीमा तक तैयार हो चुका है, इसका पता इस बात से लग सकता है कि उसने उपयुक्त कार्यों में कितनी सावधानी के साथ और कितना सहयोग किया है। साथ ही उसके लिए यह भी देखना होगा कि अवकाश-मुक्ति कौन चाहता है और उसकी माँग किसकी ओर से हुई है, कैदी की ओर से या उसके सम्बन्धियों—पत्नी, माता आदि—की ओर से? इसके लिए प्रार्थना-पत्र का प्रायोजक कौन है? नौकरी खोजने के कार्य में वह कितना भाग लेता है? यदि कोई और व्यक्ति उसकी नौकरी ठीक कर देता है तो क्या कैदी उसे पसन्द करता है या नापसन्द? इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि ये सभी प्रश्न निरर्थक हैं क्योंकि कैदी तो रिहाई के लिए तैयार होकर एक प्रकार से संस्था की चौखट पर बाहर जाने के लिए पाँव रखे खड़ा है। किन्तु ये प्रश्न वस्तुतः निरर्थक नहीं हैं क्योंकि बाद में वह अपनी जो व्यवस्था करने वाला है, उससे इन बातों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी कैदी की जेल से रिहाई के बारे में दूसरे व्यक्ति बहुत उत्सुक रहा करते हैं; किन्तु यह नहीं सोचते कि इससे अपराधी अपने उन निर्णयों और उत्तरदायित्व से वंचित कर दिया जाता है, जब कैदी जेल से वस्तुतः रिहा होकर स्वतन्त्र ढंग से जीवन व्यतीत करने चलता है तो उसे पता लगता है कि उसकी उत्तर-दायित्व-भावना कुचली जाकर कितनी पंगु बन गयी है।

जिस व्यक्ति का मामला परिवीक्षा के अन्तर्गत भेजने के सम्बन्ध में विचाराधीन होता है वह वस्तुतः अवकाश-मुक्ति वाले व्यक्ति के समान वर्षों से निर्णय करने की सुविधाओं से वंचित नहीं होता और न उसके जीवन में उतनी बाधाएँ ही आती हैं। किन्तु दण्डित

होने वाले प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यवस्था करने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। न्यायालय ऐसे व्यक्ति को परिवीक्षा के अन्तर्गत भेजना उचित नहीं समझता जिसका अपराध बहुत गम्भीर होता है अथवा जिसकी कठिनाइयों की जड़ें बहुत गहराई तक गयी होती हैं। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति एक अस्वाभाविक पर्यावरण के भीतर रह चुका होता है जिससे वह अनेक ऐसे स्वाभाविक मानव-सम्बन्धों को भूल गया रहता है जो अधिकांश लोगों को आवश्यक प्रतीत होते हैं। अन्त में ऐसा व्यक्ति जब जेल के, चाहे वह सर्वोत्तम जेल ही क्यों न हो, बाहर आता है तो वह अपनी सभी भावना और दृष्टिकोण—जैसे कटुता, घृणा, विरोध, आदि—अपने साथ लिये आता है जो रिहा होने पर उसके सामाजिक जीवन में अभिव्यक्त होते हैं। रिहाई के बाद उसके मन में इस प्रकार की भावनाएँ भी उत्पन्न होती हैं कि उसे नौकरी नही मिलेगी, सर्वत्र असफलता प्राप्त होगी और उसे दुत्कार दिया जायेगा अथवा फिर उस पर मुकदमा चलाया जायेगा। इस कारण वह अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने लगता है और यद्यपि वह परनिर्भरता की आवश्यकता का अनुभव करता है फिर भी सहायता की आवश्यकता का तथा दी जाने वाली सहायता का घोर विरोध करता है। अवकाश-मुक्ति-अधिकारी को ऐसे ही व्यक्तियों का मामला देखना पड़ता है, भले ही उन व्यक्तियों के जेल-जीवन का इतिहास कितना भी अच्छा क्यों न रहा हो।

अवकाश-मुक्ति-अधिकारी का काम परिवीक्षा-अधिकारी के काम से अधिक भिन्न नही होता। उन दोनों में अन्तर इतना ही है कि अवकाश-मुक्ति-अधिकारी का काम अपेक्षाकृत अधिक कठिन है। आदर्श रूप में यह मानना चाहिये कि जेल में या उसके पहले कैदी के सुधार का जो कार्य प्रारम्भ हुआ था अवकाश-मुक्ति का कार्य उसी का अगला कदम है। इस दृष्टि से अवकाश-मुक्ति-अधिकारी में जो अधिकार सन्निहित है वह अवकाश-मुक्त व्यक्ति के साथ उस अधिकारी के सम्बन्धों में अभिव्यक्त होता है। यद्यपि अपराधी स्वेच्छा से अवकाश-मुक्ति की सुविधा नही प्राप्त करता, और अवकाश-मुक्ति-अधिकारी इस स्थिति को अच्छी तरह जानता है, फिर भी उक्त अधिकारी उसकी सहायता सम्बन्धी सेवा करने को तैयार रहता है चाहे वह अवकाश-मुक्त व्यक्ति उस सहायता को स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। इस अध्याय के पूर्ववर्ती भाग में परिवीक्षाकालीन वैयक्तिक सेवा-कार्य के सम्बन्ध में जो बातें लिखी गयीं है उनमें से अधिकांश अवकाश-मुक्ति-काल के कार्यो पर भी लागू होती हैं। अवकाश-मुक्त व्यक्ति, अवकाश-मुक्ति-अधिकारी द्वारा दी गयी सहायता का उपयोग अपनी क्षमता के अनुसार करता है अथवा नहीं करता है। किन्तु इससे उक्त अधिकारी द्वारा किये जाने वाले वैयक्तिक-सेवा-कार्य के गुणात्मक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कार्यकर्ता को यह जानने की आवश्यकता होती है कि कार्यार्थी

अपने व्यवहारों में किस बात की अभिव्यक्ति करता है और किस प्रकार की सहायता चाहता है तथा उस सहायता का वह कितना उपयोग कर सकता है। इसी जानकारी के आधार पर वह कार्यार्थी के सहायता-कार्य में प्रवृत्त होता है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्यकर्ता में इतनी योग्यता है या नहीं कि वह यह निश्चय कर सके कि कार्यार्थी किस सीमा तक अपने उत्तरदायित्व का वहन कर सकता है।

परिवीक्षा-कार्य और अवकाश-मुक्ति-कार्य में इस अर्थ में आद्यन्त समानता दिखाई पड़ती है कि दोनों में अनिवार्यतः वैयक्तिक सेवा-कार्य की पद्धति अपनायी जाती है। सहायता की आवश्यकता बाह्य और पर्यावरण सम्बन्धी मामलों में भी होती है तथा आन्तरिक एवं व्यक्तित्व सम्बन्धी मामलों में भी। अवकाश-मुक्त-व्यक्ति की सहायता या तो अवकाश-मुक्ति-अधिकारी स्वयं करता है अथवा वह उसे सहायतार्थ किसी अन्य सरकारी अथवा गैर-सरकारी उपयुक्त सामाजिक अभिकरण के पास भेज देता है। अवकाश-मुक्त व्यक्ति एवं परिवीक्षाधीन व्यक्ति, दोनों के मामलों में सामुदायिक साधनों का उपयोग भी उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है। अवकाश-मुक्ति-कार्य में अवकाश-मुक्ति के नियमों का उल्लंघन तथा अवकाश-मुक्ति की सुविधा के उपसंहरण से सम्बन्धित प्रश्नों की ओर भी ध्यान देना पड़ता है। परिवीक्षा-अधिकारी के समान अवकाश-मुक्ति-अधिकारी को भी इस बात का निश्चय करना पड़ता है कि अवकाश-मुक्त व्यक्ति का व्यतिक्रमण सम्बन्धी कोई कार्य कितना गम्भीर है, उसका चरित्र कैसा है, अवकाश-मुक्ति सम्बन्धी सेवाओं का उपयोग करने की उसने कितनी उत्सुकता दिखाई है और अवकाश-मुक्ति-काल में अथवा जेल में उसकी क्षमताओं का स्वरूप क्या होगा ? यदि ये प्रश्न परिवीक्षाधीन-व्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण हैं तो अवकाश-मुक्त व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने की दृष्टि से इन प्रश्नों का और भी महत्त्व है। बहुत से कार्यकर्ता यह सोचते हैं कि अवकाश-मुक्त व्यक्ति को परिवीक्षाधीन-व्यक्ति से अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। निश्चय ही इस विश्वास के समर्थन में बहुत कुछ कहा जा सकता है जब अवकाश-मुक्ति व्यक्ति की रिहाई का समय आता है तो उस समय कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसे इस बात का विश्वास हो जाय कि वह व्यक्ति अब दूसरों की सहायता के बिना भी अपने उत्तरदायित्व का वहन करने के योग्य हो गया है। यदि उस व्यक्ति का संस्थागत जीवनानुभव रचनात्मक रहा है और यदि अवकाश-मुक्ति-काल में अधीक्षक ने उसकी ऐसी सहायता की है कि वह अपनी भावनाओं और व्यवहार के लिए अब अपने को भी उत्तरदायी समझता है, तो उस हालत में अवकाश-मुक्ति-अधिकारी उस व्यक्ति को आसानी से रिहाई और अपने ढंग से काम करने की अनुमति दे देता है। परिवीक्षा और अवकाश-मुक्ति दोनों से सम्बन्धित

कार्यों में व्यक्ति में अन्तर्निहित उस क्षमता को महत्त्व दिया जाता है जिसके कारण वह जीवन की वास्तविकता का सामना कर सकता है ।

सैनिक वातावरण में इन पद्धतियों का प्रयोग

अनेक ज्ञातव्य बातें जिनकी ओर लोगों का ध्यान शान्ति-काल में कम गया था, युद्ध के प्रभाव से बड़ी तेजी से प्रचारित हो गयीं । इसका एक कारण यह भी था कि युद्ध-काल में मानव-शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता का अनुभव विशेष रूप से किया जाने लगा । द्वितीय महायुद्ध में स्थल-सेना-विभाग और नौ-सेना-विभाग में सुधारात्मक कार्यों के क्षेत्र में काम करने वाले विशिष्ट विद्वानों और नेताओं के सहयोग से अपराधी सैनिकों की ठोस सहायता के कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये । किसी को यह तनिक भी सन्देह नहीं हुआ कि स्थल-सेना और नौ-सेना-विभाग भी सामाजिक कार्य के चक्कर में पड़ गये हैं । फिर भी इन विभागों के अन्तर्गत हजारों अपराधियों की सन्तोषजनक सेवा की गयी । उनके लिए पुनर्वास सम्बन्धी ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण और विकास किया गया जो विभिन्न प्रकार के अपराधियों से सम्बन्धित कार्यों के आधार-भूत सिद्धान्तों के अनुसार संचालित होते थे । नौ-सैनिक सुधारात्मक-सेवा-विभाग के अधिकारी रिचार्ड चैपेल और स्थल-सैनिक-सुधारात्मक-सेवा-विभाग के कर्मचारी आस्टिन मैककार्मिक, दोनों ने ही लिखा है कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अपराधियों के साथ ऐसा व्यवहार करना है कि कारावास-काल में उनकी क्षति न हो बल्कि वे इतने लाभान्वित हों कि दुबारा काम पर जाने के योग्य हो जायें[६] ।

(६) **सेना-विभाग के अपराधियों की सेवाओं के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए देखिए—इर्विंग ब्राड्स्की लिखित निबन्ध "डिसिप्लिनरी बैरक्स" जो हेनरी एस० मास की इस पुस्तक में छपा है–"ऐडवेंचर इन मेण्टल हेल्थ"–न्यूयार्क, कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस, १९५१, पृ० ९९ – ११७ । रिचर्ड ए० चैपेल—नेवल आफेण्डर्स ऐण्ड देयर ट्रीटमेण्ट"—फ़ेडरल प्रोबेशन–जिल्द ९, अप्रैल-जून १९४५, पृ० ३ – ७ । रिचर्ड ए० चैपेल—"ह्वाट डिड द वार सर्विसेज़ डेवलप इन करेक्शन टेक्नीक ?"—प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल कान्फरेन्स आफ सोशल वर्क—१९४७, पृ० ३६१ - ३६८ । रिचर्ड ए० चैपेल और एफ० इमर्सन लोगी—"ट्रेनिंग बेवर्ड सेलर मेन फार रिटर्न टु डघूटी" इयरबुक आफ नेशनल प्रोबेशन एसोसियेशन, १९४५, पृ० २० – २९ । एलबर्ट जी० फ्रेजर—"आउट आफ द ट्रैवैल आफ वार" —प्रिजन जर्नल–जिल्द २६, जनवरी १९४६, पृ० १४९–१५६ । आस्टिन एच०**

उपसंहार

प्राय: यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आधुनिक वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य के सिद्धान्तों को परिवीक्षा, जेल और अवकाश-मुक्ति से सम्बन्धित कार्यों पर भी लागू किया जा सकता है ? इस प्रश्न के पक्ष और विपक्ष की विवरणात्मक व्याख्या में न जाकर यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यदि वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य के वास्तविक स्वरूप और परिवीक्षा, जेल और अवकाश-मुक्ति के उद्देश्यों को एक साथ रखकर उन्हें समझने का प्रयत्न किया जाय तो उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक मिलेगा। इस सम्बन्ध में केनेथ प्रे ने सम्भवत: इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया है वैसा किसी ने नहीं। उनके विश्लेषण के अनुसार यद्यपि सुधारात्मक कार्यों में निहित प्राधिकार और वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य में निहित स्वेच्छा-सेवा-भाव, इन दोनों के बीच जो विरोध दिखलाई पड़ता है वह केवल बाह्य और प्रतीयमान है। क्या परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जेल में रहने वाले बन्दी अथवा अवकाश-मुक्त व्यक्ति के सामने इस सम्बन्ध में चुनाव करने की स्वतन्त्रता रहती है कि वह कार्यकर्ता की सेवाओं और कौशलों का उपयोग करना स्वीकार करे या न करे ? इसका उत्तर है "हाँ।" पर यह 'हाँ' कुछ शर्तों के साथ है क्योंकि उस चुनाव का सम्बन्ध उन तथ्यों से है जिनके कारण उस व्यक्ति को परिवीक्षा, कारावास-दण्ड या अवकाश-मुक्ति की स्थिति का सामना करना पड़ा है। परिवीक्षा, जेल और कारावास-मुक्ति के नियमों की वास्तविक और कानूनी सीमा के भीतर ही अपराधी (कार्यार्थी) को कार्यकर्ता की सहायता स्वीकार या अस्वीकार करने की स्वतन्त्रता होती है। पर यह स्वतन्त्रता अन्य सेवार्थियों की स्वतन्त्रता से भिन्न नहीं होती। यदि कार्यार्थी कार्यकर्ता की कौशलपूर्ण सहायता का उपयोग नहीं करता या नहीं कर सकता तो अन्य कार्यार्थियों के समान ही इसका उत्तरदायित्व उसी पर होगा और उसका फल भी उसी को भुगतना होगा।

मैककार्मिक—"सम बेसिक कन्सिडरेशन्स इन द ट्रीटमेण्ट आफ मिलिट्री प्रिज़नर्स"—फेडरल प्रोबेशन—जिल्द ९, जनवरी-मार्च, १९४५, पृ० ७–११। आस्टिन एच० मैककार्मिक और विक्टर एच० इवजेन—"द आर्मी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फार मिलिट्री प्रिज़नर्स"—इयरबुक आफ द नेशनल प्रोबेशन एसोसियेशन, १९४५, पृ० १–१९। विलियम सी० मेनिंगर—"साइकियाट्री ऐण्ड द मिलिट्री आफेण्डर"—फेडरल प्रोबेशन—जिल्द ९, अप्रैल-जून १९४५, पृ० ८–१२। पेरी वी० वाग्ले—"द आर्मी रिहैबिलिटेट्स मिलिट्री आफेण्डर्स"—फेडरल प्रोबेशन—जिल्द ८, जनवरी-मार्च १९४४, पृ० १४–१९।

क्या उन बन्धनों के कारण परिवीक्षा, कारावास और अवकाश-मुक्ति की अवधि में की जाने वाली सहायता के प्रति अपराधियों के मन में विद्रोही भावनाएँ उठती हैं ? इसका उत्तर है, "नहीं" । वैयक्तिक सेवा-कार्य का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बन्धन और सीमाएँ न हों । उन सभी स्थितियों की अपनी-अपनी सीमाएँ होती हैं जिनमें परिवार-गत वैयक्तिक सेवा-कार्य, बाल-व्यवस्थापन-कार्य, चिकित्सकीय वैयक्तिक सेवा-कार्य आदि किये जाते हैं । अन्तर केवल उन बन्धनों के स्वरूप का होता है । सुधार-संस्थाओं में किये जाने वाले वैयक्तिक सेवा-कार्यों के विषय में भी यही बात सत्य है । यद्यपि यह सच है कि परिवीक्षा, जेल और कारावास-मुक्ति के बन्धनों के बारे में हमारी जानकारी अधिक होती है, पर हम यह भी अनुभव करते हैं कि उन बन्धनों की कितनी अधिक आवश्यकता है । केनेथ प्रे ने उन बन्धनों के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाये हैं और स्वयं उनका उत्तर देते हुए लिखा है, "व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर इस प्रकार के नियन्त्रणों की न केवल गुंजाइश है बल्कि उनकी अनिवार्य और विधेयात्मक आवश्यकता भी है । उन बन्धनों के ढाँचे के भीतर ही व्यक्ति की वास्तविक स्वतन्त्रता की उपलब्धि हो सकती है और उसका सही अर्थ में विकास और परिवर्तन सम्भव हो सकता है[७] ।"

क्या अपराधी को वस्तुतः उन नियंत्रणों की आवश्यकता होती है जो न्यायालय या जेल के प्राधिकारियों द्वारा उस पर लगाये जाते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर निश्चयात्मक रूप में बिना किसी हिचकिचाहट के दिया जा सकता है । उसी निबन्ध में, जिसका अंश ऊपर उद्धृत किया गया है, केनेथ प्रे ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है । उन्होंने प्राधिकार और अपराधी के सम्बन्ध पर विचार करते हुए लिखा है[८]—

"अपराधियों के सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से सही है कि उनका सामाजिक पुन-र्व्यवस्थापन-कार्य उस प्राधिकार की स्वीकृति और समर्थन पर आधारित होना चाहिए जो सामाजिक जीवन के मूल में अनिवार्यतः और न्याय रूप में निहित होता है । अपराधी ने पहले एक बार उस प्राधिकार को अस्वीकृत किया या उसका व्यतिक्रमण किया है । अतः उसे दुख भोगते हुए नये सिरे से सीखना होगा कि स्वयं उसकी आन्तरिक समताओं के समान उस प्राधिकार के अनुशासन-नियम अनुल्लंघनीय हैं और उसे जीवन का वास्तविक सुख-सन्तोष उस अनुशासन के भीतर रहने से ही मिल सकता है ।"

(७) केनेथ एल० एम० प्रे—"द प्रिन्सिपिल्स आफ सोशल केसवर्क एज एप्लाइड टु प्रोबेशन ऐण्ड पेरोल"—फेडरल प्रोबेशन—जिल्द ९, अप्रैल-जून १९४५, पृ० १६ ।

(८) वही—पृ० १७ ।

श्री अलबर्ट फ्रेजर और श्री केनेथ प्रे, दोनों ने जेल के भीतर किये जाने वाले वैयक्तिक सेवा-कार्य के लिए समान सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। जेलों में अपराधियों पर नियन्त्रण लगाये जाते हैं, इस बात की सच्चाई को कोई अस्वीकार नहीं करता। फिर भी यदि जेलों के अनुभव से लाभ उठाना है और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवाओं का समुचित उपयोग करना है तो उन नियंत्रणों को अच्छी तरह समझना और उनके औचित्य पर खुल कर विचार करना चाहिए। अपराधी को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि वह जेल में है और उसे न चाहते हुए भी उसकी वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। और इस तरह वहाँ की परिस्थितियों के बीच अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। यद्यपि यह कथन विरोधाभासपूर्ण प्रतीत होता है, फिर भी सत्य है कि वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता सहायता-सम्बन्धी अपने कौशल का प्रयोग करके कैदियों को 'जेल में रोक रखने' का प्रयत्न करता है (यह फैरो की शब्दावली है), उसकी सहायता से कैदी इस प्रश्न का साहस के साथ सामना करता है कि आखिर वह यहाँ क्यों लाया गया है, और इसी प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में वह अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। फ्रेज़र ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है,—"उसे (कैदी को) यह समझ लेने की आवश्यकता है कि जब तक वह अपनी सजा को एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं करता और अपने शरीर के साथ अपने सम्पूर्ण 'अस्तित्व' को जेल की सीमा में नहीं खींच लाता तब तक वह जेल से रिहा होकर जाने की तैयारी नहीं शुरू कर सकता है[९]।"

इन सिद्धान्तों का आधार सहायता-प्रक्रिया की गत्यात्मकता है। परिवीक्षा, कारावास और कारावकाश-मुक्ति के क्षेत्र में इन सिद्धान्तों के उचित उपयोग से अत्यधिक लाभ होने की आशा है।

सहायक ग्रन्थ-सूची

पुस्तकें और पुस्तिकाएँ—

मेल्बोर्न एस० एप्लिगेट—"हेल्पिंग ब्यायज इन ट्रबुल"—न्यूयार्क, असोशिएशन प्रेस, १९५०।

(९) अलबर्ट जी० फ्रेजर—"द फंक्शन एण्ड प्रोग्राम आफ ए प्रिजनर्स एड सोसायटी"—फेडरल प्रोबेशन—जिल्द ८, जुलाई,-सितम्बर, १९४४, पृ० २६।

सेन्फोर्ड वेट्स—"प्रिजन्स एण्ड बियाण्ड"—न्यूयार्क, द मैकमिलन कम्पनी, १९३६ ।

क्रास्वेल बोवेन—"दे वेन्ट रान्ग"—न्यूयार्क, मैक ग्रा हिल बुक कम्पनी, १९५४ ।

वाल्टर ब्राम्बर्ग—"क्राइम एण्ड द माइण्ड"—फिलेडेलिफया, जे० वी० लिपिनकाट कम्पनी, १९४८ ।

फ्रैन्क जे० कोहेन—"चिल्ड्रेन इन ट्रबुल"—न्यूयार्क,डब्लू० डब्लू० नार्टन एण्ड कम्पनी, १९५१ ।

ईयूजेनी डेविडोफ और इलिनर एस० नोयेटेल—"ए चाइल्ड गाइडेन्स अप्रोच टु जुवेनाइल डेलिन्क्वेन्सी"—न्यूयार्क, चाइल्ड केयर पब्लिकेशन्स, १९५१ ।

डेविड ड्रेस्लर—"प्रोबेशन एण्ड पेरोल"—न्यूयार्क, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, १९५१ ।

के० आर० इआस्लर—"सर्चलाइट्स आन डेलिन्क्वेन्सी"—न्यूयार्क, इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटीज प्रेस, १९४९ ।

जॉन आर० इलिस्टन—"प्रोक्टिंग आवर चिल्ड्रेन फ्राम क्रिमिनल केयरर्स"—न्यूयार्क, प्रेन्टिस-हाल, अपूर्ण, १९४८ ।

केट फायडलैण्डर—"द साइको-एनलिटिकल अप्रोच टु जुवेनाइल डेलिन्क्वेन्सी"—न्यूयार्क, इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटीज प्रेस, १९४७ ।

सेल्डन ग्ल्यूक और इलिनर—"डेलिन्क्वेण्टस इन द मेकिंग; पाथ्स टु प्रिवेन्सन"—न्यूयार्क, हार्पर एण्ड ब्रादर्स, १९५२ ।

—"अनरैवेलिग जुवेनाइल डेलिन्क्वेन्सी"—न्यूयार्क, कामनवेल्थ फण्ड, १९५० ।

हैरियट एल गोल्डवर्ग—"चाइल्ड आफेन्डर्स;—ए स्टडी इन डायग्नोसिस एण्ड ट्रीटमेण्ट"—न्यूयार्क, ग्रूनी एण्ड स्ट्रेटन, १९४८ ।

अल्फ्रेड जे० कान—"ए कोर्ट फार चिल्ड्रेन; ए स्टडी आफ द न्यूयार्क सिटी चिल्ड्रेन्स कोर्ट"—न्यूयार्क, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, १९५३ ।

पाल डब्लू० केवी—"प्रिजन, प्रोबेशन, आर पेरोल"—मिनियापोलिस यूनिवर्सिटी आफ मिनिसोटा प्रेस, १९५४ ।

माउड एमेरिल—"प्राब्लेम्स आफ चाइल्ड डेलिन्क्वेन्सी"—बोस्टन, हाफ्टन मिफ्लिन कम्पनी, १९४७ ।

हैरिस बी पेक और वर्जिनिया बेलस्मिथ—"ट्रीटमेण्ट आफ द डेलिन्क्वेण्ट एडोलेसेण्ट"—न्यूयार्क, फेमिली सर्विस असोशियेशन आफ अमेरिका, १९५४ ।

इडविन पावर्स और हेलेन विटमेर—"ऐन इक्सपेरिमेण्ट इन द प्रिवेन्शन आफ

डेलिन्क्वेन्सी; द कैम्ब्रिज-सामरविले यूथ स्टडी"—न्यूयार्क, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, १९५१।

रोसा वेसेल (सम्पादन)—"ए केसवर्क अप्रोच टु सेक्स डेलिन्क्वेण्ट्स"—फिलाडेल्फिया, पेन्सिलवानिया स्कूल आफ सोशल वर्क, १९४७।

महत्त्वपूर्ण लेख

सी० विल्सन एण्डर्सन—"सोशल केसवर्क इन द जुवेनाइल कोर्ट"—प्रिजन जर्नल, जिल्द ३०, जुलाई १९५०, पृ० ४६ – ५३।

रिचार्ड जी० फैरो—"द बेसिक प्राब्लम आफ पेनल ऐडमिनिस्ट्रेशन"—प्रिजन जर्नल, जिल्द २२, अप्रैल १९४२, पृ० २०२ – २०९।

—"प्रिजन एण्ड द मैन"—प्रिजन जर्नल, जिल्द २२, जुलाई १९४२, पृ० २१८ – २२१; पुनः प्रकाशित प्रिजन जर्नल, जिल्द २८, अक्टूबर १९४८, पृ० ४५० – ४५३।

—"ह्वाट द पेरोल आफिसर हैज ए राइट टु इक्सपेक्ट फ्राम दि इन्स्टीच्यूशन"—फेडरल प्रोवेशन, जिल्द १२, सितम्बर १९४८, पृ० ३० – ३५।

आर्थर ई० फिन्क—"पेरोल सुपरविजन, ए केश एनलिसिस"—फेडरल प्रोबेशन, जिल्द १५, सितम्बर १९५१, पृ० ३९ – ४५।

विलियम जी० नागेल—"सम न्यू एरियाज फार केसवर्क ऐक्टिविटी इन ए करेक्शनल इन्स्टीच्यूशन फार यंग मेन"—जर्नल आफ सोशल वर्क प्रेस, जिन्द ४, मई १९५३, पृ० २९ – ४५।

केनेथ एल० एम० प्रे—"केसवर्क पेब्स दि वे इन प्रिपरेशन फार फ्रीडम"—प्रिजन जर्नल, जिल्द २६, अप्रैल १९४६, पृ० १६६ – १७१।

—"पेरोल इन रिलेशन टु क्लैसिफिकेशन एण्ड केसवर्क इन प्रिजन"—इयरबुक आफ द नेशनल प्रोबेशन एसोशियेशन, १९४४, पृ० १८२ – १९५।

—"द प्लेस आफ सोशल केसवर्क इन द ट्रीममेण्ट आफ डेलीन्क्वेन्सी"—द सोशल सर्विस रिव्यू, जिल्द १९, जून १९४५, पृ० २३५ – २४४।

—"द प्रिस्पिुल्स आफ सोशल केसवर्क एज अप्लाइड टु प्रोबेशन एण्ड पेरोल"—फेडरल प्रोबेशन, जिल्द ९, अप्रैल, –जून १९४५, पृ० १४ – १८।

हरमैन रिकेलमैन—"केसवर्क इन प्रिजन्स"—जेविस सोशल सर्विस क्वाटर्ली, जिल्द २३, दिसम्बर १९४६, पृ० १४९ – १५६।

इलियट स्टुड्ट,—"ऐन आउटलाइन फार स्टडी आफ सोशल अथारिटी फैक्टर्स इन केसवर्क"—सोशल केसवर्क, जिल्द ३५, जून १९५४, पृ० २३१ – २३८।

इवरेट ई० विल्सन—"द नेचर आफ प्रोबेशन"—द सोशल सर्विस रिव्यू, जिल्द २०, सितम्बर १९४६, पृ० ३९६ – ४०२ ।

एक सुधार-संस्था में वैयक्तिक सेवा-कार्य

विलियम जी० नागेल,
अधीक्षण-सहायक,
न्यू जर्सी सुधारालय,
बोर्डेन टाउन, न्यू जर्सी ।

न्यू जर्सी में वयस्क युवकों के लिए दो सुधारालय हैं जिनमें से एक बोर्डन टाउन का सुधारालय है । इसमें रखे गये युवकों में से कुछ को छोड़कर शेष १८ से ३० वर्ष के बीच की अवस्था वाले हैं । यहाँ लाये गये अधिकांश युवक या तो किसी न किसी बाल-संस्था में सजा भुगत चुके हैं अथवा किसी अन्य सुधारालय में रह चुके हैं । उन्हें जिन अपराधों के लिए सजाएँ मिली हैं उनमें से कुछ तो भयंकर अपराध कहे जा सकते हैं ।

इस सुधारालय के युवकों में से ८० प्रतिशत की सजा की अवधि अनिश्चित है अर्थात् उनकी अधिकतम अवधि तो पाँच वर्ष की रखी गयी है, पर न्यूनतम अवधि निश्चित नहीं की गयी है । इस संस्था का पेरोल-सम्बन्धी शासनाधिकार एक परिषद् के हाथ में है जिसे 'प्रबन्धक-परिषद्' कहा जाता है । इस परिषद् के सदस्य विशेषज्ञ नही, जनसाधारण के बीच के होते हैं । संस्था के कार्य-संचालन के लिए यह परिषद् अधिकार-क्रम के अनुसार अन्तिम रूप से गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होती है । प्रबन्धक-परिषद् संस्था की वर्गीकरण-समिति की संस्तुति के आधार पर अवकाश-मुक्ति के लिए अपनी स्वीकृति देती है । संस्था के अधीक्षक-सहायक-पालक (मुख्य अभिरक्षा-अधिकारी), अधीक्षण-सहायक (इस समय इस पद पर एक सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करता है), मुख्य मनश्चिकित्सक, शिक्षा-निदेशक, व्यावसायिक अधीक्षक और संस्था के कारावकाश-मुक्ति-अधिकारी, इस तरह प्रायः सभी विभागों के अध्यक्ष वर्गीकरण-समिति के सदस्य होते हैं । इस समिति का काम संस्था के संवासियों के लिए कार्यक्रम बनाना तथा ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिनकी सजा की अवधि निश्चित नहीं है, सजा की अवधि निश्चित करना है ।

बोर्डेन टाउन में अनिश्चित अवधि की सजा भुगतने वाले व्यक्ति को उसके आने की तारीख से कारावकाश-मुक्ति की तारीख तक कई कार्य-प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता

है । आने के समय पहले उसका नाम पंजीकृत होता है, उसके अंगूठे की निशानी ली जाती है, उसका फोटो खींचा जाता है, और उससे उसके मामले से सम्बन्धित कुछ जानकारी प्राप्त की जाती है । इसके बाद उसे संस्था के निर्धारित वस्त्र दिये जाते हैं और उसको स्वागत-विभाग (स्वागत-यूनिट) में भेज दिया जाता है जहाँ उसको एक महीने तक रखा जाता है । इस अवधि में शुरू के दस दिनों तक उसको संगरोध की चिकित्सकीय पद्धति के अनुसार उसके कमरे में बन्द रखा जाता है । साधारण स्थिति में संगरोध की अवधि में केवल स्वागत-विभाग से सम्बद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ही उससे मिल सकता है । वह कार्यकर्ता, जो बाकायदे संस्था का कर्मचारी होता है, उस नवागत कैदी के साथ जो बातचीत करता है, वह उसकी ठोस समस्याओं से सम्बन्धित होती है । ऐसा नवागत कैदी प्रायः इस बात की प्रार्थना करता है कि उसे किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार करने की या मिलने की सुविधा मिलनी चाहिए । इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति संस्था में रखे जाने के सम्बन्ध में अपनी भावनाओं और आशंकाओं को व्यक्त करता तथा अपने परिवार के विषय में भी अपनी चिन्ता प्रकट करता है ।

दस दिन की इस अवधि के बाद वह संगरोध के प्रतिबन्ध से मुक्त कर दिया जाता है और तब उसे नये प्रविष्ट हुए अन्य कैदियों के साथ पुनर्नवीकरण के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है जो बीस दिनों तक चलता है और जिसका संचालन एक सामाजिक कार्यकर्ता करता है । इस अवधि में संस्था के औषधि-चिकित्सक, दन्त-चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और मनश्चिकित्सक उसका परीक्षण करते हैं, और कारावास-मुक्ति-अधिकारी, शिक्षा-निदेशक, प्रोटेस्टेण्ट अथवा कैथलिक पादरी, व्यावसायिक अधीक्षक और अधीक्षण-सहायक बारी बारी से उसके साथ साक्षात्कार करते है । ये सभी वर्गीकरण-समिति में उपस्थित करनें के लिए अलग-अलग अपने परीक्षण के परिणाम के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तैयार करते है । इसी बीच अवकाश-मुक्ति-विभाग का एक प्रतिनिधि उस व्यक्ति के घर जाकर उसके माता-पिता या पत्नी से बातचीत करता, उसके काम-धाम और स्कूल के जीवन-वृत्त का पता लगाता, और उसे दण्डित करने वाले न्यायालय में जाकर उसके वर्तमान अपराध से सम्बन्धित ब्योरे की बातों की जाँच-पड़ताल करता है । यदि वह व्यक्ति जेल से पेरोल पर छूट चुका है तो उसकी अवकाश मुक्ति-व्यवस्था की बातों की सूचना भी अन्य सूचनाओं के साथ संस्था के अधिकारियों के पास भेजी जाती है । इसके बाद वर्गी-करण-समिति के मंत्री तथा कर्मचारी उन आँकड़ों के आधार पर उसके व्यक्ति-वृत्त का अभिलेख तैयार करते हैं जिसकी अनेक प्रतियाँ तैयार करके वर्गीकरण-समिति के सदस्यों के पास भेज दी जाती हैं ।

उस नवागत व्यक्ति को इसके बाद, अर्थात् सुधारालय में प्रवेश के तीस दिन बाद,

वर्गीकरण-समिति के सामने उपस्थित होना पड़ता है जहाँ उसको उसका अधिन्यस्त कार्य-क्रम समझाया जाता है। इस कार्यक्रम के चार अंग होते हैं—आवास से सम्बन्धित, अधिन्यस्त कार्य से सम्बन्धित, उपचार-कार्यक्रम से सम्बन्धित और अभिरक्षा-वर्गीकरण से सम्बन्धित।

बोर्डेन टाउन में ग्यारह आवास-खण्ड (यूनिट) हैं और प्रत्येक नवागत संवासी को, उसके गुण-दोषों का सावधानी से आकलन कर लेने के बाद किसी एक खण्ड में भेज दिया जाता है। एक आवास-खण्ड ऐसे संवासियों के लिए है जो अपराधपूर्ण विचार के नहीं होते। इसी तरह उन लोगों के लिए जिनका दुरुपयोग या शोषण दूसरे व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं, जो स्वयं दूसरों का अनुचित उपयोग या शोषण कर सकते हैं और जो भागने का गम्भीर खतरा मोल ले सकते हैं, अलग-अलग आवास-खण्डों की व्यवस्था की गयी है। अन्य आवास-खण्ड भी इसी प्रकार अलग-अलग ढंग के व्यक्तियों के लिए हैं।

श्रम-सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत आठ श्रमालयों में श्रम करने का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, सामग्री-व्यवस्था का काम, अनेक प्रकार के क्लर्की के काम और खेती सम्बन्धी कामों की व्यवस्था है। खेती सम्बन्धी कामों में विशाल दुग्धशाला, सूअर-पालन, ट्रक द्वारा खेती तथा सामान्य खेती के काम सम्मिलित हैं। संवासियों के कार्य-कौशल तथा इच्छा को ध्यान में रख कर तथा संस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त कामों में से किसी एक में लगा दिया जाता है।

उपचार-सम्बन्धी कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रारम्भिक पाठशाला, हाई स्कूल, शिक्षा में पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए विशेष शिक्षण और सामाजिक शिक्षा की कक्षाओं की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष उपचार के लिए व्यक्तिशः या सामूहिक रूप में नवागत व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक और मनश्चिकित्सक मिल कर अथवा दोनों में से कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता के सहयोग से परीक्षण करता है और उसी के आधार पर उनकी मनश्चिकित्सा की जाती है। वर्गीकरण-समिति पहले बड़ी सावधानी से संवासी की आवश्यकता का निश्चय और उन पर विचार करती है और उसके बाद उसे उपचार-सम्बन्धी उपर्युक्त कार्यक्रमों में किसी एक में नियोजित कर देती है। बहुत-से नवागत व्यक्ति प्रायः इस प्रकार के अधिन्यस्त कार्यों का विरोध करते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुधा यह स्वीकार ही नहीं करते कि उनकी कोई समस्या भी है। इसीलिए वे यह मानने को तैयार नहीं होते कि किसी विशेष अधिन्यस्त कार्य द्वारा उनको कोई सहायता मिल सकती है या उनकी कोई समस्या सुलझ सकती है।

अभिरक्षा-सम्बन्धी वर्गीकरण के पहले वर्गीकरण-समिति सावधानी से सोच-विचार करके यह निश्चय करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को, भागने से रोकने के लिए, किस मात्रा

में अधीक्षण की आवश्यकता है । इसी निश्चय के आधार पर संवासियों का अभिरक्षात्मक वर्गीकरण किया गया है । इस वर्गीकरण के अन्तर्गत निम्नलिखित चार सामान्य श्रेणियाँ रखी गयी हैं जो अधीक्षण की आवश्यकता की मात्रा पर आधारित हैं;—अधिकतम, मध्यम, न्यूनतर और न्यूनतम । सामान्यतया प्रत्येक नवागत संवासी को बोर्डेन टाउन में प्रारम्भ में अधिकतम अधीक्षण वाले वर्ग में रखा जाता है और ज्यों-ज्यों उसकी कारावकाश-मुक्ति का समय निकट आता जाता है त्यों-त्यों अधीक्षण की मात्रा कम होती जाती है ।

कहने की आवश्यकता नहीं कि वर्गीकरण समिति के सम्मुख जब नवागत संवासी को पहली बार उपस्थित होना पड़ता है तो यह उसके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण अवसर होता है । इस अवसर पर समिति के सदस्यों और उस व्यक्ति की एक-दूसरे पर जो क्रिया-प्रतिक्रिया होती है उसी के प्रभाव के अनुसार वह व्यक्ति आगामी ५ महीनों तक संस्था का उपयोग करता है । ५ महीने बाद उसे फिर वर्गीकरण-समिति के सम्मुख साक्षात्कार के लिए दुबारा बुलाया जाता है ।

जब तक वह अपने अधिन्यस्त कार्य में लगा रहता है उसकी गतिविधि का निकट से निरीक्षण किया जाता है । इस प्रेक्षण का परिणाम अभिलिखित कर लिया जाता है और उसके जीवन-वृत्त-अभिलेख में जोड़ दिया जाता है । आवास-अधिकारी यह सूचित करता है कि आवास-खण्ड में उसका व्यवहार कैसा रहता है, वह किससे मिलता-जुलता है, अवकाश के समय में किस प्रकार के काम करता है, सफाई का ध्यान रखता है या नहीं और आदेशों का पालन करता है या नहीं । उसको काम सिखलाने वाला शिक्षक यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है कि श्रमालय में उस व्यक्ति की प्रगति कैसी है, उसके कार्य-कौशल और कार्य-क्षमता की क्या स्थिति है और स्वयं कार्य आरम्भ करने की उसकी प्रवृत्ति है या नहीं । इसी तरह उसका अध्यापक इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है कि वह व्यक्ति अध्यापन की सुविधा का उचित प्रयोग करता है या नही । पादरी इस बारे में सूचना देता है कि वह व्यक्ति संस्था की धार्मिक क्रियाओं के प्रति क्या रुख रखता है । मनोवैज्ञानिक अपने प्रतिवेदन में यह दिखलाता है कि प्रविष्ट होने के बाद से उस व्यक्ति के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं और यदि हुआ है तो वह क्या है । इसी तरह वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता विभिन्न नवागत संवासियों के सम्बन्ध में किये जाने वाले अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और मनोरंजन-निदेशक इस बात की सूचना देता है कि नवागत व्यक्ति खेल-कूद तथा उससे सम्बद्ध अन्य कार्यो में भाग लेता है या नहीं ।

पाँच महीने के बाद इन सभी प्रतिवेदनों का सारांश उस व्यक्ति के कार्यालयीय जीवन-वृत्त-अभिलेख में जोड़ दिया जाता है और उस अभिलेख की प्रतियाँ वर्गीकरण-समिति के सदस्यों के पास भेज दी जाती हैं । समिति के सदस्य उस अभिलेख के बारे में अलग-अलग

विचार करते तथा इस बार इस सम्बन्ध में संस्तुति भी करते हैं कि उस व्यक्ति को बोर्डेन-टाउन के इस सुधारालय में कितने दिन तक रखना चाहिए । समिति की खुली बैठक में विभिन्न सदस्यों की संस्तुतियों पर विचार-विमर्श होता है और तत्सम्बन्धी मतभेदों का निराकरण मतदान से किया जाता है और बहुमत की बात मान ली जाती है । तत्पश्चात् उस व्यक्ति को समिति के सम्मुख उपस्थित किया जाता है और उसको सूचित कर दिया जाता है कि यदि वह इसी प्रकार प्रगति करता रहा तो उसे एक निश्चित समय के बाद सुधारालय से मुक्त कर दिया जायेगा । उसी समय उसके कार्यक्रमों के विषय में भी उसके साथ विचार-विमर्श किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उनमें परिवर्तन भी किये जाते हैं ।

प्रायः यह समय-विभाजन भावात्मक दृष्टि से प्रवेश-सम्बन्धी प्रारम्भिक वर्गीकरण की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होता है । कारावकाश-मुक्ति के समय तक बराबर नियमित रूप से थोड़े-थोड़े दिनों के बाद उसे पुनर्वर्गीकरण के लिए समिति के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता है । यदि उसकी प्रगति सामान्य से अधिक है तो उसके लिए समय-विभाजन की निश्चित अवधि में कमी कर दी जाती है । सुधार के लक्षण दिखाई पड़ने पर अध्ययन और श्रम-सम्बन्धी कार्यक्रमों में भी हेर-फेर किया जा सकता है ।

अन्त में जब संवासी के समय-विभाजन का अन्तिम चरण समाप्त होने में दो मास शेष रह जाते हैं तो उसे एक बार और वर्गीकरण-समिति के सामने उपस्थित किया जाता है । उसके सम्बन्ध में उस समय तक के ताजे प्रतिवेदन उसके व्यक्ति-वृत्त-अभिलेख में सम्मिलित कर लिये जाते हैं और यदि यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति ने आशा के अनुरूप प्रगति की है तो उसे इस बात की निश्चित सूचना दे दी जाती है कि उसे किस तारीख को रिहा किया जायेगा ।

इसके बाद वह व्यक्ति संस्था के कारावकाश-मुक्ति-अधिकारी के साथ मिल कर अपनी अवकाश-मुक्ति की योजनाके बारे में ब्योरे की बातें तय करता है । समुदाय में रहने वाला कारावकाश-मुक्ति-अधिकारी, जो उस व्यक्ति के रिहा होने पर उसका अधीक्षण करेगा, उसके घर जाकर उसकी अवकाश-मुक्ति-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण समस्याओं के बारे में पता लगाता है । इसके बाद संस्था का कारावकाश-मुक्ति-अधिकारी उन समस्याओं के बारे में, उस व्यक्ति से मिल कर, विचार-विमर्श करता है । इसके अतिरिक्त वह उस व्यक्ति तथा निकट-भविष्य में अवकाश-मुक्ति पर रिहा होने वाले अन्य व्यक्तियों के इस विषय से सम्बन्धित शिक्षा-व्यवस्था का भी संचालन करता है । इस प्रकार की अध्ययन कक्षाओं में संवासियों को कारावकाश-मुक्ति के नियमों तथा तत्सम्बन्धी सामान्य समस्याओं के बारे में जानकारी दी जाती है ।

इस बीच प्रबन्धक-परिषद् वर्गीकरण-समिति की संस्तुति के आधार पर कारावकाश-मुक्ति का आदेश देती है और निश्चित तिथि को वह व्यक्ति संस्था से रिहा होकर अपने समुदाय में वापस चला जाता है जहाँ कारावकाश-मुक्ति के नियमों के अनुसार उसको अधीक्षण के अन्तर्गत रखा जाता है।

वैयक्तिक सेवा-कार्य

बोर्डेन टाउन सुधारालय में एक वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता 'अधीक्षण-सहायक' पद का अधिकारी होता है और वह अपने सामान्य वैयक्तिक सेवा-कार्यों के अतिरिक्त कुछ प्रशासन-सम्बन्धी कार्य भी करता है और साथ ही संस्था के समस्त कार्यक्रमों के कई पक्षों के अधीक्षण का उत्तरदायित्व भी वहन करता है। वह वर्गीकरण-समिति का स्थायी सदस्य होता है। इसके अतिरिक्त वह समायोजन-समिति का भी स्थायी सदस्य होता है। इस समिति में तीन व्यक्ति होते है और उनका काम संस्था के भीतर अनुशासनिक व्यति-क्रमण-सम्बन्धी मामलों का निफ्टारा करना है। अधीक्षण-सहायक अन्य पूर्णकालिक वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ताओं के कामों का भी अधीक्षण करता है।

एक अन्य पूर्णकालिक वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता के जिम्मे संस्था के नवागत संवासियों के पुनर्नवीकरण का कार्य होता है। वह स्थायी रूप से स्वागत-यूनिट के अन्तर्गत कार्य करता है। उसका कार्यालय भी वही होता है। उसका कार्य नवागंतुकों के, संस्था की जीवन-विधि के अनुरूप, पुनर्नवीकरण में सहायता करना है। यह कोई आसान काम नहीं है। अधिकांश नवागंतुक कैदी अपना यह कलंक मिटा देना चाहते है कि उन्हें जेल की सजा मिली है और इसीलिए वे उस समय की कल्पना करते रहते हैं जब वे यहाँ से रिहा होकर फिर समुदाय में जायेंगे। वे अपनी वर्तमान दुर्दशा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से कतराते हैं और अपनी गलतियों को 'वे बातें' कह कर ही उन्हें छिपाने का प्रयत्न करते रहते हैं। उनके भीतर प्राधिकारों के प्रति विरोध की जो भावना गहराई तक जड़ जमाये रहती है उसका प्रक्षेपण वे इस संस्था और इसके अधिकारियों पर भी करते हैं। समुदाय के साथ उनका जो असामंजस्य था, उसे यहाँ आने के बाद भी वे छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि उसको अपने हृदय से चिपकाये रहना चाहते है जिसका प्रमाण यह है कि संस्था को घृणा से देखते हैं, अपने आन्तरिक संघर्ष को वे अपने मन के भीतर ही छिपा कर नहीं रख पाते जहाँ वस्तुतः उनकी कठिनाइयों की जड़ें वर्तमान रहती हैं।

स्वागत-यूनिट सम्बद्ध वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता का कार्य यह है कि जिन नवागंतुक संवासियों में संस्था में अच्छी तरह रह कर सही अर्थ में लाभ उठाने से कतराने या भागने के लक्षण दिखाई पड़ते है तो उनके लिए विशेष प्रकार की सहायता-प्रक्रिया का प्रयोग

प्रारम्भ करते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि जब तक कोई संवासी मनसा यह तथ्य नहीं स्वीकार कर लेता कि वह एक सुधार-संस्था में है तब तक उसे कारावकाश-मुक्ति के लिए पूर्णतः तैयार कर पाना सम्भव नही है। अतः वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता का यही काम है कि वह नवागंतुक संवासी को मानसिक दृष्टि से उसके योग्य बनने में सहायता करे।

एक अन्य पूर्णकालिक कार्यकर्ता सामाजिक-कार्य-विद्यालयों से प्रशिक्षण के लिए आये दो विद्यार्थियों के साथ मिल कर संवासियों के संस्थागत-जीवन के 'मध्यवर्ती काल' में उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। वर्गीकरण-समिति उनके जिम्मे ऐसे व्यक्तियों के मामले सौंपती है जिनका वैयक्तिक सेवा-कार्य के कौशल के प्रयोग द्वारा ही सुधार हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों में वे लोग होते हैं जिनकी समस्या वैवाहिक जीवन से सम्बन्धित होती है अथवा जो संस्था का इस प्रकार विरोध करते हैं जिसका परिणाम उनके लिए अत्यन्त हानिकर हो सकता है, और जिसका निवारण तभी सम्भव है जब कि प्रशिक्षित और संवेदनशील कार्यकर्ता उनके साथ आमने-सामने होकर प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करके व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करे। विद्यार्थियों को उन आवास-खण्डों का काम सौपा जाता है जहां प्रायः कष्टप्रद घटनाएँ हुआ करती हैं। वे विद्यार्थी उन लोगों को सहायता-सम्बन्धी ऐसे कार्यों में लगाये रहते हैं, जिनका लक्ष्य उन संवासियों को इस योग्य बना देना है कि वे अपनी संकल्प-शक्ति का ध्वंसात्मक नहीं, बल्कि रचनात्मक उपयोग कर सकें।

चौथा कार्यकर्ता संस्था का कारावकाश-मुक्ति-अधिकारी होता है। उसका काम संवासियों की, बोर्डेन टाउन सुधारालय से रिहा होने के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी में, सहायता करना है। ऐसा समझा जाता है कि जो संवासी दो या तीन अथवा उससे भी अधिक वर्षों से कैद की सजा भुगत रहे हैं वे रिहाई के लिए अधिक उत्सुक और तैयार होते होंगे। ऊपर से वे सचमुच बहुत उत्सुक होते हैं, किन्तु मन ही मन वे रिहाई से डरते भी रहते हैं। बाहरी जगत् में उनका पिछला जीवन असफलता पूर्ण रह चुका है। वे सोचते हैं कि क्या उन्हें फिर उसी दुनिया में जाना पड़ेगा। सामाजिक जीवन में परिवार का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ता है और पहले वे इस प्रकार के उत्तरदायित्व से पलायन कर चुके हैं। क्या उसी परिवार में फिर जाकर उन्हें फिर पलायन करना पड़ेगा। इसके विपरीत संस्था में उनके कई मित्र बन चुके है और यहाँ के लोगों ने इसको स्वीकार भी किया है। क्या अब वे बाहरी समाज में जाकर पुनः अस्वीकृत किये जाने का खतरा मोल लें। ये सभी बातें तथा अन्य अनेक भावनाएँ उन्हें भयभीत करती हैं। अनेक जानकार लोगों का ख्याल है कि कुछ अवकाश-मुक्त कैदियों को मूलतः असफलता इस कारण

प्राप्त होती है कि वे जेल के सुरक्षित वातावरण से अपने को अलग करने में समर्थ और उसके लिए तैयार नहीं होते। संस्था के कारावकाश-मुक्ति-अधिकारी की उपयोगिता यही है कि वह कैदियों को इस बात के लिए तैयार करे कि वे रिहाई से भयभीत न हों और रिहाई के बाद के जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकें।

चक मार्गन

चक मार्गन अक्टूबर में बोर्डेन टाउन सुधारालय में लाया गया था। उसे डाका डालने के अभियोग में अनिश्चित काल तक इस सुधारालय में रखे जाने की सजा मिली थी। वह मोटर-यातायात-कानून भंग करने के अपराध में भी गिरफ्तार किया गया था और उस पर गहरा जुर्माना किया गया था। जुर्माने की रकम अदा न कर सकने के कारण उसे तीन महीने तक जन-पदीय जेल में सजा भुगतनी पड़ी थी। उसने बन्दूक दिखाकर एक सरकारी मोटर-गाड़ी लूटी और उसी लूट के धन से उसने जुर्माना अदा किया, पर शीघ्र ही वह डाके के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया था।

यहाँ आने पर उसे पूरे अक्टूबर और नवम्बर मास के अधिक दिनों तक सुधारालय के स्वागत-विभाग में रहना पड़ा, जहाँ भर्ती करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता उससे कई बार मिला। उससे मिलने के बाद शुरू में ही यह बात स्पष्ट हो गयी कि कैद की सजा भुगतना उसे बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था। वह निरन्तर अपनी पत्नी और बच्ची के सम्बन्ध में चिन्तित रहता था। रात में उसे नींद नहीं आती थी और वह अपनी कोठरी में सबेरे तक टहलता ही रह जाता था। सम्बद्ध अधिकारी ने यह सूचना दी कि वह घंटों तक अपनी पत्नी और बच्ची की तस्वीर देखा करता था और कोठरी की खिड़की से अपने घर की ओर देखा करता था जो वहाँ से साठ मील की दूरी पर था। वहाँ रहने वाले अन्य संवासियों का कहना है कि "वह बहुत ही कष्टपूर्ण ढंग से समय बिता रहा है।"

पुनर्नवीकरण की अवधि के अन्त में उसे बढ़ईगिरी के काम में लगाया गया तथा सामाजिक पुनःशिक्षण-सम्बन्धी कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए रखा गया। वर्गीकरण समिति ने यह आशा व्यक्त की कि यदि वह संस्था के कार्यक्रमों में भाग लेता रहेगा तो उसमें पुनः सप्राणता आ जायेगी और वह अपने गम्भीर "गृह-चिन्ता-रोग" से भी बहुत कुछ मुक्त हो जायेगा और इस तरह यहाँ के वातावरण में अपने को समायोजित कर सकेगा।

जनवरी महीने में, अर्थात् उसे काम सौपे जाने के दो महीने बाद, डाक सेन्सर विभाग ने अधीक्षण-सहायक के पास चक मार्गन का लिखा हुआ एक पत्र स्वीकृति के लिए भेजा जो उसने अपनी पत्नी को लिखा था। इस पत्र से यह पता चलता था कि वह अब भी

विषाद ग्रस्त था और यद्यपि वह अपना माथा ऊँचा रखने के लिए सब कुछ करने का प्रयत्न करता था, फिर भी उसे ऐसा लगता था कि वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसमें उसकी हार ही निश्चित है।

यह पत्र चक मार्गन से सम्बद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के पास भेज दिया गया जैसा कि समायोजन-सम्बन्धी गम्भीर समस्याओं की अभिव्यक्ति करने वाले सभी पत्र इसी प्रकार उक्त कार्यकर्ता के पास भेज दिये जाते हैं। इसके बाद चक को तुरन्त ही साक्षात्कार के लिए बुलाया गया—

"२६ जनवरी—मैंने चक के पास एक प्रवेश-पत्र भेजा। इसके पहले मेरी उससे एक बार मुलाकात हुई थी, जबकि उसने यह प्रार्थना की थी कि उसके चाचा का नाम भी उन लोगों के नामों की सूची में रख लिया जाय जिनके साथ वह पत्र-व्यवहार कर सकता है। यद्यपि यह मुलाकात बहुत कम समय की थी, फिर भी इसके कारण उसके मन में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि मैं उसकी सहायता करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसी कारण आज उसे मुझ से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने में कोई बाधा या हिचक नहीं हुई।

मैंने उसका पत्र उसे दिखाया और उसमें लिखी बातों पर आश्चर्य प्रकट किया। इस पर उसने कहा कि उसकी पुत्री का जन्म-दिवस निकट था और इससे बड़ी इच्छा उसके मन में कुछ नहीं हो सकती थी कि वह उसके साथ रहकर उसका जन्म-दिवसोत्सव मनाता। उसने बताया कि उसकी उदासी का मुख्य कारण यह था कि उसका मन अपनी पत्नी और बच्ची में ही बसा हुआ था जो बुरी तरह दिन गुजार रहे थे। मैंने उसे इस सम्बन्ध में कुछ और बातें करने के लिए प्रोत्साहित किया।

उसने बताया कि उसकी पत्नी अपनी माँ के साथ कई कमरों वाले एक मकान में रह रही थी। वे दोनों ही कोई काम नहीं करती थीं। भोजन बनाने की भी कोई सुविधा नहीं थी। उनकी आय का एक मात्र साधन यह था कि उन्हें आश्रित-बालक-सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति मास ८४ डालर मिलते थे। उसका मन उन्हीं में लगा रहता था। इस पर मैंने बीच में ही टोककर कहा कि उसका मन वहाँ लगे रहने से उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता क्योंकि शरीर से तो वह वहाँ नहीं, यहाँ था।

इसके उत्तर में उसने कहा कि वह प्रायः यहाँ से भाग निकलने की बात सोचा करता है और वह करीब-करीब इस नतीजे पर पहुँचा है कि चाहे इसमें जो भी खतरे हों या इसके जो भी परिणाम हों, अपने घर वालों से मिलने के लिए वह सब कुछ भुगतने को तैयार है। मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों सोचता है? उसने इसका कारण यह बताया कि उसका मन अपनी पत्नी और बच्ची में ही बसा हुआ है।

मैंने उसे बताया कि यदि वह भागने में सफल हो गया तो संस्था पहला काम यह करेगी

कि वह अपने दो अधिकारियों को उसकी पत्नी के दरवाजे पर पहरा लगा देगी जो बैठक उसके वहाँ पहुँचने की प्रतीक्षा करेंगे । वहाँ पहुँचने पर उसे हिरासत में ले लिया जायेग और फिर सुधारालय में वापस लाया जायेगा जहाँ उस पर फिर मुकदमा चलेग और उसको अतिरिक्त सजा दी जायेगी । मैंने उससे पूछा कि इससे उसकी पत्नी की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? उसने उत्तर दिया, "यदि मैं यहाँ से भागने में सफल हुआ तं फिर मुझे मेरे घर से कोई भी वापस नहीं ला सकता चाहे वहाँ मुझे गोली ही क्यों न मार दं जाय ।" उसकी बातों से पता चल रहा था कि यह उसका दृढ़ और निश्चित मत था वि उसकी समस्या का इससे भिन्न और कोई समाधान हो ही नहीं सकता ।

मैंने उससे कहा कि वह इस वास्तविकतापूर्ण समस्या पर मेरे साथ मिलकर विचा करे और हम दोनों मिलकर उसका और कोई समाधान खोजें । उसने कहा कि उसे और कोई भी रास्ता नहीं दिखलाई पड़ता । मैंने विचार प्रारम्भ करने के लिए यह सुझाव दिया कि यदि पत्नी और बच्ची को देखना ही लक्ष्य है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह यह से भागकर उनके पास जाय, इसके विपरीत वे स्वयं उससे मिलने के लिए यहाँ आ सकती हैं । उसका कहना था कि उसकी पत्नी के पास यहाँ आने के लिए पैसे नहीं हैं जिस कारण वह यहाँ नहीं आ सकती । मैंने इस पर यह सुझाव दिया कि सम्भवतः इस सम्बद्ध सं सामुदायिक अभिकरणों से सहायता मिल सकती है और सबसे पहले उसके सामुदायिक क्षेत्र के कारावकाश-मुक्ति-अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखा जा सकता है । उसने तुरन्त इसका विरोध किया और बताया कि किस प्रकार पहले किशोरावस्था में उसे एक बार अवकाश-मुक्ति की सुविधा मिली थी और उस विभाग का उसे कितना कटु अनुभव हुआ था । इस पर मैंने दूसरा सुझाव यह दिया कि क्यों न हम लोग पहले 'बोर्डेन टाउन सुधारालय के कारावकाश-मुक्ति-विभाग के प्रतिनिधियों से ही इस विषय में परामर्श लें उसने फिर हठ करते हुए कहा कि इससे कोई लाभ नहीं होगा । क्योंकि श्री एम० (स्थानीय कारावकाश-मुक्ति-विभाग के प्रतिनिधि) उसे बिलकुल नहीं पसन्द करते । इस प्रकार हम लोगों ने इस सम्बन्ध में काफी देर तक विचार-विमर्श किया और अन्त में यह निश्चित हुआ कि श्री एम० से बातचीत की जाय । यद्यपि उसने फिर कहा कि "इससे कोई लाभ नहीं होगा ।" इसके बाद हम दोनों साथ-साथ कारावकाश-मुक्ति-प्रतिनिधि की मेज के पास गये और मैंने श्री एम० से अपने आने का कारण बताया तथा उन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चला आया ।

जब श्री एम० से चक की बातचीत हो गयी तो वह मेरी मेज के पास वापस आया मैंने उससे पूछा कि अब उसका क्या ख्याल है ? इसके उत्तर में उसने कहा, "पहले से

ठीक है।" श्री एम० के बारे में अब उसकी धारणा बदल गयी थी और उसका अनुमान था कि वह उसके परिवार वालों की सहायता करने का प्रयत्न करेंगे।

मैंने आश्चर्य प्रकट करते हुए उससे पूछा कि क्या अब वह यह नही सोचता कि भागने के अतिरिक्त उसके सामने और कोई रास्ता ही नहीं है। उसने कहा कि वह अब भी सोचता है कि यह एक रास्ता हो सकता है, यही नही आत्महत्या भी एक रास्ता हो सकता है। मैंने और भी आश्चर्य के साथ कहा कि क्या यहाँ से भागना स्वयं एक प्रकार की आत्महत्या नही है? इसका उसने कुछ भी उत्तर नही दिया।

इस समय तक मैं यह सोचने लगा था कि क्या चक को उसके वर्तमान आवास-खण्ड बी–१ से, जहाँ मध्यवर्गीय सुरक्षा की व्यवस्था है, हटाकर किसी अधिकतम सुरक्षावाले आवास-खण्ड में भेज देना उचित न होगा? मैंने इस सम्बन्ध में उससे बातें की, किन्तु उसने इसका विरोध किया। उससे अलग होते समय मैंने यह पक्का निश्चय किया कि उसको दूसरे आवास-खण्ड में भेजना आवश्यक है। मैंने जाते-जाते उससे कहा कि मै उससे कल फिर मिलूंगा।"

बोर्डेन टाउन सुधारालय के समान अन्य सुधारात्मक संस्थाओं में भी सामाजिक सेवा-विभाग के पास विभिन्न माध्यमों द्वारा मामले भेजे जाते हैं। वर्गीकरण-समिति को सबसे अधिक इस बात की आवश्यकता का अनुभव होता है कि कुछ समस्याओं का समाधान केवल विशेषज्ञताप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य-कौशल द्वारा ही हो सकता है। उसी तरह अभिरक्षा-विभाग के कर्मचारी भी संवासियों के साथ व्यवहार करते समय प्रायः यह अनुभव करते हैं कि कुछ मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के वैयक्तिक कौशल के उपयोग की आवश्यकता है। अनुशासन-सम्बन्धी कार्य करने वाली समायोजन-समिति भी ऐसे संवासियों के अनुशासन-सम्बन्धी मामले सामाजिक कार्यकर्ता के पास भेजती है जिन्हें वैयक्तिक सेवा-सम्बन्धी सहायता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कई बार संवासी स्वयं सामाजिक कार्यकर्ता के सामने अपनी समस्याएँ उपस्थित करते है। चक मार्गन के मामले में सेन्सर विभाग के कारण उसकी समस्या की ओर लोगों की दृष्टि गयी।

दूसरे दिन प्रातःकाल सामाजिक कार्यकर्ता ने चक को बुलवाया जिसने आते ही इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि सामाजिक कार्यकर्ता उसके मामले में दिलचस्पी ले रहा है। उसने कहा कि उसका ख्याल है कि स्वयं उसकी रक्षा की दृष्टि से उसे अधिकतम अभिरक्षा वाले आवास-खण्ड में भेज दिया जाना चाहिए। उसकी इच्छा के अनुसार उसे ऐसे ही आवास-खण्ड में भेजने की व्यवस्था कर दी गयी। तीन दिन बाद कार्यकर्ता ने उसे फिर बुलवाया और आते ही उसने बताया कि अब वह पहले से अच्छा है। यद्यपि

अब भी वह अधिकतर इसी विषय पर बात करता रहा कि वह यहाँ से भाग निकलने के लिए किन उपायों और साधनों का प्रयोग करेगा । अब भी उसे अपनी समस्या का अन्य कोई भी समाधान नहीं दिखलाई पड़ता था ।

इस समय तक यह स्पष्ट हो गया था कि चक मार्गन को अभी काफी दिनों तक वैयक्तिक सेवा-सम्बन्धी सहायता की आवश्यकता है । सेन्सर विभाग द्वारा इस समस्या के उद्घाटित होने पर जिस सामाजिक कार्यकर्ता को अस्थायी रूप से यह काम सौंपा गया था उसने यह योजना बनायी कि चक मार्गन का मामला एक ऐसे कार्यकर्ता के हाथ में सौंप दिया जाय जो काफी समय तक उससे सम्बन्धित वैयक्तिक सेवा-कार्य कर सके । उसने चक मार्गन से भी इस विषय पर काफी देर तक बातचीत की और उसकी रजामन्दी से उसका मामला तीन फरवरी को एक छात्र-कार्यकर्ता के हाथ में सौंप दिया गया । उस छात्र-कार्यकर्ता ने ८ फरवरी को चक मार्गन से मिलने का समय निश्चित किया--

"८ फरवरी--साक्षात्कार के प्रारम्भ में सामाजिक कार्यकर्ता ने चक मार्गन का स्वागत किया और उसे धन्यवाद दिया कि वह एक नये कार्यकर्ता के साथ सहयोग करने को तैयार है जिसके साथ व्यवहार करने में, सम्भव है, कुछ नयी समस्याएँ उत्पन्न हो जायँ । इसके उत्तर में चक ने कहा कि नये कार्यकर्ता के हाथ में उसका मामला दे दिये जाने पर उसे कोई आपत्ति नही है और इस विषय में वह श्री ए० (पूर्ववर्ती कार्यकर्ता) से पर्याप्त बातचीत कर चुका है । इसके बाद कार्यकर्ता ने उन मुलाकातों का सारांश दुहराया जो इसके पहले श्री ए० और चक मार्गन के बीच हो चुकी थी । चक का कहना था कि उसकी समस्या बहुत साधारण है, वह केवल इतना ही चाहता है कि वह इस स्थान से बाहर चला जाय । उसने यह भी बताया कि वह अपनी पत्नी और बच्ची के पास जाने की कितनी तीव्र आकांक्षा रखता है, विशेष रूप से वह अप्रैल में अपने परिवार के साथ अवश्य रहना चाहता है, क्योंकि उसके विवाह के वार्षिकोत्सव और पुत्री की वर्ष-गाँठ के दिन उसी महीने में पड़ते हैं । कार्यकर्ता ने उससे कहा कि वास्तविकता की दृष्टि से यह कभी भी सम्भव नहीं हो सकता । इस पर चक ने एक नयी समस्या उपस्थित की । उसने कहा कि उसकी पत्नी ने पिछले दो सप्ताह से उसे कोई पत्र नही लिखा है, यह एक ऐसी बात है जो स्वाभाविक नहीं प्रतीत होती । उसका अनुमान था कि वह बीमार पड़ गयी होगी । उसने यह जानना चाहा कि कारावकाश-मुक्ति-कार्यालय से उसके विषय में कोई सूचना प्राप्त हुई है या नहीं । कार्यकर्ता ने उसे बताया कि ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

उसने अनेक विषयों के बारे में बातें कीं और अन्त में अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि "उसे एक दिन की स्वतंत्रता चाहिए ।" कार्यकर्ता ने उसे वास्तविकतापूर्ण बातों में लगाने

की कोशिश की और उसे याद दिलाया कि यदि सचमुच उसे अपनी पत्नी और बच्ची की चिन्ता है तो उसका हल "एक दिन" का मिलना नहीं हो सकता। चक चुपचाप सुनता रहा। कार्यकर्ता ने अपने पूर्ववर्ती द्वारा दो सप्ताह पूर्व दिये गये सुझाव के बारे में उससे बातें की, पर चक ने उस बातचीत में बिलकुल भाग नहीं लिया। अन्त में कार्यकर्ता ने साक्षात्कार समाप्त करते हुए जो कहा था उसके बारे में उसने लिखा है, "मैने उससे कहा कि मैं अब उससे प्रति सप्ताह मिला करूँगा, क्या उसे यह बात ठीक जँचती है ? उसने कहा कि ठीक है। अन्त में मैने उससे मिलने के लिए १५ फरवरी को सवा आठ बजे सबेरे का समय निश्चित किया। चक ने कहा कि यह उसके लिए बड़ा उपयुक्त समय होगा।"

अगले सोमवार को जब चक कार्यकर्ता से मिलने गया तो उसकी मनःस्थिति पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। वह अत्यन्त प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रहा था। रविवार को उसकी पत्नी और बच्ची उससे मिलने आयी थीं और उनका आना उसके लिए आश्चर्य-जनक रूप से आनन्ददायक था। लड़की उससे बहुत प्रेम से मिली थी। उसने बच्ची को पकड़ लिया था और उसके साथ करीब एक घंटे तक खेलता रहा। उसने पहले जिस 'एक दिन' की माँग की थी मानों वह उसे मिल गया था और इस तरह सुधारालय से भागने का उसका विचार उसे स्वयं मूर्खतापूर्ण मालूम पड़ा।

पर उसके बाद भी एक समस्या थी जिसका समाधान आवश्यक था। उसकी पत्नी से यह कहा गया था कि या तो स्वयं उसको या उसकी माँ को कही काम करना पड़ेगा। जन-कल्याण-विभाग ने यह आदेश दिया था कि मार्च मास में उन्हें दी जाने वाली सहायता बन्द कर दी जाय क्योंकि उनके परिवार में काम करने योग्य दो स्त्रियाँ थीं और बच्चा केवल एक ही था। जब कार्यकर्ता ने चक से इस सम्बन्ध में बातचीत की तो चक ने कल्याण-विभाग के तर्क को स्वीकार किया। फिर भी इस विषय में उसकी चिन्ता बनी हुई थी। उसकी पत्नी एक ऐसे पर्वतीय नगर में रहती थी जहाँ गर्मी में यात्री आते-जाते रहते थे, पर वहाँ जाड़े के मौसम में नौकरी मिलना कठिन था। इस बात में तो उसे कोई सन्देह नही था कि उसकी पत्नी को नौकरी मिल जायेगी, पर वह मई महीने में ही मिल सकेगी, उसके पहले नहीं। अतः मार्च से मई के बीच की अवधि में उसके परिवार का काम कैसे चलेगा, चक को इसी बात की सबसे अधिक चिन्ता थी।

कार्यकर्ता के प्रोत्साहन से चक में आत्म-विश्वास उत्पन्न हुआ और उसने उसके साथ अपनी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक उपायों के सम्बन्ध में बातचीत की। चक अपने को मन ही मन इस बात के लिए अपराधी समझ रहा था कि वह अपने परिवार वालों की सहायता करने के लिए इस समय बाहर नही था। कार्यकर्ता ने इस भावना का प्रभाव

दूर करने में भी उसकी कुछ सहायता की । अन्त में २३ फरवरी को फिर मिलने का समय निश्चित किया गया ।

"२३ फरवरी—आज जब मैं चक से मिला तो वह बहुत अधिक उदास दिखाई पड़ता था । मैंने जब उसका स्वागताभिवादन किया तो उसने कुछ मुस्कराने की कोशिश की । जब मैंने उससे पूछा कि उसके दिन कैसे कट रहे हैं और क्या अनुभव हो रहे हैं तो उसने उत्तर दिया कि "सब ठीक है ।" मैंने पूछा, "मैं समझता हूँ कि इस सप्ताह तुमसे कोई मिलने नहीं आया ।" उसने उत्तर दिया कि 'हाँ, कोई नहीं आया ।' मैंने पूछा कि उसकी पत्नी ने उसे पत्र लिखा है या नही ? उसने बताया कि मुझसे पिछली बार बातचीत के बाद उसकी पत्नी ने उसे दो पत्र लिखे हैं और आज उसका तीसरा पत्र मिलने की उसे आशा है ।

उसने पूछा कि मैंने उसकी पत्नी और बच्ची को 'राजकीय सहायता' दिलाने का कोई उपाय सोचा है या नही । मैंने कहा कि इस विषय में वह बहुत अधिक चिन्तित रहा करता है । मैंने उससे कहा कि इस विषय में मैं उसे जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दूँगा उसे सुन कर उसे निराशा होगी । मैंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए जो निधि है उससे ऐसी माताओं को सहायता दी जाती है जिनके बच्चे इतने छोटे हैं कि वे उन्हें घर पर छोड़ कर काम करने नही जा सकतीं क्योंकि बच्चों की देखभाल करने के लिए उनके सिवा उनके घर में और कोई नही होता । मैंने उसे बताया कि इस कार्यक्रम के अधिकारियों को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि उसकी पत्नी घर के बाहर जाकर कहीं काम कर सकती है और उसकी अनुपस्थिति में उसकी माँ उसकी बच्ची की देखभाल कर सकती है । चक ने इस पर फिर अपनी पहले वाली बात दुहरायी कि इस समय तो उसकी पत्नी को नौकरी पाना असम्भव ही है । उसने बताया कि उसकी पत्नी काम करने की योग्यता रखती है, उसके पास हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र है और "यात्रियों का मौसम" प्रारम्भ होने पर उसे अच्छी नौकरी मिल सकती है, पर वह नहीं कह सकता कि "यात्री-मौसम" प्रारम्भ होने के पहले उसे कौन-सा काम मिल सकेगा । मैंने उसे कहा कि इस बात की भी सम्भावना है कि यदि सचमुच उसकी पत्नी को कोई नौकरी नही मिलती है तो उस विभाग के लोग उसके मामले पर पुनः विचार करें और उसे मिलने वाली सहायता की अवधि एक मास और बढ़ा दें । पर मैंने उसे सावधान कर दिया कि इसे निश्चित समझ कर वह उसी के अनुसार अपने परिवार की योजना न बनाये क्योंकि सहायता देने-न-देने का निर्णय करना बिलकुल जन-कल्याण-विभाग के अधिकारियों के हाथ में है और हो सकता है कि वे सहायता की अवधि बढ़ाना स्वीकार न करें ।

मैंने उससे पूछा कि यहाँ के जीवन और यहाँ से बाहर की दुनिया के जीवन के सम्बन्ध

में अब उसके क्या विचार हैं और क्या अब भी वह यहाँ से भाग जाने की बात सोचता है ? इसका जवाब देते समय वह मेरी ओर नही देख रहा था, बल्कि बराबर अपने हाथों की ओर एकटक ताकता रहा । वह बहुत उदास दिखाई पड़ता था । उसने कहा कि वह अब भी यहाँ से भागने के बारे में सोचता है और वस्तुतः वह मजबूर होकर वैसा करने की बात सोचता है । उसने बताया कि नित्य रात भर वह अपने परिवार वालों की बात सोचता रहता है और यह भी सोचता है कि उसका उचित स्थान अपने परिवार में ही है । रात में उसका समय इतना धीरे-धीरे और कष्टप्रद ढंग से बीतता है कि कभी-कभी उसकी तबीयत जोर से चिल्ला उठने की होती है । यदि वह रो लेता तो शायद उसकी तबीयत कुछ हलकी हो जाती, पर वह इस कारण ऐसा नहीं करता कि उसे डर रहता है कि कही उसे पकड़ कर राजकीय मानसिक-अस्पताल में न भेज दिया जाय । उसका ख्याल है कि यहाँ उसका जीवन व्यर्थ नष्ट हो रहा है क्योंकि उसका उचित और उपयोगितापूर्ण स्थान वही है जहाँ उसकी पत्नी और बच्ची रहती हैं । इसी कारण वह यहाँ से भागने या रिहा होने की बात बहुत अधिक सोचता है । मैंने उससे कहा कि मेरा भी ख्याल यही था कि उसका यहाँ से बाहर जाना महत्त्वपूर्ण है, पर उसे भाग कर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है । मैंने उससे वादा किया कि मैं इस काम में उसकी पूरी सहायता करूँगा । मैंने आश्चर्य प्रकट किया कि पता नही वह यह जानता है या नही कि उसके भाग जाने से उसकी पत्नी पर क्या गुजरेगी और वह स्वयं इस विषय में क्या सोचेगी ? उसने कहा कि वस्तुतः इस सम्बन्ध में उसने अपनी पत्नी से कभी पूछा नही है, पर उसे मालूम है कि वह इसका समर्थन नही करेगी । उसने यह भी कहा कि वह इस बात के लिए पूरी तरह प्रयत्न करना चाहता है कि अपने विवाह और पुत्री के जन्म की वर्षगाँठ पर वह उनके साथ रहे ।

मैंने उससे कहा यदि वह भागने में सफल हो भी गया तो कितने दिनों तक बाहर रह सकेगा । मैंने यह भी सुझाया कि उसे मालूम है कि जब वह पकड़ कर लाया जायेगा तो उसे किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और तब अगले वर्ष वाली और उसके बाद और फिर उसके बाद वाली वर्षगाँठों पर वह अपनी पत्नी और पुत्री के पास कैसे जा सकेगा ? यदि वह इसी तरह से जेल में ही जीवन बिताता रहा तो उसकी पत्नी कितने दिनों तक उसकी प्रतीक्षा करती रहेगी ?

उसने भींगी आँखों से मेरी ओर देखा और कहा कि उसके विवाह का दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी का दिन था, विवाह और सन्तान की उत्पत्ति उसके जीवन की सुन्दरतम घटनाएँ थीं । इसके बाद वह चुप हो गया । मैंने कहा, "मैं तुम्हारी भावनाओं का आदर करता हूँ और जानता हूँ कि इन बातों का तुम्हारे लिए क्या मूल्य है और ये बातें अब भी तुम्हारे हाथ में है । तुम्हारा परिवार अब भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है । इसके बाद

अब तुम जो कुछ करोगे उसी पर यह बहुत कुछ निर्भर करेगा कि तुम अपने परिवार को अपने साथ रखना चाहते हो या नही । मैने उससे बताया कि मै यह अच्छी तरह समझता था कि वह यहाँ से बाहर जाने के लिए कितना इच्छुक है और उसकी पत्नी भी इस बात के लिए कितनी उत्सुक है कि उसका पति उसके साथ रहे । किन्तु मेरा यह विश्वास है कि यदि वह भागकर बाहर जाना चाहेगा तो उसकी पत्नी इसे कभी भी पसन्द नहीं करेगी । मैने यह भी कहा कि यह उसका अत्यन्त क्षुद्र स्वार्थ है कि वह अपनी क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इतना बड़ा अनर्थ करने की बात सोचता है, उसकी पत्नी तो यह आशा लगाये बैठी है कि वह उसके साथ जीवन भर आनन्द के साथ रह सकेगी, उसकी पुत्री को भी उसकी आवश्यकता होगी; क्या वह यहाँ से भागकर और कुछ घंटों की स्वतन्त्रता प्राप्त कर हमेशा के लिए उनकी आशाओं पर पानी फेर देना चाहता है ? (मुझे तो सन्देह है कि वह कुछ घंटे भी स्वतन्त्र रह पायेगा) उसने उत्तर दिया कि उसका भी यही ख्याल है । मैने कहा कि तो फिर वह यह सब किसके लिए करना चाहता है ।

इसके बाद फिर वह बड़ी देर तक चुप रहा । अन्त मे मैने पूछा कि उसका इस सम्बन्ध में क्या अनुमान है कि उसे यहाँ कितने दिनों तक रहना पड़ेगा ? उसने उत्तर दिया, "बीस या तीस महीने तक" मैने कहा कि क्या इस छोटी अवधि को पार करना उसके लिए कठिन है जब कि रिहा होने के बाद अपने परिवार के साथ रहने के लिए उसकी पूरी जिन्दगी उसके सामने है । उसने स्वीकारात्मक उत्तर दिया, पर यह भी कहा कि उसे भय होता है कि उसे यहाँ अधिक रहना पड़ा तो वह "टूट जायगा", पागल हो जायेगा और उसे राजकीय मानसिक अस्पताल में बन्द कर दिया जायेगा । उसे तो अगली बार वर्गीकरण-समिति के सामने उपस्थित होने की बात से ही डर लग रहा है । यह भी एक ऐसी बात है जिसके बारे में वह बहुत अधिक सोचा करता है ।

करीब एक घंटे से मैं उससे बातें कर रहा था, पर एक बार भी उसने मुझसे आँखें नहीं मिलायीं, न हँसा ही; यदि मुस्कराने की कोशिश भी की तो वह जबरदस्ती और विवशता की मुस्कराहट थी । ऐसा लग रहा था कि पिछले सप्ताह अपनी पत्नी से मिलने के बाद वह जिस आनन्दमय मनःस्थिति में था, किन्ही भावात्मक कारणों से वह बिलकुल उल्टी हो गयी थी । वह चुप इसलिए हो गया था कि मै ही बातचीत शुरू करूँ । अतः मैने उसे याद दिलाया कि अभी कुछ देर पहले वह वर्गीकरण-समिति से मिलने की बात कर रहा था । उसने सिर हिलाया, पर मुँह से कुछ नहीं कहा । मैने उससे कहा, "चक, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो अप्रैल में यहाँ से भागने की बात सोचते हो उसका एक कारण यह भी है कि उसी महीने में वर्गीकरण-समिति की बैठक होने वाली है और तुम उसका

सामना करने से डरते हो ।" उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है । केवल अपनी पत्नी और बच्ची के पास जाने के लिए ही वह भागने की बात सोचता है ।

उसने बताया कि किन व्यंग्यपूर्ण परिस्थितियों में वह गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया था । उसने अपने परिवार के साथ रहने तथा जेल के बाहर जाने की अपनी इच्छा,जुर्माना अदा करने के लिए धन की आवश्यकता होने पर डाका डालने की घटना तथा अपनी गिरफ्तारी और सजा आदि के बारे में ब्योरेवार बताया । उसने यह भी बताया कि पिछली बार जब उसे कारावकाश-मुक्ति मिली थी तो उस समय अपने घर में उसने जो बन्दूक छिपा रखी थी उसे उसकी दादी ने कारावकाश-मुक्ति-अधिकारी को दे दिया और इसी भय से वह अवकाश-मुक्ति-अधीक्षण से भाग निकला था । मैंने उसे बताया कि ये सब बातें प्रमाणित करती हैं कि भागने का क्या परिणाम होता है । जब मैने उससे पूछा कि वह दुबारा कहाँ गिरफ्तार हुआ और वह क्यों फिर भागकर एक बार और यह खतरा मोल लेना चाहता है, तो इसका उसने कुछ भी उत्तर नही दिया । कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने बताया कि वर्गीकरण-समिति के सामने कुछ महीने पहले जब उसे उपस्थित किया गया तो उस समय उसके साथ कैसा वर्ताव किया गया था । उसने कहा कि समिति के किसी सदस्य ने उससे पूछा था, "तुम्हारे जीवन-वृत्त-अभिलेख से पता चलता है कि तुम बन्दूकें पसन्द करते हो ?" उसने इस सम्बन्ध में अपना यह विचार व्यक्त किया कि दो बार वह कठिनाइयों मे फँसा और संयोग की बात है कि दोनों बार उसे गोली चलाने के अपराध में ही दण्डित किया गया था । उसके अनुसार पहली घटना विवाह के पूर्व और दूसरी विवाह के डेढ़ वर्ष बाद घटित हुई थी । और इन दोनों घटनाओं के बीच के काल में उसका जीवन पूर्णत: "निर्दोष" था । उसने बन्दूक का प्रयोग नही किया और इसी कारण वह किसी कठिनाई में भी नहीं फँसा । उसका यह ख्याल था कि वर्गीकरण-समिति उसके पिछले जीवन-वृत्त-अभिलेख के आधार पर ही अपना निर्णय देगी और यह बात उसकी दृष्टि से न्यायपूर्ण नही है । उसने पूछा कि क्या उसके दण्डित होने के बाद के जीवन-वृत्त पर अथवा उपर्युक्त दोनों घटनाओं के बीच की अवधि के जीवन-वृत्त पर विचार नही होना चाहिए ? मैने कहा कि मेरा ख्याल है कि वर्गीकरण-समिति निर्णय करते समय उसके वर्तमान जीवन-वृत्त-अभिलेख पर भी विचार करेगी । इस सम्बन्ध में इस बात पर भी विचार किया जायेगा कि वह अपने बन्दीकरण और कारावास-जीवन को किस रूप में स्वीकार करता है । उसने दृढ़ता-पूर्वक उत्तर दिया कि जहाँ तक उसे मालूम है इन बातों पर भी विचार किया जायेगा । किन्तु यह भी सही है कि अपने परिवार के साथ रहने के लिए यहाँ से भाग निकलने की अपनी बलवती इच्छा को वह दबा नहीं पाता । और अपनी इस इच्छा की पूर्त्ति के लिए वह कोई भी बलिदान करने को तैयार है ।

इसके बाद फिर वह देर तक चुप्पी साधे रहा और अन्त में बोला कि यदि वह सचमुच मर्द होता और उसमें इतना साहस होता तो निश्चय ही वह अपना जीवन समाप्त कर लेता। मैंने उससे पूछा कि क्या साहसी और जवाँ मर्द व्यक्ति ऐसा ही करता है? उसने स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। मैंने कहा कि यदि वह सचमुच अपनी सभी समस्याओं का हल निकालना चाहता है तो निश्चय ही आत्महत्या सबसे अच्छी चीज है और इसमें विशेष साहस की भी आवश्यकता नही।

उसने कहा, "मै जानता हूँ कि अपनी पत्नी और बच्ची के लिए मेरा यह कर्त्तव्य है कि मै यहाँ रहूँ, अपने समय का सदुपयोग करूँ और नियमानुसार यहाँ से मुक्त होऊँ, किन्तु मै यह भी समझता हूँ कि यदि मुझे बलपूर्वक यहाँ रखा जायेगा तभी मै रह सकूँगा, किन्तु जब भी मुझे निकल भागने का कोई रास्ता सूझेगा, मै भागने की कोशिश करूँगा।" मैंने उससे बताया कि अपनी पत्नी और बच्ची के लिए ही नहीं,बल्कि स्वयं अपने लिए भी उसका यह कर्त्तव्य है कि वह यहाँ रहे। उसे यह दिखा देना चाहिए कि उसमें अपना कर्त्तव्य पूरा करने की क्षमता है और अपने को ऐसा शक्तिसम्पन्न बना लेना चाहिए कि प्रवेश के समय वह जिस रूप में आया था उससे अधिक पूर्ण व्यक्तित्व लेकर यहाँ से जाय। मैंने यह भी कहा, "तुम्हारा कहना है कि हम लोग यहाँ तुम्हें बलपूर्वक रखें, पर हम इसके सिवा और क्या करते हैं? तुम्हें मालूम है कि हम तुम्हारे ही हित की दृष्टि से तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहते।" इसका उसने कुछ उत्तर नही दिया और चुप बैठा रहा। मने फिर पूछा कि वह जो भी कदम उठायेगा वह सफल ही होगा इसका उसके पास क्या प्रमाण है? वह भागकर जहाँ भी जायेगा वही से उसे गिरफ्तार किया जायेगा अथवा भागने की कोशिश करने पर गोली मार दी जायेगी। इसके उत्तर में उसने कहा, "यहाँ से भाग निकलने का उपाय मेरे पास है। यदि मैं चाहूँ तो आज रात को ही भाग सकता हूँ।" इस पर मैंने कहा कि फिर वह कोशिश कर देख क्यों नही लेता? उसने इसका यह उत्तर दिया कि वस्तुतः वह भागना चाहता भी है और नहीं भी भागना चाहता। पर वह अभी यहाँ से बाहर नही जाना चाहता, जब भी वह यहाँ से जायेगा वह इस बात का ख्याल रखेगा कि उसके भागने का उद्देश्य पूरा हो, इसी कारण वह अप्रैल की प्रतीक्षा कर रहा है और यदि भागना ही हुआ तो उसी समय भागेगा। उसने कहा, "इस समय यदि आप फाटक खोलकर मेरी ओर से मुँह फेर लीजियेगा तो भी मैं यहाँ से नहीं भागूँगा। क्योंकि इस समय भागने का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। इससे मेरा कोई लाभ नहीं हो सकता है।" मैंने उससे आग्रह किया कि वह इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे कि अप्रैल में ही भागने से उसे कौन-सा लाभ हो जायेगा। फिर मैंने अपना वही पहले वाला प्रश्न दुहराया जिसका उसने कोई उत्तर नहीं दिया था, "यदि तुम्हें यह पता लगे कि तुम्हारे

भाग निकलने का कोई उपाय नही है और अब यहाँ रहने के सिवा कोई चारा नहीं है तो उस समय क्या करोगे ?" मै उसके उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा । वह उत्तेजित और निश्चयात्मक दिखलाई पड़ रहा था । फिर उसने मेरी ओर आँखें सीधी करके देखा, मानो कुछ कहना चाहता था, पर यह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे कहे अथवा कहे भी या नहीं । तब मैने फिर कहा, "चक, देखो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ तुमने बताया है वह गुप्त रहे; संस्था में उसकी खबर फैलने न पाये ।" इस पर वह अकस्मात् फट पड़ा और मानो अपनी बात कह कर उसका चित्त हलका हो गया; —"मैने एक दाँतेदार आरी छिपा रखी है ।" मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ, किन्तु मैं शान्त बैठा रहा और बिना कुछ कहे उसकी ओर देखता रहा । मैंने देखा कि वह हँस तो नही रहा था, किन्तु उसका चित्त जैसे हल्का हो गया था और आन्तरिक उत्तेजना समाप्त हो गयी थी । इसके बाद उसने फिर धीरे-धीरे कहना शुरू किया, "मै जब चाहूँ इस आरी का प्रयोग कर सकता हूँ, किन्तु ऐसा करने में मुझे बड़ा डर लगता है । इसी कारण मे यहाँ अधिक से अधिक दिनों तक पड़ा रहना चाहता हूँ और जिस दिन यहाँ रहना असम्भव हो जायेगा मुझे उस आरी का प्रयोग कर यहाँ से भागना ही पड़ेगा ।" उसने यह भी बताया कि इस आरी के कारण उसके मन को बड़ा सहारा मिलता है क्योंकि इससे उसके मन में यह विश्वास रहता है कि वह जब चाहे यहाँ से भाग निकलेगा । फिर उसने तुरन्त ही कहा कि उसने आरी छिपाकर रखी है और कोई नही जानता कि वह कहाँ रखी है । यद्यपि कुछ आदमी उस खण्ड में ऐसे हैं जो उसके भागने की योजना को जानते है ।

मैने उससे आश्चर्य से पूछा कि क्या कोई और व्यक्ति भी उसके इस षड्यन्त्र में शामिल है ? उसने बताया कि उसके अलावे और ५ व्यक्ति ऐसे है जो साथ-साथ भागने की योजना बना रहे है । मैने उससे पूछा कि उन लोगों को कैसे मालूम हुआ कि उसके पास आरी है और क्या उनको भी नही मालूम है कि वह आरी कहाँ छिपायी गयी है ? उसने कहा कि केवल एक बार विश्वास दिलाने के लिए उसने उनमें से कुछ को वह आरी दिखायी थी । मैने फिर पूछा कि वे सभी आवास-खण्ड बी–१ में रहते है ? उसने कहा कि हाँ, ऐसी ही बात है ।

आखिर वह आरी तथा भाग निकलने की तैयारी करने वाले व्यक्तियों तथा अन्य बातों के बारे में यह सब जानकारी मुझे क्यों दे रहा था ? यह पूछने पर उसने कहा कि उसका ख्याल था कि यह सब मुझे बता देने पर उसकी तबीयत हलकी हो जायगी । मैंने पूछा कि यह सब कह लेने पर उसकी तबीयत अब हलकी हो गयी या नहीं ? उसने कहा कि, हाँ, पहले से उसका मन अब हलका हो गया है । मैने पूछा कि क्या यह भी बतायेगा कि आरी कहाँ रखी है ? उसने कहा कि नहीं, क्योंकि आरी अपने पास रहने की भावना

से उसे बड़ा सुख मिलता है । मैंने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, "हो सकता है कि इस बात से तुम्हें और भी सुख मिले कि अब तुम्हारे प्रयोग के लिए वह आरी तुम्हारे पास नहीं है ।" मैंने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि उस आरी के कारण ही उसके मन में द्वन्द्व मचा हुआ है, वह उसका प्रयोग करना चाहता है, पर जानता है कि यदि वह ऐसा करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा ? मैंने उसे राय दी कि वह आरी की बात बता दे क्योंकि आरी के उसके पास से चले जाने पर उसका मन और भी हलका हो जायेगा और तब वह शान्त होकर यहाँ रह सकेगा । उसने भी यह स्वीकार किया कि इससे उसकी तबीयत और हलकी हो जायेगी । मैंने फिर पूछा कि क्या वह मुझे बताना चाहता है कि आरी कहाँ है ? उसने इसका नकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि यदि वह अप्रैल में नही भाग सका तो बाद में भी आरी पास रहने पर भागने में सहायता मिलेगी । यदि उस समय भी उसे ऐसा लगेगा कि अब यहाँ रहना उसके लिए असम्भव है, तो फिर वह आरी का प्रयोग करेगा । इस बारे में वह निश्चायत्मक रूप में कुछ नही जानता था कि वर्गीकरण-समिति उसके बारे में क्या निर्णय करेगी । यदि उसे बहुत दिनों तक यहाँ रखने का निर्णय किया गया तो यह निश्चित है कि बाहरी जगत् में पहुँचने के लिए वह अपना निर्दिष्ट समय पूरा होने के पहले ही आरी का प्रयोग करके यहाँ से भाग निकलेगा । पर अभी वह ऐसा करने से डरता है । मैंने उसे स्पष्ट बता दिया कि आरी का भय दिखाना व्यर्थ है क्योंकि मै इस भय के कारण सौदाबाजी करने को तैयार नही हूँ और यदि वह मुझे दे देगा तो भी मै निश्चित वादा नहीं कर सकता कि उसे जल्दी ही यहाँ से रिहा कर दिया जायेगा । फिर भी मैंने उससे पूछा कि वह कितने दिनों तक यहाँ रह कर अपने को बिलकुल ठीक कर लेगा ? उसने चट उत्तर दिया, "२० मास, या ३० मास भी हो सकता है, पर ३० मास बहुत अधिक हो जायेगा ।" उसने कहा कि वह भी जानता है कि मैं सौदाबाजी नही करूँगा, पर उसने इसके लिए वे बातें मुझे नहीं बतायी हैं, उसने तो केवल इसलिए यह सब बताया है कि मै मैं भी जान जाऊँ ।

इसके बाद उसने बताया कि पाँच और व्यक्तियों को उसने इस षड्यन्त्र में क्यों सम्मिलित किया । उसने सोचा था कि एक दल बनाकर यह काम करने में उसे सफलता मिलने की अधिक सम्भावना है । दल के साथ रहने पर खिड़की काटते या भागते समय उसे गोली लगने की आशंका कम रहेगी और इस अर्थ में वह अन्य व्यक्तियो को वस्तुतः अपने "स्वार्थ-साधन का अस्त्र" बना रहा है; वह केवल उन्हें फँसाये हुए है क्योंकि ज्यों ही वे लोग बाहर हो जायेंगे, वह उन्हें छोड़ देगा । उनके सम्बन्ध में उसने यह बताया कि वे सभी क्षुद्र और हताश व्यक्ति हैं जो यहाँ बहुत दिनों से पड़े हुए हैं । मैंने उससे इस बात की बाजी लगायी कि इस षड्यन्त्र द्वारा उनका उतना नुकसान नही होगा जितना स्वयं

उसका होगा । मैंने उससे कहा, "तुम्हारा तो परिवार है, क्या उन लोगों के भी परिवार हैं ?" इसके उत्तर में उसने कहा, "नहीं, उनका कोई नहीं है ।" मैंने पूछा कि क्या उसकी पत्नी जानती है कि उसके पास आरी है ? उसने उत्तर दिया कि वह उसके बारे में नहीं जानती और शायद जान लेने पर वह उसे बिलकुल पसन्द नही करेगी । मैंने उससे इस सम्बन्ध में कुछ देर तक बातें की कि आरी का प्रयोग करके भाग निकलने का उसकी पत्नी और बच्ची पर क्या प्रभाव पड़ेगा । उस हालत में वे उसके साथ यात्रा नहीं कर पायेंगे, और उसको अपने परिवार के साथ अपने घर में नहीं रहने दिया जायेगा । इन बातों को सुन कर और क्षण भर तक उन पर विचार कर लेने के बाद उसने निर्णय किया कि वह इस विषय पर अपनी पत्नी से विचार-विमर्श करेगा और यह भी जानना चाहेगा कि विवाह की वर्षगाँठ पर उसकी उपस्थिति के सम्बन्ध में उसकी पत्नी की क्या राय है । वह जो कुछ कहेगी उसीके आधार पर वह अपना निर्णय बाद में मुझे बतायेगा और यह भी बता देगा कि वह आरी कहाँ रखी है । पर वह मुझको वह आरी नही देगा क्योंकि तब उस पर उसका नाम लिखा दिया जायेगा । अधिक से अधिक वह इतना ही करेगा कि यह बता दे कि वह कहाँ मिलेगी । उसका ख्याल था कि यदि वह अपने हाथ से उसको वह आरी देगा तो उसे कोई न कोई दण्ड मिलेगा । उसने यह भी स्पष्ट बता दिया कि तलाशी लेने पर वह आरी नही पायी जा सकती और न तो उसे तालाबन्दी में रख कर ही उसको पाया जा सकेगा ।

मैंने उससे कहा कि यह सब बता देने के कारण मैं उसका आदर करने लगा हूँ । फिर मैंने बताया कि अब जब कि ये बातें मुझे मालूम हो गयी है, तो इसका उसके मामले पर क्या प्रभाव पड़ेगा । अतः अच्छा यही होगा कि वह चारों ओर से तभी सुरक्षित रह सकेगा यदि वह अपनी आरी मुझे धीरे से दे दे । यह सुन कर वह फिर चुप हो गया । कुछ देर बाद वह बोला कि वह इस प्रश्न पर और भी सोच-विचार करेगा और अपनी पत्नी से भी राय लेगा और उसके बाद हो सकता है कि वह बता दे कि आरी कहाँ रखी है । इसके बाद हम दोनों चुप हो गये । फिर उसने कहा, "अच्छी बात है, मैं इस पर और भी सोचूँगा, जरूर सोचूँगा और उसके बाद हम लोग इस सम्बन्ध में और भी बातें करेंगे ।" अन्त में यह निश्चित हुआ कि मार्च की पहली तारीख को हम लोग फिर मिलेंगे ।

इस साक्षात्कार में उक्त छात्र-सामाजिक-कार्यकर्ता को जिस गम्भीर और जटिल समस्या का सामना करना पड़ा वह बड़े-से-बड़े अनुभवी कार्यकर्ता को भी हतबुद्धि कर देने वाली थी । कार्यकर्ता और संवासी के बीच एकान्त में विश्वासपूर्ण साक्षात्कार के दौरान में एक ऐसी समस्या का उद्घाटन हुआ जिससे पूरी संस्था की सुरक्षा के खतरे में पडने की आशंका थी । ऐसी स्थिति में उस कार्यकर्ता का क्या कर्त्तव्य था ?

उसके मस्तिष्क में कई प्रश्न बिजली की तरह कौंध उठे । कहीं यह गुमराह अपराधी

वैयक्तिक-सेवा कार्य के मूल में निहित वैयक्तिक विश्वास की परीक्षा लने के लिए उसके साथ चाल तो नही चल रहा था ? यदि यह बात हुई तो क्या कार्यकर्ता द्वारा संस्था के अधिकारियों को इस बात की सूचना मिल जाने के परिणामस्वरूप कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वह संवासी इसे कार्यकर्ता का विश्वासघातपूर्ण कार्य समझ कर उससे कोई सम्बन्ध ही न रखे और भविष्य में उससे कोई भी सहायता लेना अस्वीकार कर दे ?

और यदि यह चकमा नही था, सही बात थी तो क्या उस कार्यार्थी के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई नही की जायगी और इसके लिए कार्यार्थी सारा दोष कार्यकर्ता को ही देगा कि उसने उसके साथ विश्वासघात करके उसे दण्ड दिलाया है । उस हालत में क्या चक मार्गन अथवा संस्था का कोई भी अन्य संवासी फिर कभी उसका विश्वास करेगा ? तब क्या संवासियों की बोल-चाल की पारिभाषिक शब्दावली में उसे "चहा" और "मुखबिर" कह कर नही पुकारा जायेगा ?

सम्भवत: ऐसा बहुत कम होता है कि एक छात्र-सामाजिक-कार्यकर्ता को अपनी वृत्तिक-शिक्षा के काल में इतनी जल्दी नाटकीय ढंग से उस मौलिक सिद्धान्त का सामना करना पड़ जाय जो वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य के पेशे को अन्य सहायता-सम्बन्धी वृत्तियों या पेशों से अलग करके उसको एक विशिष्ट रूप प्रदान करता है । वह सिद्धान्त यह है कि 'सामाजिक अभिकरण' सहायता-प्रक्रिया का एक घटक मात्र है । केनेथ प्रे ने अप्रैल सन् १९४७ के 'राष्ट्रीय सामाजिक कार्य-सम्मेलन' के अधिवेशन में पढे गये अपने निबन्ध 'ए रीस्टेटमेण्ट आफ द जेनेरिक प्रिन्सिपुल्स आफ सोशल केसवर्क प्रैक्टिस" में उक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन इस प्रकार किया है—

"वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य सेवा और सहायता की एक ऐसी पद्धति है जो उपचारात्मक पद्धति से भिन्न है और सेवार्थी जिसमें स्वयं भाग लेकर लाभान्वित होते है और जिसका नियंत्रण सामाजिक कार्यकर्ता करता है । इस पद्धति की सार्थकता और महत्त्व से सम्बन्धित कार्यात्मक सिद्धान्त की अभिव्यक्ति एक अन्य निर्णायात्मक और विशिष्ट सिद्धान्त द्वारा होती है । यह पद्धति जिस सम्बन्ध के रूप में प्रतिफलित होती है वह केवल व्यक्ति और व्यक्ति का नपा-तुला सम्बन्ध नहीं है जो सेवार्थी जीवन के अन्य अनुभव क्षेत्रों में स्थापित करता है । अन्य क्षेत्रों के सम्बन्धो से इस सम्बन्ध की भिन्नता यह है कि इसमें एक नवीन गत्यात्मकता होती है और इसकी विशेषता यह है कि यदि कार्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है और सहायता मिलने पर यदि वह उसका उचित उपयोग करना चाहता है तो कुछ-न-कुछ समझौता करना होगा, अपनी यथार्थ स्थिति को स्वीकार करना होगा और अपने ऊपर नियंत्रण करना होगा । वह भिन्नता उस अभिकरण के कारण है जिसका प्रतिनिधित्व सामाजिक कार्यकर्ता करता है । वह अभिकरण एक स्थिर और स्थायी

संघटन होता है जो कार्यकर्ता और सेवार्थी के सम्बन्धों को नियंत्रित करता तथा ऐसी सीमाएँ निर्धारित करता है जिनके भीतर ही कार्यकर्ता को अपना कार्य करना पड़ता है और जिनको दृष्टि में रख कर ही कार्यार्थी अपनी आवश्यकता, संकल्प-शक्ति और क्षमता का निश्चय और निर्धारण करता है। इस पद्धति में कार्यकर्ता कोई भी 'अन्य व्यक्ति' नही होता जो सेवार्थी के परस्पर विरोधी हितों और भ्रमात्मक आवेगों की जटिल भूल-भुलैयाँ से उत्पन्न हर एक आवश्यकता या उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजी हो जाता, तत्पर रहता या उसके लिए अपने को सक्षम पाता है। साथ ही वह कार्यार्थी की समस्याओं और आवश्यकताओं के सम्बन्ध में उसके आवेगों तथा उन आवेगों पर अंकुश लगाने वाले तत्त्वों के बीच निरंकुश, निर्णायक की भाँति झगड़ा निपटाने तथा अपनी वैयक्तिक रुचि वाली शर्तों को कार्यार्थी पर लाद कर अपने ढंग से उसकी सहायता करने का प्रयत्न भी नहीं करता है।

वह एक ऐसे अभिकरण का प्रतिनिधि होता है जो स्वयं उस स्थिर सामाजिक वास्तविकता का एक अंग है जिसके बीच कार्यार्थी को अपनी समस्या का सन्तोषपूर्ण हल खोजना पड़ता तथा अपने जीवन का सामंजस्य स्थिर करना पड़ता है।....कोई विशेष कार्यकर्ता रहे चाहे चला जाय, पर अभिकरण तो वहाँ स्थायी रूप से अपना काम करता रहता है और उसके कार्यों की मूल प्रकृति और नीति भी वैसी ही बनी रहती है।"

वह छात्र-कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह जानता था। यद्यपि उक्त सिद्धान्त-सम्बन्धी परीक्षा में उसको इस तरह आकस्मिक रूप से पड़ जाना पड़ा कि वह घबरा उठा था, पर उसने यह सोचा कि यदि वह अपने को अपने अभिकरण से भिन्न एक स्वतंत्र व्यक्ति समझेगा तो फिर इस सुधारालय में काम नही कर सकेगा। इस कारण तत्काल उसने अपने निरीक्षक से विचार-विमर्श करने के लिए समय माँगा और फिर उससे मिलकर उसको चक मार्गन से सम्बन्धित सारी बातें बता दी।

निरीक्षक ने ये सारी बातें निरीक्षण-सहायक को बतायी। अन्त में उच्च अधिकारियों ने यह सुझाव दिया कि वह छात्र-कार्यकर्ता चक मार्गन से मिलकर उसे स्पष्ट शब्दों में बता दे कि यदि वह अपने पास आरी रखने का दावा करता है तो यह बात सत्य प्रमाणित होने पर उसके क्या परिणाम होंगे, तथा उसे किन-किन कठिनाइयों में फँसना होगा। यह भी निश्चय किया गया कि उससे आरी माँगी जाय। यदि वह उसे कार्यकर्ता को दे देता है तो बात वही खत्म हो जायगी। यदि वह खुशी से नही देगा तो अभिरक्षण-दल को तलाशी लेनी पड़ेगी और फिर उससे सम्बन्धित जो भी अनुशासनिक कार्रवाई होती है, सब की जायेगी। सुधारात्मक संस्था में निषिद्ध वस्तुओं में सबसे अधिक वर्जित दाँतेदार आरी ही मानी जाती है।

"२५ फरवरी---चूँकि मेरे अधीक्षक का यह ख्याल था कि यह समस्या इतनी गम्भीर और तात्कालिक थी कि इसे १ मार्च तक टाला नही जा सकता जब तक चक मार्गन से मिलने की बात तय हुई थी, अतः मैंने चक मार्गन को प्रवेश-पत्र भेज कर आज प्रातःकाल मिलने के लिए बुलवाया। वह मुझसे सभा-भवन (हाल) में ठीक समय पर मिला। वह यद्यपि उस विषय पर इतनी जल्दी मुझसे बात करने को उत्सुक नहीं था, फिर भी राजी हो गया। मैंने उससे पूछा कि क्या वह बता सकता है कि मैंने आज उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया है ? उसने मुस्कराते हुए कहा कि हाँ, वह जानता है कि उसे किस विषय पर बात करने के लिए बुलाया गया है। मैंने कहा कि पिछले मंगलवार को उसने मुझको जो बातें बतायी थी मै उन बातों के बारे में तथा उसके बारे में तभी से सोचता रहा हूँ। मैंने यह भी कहा कि मेरा विश्वास करके उसने मुझसे जो बातें बतायी हैं उनके सम्बन्ध में मै अपना उत्तरदायित्व भली-भाँति समझता हूँ। इसी कारण उस विषय पर फिर बातें करना आवश्यक समझता हूँ। वह अच्छी तरह समझ रहा था कि मैं किस बात की ओर इशारा कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसने स्वयं इस विषय पर खूब सोच-विचार कर लिया है या नही ? उसने कहा कि हाँ, उसने सोचा है विशेष कर पिछली रात उसने इस विषय पर बहुत अधिक विचार किया है। मैंने पूछा कि क्या उसे इस बात का पछतावा हो रहा है कि उसने जो कुछ किया है उसकी सूचना उसने मुझे क्यों दे दी ? उसने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि उसने समझ-बूझ कर मुझसे वे बातें बतायी थी और वैसा करने के बाद अब वह बहुत ही शान्ति का अनुभव कर रहा था।

मैंने उससे पूछा कि उसे वह दाँतेदार आरी कहाँ मिली थी और क्या वह समूची आरी थी या केवल उसका फलक उसके पास था ? उसने बताया कि उसके पास केवल आरी का फलक था, जो उसे संस्था के भीतर ही मिल गया था। मैंने पूछा कि क्या वह इस संस्था की आरी थी ? उसने कहा कि सम्भवतः यही की थी, पर इस विषय में वह निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसको वह एक अन्य व्यक्ति से मिली थी जिससे उसने बलपूर्वक उसे छीन लिया था। मैंने उससे पूछा "आखिर उस व्यक्ति ने उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया या अधिकारियों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी कि तुम्हारे पास एक आरी है।" उसने कहा, "केवल इसलिए कि वह आरी का फलक मात्र है और सूचना देने पर उसकी गर्दन भी नप सकती है। हम दोनों कैदी हैं। अतः मेरे विरुद्ध कही बात उस पर भी लागू होगी।" मैंने पूछा कि क्या वह व्यक्ति भी उन पाँच व्यक्तियों में से ही कोई है जिन्होंने उसके साथ भागने की योजना बनायी थी। उसने स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। मैंने कहा कि क्या वह अब भी आरी को अपने पास रखना चाहता है ? क्षण भर चुप रह कर उसने कहा कि अभी तो वह यही सोचता है कि वह उसे अपने

पास ही रखेगा, क्योंकि वही उसकी समस्या का समाधान है और वह उसका प्रयोग न भी करे तो भी केवल यह सोच कर ही कि उसके पास एक आरी है, उसको बड़ा बल मिलता है। मैंने उससे फिर कहा कि मेरा विश्वास करके उसने मुझे जो बातें बतायी हैं उनके प्रति मैं अपनी जिम्मेदारी का गम्भीरतापूर्वक अनुभव करता हूँ। मैंने यह भी पूछा कि मैंने वे बातें किसी और व्यक्ति से बता दी हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में उसका क्या अनुमान है ? उसने कहा कि अभी उसे तालेबन्दी में नही रखा गया है और उसके बिस्तर और कमरे की तलाशी नहीं ली गयी है, इससे उसका अनुमान है कि मैंने वे बातें अभी किसी से नही बतायी हैं।

मैंने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि वह आरी ही उसकी तमाम चिन्ताओं का कारण है क्योंकि वह जानता है कि उसके कारण उसका कोई लाभ नही होने वाला है। वस्तुतः उस आरी की सहायता से उसे जो कुछ मिलेगा, बुरा ही होगा। मैंने अन्त में पूछा कि आखिर वह उसे इतना महत्त्व क्यों देता है, उसे दे क्यों नहीं देता ? उसने उत्तर दिया है कि वही तो उसके पास एक ऐसी वस्तु है जिसका उसे भरोसा है और जिस दिन यहाँ रहना उसके लिए असह्य हो जायगा उस समय वही एक ऐसा अस्त्र है जो उसके काम आयेगा। जब भी वह किसी परीशानी में पड़ेगा या किसी परीशानी की आशंका होगी तो वह उसका इस्तेमाल करेगा। मैंने पूछा कि क्या वह उसे अपनी सुरक्षा का कवच समझता है ? उसने कहा, 'बिलकुल यही बात है।" मैंने कहा कि भले ही ऊपर-ऊपर सुरक्षा-कवच प्रतीत होती हो, पर वास्तविकता यह है कि वह सुरक्षा-कवच का धोखा मात्र है। अन्तिम परिणाम की दृष्टि से उस आरी का क्या महत्त्व है ? यह तो वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए बन्दूक अपने हाथ में रखे, पर बाद में पता चले कि वह तो अपनी ही बन्दूक के कारण परीशानियों में फँस गया है। यह ऐसी बैसाखी नही है जिसके सहारे टिका जा सकता है क्योंकि वह तनिक भी विश्वसनीय नहीं है। मैंने उसे याद दिलायी कि पिछली बार उसने कहा था कि उसके विवाह और सन्तान की उत्पत्ति के दिन उसके जीवन के सबसे महत्त्वपूर्ण दिन हैं। मैंने कहा कि यदि वह आज आरी दे देता है तो यह दिन उसके जीवन का तीसरा सबसे महत्त्वपूर्ण दिन हो जायेगा क्योंकि उसका त्याग कर देने से उसे जीवन भर भयपूर्ण स्थिति में रह कर भागते रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तब वह देखेगा कि उसमें इतना पौरुष है कि वह यहाँ की कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ रुका रह सकता है।

वह बड़ी देर तक चुप रहा। उसके जबड़े भिचे हुए थे, पर कभी-कभी जब वह अपने हाथों की ओर देखता तो किचकिचाता हुआ दाँतों को रगड़ता भी था। कई बार धीरे-धीरे उसने अपना हाथ इस तरह हिलाया मानो वह मुझे हाथ के इशारे से अस्वीकारात्मक

उत्तर दे रहा था अथवा अपने से ही बात कर रहा था । मैं भी चुप बैठा रहा । अन्त में उसने मेरी ओर देखा और कहा, "यह बड़ा कठिन काम है ।" मैंने भी उसकी बात स्वीकार की और कहा कि सम्भवतः इस विषय का निर्णय करने में उसे जितनी कठिनाई हो रही है उतनी उसके जीवन में कभी नहीं हुई होगी, पर साथ ही यह निर्णय उसके जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय भी है । उसने कहा, "मैं चाहता तो हूँ, सचमुच मैं चाहता हूँ कि आरी दे दूँ, पर जाने क्यों मैं ऐसा कर नही सकता, कम से कम अभी उसे नहीं दे सकता ।"

उसने दृढ़तापूर्वक कहा कि उसके मन में तो यह इच्छा है कि वह अभी यहाँ से सीधे जाकर आरी का फलक ले आये और मेरे हाथ में दे दे, पर वह ऐसा कर नही सकता । मैंने इसका कारण पूछते हुए कहा कि कौन-सी ऐसी बात है जो उसे ऐसा करने से रोक रही है और वह उस बात को इतना महत्त्व क्यों दे रहा है ? उसे जो करना है: वह अभी से क्यों नहीं शुरू कर देता और अपने सम्बन्ध में स्वयं ही निर्णय क्यों नहीं करता ? यदि वह ऐसा करना प्रारम्भ कर देगा तो शुरू में तो उसे कठिनाई अवश्य होगी, पर बाद में उसको अपने इस कठिन श्रम का फल मिलेगा और जब वह यह अनुभव करेगा कि उसने एक पौरुष और साहस भरा कार्य किया है तो उसे अत्यधिक सन्तोष होगा ।

मैंने उसे विश्वास दिलाया कि यदि वह आरी मुझे दे देगा तो मैं उसकी समस्याओं को सुलझाने में कन्धे से कन्धा मिला कर उसके साथ सहयोग करूँगा; अभी तो सम्भवतः मैं उसके लिए कुछ भी नही कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच में यह आरी एक भारी अड़ंगा बनी हुई है । जब वह उसे दे देगा तभी हम उसकी समस्या को सुलझाने के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं क्योंकि वह आरी ही उसे यह बात नहीं स्वीकार करने देती कि वह यहाँ है और उसे अपने हित के लिए अभी यहीं रहना चाहिए । यदि वह वास्तविकता को ध्यान में रख कर पहले इस समस्या को हल कर लेगा तभी उसकी अन्य समस्याएं सुलझायी जा सकेंगी । उसने मेरी इन बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया । मैंने उसे फिर सुझाया कि इस समय यह आरी ही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी क्योंकि वह अधिकतर उसी के कारण चिन्तित रहा करता था । यदि उसने यह न सोचा होता कि मैं इस मामले में उसकी कुछ सहायता कर सकता हूँ तो उसने यह बात मुझे बतायी ही न होती । फिर मैंने स्पष्ट शब्दो में कहा, "लेकिन मैं तो इस समस्या में उलझ गया हूँ । आखिर जब तक हम इस उलझन को, जो वस्तुतः तुम्हें परेशान कर रही है, सुलझा नही लेते तब तक हम दोनों मिलकर भी क्या कर सकते हैं ?" इसके उत्तर में उसने कहा कि वह इसके लिए तैयार नहीं है, कम से कम इस क्षण तो बिलकुल तैयार नहीं है ।

मैंने कहा कि मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि आखिर उसने आरी वाली बात मुझसे क्यों बतायी, क्या वह नहीं जानता था कि वह खबर जानकर मैं क्या करूँगा ? उसने

मेरी ओर देखा और स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। मैंने कहा, "अच्छा अब बताओ तुम क्या सोचते हो ? मुझे तुम्हारे सम्बन्ध में क्या करना चाहिए ?" वह अब भी मेरी ओर देख रहा था और उसकी आँखों में प्रार्थना भरी हुई थी। उसने कहा कि उसे अच्छी तरह सोच लेने के लिए दो दिन का समय और मिलना चाहिए। मैंने कहा, "नहीं, कल सबेरे तक बताओ।" उसने उत्तर दिया, "अच्छी बात है।" मैंने फिर पूछा, "तो क्या कल आरी अपने साथ लाओगे ?" उसने कहा कि वह कोशिश करेगा, किन्तु पहले इस सम्बन्ध में अच्छी तरह सोच-विचार करेगा। मैंने कहा, "हो सकता है कि तुम्हारा विचार बदल जाय और तुम रात में ही उसका प्रयोग करने की बात सोचो।" उसने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अभी वह बाहर नही जाना चाहता। मैंने उससे पूछा कि ऐसी हालत में यदि रात में उसके ऊपर पहरा बैठा दिया जाय तो इसे वह बुरा तो नहीं मानेगा ?" उसने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने फिर पूछा कि यदि उसे आत्महत्या करने से बचाने के लिए भी पहरेदार बैठा दिया जाय तो कैसा रहेगा ? उसने कहा कि उसके ख्याल से यह उचित नही होगा क्योंकि तब शायद बाद में उसको मनश्चिकित्सक के पास भेजा जायेगा और फिर हो सकता है कि उसे राजकीय मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाय, कमरे में पहरा बैठाने से लोग सोचेंगे कि वह पागल हो गया है। इस पर मैंने उसको विश्वास दिलाते हुए कहा, "अच्छी बात है, केवल तुम्हारे कमरे के बाहर भागने से रखवाली करने के लिए पहरा बैठाया जायेगा। इसके बाद कल सबेरे मेरा पहला काम यह होगा कि तुमसे मैं मिलूँ।" उसने वादा किया कि वह मिलेगा और अपने साथ वह आरी भी लाने की कोशिश करेगा।"

कार्यकर्ता के लिए यह एक अत्यन्त पेचीदा साक्षात्कार था। सबसे पहली बात तो यह थी कि वह साफ-साफ यह नहीं बताना चाहता था कि वह भी संस्था का एक अंग है। वह बराबर यही पूछता रहा कि यह सूचना पाकर उसे क्या करना चाहिए, जब कि शर्त यह थी कि उसे जो कुछ करना था, वह पहले ही कर चुका था। पहले तो वह अनिश्चय की स्थिति में था, फिर अकस्मात् उसे यह बात सूझी कि वस्तुतः उसके और सेवार्थी के बीच में ऐसा सम्बन्ध, जो कार्यार्थी के लिए सहायक सिद्ध हो, स्थापित होने में वह आरी ही सबसे बड़ी बाधा बन गयी थी। इसी कारण उसने बुद्धिमत्तापूर्ण यह बात कही, "सम्भवतः इसी कारण मैं तुम्हारी अधिक सहायता नहीं कर पाता हूँ कि यह आरी हम दोनों के बीच एक भारी अड़ंगा बन गयी है।"

पूरी समस्या की कुंजी यही बात थी। चक के सामने वह समस्या आयी और वह उसे लेकर कार्यकर्ता के पास इसलिए गया कि वह जानता था कि कार्यकर्ता इस समस्या को सुलझाने में उसकी सहायता करेगा, न कि खुफिया पुलिस की तरह आरी का पता लगाना

शुरू कर देगा । चक की समस्या आरी नही थी, बल्कि इससे भी बड़ी थी । उसकी समस्या का एक पहलू तो यह था कि वह इस तथ्य को स्वीकार ही नहीं करता था कि वह जेल में है । उसका दूसरा पहलू यह था कि वह अपनी पत्नी और उसकी आर्थिक समस्याओं के बारे में बहुत चिन्तित था । इन समस्याओं के सम्बन्ध में कार्यकर्ता उसकी जो सहायता कर सकता था उसके मार्ग में आरी की समस्या बाधक बन गयी थी । अतः कार्यकर्ता ने उसकी इन वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया ।

उस रात अभिरक्षा-दल को सावधान कर दिया गया कि अधिकतम सुरक्षा वाले आवास-खण्ड में किसी के पास एक आरी है । अतः उस आवास-खण्ड में विशेष सतर्कता बरती जाय और चक मार्गन पर विशेष रूप से नजर रखी जाय ।

दूसरे दिन प्रातः काल चक मार्गन का कार्यकर्ता के साथ साक्षात्कार हुआ—

"२६ फरवरी—आज प्रातःकाल जब चक मार्गन मेरे पास आया तो वह विशेष प्रसन्न या उत्फुल्ल नही दिखाई पड़ रहा था । मैने अनुमान किया कि उसके मन में विरोध की भावना थी जिसके दो कारण हो सकते थे, (१) या तो उसे इस बात का पश्चात्ताप था कि उसने आरी वाली बात मुझसे क्यों बतायी और क्यों यह कहा कि वह उसे अपने पास ही रखेगा, (२) अथवा उसे इस बात के लिए पश्चात्ताप था कि उसने यदि कहा ही तो आरी दे देने का निश्चय क्यों किया ? सम्भवतः उसको मेरी इस बात पर आपत्ति थी कि मैंने आरी वाली बात को इस तरह तूल क्यों दे दिया ?

वह चुपचाप आकर बैठ गया । मैने उसका स्वागत करते हुए पूछा कि आज उसकी तबीयत कैसी है ? क्षण भर तो वह मौन रहा फिर घबड़ाहट के स्वर में बड़ी तेजी से बोल उठा, "मैने आरी कल रात में ही दे दी ।" मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ । क्योंकि अभी तक इस बात की सूचना मुझे नहीं मिली थी । मैने उससे पूछा कि क्या बात हुई थी ? उसने कहा, "कल रात कक्ष-अधिकारी ने मेरे कमरे में जाकर मुझसे कहा कि उसे मालूम है कि मेरे पास एक आरी है ।" उसने यह भी बताया कि आरी उस समय उसके कमरे में ही थी और वह जानता था कि तलाशी लेने पर वह मिल जायेगी, इसलिए उसने स्वयं आरी निकाल कर दे दी ।

कुछ देर रुककर मैंने उससे पूछा कि क्या यही वह जगह थी जहाँ वह आरी को हमेशा रखता था ? उसने कहा, "नहीं, मैं उसको एक अन्य सुरक्षित जगह छुपाकर रखता था और कल रात केवल आधा घंटा पहले उसे वहाँ से उठाकर अपने बिस्तर पर लाया था ।" मैने आश्चर्य करते हुए पूछा कि आखिर वह आरी को अपने पास क्यों ले गया ? उसने कहा, "मैंने इस विषय पर काफी सोच-विचार किया और अन्त में यही निश्चय किया था कि आज सबेरे उसे लाकर आपको दे दूंगा । मैंने कहा, "हो सकता है कि रात में तुम्हारा

विचार बदल जाता और तुम "अभी या कभी नहीं" की बात सोचकर उसका इस्तेमाल रात ही में करते ।" उसने दृढ़ता के साथ इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि वस्तुतः उसने निश्चय कर लिया था कि वह इस तरह का कोई दुस्साहसपूर्ण कार्य नहीं करेगा । क्योंकि वह जानता था कि मैंने उसके ऊपर पहरा बैठा दिया था । मैंने कहा कि अब तो मुझे वह जरूर ही "चूहा" समझ रहा होगा ? फिर मैंने पूछा कि क्या उसे इस बात के लिए अफसोस है कि उसने अपना रहस्य मुझे क्यों बताया ? उसने नकारात्मक उत्तर दिया । अब मैंने उसको बताया कि मैंने अधिकारियों को सब बातें बता दी थी क्योंकि मैं उसकी रक्षा के लिए सभी प्रकार के उपाय करना अपना कर्त्तव्य समझता था, मैंने इसलिए भीं ऐसा किया कि मैं चाहता था कि वह यहाँ रहकर अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि जब वह यहाँ से रिहा होने लगे तो उसे समाज के बीच जाने में कोई भय न मालूम हो । मैंने तो कल की बातचीत के बाद यह सोचा था कि आज वह अपनी इच्छा से ही आरी अपने साथ लेता आयेगा । उसने कहा कि वह ऐसा ही करता । इस पर मैंने कहा, "किन्तु तुमने तो पहले ही निर्णय ले लिया और यद्यपि तुमने आरी मुझे न देकर अभिरक्षक को दी, फिर भी तुमने स्वेच्छापूर्वक ही ऐसा किया ।"

इसके बाद बड़ी देर तक हम दोनों चुप रहे । चक अब भी उदास दिखलाई पड़ता था । यद्यपि उसकी विरोधी भावना शायद कुछ कम हो गयी थी,। मैंने उससे पूछा कि अब तो आरी उसके हाथ से निकल चुकी है और वह "बैसाखी" उसके पास नही रह गयी है जिसका उसे भरोसा था, अतः इन तमाम घटनाओं के बारे में उसका क्या ख्याल था ? इसका उत्तर देने के बाद वह एक क्षण तक हिचकिचाया और फिर बोला कि वस्तुतः वह यह रास्ता अपनाकर यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता था और इसी कारण उसने सभी बातें मुझे पहले ही बता दी थीं ।

इतना कहकर वह फिर चुप हो गया । इसके पहले के साक्षात्कारों में वह जितनी बातें करता था उनकी तुलना में आज उसने बहुत कम बातें की । मैंने कोशिश की वह अपने मन की बात व्यक्त करे । इसलिए मैंने कहा कि वह जो कुछ करेगा उसका उसके जीवन के लिए बहुत अधिक महत्त्व होगा, अतः क्या वह इस विषय में अभी बातचीत करना पसन्द करेगा अथवा अभी कुछ समय तक अकेले रहना चाहेगा । उसने कहा कि वह रातभर सोया नहीं है क्योंकि वह पूरी रात पिछली घटनाओं के सम्बन्ध में ही सोचता रहा है ।

उसने बताया कि आरी के कारण वह भयभीत हो उठा था । जिस ढंग से उसे आरी मिली थी उसके कारण भी उसके मन में भय समा गया था । मैंने उससे कहा कि वह अपनी बात और स्पष्ट करे । इसके उत्तर में उसने बताया कि उस आरी की सहायता से वह जाने क्या कर गुजरता, इसी कारण उसे भय हो गया था, यद्यपि वह उसके लिए महत्त्व

की वस्तु थी, फिर भी वह उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी बात समझ रहा हूँ ? मैंने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। उसने फिर कहना शुरू किया, "मेरे आवास-खण्ड का एक व्यक्ति अपने कमरे में इस आरी को निकालकर देख रहा था तभी मैंने उस कमरे में झाँककर पहले-पहले वह आरी देखी। मैंने अपने मित्रों में से एक से कहा कि मै उस कमरे में घुस रहा हूँ तुम उसका दरवाजा बाहर से बन्द कर लो। इसके बाद मैं तेजी से कमरे में घुसा। उस समय उस कमरे में तीन आदमी थे। मैंने उन लोगों से आरी छीन ली और भाग आया। बाद में मैंने जब इस घटना पर विचार किया तो इस बात के कारण मैं अत्यन्त भयभीत हो उठा कि मेरे पास एक आरी है। मैं जानता था कि जिस तरह हताश होकर मैंने वह आरी प्राप्त की है, उससे भी अधिक हताश होकर मै उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ और बाहर जाने का प्रयत्न कर सकता हूँ। मैं यह भी जानता था कि एक बार जब मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा तो फिर जीते-जी मुझे यहाँ कोई नहीं ला सकेगा; किन्तु यह विचार मन में आते ही मैं भय से काँप उठता था। इसी कारण जब मैंने आपको आरी के सम्बन्ध में सूचना दी उसी समय यह निश्चय कर चुका था कि मैं यह आरी दे दूंगा। मैं किसी भी हालत में आरी को अपने पास नहीं रख सकता था। क्योंकि मैं अपनी पत्नी और बच्ची के पास रहने से बढ़कर दुनिया में और किसी वस्तु को महत्त्व नहीं देता और यह काम उस आरी के द्वारा नहीं सिद्ध हो सकता।

मैने उससे पूछा कि क्या वह जानता था कि उस व्यक्ति को वह आरी कहाँ से मिली थी ? उसने उत्तर दिया कि उसे इस विषय में कुछ भी नहीं मालूम है। मैंने फिर पूछा कि उस कमरे में जो तीन व्यक्ति थे क्या वे ही उसके साथ भागने का षड्यन्त्र कर रहे थे ? उसने कहा, "हाँ वही थे।" मैंने कहा कि क्या वह उनका नाम बता सकता है ? उसने इन्कार कर दिया।

वह चुप हो गया। हम दोनों शान्त बैठे रहे। वह बराबर अपने हाथों की ओर देख रहा था। अन्त में उसने कहा, "मैंने आपसे इतना बता दिया, अब मैं जाना चाहता हूँ।"

साक्षात्कार यहीं समाप्त हो गया। बाद में चक मार्गन ने कार्यकर्ता से बताया कि यह अफवाह फैली है कि जिस तरह संस्था में पहले चोरी से आरियाँ लायीं जाती थीं उसी पद्धति से अब बन्दूकें भी लायी जाने वाली हैं। उसकी बातों से स्पष्ट था कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानता था कि बाहर से इस तरह की वस्तुएँ लाने की पद्धति क्या थी ? किन्तु उसका अनुमान था कि यहाँ रहने वालों का बाहर रहने वालों से कुछ सम्पर्क अवश्य है और सुधारालय की चहारदीवारी की किसी खिड़की से ये चीजें भीतर लायी जाती हैं। उसने बताया कि इस अफवाह के कारण वह बहुत भयभीत हो उठा है।

उसके साक्षात्कार का एक अंश नीचे दिया जा रहा है—

"उसने कहा कि उसके हृदय का बोझ अब एकदम हलका हो गया है। मैंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या अब उसकी तबीयत बिलकुल ठीक है? उसने कहा "हाँ, ऐसी ही बात है। किन्तु वे लोग मेरे बारे में अब यह सोचते हैं कि मै मुखबिरी करता हूँ और जब मैं यहाँ आने लगता हूँ तो मेरे ऊपर किताबें फेकते हैं।" मैंने उससे कहा कि मुझे इस सम्बन्ध में कुछ मालूम नहीं है। किन्तु सचमुच यदि ऐसी बात है तो उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आखिरकार स्वेच्छापूर्वक आरी देकर उसने साहस और पौरुषयुक्त कार्य किया था। इसलिए मैंने उसे ढाढ़स बँधाते हुए कहा, "जो कुछ तुमने किया है उसे किसी भी हालत में बुरा नहीं कहा जा सकता। निश्चय ही मैं तुम्हारी ओर से यह लड़ाई लड़ूँगा।" मैंने उसे समझाया कि यहाँ रहना उसके लिए कितना महत्त्वपूर्ण है, यह वह स्वयं जानता है। उसने कहा कि आवास-खण्ड बी–१ को उसने इसीलिए पसन्द किया था कि वहाँ रहना उसके हित में सर्वोत्तम होगा और इसी कारण उसने आरी वाली बात भी मुझे बतायी थी। इस पर मैंने उससे कहा कि चाहे वह जानता हो या न जानता हो, पर यह सत्य है कि वह संस्था के वातावरण में अपने को समायोजित कर रहा है। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसके मामले पर विचार करते समय इस बात की ओर भी ध्यान दिया जायेगा।

मैंने उससे पूछा कि क्या उसे इसका भय था कि इस बात के लिए तुरन्त दण्ड दिया जायेगा? उसने कहा कि उसे इस तरह की कोई आशंका नहीं थी क्योंकि अभिरक्षक ने उससे वादा किया था कि वह उसके विरुद्ध कोई शिकायत नही करेगा। मैंने भी विश्वास दिलाया कि यदि इस सम्बन्ध में कोई भय हो तो उसे मन से निकाल दे क्योंकि उसे कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

बड़ी देर तक हम दोनों मौन रहे। फिर मैंने कहा कि मै जानता हूँ कि तमाम घटनाओं ने उसे बुरी तरह झिझोड़ दिया होगा। अतः मैंने पूछा कि क्या वह इस सम्बन्ध में कुछ और बातें करना चाहेगा अथवा इन सब बातों का उसके जीवन के लिए क्या महत्त्व है, इस बारे में सोचने-समझने के लिए वह अकेले में रहना चाहेगा? उसने कहा कि इस समय उसे अधिक बात करने की इच्छा नहीं है। इस पर मैंने कहा कि हम लोग फिर सोमवार को सबेरे मिलें। उसने कहा, "अच्छी बात है।"

जब वह जाने के लिए उठा तो मेरी ओर घूम कर बोला, "मैंने आपसे जो कुछ कहा है उसे इसके पहले 'और किसी से' नहीं बताया था। मै ये बातें दुबारा नहीं कहूँगा।" मैंने पूछा कि इस वाक्य में 'और किसी व्यक्ति' से उसका अभिप्राय किसी कर्मचारी से है अथवा संस्था में रहने वाले किसी कैदी से है? उसने कहा कि उसका अभिप्राय कर्मचारी-वर्ग से है। अब वह संस्था के किसी अन्य कर्मचारी से इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं करेगा।

मैंने फिर पूछा कि उसका अभिप्राय आरी वाली बात से है या बन्दूक वाली बात से अथवा दोनों से। उसने कहा, "मेरा अभिप्राय दोनों से है और अब मैं इन विषयों के बारे में किसी से कुछ भी बात करना नहीं चाहता।

उसने यह भी कहा कि यह खबर उसके आवास-कक्ष में नहीं पहुँचनी चाहिए क्योंकि वहाँ इससे केवल झगड़ा-लड़ाई होगी और उसका ख्याल था कि झगड़ा-लड़ाई व्यर्थ की बात है। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि यह बात संवासियों में से किसी को नहीं मालूम होने पायेगी; जब उन लोगों को मालूम हो जायेगा कि आरी उसके पास नहीं है तो उसके बाद वह उन लोगों से बता सकता है कि वह अभिरक्षकों को तलाशी में मिल गयी थी। इसके बाद वह चला गया और जाते-जाते कहता गया कि वह अगले सोमवार को फिर मिलेगा।

बाद में, चक से केन्द्र में फिर भेंट हुई, पर वहाँ उसने मेरी ओर देखा तक नहीं और न यही दिखाने की कोशिश की कि वह मुझे पहचानता है।"

चक द्वारा मिली सूचना के परिणाम-स्वरूप संस्था के प्रशासन की ओर से गहरी छान-बीन करायी गयी जिससे यह पता चला कि एक नहीं तीन-तीन आरियाँ सुधारालय में बाहर से मँगायी गयी थीं। आवास - खण्ड बी–१ में रहने वाले एक कैदी के एक रिश्तेदार ने उन्हें चोरी से भेजवाया था। बन्दूकों के सम्बन्ध में इससे अधिक और कुछ पता नहीं चला कि अभी तक एक भी बन्दूक बाहर से छिपा कर नहीं मँगायी जा सकी थी। भागने का षड्यन्त्र करने वाले प्रधान अपराधियों में से एक को राजकीय जेल में भेज दिया गया और दूसरे को एकान्त कोठरी (तनहाई) में बन्द कर दिया गया और उससे बाहरी लोगों के मिलने पर भी रोक लगा दी गयी। अन्य दो आरियों के फलक भी मिल गये। चक को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था।

अगले सप्ताह चक और कार्यकर्ता के बीच तीन बार साक्षात्कार हुआ। इन मुलाकातों में वे दोनों मुख्य रूप से आरी के फलक और बन्दूकों से सम्बन्धित विषय पर ही बातें करते रहे। अतः उन बातों में उन दोनों को भावात्मक दृष्टि से प्रभावित करने वाली ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उनके मन पर स्थायी प्रभाव डालती या अमिट छाप छोड़ जाती।

इन सब बातों का जादुई प्रभाव उस समय भंग हुआ जब संस्था के संवासियों के कारावास-काल के निर्धारण का समय निकट आया। बोर्डेन टाउन में भेजे गये अनिश्चित काल की कैद वाले अपराधियों के कारावास-काल का निर्धारण उनके प्रवेश के ठीक छः महीने बाद होता है। उस समय वर्गीकरण-समिति कैदी की परिस्थिति, उसके अपराध कारावास-जीवन में उसके सामंजस्य, उसके दृष्टिकोण तथा उसके द्वारा संस्था में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग आदि से सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करती और उसके

बाद यह निश्चय करती है कि उस कैदी को कितने समय तक सुधारालय में रखना चाहिए ताकि उस बीच वह व्यक्ति अपने को रिहाई के योग्य बनाने की तैयारी पूरी कर सके। यह मार्च का महीना था और चक को वर्गीकरण-समिति के सामने अप्रैल में उपस्थित होना था। इस बात से चक आतंकित-जैसा हो गया था।

तीन मार्च को उसने इस आशय का एक आवेदन-पत्र दिया कि उसे जेल में भेज दिया जाय। इस सम्बन्ध में उसके साथ जो साक्षात्कार हुआ उसका अभिलिखित विवरण नीचे दिया जा रहा है—

"३ मार्च—उसने मुझसे पूछा कि उसके जेल मे भेजे जाने के सम्बन्ध मे क्या निर्णय होने की सम्भावना है ? मैने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि वह ऐसी बात क्यों पूछ रहा है ? उसने कहा कि उसका ख्याल है कि जेल में अपराधी को निर्धारित समय से कम समय तक ही रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ का जीवन अधिक कष्टमय होता है। मैने उससे पूछा कि यह बात उसने कहाँ सुनी है ? उसने कहा कि यहीं उसके कुछ साथी संवासियों ने बताया है कि ३० – ३६ महीने का कारावास-दण्ड पाने वाले व्यक्ति को जेल में प्रायः १० – १२ महीने कैद की सजा भुगतने के बाद रिहा कर दिया जाता है। मैने उसे बताया कि सुधारालय में रखे जाने की सजा पाने के बाद अब यदि वह जेल में जायेगा तो उसे वहाँ भी उतने ही दिनों तक रहना पड़ेगा जितना यहाँ रहना पड़ता। फिर वहाँ की अवधि यहाँ की उतनी ही अवधि से बहुत अधिक मालूम पड़ेगी। उसने कहा कि उसका ख्याल था कि सम्भवतः वर्गीकरण-समिति द्वारा उसकी सजा की अवधि निश्चित की जाने के पहले ही उसे जेल में भेज दिया जायेगा। वहाँ भी उसे यहाँ की वर्गीकरण-समिति द्वारा निर्धारित कारावास की अवधि को ही माना जायेगा, पर वस्तुतः उसे उस अवधि से कम समय तक ही सजा भुगतनी होगी। उसने बत्तीसी दिखाते हुए कहा "उस समय मुझे कम से कम वर्गीकरण-समिति के सामने तो नहीं जाना पड़ेगा" मैने कहा कि वर्गीकरण-समिति के सामने आने से उसका क्या हो जायगा ? क्या वह सोचता है कि जेल की वर्गीकरण-समिति के सामने जाना यहाँ की अपेक्षा आसान होगा ? दोनों में अन्तर ही क्या है ? उसने कहा कि भले ही अन्तर न हो, पर वहाँ चले जाने से यहाँ की समिति के सामने उसका जाना तो कुछ समय के लिए स्थगित हो जायगा ? और वहाँ पहुँच कर कुछ दिनों बाद वह राहवे सुधारालय में भेज दिये जाने के लिए आवेदन-पत्र दे देगा और यदि वह स्वीकृत हो गया तो फिर वहाँ की वर्गीकरण-समिति के सामने जाने से भी उसकी जान बच जायगी। इस तरह जब तक उसकी कारावास-अवधि का निर्धारण होगा तब तक तो वह १५ महीने की सजा भुगत चुका रहेगा। इसके बाद सजा की जो अवधि बाकी रह जायेगी उसे भुगतना उतना असह्य नही प्रतीत होगा।

उसने यह जानना चाहा कि यदि उसके लिए ३० मास की सजा निर्धारित की गयी तो यहाँ वस्तुतः उसकी जगह कितने महीने की सजा भुगतनी होगी ? फिर उसने विचार करते हुए उत्तर दिया कि छूट की अवधि निकाल देने पर सम्भवतः कुल २६ महीने की सजा भुगतनी होगी । इस सम्बन्ध में उसने फिर पूछा कि अपनी सजा की अवधि के अन्तिम महीनों में सजा में छूट के लिए उसका आवेदन-पत्र देना ठीक होगा और आवेदन-पत्र देने पर क्या उसे छूट मिल जायेगी ? मैंने कहा कि यह तो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वह जब तक यहाँ है तब तक अपने को किस तरह रखता या किस रूप में आत्म-निर्माण करता है तथा उस पर यहाँ रहते हुए अनुशासन की कार्रवाई हुई है या नहीं और यदि हुई है तो कितनी बार ? उसने बताया कि अब वह यहाँ अच्छी तरह रहेगा क्योंकि अब उसे बाहर जाने के लिए भागने का प्रयत्न करना बड़ा ही भयंकर कार्य मालूम पड़ता है ।"

चक मार्गन के उदाहरण से सुधारात्मक संस्थाओं के क्षेत्र में प्रयुक्त इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण हो जाता है कि अपराधी को संस्था से रिहा करने के पूर्व पहले उसको संस्था में ले आना आवश्यक है । संस्था में आने के बाद भी अपराधी प्रायः इस बात का विरोध करते रहते हैं कि वे संस्था में हैं अथवा वे संस्था से लाभ नही उठाना चाहते । कुछ अपराधी यह स्वीकार ही नहीं करते कि उन्होंने कोई अपराध किया है, इस कारण उन्हें बदलने या सुधारने के लिए संस्था द्वारा जो भी प्रयत्न किये जाते हैं, वे उनका विरोध करते हैं । वे सोचते हैं, "मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा जाता, फिर मुझे अपने को बदलने की क्या आवश्यकता है ।" ऐसे लोगों का कारागार में कुछ महीने तक बन्द रहना वैसा ही है जैसे कोई वस्तु बर्फ के अन्दर गहराई तक महीनों दबी रहे । ये व्यक्ति संस्था का भी उसी प्रकार विरोध करते हैं जिस प्रकार अपनी गिरफ्तारी के पूर्व वे समाज के कायदे कानूनों का विरोध करते थे । ऐसे ही व्यक्ति समाज में गड़बड़ी पैदा करते हैं क्योंकि वे अपने ऊपर किसी न्यस्त शक्ति का प्राधिकार नही स्वीकार करना चाहते । कुछ अपराधी तो कैटेटोनिया-जैसी मानसिक स्थिति में पहुँच जाते हैं और संस्था के भीतर उनके जीवन की गति-विधि यान्त्रिक हो जाती है । ऐसे व्यक्ति संस्था की औपचारिक सुविधाओं का इस्तेमाल न करने के कारण निश्चेष्ट या निष्क्रिय होने लगते हैं और अन्त में जब उनकी रिहाई का समय आता है उस समय भावात्मक दुष्पोषण के कारण उनकी इच्छा-शक्ति का बिरवा मुर्झा गया रहता है ।

किन्तु एक और प्रकार के भी कुछ व्यक्ति होते हैं जिसका एक उदाहरण चक मार्गन था । जिस समय वह संस्था में आया, वह यहाँ की गति-विधियों का सामना करने के विचार से ही अवसन्न हो गया था । फलतः वर्गीकरण-समिति के सामने जाकर अपने बारे

में फैसला सुनने से बचने के लिए वह जेल में अपना तबादला कराने के लिए भी तैयार हो गया था। वह वर्गीकरण-समिति और उसके अधिकारों से अकारण भयभीत हो उठा था। मार्च महीने में उसके साथ कई साक्षात्कार किये गये और हर बार उसने वर्गीकरण-समिति तथा अपने कारावकाश-काल-निर्धारण के ही विषय में बातें कीं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर उसका ध्यान नहीं केन्द्रित हो सका। कार्यकर्ता ने उसकी आशंकाओं और भय के सम्बन्ध में काफी बातें कीं, किन्तु चक मार्गन उस वास्तविकता के साथ, जो उसके चारों ओर वर्तमान थी, अपना सामञ्जस्य नहीं स्थिर कर सका।

उसके बाद एक नवीन आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो गयी—

"१९ मार्च—आज प्रातःकाल अपनी मेज की ओर जाते हुए बीच में मैं अधीक्षण-सहायक से मिला। अधीक्षण-सहायक ने मुझे चक का एक पत्र दिखलाया जो उसने पिछली रात अपनी पत्नी के लिए लिखा था। पत्र देते हुए उन्होंने कहा कि इस पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि चक की भावनाएँ इस समय अत्यधिक अवसन्न हैं। उन्होंने यह भी कहा, "चक के बारे में हमें और भी कुछ समाचार मिले हैं जिन्हें सुनकर वह और भी अधिक अवसाद-ग्रस्त हो जायेगा।" उन्होंने बताया कि चक मार्गन की पत्नी का एक पत्र आया था जो उसके पास जाँच के लिए भेजा गया है। उसमें लिखा है कि उसकी पत्नी की घनिष्ठतम मित्र सुसान एक दुर्घटना में मर गयी।

चक ने अपनी पत्नी को जो पत्र लिखा था उसे मैंने पढ़ा। यह बहुत ही भावुकतापूर्ण पत्र था और उसकी शैली बहुत अच्छी थी। उसने पत्र में लिखा था कि पिछले रविवार को उसकी पत्नी उससे मिलने नहीं आयी जिससे उसे बहुत निराशा हुई। उसने अपनी पत्नी से यह भी आग्रह किया था कि वह अपना तथा बच्चों का समाचार लिखे। उसने अपने इस भय की भी चर्चा की थी कि वर्गीकरण-समिति के सामने उसे जाना पड़ेगा और उसके कारावास-काल की अवधि निर्धारित की जायेगी। इस सम्बन्ध में उसने लिखा था, "मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। क्या तुम मेरी सहायता करोगी ? मैं बहुत भयभीत हूँ और अकेलेपन का अनुभव करता हूँ।" इसके बाद मैंने वह पत्र भी पढ़ा जो उसकी पत्नी ने लिखा था और जो अभी कल ही यहाँ पहुँचा था। उसने लिखा था कि वह सुसान के साथ नृत्य के लिए गयी थी जहाँ उसे दो व्यक्ति मिले जिनके साथ उसने नृत्य किया। काफी रात गये वे जब मोटर से लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी उलट गयी। वे सभी बाल-बाल बच गये। किसी को भी चोट नहीं आयी। दुर्घटना-स्थल से वह सुसान के साथ पैदल ही मुख्य सड़क तक गयी, किन्तु उस सड़क पर पहुँचते ही सामने से आती हुई एक मोटर उनसे टकरा गयी। सुसान की तत्काल मृत्यु हो गयी, किन्तु वह बच गयी। उसे मामूली चोट आयी थी और बायीं आँख के नीचे गहरा घाव हो गया था।

उसने अस्पताल में मरहम-पट्टी करायी और आँख के पास वाला घाव तीन जगह सिला गया। उसने यह भी लिखा था कि अब वह पहले-जैसी नहीं दिखलाई पड़ेगी और न वह मन से ही पहले वाली औरत होगी। अन्त में उसने लिखा था, "तुम्हें मुझे दोष देने और त्यागने का पूरा अधिकार है, किन्तु मैं आशा करती हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। और हाँ, कैरोल (बच्ची) शीत लगने के कारण बहुत बीमार है।" पत्र पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि इन बातों को जानकर चक की मानसिक स्थिति बिलकुल असन्तुलित हो जायेगी।

मैंने चक के पास एक प्रवेश-पत्र भेजा और उसे बुलवाया। वह मुझसे केन्द्र के पास गलियारे में मिला। मैंने उसकी तबीयत का हाल पूछा और कहा कि मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर मैंने बात शुरू करते हुए कहा, "मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि पूर्व निश्चित योजना के अनुसार मैं कल तुमसे नहीं मिल सका, क्योंकि कंठ-शोथ के रोगी का एक मामला आ जाने के कारण मुझे कल कुछ पहले ही घर चला जाना पड़ा था।" चक ने कहा कि उसे यह बात कल बता दी गयी थी। मैंने उससे पूछा कि अब वह कैसा है? उसने उत्तर दिया "बहुत अच्छी तरह हूँ।" मैंने कहा, "मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं हो रहा है और मेरा ख्याल है कि तुम अच्छी तरह नहीं हो।" इस पर उसने कहा, "आप ठीक कहते हैं। मै अपने को शैतान की तरह महसूस करता हूँ। सचमुच आज मेरी मनःस्थिति ठीक नहीं है।" मैंने पूछा कि क्या उसकी मनःस्थिति इससे भी अधिक खराब हो सकती है? उसने कहा, "नहीं, अब इससे अधिक क्या खराब होगी? कल रात मैं अपने भागने की पिछली योजना के सम्बन्ध में सोच रहा था और मुझे यह चिन्ता हुई कि पता नहीं उस बात का मेरे कारावास-काल-निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अधीक्षक उस बात को विचारार्थ उपस्थित करेगा या नहीं। मै तो सोचता हूँ कि मैंने उसके लिए पर्याप्त दण्ड भोग लिया है।" इसके बाद वह कुछ देर तक चुप रहा। किन्तु मैंने उसका अनुकरण नहीं किया, बल्कि उसे बताया कि मैंने उसे एक दुखद समाचार सुनाने के लिए बुलाया है। यह सुनते ही वह मेज के दूसरे सिरे पर करीब-करीब उछलते हुए खड़ा हो गया और बोला, "हे भगवान्! क्या हो गया?" उसे कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि उसके घर पर कोई अशुभ बात हुई है। मुझे बात बताने में हिचकिचाहट हो रही थी। उसकी आँखें चमक रही थीं और वह एकटक मुझ पर नजर गड़ाकर आतुरतापूर्वक मेरी बात सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने उससे पूछा, "यह सुसान कौन है?" इस पर उसने बड़ी तेजी से कहा, "जल्दी बताइए, जल्दी बतताइए, क्या हुआ है?" मैंने उससे बताया कि उसकी पत्नी और सुसान एक दुर्घटना में फँस गयी थीं जिसमें सुसान की मृत्यु हो गयी। यह बात सुनते ही जैसे वह बदहवास हो गया। उसने हाथ उठाकर कहा, "ओ मेरे ईश्वर! इसके बाद उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़कर अपनी कुहनियो को घुटनों पर टिका

दिया। उसकी आँखों से आँसुओं की धारा बह चली और फर्श पर टप-टप आँसू गिरने लगे। मैंने तुरन्त आगे बतलाया कि उसकी पत्नी सुरक्षित है। वह अस्पताल में पड़ी है, पर उसे अधिक चोट नहीं लगी है। वह अनियन्त्रित रूप से सिसकने लगा। किसी प्रकार वह इतना पूछने में समर्थ हो सका कि उसकी बच्ची कैसी है? मैंने कहा कि वह बिलकुल ठीक है, उसे ठण्ड लग गयी है, पर वह दुर्घटना में नहीं फँसी थी। उसने पूछा कि मुझे ये बातें कैसे मालूम हुई? मैंने कहा कि हमें एक पत्र मिला है। उसने सिसकते हुए पूछा, "किसने लिखा है?" मैंने बताया कि उसकी पत्नी ने लिखा है। वह उस पत्र को पढ़ना चाहता था इसलिए उसने वह पत्र माँगा। मैंने उसके हाथ में पत्र दे दिया। पत्र लेकर पहले उसने छाती से लगाया। यद्यपि वह अब भी रो रहा था, फिर भी उसने पत्र खोला। किसी तरह सिसकते हुए उसने पहला पृष्ठ पढ़ा। इसके बाद पत्र को मुट्ठियों में भीचकर मेज पर फेंक दिया और बोला, "बस अब मैं अधिक नहीं पढ़ सकता, बिलकुल नही पढ़ सकता।" अपने सिर के पीछे दोनों हाथ लगाकर वह जोर से चिल्लाया। उसने पैरों को जमीन पर पटका और अपने को नियन्त्रित करने की कोशिश की जब वह इसमें सफल नहीं हुआ तो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और सिसकते तथा चीखते हुए कमरे में घूमने लगा।

स्पष्ट ही उसे बहुत अधिक तकलीफ थी। मैंने यह अनुभव किया कि मै यहाँ उपस्थित रहकर भी उसकी कुछ सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कुछ बोलना और करना चाहता था, फिर भी बड़ी देर तक मैं अपने को रोके रहा। अन्त में मैंने एक सिगरेट सुलगायी और उसके पास जाकर उसे उसके हाथ में थमा दिया। उसने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने उससे कहा, "छोड़ो ये बातें अपने मन से निकाल दो।" इसके बाद मैं मेज के पास चला आया। वह कई मिनट चुपचाप मेरी ओर पीठ किये खड़ा रहा। अन्त में वह भी मेज के पास आकर बैठ गया। उसकी आँखें भींगी थीं और रोते-रोते सुर्ख हो गयी थीं। उसने पत्र को फिर उठा लिया और बोला, "मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सच है।" वह फिर से पत्र पढ़ने लगा और किसी तरह अपने आँसुओं को रोककर वह पहला पृष्ठ पढ़ गया। किन्तु दूसरे पृष्ठ में जिसमें दुर्घटना का विवरण दिया गया था, पहुँचते ही वह बोल उठा, "उसे (उसकी पत्नी के) इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था।" इसके बाद वह अपनी कुर्सी में दुहरा होकर फिर रोने लगा। मैंने कहा कि सचमुच इस बात से उसे काफी तकलीफ हो रही होगी। इसके बाद वह फिर धीरे-धीरे पत्र पढ़ने लगा। जब उसने पढ़ना समाप्त कर लिया तो पत्र को अलग रखते हुए सहसा बोल उठा क्या मुझे बोर्डेन टाउन छोड़ने की अनुमति मिल सकती है? मैंने कहा कि शायद यह सम्भव नहीं है और उसकी पत्नी की स्थिति भी कोई गम्भीर नहीं है, मेरा अनुमान है कि उसे अस्पताल में अधिक दिन तक नहीं रहना पड़ेगा। यह सुनकर वह फिर धीरे-धीरे सिसकने लगा। मैं उसके

चुप होने की प्रतीक्षा करता रहा । कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा कि अब वह क्या करना चाहता है ? उसने उत्तर दिया कि उसकी पत्नी को सहायता की आवश्यकता है, अस्पताल वाले उसका खून बहना तो रोक देंगे, किन्तु उसे सहायता वह नही दे सकेंगे जिसकी उसे इस समय आवश्यकता है । वह जाकर उससे कहेगा कि सब ठीक है, उसे चिन्ता नहीं करनी चाहिए । मैंने उसे सुझाया कि यह काम तो वह पत्नी के पास गये बिना भी कर सकता है । क्यों न वह उसे एक पत्र लिखे ? उसकी आँखें अब भी नम थीं और मेरी बातें सुनकर अपने आँसू रोकते हुए उसने कहा, "पत्र ! पत्र में क्या लिखा जा सकता है ? कुछ क्षण के बाद उसने फिर कहा कि वह अपनी पत्नी के पास तार भेजे तो कैसा होगा ? मैंने उससे पूछा कि तार में क्या लिखा जायेगा ? उसने कहा, "मैं भी नहीं जानता, किन्तु कुछ इस तरह की बातें लिखी जा सकती हैं कि मुझे इस दुर्घटना के समाचार से बड़ा दुःख हुआ और मैं आशा करता हूँ कि सब बातें ठीक हो जायेंगी और वह जल्दी ही अच्छी हो जायेगी ।" इसके बाद वह चुप हो गया और दूसरी ओर घूम गया । मैंने अनुभव किया कि अब उसकी तबीयत पहले से कुछ हलकी थी और उसने अपने को नियन्त्रित कर लिया था ।

मैंने कहा कि हो सकता है कि उसकी पत्नी जल्दी ही बोर्डेन टाउन में आकर उससे मुलाकात करे ! यह सुनते ही वह फिर फूट पड़ा और सिसकने लगा । फिर अत्यन्त भावुकतापूर्ण ढंग से बोला, "हे ईश्वर ! भला वह कैसे आ सकती है ? वह अस्पताल में जो है !" वह रोता रहा और मैंने उसे छेड़ना उचित नहीं समझा । पूरे पाँच मिनट तक रो लेने के बाद वह अत्यन्त भावापन्न होकर बोला, "अभी कल ही मैंने उसे एक पत्र लिखा है जिसमें सब बातें निराशाजनक ही थीं । मैं जानता हूँ, उस पत्र का उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।" वह फिर सिसकने लगा । मैंने उसका पत्र अपने कोट की भीतरी जेब से निकालकर बिना कुछ बोले उसके हाथ में थमा दिया । उसने पत्र लेकर मुझे धन्यवाद दिया और बुरी तरह रोते हुए उसे फाड़कर दो टुकड़े कर दिये । उसने फिर हाथों से अपना सिर थाम लिया । कुछ क्षण मौन रहकर मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसे वह पत्र वापस दे दूँ ? उसने कहा, "हाँ !" मैंने कहा, "मेरा भी यही ख्याल था कि शायद तुम्हें उसकी जरूरत पड़ सकती है । इसीलिए मैं उस पत्र को अपने साथ लाया था ।" मैंने फिर कुछ देर तक उसकी बातों की प्रतीक्षा करने के बाद कहा, "मैंने जो यह समाचार तुमको दिया है उसके कारण तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो ?" उसने उत्तर दिया कि यदि वह अकेला होता तो इस दुखद समाचार को न सह पाता, निश्चय ही न सह पाता ।

उसे अपने को सँभालना मुश्किल हो रहा था । मैंने उससे पूछा कि क्या उसे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता थी ? उसने कहा, "नही ।' मैंने फिर पूछा कि वह यहाँ, बोर्डेन टाउन में, रहते हुए अपनी पत्नी के लिए क्या करने की इच्छा रखता था ?

उसने कहा कि यहाँ रह कर क्या सहायता की जा सकती है ? इतना कह कर वह फिर फूट पड़ा और सिसिकने लगा । वह एक बच्चे की तरह निःसंकोच होकर और लज्जा छोड़ कर चिल्ला कर रो रहा था । ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अन्य व्यक्ति के सामने बच्चों की तरह जोर-जोर से रोये, सँभालना बहुत मुश्किल होता है । मैं इस बात की आवश्यकता महसूस करता था कि मैं उससे कुछ कहूँ या उसके लिए कुछ करूँ ताकि उसके आँसू थमें । फिर भी मैं यह सोच कर चुप रह गया कि अभी उसके हृदय का तमाम गुबार निकल जाना अच्छा है ताकि उसके बाद उसकी तबीयत हलकी हो जाये । इस साक्षात्कार में कई बार ऐसा मौका आया जब कि हम दोनों दस या पन्द्रह मिनट तक चुप रहे । उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी । वह देर तक रोकर जब जरा चुप होता था तो ऐसा लगता था कि अब उसकी आँखों में आँसू नही रह गये हैं कि सहसा वह फिर अधिक वेग से रोने लगता और अधिक आंसू बहाने लगता था ।

वह फिर चुप हुआ । मैने उससे पूछा कि वह सुसान के बारे में क्या जानता है ? उसने कहा कि वह उसकी और उसकी पत्नी की बहन की तरह थी । उसकी पत्नी का तो एक तरह से विकास ही उसी के साथ रहकर हुआ था । उसने फिर कहा कि नही, ऐसा होना असम्भव है, सुसान के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं हो सकती । वह पत्र को अपनी उँगली में लपेटता रहा फिर। उसे खोल कर अपनी सिसकियों को रोकते हुए उसे फिर पढ़ने लगा । मैंने पूछा कि क्या वह सोचता है कि यह दुख उसके लिए असह्य है ? उसने कोई उत्तर नहीं दिया । मैंने पूछा कि क्या वह सोचता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए ? इसके उत्तर में उसने कहा कि इससे क्या लाभ होगा ? उससे तो बात और भी बिगड़ती ही जायेगी । फिर बड़ी देर तक हम दोनों कुछ नही बोले । अब वह बहुत धीरे-धीरे रो रहा था । इस समय सवा ग्यारह का समय होने वाला था जब कि संवासियों की गिनती होती है । मैंने उससे पूछा कि क्या वह गिनती के लिए वापस जाना चाहता है ? उसने कहा, "हाँ, अवश्य ! मैं कुछ देर तक अकेले में रहना चाहता हूँ ।" इसके बाद उसने अपनी पत्नी का पत्र उठाया और खड़ा होकर बोला "अब मै जाना चाहता हूँ ।" मैंने पूछा कि वह अब फिर कब मुझसे मिलना चाहता है ? उसने उत्तर दिया, "कल, दोपहर के पहले ।" मैंने उससे कहा कि कल दोपहर के पहले मै उसे बुलवा लूँगा । चलते समय रास्ते में उसने पूछा कि क्या मैं पता लगा सकता हूँ कि वह अपनी पत्नी से मिलने पा सकता है या नहीं ? मैंने कहा कि मै कोशिश करूँगा यद्यपि मुझे इसकी आशा कम ही है ।

वस्तुतः यह भावुकता और प्यार की भावनाओं वाला साक्षात्कार था । इस व्यक्ति के जीवन की दो प्रमुख धाराएँ एक दूसरे को ढकेलती हुई विपरीत दिशाओं में बह रही थीं । एक ओर तो यह संस्था और कार्यकर्ता इस बात के लिए उस पर जोर दे रहे थे कि

वह अपने बन्दीकरण की बात को हृदय से स्वीकार कर ले और उस समय के लिए तैयार रहे जब कि वर्गीकरण-समिति उसके कारावास-काल की अवधि का निर्धारण करेगी और फिर उस अवधि को धैर्यपूर्वक बिताने की भी तैयारी करे। दूसरी ओर एक अन्य बलवती शक्ति उस पर यह दबाव डाल रही थी कि वह अपने घर लौट जाये। केवल सुसान की मृत्यु और अपनी पत्नी के घायल होने के कारण ही वह इतना अधिक दुखी था। एक और वास्तविकता यह थी जिसको उसने अपने मुख से कभी नहीं कहा था कि बहुत दिनों तक अलग रहने पर उसके वैवाहिक-सम्बन्ध के विच्छिन्न हो जाने की आशंका थी। अभी चार महीने भी अलग हुए नहीं हुआ था कि उसकी पत्नी नाच-घरों में जाने लगी थी तथा अन्य पुरुषों के साथ तारीख निश्चित करके बाहर घूमने लगी थी।

अगले कई सप्ताहों तक उक्त वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता ने मुख्य रूप से अपना ध्यान इसी बात पर केन्द्रित किया कि चक मार्गन अपना अधिक से अधिक समय यह सोचने में लगाये कि शीघ्र ही उसके कारावास-काल की अवधि निर्धारित की जाने वाली है। कार्य-कर्ता का उद्देश्य यह था कि ऐसा करने से, उसके मन में पेरोल पर छूटने की जो बलवती इच्छा थी, उसकी ओर से उसका ध्यान हटे और वह इस बात को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करे कि उसे कारावास की अवधि पूरी करनी है। उसको प्रत्यक्षतः इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त हुई। सात अप्रैल को चक वर्गीकरण-समिति के सामने उपस्थित हुआ और उसे २४ महीने तक कारावास में रखने का निश्चय किया गया।

चक मार्गन से सम्बन्धित वैयक्तिक सेवा-कार्य की एक प्रकार से यहीं समाप्ति हो गयी। उसके लिए कार्यकर्ता को बहुत समय देना पड़ा था, पर उसका परिणाम अच्छा रहा और उसे अपने प्रयत्न में सफलता प्राप्त हुई। इसका एक कारण तो यह था कि बोर्डेन टाउन सही माने में जेल नही है, यह एक ऐसी जगह है जहाँ कठिनाइयों में पड़े अपराधियों की समस्याओं को सुलझाने में सहायता की जाती है। वर्गीकरण-समिति के सामने उपस्थित होने के बाद वहाँ से लौटने पर चक मार्गन के साथ साक्षात्कार में कार्यकर्ता से जो बात-चीत हुई उससे उपर्युक्त कथन की पुष्टि हो जाती है—

"७ अप्रैल —

"यहाँ के कर्मचारी-वर्ग का मैं अत्यधिक आदर और प्रशंसा करता हूँ।"

"क्यों ?"

"मैं समझता हूँ कि वे इस बात को अच्छी तरह समझते है कि वे क्या काम कर रहे हैं। वे सचमुच सहायता करने का प्रयत्न करते है।"

"क्या तुम्हारा यह ख्याल है कि मैं केवल सामान्य स्तर की मनोवैज्ञानिक सहायता करता हूँ ?"

"नहीं, मै समझता हूं कि आप ऐसा नहीं करते । मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ । मै वस्तुतः आपसे बातें करना पसन्द करता हूँ । यदि किसी को बन्दी बनना ही पड़े तो उसके लिए यह सुधारालय बहुत ही अच्छी जगह है ।"

ध्यान देने की बात है कि यह कथन एक ऐसे व्यक्ति का है जिसे उसी संस्था के अधिकारियों ने अभी-अभी सूचित किया है कि वे उसे बन्दी बना कर सुधारालय के सीखचों के भीतर रखेंगे और इस तरह उसे और दो साल तक अपनी पत्नी और बच्ची से दूर रहना पड़ेगा ।

यहाँ यह याद दिला देना आवश्यक है कि प्रवेश के बाद प्रारम्भ में ही यह देखा गया था कि चक मार्गन को अपने बन्दी होने की स्थिति को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी और इसीलिए उसका मामला संस्था के सामाजिक सेवा-विभाग के हाथ में दे दिया गया था । अपनी पत्नी और बच्ची से अलग हो जाने के कारण तथा अपनी असफलता और अपराध की अनुभूति से उत्पन्न भावनाओं के कारण वह बहुत अधिक अवसाद-ग्रस्त हो गया था । जिस समय उसे सामाजिक कार्यकर्ता के पास भेजा गया था, वह 'ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसमें उसकी हार निश्चित थी ।' उस समय वह यहाँ से भाग निलकने के विषय में गम्भीरतापूर्वक सोच रहा था । जब अनेक बार घंटों तक वैयक्तिक सेवा-कार्य के कौशल का प्रयोग करके उसकी सहायता की गयी तो वह किसी तरह इस संस्था की जीवन-विधि के अनुसार अपने को ढालने के लिए तैयार हुआ । कारावास-काल-निर्धारण के समय तक उसमें इतना परिवर्तन हो गया कि वह संस्था का विरोध करना छोड़ कर उसकी प्रशंसा करने लगा ।

इसके बाद वह संस्था की सुविधाओं का इस सीमा तक उपयोग करने को तैयार हो गया जिससे स्पष्ट पता चल सकता था कि अब वह स्वीकार करने लगा था कि यह संस्था कैदियों को बाँध कर रखने की जगह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ अपराधियों की समुचित सहायता की जाती है । उसके विषय में संस्था के भीतर सहायता प्रदान करने वाले अन्य अभिकरणों के जो प्रतिवेदन आये थे उनसे भी यही प्रमाणित होता था कि चक में परिवर्तन हुए थे । उसकी सामाजिक समायोजन-कक्षा के अध्यापक ने उसके विषय में वर्गीकरण-समिति के पास जो प्रतिवेदन भेजा था, उसमें उसने लिखा था—

"प्रारम्भ में चक में अस्थायित्व के लक्षण वर्तमान थे और उसकी बातों से यह भी पता चलता था कि संस्था के कायदे-कानूनों का दबाव सहने के लिए वह तैयार नहीं था । इन समस्याओं के कारण वह प्रारम्भ में सामाजिक समायोजन के कार्यक्रमों में रचनात्मक ढंग से भाग लेने में दिलचस्पी नही लेता था । किन्तु पिछले कुछ हफ्तों से वह सामूहिक विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा है और कक्षाओं में भी उत्तरोत्तर अधिक

सावधान रहने लगा है, विशेष रूप से परिवार और बालकों से सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में वह अधिक सावधान रहता है । जो पर्यावरण उसको पहले असह्य प्रतीत होता था, उसी के बीच रहकर अब वह सन्तोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है ।"

उसके श्रम-अधीक्षक ने भी उसके बारे में इसी प्रकार का प्रतिवेदन उपस्थित किया था—"चक का सहयोग अब अत्यन्त प्रशंसनीय है और अब उस पर पूर्ण विश्वास के साथ भरोसा किया जा सकता है । मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि इस व्यक्ति को इसके वर्तमान आवास-खण्ड (अधिकतम सुरक्षा-कक्ष) से हटा कर अन्य सुविधाजनक और समुचित आवास-खण्ड में भेज देना चाहिए ।"

कारावास-काल-निर्धारण के बाद भी कई सप्ताह तक चक मार्गन और सामाजिक कार्यकर्ता के बीच साक्षात्कार जारी रहा । उन दोनों में मुख्यतः चक के उसकी पत्नी के प्रति दृष्टिकोण के सम्बन्ध में ही बातें होती थीं । चक के लिए यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या थी । यद्यपि अब वह उस समस्या के जाल में कभी नहीं उलझता था । वह अपनी पत्नी पर इतना निर्भर रहता था कि अपने दाम्पत्य-जीवन की ऊपरी बातों की पूछताछ से आगे बढ़ कर कभी भी उसके गम्भीर रहस्यमय भेदों का पता लगाने का प्रयत्न करके सम्बन्ध-विच्छेद का खतरा नहीं मोल लेना चाहता था । वह अन्त तक इस बात पर जोर देता रहा कि उसके दाम्पत्य-जीवन की सभी समस्याएँ, यदि कोई या कई हैं तो उसके घर लौटते ही अपने आप सुलझ जायेंगी ।

वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता चक मार्गन के सम्बन्ध में अब अपना कार्य समाप्त ही करने वाला था । समय भी उपयुक्त था । कार्यकर्ता शीघ्र ही अभिकरण को छोड़कर जाने वाला था । १७ मई के साक्षात्कार में कार्यकर्ता ने अपने कार्य की समाप्ति के विषय में जो बात की उसके विवरण का एक अंश आगे दिया जा रहा है—

"१७ मई — मैंने उसे याद दिलाया कि मैं दो सप्ताह बाद यहाँ से चला जाऊँगा, अतः इसके बाद अब मै उससे केवल दो बार और मिल सकता हूँ । अगले सोमवार को और उसके बाद वाले दूसरे मंगलवार को (क्योंकि दूसरे सोमवार को छुट्टी थी) । उसने कहा कि समय बड़ी तेजी से भाग रहा है और वह मेरे यहाँ से जाने के विचार को ही पसन्द नहीं करता । मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है ? उसने कहा, "क्योंकि हम लोगों का सम्बन्ध घनिष्ठ मित्रता के रूप में बदल गया है । मैं आपसे बातें कर सकता हूँ और यह एक ऐसा काम है जो मै इस संस्था के किसी भी अन्य कर्मचारी के साथ नहीं कर सकता ।" उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं फिर लौट कर यहाँ आऊंगा ? मैंने नकारात्मक उत्तर दिया । उसने कहा कि उसकी इच्छा थी कि मैं कम से कम तब तक यहाँ रहता जब तक कि उसकी यहाँ से रिहाई का समय न आ जाता । मैंने पूछा कि क्या मैं उसे इतना

महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मालूम पड़ता हूँ । यह सुनकर वह चुप हो गया । फिर कुछ देर बाद मैंने कहा कि अब इसके बाद अपनी समस्याएँ वह खुद सुलझा लिया करे, मेरी सहायता के भरोसे न बैठा रहे । यह सुनकर उसने कहा, "मैं ऐसा कर सकता हूँ और यही करूँगा । आपके चले जाने के बाद अब मैं अपने बारे में अन्य किसी भी व्यक्ति से बातें नहीं करूँगा ।" मैंने कहा कि वह इस समय ऐसा कह रहा है बाद में उसके विचार बदल जायेंगे ।

इस बातचीत से स्पष्ट है कि चक का उसके वर्तमान कार्यकर्ता के साथ सम्पर्क अब समाप्ति के निकट था और वह दृढ़तापूर्वक अपना विचार व्यक्त कर रहा था कि अब उसे किसी अन्य कार्यकर्ता की आवश्यकता नही पड़ेगी । इस कार्यकर्ता के साथ उसने अधिक से अधिक सहयोग किया था और अब वह किसी अन्य व्यक्ति को नहीं चाहता था । निस्सन्देह वह किसी नये व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित करने से डरता था । प्रारम्भ में जिस उद्देश्य से उसका मामला सामाजिक कार्यकर्ता के हाथ में दिया गया था, वह अब पूरा हो गया था । वह उद्देश्य यह था कि वह संस्था के जीवन के साथ अपने जीवन का सामजस्य स्थापित कर सके । अब वह चाहता था कि उसके जीवन की अधिक गम्भीर और खतरनाक समस्याओं की ओर आगे बढ़ने के पहले ही यह साक्षात्कार-प्रक्रिया यही समाप्त हो जाय ।

चक मार्गन की समस्या के सम्बन्ध में उस छात्र-कार्यकर्ता ने जो अभिलेख तैयार किया है उसे पढ़ने से पता चलता है कि एक अनुभवी कार्यकर्ता में कार्य सम्बन्धी जो कौशल होते हैं, वे उस छात्र-कार्यकर्ता में अभी विकसित नहीं हो सके थे, फिर भी अपने कार्यार्थी के साथ उसने अधिकतम सम्बन्ध स्थापित किया था । एक सुधारालय के वातावरण में यही बहुत है । सुधार-संस्थाओं में काम करने वाले अधिकाश कार्यकर्ताओं के कौशल की एक बहुत बड़ी कमी यह होती है कि उन्हें स्वस्थ व्यक्तियों की समस्याओं से सम्बन्धित सेवा-कार्य करने का अनुभव अधिक नहीं होता । कार्यकर्ता और कार्यार्थी का ऐसा सम्बन्ध जो सुधारालय की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्वों पर आधारित होता है, वह ईट और लोहे से निर्मित होने वाले भवन-जैसा स्थूल निर्माण नहीं होता, बल्कि एक जीवन्त और सूक्ष्म विकासात्मक अनुभव होता है ।

—:०:—

अध्याय १२

विद्यालयों में समाज-सेवा

एक सामाजिक आविष्कार

प्रोफेसर आगबर्न ने कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित अपनी विचारोत्तेजक पुस्तक में एक ही समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले आविष्कारों और खोजों की एक सूची दी है[1]। उन्होंने लिखा है कि यद्यपि मानसिक क्षमता आविष्कारों का एक प्रमुख घटक है, किन्तु सांस्कृतिक स्थिति भी उससे कम महत्त्वपूर्ण घटक नही है। संस्कृति के क्षेत्र में पूर्व संचित उपलब्धियों के आधार पर ही नवीन आविष्कारों का विकास या समन्वय सम्भव होता है। मोटरगाड़ी (आटोमोबाईल) इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वह पहिये, गियर, भीतरी दहन-इंजन, क्लच, चालन-दण्ड, गाड़ी का ढाँचा, गैस-नलिका आदि आविष्कारों के संयोजन से ही बनती हैं।

किन्तु यान्त्रिक आविष्कारो के समान ही सामाजिक क्षेत्र में भी आविष्कार होते है जो सामाजिक स्थिति से सम्बद्ध तथा उसी के भीतर से उत्पन्न होते है। उदाहरण के लिए बाल-न्यायालय को एक सामाजिक आविष्कार कहा जा सकता है। बाल-न्यायालय का विकास उस समय हुआ जबकि न केवल उसकी अत्यधिक आवश्कता थी (बाल-न्यायालय सैकड़ों वर्ष से प्रचलित रहा है) बल्कि तत्कालीन संस्कृति की पूर्व संचित उपलब्धियाँ इस स्थिति में हो गयी थीं कि इस आविष्कार के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया था। इसी तरह श्रमिकों की क्षति-पूर्ति, सामाजिक बीमा, नागरिक सेवा-पद्धति, नगर-प्रबन्ध-योजना आदि भी ऐसे ही सामाजिक आविष्कार हैं। विद्यालयों में किये जाने वाले सामाजिक कार्य को भी ऐसे ही सामाजिक आविष्कार के रूप में ग्रहण किया जा सकता है[2]।

(१) डब्लू० एफ० आगबर्न––"सोशल चेन्ज"––न्यूयार्क, विकिंग प्रेस, सन् १९२२।

(२) इस पुस्तक के प्रथम संस्करण (सन् १९४२) के प्रकाशन के समय तक "अतिथि-अध्यापक" और "अतिथि-अध्यापन-कार्य" ये दोनों शब्द सर्वमान्य थे। किन्तु उसके बाद उत्तरोत्तर इन शब्दों का प्रयोग कम होता गया और उनकी जगह

सन् १९०६—१९०७ में विद्यालयीय सामाजिक कार्य का सर्व प्रथम तीन नगरों—न्यूयार्क, बोस्टन और हार्टफोर्ड (कानेक्टिकट) में एक ही साथ, किन्तु स्वतन्त्र रूप से प्रारम्भ हुआ। न्यूयार्क में इसकी दिशा में सबसे पहले दो सामाजिक व्यवस्थापन-गृहों में कार्य आरम्भ हुआ। वहाँ से विभिन्न जनपदों के व्यवस्थापन-गृहों के विद्यालयों में अतिथि-अध्यापक भेजने की व्यवस्था की गयी। इन अतिथि-अध्यापकों का कार्य व्यवस्थापन-गृहों में रहने वाले बालकों और उनके अध्यापकों के, जो व्यवस्थापन-गृह के आस-पास की बस्ती में रहते थे, बीच घनिष्ठतर सम्बन्ध स्थापित कराना था। बोस्टन में इस कार्य का प्रारम्भ नारी-शिक्षा-संघ द्वारा हुआ। इस संघ ने एक बाल-गृह की स्थापना की और नगर के जिस विद्यालय में उस बाल-गृह के बच्चे पढ़ते थे वहाँ एक ऐसे 'विद्यालयीय-अभ्यागत' की नियुक्ति करायी जिसका काम उक्त बाल-गृह और विद्यालय में घनिष्ठतर सम्बन्ध स्थापित करना था। हार्टफोर्ड में इस बात के लिए सर्वप्रथम वहाँ के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य-गृह के निदेशक ने सुझाव दिया। वहाँ इस काम के लिए जिस कार्यकर्ता की नियुक्ति की गयी उसे प्रारम्भ में 'विशेषाध्यापक' कहा जाता था। उसका काम पहले तो इतना ही था कि वह मनोवैज्ञानिक की सहायता के लिए, स्कूलों में जाकर छात्रों का जीवन-वृत्त संग्रह करता था, किन्तु बाद में वह छात्रों के सम्बन्ध में संस्तुति भी करने लगा।

एक ही समय इन तीनों नगरों में इस सामाजिक सेवा-पद्धति के आविष्कार का कारण यही था कि इन तीनों नगरों का जीवन एक ही सामान्य सांस्कृतिक आधार पर स्थित था। इससे यह भी पता चलता है कि तत्कालीन समाज की स्थिति ऐसी हो गयी थी और उसमें इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे या हो चुके थे जिनके कारण इन आविष्कारों की आवश्यकता अनिवार्य हो गयी। ऐसी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपर्युक्त तीनों नगरों में जो प्रयत्न किये गये उन्ही के फलस्वरूप विद्यालयीय सामाजिक कार्य का विकास हुआ है।

विद्यालय के बालकों की वैयक्तिक सेवा

वे स्थितियाँ क्या थी और उनमें किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे ? पहली बात

क्रमशः "विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता" और "विद्यालयीय सामाजिक कार्य" जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा है। इस संशोधित अध्याय में यथासम्भव इन नव-प्रचलित पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग किया जायेगा। किन्तु कहीं-कहीं ऐतिहासिक विवेचन के प्रसंग में उक्त पूर्वप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया जायेगा।

तो यह थी कि विद्यालयों में छात्रों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। छात्रों की संख्या बढ़ने का कारण केवल देश की जनसंख्या का बढ़ना ही नहीं था, उसका मुख्य कारण यह था कि शासन की ओर से अनिवार्य शिक्षा का नियम लागू कर दिया गया था। इन सामाजिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्त और व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक हो गया। अनिवार्य शिक्षा का नियम लागू होने के पूर्व इस बात की चिन्ता नहीं की जाती थी कि कोई छात्र विद्यालय की कक्षा में ठीक से काम क्यों नहीं करता अथवा बहुत अधिक हल्ला-गुल्ला क्यों करता है ? उस समय उसका सीधा उपाय यही माना जाता था कि ऐसे छात्रों को विद्यालय से निकाल दिया जाय। उस समय विद्यालय केवल उन लोगों के लिए थे जो उसका उचित उपयोग कर सकते थे, चाहे विद्यालय की शिक्षा-पद्धति या व्यवस्था कैसी भी क्यों न हो। यदि बालक में कोई सुधार करना आवश्यक था तो वह विद्यालय का कार्य नहीं समझा जाता था। किन्तु अनिवार्य शिक्षा (मजेदार बात यह है कि अनिवार्य शिक्षा के नियम के साथ ही राज्य के लिए शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी आवश्यक हो गया) के साथ ही यह समस्या भी उत्पन्न हुई कि हर कक्षा में बालकों की संख्या बहुत अधिक होने लगी और बड़े पैमाने पर बालकों को एक साथ अधिशासित करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी। इस तरह स्कूल की व्यवस्था की भीड़-भाड़ में बालक के व्यक्तित्व के खो जाने की आशंका बढ़ती गयी। समस्या उस समय और भी जटिल हो गयी जबकि यह माना जाने लगा कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य एक निश्चित अवस्था के सभी बच्चों का विद्यालय में उपस्थित होकर पढ़ना है। अब किसी उपद्रवी और अनियन्त्रित बालक को विद्यालय से बाहर निकालने की धमकी नहीं दी जा सकती थी। अब तो राजकीय विद्यालयों के अधिकारी किसी मूर्ख या मतिमन्द बालक को भी विद्यालय में प्रवेश करने से इन्कार नहीं कर सकते थे।

अध्यापकों और अध्यापकों के अध्यापकों पर अन्य क्षेत्रों की चिन्ता-धाराओं का प्रभाव पड़े बिना न रह सका। मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह सिद्धान्त प्रतिपादित हो चुका था कि विभिन्न व्यक्तियों के मानसिक संघटन में भिन्नता होती है और प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग क्षमता और सम्पन्नता लेकर इस संसार में आता है (जीव-विज्ञान के क्षेत्र में किये कये शोध-कार्यों से भी इस मत की पुष्टि होती है) तथा संसार की परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने की क्षमता भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग होती है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी विद्वानों का यह मत था कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ मानव के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन होता है। सामाजिक कार्यकर्ता भी वैयक्तिक सेवा-कार्य-सम्बन्धी अपने दैनिक अनुभवों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे थे कि व्यक्ति में सामाजिक पर्यावरण के अनुसार अपने को व्यवस्थित करने की क्षमता होती है

तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है।

बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में इन विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होने वाले सिद्धान्तों का प्रभाव शिक्षा-सिद्धान्त पर भी पड़ा और विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों की समस्याओं पर उन्हीं सिद्धान्तों की दृष्टि से विचार किया जाने लगा। कक्षाओं में छात्रों की अत्यधिक संख्या-वृद्धि तथा उसके साथ बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप में छात्रों पर कठोर अधिशासन के कारण ही उसकी विपरीत दिशा में यह धारणा उत्पन्न हुई कि व्यक्तिगत रूप में बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। अधिशासन की प्रवृत्ति के साथ ही प्रथम विचारधारा वाले व्यक्तियों का ध्यान कक्षा में विषय की पढ़ाई तथा बालक को अनिवार्य रूप से स्कूल की व्यवस्था के अनुरूप ढालने की ओर विशेष रूप से रहता था। विचारधारा-सम्बन्धी इस परिवर्तन के कारण यह आवश्यक हो गया कि बालकों की वैयक्तिक क्षमताओं के विकास की ओर और भी ध्यान दिया जाय ताकि वे विद्यालय की व्यवस्था के अनुरूप अपने को ढाल सकें। इससे यह पता चलता है कि पहले विद्यालयों में बालकों के केवल बौद्धिक विकास की चिन्ता करने की जो प्रवृत्ति वर्तमान थी उसे छोड़कर अब बालकों के भावात्मक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा क्योंकि बौद्धिक विकास अथवा शिक्षा बहुत कुछ भावात्मक विकास पर ही निर्भर करती है। इस तरह सिद्धान्त की जगह कि सफल शिक्षक का कार्य बालक में अधिक से अधिक ज्ञान भरना है, अब यह सिद्धान्त प्रचलित हुआ कि शिक्षक की सफलता का मापदण्ड बालक का सर्वांगीण विकास है। इस नवीन सिद्धान्त से प्रभावित होकर शिक्षा-शास्त्रियों ने शिक्षा-सम्बन्धी ऐसे कार्यक्रम बनाने का प्रयत्न प्रारम्भ किया जिससे विद्यालयों में विकसनशील बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती थी।

यह परिवर्तन केवल सिद्धान्तों के क्षेत्र में ही नहीं घटित हुआ, बल्कि उन परिवर्तित सिद्धान्तों को व्यवहार रूप में परिणत करने का भी प्रयत्न किया गया। उपस्थिति-विभाग की स्थापना, चिकित्सकीय परीक्षण, विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, मनोविज्ञान-विभाग तथा विशिष्ट सेवा-प्रभाग की स्थापना आदि द्वारा उपर्युक्त नवीन सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप दिया जाने लगा। विद्यालयीय सामाजिक सेवा-कार्य के प्रारम्भ द्वारा विद्यालयों के वातावरण में एक नवीन चेतना उत्पन्न हुई और बालकों के वैयक्तिक विकास पर विशेष रूप से बल देने के साथ ही ऐसी शिक्षा-पद्धति का भी विकास किया जाने लगा जिससे अध्यापकों के अध्ययन-सम्बन्धी कौशलों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। इस सरसरी विवेचन से यह भ्रम नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि इस शताब्दी के प्रथम दशक में ही शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य के वृत्तिक कौशलों का पूर्ण विकास हो चुका था। वास्तविकता यह है कि विद्यालयों में छात्रों की वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में एक साथ प्रवृत्त

होने के कारण शिक्षा-पद्धति और वैयक्तिक सेवा-कार्य-पद्धति का विकास साथ-साथ होता रहा ।

कामनवेल्थ-कोश द्वारा सहायता[३]

उसके बाद से इस देश में विद्यालयों में किये जाने वाले सामाजिक कार्य का जो विकास हो रहा है उसमें वे सभी आशाएँ फलवती होती दिखाई पड़ी जो इस कार्य के प्रारम्भ के समय अंकुरित हुई थीं । गैरसरकारी अभिकरणों द्वारा इस दिशा में जो प्रयत्न किये गये उनकी देखादेखी अनेक सरकारी विद्यालयों के प्राधिकारियों ने भी राजकीय सहायता-प्राप्त शिक्षा-संस्थाओं की शिक्षा-पद्धति के अन्तर्गत 'अतिथि-अध्यापक-प्रायोजना' का समावेश किया । इस दिशा में यदि सबसे पहला नही तो प्रारम्भिक कदम न्यूयार्क में उठाया गया । वहाँ की राजकीय शिक्षा-परिषद् ने सन् १९१३ में विद्यालयीय सामाजिक सेवा-कार्यों का समर्थन और नियंत्रण करना प्रारम्भ किया । किन्तु इस कार्य में सबसे अधिक प्रेरणा कामनवेल्थ-कोश द्वारा संचालित कार्यक्रम से मिली । कामनवेल्थ-कोश द्वारा अपराध-वृत्ति के निरोध के लिए चौमुखी योजना वाला कार्यक्रम बनाया गया था । इस कार्यक्रम की एक योजना राष्ट्रीय अतिथि-अध्यापक-समिति के हाथ में सौंप दी गयी थी और यह समिति राजकीय शिक्षा-संघ से, जिसमें शिक्षा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति सम्मिलित थे, सम्बद्ध थी । अतिथि-अध्यापक-प्रदर्शन-प्रायोजना के अन्तर्गत २३ राज्यों में कुल ३० केन्द्र खोले गये जो राज्यों द्वारा स्वीकृत थे । इन केन्द्रों के स्थान का निश्चय चुनाव द्वारा हुआ था । पहले विभिन्न सामुदायिक क्षेत्रों से आवेदन-पत्र माँगे गये (कुल २७० आवेदन-पत्र आये थे जिनमें से ३० स्वीकृत हुए ।) और उनकी स्वीकृति के लिए यह शर्त रखी गयी थी कि प्रत्येक केन्द्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के वेतन का एक भाग (प्रायः एक-तिहाई) स्थानीय समुदाय द्वारा दिया जायगा और यदि प्रायोजना सफल होगी और समुदाय उसकी उपयोगिता का समुचित मूल्यांकन करेगा तो उसका प्रबन्ध स्थानीय समुदाय के हाथ में सौंप दिया जायगा । सन् १९२१ में इस प्रायोजना का प्रारम्भ हुआ और ५ वर्ष की अवधि तक कामनवेल्थ-कोश द्वारा इन तीस केन्द्रों का संचालन होता रहा और अगले तीन वर्षों तक इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया कि

(३) ऐतिहासिक कारणों से यहाँ पर कामनवेल्थ-कोश के प्रसंग में पूर्व प्रचलित 'अतिथि-अध्यापक' शब्द का ही प्रयोग किया जायेगा । देखिए, इसी अध्याय की पादटिप्पणी संख्या २ ।

अध्यापकों को इस कार्य के लिए पूर्णत: प्रशिक्षित किया जाय, प्रशिक्षण के समय अध्यापक मानवीय व्यवहार की समस्याओं को अच्छी तरह समझने में सक्षम हो जायँ, क्षेत्र-कार्य और सम्मेलनों के माध्यम से उनके कार्य का स्तर और भी ऊँचा उठाया जा सके और ऐसे विद्यालयों के व्यवस्थापकों को, जो अतिथि-अध्यापक-सेवा की प्रायोजना में दिल-चस्पी रखने हों, उचित परामर्श दिया जाय। इस तरह सामाजिक सेवा की इस नवीन विधा की सम्भावनाओं का आठ वर्ष तक प्रदर्शन करने के बाद अन्त में ३० जून सन् १९३० को कामनवेल्थ-कोश ने इस क्षेत्र से अपने को बिलकुल अलग कर दिया। उस तारीख के बाद भी उन ३० केन्द्रों में से २१ केन्द्रों में प्रदर्शन का कार्य विद्यालयों की शिक्षा-व्यवस्था के स्थायी अंग के रूप में चलता रहा। किन्तु कामनवेल्थ-कोश की आर्थिक सहायता अब इन २१ केन्द्रों तक ही सीमित नही रही। उसके बाद के डेढ़ दशकों में, ज्यों-ज्यों यह विश्वास बढ़ता गया कि विद्यालयों में कम की नही, बल्कि और भी अधिक सामाजिक कार्य की आवश्यकता थी, अधिकाधिक विद्यालयों में सामाजिक सेवा-कार्यक्रम अपनाया जाने लगा। इस कथन का प्रभाव यह है कि इस समय ऐसे केन्द्रों की, जिनमें इस प्रकार का सामाजिक कार्य होता है, संख्या ५०० से अधिक है। यद्यपि अनिवार्य कारणों से अतिथि-अध्यापक-योजना बड़े-बड़े शहरों में ही विशेष रूप से प्रचलित हुई, पर अनेक छोटे नगरों और कुछ देहाती क्षेत्रों में भी इस सेवा की माँग की गयी और वहाँ के लोग इसके लिए धन खर्च करने को भी तैयार थे क्योंकि इसका मूल्य अब अधिकतर लोग समझने लगे थे। फलत: ऐसे लघुतर समुदायों में से कुछ में तो इस सेवा से सम्बन्धित उत्कृष्टतम कार्य हुआ है और यह एक ऐसा परिणाम है जो कामनवेल्थ-कोश का प्रारम्भिक उद्देश्य था।

बच्चे और कार्यकर्ता के बीच सम्पर्क

बीसवी शताब्दी के पूरे काल में देश भर में न केवल विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि उन छात्रों की सेवा से सम्बन्धित सहायक कार्यों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के मस्तिष्क में अधिक से अधिक ज्ञान और जानकारी भरना है, यह सिद्धान्त अब मान्य नहीं रह गया था। अब शिक्षा-शास्त्री इस सिद्धान्त में में विश्वास करने लगे कि विद्यालयों का अनुभव बालकों के लिए जीवन की तैयारी मात्र नहीं था, वह अनुभव अपने आप में उनका जीवन था। इस विचार-धारा के भीतर निहित तथ्यों के कारण यह स्पष्ट हो गया कि बालकों के भावात्मक जीवन को समझने तथा उससे सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य कितने महत्त्वपूर्ण हैं। इस तरह विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की सफलता का अर्थ यह नहीं रह गया कि बालक एक विशेष बौद्धिक स्तर तक पहुँच जाय; वह इससे कहीं अधिक व्यापक हो गया।

शिक्षा की सफलता अब प्रायः इस बात में मानी जाने लगी कि बालक शिक्षा प्राप्त करने के प्रसंग में जो अनुभव प्राप्त करता है उसके साथ वह अपने जीवन का सामंजस्य कर पाता है या नहीं ? जो बालक विद्यालय के वातावरण के साथ अपने जीवन को उचित ढंग से समायोजित कर लेता है, यह निश्चित है कि वह बाद में वयस्क होने पर समाज के बीच. भी अपने जीवन का समायोजन कर लेगा। इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि ऐसा हर बालक आगे चल कर अनिवार्यतः बहुत धनी या प्रख्यात हो जायगा, पर इसका यह अर्थ अवश्य है कि आगे चल कर उसके जीवन के पर्याप्त सन्तोषपूर्ण होने की अधिक सम्भावनाएँ हैं।

इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेने का अर्थ था विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के विकास से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर अधिक ध्यान देना। शिक्षा के क्षेत्र में घटित होने वाले इस दृष्टि-परिवर्तन के समानान्तर अन्य क्षेत्रों में किये जाने वाले वैयक्तिक सेवा-कार्य के विकास का एक स्वाभाविक प्रभावात्मक परिणाम यह हुआ कि स्कूलों में भी वैयक्तिक समाज-सेवा का कार्य प्रारम्भ हो गया। इस तरह विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता विद्यालय के संघटनात्मक ढाँचे के भीतर सेवा-कार्य करने वाला कार्यकर्ता होता है जिसका प्रमुख काम छात्र, उसके माता-पिता और अध्यापकों की ऐसी समस्याओं का, जो विद्यालय के अनुभव से सम्बन्धित हैं, समाधान खोजने में उनकी सहायता करना है। साथ ही उसका यह भी कार्य है कि वह इस बात का पता लगाये कि बालक स्कूल के वातावरण के अनुरूप अपने को ढाल रहा है या नहीं। विद्यालय के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते समय उसे कई प्रकार की सेवाएँ करनी पड़ती हैं जिसके कारण उसे अनेक नामों से पुकारा जा सकता है, जैसे—विद्यालय-परामर्शदाता, अतिथि-सामाजिक-परामर्शदाता, गृह और विद्यालय-अतिथि, अतिथि-अध्यापक, विद्यालय-सामाजिक कार्यकर्ता आदि। प्रशासन की दृष्टि से भी इस सेवा को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत रखा जा सकता है, जैसे—छात्र-कर्मचारी परामर्श-विभाग, विशिष्ट सेवा-प्रभाग, विद्यालय-अधीक्षक-कार्यालय, विद्यालय-सामाजिक कार्य-विभाग, निर्देशन-केन्द्र, बाल-कल्याण-प्रभाग आदि। पर्यवेक्षण-कर्मचारियों में से अधिकतर प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। पर कार्यकर्ता के पद का नाम चाहे जो हो और वह चाहे जिस संस्था या विभाग में रह कर यह कार्य कर रहा हो, हर हालत में उसको अन्तिम रूप से अपने कार्यों के लिए प्रशासन की दृष्टि से विद्यालय-अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है।

विद्यालय के साथ इतनी निकटता से सम्बद्ध होने के कुछ लाभ तो हैं ही, पर साथ ही उसमें कुछ असुविधाएँ या हानियाँ भी हैं। लाभ तो यह है कि बालक और अध्यापक दोनों ही बड़ी आसानी से सामाजिक कार्यकर्ता के पास पहुँच सकते हैं। यह बालकों

और अध्यापकों पर निर्भर करता है कि वे कार्यकर्ता के पास कभी-कभी जाते हैं अथवा बहुत अधिक जाते हैं। बालक प्रायः प्रारम्भ से कार्यकर्ता को अध्यापक-वर्ग का एक सदस्य समझने लगता है, चाहे वह बहुत बाद में ही अपनी कोई आवश्यकता लेकर अथवा अधिकारियों द्वारा भेजे जाने पर उसके पास क्यों न जाये। जब कार्यकर्ता वहाँ सहायता के लिए वर्तमान रहता है तो उससे यह लाभ होता है कि कोई घटना होने पर अथवा कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर (भले ही वह स्थिति केवल ऊपरी दृष्टि से आकस्मिक प्रतीत होती हो।) उसकी सहायता तत्काल प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त विद्यालय और छात्र के परिवार के बीच का सम्बन्ध ऐसा स्वाभाविक होता है कि कार्यकर्ता आसानी से किसी छात्र के घर जा सकता है अथवा छात्र के माता-पिता ही विद्यालय के सामाजिक कार्यकर्ता के कार्यालय में जब चाहें तब आ सकते हैं।

दूसरी ओर इस निकटता के कारण यह खतरा भी रहता है कि यदि छात्र कार्यकर्ता को अध्यापक तथा विद्यालय का ही एक अंग समझने लगेंगे तो कार्यकर्ता के रूप में उसके महत्त्व की ओर उनका ध्यान नहीं जायेगा; बहुधा सामाजिक कार्यकर्ता को विद्यालय तथा अध्यापक के प्राधिकारों से युक्त समझा जाने लगेगा। अतः कार्यकर्ता को इससे बचने के लिए यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि सभी नहीं तो अधिकांश बालक विभिन्न प्रकार के प्राधिकारों—पैतृक, सामाजिक, कानूनी, शैक्षणिक आदि—के साथ संघर्ष करते हुए उनके बीच अपने को व्यवस्थित करने का मार्ग खोजने की अवस्था में होते हैं। कार्यकर्ता जो काम करता है यदि वह विद्यालय के प्राधिकारिक कार्यों से भिन्न नहीं है तो बहुत सम्भव है कि बालक उसके सहायता-कार्यों से कुछ भी लाभ न उठा सके; किन्तु यह भी सच है कि सामाजिक कार्यकर्ता विद्यालय की व्यवस्था का एक अविभाज्य अंग है और इस कारण वह अनिवार्यतः और उचित रूप में विद्यालय के प्राधिकारों से सम्बन्धित है। अतः कार्यकर्ता को विद्यालय के प्राधिकारों के साथ सहज सम्बन्ध रखना चाहिए ताकि वह बालकों की सेवा के कार्य में उन प्राधिकारों का उचित उपयोग कर सके। बालक की अधिक से अधिक सहायता करने ही की दृष्टि से उसे उक्त दोनों छोरों के बीच सन्तुलन बनाये रखना चाहिये। यह सन्तुलन विद्यालय के प्राधिकारों के साथ उसके सम्बन्ध की स्पष्टता तथा उसके वृत्तिक कौशल की विशिष्टता पर आधारित होना चाहिए। उसकी उपयोगिता तभी सिद्ध हो सकती है जब कि वह एक ओर विद्यालय का अंग प्रतीत हो और दूसरी ओर उसकी कार्य-पद्धति विद्यालय की शैक्षणिक कार्य-पद्धति से भिन्न बनी रहे। विद्यालय के कर्मचारी वर्ग का एक सदस्य होने के नाते अन्य कर्मचारियों के समान उसका लक्ष्य भी एक सीमा तक बालकों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। किन्तु साथ ही उसका वृत्तिक कौशल, शिक्षा-पद्धति के कौशलों से पर्याप्त भिन्न होता है।

विद्यालय के सामाजिक कार्यकर्ता के पास जिन बालकों की समस्याएँ उपस्थित की जाती हैं वे उसके पास विद्यालय के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, सामाजिक-अभिकरणों तथा कभी-कभी बालकों के माता-पिता द्वारा भेजे जाते हैं अथवा बालक स्वयं अपनी समस्याएँ लेकर उसके पास जाते है । बालकों की कठिनाइयाँ या तो उनके व्यक्तित्व और व्यवहार से सम्बन्धित होती हैं या विद्यालय में उनके असामञ्जस्यपूर्ण जीवन के कारण उत्पन्न हुई रहती हैं अथवा उनका कारण उनके घर की वह अस्वास्थ्यकर स्थिति होती है जो उनके विद्यालयीय जीवन पर भी अहितकर प्रभाव डालती है । कार्यकर्ता अपनी सहायता-सम्बन्धी सेवाएँ बालकों के अतिरिक्त उनके माता-पिता और अध्यापकों को भी अर्पित करता है । उसकी सेवा का गुणात्मक स्तर अन्य सामाजिक कार्य करने वाले अभिकरणों द्वारा की जाने वाली सेवाओं के समान ही होता है । अर्थात् वह भी वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य के क्षेत्र में प्रचलित उत्कृष्टतम पद्धतियों और कौशलों का उपयोग करता है ।

इन सभी विषयों की विशेष व्याख्या की आवश्यकता है । अनुभव से यह सिद्ध है कि कार्यकर्ता के पास आये मामलों में से अधिकांश प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों द्वारा भेजे गये होते है । यह बात सहज ही समझ में आने लायक है क्योंकि अध्यापक को ही पहले इस बात का पता चलता है कि किसी बालक की समस्याएँ क्या है अथवा कौन बालक उपद्रवी है ! अध्यापिका या अध्यापक पहले या तो स्वयं इस प्रकार की उलझनों को सुलझा लेते हैं, नहीं तो उन्हें प्रधानाध्यापक या विद्यालय के सामाजिक कार्यकर्ता के पास ले जाते हैं । यदि अध्यापक किसी समस्या को प्रधानाध्यापक के पास उपस्थित करता है तो प्रधानाध्यापक उसे स्वयं सुलझाने में असमर्थ होने पर सामाजिक कार्यकर्ता के पास भेज देता है । इसके बाद कार्यकर्ता के पास अधिकतर समस्याएँ बालक के माता-पिता द्वारा भेजी जाती हैं और सामाजिक अभिकरणों का स्थान सबसे अन्त में आता है । कभी-कभी विद्यालय के उपस्थिति-विभाग, चिकित्सा-विभाग और मनोवैज्ञानिक परीक्षण-विभाग द्वारा भी कार्यकर्ता के पास बालकों की समस्याएँ उपस्थित की जाती हैं ।

बालकों को सामाजिक कार्यकर्ता के पास विभिन्न कारणों से भेजा जाता है । बालक की जो समस्या सामने दिखाई पड़ती है हो सकता है वह उसकी मूल समस्या न हो, बल्कि मूल समस्या को छिपाने वाला आवरण मात्र हो । उदाहरण के लिए, किसी बालक की कोई आन्तरिक भावना ही रूपान्तरित होकर उसके किसी विशेष व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त होती है । बालक की शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित कठिनाइयाँ या तो यह व्यक्त करती हैं कि उसकी बौद्धिक परिपूर्णता में कमी है (जिसका पता मनोमितिक परीक्षण से चल सकता है) अथवा वे किसी ऐसी आधारभूत कठिनाई की बाह्याभिव्यक्ति हैं जिसका पता

परीक्षण या माप-तौल से नहीं चल सकता । बालक परीक्षा में इसलिए अनुत्तीर्ण होता है कि उससे ऐसे काम की आशा की जाती है जो उसकी शक्ति के बाहर है अथवा उसमें पर्याप्त मानसिक क्षमता होते हुए भी उसे परिश्रम करने का अवसर नहीं मिल सका है । क्योंकि भावात्मक अवरोधों, निराशा और आन्तरिक संघर्ष से विक्षुब्ध होने के कारण वह अपने को व्यवस्थित करने में अक्षम रहा है । एक चौदह वर्ष का बालक जिसका बौद्धिक स्तर ११९ अंक (आई० क्यू० ११९) का है, हाईस्कूल की प्रथम वर्षीय परीक्षा में इस कारण अनुत्तीर्ण हो जाता है कि उसे अपने घर पर अपने अत्याचारी पिता तथा अत्यन्त भोगलिप्त माता के साथ संघर्ष करना पड़ता है । योग्यता की कमी के कारण अनुत्तीर्ण होने वाले अथवा सामान्य योग्यता होने पर अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अतिरिक्त ऐसे बालकों की भी समस्याएँ आती हैं जो साधारण योग्यता के होते है अथवा जो सभी विषयों में समान श्रम नही करते या जो एक ही विषय में बार-बार अनुत्तीर्ण होते है अथवा जिनका पढ़ने में बिलकुल मन नही लगता ।

कार्यकर्ता के पास बालक के स्वास्थ्य और शारीरिक दोषों से सम्बन्धित समस्याएँ भी भेजी जाती है । उदाहरण के लिए, कोई बालक जिसकी घाँटी बढ़ गयी है अथवा जो कम सुनता है, वर्षों तक विद्यालय द्वारा चिकित्सा के लिए अस्पताल में भेजा जाता है और वर्षों तक विद्यालय की उपचारिका बालक के माता-पिता का सहयोग न पाकर निराश और हताश होकर उस बालक की ओर से अपना हाथ खीच लेती है। अंत में बालक किसी अन्य विद्यालय में पढ़ने जाता है जहाँ मानसिक स्तर निम्न होने, कक्षा में असावधान रहने तथा शरारत करने के कारण उसे सामाजिक कार्यकर्ता के पास भेजा जाता है । कायकर्ता तुरन्त समझ जाता है कि उसके बहरेपन और कक्षा में उसकी असावधानी के बीच तथा उसके निम्न मानसिक स्तर और विद्यालय की स्थिति के बीच कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य है और इन सब बातों के मूल में यह तथ्य वर्तमान है कि उसका पिता उसके बढ़ते हुए बहरेपन की चिकित्सा कराने से हठपूर्वक इन्कार करता रहा है और साथ ही उसकी योग्यता के स्तर के ऊँचा होने पर भी बहुत बल देता रहा है । इस प्रकार के अनेक मामले पहले विद्यालय की उपचारिका के सामने आते हैं और अन्त में विद्यालय के सामाजिक कार्यकर्ता के पास भेज दिये जाते है ।

कार्यकर्ता के सामने व्यक्तित्व तथा व्यवहार-सम्बन्धी कठिनाइयों वाले मामले भी आते हैं । एक विवेकशील अध्यापक तुरन्त ऐसे बालकों को पहचान लेता है जो भय और आशंकाओं से ग्रस्त रहते हैं अथवा जो किसी को अपना मित्र नहीं बनाते, बिलकुल अकेले रहते और अन्य लड़कों से मिलना-जुलना नहीं चाहते हैं । प्रायः अध्यापक (या अध्यापिका) बच्चों को जानते रहते है जो बराबर लड़ते रहते, चोरी करते रहते अथवा आवारागर्दी

किया करते हैं। अनेक बच्चों के माता-पिता भी स्कूल में तथा सामाजिक कार्यकर्ता के पास यह शिकायत लेकर आते हैं कि उनके बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं या उनकी ऐसी आदतें हो गयी हैं जिन्हें सुधारना माँ-बाप के वश के बाहर की बात है। जैसे—अनैच्छिक मूत्रस्राव, हस्त-मैथुन और तुतलाहट आदि[४]।

(४) प्रेषित समस्याओं, विशेष रूप से विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रेषित समस्याओं,की मिल्ड्रेड सिकेमा ने जो विवेचना की है वह अनेक दृष्टियों से अत्यन्त उपयोगी है। उन्होंने उस सम्बन्ध में राष्ट्रीय विद्यालय-सामाजिक-कार्यकर्ता-संघ और संयुक्तराष्ट्र-सामाजिक-कार्यकर्ता-संघ के संयुक्त तत्त्वावधान में जो गवेषणा की थी उसी के आधार पर उपर्युक्त विवेचना की गयी है। उन्होंने ऐसे बारह सामुदायिक केन्द्रों का निरीक्षण किया जहाँ विद्यालय-सम्बन्धी सामाजिक कार्य होता है। इस प्रकार उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रधानाध्यापक (अथवा प्रधानाध्यापिकाएँ) निम्नलिखित प्रकार के बालकों को कार्यकर्ता के पास भेजते हैं—

(१) ऐसे बालक जिनका व्यवहार उत्तरोत्तर अधिक कठिनाइयों से युक्त होता जा रहा है अथवा जिनका व्यवहार पुरानी आदत के रूप में बदल गया है।

(२) ऐसे बच्चे जो काफी समय तक अपने समूह से भिन्न बने रहते, उससे कटे रहते और किसी से बात नहीं करते, विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते, सदा अप्रसन्न रहते तथा अन्य बालकों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते।

(३) ऐसे बालक जो अपनी क्षमता की सीमा के अनुसार सामान्य प्रगति नहीं करते हैं।

(४) ऐसे बालक जिनमें आकस्मिक रूप से ऐसा परिवर्तन हो जाता है जो आसानी से समझ में नहीं आता है, पर जिसका अनुमान तो किया जा सकता है, किन्तु उसे देखा नहीं जा सकता।

(५) विद्यालय में कठिनाइयों का अनुमान करने वाले ऐसे बालक जिनकी पारिवारिक स्थिति की जटिलता की बात पहले से मालूम होती है।

(६) ऐसे बालक जिनके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

(७) ऐसे बालक जिनकी उपस्थिति से सम्बन्धित समस्याएँ अध्यापक

कार्यकर्ता का कार्य

विद्यालयों में भी उन्हीं कार्य-पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है जो अन्य वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य करने वाले अभिकरणों द्वारा अपनायी जाती हैं। पर अन्तर यह है कि विद्यालयों में अधिकतर स्त्रियाँ ही सामाजिक कार्य करने के लिए रखी जाती हैं जो उन पद्धतियों को विद्यालय के वातावरण के अनुरूप रंग दे देती हैं। यदि बालक स्वयं सहायता माँगने नहीं जाता या सहायता का उपयोग करने को तैयार नहीं होता तो कार्यकर्त्री स्वयं उससे साक्षात्कार करने की इच्छा प्रकट करती है। पर यह आवश्यक नही है कि हर हालत में साक्षात्कार द्वारा ही वैयक्तिक सेवा-कार्य का प्रारम्भ किया जाय। बहुधा ऐसे बालकों की, जो नीचे की कक्षाओं में पढ़ते हैं, सहायता उन वयस्क व्यक्तियों के माध्यम से की जाती है जो उन बालकों के पर्यावरण के भीतर उनके साथ-साथ रहते और उस पर्यावरण का स्वाभाविक अंग बन गये रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्त्री का, जो उस बालक के लिए अजनबी होती है, उस पर्यावरण में प्रवेश करना उस बालक को संभ्रम और परीशानी में डाल सकता है। यदि कार्यकर्त्री का बालक से मिलना आवश्यक हो जाता है तो वह उससे मिलकर उससे यह पूछती है कि उसे क्या कठिनाई या परीशानी है, उसके सम्बन्ध में उसकी क्या धारणा है और वह उसके सम्बन्ध में क्या और कैसी सहायता चाहता है ? साथ ही वह बालकों को यह बताती भी है कि वह उसकी किस विषय में कितनी सहायता कर सकती है। यदि बालक के अध्यापक या प्रधानाध्यापक ने उसका मामला कार्यकर्ता के पास भेजा है तो कार्यकर्त्री पहले अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक से मिलकर उस बालक के सम्बन्ध में

और प्रधानाध्यापक के प्रयत्नों के बावजूद हल नहीं हो पातीं और स्थायी रूप ग्रहण कर लेती हैं।

(८) ऐसे बालक जिनकी सहायता करने में उपचारिका अपने को असमर्थ पाती है।

सिकेमा ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि जिन लक्षणों के कारण बालक का मामला कार्यकर्ता के पास भेजा गया है और उन लक्षणों के पीछे जो समस्याएँ हैं उनके अन्तर को समझना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

देखिए;—मिल्ड्रेड सिकेमा—"रिपोर्ट आफ ए स्टडी आफ स्कूल सोशल वर्क प्रैक्टिस इन ट्वेल्ब कम्युनिटीज—न्यूयार्क, अमेरिकन एसोशियेसन आफ सोशल वर्कर्स, १९५३, पृष्ठ १६ – १७, २१ – २२, २३।

उनके दृष्टिकोण तथा अन्य बातों की जानकारी प्राप्त करती है । यदि बालक का मामला उसके पिता द्वारा प्रेषित किया जाता है तो कार्यकर्त्री पहले बालक से न मिलकर उसके पिता से ही मिलती और उससे समस्या की पूरी व्याख्या करने को कहती है । ताकि दोनों मिल कर इस बात का पता लगा सकें कि बालक को किस तरह की आवश्यकता है। यदि सहायता के लिए कार्यकर्त्री के पास किसी बालक का आवेदन-पत्र आता है तो विद्यालय में सामाजिक कार्य करने वाली कार्यकर्त्री भी अन्य अभिकरणों में वैयक्तिक-सेवा-कार्य करने वाले कार्य-कर्ताओं के समान कार्यार्थी को पहले आवेदन-पत्र सम्बन्धी साक्षात्कार के लिए बुलाती है । जैसा गोर्डन हेमिल्टन ने लिखा है, इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य यह है कि दोनों पक्षों के बीच परस्पर विश्वास उत्पन्न हो सके, कार्यार्थी कार्यकर्ता को इस बात का पता लगाने में योग दे कि उसकी वास्तविक कठिनाई क्या है और कार्यकर्ता इस बात का अनुमान लगा सके कि कार्यार्थी और अभिकरण दोनों इस समस्या को सुलझाने में कहाँ तक सक्षम हो सकते है । किसी समस्या को हाथ में लेने पर कार्यकर्ता का पहला कदम यह भी हो सकता है कि वह कार्यार्थी के विद्यालयीय जीवन-वृत्त, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक परीक्षण आदि से सम्बन्धित अभिलेखों की परीक्षा करे, किन्तु वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि यह सब सामग्री व्यक्तिगत साक्षात्कार में सहायता पहुँचाने के लिए ही प्रयुक्त हो सकती है, वह स्वयं व्यक्तिगत साक्षात्कार का स्थान नही ग्रहण कर सकती । यदि उसे बच्चे की सहायता करनी है तो कार्यकर्ता को प्रारम्भ में ही यह बात कार्यार्थी से स्पष्ट कर देनी चाहिए कि वह उसके साथ नियमित रूप से साक्षात्कार करेगा अथवा कभी-कभी । वह अध्यापक और प्रधानाध्यापक को भी यह बात अच्छी तरह समझा देता है कि बालक, उसके माता-पिता और उसके विद्यालय के लोगों के साथ वह अलग-अलग जो साक्षात्कार करेगा उन सब में पद्धतिगत और स्वरूपगत एकरूपता नहीं होगी; इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता को बालक के अनेक प्रकार के परीक्षण—जैसे–चिकित्सकीय और मनो-वैज्ञानिक—कराने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है ।

सेवार्थी के साथ सम्पर्क स्थापित करने के तुरन्त बाद ही कार्यकर्ता यह निश्चय कर लेता है कि कार्यार्थी बालक को किस रूप में सहायता दी जायेगी । किसी मामले में वह यह निश्चय करता है कि बालक को जिस प्रकार के गम्भीर उपचार की आवश्यकता है । वह बाल-निर्देशन-स्वास्थ्य-गृह में ही सम्भव हो सकता है । ऐसे मामलों में कभी-कभी यह पता चलता है कि बालक के किसी शारीरिक दोष, पश्चात्-मस्तिष्क-शोथ-रोग अथवा ग्रन्थीय क्रियाहीनता के कारण व्यवहार-सम्बन्धी व्याघात की चिकित्सा की आवश्यकता है अथवा उसकी कठिनाई का मूल कारण उसके व्यक्तित्व के भीतर कहीं गहराई में छिपा है और लम्बे समय तक उसकी मानसिक चिकित्सा होनी चाहिए । ऐसे बालकों की समस्या

को सामाजिक कार्यकर्ता या तो स्वयं स्वास्थ्य-गृह के सहयोग से हल करने का प्रयत्न करता है अथवा ऐसी व्यवस्था करा देता है कि बालक अपने पिता के साथ स्वयं स्वास्थ्य-गृह में जाकर चिकित्सा करा सके। कुछ अन्य बालकों या परिस्थितियों से सम्बन्धित समस्याओं का उत्तरदायित्व वह अध्यापक के ऊपर छोड़ देता है और उन्हें सुलझाने के सम्बन्ध में अध्यापक को परामर्श देता रहता है, इस तरह वह अप्रत्यक्ष रूप से अध्यापक के माध्यम से बालक की सहायता करता है। एक अन्य प्रकार की सम्भावनामूलक सेवा यह होती है कि बालकों की समस्याओं के सम्बन्ध में अल्पकालीन सेवा के आधार पर उनकी सहायता की जाये। यह अल्पकालीन सेवा बालकों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त होती है जिनका निवारण विद्यालयीय सेवाओं, जैसे विशेष शिक्षण-व्यवस्था आदि, के माध्यम से हो सकता है। इस प्रकार की सहायता की प्रभावात्मकता बहुत कुछ बालक, उसके माता-पिता और अध्यापक की आत्म-परिवर्तन की क्षमता पर निर्भर करती है। अल्प-कालिक सेवा की अनिवार्य शर्त यह है कि पहले यह अच्छी तरह समझ लिया जाय कि बालक की आवश्यकता क्या है, वह अपने को परिवर्तित करने को राजी है या नहीं, और उसमें ऐसी क्षमता है या नही कि वह बाद में अपने भीतर वाले विकास का उत्तरदायित्व स्वीकार कर सके।

अध्यापकों के साथ सम्बन्ध

इस समय विद्यालयों में सामाजिक कार्यकर्ता और अध्यापकों के बीच जो सम्बन्ध है वह उनके पूर्ववर्ती सम्बन्ध से बिलकुल भिन्न और बदला हुआ है। पहले कार्यकर्ता वस्तुतः एक 'अतिथि-अध्यापक' होता था अर्थात् वह बालकों के घर जाकर उनके माता-पिता से उनके सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त करता और लौटकर वह सब कक्षा-अध्यापकों से बताता था। तब से अब तक विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता अध्यापकों को प्रशिक्षित करने और वैयक्तिक सेवा-पद्धति द्वारा उनकी भी सहायता करने के मार्ग पर अनेक मंजिले पार करता हुआ आज एक ऐसे व्यावहारिक सिद्धान्त पर पहुँच गया है जिसके अनुसार विद्यालयों में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और अध्यापक दो भिन्न वृत्तिक वर्गो के व्यक्ति हैं, जिनका लक्ष्य एक ही होता है और जो उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। वह लक्ष्य है, विद्यालय के अनुभवों के माध्यम से बालकों का विकास करना। कार्यकर्ता का सेवा-कार्य यही है कि वह बालक की इस तरह सहायता करता है जिससे वह अपनी कक्षा के अध्ययन-सम्बन्धी अनुभवों से अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकता है। इसी तरह वह अध्यापकों और अध्यापिकाओं की भी ऐसी सहायता करता है जिससे वे बालकों की कठिनाइयों से सम्बन्धित परिस्थितियों पर नियंत्रण कर पाते

हैं। इस प्रकार अध्यापक और कार्यकर्ता के वृत्तिक सम्बन्ध ऐसे है कि उन दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है। अध्यापक जिसकी कक्षा में ३०,४० या ५० बालक पढ़ते हैं, कुछ शरारती और अनियन्त्रित लड़कों के कारण अन्य बालकों की विकासात्मक प्रगति में बाधा नहीं उत्पन्न होने दे सकता। उसकी चिन्ता पहले वर्ग के लिए होती है, व्यक्ति के लिए नहीं। दूसरी ओर विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे व्यक्तियों के लिए अलग-अलग काम करता है जिनकी समस्याएँ एक दूसरे से भिन्न और विचित्र होती हैं। यदि किसी कक्षा में अध्यापक, कक्षा के अधिकांश लड़कों तथा दूसरी ओर कुछ शरारती लड़कों के बीच गति-रोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस समय गति-रोध को तोड़ने और विकास की गति की आगे बढ़ाने के लिए किसी ऐसी गतिक शक्ति की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा या तो बालक में या अध्यापक अथवा समूची परिस्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। यही वह स्वाभाविक क्षेत्र है जिसके भीतर कार्यकर्ता अपना कार्य करता है। किन्तु यह बात भी ध्यान में रखने की है कि किसी व्यक्ति में परिवर्तन तभी हो सकता है जब कि वह उसके लिए तैयार हो। यह सिद्धान्त बालकों और अध्यापकों पर समान रूप से लागू होता है क्योंकि अध्यापक भी अपनी कक्षा के बालकों के समान व्यक्ति ही होते हैं।

अध्यापक विभिन्न कारणों से विभिन्न प्रकार की सहायता माँग सकते हैं। वे किसी ऐसे बालक के सम्बन्ध में सहायता माँग सकते हैं जिसके विकास में कहीं कठिन अवरोध उत्पन्न हो गया है। यद्यपि आजकल शिक्षकों को प्रशिक्षित करते समय मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक जानकारी हासिल करनी पड़ती है फिर भी कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें उनका यह ज्ञान काम नहीं देता और तब अधिक विशेषीकृत कौशल वाले व्यक्तियों को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह अध्यापक का काम केवल अपने विषय का अध्यापन करना ही नहीं है, बल्कि उसके लिए यह भी समझना आवश्यक है कि बालकों की कुछ ऐसी भावात्मक कठिनाइयाँ हो सकती है जिन्हें दूर करने की क्षमता उसमें नहीं है। ऐसी स्थिति में अध्यापक उस बालक का मामला सामाजिक कार्यकर्ता के पास भेज देता है और फिर कार्यकर्ता और अध्यापक दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए बराबर इस बात पर अपना ध्यान केन्द्रित किये रहते हैं कि बालक विद्यालय की स्थितियों के अनुरूप अपने को समायोजित कर रहा है या नहीं[५]।

(५) विकमैन ने इस दिशा में बालकों के व्यवहार और अध्यापकों के दृष्टि-

अध्यापक के साथ कार्यकर्ता का रचनात्मक कार्य

विद्यालय की व्यवस्था में वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता की उपयोगिता के सम्बन्ध में अब तक जो विवेचना की गयी है उसमें यह धारणा निहित रही है कि अध्यापक और विद्यालय-परामर्शदाता के कार्य अलग-अलग हैं। कोई भी विद्यालय-अधीक्षक या अध्यापक यह नहीं चाहता कि कोई वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता विद्यालय की शिक्षा-व्यवस्था के भीतर घुसकर अपनी टाँग अड़ाये और अध्यापकों को यह सिखाये कि बालकों को कैसे पढ़ाना चाहिए। विद्यालय के अधिकारी, अध्यापक और विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता, सभी यह अनुभव करते है कि यद्यपि विद्यालय के लिए वैयक्तिक कार्यकर्ता की सेवाएँ अत्यन्त आवश्यक हैं, पर उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अध्यापन का काम अपने हाथ में ले ले; उसका काम तो इतना ही है कि वह अध्यापकों की इस तरह सहायता करे कि वे अपनी कक्षा से सम्बन्धित समस्याओं को अधिक प्रभावात्मक ढंग से सुलझा सकें। पर साथ ही कार्यकर्ता का प्रमुख कार्य उन बालकों की सेवा करना है जिनके कारण विद्यालय, विद्यालय कहलाता है।

वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि वह अध्यापको के साथ मिल-जुलकर किस तरह काम करता है। सर्वप्रथम कार्यकर्ता इस

कोण के सम्बन्ध में जो अध्ययन प्रस्तुत किया उससे कई नयी बातें मालूम पड़ती हैं। जो बात अध्यापक को एक गम्भीर व्यवहारगत समस्या प्रतीत होती है उसी को मानसिक स्वास्थ्य-शास्त्री बिलकुल दूसरे रूप में देख सकता है। अध्यापक की दृष्टि में बालक द्वारा नियमों का उल्लंघन, उसकी शरारतें, असत्यवादन और आज्ञा-उल्लंघन गम्भीर अपराध हैं। किन्तु मानसिक स्वास्थ्य-शास्त्री के अनुसार कुछ ऐसे अपराध है जो उनसे भी अधिक गम्भीर हैं। जैसे, लज्जाशीलता, भावुकता, असामाजिकता, भयातुरता, स्वप्नदर्शिता आदि। लज्जालु और भयभीत बालक कक्षा में अध्यापक से प्रश्न पूछकर या अन्य किसी प्रकार उसे तनिक भी परेशान नहीं करता, किन्तु यह इस बात का लक्षण भी हो सकता है कि वह बालक किसी गम्भीर कठिनाई की दिशा में बढ़ रहा है। एक आज्ञा उल्लंघन करने वाला और दुष्ट बालक अध्यापक के लिए भयंकर बाधा प्रतीत होता है, किन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह स्कूल के वातावरण के बीच स्वप्नदर्शी और असामाजिक बालक की अपेक्षा अपने को अधिक स्वाभाविक ढंग से समायोजित कर सकता है।

बात का पता लगाता है कि अध्यापक उसके पास जो समस्या लाता है उसके प्रति उसकी अपनी भावनाएँ क्या हैं ? यह बात विशेष रूप से इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि कभी-कभी वस्तुतः बालक की समस्या के पीछे अध्यापक की ही समस्या छिपी रहती है । ऐसी स्थिति में बालक की सहायता करने के पूर्व अध्यापक को ही इस बात के समझने में सहायता दी जाती है कि उस समस्या में उसका क्या स्थान है ? इतना होने पर भी अध्यापक, अध्यापक ही रहता है, वह स्वयं कार्यार्थी नहीं बन जाता । इसमें एक खतरा यह है कि कहीं अध्यापक यह न समझने लगें कि केवल विद्यालय का कर्मचारी होने के कारण कार्यकर्ता एक दूसरे पेशे का व्यक्ति होकर भी उनके मामलों में टाँग अड़ा रहा है, और इस कारण वे सशंकित और भयभीत न होने लगें । इसलिए जब तक कार्यकर्ता में ऐसी अन्तर्दृष्टि और समझ न हो जिसकी इस पेशे के व्यक्तियों से आशा की जाती है, तब तक कार्यकर्ता और अध्यापक जिस वास्तविकता का साक्षात्कार करते हैं वह बालक की समस्या तथा उसके प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण ही है ।

कुछ अध्यापक यह नहीं पसन्द करते कि वे अपनी कक्षा की कठिनाइयों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने, चाहे वह प्रधानाध्यापक हो अथवा वैयक्तिक-सेवा-कार्यकर्ता, उपस्थित करें । वे यह सोचते है कि इस बात को उनकी वृत्तिक-अक्षमता मान लिया जायेगा और उसे बताकर वे अपने मुँह से अपनी असफलता स्वीकार करेंगे । यदि किसी अध्यापक में ये भावनाएँ हैं तो कार्यकर्ता चाहे कुछ भी क्यो न कहे, वह उसके मन से वे बातें नही निकाल सकता और ऐसा अध्यापक उसके पास कोई समस्या लेकर नही जा सकता । जब कार्यकर्ता सहज रूप से अपने दैनिक कार्य करने लगता है और विद्यालय के अन्य कर्मचारी उसे भी विद्यालय का एक अंग मान लेते है, केवल तभी अध्यापक निःसंकोच भाव से उसके सामने अपनी समस्याएँ लेकर उपस्थित हो सकते है । वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता को जब यह पता चल जाता है कि कोई अध्यापक उसके पास नही आना चाहता तो वह उसे अपनी कठिनाइयाँ सुलझाने के लिए स्वतन्त्र छोड़ देता है और यह आशा करता है कि अन्त में निराश होकर वह अध्यापक स्वयं सहायता मांगने के लिए उसके पास आयेगा ।

उपर्युक्त स्थिति से बिलकुल भिन्न एक स्थिति यह है कि कभी-कभी वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता बालक और अध्यापक की समस्या के सम्बन्ध में काम करते हुए अध्यापक के लिए ऐसी सुविधाजनक स्थित पैदा कर देता है कि वह अपने अनुभवों का रचनात्मक ढंग से उपयोग करने लगता है । अनेक अध्यापक कार्यकर्ता की इस प्रकार की सहायता का उपयोग या तो स्वेच्छापूर्वक प्रयत्न करके या आकस्मिक रूप से करते हैं और इस तरह अपने वृत्तिक-कौशल का विकास करते है । इस प्रकार वे इस सहायता द्वारा अपने अध्यापन-सम्बन्धी विषयों के ज्ञान में भले ही वृद्धि न करते हों, किन्तु इससे वे अपनी उस

क्षमता का विकास अवश्य करते हैं जिसके द्वारा वे अपने को तथा अपनी कक्षा के बालकों के साथ अपने सम्बन्ध को अच्छी तरह समझ सकते हैं और इस तरह अपने अध्यापन कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय के कर्मचारियों के बीच कार्यकर्ता जो सेवा-कार्य करता है उसका उद्देश्य अध्यापकों की इस प्रकार सहायता करना है कि अध्यापक बालकों की सहायता करने की दृष्टि से पहले से अधिक योग्य बन जाय। वह अध्यापकों की इस बात में भी सहायता करता है कि वे केवल बालकों के प्रत्यक्ष-पक्ष पर ही न विचार करें, बल्कि उसके परोक्ष-पक्ष पर भी ध्यान दें अथवा बालक जिस रूप में है उसी रूप में उसे देखें अथवा स्वीकार करें। यदि अध्यापक को यह अनुभव होने लगेगा कि बालकों की समस्याएँ सुलझाने के लिए कोई अन्य व्यक्ति भी उसकी सहायता करने को तैयार है तो कुछ बालकों के अनियन्त्रित व्यवहार के कारण मन पर जो बोझ रहता है वह हलका हो जाता है। इस तरह वही बालक जिसके कारण अध्यापक पहले कुढ़ता रहता था और उसके साथ बर्बर व्यवहार कर बैठता था, अब अध्यापक को ऐसा व्यक्ति प्रतीत होने लगता है जिसे वह आसानी से सहन कर सकता तथा उसके साथ मिलकर काम कर सकता है और स्वयं वह बालक भी, जिसके ऊपर अध्यापक के मन के भीतर न छिप सकने वाली और बर्बर व्यवहार बनकर अभिव्यक्त होने वाली भावनाओं के कठोर आघात का प्रभाव अब भी शेष रहता है, धीरे-धीरे ऐसे व्यक्ति के रूप में बदल जाता है जिसे अध्यापक सहज ही स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर कार्यकर्ता अध्यापक की जो सहायता करता है उसका उद्देश्य केवल इतना ही होता है कि अध्यापक में पर्याप्त आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके और वह अपने छात्रों तथा अपनी कक्षा की स्थिति से सम्बन्धित कार्यक्रम स्वयं निर्धारित और कार्यान्वित कर सके। यद्यपि यह बात आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकती है, किन्तु सत्य है कि कार्यकर्ता का उद्देश्य अध्यापकों और बालकों की इस प्रकार सहायता करना है कि वे स्वयं अपनी प्रेरणा और शक्ति से संचालित होकर अपने-अपने मार्ग पर स्वतन्त्र रूप से बढ़ सकें। कार्यकर्ता कोई भी सहायता कार्य अध्यापक या बालक के लिए नहीं उनके साथ करता है और सहायता कार्य पूरा होते ही वह उनके मामले से अपना हाथ बिलकुल खींच लेता है ताकि वे स्वयं अकेले ही अनुभव कर सकें कि उनकी आन्तरिक क्षमता में कितना विकास हुआ है।

माता-पिता के साथ सम्बन्ध

बालकों में समय-समय पर ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते रहते हैं जिनसे पता चलता है कि उनके घरेलू जीवन में कठिनाई है जिसके कारण वे विद्यालय के जीवन के साथ स्वाभाविक सामञ्जस्य नहीं कर पाते। इस बात की सूचना विद्यालयीय सामाजिक-कार्यकर्ता के

पास पहुँचती है और वह उनके बारे में अच्छी तरह पता लगाता है । क्योंकि वह जानता है कि विद्यालय में बालकों के लिए जो कुछ किया जाता है उससे लाभान्वित होने के मार्ग में बालकों के घरेलू जीवन की कठिनाइयाँ बाधा उपस्थित करती हैं । यदि सच पूछा जाय तो बालक के घर में जो कुछ घटित होता है उसका प्रभाव निश्चयात्मक रूप से उसके विद्यालयीय जीवन पर पड़ता है जिसका और कुछ कारण हो या न हो, एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि वर्तमान समय में बालक अपना अधिक समय और जीवन विद्यालय के भीतर ही व्यतीत करता है । पिछले कुछ वर्षों में बहुत-से ऐसे कार्य, जो परम्परागत रूप में बच्चे के परिवार के कार्य समझे जाते थे, विद्यालय तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं द्वारा अपना लिये गये हैं । फलतः आज विद्यालयों पर बालक के विकास का जितना उत्तरदायित्व आ गया है उतना उन दिनों नहीं था जबकि विद्यालय का एकमात्र कार्य बालकों के मस्तिष्क में ज्ञान की बातें भरना था । इसी कारण आधुनिक युग में बालकों के माता-पिता भी अपने बच्चों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए विद्यालयों का ही सहारा लेते हैं । इस प्रकार का अवसर उपस्थित होने पर विद्यालय के सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी—यहाँ बालक के माता-पिता की सहायता करने में विशेष आसानी होती है क्योंकि कार्यार्थी अपनी समस्या से सम्बन्धित अपने अनुभवों को बताने के लिए अथवा अन्य प्रकार से सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है । ऐसा अवसर मिलना कार्यकर्ता के लिए इस कारण और भी सौभाग्यपूर्ण होता है कि कार्यार्थी उसे विद्यालय से सम्बद्ध व्यक्ति मान कर उसके पास आता है और कुमारी एडिथ ईवरेट के शब्दों में, एक ओर तो वह "विद्यालय के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरी ओर उन बच्चों की सफलता और प्रसन्नता की भी चिन्ता करता है जो विद्यालय की व्यवस्था और अनुशासन के अनुरूप अपने को ढाल नहीं पाते हैं ।"

कुछ उदाहरणों में बालक के माता-पिता को इस बात का कुछ भी पता नहीं रहता कि उनका बच्चा विद्यालय में कैसे रहता है या विद्यालय में क्या-क्या किया जाता है अथवा घर पर उनका अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार रहता है कि उसके विद्यालयीय जीवन के सम्बन्ध में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी । यहाँ उन मामलों की ओर संकेत नहीं किया जा रहा है जिनमें बच्चों के साथ निर्दयता और अत्याचार का व्यवहार किया जाता है, ऐसे मामलों को देखने का उत्तरदायित्व तो अन्य सामुदायिक अभिकरणों का होता है । यहाँ अभिप्राय बच्चों के साथ किये जाने वाले ऐसे व्यवहारों से है जो अत्यन्त सूक्ष्म रूप में और कभी-कभी अचेतन रूप में भी, उनके विकास में बाधा उपस्थित करते हैं । जो माता अपने बच्चों के विद्यालय के कार्य ठीक से न करने के लिए या उनके चरित्र के लिए शिकायत करने पर उनका पक्ष लेते हुए उन्हें बचाने का प्रयत्न करती है, वे वस्तुतः

उन्हें पंगु बनाने का प्रयत्न करती हैं और उनका यह प्रयत्न बच्चों के लिए उतना ही अहितकर है जितना उसके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करना। जो बालक अपने उत्तरदायित्व को नहीं जानता है और यदि जानता है तो उसे स्वीकार नहीं करता, विद्यालयीय जीवन में विकास करने की जितनी सुविधाएँ प्राप्त रहती हैं, वह उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता है। कार्यकर्ता ऐसे बालक की तभी सहायता कर पायेगा यदि वह उस बालक के अतिरिक्त उसके अध्यापक और माता-पिता के सहयोग से काम करेगा। बालक को इस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपने कार्यक्रम की योजना बनाने में स्वयं भी भाग ले, उसके अध्यापकों को उसके प्रयत्नों में सहायता करनी चाहिए और उसके माता-पिता को भी यह समझा देना चाहिए कि वे बालक को विकास की स्वाभाविक सुविधाएँ और अवसर प्रदान करें। यदि दूसरे व्यक्ति बालक के ऊपर सदैव अपना निर्णय लादते रहेंगे तो उससे कभी भी यह आशा नहीं की जा सकती कि वह बड़ा होने पर एक उत्तरदायी व्यक्ति बन सकेगा। कभी-कभी समझदार और उच्च आदर्श वाले माता-पिता भी इस बात को अच्छी तरह न समझने के कारण गलती कर बैठते हैं।

बच्चे पर भार

कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें उत्तरदायित्व का बहुत बड़ा बोझ वहन करने के लिए विवश किया जाता है। ऐसे बच्चों के माँ-बाप यह सोचते हैं कि इस पीढ़ी के बच्चे आवश्यकता से अधिक सुकुमार हो गये हैं, अतः अपने बचपन में, १०–१२ वर्ष की उम्र में उन्हें जो काम करने पड़ते थे, आज उनके बच्चों को भी वे काम अवश्य करने चाहिए। ऐसे माँ-बाप यह बात नहीं समझ पाते कि इस तरह बच्चों पर अधिक बोझ डाल कर वस्तुतः वे उन्हें भीरु और डरपोक बना रहे हैं क्योंकि इस तरह बच्चे असफलता के डर से कोई भी उत्तर-दायित्व ग्रहण करना स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बच्चे के प्रतिभाशाली माता-पिता अपने औसत योग्यता वाले बालकों से, जिनके भाई-बहन भी वंश-परम्परागत गुणों को संयोग से प्राप्त कर लेने के कारण अपने माँ-बाप के समान ही प्रतिभाशाली हैं, बड़ी-बड़ी आशाएँ लगाये रहते हैं और ये आशाएँ भी बालक के सिर पर का बोझ बन जाती हैं। ऐसे बच्चों को हमेशा इस बात का भय भूत की तरह सताता रहता है कि कहीं वे असफल न हो जायें और जब वे सचमुच असफल या अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो जैसे उनके सिर पर का वह बोझ उतर जाता है और वे अद्‌भुत शान्ति का अनुभव करने लगते हैं। कुछ बालकों के सिर का बोझ कुछ दूसरी ही तरह का होता है जिसे वहन करना छोटे बालकों के लिए और भी कठिन होता है। यह आशंका और अस्थायित्व का बोझ होता है। यह आशंका उन बच्चों में अधिक होती है जिनका परिवार अस्थायित्व की स्थिति में होता है। उनके

परिवार के अस्थायित्व का कारण प्रायः यह होता है कि उनके माता-पिता का पारस्परिक सम्बन्ध असंगतिपूर्ण होता है, यद्यपि वे किसी तरह एक परिवार में एक साथ रहते हैं। अस्थायित्व का दूसरा कारण यह होता है कि बालक को एक परिवार छोड़ना पड़ता है और दूसरे परिवार में अभी उसके पाँव नहीं जमे होते है। इस प्रकार के अनुभवों से बच्चे में जो सुरक्षाहीनता की भावना उत्पन्न होती है उसका प्रभाव यह होता है कि वह विद्यालय के वातावरण के भीतर अपने को अच्छी तरह समायोजित नहीं कर पाता है। ऐसे बालक बहुत कम होते हैं जो अपने परिवार के अनुभवों से अपने विद्यालयीय जीवन को अलग और अप्रभावित रख पाते हैं।

जब बच्चे के स्वास्थ्य से सम्बन्धित कोई समस्या उपस्थित होती है तो उस समय भी कार्यकर्ता को बच्चे के घर और विद्यालय, इन दोनों क्षेत्रों में काम करना पड़ता है। जिस कम सुनने वाली बालिका की चर्चा पहले की जा चुकी है, उसकी रुग्ण घंटी और बहते कान विद्यालय की उपचारिका के लिए एक समस्या बन गये थे। यह समस्या उपचारिका को कई वर्षों से परीशान कर रही थी। इसके बावजूद कि उस लड़की की बीमारी वस्तुतः दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही थी, विद्यालय उसके माँ-बाप का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सका। उसकी माँ तो उसकी चिकित्सा के लिए कुछ उद्योग करने को तैयार थी, किन्तु उसका बाप इसका कट्टर विरोधी था, उसका कहना था कि कोई भी डाक्टर उसकी बच्ची के कान की चिकित्सा में असफलता के डर से हाथ नही लगा सकता। अपने मत की पुष्टि करने के लिए वह कहता था कि शरीर में जितने अंग होते हैं, शरीर को उन सबकी आवश्यकता होती अन्यथा भगवान् ने उन्हें बनाया ही क्यों होता ? किन्तु जहाँ तक उसकी लड़की के कानों का प्रश्न है, यह निश्चित है कि ज्यों ही उनका बहना बन्द हो जायगा, वह पहले से अधिक अच्छी तरह सुन सकेगी क्योंकि प्रश्न यह है कि जब तक उनमें बहने वाला पदार्थ वर्तमान है तब तक उनका बहना कैसे बन्द हो सकता है ?

कार्यकर्ता इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर समस्याओं को सुलझाने के लिए जो प्रयत्न करता है उससे अच्छी तरह पता चल सकता है कि विद्यालय में बालकों की परीशानियाँ दूर करने के उद्देश्य की पूर्ति में वैयक्तिक सेवा-कार्य की क्या देन है। सामाजिक कार्यकर्ता को यह समस्या उस समय सौंपी गयी जब विद्यालय की उपचारिका और अध्यापिकाएँ उस बालिका और उसके माता-पिता में किसी प्रकार का सुधार होना असम्भव मान कर सभी आशा छोड़ चुकी थीं। बालिका के घर जाकर पता लगाने पर कार्यकर्ता को मालूम हुआ कि उसके माता-पिता इस बात को बहुत महत्त्व देते थे कि बालिका कितनी जल्दी ऊँची से ऊँची कक्षा में पहुँच जाय। दुर्भाग्य या सौभाग्य से उनकी बच्ची अपनी

कक्षा में बराबर अनुत्तीर्ण होती थी। उसका बहरापन बढ़ता ही जा रहा था जिसके कारण कक्षा में अध्यापिकाएँ जो कुछ पढ़ाती थीं, वह कुछ भी नहीं सुन पाती थी। फलतः वह कक्षा में असावधान रहा करती और तरह-तरह के उत्पात किया करती थी। बालिका की प्रगति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन से यह सूचना मिली कि वह अधिकांश विषयों में बहुत कमजोर और पिछड़ी थी और यह बात उसके माता-पिता, विशेष कर उसके पिता के लिए असह्य थी। वह अपनी लड़की के कान की चिकित्सा के सम्बन्ध में कुछ भी करने के लिए तब तक तैयार नहीं था जब तक कि उसे कार्यकर्ता यह विश्वास न दिला दे कि स्वास्थ्य-गृह का बड़ा डाक्टर उसकी लड़की के कानों का परीक्षण करेगा, कोई नवसिखुआ विद्यार्थी नहीं। कार्यकर्ता ने अस्पताल वालों से बातचीत करने के बाद लड़की के पिता को इस बात के लिए पुनः आश्वासन दिया। इस बीच कार्यकर्ता ने उन लोगों पर कभी भी अपना निर्णय लादने की कोशिश नहीं की। वह अनुभव करता था कि लड़की उनकी थी, इसलिए वे उस पर अपना अधिकार समझते थे और इसी कारण विद्यालय और विद्यालय की उपचारिका की सारी शक्ति लड़की के लिए कुछ करने में बेकार सिद्ध हो रही थी। उनके ऊपर जितना ही दबाव डाला जाता था वे उतनी ही दृढ़ता पूर्वक विरोध करते थे। बात यहाँ तक बढ़ी कि इस झगड़े में लड़की की समस्या खो गयी। अन्त में कार्यकर्ता ने उन्हें समझाया कि मुख्य प्रश्न तो बालिका का विद्यालय-सम्बन्धी जीवन-वृत्त है जो इस समस्या का लक्ष्य-बिन्दु है। उसने केवल शब्दों द्वारा नहीं, बल्कि भावात्मक ढंग से उन्हें बताया कि निर्णय करना उन्हीं के हाथ में है और वे यदि चाहें तो उनकी लड़की की सहायता के लिए कदम उठाया जा सकता है। इस तरह बार-बार वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य का यह सिद्धान्त काम में लाया गया कि वैयक्तिक सेवा-कार्य में कार्यार्थियों को स्वयं अपने सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिए, वैयक्तिक सेवा-कार्य-कर्ता का काम केवल समस्या की व्याख्या करना और उसके बाद सेवार्थी की इस प्रकार सहायता करना है कि वह अपने सम्बन्ध में जो भी निर्णय करना उचित समझे, स्वयं कर सके।

बच्चे के साथ सम्बन्ध

विद्यालयीय सामाजिक कार्य का लक्ष्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे की सहायता करना है। बच्चा कार्यकर्ता के पास उस तरह सहायता माँगने नहीं आता जैसे वयस्क व्यक्ति आते हैं और कार्यकर्ता के सहायता-कार्य में भी वह वयस्कों के समान सहयोग नहीं प्रदान करता। फिर भी यह मानकर कि वह अभी बच्चा है और कठिनाइयों में फँस जाने पर भी अपनी इच्छा से सहायता माँगने नहीं आयेगा, (भले ही वह किसी सामाजिक कार्यकर्ता

को जानता हो अथवा वैयक्तिक सेवा-कार्य का महत्त्व समझता हो, यद्यपि इसकी सम्भावना कम है), सम्बन्धित वयस्क लोगों पर यह उत्तरदायित्व आ जाता है कि वे बालक को सहायता दिलाने का प्रयत्न करें। बालक का एक सबसे बड़ा अहस्तान्तरणीय अधिकार यह है कि वह वयस्क व्यक्तियों से अपने विकास का अवसर देने की माँग करे। इसी से सम्बन्धित एक सिद्धान्त यह भी है कि यदि वह अपने विकास में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव करता है तो उसे दूसरों से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

जब विद्यालय में किसी बच्चे के विकास में बाधा डालने वाली किसी कठिनाई का प्रश्न उपस्थित होता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय के भीतर ही उस बालक की सहायता करने का प्रयत्न किया जाय। बाहरी अभिकरणों, जैसे बाल-निर्देशन-स्वास्थ्य-गृह, बच्चों का क्लब, व्यवस्थापन-गृह आदि, का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु उस समय भी सहायता का केन्द्र विद्यालय ही होता है क्योंकि बालक की समस्या विद्यालय के वातावरण से सम्बन्धित होती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस विचारधारा को कार्यान्वित करने के काम में विद्यालय के अध्यापकों के योगदान का कितना महत्त्व है।

वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के बच्चों के पारस्परिक अन्तर को तुरन्त समझ लेता है। जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बालक कार्यकर्ता के पास भेजे जाते हैं और उन्हें सहायता देने की बात कही जाती है तो इस बात की प्रतिक्रिया विभिन्न बालकों पर जिस रूप में होती है उससे वह अन्तर आसानी से स्पष्ट हो जाता है। कुछ बालकों में नाना प्रकार के भय की भावनाएँ दिखाई पड़ती हैं। इस अनुभव के कारण बालक को एक नयी स्थिति का सामना करना पड़ता है और जैसा हम सब के लिए स्वाभाविक है एक नयी वस्तु के सामने जाने पर वह भी भयभीत हो उठता है। उसे इस बात का भी भय होने लगता है कि अपनी स्थिति पर जिस प्रकार उसका नियन्त्रण था वैसा अब नहीं रह जायेगा और एक दूसरा व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उसकी स्थिति का नियन्त्रण करने लगेगा और इसीलिए वह उस नये व्यक्ति को अपने से दूर रखने के उद्देश्य से विरोध और विद्रोह की भावनाएँ व्यक्त करने लगता है। इसकी एक दूसरी प्रतिक्रिया यह होती है कि वह अपनी कठिनाई को ही अस्वीकार कर देता है क्योंकि वह सोचता है कि जब कठिनाई ही नहीं रहेगी तो कोई दूसरा व्यक्ति सहायतार्थ उसके जीवन में क्यों प्रवेश करेगा। किन्तु कभी-कभी इसका उल्टा भी होता है और बालक यह पूरी तरह स्वीकार करता है कि वह कठिनाइयों में फँसा है और उसकी स्वीकृति का स्पष्ट अर्थ यही है कि वह कार्यकर्ता के हाथ में अपनी समस्या सौंपने को तैयार है।

बहुधा ऐसे अवसर आते हैं जबकि कार्यकर्ता को बच्चे से सम्बन्धित कुछ ठोस मामलों को अपने हाथ में लेना पड़ता है। उसे विद्यालय के अधिकारियों से मिलकर बालक की

कक्षा बदलनेवाने की व्यवस्था करनी पड़ती है अर्थात् यदि बालक अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से बहुत पिछड़ा हुआ है तो उसे निचली कक्षा में भेज दिया जाता है अथवा यदि वह अपनी उम्र के अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा पढ़ने में अधिक आगे है तो उसे ऊपर की कक्षा में भेज दिया जाता है। कभी-कभी इस बात की भी आवश्यकता पड़ती है कि यदि बालक की जरूरतें उसके अपने विद्यालय से पूरी नहीं होतीं अथवा उसके लिए आवश्यक सुविधाएँ वहाँ नहीं प्राप्त हैं तो उसे किसी अन्य विद्यालय या विशेष विद्यालय में भेज दिया जाय जहाँ वे सुविधाएँ उपलब्ध हों। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें विशेष रूप में अलग से पढ़ाने की आवश्यकता होती है अथवा उनके लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण या चिकित्सकीय और दन्त-चिकित्सकीय देख-भाल की व्यवस्था अलग से करनी पड़ती है। कभी-कभी उनके घर की परिस्थिति इतनी चिन्ताजनक होती है कि बालक के हित की दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि या तो उसके घर की स्थिति में परिवर्तन किया जाय या बालक को कहीं अन्यत्र रखने की व्यवस्था की जाय। ऐसा अवसर भी कभी-कभी आता है जब कि विद्यालय में पढ़ने वाले किसी बालक के लिए वैयक्तिक या समूहगत सेवा-कार्य करने वाले किसी बाहरी अभिकरण जैसे, परिवार-सहायता-समिति, बाल-कल्याण-समिति, सामाजिक व्यवस्थापन-गृह, बाल-सेवा-समिति, आदि—से सहायता ली जाती है। पिछले कुछ वर्षों से विद्यालीय सामाजिक कार्यकर्ता इस ओर अधिक प्रवृत्त हुए हैं कि बालकों तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके परिवार वालों की सहायता के लिए सरकारी अभिकरणों का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए। ऐसे सरकारी कल्याण-कार्यों में से आश्रित बालक-सहायता, वृद्ध-सहायता, बाल-कल्याण-सेवा, बेकारी-बीमा-योजना, वृद्ध और उत्तराधिकारी-बीमा-योजना आदि से सम्बन्धित सेवाएँ उल्लेखनीय हैं।

इन सभी सेवाओं के बावजूद—और यह बात भुलाने की नहीं है कि जरूरतमन्द व्यक्तियों के लिए इन सेवाओं का कितना अधिक महत्त्व है। आधारभूत तथ्य यह है कि विद्यालयीय कार्यकर्ता मानव-व्यक्तित्व की समस्याओं के क्षेत्र में कार्य करता है। वह व्यक्तित्व एक बालक में सन्निहित होता या स्वयं एक बालक ही होता है और उसकी समस्त आशाएँ-आशंकाएँ, इच्छाएँ-अनिच्छाएँ, पसन्दगी-नापसन्दगी, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उसके व्यक्तित्व का अंग होती हैं। सम्भव है, कार्यकर्ता को कोई बालक पर्यावरण परिवर्तित कर देने के बाद भी यह दिखाई पड़े कि वह अब भी उसी तरह कठिनाइयों से ग्रस्त है जैसा वह पूर्ववर्ती पर्यावरण के भीतर था। बालक के भीतर कोई भी परिवर्तन तभी आ सकता है जब कि वह (और उसके अध्यापक तथा माता-पिता) उस परिवर्तन को स्वीकार करने और इतना ही नहीं, उसके लिए किये जाने वाले प्रयत्नों में सहयोग करने को भी तैयार हों। इस प्रक्रिया का प्रारम्भ बालक के स्वयं अपने प्रति तथा अपने

घर, विद्यालय और कठिनाइयों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन से होता है। वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता का यह कार्य अधिकतर मामलों में ठोस वास्तविकता पर आधारित होता है। एक बार जब बालक के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है तो आगे की प्रगति आसान हो जाती है। प्रायः लोग कहा करते हैं कि मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता। सम्भव है हम सभी इस विषय पर एकमत न हों कि मनुष्य की प्रकृति क्या वस्तु है, पर इतना निश्चित और निर्विवाद है कि मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सकता है और होता है। विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता दृष्टिकोण तथा उससे अनिवार्यतः सम्बद्ध व्यवहार के परिवर्तन तक ही अपने कार्य को सीमित रखता और उसी में सन्तोष का अनुभव करता है।

प्रवृत्तियाँ

विद्यालयीय सामाजिक कार्य की एक उद्घोषित प्रवृत्ति सेवा के उर्ध्वस्तरीय और समस्तरीय विस्तार की रही है। प्रारम्भ में विद्यालयीय सेवा-कार्य निचली कक्षाओं तक ही सीमित था, पर बाद में उसका क्षेत्र बढ़ा कर हाईस्कूल की कक्षाओं तक कर दिया गया। पहले सामाजिक कार्यकर्ता के पास केवल ऐसे ही बालकों के मामले आते थे जिनकी कठिनाइयाँ चिरकालिक और अधिक जटिल होती थी, किन्तु आज बहुत कम उम्र वाले बालकों की भी, जिनकी कठिनाइयाँ अभी प्रारम्भिक अवस्था में होती हैं, सहायता की व्यवस्था की जाती है। पहले सामाजिक कार्यकर्ता को केवल ऐसे ही विद्यालयों में रखा जाता था जो शहर के गरीब और अल्प सुविधा-प्राप्त भागों में स्थित होते थे, किन्तु आज किसी भी नगर या ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यालयों के बालकों को सामाजिक सेवा प्राप्त करने की सुविधा है। पहले सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता का उपयोग आपत्कालीन आधार पर किया जाता था और बालक की कठिनाइयाँ सुलझाने में अन्य सभी अभिकरण असफल हो जाते थे तो उसके बाद उसे सामाजिक कार्यकर्ता के पास भेजा जाता था। किन्तु आज कार्यकर्ता के कौशलों का उपयोग वैसी स्थिति उत्पन्न होने के बहुत पहले ही, और अधिकतर प्रारम्भ में ही कठिनाइयों का निवारण करने के उद्देश्य से निवारक-सेवा के रूप में किया जाता है।

इस परिवर्तन के अनुरूप ही "समस्या-बालकों" और विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता के प्रति विद्यालयों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ है। अब किसी बालक की समस्या को कार्यकर्ता के पास भेजने का यह अर्थ नहीं लगाया जाता कि अन्य अभिकरण उसे सुलझाने में असफल हो गये हैं और न तो उससे यही समझा जाता है कि जिस कक्षा में वह बालक पढ़ता है उसके अध्यापक की अध्यापन-पद्धति दोषपूर्ण है। इसके विपरीत

अब इस बात के लिए अध्यापक की प्रशंसा की जाती है कि वह अपनी कक्षा के बालकों की कठिनाइयों को जानता है और यह भी पहचानता है कि किस बालक की कठिनाई ऐसी है जिसे वह स्वयं नहीं सुलझा सकता क्योंकि उसे कोई विशेषज्ञ ही सुलझा सकता है। कार्यकर्ता के पास बालकों की समस्याओं के प्रेषण से यह भी सिद्ध होता है कि अब बालकों की कठिनाइयों को सावधानी से छिपाये रखने की जगह उन्हें अन्य व्यक्तियों के पास सुलझाने के लिए प्रेषित कर देना कहीं अधिक श्रेयस्कर माना जाता है। किन्तु अध्यापक बालक की समस्या कार्यकर्ता के पास भेजकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाता, इसके विपरीत कार्यकर्ता बालक की सहायता के लिए जो सेवा-कार्य करता है अध्यापक उसमें उसके साथ सक्रिय सहयोग करता है। अब अधिसंख्यक अध्यापक यह मानने लगे हैं कि उनका उत्तरदायित्व बालक की बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है, उससे अधिक कुछ और भी है। ऐसी दशा में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि आज के बालक को (एक नहीं सैकड़ों और हजारों बालकों को) पहले की अपेक्षा सेवा-सम्बन्धी इतनी अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं कि वह विद्यालय की शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग कर सकता है और इस तरह शिक्षा का स्तर भी अनिवार्यतः ऊँचा हो गया है। बालकों के लिए भी अब कार्यकर्ता के पास प्रेषण कलंक की बात नहीं माना जाता क्योंकि छात्र-जीवन में प्रत्येक बालक में कभी-न-कभी कठिनाइयों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिनका सामना उसे अपनी विकास-प्रक्रिया के काल में करना पड़ता है। कार्यकर्ता के पास उसके भेजे जाने का केवल इतना ही अर्थ है कि पहली बार उसे कोई निश्चित और स्पष्ट सहायता प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है।

विद्यालयीय सामाजिक सेवा की मान्यता और उपयोगिता कितनी बढ गयी है, इसका प्रमाण यही है कि आज प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों और बालकों के माता-पिता अधिकाधिक रूप में सामाजिक कार्यकर्ता की परामर्श-सेवाओं की माँग कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक केवल बालकों की व्यवहार-सम्बन्धी समस्याओं के बारे में ही नहीं, विद्यालय के अध्यापक-वर्ग की कुछ परीशानियों के सम्बन्ध में भी सामाजिक कार्यकर्ता से परामर्श लेना चाहते हैं। प्रायः विद्यालय के अध्यापकों की परामर्श-गोष्टी में अध्यापक-वर्ग की प्रगति-सम्बन्धी प्रायोजना बनाने में भी सामाजिक कार्यकर्ता से सहायता ली जाती है। प्रायः अध्यापक स्वयं भी अपनी कुछ समस्याएँ लेकर वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्यकर्ता के पास जाते हैं। यदि अध्यापकों की ये समस्याएँ कार्यकर्ता के ज्ञान-क्षेत्र की सीमा के बाहर की हैं तो वह उनके लिए उपयुक्त अभिकरणों का नाम सुझाता और वहाँ जाने की सलाह देता है और यदि वे समस्यायें विद्यालय की स्थिति से सम्बन्धित होती हैं तो स्वयं भी उन्हें सुलझाने के लिए जो भी सहायता-कार्य कर सकता है, करता है। बालकों के माता-पिता

भी अपने बच्चों की कठिनाइयों या बच्चों से सम्बन्धित अपनी कठिनाइयों के सम्बन्ध में परामर्श लेने के लिए कार्यकर्ता के पास स्वतन्त्रतापूर्वक आ सकते हैं जैसे वे अन्य अभिकरणों में सहायतार्थ जाते हैं ।

पिछले कुछ वर्षों से समूहगत सेवा-कार्य और सामुदायिक सम्बन्धों की ओर पहले से अधिक ध्यान दिया जाने लगा है । विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता अध्यापकों अथवा बालकों के माता-पिता को बुलाकर उनसे सामूहिक रूप में विद्यालय की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने के सम्बन्ध में परामर्श करते हैं । विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा समुदाय के लिए किया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि वह अध्यापकों तथा बालकों के माता-पिता को एक साथ मिला कर संघबद्ध रूप में सहयोग से काम करने के लिए प्रेरित करता है । उसका पद ऐसा है कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वह समुदाय से सम्बन्धित होता है और विद्यालय का कर्मचारी होने के कारण वह विद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों से सम्बन्धित होता है और इस सुविधाजनक पद का लाभ उठाकर वह प्रायः समुदाय की बातें विद्यालय वालों को और विद्यालय की बातें समुदाय वालों को बताता और समझाता है अर्थात् दोनों वर्गों के बीच दुभाषिये का काम करता है । अनेक समुदायों में तो अकेला वही एक ऐसा व्यक्ति जो बालकों की उन आवश्यकताओं की ओर, जिनकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई रहती है, ध्यान दिलाता है और साथ ही उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपाय बताता तथा प्रेरणा भी देता है । इस तरह वह न केवल विद्यालय और उसके सिद्धान्तों और व्यवहार-पद्धतियों के बारे में समुदाय को जानकारी कराता है, बल्कि विद्यालय को भी समुदाय के अभावों और आवश्यकताओं का ज्ञान कराता है जिससे उसके आधार पर विद्यालय समुदाय की अधिक उपयुक्त सेवा करने के लिए कदम उठा सकता है ।

विद्यालयीय सामाजिक कार्य का परम्परागत रूप में, यदि व्यावहारिक दृष्टि से नहीं तो सैद्धान्तिक दृष्टि से ही सही, कक्षा से बालक के पलायन या उपस्थिति से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । शुरू-शुरू में तो विद्यालय से सामाजिक कार्य का सम्पर्क उपस्थिति-विभाग के माध्यम से ही हुआ था । अनेक स्थानों पर विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवारा बालकों के मामलों में कानूनी या जोर-जबर्दस्ती के आधार पर काम करने का विरोध किया और यह मत व्यक्त किया कि उन बालकों की वैयक्तिक सेवा की पद्धति से सहायता करनी चाहिए न कि उनके साथ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए । फिर सामाजिक कार्य-कर्ता विद्यालय का कर्मचारी होने के नाते विद्यालय की व्यवस्था का एक अंग होता है और चूंकि विद्यालय में अनिवार्य उपस्थिति के नियम होते हैं, अतः नियम के आधार पर ही नहीं, बल्कि अपने पेशे की दृष्टि से भी वह अपने कार्य की वास्तविकता और सीमाओं को स्वीकार

करता है। वह विद्यालय प्राधिकारिक संघटन का एक अंग होता है। ऐसे बालक को, जो कक्षा से भाग कर आवारागर्दी करता है, सहायता की आवश्यकता है। बालक को वह सहायता उन नियमों को ध्यान में रख दी जाती है जिनके भीतर बालक और कार्यकर्ता दोनों को अनिवार्यतः रहना और कार्य करना पड़ता है। छोटे बालकों को ऐसे व्यक्ति से, जो उनकी सहायता करने जा रहा है, बस इसी आश्वासन और विश्वास की आवश्यकता होती है कि नियमों के बावजूद उनको निश्चित और अवश्यम्भावी रूप से सहायता मिल सकेगी।

पिछले करीब दस वर्षों के भीतर उपर्युक्त सेवाओं तथा अन्य विद्यालयीय सेवाओं के ——जैसे चिकित्सकीय सेवा, मनोवैज्ञानिक सेवा, निर्देशन-कार्य आदि——के बीच समन्वय की प्रवृत्ति विकसित हुई है। कुछ विद्यालयों की कार्य-पद्धति में वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता के पद की व्यवस्था नहीं होती, पर वहाँ भी उपस्थिति-अधिकारी होते हैं। किन्तु धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ रही है कि जहाँ-जहाँ उपस्थिति-अधिकारी का स्थान रिक्त होता है, उस जगह पर वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है ताकि विद्यालय की सेवा-क्षमता में वृद्धि हो सके। सामाजिक कार्यकर्ता इस बात पर दृढ़तापूर्वक बल देते आ रहे हैं कि इस प्रकार की समन्वित योजना के अन्तर्गत वैयक्तिक सेवा-कार्य की स्पष्ट पारिभाषा भी निश्चित हो जानी चाहिए जिसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति रूप में बालक की सेवा करना है, चाहे वह बालक आवारा हो या न हो। कार्यकर्ता की बालक की आवारागर्दी में दिलचस्पी का कारण यह नहीं है कि वह उसके विरुद्ध न्यायालय में कानूनी कार्रवाई करना चाहता है, उसकी दिलचस्पी का कारण यह है कि बहुधा आवारागर्दी बालक की उस सामंजस्यहीनता की बाह्य-अभिव्यक्ति या लक्षण है जो या तो उसके आन्तरिक संघटन में निहित होती है या उसके पारिवारिक जीवन और पर्यावरण से सम्बन्धित होती है।[६]

इस क्षेत्र की एक अन्य प्रवृत्ति इस सेवा को पूरे राज्य में चालू करने के प्रयत्न के रूप में

(६) मार्था पेरी ने इस सम्बन्ध में बहुत सही लिखा है, ".....अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी कानूनों का निर्माण और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उपस्थिति-विभाग की स्थापना इस बात को प्रमाणित करती है कि उस समय उपेक्षित और शोषित बालकों की रक्षा की कितनी आवश्यकता थी। मानसिक स्वास्थ्य-आन्दोलन के विकास के साथ-साथ सामाजिक कार्यों की जानकारी रखने वाले अतिथि-अध्यापकों का महत्त्व इसी कारण विद्यालयों में बहुत बढ़ गया, किन्तु उन कार्यकर्ताओं ने जान-बूझ कर उपस्थिति-विभागों से अपने को अलग कर लिया क्योंकि उपस्थिति-विभागों

दिखाई पड़ती है । अब तक विद्यालयीय सामाजिक कार्य कुछ विशेष शहरों तक ही सीमित था, जिनमें से राचेस्टर, मीनियापोलिस, फिलाडेल्फिया, पिट्सवर्ग, सैनडियेगो, क्लीव-लैण्ड, लाजएञ्जेलेस और पोर्टलैण्ड के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, पर उन सबकी संख्या कई सौ है । किन्तु इधर कुछ वर्षों में वर्जीनिया, लुईसियाना, मिशिगान और जार्जिया राज्यों ने अपने सभी जिलों के विद्यालयों में सामाजिक कार्य-सम्बन्धी इस सेवा की व्यवस्था कर दी है । इन चारो राज्यों में इस विषय से सम्बन्धित जो कानून बनाये गये हैं उनमें निर्दिष्ट कार्यक्रमों में परस्पर पर्याप्त भिन्नता है और यह भिन्नता कार्य की परिभाषा, राज्य भर में कार्यक्रम को लागू करने की पद्धति, विद्यालय की व्यवस्था में उनके समाकलन, कार्यकर्ताओं की योग्यता और उनके वेतन का आधार, इन सभी विषयों के सम्बन्ध में दिखाई पड़ती है । इन भिन्नताओं के कारण समझ में आने लायक और अनिवार्य हैं, पर उनके होते हुए भी, मुख्य बात जो विशेष महत्त्व की है, यह है कि सर्वत्र विद्यालयीय सेवा-कार्य ऐसे वैयक्तिक सेवा-कार्य के रूप में विकसित और परिणत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिससे प्रत्येक बालक अपने विद्यालयीय जीवन की संकटपूर्ण स्थितियों में अवश्य लाभ उठा सकता है या उठाता है ।

इस अध्याय के प्रारम्भिक अंशों को एक सरसरी निगाह से पढ़ने पर पता चल जायगा कि कामनवेल्थ-कोश ने अतिथि-अध्यापक-कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कितना प्रोत्साहन और सक्रिय योगदान दिया । पर उस प्रारम्भिक काल में इस योजना का लक्ष्य अपराध की प्रवृत्ति का निवारण करना था । दो दशकों के बाद आज उसका लक्ष्य बदल गया है और अब यह माना जाता है कि सामाजिक-कार्य-योजना का प्राथमिक उद्देश्य सभी बालकों का रचनात्मक ढंग से उपचार करना है । इस तरह उसका कार्य निषेधात्मक से बदल कर अब विधेयात्मक हो गया है । निस्सन्देह यह बात सच्चाई के साथ कही जा सकती है कि एक बार जब यह नवीन उद्देश्य कार्य रूप में परिणत होने लगा है, तो उसकी सम्भावनाएँ भी असीम हो गयी है । सम्भवतः इस विषय पर एडिथ ईवरेट से अधिक अच्छी तरह और किसी ने नही विचार किया । उन्होंने अपने निबन्ध "द डाइनेमिक आफ केसवर्क

का मूलाधार प्राधिकार और बल-प्रयोग था । किन्तु ज्यों-ज्यों विद्यालयों में बाल-निर्देशन स्वास्थ्य-गृहों की स्थापना होने लगी जिनके ऊपर बालकों की व्यक्तिगत रूप में सहायता करने तथा विद्यालय को बालकों के विषय में जानकारी बढ़ाने का दुहरा उत्तरदायित्व था, त्यों-त्यों कुछ स्थानों में उपस्थिति से सम्बन्धित धारणाओं और विचारों में भी परिवर्तन होने लगा ।

इन स्कूल कौन्सैलिंग" में ये विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने अतिथि-अध्यापक और उसके कार्यों के लिए क्रमशः 'विद्यालय-परामर्शदाता' और 'विद्यालय-परामर्श-कार्य' शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखा है—

"विद्यालय-परामर्शदाता विद्यालय में बालक को ऐसे सम्बन्ध-स्थापन के अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है जो उसके सामूहिक सम्बन्धों के अनुभवों से भिन्न होते हैं। इस सम्बन्ध-स्थापन से उसे अनुभव होने लगता है कि व्यक्ति के रूप में उसका सम्मान किया जा रहा है; वह एक व्यक्ति के रूप में अपने को नये ढंग से समझने का प्रयत्न करता है और उसमें कम से कम इतनी क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि वह विद्यालय के नियमों और शर्तों को अपने साथ तथा दूसरों के लिए उचित और न्यायपूर्ण मान कर उन्हें स्वीकार करने लगता है। इस तरह विद्यालय के अधिकतर बालक इस तथ्य को अत्यन्त स्वाभाविक ढंग से और अपने विकास की प्रक्रिया में सहज रूप में स्वीकार करते हैं। किन्तु समूचे समाज की तरह कक्षा में कुछ ऐसे बालक हमेशा होते हैं जो दुर्भाग्यवश अपने विकास की किसी अवस्था में उलझन में फँस कर अन्ध-प्रवाह में बहने लगते है। ऐसे बालकों की उचित समय पर सहायता आवश्यक है ताकि उस सहायता द्वारा उनकी आँखों के सामने से कुहरा छँट जाय और उन्हें अपना सही और सीधा मार्ग दिखाई पड़ने लगे। बालक की इस प्रकार की वैयक्तिक सहायता की व्यवस्था करना विद्यालय का उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व है जितना इस बात के लिए सावधानी बरतना कि सामूहिक दृष्टि से बालकों के लिए निर्दिष्ट शिक्षा-व्यवस्था का उचित रीति से पालन हो रहा है या नहीं"।

सहायक ग्रन्थ-सूची

पुस्तकें और पुस्तिकाएँ

आग्नीज बेनेडिक्ट—"चिल्ड्रेन एट द क्रासरोड्स"—न्यूयार्क, कामनवेल्थ फण्ड, १९३०।

जेन एफ० कुलबर्ट—"द विजिटिंग टीचर एट वर्क"—न्यूयार्क, कामनवेल्थ फण्ड, १९२९।

(७) एडिथ एम० ईवरेट का "द डाइनेमिक आफ केसवर्क इन स्कूल काउन्सेलिंग" जो निम्नलिखित पुस्तक में संकलित है—जेसी टैफ्ट—(सम्पादन)—सोशल केसवर्क विथ चिल्ड्रेन—फिलाडेलिफिया, पेन्सिलवानिया स्कूल आफ सोशल वर्क,—१९४०, पृष्ठ १८४।

जे० जे० ओपेनहियार––"द विजिटिंग टीचर मूवमेण्ट"––न्यूयार्क, पब्लिक एजुकेशन एसोसियेशन, १९२४ ।

डब्लू० कार्सन रीयन––"मेण्टल हेल्थ थ्रू एजुकेशन"––न्यूयार्क, कामनवेल्थ फण्ड, १९३८ ।

मिल्ड्रेड सिकेमा––"रिपोर्ट आफ ए स्टडी आफ स्कूल सोशल वर्क प्रैक्टिस इन ट्वेल्व कम्युनिटीज"––न्यूयार्क, अमेरिकन एसोसियेशन आफ सोशल वर्कर्स, १९५३ ।

महत्त्वपूर्ण लेख

जॉन जे० एल्डर्सन ––"द स्पेसिफिक कान्टेण्ट आफ स्कूल सोशल वर्क"––बुलेटिन आफ द नेशनल एसोसियेशन आफ स्कूल सोशल वर्कर्स, जिल्द २७, जून १९५२, पृ० ३–१३

जूल्स वी० कोलेमन––"मीटिंग द मेण्टल हेल्थ नीड्स आफ चिल्ड्रेन इन स्कूल टु डे; साइकियाट्रिक इम्प्लिकेशन्स फार द प्रैक्टिस आफ स्कूल सोशल वर्क"––बुलेटिन आफ द नेशनल एसोशियेसन आफ स्कूल सोशल वर्कर्स, जिल्द २७, सितम्बर १९५१, पृ० ३ – १३ ।

एडिथ इवरेट––"दि इम्पार्टेन्स आफ सोशल वर्क इन ए स्कूल प्रोग्राम"––द फेमिली, जिल्द १९, मार्च १९३८, पृ० ३ – ८ ।

––"सोशल वर्क इन द स्कूल; वैल्यू टु द चाइल्ड आफ केसवर्क सर्विसेज"––बुलेटिन आफ द नेशनल एसोसियेशन आफ स्कूल सोशल वर्कर्स, जिल्द १६, दिसम्बर १९४०, पृ० १ – १२ ।

मेरी एल मोलिनियुक्स––"द प्रिंसिपल––लियाइसन बिट्वीन फेकल्टी एण्ड द स्कूल सोशल वर्कर"––अण्डरस्टैंटिंग द चाइल्ड, जिल्द १९, जनवरी १९५०, पृ० २६–२८ ।

हेलेन पालमीटर––"द चाइल्ड इन स्कूल एण्ड द हेल्पिंग टीम"––बुलेटिन आफ द नेशनल एसोसियेशन आफ स्कूल सोशल वर्कर्स, जिल्द २४, जून १९४९, पृ० ३–१८ ।

फ्लोरेन्स पूले और मिल्ड्रेड सिकेमा––"ऐन एनलिसिस आफ द स्ट्रक्चर एण्ड प्रैक्टिस आफ स्कूल सोशल वर्क टु डे"––द सोशल सर्विस रिव्यू, जिल्द २३, दिसम्बर १९४९, पृ० ४४७–४५९ ।

मीरा टाल्बोट और इसाबेली हिन्सन––"प्युपिल्स साइकोलाजिकली एबसेन्ट फ्राम स्कूल"––अमेरिकन जर्नल आफ आर्थोसाइकियाट्री, जिल्द २४, अप्रैल १९५४, पृ० ३८१ – ३९० ।

जेन विली––"द रिलेशन आफ द स्कूल टु प्रोटेक्टिव सर्विस फार चिल्ड्रेन"––बुलेटिन आफ द नेशनल एसोसियेशन आफ स्कूल सोशल वर्कर्स, जिल्द २४, जून १९४९, पृ० १९ – २६ ।

आर्की प्रिस

जेन विले—परामर्शदाता
(विजिटिग काउन्सलर प्रोग्राम)
ब्लूम टाउनशिप हाई स्कूल
शिकागो हाइट्स, इलिनोइस ।

विद्यालय-सामाजिक-कार्यकर्ता उन बालकों की सहायता करते है जो अपने विद्यालयीय अनुभव का रचनात्मक उपयोग करने में कठिनाई महसूस करते है । अध्यापक यह जानते है कि बहुत से बालक ऐसे होते है जिनमें योग्यता तो होती है, किन्तु वे उन समस्याओं से पीड़ित हैं, जो उनके अधिक मात्रा मे कार्य करने और अन्य बालकों के साथ उनके सम्बन्धो में बाधक होती है । सम्भव है, ये समस्याएं बालक की उन आवश्यकताओं की बाह्याभिव्यक्ति हों जिनकी पूर्ति नही हो सकी है और यह भी सम्भव है कि यदि कुछ निश्चित समय तक बालक इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करता रहा तो उन समस्याओं को सुलझाना उत्तरोत्तर अधिक कठिन होता जायेगा ।

वर्तमान समय मे विद्यालय के कर्मचारी कठिनाइयो से ग्रस्त बालको के व्यवहार के सम्बन्ध में उत्तरोत्तर अधिक सतर्क होते जा रहे है और इसी कारण बालक के इस प्रकार के व्यवहार को समझने तथा उसकी प्रत्यक्ष सेवा की दृष्टि से वे विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता पर अधिक निर्भर रहने लगे है । विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता के पास बालकों के जो मामले आते है वे या तो किसी अध्यापक द्वारा भेजे गये होते है अथवा स्वयं बालक अथवा उसके माता-पिता उन्हे लेकर कार्यकर्ता के पास जाते है । इन मामलों पर प्रायः विद्यालय का प्रधानाध्यापक, जिसके ऊपर विद्यालय के सेवा-सम्बन्धी सभी प्रकार के प्रशासकीय कार्यो का उत्तरदायित्व होता है, अपना फैसला देता है ।

विषम-विद्यालय में काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्त्री के सेवा-कार्यो के सम्बन्ध मे सभी अध्यापकों को अच्छी तरह जानकारी थी । वहाँ कार्यकर्ता के पास बालकों की समस्याएँ प्रेषित करने की पद्धति यह है कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मिस बेली अथवा अन्य अध्यापिकाएँ पहले किसी बालक की समस्या के सम्बन्ध मे सामाजिक कार्यकर्ता के साथ विचार-विमर्श करती थी और यह निश्चय किया जाता था कि उस मामले में सामाजिक सेवा की आवश्यकता है या नहीं । प्रायः कार्यत्री के साथ परामर्श-गोष्ठी के पहले ही सम्बन्धित अध्यापिका उस मामले में प्रधानाध्यापिका से बात कर चुकी रहती है ।

आर्की प्रिंस की अवस्था १० वर्ष ५ मास की थी और वह कक्षा ५ ए में पढ़ता था ।

सामाजिक कार्यकर्त्री के सामने उसकी समस्या निम्नलिखित पद्धति से उपस्थित की गयी। अभी हाल में विद्यालय में बालकों के अभिभावकों का सम्मिलन-उत्सव मनाया गया था। उस अवसर पर आर्की प्रिंस की माँ श्रीमती प्रिंसने मिस बेली से बताया कि उसे आर्की के अत्यधिक बचकानेपन के विषय में बहुत चिन्ता हो गयी है। उसका कहना था कि उसका लड़का अपने मन से कोई भी उत्तरदायित्व का काम नहीं करता यद्यपि वह उससे इस तरह के काम बार-बार कराती है। वह हमेशा खेलना पसन्द करता है और किसी बात को कभी गम्भीरता से नहीं ग्रहण करता। आर्की की अध्यापिका ने भी मिस बेली से बताया कि वह विद्यालय में भी इसी प्रकार का व्यवहार करता है, अधिकतर अपना समय बर्बाद किया करता है और स्थिर होकर कोई काम नहीं करता। उस दिन के बाद मिस बेली को आर्की की अध्यापिका श्रीमती हैरिस से इस विषय में बातचीत करने का अवसर कभी नहीं मिला, किन्तु इस पत्र के प्रारम्भ में श्रीमती हैरिस ने प्रधानाध्यापिका से आर्की के विषय में बातचीत करते हुए बताया कि वह कक्षा के कामों में भाग नहीं लेता। मिस बेली ने अध्यापिका से पूछा कि क्या आर्की का मामला विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्त्री के पास भेज दिया जाये? वह (अध्यापिका) पहले ही कह चुकी थी कि यदि आर्की में सुधार नहीं हुआ तो उसे कार्यकर्त्री के पास भेज देना ही उचित होगा।

मिस बेली ने कार्यकर्त्री से कहा कि वह कई ऐसे उदाहरण जानती है जिनसे पता चलता है कि आर्की अपनी कक्षा के साथियों के साथ बचकाने ढंग का व्यवहार करता है। उसने अभी हाल की एक घटना की चर्चा की जबकि कुछ बच्चों द्वारा चिढ़ाये जाने पर आर्की असाधारण रूप से खिन्न हो गया था। इसी प्रश्न को लेकर उसकी, उसके साथियों से, लड़ाई भी हो गयी थी। आर्की ने मिस बेली से इसकी शिकायत करते हुए इस घटना का कुछ विस्तार से वर्णन किया था। उसका यह कहना था कि इस झगड़े में उसका कोई दोष नहीं था। मिस बेली ने आर्की के इस प्रकार के व्यवहार के सम्बन्ध में उसकी माँ श्रीमती प्रिंस से बातें कीं और यह सुझाव दिया कि विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्त्री इस विषय में उसकी तथा उसके पुत्र की कुछ सहायता कर सकती है। श्रीमती प्रिंस ने सहायता प्राप्त करने की बात पसन्द की और कहा कि उसे बहुत खुशी होगी यदि सामाजिक कार्यकर्त्री उसके लड़के से बातचीत करे और उसके बाद उसकी समस्याओं के सम्बन्ध में उससे (श्रीमती प्रिंस से) भी विचार-विमर्श करे।

इस समस्या का विश्लेषण करते हुए मिस बेली ने कार्यकर्त्री से बताया कि आर्की की समस्या का कारण यह प्रतीत होता है कि उसकी माँ उसके असली बाप का नाम उससे नहीं बताती और न उसे यह बात किसी तरह जानने देना चाहती है और सम्भव है, उसके मन में इसी विषय को लेकर कोई चिन्ता हो जिसके कारण विद्यालय के कामों में वह

कठिनाई का अनुभव करता है। आर्की गोद लिया हुआ बालक है। उसके सौतेले बाप ने ३ वर्ष पूर्व उसे वैधानिक रूप में गोद लिया था। उस समय भी आर्की इसी विद्यालय में पढ़ता था और उसके बाप का नाम कुछ और लिखा था। आर्की के गोद लिये जाने के बाद श्रीमती प्रिस विद्यालय में आयी और यह प्रार्थना की कि उसके पुत्र के अभिलेख को परिवर्तित कर उसमें से उसके पहले बाप का नाम काट दिया जाय तथा उसकी जगह उसके सौतेले बाप का नाम लिख दिया जाय। उसने यह भी प्रार्थना की कि कभी भी आर्की से उसके पुराने बाप का नाम न बताया जाय।

आर्की के विषय में उसकी अध्यापिका से बातचीत करने के पूर्व सामाजिक कार्यकर्त्री ने उसके संचित विद्यालयीय अभिलेखों की जाँच इस दृष्टि से की कि शायद उनमें कोई ऐसी बात मिल जाय जिससे आर्की की समस्या को समझने में सहायता मिले। इस परीक्षण द्वारा उसे पता चला कि सामूहिक बौद्धिक परीक्षणों में उसका मानसिक स्तर औसत दर्जे से ऊँचा पाया गया था। किन्तु कुछ दिनों पूर्व के परीक्षणों से यह पता चला था कि उसका मानसिक स्तर अब गिरकर मध्यवर्ती चतुर्थ श्रेणी में पहुँच गया था। विद्यालय के अभिलेख में एक जगह उसके बाप का नाम काटकर दूसरा नाम लिखा गया था।

आर्की के सम्बन्ध में विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्त्री की योजना का प्रारम्भ एक परामर्श-गोष्ठी से हुआ। यह परामर्श-गोष्ठी अध्यापिका श्रीमती हैरिस और कार्यकर्त्री के बीच हुई। चूँकि विद्यालय के वातावरण में बालक की दृष्टि में उसके अध्यापक का ही सर्वाधिक महत्त्व होता है, अतः यह अत्यन्त आवश्यक था कि सामाजिक कार्यकर्त्री का मत आर्की की अध्यापिका के मतों के मेल में हो और वह उसके सहयोग से काम करे। यद्यपि इस समय श्रीमती हैरिस ने कार्यकर्त्री से आर्की के विषय में सहायता की माँग नहीं की थी, फिर भी वह आर्की की समस्याओं से पूर्णतः परिचित थी और इस विषय में सोच रही थी कि क्यों न उसके लिए विद्यालयीय सामाजिक सेवा का उपयोग किया जाय ? कार्यकर्त्री ने श्रीमती हैरिस के साथ साक्षात्कार का जो अभिलेख तैयार किया था उसका एक अंश नीचे दिया जा रहा है—

अध्यापिका श्रीमती हैरिस के साथ परामर्श-गोष्ठी—मैंने श्रीमती हैरिस को बताया कि कुछ दिनों पूर्व जो अभिभावक-सम्मिलन-उत्सव हुआ था, उस अवसर पर आर्की की माँ ने मिस बेली से अपने पुत्र के विषय में चिन्ता व्यक्त की थी। मैंने उससे पूछा कि आर्की अपनी कक्षा के कामों में कैसी प्रगति कर रहा है और उसके सम्बन्ध में वह क्या सोचती है ? श्रीमती हैरिस ने बताया कि आर्की मुँह बिरा कर तथा अन्य प्रकार से अपनी ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित करता है; वह बचकानेपन की बातें करता है, कहीं शान्त और स्थिर नहीं रह सकता, और कोई भी काम बड़ी तेजी से निपटा देना चाहता है; इस बात का ध्यान

नहीं रखता कि वह जो काम कर रहा है वह सही ढंग से और अच्छा हो रहा है या नही। उसे उसकी पुस्तक में से जो काम करने को दिया जाता है कभी-कभी वह उससे आगे का काम कर लाता है। मैंने श्रीमती हैरिस से कहा कि मेरे विचार से तो आर्की का यह व्यवहार सामान्य नहीं था, निश्चय ही वह कठिनाइयों से ग्रस्त था और उसके व्यवहार का काफी दिनों से इसी रूप में बना रहना यह बताता है कि आर्की में अपना उत्तरदायित्व समझने और स्वीकार करने की प्रवृत्ति का अभी तक विकास नही हो सका है। श्रीमती हैरिस ने बताया कि उसने इस समस्या को सुलझाने के कार्य में आर्की के माता-पिता का भी सहयोग प्राप्त करना चाहा था, पर सहयोग देने की जगह उल्टे वे लोग आर्की के बचाव के लिए तरह-तरह के बहाने बनाने लगे थे। उसका यह अनुमान था कि आर्की घर पर माँ-बाप के अत्यधिक लाड़ और दुलार के कारण खराब हो रहा था। कई बार श्रीमती प्रिस ने अध्यापिका के पास पत्र लिख कर उन छोटी-मोटी घटनाओं की शिकायत की थी जो आर्की के साथ विद्यालय से घर आते समय या घर से वहाँ जाते समय घटित हुई थी। अध्यापिका ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि वह जानती है कि आर्की में पर्याप्त योग्यता है, फिर भी वह कक्षा में समुचित प्रगति नहीं कर पा रहा है। उसने यह भी कहा कि वह इसके पहले कई बच्चों के मामले मेरे पास भेज चुकी है और आर्की के विषय में भी वह यही सोचती है कि उसकी समस्या को मेरे पास भेजने का उपयुक्त समय आ गया है। मैंने उसे बताया कि मिस बेली और आर्की की माँ का भी यही विचार है, पर मिस बेली चाहती थी कि इस विषय में पहले आर्की की अध्यापिका की राय ले ली जाय। श्रीमती हैरिस ने कहा कि उत्तरोत्तर उसकी यह दृढ़ धारणा होती जा रही है कि आर्की को वैयक्तिक सेवा-सम्बन्धी सहायता की आवश्यकता है। उसने बताया कि वह आर्की से इस विषय में बात करके उसे समझायेगी कि उसे सहायता के लिए मेरे पास भेजना क्यों आवश्यक हो गया है। अन्त में यह निश्चित हुआ कि अगले दिन इधर से गुजरते हुए मै कक्षा के सामने रुकूँगा और फिर आर्की को अपने साथ ले जाकर अपना कार्यालय दिखा दूँगा। मैंने श्रीमती हैरिस से यह भी कहा कि पहले मै आर्की के साथ कुछ दिनों तक मेल-मुलाकात और बात-चीत करूँगा और उसके बाद फिर उससे (श्रीमती हैरिस से) मिलूँगा। हमने यह भी तय किया कि हम दोनों आर्की के मामले में एक दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग करते हुए काम करेंगे; समूह के अन्तर्गत आर्की को अपने उत्तरदायित्व का बोध हो, और वह सामूहिक कार्यों में भाग ले, इस बात को समझने में वह उसकी सहायता करेगी और मै वैयक्तिक स्तर पर उसकी चिन्ताओं को, जिन्हें वह व्यक्त करेगा, दूर करने में उसकी सहायता करूँगी। हम दोनों का यह विचार था कि यदि आर्की की माँ भी हमारी सहायता का कुछ उपयोग करे तो आर्की की व्यवहार-सम्बन्धी कठिनाइयों को आसानी से कम किया जा सकता है।"

आर्की के विद्यालयीय जीवन से सम्बन्धित कठिनाइयों के कारणों में से कुछ के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक रूप में विचार करते समय सामाजिक कार्यकर्त्री ने यह अनुमान किया कि आर्की की माँ अपने पुत्र के बचाव का आवश्यकता से अधिक ख्याल रखती है। विद्यालय में व्यवहार-सम्बन्धी स्पष्ट कठिनाइयों वाले बालकों की सहायता करते समय उसे जैसा अनुभव होता था उसी तरह इस मामले में भी उसने अनुभव किया कि उसे इस दिशा मे विशेष रूप से सहायता करनी होगी कि अध्यापिका श्रीमती हैरिस की आर्की के विषय में और आर्की की अपने माँ-बाप के विषय में जो धारणाएँ और भावनाएँ थी, उनमें परिवर्तन हो। विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्त्री यह अच्छी तरह जानती थी कि अध्यापिका के ऊपर पूरी कक्षा का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है, अतः वह किसी एक बालक की उस प्रकार की वैयक्तिक सहायता नही कर सकती जिसकी आर्की को आवश्यकता थी।

वैयक्तिक सेवा-सम्बन्धी सहायता जिन सिद्धान्तों पर आधारित है उनमें एक यह है कि यदि परिवर्तन की आवश्यकता है तो जिसके लिए उसकी आवश्यकता है उसे स्वयं अपने को परिवर्तित करने का प्रयत्न करना चाहिए। विद्यालय के वातावरण में अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता या बालक के माता-पिता अनेक रूपों में बालक की सहायता कर सकते है, पर यदि बालक में ऐसा परिवर्तन करना है जो स्थायी और प्रभावपूर्ण हो तो अन्तिम रूप में बालक के भीतर से परिवर्तन होना चाहिए। इस कारण विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता बालक के साथ रहकर उसके सहयोग से उसकी सहायता का कार्य करता है और ऐसी ही समस्याओं के बारे में माता-पिता से सम्पर्क स्थापित किया जाता है जिनका उत्तरदायित्व उन पर होना है। जैसे, पर्याप्त वस्त्रों की कमी, समुचित पौष्टिक भोजन का अभाव आदि। विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता के सेवा-कार्य का उद्देश्य बालक की इस प्रकार सहायता करना है कि वह स्वयं भी अपनी उन कठिनाइयों और अभावों को समझ सके जिनकी शिकायत उसके सम्बन्ध में विद्यालय के अधिकारी करते हैं, अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में अपनी भावनाओं और दृष्टिकोण को जान सके और कार्यकर्ता के साथ अपने सम्बन्ध के माध्यम से उन समस्याओं को स्वयं सुलझाने का प्रयत्न कर सके जिनके लिए वह अपने को उत्तरदायी समझता है।

"आर्की के साथ प्रथम साक्षात्कार––पूर्व निश्चित योजना के अनुसार मै आर्की की कक्षा के सामने गयी। जब वह कक्षा के द्वार के पास आया तो मैने उससे अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं विद्यालय की सामाजिक कार्यकर्त्री हूँ। ऐसा लग रहा था कि वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो, इसी कारण वह बिना हिचकिचाहट के मेरे साथ मेरे कार्यालय में आया। मैंने उसे बताया कि किन कारणों से बच्चे मेरे पास आते और मुझसे बातचीत करते हैं। आर्की ने कहा कि वह एक ऐसे लड़के को जानता है जो मेरे पास बातें करने के

लिए आया करता है। उसने यह भी कहा कि "वह लड़का तो मुझसे भी अधिक भयंकर कठिनाइयों में फँस जाया करता है।" मैंने कहा, "यह सच है कि तुम कठिनाइयों में अधिक नहीं फँसते हो, पर तुम्हारी अध्यापिका श्रीमती हैरिस और प्रधानाध्यापिका मिस बेली का कहना है कि कक्षा में तुम जितना अच्छा काम कर सकते हो, उतना नहीं करते हो। तुम्हारा इस सम्बन्ध में क्या ख्याल है ?" इस प्रश्न के उत्तर में उसने कहा, "मैं तो समझता हूँ कि मेरा काम ठीक ही होता है।" मैंने फिर पूछा, "तब श्रीमती हैरिस क्यों कहती हैं कि तुम कक्षा में वैसी प्रगति नहीं कर रहे हो जैसी कर सकते हो ?" उसने कहा कि "श्रीमती हैरिस ने मुझसे भी यह बात कही है, पर मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है ?" उसने बताया कि विद्यालय के कुछ बच्चों के साथ उसका झगड़ा है। उसने एक घटना का वर्णन करते हुए कहा कि एक बार चार लड़के उसके ऊपर झपट पड़े थे और उसे मारा था। उसने कहा, "मैं किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता, पर यदि कोई मेरे ऊपर आक्रमण करता है तो मैं अपनी रक्षा करने का प्रयत्न अवश्य करता हूँ।" मैंने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि वह आत्मरक्षा के लिए प्रयत्न करता है। मैंने आश्चर्य प्रकट करते हुए उससे पूछा, 'तुम्हारा क्या ख्याल है, आखिर वे लोग तुम से झगड़ते क्यों हैं ?" उसने कहा, "मुझे नहीं मालूम वे ऐसा क्यों करते हैं, पर मैं इतना जानता हूँ कि इस विद्यालय में कई लड़के बड़े नीच है।" मैंने पूछा कि क्या इसके अतिरिक्त और भी कोई बात है जिसके कारण वह चिन्तित रहता है ? उसने कहा कि उसे कोई ऐसी बात याद नही पड़ रही है।

जब मैंने उससे पूछा कि यह विद्यालय उसे कैसा लगता है तो इसके उत्तर में उसने कहा कि विद्यालय उसे बहुत अधिक पसन्द है। मैंने कहा, "मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती कि तुम्हें विद्यालय पसन्द है। पर शायद तुम्हें यह समझने में कुछ कठिनाई हो रही है कि श्रीमती हैरिस और मिस बेली ऐसा क्यों सोच रही हैं कि तुम्हें सहायता की जरूरत है ?" इस तरह आर्की ने अपनी कुछ समस्याएँ मुझे बता दी है। जैसे, विद्यालय के बालकों से उसका झगड़ा और झगड़ने के लिए उसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति का अभाव। मैंने उससे पूछा कि क्या वह फिर मेरे पास आयेगा और इस विषय पर बात करना पसन्द करेगा कि विद्यालय के अन्य बालकों के साथ उसका झगड़ा निपटा देने के सम्बन्ध में मैं उसकी क्या सहायता कर सकती हूँ। उसने कहा कि वह अवश्य आयेगा। उसने यह भी कहा कि आज की बातचीत से उसको बहुत सन्तोष मिला है।

मैंने उससे पूछा, "यह तो शायद तुम बता सकते हो कि तुम कौन-कौन-से काम पसन्द करते हो ?" उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ क्या-क्या काम करता है। जैसे, खेलने के लिए नाव या हवाई जहाज बनाना या कभी-कभी शिकार के लिए जाना। उसने

बताया कि खिलौने बनाने का काम वे तहखाने में करते हैं और वही उनका कारखाना है। बातचीत के प्रसंग में उसने कई बार अपने बाप को 'मेरे पिता' कहा और उसकी प्रशंसा करते हुए बताया कि उसका पिता उस के लिए क्या करता है। जैसे, वह उसके कालेज में पढ़ने के लिए अभी से रुपया बचाता है। उसने यह बात कई बार दुहरायी कि उसका पिता बड़ा अच्छा है और उसे बहुत मानता है।

उसके कालेज में पढ़ने की बात सुनकर मैंने पूछा कि क्या उसने इस बारे में कुछ सोचा है कि वह किस कालेज में पढ़ेगा और पढ़ने के बाद कौन-सा पेशा अपनायेगा ? उसने कहा कि अभी इस बारे में उसने कुछ निश्चय नहीं किया है, पर वह सोचता है कि विश्वविद्यालय में पढ़ेगा और डाक्टर या वकील बनेगा। उसने यह विचार व्यक्त किया कि कालेज में पढ़ने में उसकी दिलचस्पी नहीं है, पर अपने माता-पिता को या मुझको प्रसन्न करने के लिए कालेज में पढ़ने जाने में उसे आपत्ति नही होती। मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ की यह विशेष रूप से इच्छा है कि वह कालेज में पढ़े ? उसने कहा कि हाँ, यह उसकी हार्दिक इच्छा है और वह अपनी माँ के लिए सब कुछ करेगा। इस पर मैंने फिर पूछा, "क्या तुम सचमुच बड़ा होने पर कालेज में जाकर पढ़ने में दिलचस्पी रखते हो ?" उसने उत्तर दिया, "जी हाँ, मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ।" उसने बताया कि उसकी माँ ने उससे एक बार पूछा था, "तुम क्या बनना चाहते हो, डाक्टर या वकील ?" और उसने उत्तर दिया था, "दोनों में से कोई भी। तुम जो कहोगी वही बनूँगा।" इन बातों से मैंने यह अनुमान किया कि जब वह यह कहता है कि उसकी माँ जो कहेगी, वह वही करेगा तो इससे स्पष्ट है कि वह अपनी माँ को बहुत आदर की दृष्टि से देखता और प्यार करता है। मैंने जब इस बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि निश्चय ही वह उसे बहुत प्यार करता है। साथ ही उसने यह भी कहा, "और मैं अपने पिता को भी बहुत प्यार करता हूँ।"

मैंने आर्की को सुझाव दिया कि वह अगले सप्ताह एक बार मुझसे फिर मिले और उस समय हम दोनों मिल कर उसकी समस्या, विशेष कर उसके झगड़ों के बारे में बातें करेंगे। उसने वादा किया कि वह मुझसे मिलने के लिए मेरे कार्यालय में स्वयं आयेगा। इसके बाद वह मुझे नमस्कार करके चला गया।

आर्की के साथ अपने इस प्रथम साक्षात्कार में सामाजिक कार्यकर्त्री ने यह पता लगाने की कोशिश की कि प्रधानाध्यापिका और अध्यापिका ने उसकी जिस कठिनाई की शिकायत की थी, वह स्वयं उसे जानता और स्वीकार करता है या नहीं। आर्की की बातों से स्पष्ट था कि उसका यह कहना कि विद्यालय में उसका कार्य बिलकुल ठीक था, उसकी दृष्टि से बहुत आवश्यक था। इसके विपरीत किसी कठिनाई या शिकायत की बात को

अस्वीकार करना भी उसके लिए स्वाभाविक ही था। आर्की ने यह दिखाने की कोशिश की कि वह यह अच्छी तरह समझता है कि दूसरे व्यक्ति उससे क्या आशाएँ रखते है और वह अपने से बड़ों को प्रसन्न रखने के लिए कितना प्रयत्न करता है। उसने अध्यापिका की यह बात तुरन्त मान ली थी कि उसे सामाजिक कार्यकर्त्री के साथ बात-चीत करने के लिए जाना है, और उसने उस आज्ञा का पालन भी किया। इसी से यह प्रमाणित होता है कि दूसरे व्यक्ति उससे जिस काम की आशा करते है उसे करने के लिए प्रयत्न करने की प्रवृत्ति उसके व्यवहार का एक अग है। श्रीमती हैरिस की कक्षा में, जहाँ वह दूसरो का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह-तरह की शरारतें करता था, उसका व्यवहार उसकी दृष्टि में ऐसा महत्त्वपूर्ण नही था जिसके लिए वह अपने को उत्तर-दायी मानता। कम से कम उस समय तक उसमें इस तरह की उत्तरदायित्व-भावना का विकास नही हो सका था। अभी तक वह किसी ऐसे तथ्य की वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं था जो उसके उपर्युक्त व्यवहार के अस्तित्व को खतरे में डालने वाला होता। अतः इस प्रवृत्ति को बदलने तथा इस सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करने में उसे जो कठिनाई हो रही थी उसे सुलझाने के लिए ही उसे सहायता की आवश्यकता थी। उसने अपने पारिवारिक सम्बन्धो का बड़ा ही आदर्श चित्र उपस्थित किया था और उसकी बातों से स्पष्ट था कि वह ऐसा कोई कार्य नही करना चाहता था जिससे उसके माँ-बाप की इच्छाओं की पूर्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित होती। सामाजिक कार्यकर्त्री ने यह भांप लिया कि आर्की को धीरे-धीरे इस प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए कि वह स्वयं अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को दूसरों के सामने विश्वास और दृढता के साथ उपस्थित कर सके। उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए यह तो आवश्यक था ही कि स्वयं आर्की इस ओर रुचि दिखाता, किन्तु साथ ही यह भी आवश्यक था कि इस कार्य मे उसकी अध्यापिका, प्रधानाध्यापिका और उसके माता-पिता भी उसकी सहायता करते। यद्यपि आर्की ने यह नही स्वीकार किया कि उसकी कोई कठिनाई या समस्या है, किन्तु उसने यह बात मानी, जैसा कि अधिकतर बच्चे करते हैं, कि उसकी कोई ऐसी कठिनाई अवश्य थी जो उसे चिन्तित कर रही थी और जिसकी वाह्याभिव्यक्ति उसका यह कथन था कि वह लड़ने से डरता है।

"दूसरा साक्षात्कार––साक्षात्कार के प्रारम्भ मे बहुत ही सहज रूप में और कुछ उत्साह से आर्की ने बताया कि बाल-क्लब और शिशु-सेवा-समिति में पिछले सप्ताह उसने क्या-क्या किया। इसके बाद उसने उन मुष्टियुद्ध-प्रतियोगिताओं का भी वर्णन किया जिन्हें बालक्लब में देखा था। उसने कहा, "यद्यपि वहाँ मै भी मल्लयुद्ध में भाग लेता हूँ, किन्तु वह वहाँ तो वास्तविक युद्ध न होकर खेल मालूम पड़ता है और इसी कारण मै उसे

पसन्द करता हूँ ।" मैने उससे पूछा कि क्या फिर कभी स्कूल से घर और घर से स्कूल आते-जाते समय उसकी किसी से लड़ाई हुई थी ? उसने दृढ़तापूर्वक कहा, "नही, अभी तो नही ।" मैने उससे पूछा कि "अभी तो नही" से उसका क्या तात्पर्य है ? उसने मुक्त भाव से अपने मन की बाते बताते हुए कहा कि वह लड़ना पसन्द नही करता और न यही चाहता है कि कोई किसी से लड़े ।

मैने उससे कहा कि कुछ लड़के इसलिए नही लड़ते कि उन्हें डर रहता है कि चोट न लग जाय । कुछ धीमी आवाज में उसने उत्तर दिया, "मेरा भी यही ख्याल है । मै भी डरता हूँ ।" सम्भवत: आर्की ने यह भांप लिया था कि मै उसके आन्तरिक भय की बात को समझ गया हूँ, इसी कारण वह मेरे सामने अपने ढंग से अपने भय की व्याख्या कर रहा था । इस सम्बन्ध में उसने कुछ उदाहरण देते हुए बताया कि जब वह अपने वर्तमान मुहल्ले में पहले-पहल अपने परिवार के साथ गया था तो एक दिन एक बड़े लड़के से उसकी लडाई हो गयी । उस लड़के से वह इतना डर गया था कि आज भी वह लड़ने के नाम से डर जाया करता है । मैने उसे समझाया कि इस प्रकार का भय होना स्वाभाविक है । मैने उसे याद दिलाया कि पिछले सप्ताह उसने कहा था कि वह आत्मरक्षा का उपाय सीखना चाहता था । मैने कहा कि मेरा ख्याल है कि यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण है और उसे इस योग्य बनना चाहिए कि वह आत्मरक्षा करने मे समर्थ हो सके । इस दृष्टि से बालक्लब में उसका मल्लयुद्ध सीखना अच्छा ही है क्योकि यह कला सीख लेने पर जब भी दूसरे लड़कों से उसे खतरा होगा तो वह अपनी रक्षा कर सकेगा ।"

इस साक्षात्कार में आर्की ने अपनी जो समस्या उपस्थित की वह अध्यापिका और प्रधानाध्यापिका द्वारा उपस्थित उसकी समस्या (बचकानापन, चिल्लाना और कहानी गढ़कर सुनाना) से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित थी । सम्भवत: भय की ये भावनाएँ ही शैक्षणिक कार्यो से सम्बन्धित उसकी योग्यता में बाधा उपस्थित कर रही थी क्योंकि यह स्पष्ट था कि आर्की विद्यालय के अन्य बालको के साथ निःशंक होकर नही रह सकता था और इसी कारण वह स्वच्छन्द रूप से अपनी क्षमताओं का उपयोग भी नही कर पाता था ।

अगले साक्षात्कार के समय तक विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्त्री के साथ उसका सम्बन्ध इतना विश्वासपूर्ण हो गया था कि उसके भय की भावनाओं के सम्बन्ध में खुलकर विचार किया जा सकता था । इस साक्षात्कार में उसने बताया कि अब तक अपने भय के सम्बन्ध मे उसने किसी से बातचीत नही की थी । इस साक्षात्कार में फिर उसने लड़ाई-झगड़े की चर्चा की और कहा कि जब कभी उसे ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई उससे लड़ने आ रहा है तो डर से उसकी आत्मा काँपने लगती है । और उस समय यदि पहली कक्षा का भी कोई विद्यार्थी उस पर हमला कर दे तो उससे बदला लेने की हिम्मत उसमें नहीं रहती ।

सामाजिक कार्यकर्त्री से जब उसने अपने भय के सम्बन्ध में ये बातें बतायी तो कार्यकर्त्री ने उससे सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, "मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझती हूँ और जानती हूँ कि इस तरह हर समय भयभीत रहकर विद्यालय में पढ़ना-लिखना कितना मुश्किल है।" फिर भी कार्यकर्त्री ने अपनी वाक्पटुता का उपयोग करते हुए उसे समझाया कि भय की भावनाओं का होना बहुत बुरा भी नहीं है। उसने इस बात के लिए उसकी निन्दा भी नहीं की कि उसमें लड़ने की क्षमता क्यों नही है। इस तरह कार्यकर्त्री के साथ सम्बन्ध का अनुभव आर्की के लिए बिलकुल नयी वस्तु थी क्योंकि इसके पूर्व तो सभी उससे यही कहते थे कि इस तरह का भय बचकानेपन का लक्षण था और इतना बड़ा हो जाने पर भी उसे इस तरह भयभीत नही होना चाहिए। ज्यों-ज्यों आर्की को यह अनुभव होता गया कि सामाजिक कार्यकर्त्री उसका आदर करती है और वह जिस रूप में है उसी रूप में उसे स्वीकार करती है तो धीरे-धीरे उसके भीतर कुछ परिवर्तन होने लगा। अब वह कार्यकर्त्री की ओर सीधी आँख करके देखता और मुस्कराकर चैन का अनुभव करते हुए कहता था, "मैं अब अकारण भयभीत नहीं होता जैसा पहले हुआ करता था।"

इसके बाद आर्की ने अपने एक अन्य भय का वर्णन किया। उसने कहा कि जब उसकी माँ और उसके पिता रात में बाहर जाते हैं तो वह हमेशा डरता रहता है कि उसकी माँ को कुछ हो न जाय। इस विषय की चर्चा करते हुए उसने कुछ निश्चित उदाहरण दिये और एक घटना का वर्णन करते हुए कहा, "यह उस समय की बात है जब मेरे पिता थे।" विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्त्री ने समझ लिया कि आर्की अब अपने अन्तरतम में निहित भय की बात उद्घाटित कर रहा है और उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने से आर्की का आत्म-विश्वास बढ़ जायेगा और इस आत्म-विश्वास के कारण वह अपने सम्बन्ध में अपने भीतर अधिक सुरक्षा की भावना का अनुभव करेगा तथा अपनी उस क्षमता को पहचान सकेगा जिसके द्वारा वह अपना विकास और परिवर्तन कर सकता है। उसने आर्की से कहा, "मैं सोचती हूँ कि तुमने इन समस्याओं की चर्चा करके बहुत अच्छा काम किया है। मैंने ऐसे कई लड़कों की सहायता की है जिनकी समस्याएँ भी ऐसी ही थीं। मैं हर हफ्ते तुमसे मिला करूँगी और इस विषय पर बातचीत किया करूँगी।"

बच्चों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे यह अनुभव करते रहें कि उनके माँ-बाप उनमें दिलचस्पी लेते हैं और उनकी सहायता करना चाहते हैं। इसीलिए विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्त्री ने आर्की से कहा था कि वह उसकी माँ से भी मिलेगी और आर्की ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की थी। आर्की कार्यकर्त्री के साथ अपने साक्षात्कारों के सम्बन्ध अपनी माँ से पहले ही बता चुका था और उसकी माँ ने इसे पसन्द भी किया था। इसी कारण उसने कार्यकर्त्री को अपनी स्वीकृति दी और कार्यकर्त्री ने जब उसकी माँ

के पास ले जाने के लिए उसे एक पत्र दिया तो उसने सहर्ष उसे ले जाना स्वीकार किया। उस पत्र में कार्यकर्त्री ने लिखा है, "मुझे आपसे मिलना आवश्यक है, क्योंकि इससे मुझे अपने काम में काफी सहायता मिलेगी। आप मिलने का कोई निश्चित समय बताइए।" (बहुधा इस प्रकार मिलने का समय निश्चित करने में बच्चे बहुत सहायता करते हैं क्योंकि वे कार्यकर्त्री और अपने माँ-बाप के बीच के सम्बन्ध-सूत्र होते हैं। इससे यह लाभ होता है कि वे सोचते हैं कि उनके सम्बन्ध में जो कुछ किया जा रहा है, वे स्वयं भी उसमें हिस्सा बँटा रहे हैं।)

"श्रीमती प्रिंस के साथ साक्षात्कार—श्रीमती प्रिंस साक्षात्कार के लिए निश्चित तिथि पर ठीक समय से आयी। वह नाटे कद की, आकर्षक और सजी-धजी नौजवान औरत थी। उसका व्यवहार मिलतापूर्ण था। वह जानती थी कि आर्की मुझसे मिलने आया करता है। इसीलिए उसने कहा कि उसे इस बात की प्रसन्नता है कि उसका लड़का ऐसा कर रहा है। उसने यह भी कहा कि यह बात उसकी समझ में अच्छी तरह नहीं आती कि आर्की-जैसे बालकों की समस्याओं को सुलझाने में विद्यालय का सामाजिक कार्य विभाग किस तरह सहायता कर सकता है। उसने बताया कि यद्यपि मिस बेली ने इस सम्बन्ध में उसे सब कुछ बताया था, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ सका था। उसने कहा, "यद्यपि मैं सोचती हूँ कि बालकों की समस्याओं को सुलझाने में विद्यालय द्वारा सहायता का कार्य अच्छा है, फिर भी क्या आप इस विषय पर कुछ और प्रकाश डालेंगी?" मैंने उत्तर दिया, "मुझे मालूम है कि आपने मिस बेली से आर्की के सम्बन्ध में अपनी चिन्ताओं की चर्चा की थी और आर्की की अध्यापिका ने भी यह स्वीकार किया था कि आर्की की कुछ कठिनाइयाँ हैं। विद्यालय में मेरा काम यह है कि जब किसी बालक के सामने ऐसी समस्याएँ उपस्थित होती हैं, जैसी आर्की की हैं, तो मैं उन्हें सुलझाने में उस बालक तथा उसके माँ-बाप की सहायता करती हूँ। सहायता की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उन समस्याओं के कारण विद्यालय के कार्यों की सफलता में बाधा उपस्थित होती है। इसी कारण हम यह आवश्यक समझते हैं कि उन समस्याओं को यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र सुलझा दिया जाय। बच्चे के साथ साक्षात्कार करके मैं उसे ऐसा अवसर प्रदान करती हूँ कि वह अपनी उन भावनाओं या बातों को खुलकर अभिव्यक्त कर सके जिनके कारण वह स्वयं चिन्तित है अथवा जिनसे उसकी अध्यापिका को चिन्ता हो गयी है। बालकों की भावनाओं को समझकर तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने में उनकी सहायता करके हम वस्तुतः उन्हें इस योग्य बनाने का प्रयत्न करते हैं कि वे विद्यालय में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह अच्छी तरह कर सकें। आपने आर्की को मेरे पास आने और बातचीत करने की अनुमति देकर मेरी बड़ी सहायता की है क्योंकि इसके कारण वह मुझसे अधिक खुलकर बात-चीत कर सकेगा।" मैंने उससे यह

भी प्रस्तावित किया कि हम दोनों आर्की को ठीक ढंग से समझने तथा विद्यालय में उसकी व्यवहार-पद्धति में सुधार करने के लिए साथ-साथ काम करें। मेरा भाव समझकर श्रीमती प्रिस ने कहा, "मै सोचती हूँ कि आर्की के सम्बन्ध में मुझे आपको अधिक से अधिक जानकारी दे देनी चाहिए।"

इसके बाद उसने (श्रीमती प्रिस ने) बताना शुरू किया कि किस प्रकार विवाह के बाद ही उसकी अपने पति से अनबन रहने लगी थी। उसने कडवाहट भरे शब्दों में बताया कि आर्की के पिता ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। चूँकि उसका पति उसका और उसके लड़के का भरण-पोषण करने को तैयार नही था, इसलिए उसने आर्की को अपनी माँ के पास पहुँचा दिया जहाँ वह ५ वर्ष की उम्र तक रहा। उसी समय उसने अपना दूसरा विवाह प्रिस के साथ कर लिया।

आर्की का पिता पहले हर रविवार को आर्की से मिलने के लिए आया करता था और यह काम वह तीन वर्ष पहले तक, जबकि प्रिस ने आर्की को गोद ले लिया, करता रहा। श्रीमती प्रिस ने बताया कि आर्की अपने पहले पिता के साथ जाना नही चाहता था और जिन दिनों उसका पिता उससे मिलने आया करता था, वह बहुत अव्यवस्थित रहा करता था। यह स्थिति तब तक रही जबतक कि आर्की के पिता ने गोद लेने से सम्बन्धित कागज पर हस्ताक्षर करके आर्की से मिलने-जुलने का अपना समस्त अधिकार समाप्त नहीं कर दिया। न्यायालय से सम्बद्ध एक महिला ने आर्की को बताया था कि गोद लेने का क्या अर्थ होता है और उसे अच्छी तरह समझा भी दिया था कि अब वह अपने पूर्वपिता से न तो मिलने पायेगा और न उसके सम्बन्ध में कुछ जानने ही पायेगा। श्रीमती प्रिस की यह बात सुनकर मैने उससे पूछा कि यद्यपि आर्की अपने पिता से मिलने पर प्रसन्न नहीं होता था, फिर भी इस घटना के कारण उसे शायद मानसिक कष्ट हुआ होगा ? श्रीमती प्रिस ने उत्तर दिया, "ऐसी कोई बात नही हुई। इस घटना से न तो आर्की के और न उसके पिता के दिल को कोई चोट लगी; केवल उस समय मै ही रोई थी। उसके बाद से अब तक आर्की से उसके पिता के सम्बन्ध में मैने कोई बात नही की और न उसने ही कभी कुछ कहा। मैं उसके सामने कभी उसके पिता का नाम नही लेती क्योंकि मेरा ख्याल है कि आर्की अपने पिता को भूल चुका है और गोद लेने के समय की घटना के बारे में भी अब वह कभी कुछ नहीं सोचता। केवल एक बार जब किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया था तो आर्की ने मुझसे कहा था, "शायद तुम्हारा भूतपूर्व पति आया है।" उस समय मैने सोचा था कि शायद गलती से आर्की के मुँह से यह बात निकल गयी होगी और इसीलिए मैंने उसकी बात का कोई जवाब नही दिया था।" मैने श्रीमती प्रिस से पूछा कि क्या इससे यह नही पता चलता कि आर्की अपने पिता के बारे में सोचता है ? वह अपने पिता के बारे में केवल इस कारण

बात नही करता कि उसे ऐसा करने से मना किया गया है और यह एक वर्जित विषय है। श्रीमती प्रिस ने बताया कि अब वह भी यही सोच रही है कि आर्की के सामने उसके पिता के विषय में थोड़ी बहुत बात करने में कोई हानि नही है। फिर भी उसे इस बात का भय था कि ऐसा करने से आर्की को चिन्ता होने लगेगी और यदि आर्की अपने पिता के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछने लगेगा और वह उसका उत्तर देगी तो सम्भव है इसके कारण उसके मन की चिन्ताएँ और बढ़ जायँ।

इसके बाद श्रीमती प्रिस ने यह आशंका व्यक्त की कि कही ऐसा न हो कि बड़ा होने पर आर्की भी अपने बाप के समान ही हो जाय क्योकि इसी उम्र में उसमें उसके बाप के कुछ लक्षण वर्तमान है। जैसे, यह कि वह कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नही लेना चाहता और न किसी बात को गम्भीरता से ग्रहण ही करता है। उसको इस बात से विशेष रूप से चिन्ता हो गयी थी कि आर्की ने उससे झूट बोलना भी शुरू कर दिया था। मैने उससे सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि वह अपने पूर्वपति के जिन दुर्गुणो से घृणा करती थी, उन्ही के लक्षण अपने लड़के में देखकर सचमुच उसे बहुत निराशा हो रही होगी। मैने यह सुझाव रखा कि हम दोनों को समय-समय पर इन चिन्ताओ के विषय मे, और विशेष कर उनके विषय में जिनका सम्बन्ध आर्की के विद्यालयीय जीवन से है, बातचीत और विचार-विनिमय करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि आर्की में परिवर्तन ले आने के लिए क्या उपाय किया किया जा सकता है।

श्रीमती प्रिस ने यह भी कहा, "अभी हाल में विद्यालय से आर्की का जो प्रगति-पत्रक प्राप्त हुआ उसे देख कर मै और भी चिन्तित हो उठी हूँ। उसे देखने से पता चलता है कि वह पाठ तथा अंग्रेजी, इन दो विषयों मे अनुत्तीर्ण है और एक विषय—नागरिकता—में उसे सन्तोषजनक अंक नही प्राप्त हुए है। मैने इस विषय मे आर्की की अध्यापिका श्रीमती हैरिस से बातें की थी। उनका कहना है कि आर्की सुस्त और गैर जिम्मेदार लड़का है। हो सकता है कि यह बात सत्य हो, पर मै समझती हूँ कि इसका कुछ-न-कुछ कारण अवश्य होगा। श्रीमती हैरिस से विचार-विमर्श करने के बाद मै इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि आर्की में परिवर्तन लाने के लिए मै हर सम्भव प्रयत्न करूँगी। इसके लिए मैने यह निश्चय किया है कि विद्यालय से लौटने के बाद आर्की को घर से बाहर नही जाने दूँगी ताकि वह घर पर रह कर पढ़ने में समय लगाये। इसी दृष्टि से मैने उसको क्लब के सामूहिक खेलों में भाग लेने के लिए जाने से मना कर दिया। मैने उससे कह दिया है कि वह क्लब में तभी जाने पायेगा जबकि पहले वह अपनी कक्षा की प्रगति ठीक कर लेगा।" इस पर मैने श्रीमती प्रिस से कहा कि बालक्लब के कार्यक्रमों में आर्की को सम्मिलित न होने देने का निश्चय करना और उसे कड़ाई से पालना करना उसके लिए बड़ा दुष्कर कार्य मालूम पड़ा होगा।

इसके उत्तर में श्रीमती प्रिंस ने बताया कि सचमुच उस निश्चय का पालन करना कठिन था और इसीलिए उसने और उसके पति ने उसे इस बात की अनुमति दे दी है कि वह चर्च के दीक्षा-कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए जा सकता है ।

इसके बाद श्रीमती प्रिन्स ने फिर अनिश्चय व्यक्त करते हुए कहा कि आखिर आर्की के लिए क्या किया जा सकता है, जिससे वह अपनी जिम्मेदारी का अनुभव कर सके । उसने कहा, "उसे गैरजिम्मेदार बनाने में कुछ दोष मेरा भी है क्योंकि जब वह बीमार था तो मैंने ही 'छोटे बच्चे' की तरह उसकी देख-भाल की थी । प्रिंस के साथ मेरे परिचय और मेल-जोल के पूर्व तो आर्की अपने पिता के पास रहते हुए भी प्यार-दुलार की दृष्टि से पितृहीन-जैसा ही था । यद्यपि मैंने आर्की को बहुत प्यार-दुलार किया है और सम्भवतः इसी कारण उसमें 'बचकानेपन' का दोष भी आ गया है, फिर भी कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं उसके साथ बहुत कड़ाई का बर्ताव करती हूँ ।" मैंने श्रीमती प्रिंस को सुझाव दिया कि उसे आर्की के साथ अपना सम्बन्ध ऐसा रखना चाहिए कि वह उसके अनुशासन में रहते हुए भी उसके साथ प्रसन्नता का अनुभव करता रहे ।

अन्त में श्रीमती प्रिंस ने कहा, "सचमुच आर्की के विषय में आप से बात करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि मैं समझती हूँ कि आर्की सचमुच 'समस्या-बालक' है । मैंने अपने कई सम्बन्धियों से इस विषय में सहायता लेनी चाही, पर आर्की की दोनों दादियों ने यह कह कर मेरा उत्साह भंग कर दिया कि आर्की बिलकुल अपने बाप और दादा के समान है और इसी कारण मैंने सोच लिया था कि आर्की के लिए शायद मैं कुछ भी न कर पाऊँगी ।" मैंने उससे कहा कि आर्की की सहायता के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए उसका विद्यालय में आना तो इस बात का सूचक है कि वह सोचती है कि आर्की में परिवर्तन हो सकता है । मैंने उससे यह भी बताया कि अभी मेरी उससे जो बातें हुई थीं उनसे यह स्पष्ट था कि वह और विद्यालय दोनों यह स्वीकार करते हैं कि आर्की को समुचित विकास के लिए सहायता की आवश्यकता है ताकि वह अपनी उम्र और योग्यता के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियाँ सँभाल सके । मैंने उसे सुझाया कि वह प्रति सप्ताह नियमित रूप से मेरे पास आया करे ताकि हम लोग मिल कर आर्की की सहायता का कार्य कर सकें । श्रीमती प्रिंस ने इस काम के लिए उत्सुकता दिखायी; अतः यह निश्चित हुआ कि वह अगले सप्ताह फिर मुझसे मिलने आयेगी ।"

श्रीमती प्रिंस के साथ अपने प्रथम साक्षात्कार में ही सामाजिक कार्यकर्त्री ने समझ लिया कि वह एक ऐसी माँ थी जो अपने बच्चे के लिए सहायता की आवश्यकता का अनुभव करती थी । चूँकि उसकी चिन्ता अधिकतर आर्की की विद्यालय-सम्बन्धी कठिनाइयों तक ही केन्द्रित थी, अतः कार्यकर्त्री ने समझ लिया कि श्रीमती प्रिंस को इसी क्षेत्र के भीतर

ऐसी सहायता मिलनी चाहिए कि आर्की के साथ उसका सम्बन्ध अधिक रचनात्मक रूप ग्रहण कर सके। बातचीत से कार्यकर्त्री को इस बात का आभास मिल गया था कि श्रीमती प्रिस में अपने विचारों और दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की कुछ क्षमता थी क्योंकि उसने स्वयं कार्यकर्त्री से यह प्रश्न किया था कि आर्की से उसके पहले पिता के विषय में बातचीत न करने की योजना उचित थी या अनुचित। कार्यकर्त्री ने यह भी लक्ष्य किया कि श्रीमती प्रिंस ने आर्की को अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए सहायता देने के विषय में बातचीत करने के लिए प्रति सप्ताह विद्यालय में आने की जो स्वीकृति दी उसमें पर्याप्त शक्ति थी। उसने यह भी समझ लिया कि आर्की की सहायता का कार्य उतना आसान नहीं होगा क्योंकि सहायता की इच्छा रखते हुए भी श्रीमती प्रिंस आर्की के ऊपर अपना जो अधिकार समझती थी उसे छोड़ने या कम करने को वह शायद ही तैयार होगी। फिर भी इस बात की ओर उसका ध्यान गया कि कितनी उत्सुकता से श्रीमती प्रिंस ने कार्यकर्त्री से हर सप्ताह मिलने के लिए अपनी स्वीकृति दी थी, और यदि वह उत्साह वैसा ही बना रहा तो आर्की की सहायता के कार्य में सम्भवतः कोई बाधा न आने पायेगी।

"दूसरे सप्ताह श्रीमती प्रिंस निश्चित समय पर मुझसे मिलने आयी। उसने आते ही कहना शुरू किया कि उसका उत्साह इस कारण कुछ कम हो गया है कि उसका पति इस बात को पसन्द नहीं करता; उसका कहना है कि विद्यालय वाले आर्की के पीछे इस तरह क्यों पड़े हैं। उसने बताया कि पिछले सप्ताह जब वह यहाँ से बात कर के गयी तो इतने उत्साह में थी कि इस बारे में अपने पति से जल्दी ही सब कुछ बता देना चाहती थी और बड़े धैर्य से वह अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती रही; जब वह घर आया तो उसने मेरे साथ अपने साक्षात्कार का पूरा विवरण बताया जिसे सुन कर उसके पति ने पूछा कि इस काम के लिए उसे (श्रीमती प्रिंस को) विद्यालय में क्यों बुलाया गया और क्या आर्की विद्यालय के अन्य सभी बच्चों से अधिक खराब है? श्रीमती प्रिंस ने अपने पति को पूरी बात समझाने की कोशिश की थी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया था जिससे श्रीमती प्रिंस को अपने ऊपर ही सन्देह हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वयं उसने ही उस विषय को अच्छी तरह नहीं समझा है। इस पर मैंने उससे कहा कि उसकी निराशा का कारण उसके पति का हम दोनों की मुलाकातों और बातचीत का उद्देश्य न समझना है अथवा यह है कि उसे स्वयं यह विश्वास नहीं है कि विद्यालय में आकर मुझसे मिलने और बातचीत करने से आर्की से सम्बन्धित उसकी समस्या सुलझ सकती है। श्रीमती प्रिंस ने यह बात स्वीकार नहीं की कि वह स्वयं इस पद्धति में अविश्वास करती है,पर उसने आग्रह किया कि मैं इस विषय की कुछ और विस्तार से व्याख्या करूँ। मैंने उसे याद दिलाया कि जब उसने आर्की विषयक अपनी चिन्ता के बारे में मिस बेली से पहली बार बातचीत की थी

तो उस समय मिस बेली ने मुझसे कहा था कि मै इस मामले में उसकी कुछ सहायता करूँ। अत: मैने आर्की की सहायता के लिए कार्यारम्भ किया और आर्की से मिल-जुल कर उसे प्रभावित करना शुरू किया क्योंकि सबसे पहली महत्त्व की बात यह थी कि आर्की स्वयं यह अनुभव करता कि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है और उसके लिए जो कुछ किया जाय उसमें वह भी योग दे। चूँकि आर्की कुछ दिनो से विद्यालय का अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था और विद्यालय के अन्य कई लड़कों के साथ उसका झगड़ा भी था, अत: यह आवश्यक था कि मै इस काम में उसकी (आर्की की माँ की) सहायता लेती। अब हम दोनों को मिल कर इस विषय पर विचार करना चाहिए कि आर्की की कठिनाइयो के क्या कारण है और हम उसकी सहायता के लिए कोई नया उपाय निकाल सकते है या नही। मैने उससे कहा कि आर्की की समस्या उसके लिए तो चिन्ता का विषय है ही, हम विद्यालय-वालों को भी उसके विषय में कम चिन्ता नही है। हम लोगो का ऐसा विश्वास है कि बालक की विद्यालय-सम्बन्धी कठिनाइयाँ उसके समग्र जीवन की कठिनाइयों का एक अंग मात्र होती है और आर्की के विषय में भी यह बात उतनी ही सही है जितनी अन्य किसी बालक के विषय मे। मैने उससे बताया कि यह बात अन्य तरीकों से भी उसे स्पष्ट ही हो गयी होगी; अत: यह आवश्यक है कि पहले उसकी समस्या के उस पक्ष को सुलझाने मे हाथ लगाया जाय जिसका सम्बन्ध विद्यालय से है; यदि वह सचमुच इस विषय मे चिन्तित है और कुछ करना चाहती है तो पहले उसे इसी काम में सहयोग करना चाहिए। श्रीमती प्रिस ने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। वह कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, "अब मैने इस विषय को पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझ लिया है और सोचती हूँ कि यदि मै आप से मिलना और बातचीत करना जारी रखूँगी तो इससे मुझे बड़ी सहायता मिलेगी। यद्यपि मैने कई बार सोचा है कि कही मै आर्की की समस्या को अतिरंजित करके तो नही देख रही हूँ, पर अब ऐसा सोच रही हूँ कि उसकी समस्या अतिरंजित या कल्पित नही है, वास्तविक है और पहली बार मैने अच्छी तरह समझा है कि मै भी अपनी शक्ति के अनुसार आर्की की सहायता कर सकती हूँ।"

इसके बाद श्रीमती प्रिस ने कहा, "पिछली बार जब मै आप से मिली थी उसके बाद से आर्की ने इस बात की बहुत कम शिकायत की है कि घर से विद्यालय जाते या वहाँ से वापस आते समय उसके साथ की कोई घटना घटित हुई है। मै समझती हूँ कि इसके पहले जब आर्की इस तरह कोई शिकायत लेकर मेरे पास आता था तो मै उसकी ओर अधिक ध्यान नही देती थी। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि मैने आर्की को, अपना उत्तरदायित्व स्वयं वहन करने के योग्य बनने में, सहायता करने की दृष्टि से उससे कहा था कि वह अकेले ही बस से बालक्लब में जाय और आर्की ने ऐसा ही किया था।"

यह सुनकर मैंने कहा कि यह तो बहुत अच्छी सूचना है । पर जब उसने आर्की को अकेले क्लब जाने के लिए कहा होगा तो उसके मन में अवश्य बेचैनी हुई होगी । उसने कहा कि हाँ, बेचैनी तो हुई थी, पर उसने सोचा था कि उसे ऐसा भय नही होना चाहिए क्योंकि वह स्वयं जब दस वर्ष की थी तभी वह अकेली बस से यात्रा करती थी और अकेली ही शहर जाती थी । उसने फिर कहा, "और फिर आर्की तो लड़का है ।" मैंने कहा, "यह तो बहुत अच्छा है कि तुम आर्की को इस योग्य समझने लगी हो कि वह अकेले ही बस से यात्रा कर सके । पर मैं जानती हूँ कि तुम आर्की को और भी इस तरह के काम अकेले नही करने दोगी जिन्हें वह वस्तुतः अकेले कर सकता है ।"

इस पर श्रीमती प्रिस ने कहा कि वह जानती है कि आर्की को इस तरह की सहायता की आवश्यकता है जिससे वह अपनी देखभाल स्वयं करने के उत्तरदायित्व को समझ सके और अपनी इस क्षमता का विकास कर सके । पर अब तक तो उसके लिए आर्की को अपने 'आँचल की छाया से दूर करने' का विचार भी असह्य प्रतीत होता रहा है । मैंने श्रीमती प्रिस से बताया कि हम लोग जब किसी बालक की समस्या के सम्बन्ध में उसके माँ-बाप का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रायः उसकी माता और उसके पिता दोनों से बातचीत करते हैं, अतः मेरा ख्याल है कि आर्की के पिता से भी मेरी बातचीत हो जाय तो इससे मुझे अपने काम में बड़ी सहायता मिलेगी । यह इसलिए और भी अधिक आवश्यक है कि प्रिस के मन में इस सेवा-पद्धति की उपयोगिता के सम्बन्ध में ही सन्देह उत्पन्न हो गया है । श्रीमती प्रिस ने कहा कि वह इस सम्बन्ध में अपने पति से बातें करेगी, पर उसे इस बात का पूर्ण विश्वास नही है कि वह इस कार्य के लिए अपना काम छोड़ कर यहाँ आ सकेगा ।

विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्त्री ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि यद्यपि श्रीमती प्रिस आर्की के बारे में चिन्तित थी और उसे परिवर्तित करने में सहायता पहुँचाने के कार्य में उसने अपनी दिलचस्पी भी दिखायी थी, पर साथ ही इस सम्बन्ध में कुछ करना उसके लिए बहुत कठिन था । उसके मन में यह सन्देह था कि विद्याल की सामाजिक कार्यकर्त्री से आर्की की समस्या के बारे में बातचीत जारी रखने से कोई लाभ हो सकता है । और इसी सन्देह की अभिव्यक्ति उसके उन प्रश्नों द्वारा हुई जो उसने कार्यकर्त्री से पूछे थे । अतः उसके सन्देह को दूर करने के लिए कार्यकर्त्री ने विद्यालय की सामाजिक सेवा की पद्धति के बारे में उसे दुबारा इस तरह समझाया कि श्रीमती प्रिस को विश्वास हो गया कि वह जिस तरह चाहे इस सेवा का उपयोग कर सकती है । पूरी तरह आश्वस्त हो जाने के बाद श्रीमती प्रिस ने सामाजिक कार्यकर्त्री से बताया कि आर्की में कुछ परिवर्तन होते देख उसे बड़ी प्रसन्नता हुई है । जिस समय वह यह बता रही थी कि किस तरह उसने

आर्की को अकेले बस में यात्रा करने के लिए भेजकर उसे जिम्मेदार व्यक्ति बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, उसकी बातों से प्रकट हो रहा था कि वह एक प्रकार के गौरव का अनुभव कर रही थी ।

श्रीमती प्रिंस सामाजिक कार्यकर्त्री की सहायता का रचनात्मक ढंग से उपयोग करने के लिए तैयार थी । यह बात इसी से प्रमाणित हो जाती है कि उसने अपने पति को कार्यकर्त्री से मिलने के लिए निश्चित समय पर भेजा । श्री प्रिंस से कार्यकर्त्री की जो बातचीत हुई वह इतनी विधेयात्मक और अनुकूल थी कि उससे यह स्पष्ट हो गया कि श्रीमती प्रिंस ने उसकी शंकाओं के बारे में जो बातें कहीं थीं, वे श्री प्रिंस के नहीं, स्वयं श्रीमती प्रिंस के मन की शंकाएँ थी और उसने बहुत चढ़ा-बढ़ाकर उनका वर्णन किया था ।

श्री प्रिंस ने भी और लोगों की तरह आर्की के सम्बन्ध में बताया कि वह बचकानेपन का व्यवहार करता है, चिल्लाता है और इसी तरह के अन्य कार्य करता है । उसके विचार से इसका कारण यह था कि उसकी पत्नी आर्की की रक्षा का आवश्यकता से अधिक ख्याल करती थी । उसने यह भी बताया कि उसकी पत्नी रात में आर्की को बिस्तरे पर खूब अच्छी तरह कपड़ों से ढक देती थी और उसे ऐसे काम भी नहीं करने देती थी जो उसकी उम्र के लड़के आसानी से कर सकते है । उसने आगे बताया, "लड़के का सौतेला पिता होने के नाते मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं अपनी पत्नी को मना भी नही कर सकता कि वह आर्की का इतना दुलार कर उसे क्यों बिगाड़ रही है । मै अच्छे पिता की भाँति आर्की के मनोरंजन के लिए कई तरह के काम करता हूँ, उसे शिकार पर अपने साथ ले जाता हूँ और कारखाने में उसे अपने साथ बैठाकर उसका मनोरंजन करता हूँ । जब मै आर्की के साथ अकेले रहता हूँ तो हमारा समय बहुत अच्छी तरह बीतता है । उस समय आर्की काम करना पसन्द करता है और मेरी बातें भी मानता है,किन्तु ज्यों ही उसकी माँ आ जाती है वह मुझे भुलाकर उसी को सब कुछ समझने लगता है । मेरे विचार से आर्की वह उम्र पार कर चुका है जब कि बच्चे अपनी माँ को सब कुछ समझते और उसी पर निर्भर रहते हैं । अब तो उसकी उम्र ऐसी हो गयी है कि उसे पिता के निर्देशन की आवश्यकता है । मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि आर्की अपनी माँ को कम प्यार करे, किन्तु उसे बचकाने ढंग से माँ को प्यार नहीं करना चाहिए ।" प्रिंस की बातों से यह पता चलता था कि उसके मन में आर्की और उसकी माँ के प्रति बड़ा ममत्त्व और स्नेह था । सामाजिक कार्यकर्त्री ने समझ लिया कि आर्की और उसके प्रति उसकी माँ के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने के कार्य में प्रिंस से बहुत अधिक समर्थन और सहयोग प्राप्त हो सकता है । उसने प्रिंस से कहा कि वह जानती है कि वह आर्की के साथ एक अच्छे पिता-जैसा व्यवहार करता है और आर्की भी बड़े उत्साह के साथ बता चुका है कि वे दोनों किस तरह साथ मिलकर अपना

समय बिताते है । कार्यकर्त्री ने उसे यह भी समझाया कि वह आर्की की व्यवहार-बुद्धि को अधिक परिपक्व बनाने के लिए स्वयं आर्की, उसकी माँ और उसकी अध्यापिका के साथ मिलकर अपना काम करेगी । प्रिस ने कहा कि वह इस प्रकार के सहायता-कार्य में पूरी तरह सहयोग करेगा और उसे बड़ी प्रसन्नता है कि उसकी पत्नी इस काम के लिए यहाँ आती है। उसने वादा किया कि आर्की की सहायता के लिए उससे जो भी कहा जायेगा वह सहर्ष करेगा । सामाजिक कार्यकर्त्री ने उससे कहा कि उसके मन में जब भी कोई सन्देह हो या प्रश्न उठे और जब भी वह उससे बात करना चाहे, वह खुशी से यहाँ आ सकता है और जब भी वह उसकी सहाया की आवश्यकता समझेगी उसे बुला लेगी ।

विद्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता जब किसी बालक या उसके माता-पिता की सहायता का कार्य करता रहता है तो उसके साथ ही वह नियमित रूप से बालक के अध्यापक से मिलता रहता है । कार्यकर्ता के साथ परामर्श करते रहने से अध्यापक को बालक और उसके परिवार के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती रहती है । इस जानकारी के परिणाम-स्वरूप अध्यापक ऐसे उपाय काम में लाता है जिनसे कक्षा में बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है । बालक के कार्यो की प्रगति के सम्बन्ध में अध्यापक और सामाजिक कार्यकर्ता के बीच जो परामर्श-गोष्ठी होती है उससे यह लाभ होता है कि दोनों बालक की सहायता से सम्बन्धित अपने तरीकों में सुधार कर सकते है । कार्यकर्त्री जब बालक के सम्बन्ध में अध्यापक द्वारा कही गयी बातों के औचित्य को स्वीकार करती है तो अध्यापक में आत्म-विश्वास उत्पन्न होता है और उसे बल मिलता है । इसके बाद वह बालक की सहायता से सम्बन्धित अपनी पद्धतियों में बहुधा प्रयोग और परिवर्तन करता है और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ उन पद्धतियों पर विचार करते समय यदि उनमें कुछ दोष दिखाई पड़ते हैं तो वह उन्हें स्वीकार करता है । प्रायः उसे ऐसा अनुभव होता कि है यदि उसके मन में बालक के प्रति चिड़चिड़ाहट की भावना है तो इसका कारण यही है कि उसने बालक के व्यवहार में निहित मूलतत्त्व को अच्छी तरह नही समझा है और इस तरह की समझ द्वारा वह बालक मे अकेले कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता । सामाजिक कार्यकर्ता अध्यापक को उसकी कक्षा से सम्बन्धित शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में कोई सलाह नही देता, किन्तु वह अध्यापक को यह अनुभव करने में यह सहायता अवश्य देता है कि उसे (अध्यापक को) अपनी रचनात्मक शक्तियों का ठोस उपयोग करने की स्वतन्त्रता है । उपर्युक्त उदाहरण में यद्यपि सामाजिक कार्यकर्त्री ने अध्यापिका श्रीमती हैरिस के साथ अधिक बार साक्षात्कार नही किया, किन्तु दोनों का नियमित सम्पर्क बना रहा । अध्यापिका ने स्वीकार किया था कि आर्की की आवश्यकता ऐसी है जो छात्र और अध्यापक के पारस्परिक सम्बन्धों की सीमा के अन्तर्गत नही आती, किन्तु वे आवश्यकताएँ ही उसकी विद्यालय

सम्बन्धी प्रगति में बाधा उपस्थित करती हैं। अतः सामाजिक कार्यकर्त्री ने उसे आर्की की समस्या के मूल में निहित बातें समझायी थी। इस तरह उस समस्या को अच्छी तरह समझ लेने के बाद श्रीमती हैरिस ने सामाजिक कार्यकर्त्री और आर्की की माँ के साथ सहयोग-पूर्ण ढंग से, इस उद्देश्य से कार्यारम्भ किया कि आर्की का उत्तरदायित्व-बोध अच्छी तरह विकसित किया जा सके। इसके अतिरिक्त उसने कक्षा में आर्की के काम और व्यवहार का निरीक्षण करके भी उसके सम्बन्ध में अपनी धारणाएँ बनायी और ये बातें सामाजिक कार्यकर्त्री को बताकर उसके कार्य में भी सहायता की। निम्नलिखित साक्षात्कार-विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमती हैरिस ने आर्की के विषय में अच्छी तरह समझ लेने के बाद किस तरह उसकी सहायता से सम्बन्धित अपनी कार्य-पद्धति में सुधार किया—

श्रीमती हैरिस के साथ परामर्श-गोष्ठी—"मैंने श्रीमती हेरिस से आर्की की माँ और आर्की के प्रति उसके दृष्टिकोण के विषय में चर्चा करते हुए बताया कि वह आर्की को आवश्यकता से अधिक दुलार और उसकी रक्षा का प्रयत्न करती है और सम्भवतः आर्की के बचकानेपन और अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार का कारण यही है। मैंने उसे यह भी बताया कि आर्की की माँ उसके सम्बन्ध में बहुत ऊँची आकांक्षाएँ रखती है और इसीलिए उसे अच्छा बनाने के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तथा हर तरह से उसे आदर्श बालक बनाने के लिए उसके ऊपर आवश्यकता से अधिक अनुशासन रखती है। मैंने यह भी बताया कि आर्की के प्रगति-पत्रक में उसकी असफलताएँ देखकर उसने किस तरह आर्की के साथ कठोर बर्ताव किया और उसको दी गयी सुविधाएँ उससे छीन ली।

मैंने कहा कि आर्की अपने अगले प्रगति-पत्रक के विषय में बहुत चिन्तित है। श्रीमती हैरिस ने आर्की की कक्षा-पुस्तिका का इस दृष्टि से निरीक्षण किया कि यह देखा जा सके कि पिछले प्रगति-पत्रक के बाद से अब तक उसने कितनी प्रगति की है। उस से यह पता चला कि आर्की पहले से अच्छा काम कर रहा था। जिसकी श्रीमती हेरिस ने आशा नहीं की थी। उसने यह विश्वास प्रकट किया कि अगली बार आर्की अंग्रेजी में 'ए' श्रेणी प्राप्त करेगा।

मैंने श्रीमती हैरिस को बताया कि आर्की की बातों से पता चलता है कि वह हमेशा किसी वस्तु के सम्बन्ध में वही सोचता है जो अन्य व्यक्ति (अधिकतर उसकी माँ) उससे चाहते हैं और मेरे विचार से उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि वह अपनी बुद्धि और भावना के अनुसार तथा अपने सन्तोष के लिए काम करना सीखे।

इसके बाद श्रीमती हैरिस ने आर्की की सहायता के सम्बन्ध में एक सुझाव दिया। उसने कहा कि मैं आर्की की माँ को यह समझा दूँ कि अगला प्रगति-पत्रक मिलने के बाद से वह यह चिन्ता करना बिलकुल छोड़ दे कि आर्की स्कूल का काम घर पर कर रहा है या नहीं।

श्रीमती हैरिस ने कहा कि वह स्वयं आर्की से मिलकर उसे समझा देगी कि विद्यालय के कामों का क्या महत्त्व है और उन्हें वह कैसे और किस मात्रा में करता है। इसकी उसके जीवन के लिए क्या उपयोगिता है ? तथा ये सब काम वह अपने लिए करता है न कि अपनी माँ के लिए (चाहे वह अपने पुत्र के बारे में कितनी भी रुचि और चिन्ता क्यों न रखती हो) अथवा और किसी के लिए।

इसके बाद हम लोगों ने इस विषय पर विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्की को अपने घर पर जिस नियन्त्रण और चिन्ता का सामना करना पड़ता है उसी के कारण उसकी प्रगति में बाधा उपस्थित होती है ? यदि ऐसी बात हो तो एक बार घर पर उसके ऊपर रखे जाने वाले नियन्त्रण और दबाव कम कराने का प्रयत्न करके हमें यह देखना चाहिए कि उसका क्या परिणाम होता है।

कार्यकर्त्री द्वारा किया जाने वाला आर्की और उसकी माँ की वैयक्तिक सेवा का कार्य विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के अन्त तक चलता रहा और अध्यापिका के साथ उसकी परामर्श-गोष्ठियाँ भी नियमित रूप से चालू रहीं। उस साक्षात्कार के बाद, जिसमें श्रीमती प्रिस ने बताया था कि उसके लड़के ने अकेले ही घर से बाल-क्लब तक बस की यात्रा की थी, सामाजिक कार्यकर्त्री ने आर्की से कहा कि उसकी माँ ने बताया है कि उसने रविवार को कोई नया काम किया है। कार्यकर्त्री ने उससे उस काम का कुछ विवरण बताने को कहा। आर्की ने बहुत प्रसन्न होकर बताया कि कैसे उसने अकेले बस में यात्रा की, बाल-क्लब में गया और दूकान से सामान खरीदे। जब मैंने उससे पूछा कि यह सब करते समय उसे कैसा अनुभव हो रहा था तो उसने उत्तर दिया, "इन कामों से मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ।" उसके इस वक्तव्य से इस बात का दिशा-संकेत मिल रहा था कि आगे उसे ढंग से काम करना चाहिए। उसने कार्यकर्त्री के सामने कई प्रकार की समस्याएँ उपस्थित कीं और कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि वह बहुत निराश है, पर अपनी समस्या के समाधान के लिए अपनी शक्ति आजमाने को वह हर घड़ी तैयार रहता था। हर सफलता के बाद उसे ऐसा अनुभव होता था कि वह स्वयं अपनी ही दृष्टि में कुछ ऊँचा उठ गया है। सामाजिक कार्यकर्ता यह अच्छी तरह जानते हैं कि यह ऐसा कार्य है जिसमें प्रगति बहुत मन्द होती है और कभी-कभी तो मार्ग में अवरोध भी उत्पन्न हो जाते हैं। वे यह भी जानते हैं कि आर्की-जैसे बालक ही कुशल कार्यकर्ता की सहायता पाकर अपने विकास की क्षमता को पहचानने और सुदृढ़ बनाने का उपाय खोज सकते हैं। आर्की अपने भीतर परिवर्तन लाने के लिए किये जाने वाले कार्यों में सहयोग करने को तैयार था और इस प्रकार के कार्यों से उसे सन्तोष भी हुआ था जो उसके इस प्रकार के वक्तव्यों से प्रमाणित होता है कि "अब मैं पहले की तरह भयभीत नहीं होता" या "इन कामों से

मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ ।" अब तक आर्की ने समझ लिया था कि कार्यकर्त्री उसकी सफलताओं और असफलताओं में हर समय उसका साथ देगी, ऐसा विश्वास किया जा सकता है । उसका यह विश्वास उस समय व्यक्त हुआ जब वह अभिमान के साथ अपना प्रगति-पत्रक लेकर सामाजिक कार्यकर्त्री के पास गया । उस समय कार्यकर्त्री ने लक्ष्य किया कि आर्की की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी । उस प्रगति-पत्रक के अनुसार आर्की को प्रत्येक विषय में "सन्तोषजनक" श्रेणी मिली थी और कुल मिला कर 'ए' श्रेणी मिली थी । यह बात उस समय भी प्रत्यक्षतः स्पष्ट हुई थी जब आर्की को 'नागरिकता' में 'असन्तोषजनक' श्रेणी मिली थी और उसे देखकर तथा आर्की के मनोभावों को ठीक ढंग से समझ कार्यकर्त्री ने उसके साथ सहानुभूति दिखायी थी । उसके रंग-ढंग और कार्यों से आर्की ने तभी समझ लिया था कि सामाजिक कार्यकर्त्री उसमे हमेशा रुचि लती रहेगी चाहे वह सफलता प्राप्त करे या असफलता ।

आर्की के साथ कार्यकर्त्री ने जो साक्षात्कार किये उनके अभिलेखों के उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगा कि किस तरह वह उत्तरोत्तर समझने लगा था कि अब वह पूर्णतः सुरक्षित है, उसे कोई खतरा नही है और किस तरह उसकी यह कहने की आदत भी समाप्त हो गयी थी कि "सब कुछ ठीक है" । इसके विपरीत वह अपनी विधेयात्मक और निषेधात्मक, दोनों प्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति निस्संकोच होकर व्यक्त करने लगा था । परिपक्व और उत्तरदायित्व युक्त मानसिक स्थिति की ओर बढ़ने की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम था ।

"सभा-कक्षा में शोरगुल मचा था और उसी बीच आर्की ने कहा, "कुमारी वी० हमेशा अपने चारों ओर के लोगों पर रोब जमाया करती है । यदि सीढ़ी पर चढ़ते समय लड़कों मे से कोई एक अन्य लड़कों की तरह नही चलता तो सब लड़कों को ऊपर से नीचे आना पड़ता और फिर दुबारा ठीक ढंग से ऊपर चढ़ना पड़ता है ।" उसने आगे कहा, "कुछ व्यक्तियों की चाल जन्म से ही ऐसी होती है जो दूसरों की चाल से भिन्न होती है,किन्तु उनको भी पीछे लौटा कर फिर अन्य लोगों की तरह, जो एक निश्चित नियम के अनुसार चलते है, चलने के लिए विवश किया जाता है ।" मैंने उससे पूछा कि क्या उसे भी पीछे लौटा कर फिर दुबारा चलने के लिए कहा गया है ? उसने कुछ बल देकर उत्तर दिया, "नही, मेरी बात नहीं है ।" ऐसा कह कर उसने अपने कन्धे उचका दिया मानो यह कहना चाहता हो कि यदि उसे ऐसा करने को कहा जायेगा तो वह इसे हरगिज स्वीकार नही करेगा । इसके बाद उसने फिर कहा, "जब कभी मैं देखता हूँ कि कोई छोटे बच्चों पर निरर्थक रोब जमा रहा है तो जैसे मैं पागल हो जाता हूँ ।" मैंने उससे पूछा कि क्या उसका यह अभिप्राय है कि अन्य

बच्चों पर रोब-जमाया जा रहा है ? उसने उत्तर दिया , "जी हाँ ! और अन्य बच्चों पर ही नहीं, मुझ पर भी प्रभुत्व दिखा कर रोब जमाया जाता है ।"

एक अन्य साक्षात्कार में उसने यह व्यक्त किया कि अपनी क्षमता का उसे किस तरह अधिकाधिक ज्ञान होता जा रहा है--

"उसने कई चित्र बनाये जिनके विषय भिन्न -भिन्न थे । उसने एक घोड़े का चित्र बनाया । कुछ देर रुककर उसकी ओर देखता रहा और फिर बोला, "यह देखिए । मै नहीं कह सकता कि मैने और भी कोई ऐसा सुन्दर चित्र बनाया है ।" इसके बाद उसने और भी कई वस्तुओं के चित्र बनाये और सबके बारे में वह यही कहता था कि उसे नहीं मालूम कि उसने और भी कोई ऐसा चित्र बनाया है या नहीं । मैने इस पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा, "कभी-कभी जब हमें यह पता चलता है कि हम भी कोई सुन्दर कृति निर्मित कर सकते है तो कितनी प्रसन्नता होती है ? क्यों , ऐसी बात है या नहीं ?" उसने मेरी बात स्वीकार करते हुए कहा कि सचमुच जब हमें मालूम होता है कि हम कोई विशेष काम कर सकते है तो हमें आश्चर्यजनक रूप से आनन्द मिलता है ।"

यद्यपि आर्की ने प्रत्यक्ष रूप से कभी भी अपनी माँ की आलोचना नहीं की, पर एक बार अप्रत्यक्ष रूप से उसने जो बात कही उससे व्यक्त होता था कि वह अपनी माँ की बातों को हमेशा औचित्यपूर्ण नही मानता था ।

"आर्की ने बताया कि उसके माता-पिता आज रात में विद्यालय में आयेंगे और वह चाहता है कि उसकी माँ गणित की कक्षा में जाये क्योंकि वहाँ उसकी एक उत्तर पुस्तिका है जिस पर 'ए' श्रेणी लिखा है; साथ ही वह उसे यह भी दिखाना चाहता है कि उसकी कक्षा में तीन अंकों के ही भाग लगाये जा रहे है जब कि उसकी माँ उससे कई अंकों के भाग लगवाती है । मैने उससे पूछा कि क्या इस बारे में उसने अपनी माँ से बातें नही की है ? उसने उत्तर दिया, "क्यों नहीं की हैं ? मैने उसे बता भी दिया था। पर यह सब से अच्छा होगा कि वह स्वयं विद्यालय में मेरी कक्षा में आकर हम लोगों की कापियाँ देख ले ।"

आर्की को जो काम करने की बहुत अधिक इच्छा रहती थी उसे प्रारम्भ करने का प्रयत्न वह कैसे करता था, इसका आभास निम्नलिखित साक्षात्कार-विवरण से मिलता है--

"आर्की ने कहा,"आप को याद है कि मैने आप से कहा था कि मै साइकिल नही चला सकता ।" मुझे उसकी बात याद आ गयी । तब उसने कहा, 'पिछले रविवार को मैने साइकिल चलाना सीख लिया है । जब और लड़के मकान के भीतर चले गये तो मैने साइकिल उठायी, उस पर बैठ गया और पहाड़ी की ढाल पर वह दौड़ने लगी । मुझे भय मालूम हो रहा था, पर इस प्रयत्न द्वारा मैने साइकिल चलाना सीख लिया । जब वे उस मकान के बाहर आये तो खोजने लगे कि साइकिल कहाँ है और उन्होंने वही से देखा कि

मैं उसे चला रहा था । अब तक मैं सबसे यही कहता आ रहा था कि मै साइकिल चलाना नहीं जानता, पर इस समय वे अपनी आँखों से देख रहे थे कि मैं चला रहा था ।" उसकी बातें सुन कर मैंने कहा, "कभी-कभी हम देखते है कि हम ऐसे काम कर सकते हैं जिनके बारे में हम पहले सोचा करते थे कि उन्हें हम कर ही नही सकते ।" हमें उसकी वह बात याद आ गयी जब उसने कहा था, 'जब हमें पता चलता है कि हम कोई विषेश काम कर सकते है तो हमें आश्चर्यजनक रूप से आनन्द मिलता है ।' इसके बाद उसने बताया कि वह यह योजना बना रहा था कि वह अपना स्कूटर, मोटर और तीन पहिये वाली साइकिल बेच कर एक दोपहिये वाली साइकिल खरीदना चाहता था । उसने फिर कहा कि निश्चय ही उन खेल वाली गाड़ियों को बेचने से इतना धन नही मिल सकता कि एक असली साइकिल खरीदी जा सके, फिर भी वह कोशिश करेगा ।"

वर्ष का अन्त होते-होते आर्की के विद्यालय-सम्बन्धी कामों की प्रगति में काफी सुधार हो गया । श्रीमती हैरिस ने सूचना की दी थी कि आर्की अपना उत्तरदायित्व स्वयं समझने और ग्रहण करने लगा है, और यद्यपि यह स्वाभाविक है कि कभी-कभी उससे गलती हो जाय, पर ऐसी गलतियाँ वह थोड़े समय तक और बहुत कम करता है । अपनी कक्षा के अन्य साथियों के साथ उसका सम्बन्ध अब पहले से बहुत अच्छा हो गया था । जब आर्की को पता चल गया कि उसका सम्बन्ध एक ऐसे व्यक्ति से हो गया है जो उसकी सभी बातों को स्वीकार करने को तैयार रहता है तो वह सामाजिक कार्यकर्त्री के साथ अपने भय की भावना के बारे में विचार-विमर्श करने लगा तथा विद्यालय-सम्बन्धी अपनी कुछ समस्याओं को भी उसके सामने उपस्थित करने लगा । आर्की के लिए यह आवश्यक या अपेक्षित नहीं था कि वह अपनी समस्याओं के आधारभूत कारणों को समझता । कार्यकर्त्री के साथ बराबर साक्षात्कार करते रहने के कारण अपनी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करने की उसकी क्षमता बढ़ती गयी और यह बात उसकी समझ में आ गयी कि अपने मन की 'क्रुद्ध भावनाओं' को अभिव्यक्त कर देने से खतरे की आशंका नहीं रह जाती और व्यक्ति अधिक सुरक्षित हो जाता है । इस 'उन्मुक्तता' के साथ-साथ उसमें अपनी स्वतन्त्रता की भावना विकसित करने की क्षमता भी आ गयी । आर्की की माँ के भीतर जो परिवर्तन हुआ उसके कारण आर्की की अन्तर्निहित क्षमता में भी प्रर्याप्त वृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त आर्की एक और ऐसे सम्बन्ध-सूत्र का अनुभव कर रहा था जिसके अन्तर्गत रह कर वह अपनी शक्ति की परीक्षा भी ले सकता था ।

श्रीमती प्रिंस भी कार्यकर्त्री से साक्षात्कार के लिए नियमित रूप से आया करती थी । उसके लिए विशेष रूप से यह समय परीक्षा का था क्योंकि वह जानती थी आर्की का व्यवहार कभी परेशानी पैदा करने वाला हो जाता है, विशेष कर उस समय जब वह अपनी

किसी बात पर अड़ जाता था । यद्यपि वह कार्यकर्त्री से इस बात की शिकायत करती थी कि ऐसे मौकों पर आर्की के व्यवहार से उसे कितनी तकलीफ होती थी, फिर भी इस बात में उसकी दिलचस्पी बहुत अधिक थी कि उसका लड़का प्रसन्न रहे और उसका उचित विकास हो । इसके लिए वह अपने भीतर परिवर्तन लाने का भी प्रयत्न कर रही थी । निम्नलिखित साक्षात्कार-विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमती प्रिंस यह अनुभव करने लगी थी कि आर्की की कठिनाइयाँ स्वयं उसके कारण भी थीं और आर्की को परिवर्तित करने के लिए वह स्वयं अपने को बदलने का प्रयत्न कर रही थी । ऐसा लग रहा था कि श्रीमती प्रिंस अब आर्की और उसकी समस्याओं को कुछ-कुछ समझने लगी थी । उसने बताया, "जब आपने आर्की से घर पर करने के लिए दिये गये कामों के सम्बन्ध में बातें की थीं, तो उसके बाद से उसके मन में यह बात बैठ गयी है कि उसे अपने ढंग से काम करने का अधिकार है और मुझे उसको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह कैसे काम करे । इस तरह जीवन में पहली बार उसने खुलकर मुझसे विद्रोह किया है ।" चूँकि इस योजना के सम्बन्ध में उससे पहले ही बातचीत हो चुकी थी, इसलिए उसे मालूम था कि मैंने इस विषय में आर्की को क्या सुझाव दिये थे । अतः आर्की की विद्रोह-भावना यह अभिव्यक्त कर रही थी कि अब वह स्वतन्त्र होने का प्रयत्न कर रहा है । श्रीमती प्रिंस ने बताया कि उसने आर्की से कहा था कि कुछ ऐसे घरेलू काम है जो उसे करने ही हैं, फिर भी इन बातों को लेकर कभी-कभी आर्की से उसका संघर्ष हो जाता था । श्रीमती प्रिंस ने यह भी कहा कि वह आर्की से इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद करती थी क्योंकि पिछली बार मेरी उससे जो बातचीत हुई थी उसमें इस प्रश्न पर विचार किया जा चुका था । उसका कहना था, "यदि मैं यहां आपसे मिलने न आया करती और इन विषयों पर बातचीत न करती तो अब तक आर्की के साथ न जाने मैं क्या कर बैठती ।"

मैंने उसे बताया कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि वह इस मामले को अच्छी तरह समझती है और आर्की को यह मौका देती है कि वह उसके विरुद्ध कभी-कभी आपत्ति भी प्रकट करे, किन्तु साथ ही उसके द्वारा आरोपित अनुशासन के भीतर भी रहा करे । इसके बाद हम दोनों ने इस विषय पर विचार-विमर्श किया कि आर्की एक ही समय स्वतन्त्र और परतन्त्र दोनों कैसे रह सकता है । श्रीमती प्रिंस ने कहा कि ऐसा होना सम्भव है क्योंकि इतना होते हुए भी आर्की जब पिछली बार बीमार पड़ा था तो जब कभी अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहता था तो चिल्लाता था जिससे पता चलता है कि वह स्वतन्त्रता चाहते हुए भी आश्रित रहना पसन्द करता है ।

मैंने उसे यह बताया कि श्रीमती हैरिस ने आर्की के विद्यालय-सम्बन्धी कामों के बारे में क्या कहा है । श्रीमती प्रिंस ने कहा, "मुझे मालूम है कि श्रीमती हैरिस ने परीक्षा में बड़ा

खराब प्रश्न-पत्र दिया था और आर्की उसे मुझे दिखलाने के लिए घर पर भी ले गया था। उसने घर जाकर जिस ढंग से प्रश्न-पत्र को मेज पर पटक दिया था उसी से मैं समझ गयी थी कि प्रश्न अच्छा नहीं था और जब मैंने कहा था कि मैं उसका प्रश्न-पत्र नहीं देखूँगी, मुझे डर लगता है तो उसने कहा, 'पढ़ो, पढ़ो, काटेगा नही।' पहले तो जब मैं उससे पूछा करती थी कि उसे घर पर क्या काम करने को दिया गया है तो वह इस पर आपत्ति करता था, किन्तु अब प्रायः उन कामों में मुझसे सहायता माँगता है।

साक्षात्कार के समय श्रीमती प्रिस ने अपनी कई आन्तरिक भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। उसने बताया—"छुट्टियों में जब आर्की मेरे और मेरे पति के साथ किसी के घर जाता था तो प्रायः वह अपने पिता तथा अन्य पुरुषों के साथ बैठता था, मेरे साथ चिपका नहीं रहता था।" मैंने उससे पूछा कि आर्की का अपने पिता के साथ इतना लगाव देखकर उसे कैसा लगता है? उसने उत्तर दिया, "मैं सोचती हूँ कि उसके लिए यह बहुत अच्छा है। मुझे याद है कि पहले जब कि मैंने आपके यहाँ आना शुरू नही किया था, मै आर्की को ऐसा नहीं करने देती थी क्योंकि मैं यह नही चाहती थी कि वह मुझसे अलग जाकर बैठे या रहे। उन दिनों मै यह सोचा करती थी कि हर व्यक्ति आर्की को मुझसे छीन लेने के प्रयत्न में था। आर्की का पिता तो हमेशा कहा करता था कि मैंने उसको दुलार कर छोटा बच्चा बना दिया है। उसकी इन बातों का मै यह अर्थ लगाती थी कि बच्चे का मेरे प्रति स्नेह देखकर वह ईर्ष्या करता है। विद्यालय में आप लोग भी बराबर यह कहा करती थीं कि आर्की को अपने पैरों पर खड़ा होने देना चाहिए। बाल-क्लब वाले भी उसको ग्रीष्मकालीन शिविर मे ले जाना चाहते थे, पर इन सब बातों के लिए मै तैयार नही होती थी। किन्तु अब सोचती हूँ कि आर्की के विकास के लिए यह सब बहुत आवश्यक है। अब तो मैंने सोच लिया है कि इस बार उसे ग्रीष्मकालीन शिविर में जाने की अनुमति दे दूँगी, चाहे इसके कारण मेरे मन को तकलीफ क्यो न हो? आर्की तो वहाँ जाने के लिए बड़ी खुशी से तैयार रहता है।" मैंने उससे पूछा कि शिविर में जाने की उसकी इच्छा का कारण कही यह तो नहीं था कि वह घर के नियन्त्रण-सम्बन्धी बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए कुछ दिनों तक घर से बाहर रहना चाहता था क्योंकि उस समय तक वह उन बन्धनों के प्रति विद्रोह नहीं कर पाता था। श्रीमती प्रिस ने बताया कि वह भी ऐसा ही सोचती है।"

श्रीमती प्रिस के साथ होने वाले साक्षात्कारों से कार्यकर्त्री को यह मालूम हो गया था कि यद्यपि श्रीमती प्रिस और आर्की के बीच कभी-कभी कुछ चिन्ता उत्पन्न करने वाली घटनाएँ हो जाया करती थीं, फिर भी श्रीमती प्रिस को इस बात से सन्तोष था कि आर्की के व्यवहार में सामान्यता आ रही थी और उसमें स्वयं ऐसी क्षमता उत्पन्न हो गयी थी कि वह अपने पुत्र के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार कर सकतीं थी।

विद्यालयीय वर्ष का अन्त होते-होते श्रीमती प्रिंस ने आर्की को इस बात के लिए खुशी से अनुमति देना प्रारम्भ कर दिया कि वह अपनी उम्र के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों में भाग ले सकता है। उसने बताया कि आर्की दो पहिये वाली एक साइकिल खरीदना चाहता है और वे यह योजना बना रहे थे कि उसे साइकिल खरीदने में उसकी मदद की जाय। उसने यह भी स्वीकार किया कि आर्की ने विद्यालय के कामों में पर्याप्त प्रगति की है और अब पहले से अधिक जिम्मेदारी के काम करने लगा है। श्रीमती प्रिंस और सामाजिक कार्यकर्त्री इस विषय में एकमत थी कि यदि कोई अन्य समस्या उत्पन्न हो तो अब आगे से साक्षात्कार की आवश्यकता नही है। प्रिंस ने बताया कि वह विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के पास जाकर बतायेगी कि अब उसका कार्य पूरा हो गया और विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्त्री ने उसकी जो सहायता की है उसके लिए वह प्रधानाध्यापिका के सामने कृतज्ञता-ज्ञापन भी करेगी।

"प्रधानाध्यापिका मिस बेली के साथ परामर्श-गोष्ठी––श्रीमती बेली मुझसे बताना चाहती थी कि उनकी श्रीमती प्रिंस से क्या बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि श्रीमती प्रिंस इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त कर रही थी कि उसने आर्की का मामला सामाजिक कार्यकर्त्री के हाथ में देने की अनुमति देकर कितना अच्छा काम किया था। श्रीमती प्रिंस ने उनसे कहा था, "मिस बेली आप अनुमान नहीं कर सकती कि अब मेरे घर में पहले से कितना अधिक परिवर्तन हो गया है। अब हम लोग आर्की के असली पिता के बारे में उसके सामने ही बात कर सकते हैं। यद्यपि हम लोग इस विषय पर अधिक बात नहीं करते है, किन्तु अब मन पर यह बोझ नही रहता कि आर्की के सामने इस विषय पर बात नही करनी चाहिए।"

मैंने मिस बेली से आर्की के स्कूल-सम्बन्धी प्रगति के बारे में बताया और वह योजना भी बतायी जिसके अनुसार आर्की विद्यालय के काम करता था। मिस बेली इस बात से बहुत प्रसन्न थी कि श्रीमती प्रिंस ने इस सेवा का उपयोग स्वीकार किया था और सहायता प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने में रुचि और उत्साह का प्रदर्शन किया था।

इसके बाद भी आर्की की माँ समय-समय पर मिस बेली से मिलती रहती थी। अपनी मुलाकातों में वह आर्की की प्रगति की चर्चा करती थी तथा पाँचवी कक्षा में पढ़ते समय आर्की को सामाजिक कार्यकर्त्री से जो सहायता मिली थी उसकी प्रशंसा किया करती थी। पाँचवी कक्षा के बाद से जूनियर हाई स्कूल की अन्य कक्षाओं में तथा हाई स्कूल की प्रारम्भिक कक्षाओं तक आर्की बराबर शैक्षणिक सफलता प्राप्त करता तथा विद्यार्थियों के कार्यक्रमों में भी निरन्तर भाग लेना आ रहा है।

आर्की प्रिंस की समस्या को हम उन समस्याओं के प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में ले

सकते हैं जो विद्यालयों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास प्रेषित किये जाते हैं। यद्यपि आर्की की समस्या इतनी गम्भीर नहीं थी कि उसने विद्यालय से सम्बन्धित कार्य करना एकदम बन्द कर दिया था, फिर भी, उसकी कुछ कठिनाइयाँ थी जिन्हें उसकी अध्यापिका की सतर्क आँखों ने देख लिया था। साथ ही विद्यालय के अन्य बच्चों के साथ उसका सम्बन्ध भी कठिनाइयों से ग्रस्त था। इसके अतिरिक्त यह बात भी थी कि वह अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा था तथा उसकी माँ भी घर पर उसके व्यवहार के कारण चिन्तित हो उठी थी। यदि इन समस्याओं को सुलझाया न गया होता तो निश्चय ही आर्की का वर्तमान जीवन दुःखमय हो जाता और बहुत सम्भव था कि भविष्य में वह इससे भी अधिक गम्भीर कठिनाइयों में उलझ जाता।

आर्की की सहायता का कार्य विद्यालय-वर्ष के प्रारम्भ में अक्तूबर महीने में प्रारम्भ हुआ था और मई मास में समाप्त हुआ। इस अवधि में सामाजिक कार्यकर्त्री नियमित रूप से आर्की से सप्ताह में एक बार और उसकी माँ से महीने में दो बार मिलती रही।

आर्की की समस्या का आकलन करने पर पता चला कि वह असामान्य रूप से हर काम में अपनी माँ की स्वीकृति पर आश्रित रहता था। उसकी माँ का यह भय, कि उसका लड़का भी कहीं अपने बाप की तरह ही न हो जाय, उसके भीतर इतनी गहराई तक घुसा था कि वह अचेतन रूप से अपने पुत्र को सदैव अबोध बालक बना कर ही अपने पास रखना चाहती थी। किन्तु जब सामाजिक कार्यकर्त्री ने आर्की की सहायता के लिए अपने प्रयत्नों में आर्की के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया तो उससे प्रभावित होकर श्रीमती प्रिस ने निस्संकोच होकर ऐसा मार्ग अपनाया जिससे आर्की को अपनी उत्तरदायित्व-भावना का विकास करने का अवसर मिला। इस कार्य की प्रक्रिया में उसने अनुभव किया कि आर्की के सम्बन्ध में उसका भय अधिकांश में आधारहीन था। इसी से उसको इतना साहस हो सका कि उसने आर्की को अपने ढंग से कार्य करने के लिए स्वतन्त्र कर दिया दिया जिसका परिणाम उसके मातृ-हृदय के लिए अत्यन्त सन्तोषजनक हुआ। विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्त्री की सहायता का सारभूत तत्त्व यह था कि उसने वैयक्तिक सेवाकार्य की पद्धति द्वारा श्रीमती प्रिस को ऐसा अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जो अन्य व्यक्तियों के साथ उसके सम्बन्धगत अनुभवों से भिन्न था। और लोग उसकी केवल आलोचना करते थे, किन्तु कायकर्त्री का श्रीमती प्रिस के साथ जो सम्बन्ध था उसमें सम्मान की भावना थी। इस सम्मान-भावना का कारण यह था कि कार्यकर्त्री उसके पुत्र की सहायता के लिए प्रयत्न कर रही थी तथा ऐसे अवसर प्रदान करती थी कि वह उसके सामने अपनी चिन्ता और आशंका को खुल कर अभिव्यक्त कर सकती थी और इस तरह उसे जो छोटी-मोटी सफलताएँ प्राप्त होती थीं उनसे उसे पर्याप्त सन्तोष मिलता था।

विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्त्री ने प्रारम्भ में ही समझ लिया था कि आर्की अपनी सुरक्षा इसी में समझता है कि वह अपनी माँ को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहे और उसके भीतर यह भय भी वर्तमान रहे कि कही वह अपनी माँ को खो न दे । इस तथ्य को जान लेने के बाद उसको दो बातें सूझीं; पहली यह कि आर्की की सहायता के लिए जो भी कार्य किया जाय, आर्की की माँ उसे स्वीकृति दे तथा उसमें सक्रिय रूप से हिस्सा बँटावे; दूसरी यह कि उसे इस तरह की सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है कि वह अपने को एक अधिकार-सम्पन्न व्यक्ति मान कर अपने भीतर आत्मसम्मान की भावना विकसित कर सके । आर्की ने भी यह स्वीकार किया कि अन्य बालकों के साथ उसका सम्बन्ध समस्याग्रस्त है और वह हमेशा डरता रहता है कि किसी से उसकी लड़ाई न हो जाय । जब सामाजिक कार्यकर्त्री इस बात के लिए राजी हो गयी कि वह इस मामले में उसकी सहायता करेगी तो आर्की ने अपनी और भी कई आशंकाओं और भय की भावनाओं के बारे में बताया । अकेले बस में यात्रा करने या ऐसी ही कोई अन्य सफलता प्राप्त करने के बाद, जिसे वह कहता था कि अब वह बड़ा हो रहा है, उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता झलकती थी वह इस बात की सूचना देती थी कि अपने आत्मविश्वास के विकास के फलस्वरूप वह सन्तोष का अनुभव कर रहा था । कार्यकर्त्री से पूर्व निश्चित समय पर मिलना वह कभी नही भूलता था और प्रत्येक साक्षात्कार में सक्रिय रूप से भाग लेता था । विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्त्री ने उसे इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वह अपने ढंग से काम करे, दूसरो के निदश पर निर्भर न करे। इस प्रोत्साहन के कारण वह ऐसे सम्बन्ध स्थापित कर सका जिनके भीतर वह अपनी अन्तर्निहित शक्तियों की खोज तथा उपलब्धि करने को स्वतन्त्र था और जिनके कारण नवीन उत्तरदायित्व का भार ग्रहण करने में उसे पहले-जैसा भय नही मालूम पड़ता था ।

—:०:—

अध्याय १३

वृद्धों के लिए सामाजिक सेवाएँ

वृद्धों की सेवा में अभिरुचि का प्रारम्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका को, जिसे प्रायः एक नया (नयी उम्र वाला) देश कहा जाता है, अभी कुछ दिनों से यह अनुभव होने लगा है कि उसमें 'वृद्धता' आ रही है। हमारे देश का राष्ट्र के रूप में प्रारम्भ उपनिवेश-काल में हुआ था और तब से लेकर बीसवी शताब्दी के प्रथम दशक तक अथवा प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ के पूर्व तक हमारे देश की जनता 'नौजवानी की प्रवृत्ति' वाली थी। दूसरे देशों से आकर इस देश में बसने पर कभी नियंत्रण नही था और आगन्तुक लोगों में बहुधा सन्तानोत्पत्ति करने की उम्र वाले लोग ही होते थे, इस कारण हमारे देश की आबादी में वृद्धों की अपेक्षा नौजवानों की संख्या ही अधिक रहा करती थी। इसी से सम्बन्धित दूसरी बात यह थी कि सन्तानोत्पत्ति का अनुपात भी बहुत अधिक था, यद्यपि शिशुओं और बालकों की मृत्यु-संख्या का अनुपात भी कम नही था। फलतः देश की जनसंख्या तो बढ़ती ही गयी, साथ ही आबादी में कम उम्र वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात भी बढ़ता जा रहा था। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद इस शताब्दी के तीसरे दशक के संकटपूर्ण काल में जब वृद्ध लोगों की दुर्दशा की ओर हमारा ध्यान गया तब हम देश की आबादी के अन्तर्गत विभिन्न आयु-वर्गो के व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने की ओर प्रवृत्त हुए। उसके पूर्व कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर हमने उन समस्याओं का सामना नहीं किया था जिनको उस काल के बाद सुलझाना हमारे लिए आवश्यक हो गया। ये समस्याएँ जो एक-एक करके धीरे-धीरे हमारे सामने आती गयी, ये थी—"आप्रवास की गति की स्थिरता, आबादी का देहाती क्षेत्रों से हटकर शहरी क्षेत्रों में जमाव, जन्मसंख्या में कमी, मृत्युसंख्या और रोगियों की संख्या में अभिवृद्धि, भयंकर प्रतियोगिता पर आधारित और पूर्णतः संघटित औद्योगिक व्यवस्था, वृद्धों की बढ़ती हुई संख्या आदि। हमारे बीच रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों को चारों ओर से घेरने वाली समस्याओं का उपर्युक्त समस्याओं के साथ कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य है, इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान एकाएक नही, बहुत धीरे-धीरे गया। इस अध्याय का उद्देश्य यही है कि

जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन पर कुछ विचार किया जाय, आर्थिक दृष्टि से वृद्धों की आत्म-निर्भरता और पर-निर्भरता की जाँच-पड़ताल की जाय, उनकी कुछ (सभी नहीं) आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाय और इस सम्बन्ध में भी अच्छी तरह विचार किया जाय कि वृद्ध लोगों द्वारा या वृद्ध लोगों के लिए अथवा वृद्ध लोगों की सहायता से आज जिन सामाजिक सेवाओं का विकास हो रहा है या जो पहले से ही उपलब्ध हैं, उनका क्षेत्र, रूपभेद और उनकी सहायता-सम्बन्धी उपयोगिता क्या है या क्या होनी चाहिए[१]।

जनसंख्या का आयुगत वर्गीकरण

ऊपर कहा जा चुका है कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की ओर हमारा ध्यान बहुत बाद में गया। अन्य देशों में, जो राष्ट्र के रूप में हमारे देश की तुलना में बहुत पुराने हैं, वृद्धों की बढ़ती हुई संख्या की ओर बहुत पहले ही ध्यान दिया जाने लगा था। उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन मे हमारे देश में कार्यारम्भ के एक पीढ़ी पहले ही न केवल उस जनांकिकीय पद्धति को अपनाया गया था, जिसे हम आज अपना रहे है, बल्कि वृद्धों की संख्या और

(१) वृद्धों के सम्बन्ध में हमारे देश में अभी कुछ ही समय से काम शुरू हुआ है, इस तथ्य का अनेक लेखकों ने उल्लेख किया है। इस दिशा में जो नये कार्य-क्रम प्रारम्भ होते है उनमें भी इस कार्य की नवीनता का पता चल जाता है और सामाजिक कार्य के सम्बन्ध में लिखे गये साहित्य में भी इस तथ्य की ओर संकेत मिलता है। ७५ वर्ष से अधिक समय से सामाजिक कार्य विषयक वार्षिक सम्मेलन होते आ रहे है, किन्तु सन् १९३० के पहले किसी भी वार्षिक सम्मेलन को कार्यवाही-विवरण में वृद्धों की समस्या पर गम्भीर विचार-विमर्श का उल्लेख नहीं मिलता। देखिए,—फ्रैंक ब्रूनो—ट्रेण्ड्स इन सोशल वर्क ऐस रिफ्लेक्टेड इन द प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल कान्फरेन्स आफ सोशल वर्क, १८७४ — १९४६ —न्यूयार्क, कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस, १९४८। इवान क्लेग ने भी लिखा है कि किस तरह इस शताब्दी के प्रारम्भ में पहले निर्धन-गृहों और दान-गृह की कटु आलोचना के रूप में और फिर अवकाशमुक्ति-वृत्ति और सहायता के रूप में और सबसे अन्त में सामाजिक बीमा और पूरक कार्यक्रमों के रूप में, वृद्धों की समस्याओं से दिलचस्पी दिखायी जाने लगी। देखिए, क्लार्क रिब्बिट्स द्वारा सम्पादित पुस्तक 'लिविंग थ्रू दी ओल्डर इयर्स' का 'एजिंग ऐण्ड इम्प्लायेबिलिटी' शीर्षक अध्याय —"ऐन आर्बर, युनिवर्सिटी आफ मिशिगन प्रेस, १७४९, पृ० १४१—१५३।

समस्या के सम्बन्ध में पर्याप्त शोध और योजना-निर्माण का कार्य भी होने लगा था। रायल कमीशन के जनसंख्या-सम्बन्धी प्रतिवेदन (सन् १९४७) के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में सन् १८९१ से सन् १९४७ के बीच ६५ वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों की संख्या, जो पहले पूरी जनसंख्या का ४.८ प्रतिशत थी, अब बढ़ कर १०.८ प्रतिशत हो गयी। इस अवधि में ग्रेट ब्रिटेन की पूरी जनसंख्या में ४५ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके आधार पर प्रतिवेदन में यह अनुमान लगाया गया है कि सन् १९७७ में ६५ वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या उस समय की पूरी आबादी का १६ प्रतिशत हो जायेगी[२]।

इन आँकड़ों और अनुमानित तथ्यों का संयुक्त राज्य अमेरिका के जनसंख्या-सम्बन्धी आँकड़ों से तुलना करना बहुत उपयोगी और महत्त्वपूर्ण कार्य होगा। संयुक्त राज्य जन-गणना-परिषद् के अनुसार अमेरिका में सन् १९०० से सन् १९५० तक के बीच की अवधि में ६५ वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले वृद्धों की संख्या, जो पहले पूरी जनसंख्या का ४.१ प्रतिशत थी, बढ़कर ८.१ प्रतिशत हो गयी है। यदि पूरी आबादी के अनुपात में न देखा जाय तो उस आयुवर्ग की जनसंख्या में गत ५० वर्षों में २९८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि में देश की पूरी आबादी में ९८ प्रतिशत भी वृद्धि हुई है। परिषद् द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि यदि वृद्धि की गति यही रही तो सन् १९७५ में ६५ वर्ष से अधिक उम्रवाले लोगों की संख्या उस समय की पूरी आबादी का ११ प्रतिशत हो जायेगी[३]।

केवल अपने देश की आबादी के आयुगत वर्गीकरण को समझना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके आधार पर यह जानना भी बहुत उपयोगी होगा कि हमारे देश की जनता की औसत आयु में कुछ वृद्धि हुई है या नहीं। सन् १९०० में पैदा होनेवाले व्यक्ति के सांख्यिकीय अनुमान के आधार पर ४९ वर्ष तक जीवित रहने की सम्भावना थी। यदि सन् १९०० में वह ४५ वर्ष का हो चुका था तो सांख्यिकी के आधार पर उसके २४ वर्ष तक और जीवित रहने की सम्भावना थी और यदि सन् १९००ई० में वह ६५ वर्ष का हो गया था तो भी सांख्यिकी के आधार पर वह १२ वर्ष तक और जी सकता था। पर यदि वह व्यक्ति

(२) लार्ड ऐमूलरी—ऐंडिंग लाइफ टु इयर्स—लन्दन, नेशनल कान्फरेन्स आफ सोशल सर्विस, १९५१, पृष्ठ १८—१९।

(३) पी० के० ह्वेल्प्टन—फोरकास्ट्स आफ द पापुलेशन आफ दी युनाइटेड स्टेट्स, १९४५—१९७५—वाशिंगटन, डी० सी०, जनगणना-परिषद्, १९४७, पृष्ठ ३९—५१।

सन् १९४९ में पैदा हुआ है तो सांख्यिकी के आधार पर उसके ६७ वर्ष तक जीने की सम्भावना है, यदि वह सन् १९४९ में अपनी ४५वीं वर्षगाँठ मनाता है तो सांख्यिकी कहती है कि वह व्यक्ति अभी २८ बार और वर्षगाँठ मना सकेगा और यदि वह सन् १९४९ में ६५ वर्ष का हो चुका है तो अभी वह और १३ वर्ष तक सांख्यिकी के आधार पर दुनिया का आनन्द प्राप्त कर सकता है[४]।

वृद्धों की जनसंख्या पर विचार करते समय ध्यान देने योग्य एक अन्य प्रमुख बात यह है कि ६५ वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का अनुपात बराबर नहीं है। सन् १९५० की जनगणना के अनुसार उस उम्र के हर ८९ वृद्ध पुरुषों पर वृद्धा स्त्रियों की संख्या १०० है। जैसा हम सामान्य रूप में चारों ओर देखते हैं और जनगणना के प्रतिवेदन में भी उसी की आशा रखते हैं, जनगणना के आधार पर उस कालावधि में ६५ वर्ष से अधिक उम्र वाली स्त्रियों की संख्या में विधवाओं की संख्या अधिक है, किन्तु उस आयुवर्ग के पुरुषों में विधुर पुरुषों की संख्या उतनी अधिक नहीं है। जनगणना के आधार पर ६५ वर्ष से ७४ वर्ष तक के आयु-वर्ग के पुरुषों में १७.७ प्रतिशत पुरुष विधुर हैं[५]।

६५ वर्ष और उससे अधिक आयुवाले पुरुषों से सम्बन्धित एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न उनकी जीवन-व्यवस्था और पारिवारिक सम्बन्धों का है। सामाजिक सुरक्षा-प्रशासन की ओर से सन् १९५० में इस विषय में जो शोध-अध्ययन किया गया था उसके अनुसार ६९ प्रतिशत वृद्ध और वृद्धाएँ अपने निजी घरों में ही रहती हैं। उनके इन परिवारों में उनकी बधुएँ अथवा उनके रिश्तेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति जो सम्बन्धी नहीं है, रहते हैं अथवा घर में वे वृद्ध अकेले ही रहते है। शेष वृद्धों में से २६ प्रतिशत वृद्ध ऐसे हैं जो अपने घर में नही, अपने रिश्तेदारों या अन्य गैर-रिश्तेदार व्यक्तियों के घर में रहते हैं। शेष वृद्ध, जिनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है, संस्थाओं, होटलों, शिविरों या नौकाओं आदि में रहते हैं[६]।

(४) फैक्ट बुक आन एंजिंग—वाशिंगटन, डी० सी०, कमिटी आन एंजिंग ऐण्ड जीरियाट्रिक्स, फेडरल सेक्योरिटी एजेन्सी, १९५२, पृ० ५७।

(५) वही — पृष्ठ ४७—४८।

(६) वही—पृष्ठ ४८। जो पाठक वृद्धों के सम्बन्ध में और अधिक सांख्यिकीय आँकड़े तथा अन्य सामग्री प्राप्त करना चाहते हो उनके लिए यह पुस्तिका बहुत काम की है। इसको संघीय सुरक्षा अभिकरण (अप्रैल, सन् १९५३ के बाद से इसका नाम

आयु का क्या अर्थ है ? वृद्ध कौन हैं ? ६५ वर्ष ही क्यों ?

क्या आयु एक ऐतिहासिक काल-क्रम से सम्बन्धित वस्तु है, जिसकी गणना जन्मदिन के बाद से की जाती है ? क्या एक सन् में या एक ही तिथि को पैदा होने वाले व्यक्ति हमेशा एक ही उम्र के रहते हैं ? क्या वृद्धों का कोई एक वर्ग या श्रेणी हो सकती है ? ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से एक ही उम्र वाले सभी व्यक्ति एक ही तरह से व्यवहार करते हैं, एक ही तरह से सोचते, अनुभव करते, काम करते और खेलते हैं और क्या उन सबकी आवश्यकताएँ एक जैसी होती है ? इन प्रश्नों से स्पष्ट है कि वृद्ध व्यक्ति भी चाहे वे किसी उम्र के हों, अलग-अलग व्यक्ति ही होते हैं, उनमें से हर एक का शारीरिक और यौन जीवन-वृत्त होता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके शैक्षणिक, कार्यात्मक और भावात्मक जीवन के सभी अनुभव परस्पर भिन्न होते हैं। इन सब अनुभवों के कारण हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशिष्टताएँ आ जाती हैं जिनके कारण वह अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है। यह कथन यद्यपि घिसा-पिटा है, फिर भी यह बहुत सही है कि एक व्यक्ति ५० वर्ष की उम्र में ही वृद्ध हो जाता है और दूसरा ७० वर्ष की उम्र में भी जवान बना रहता है। इस कथन से दिवंगत न्यायाधीश होम्स की वह बात याद आती है जो उन्होंने ९२ वर्ष की अवस्था में कही थी, "आह, कितना अच्छा होता यदि मैं फिर ७० वर्ष का जवान हो जाता।" इसी तरह ७० वर्ष की अवस्था वाले दो व्यक्तियों में परस्पर बहुत अधिक भिन्नता हो सकती है। फिर "वृद्धता" या "उम्र" का मापदण्ड क्या है ? जिन वृद्धों के लिए आजकल अनेक प्रकार के कार्यक्रम बनाये और चलाये जा रहे हैं, वे कौन हैं ? इन कार्यक्रमों के लिए सहज ही ६५ वर्ष से अधिक उम्र वालों को वृद्ध को क्यों मान लिया जाता है ?

यह बात इतनी महत्त्वपूर्ण नही है कि कोई व्यक्ति ६५ वर्ष की अवस्था में वृद्ध हो गया है या नहीं। महत्त्व की बात यह है कि यह मान्यता ही अविवेकपूर्ण है कि काम करने वालों को ६५ वर्ष की उम्र में कार्यमुक्त हो जाना चाहिए, वृद्धावस्था सहायता ६५ वर्ष से अधिक उम्र वालों को ही मिलनी चाहिए और हमारे संघीय सामाजिक-बीमा-कार्यक्रम के अनुसार वृद्धावस्था के लाभ की सुविधाएँ केवल ६५ वर्ष की उम्र वाले लोगों को ही

स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग हो गया है), वाशिंगटन, से मँगाया जा सकता है। सन् १९४७ के बाद से न्यूयार्क राज्य की दोनों विधान-सभाओं की एक संयुक्त-समिति भी प्रतिवर्ष वृद्धों से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में उपयोगी वैधानिक सामग्री प्रकाशित करती आ रही है।

मिल सकती हैं। इस सम्बन्ध में यह याद दिला देना आवश्यक है कि इस शताब्दी के तीसरे दशक में मन्दी के दबाव के कारण यह आवश्यक हो गया कि वृद्ध लोगों से काम लेना बन्द किया जाय और उनकी जगह जवान लोगों को काम दिया जाय। यह केवल संयोग की बात नहीं थी कि उसी समय (१४ अगस्त १९३५) जो सामाजिक सुरक्षा-कानून बना उसमें भी वृद्धावस्था-सहायता और वृद्धावस्था-बीमा की सुविधाएँ प्राप्त करने वाले के लिए ६५ वर्ष की उम्र का होना आवश्यक माना गया। यदि सामाजिक सुरक्षा-कानून आज (सन् १९५४) नये सिरे से लिखा जाय तो आश्चर्य नहीं कि उसमें उम्र की शर्त ६५ वर्ष की जगह ७० वर्ष से अधिक होना मान ली जाय। बीमा कम्पनियों में भी बहुत दिनों तक बन्दोबस्ती पालिसी के पूरा होने की उम्र ६५ वर्ष ही मानी जाती थी और अवकाश-प्राप्ति की उम्र के निर्धारण बीमा कम्पनियों की उक्त नीति का भी प्रभाव पडा था। इस ग्रन्थ के इस अध्याय में सामान्य रूप से मान्य ६५ वर्ष की उम्र वाले व्यक्तियों को ही वृद्ध माना जायेगा। और इस मान्यता के औचित्य पर अधिक विचार नही किया जायेगा। यद्यपि हम बाद में इस विषय पर विचार कर सकते हैं कि ६५ वर्ष की उम्र से ही वृद्धावस्था का प्रारम्भ मानना कहाँ तक उचित है"।

(७) इस विषय को छोड़कर आग बढ़ने के पूर्व वृद्धों की परिवर्तित स्थिति पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार कर लेना अच्छा होगा। पुराने जमाने की पितृ-सत्ताक सामाजिक व्यवस्था में वृद्ध लोगों को बुद्धिमत्ता और प्राधिकार की मूर्त्ति माना जाता था। यह स्थिति थोड़े हेर-फेर के साथ मध्यकाल के समस्त सामन्तवादी युगों में तथा बाद के कृषि-प्रधान एवं औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के प्रारम्भिक काल तक वर्तमान रही। आधुनिक औद्योगीकरण के प्रभाव से आज के व्यक्ति को अपनी वृद्धावस्था की आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए साधन संचय की सुविधा नहीं मिल पाती। इस कारण वह उत्तरोत्तर पराश्रित होता जा रहा है और अपने परिवार में तथा व्यापक सामाजिक समूह में वृद्धों की स्थिति भी उपर्युक्त कारण से ही बहुत कुछ बदल गयी है। आज वृद्ध व्यक्ति, पुरुष होने के कारण ही पितृ-सत्ताक प्रभुत्व और निरंकुश शासन नहीं रख सकता। आज तो यह स्थिति है कि वृद्ध व्यक्ति को किसी तरह सहन कर लिया जाता है, कभी-कभी उसके प्रति कुछ सम्मान भी व्यक्त कर दिया जाता है, किन्तु अधिकतर उसको दया-दृष्टि से ही देखा जाता है। देखिए, लियो डब्लू० साइमन्स,—"द रोल आफ दि एजेड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज" —न्यू हेवेन, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, १९५४। अब्राहम इप्स्टीन तो वृद्धों की

आय-अनुरक्षण

चूंकि किसी भी वृद्ध व्यक्ति की मुख्य और वास्तविक कठिनाई यह होती है कि उसमें आर्थिक दृष्टि से अपनी व्यवस्था करने की क्षमता का अभाव हो जाता है। अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उन परिस्थितियों पर विचार करें जो वृद्धों के जीवन को प्रभावित करती हैं। तुलनात्मक दृष्टि उपस्थित करने के लिए यहाँ सामाजिक सुरक्षा कानून लागू होने के पहले के तथा उसके बाद के कालों के कुछ प्रमाण दिये जा रहे हैं।

इस शताब्दी के दूसरे दशक में वृद्धों की समस्याओं के सम्बन्ध में पर्याप्त शोध और अध्ययन-कार्य हुआ। इनमें से कुछ कार्य सरकारी संस्थाओं द्वारा, जैसे—मैसाचुसेट्स और न्यूयार्क में, हुआ; और अन्य कार्य गैर सरकारी संस्थाओं, जैसे—राष्ट्रीय नागरिक-संघ, द्वारा किये गये। यद्यपि विभिन्न शोध और अध्ययन-कार्यों में संघटन और पद्धति से सम्बन्धित पर्याप्त भिन्नता दिखाई पड़ती है, जैसे—उनमें उदाहरण उपस्थित करने की पद्धति तथा आवश्यकताओं के मापदण्ड भिन्न रूपों में दिखलाई पड़ते हैं, फिर भी इस सम्बन्ध में उनका मत प्रायः मिलता है कि बीसवी शताब्दी के दूसरे दशक में जो अपेक्षाकृत अधिक समृद्धि का काल था, बहुत-से वृद्ध व्यक्तियों को अपने स्वतन्त्र-जीवन-निर्वाह के लिए प्रयत्न करने की सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था। स्पष्ट रूप से और सरलतापूर्वक इस बात को समझने के लिए राष्ट्रीय नागरिक-संघ द्वारा संकलित कुछ आँकड़े यहाँ उपस्थित किये जा रहे हैं—

(१) उस काल में ६५ वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषो में से २५ प्रतिशत और स्त्रियों में से ३४ प्रतिशत वृद्ध व्यक्तियों के पास अपनी कोई सम्पत्ति नहीं थी।

(२) वृद्धों की कुल संख्या में से ४० प्रतिशत को किसी काम या रोजगार सम्बन्धी कोई आय नहीं थी और १७ प्रतिशत वृद्ध ऐसे थे जिनके पास न कोई सम्पत्ति थी, न आय।

(३) २५ प्रतिशत से अधिक वृद्ध काम करने के योग्य नहीं थे और ३० प्रतिशत ऐसे थे जो कम मेहनत वाला काम कर सकते थे।

इस परिवर्तित स्थिति के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए इससे भी आगे बढ़कर यह दावा करते हैं कि "किसी भी राष्ट्र की उन्नति इसी बात से आँकी जा सकती है कि वह अपने यहाँ के वृद्धों को क्या सुविधाएँ प्रदान करता है।" देखिए—अब्राहम इप्सिटीन—"फेसिंग ओल्ड एज"—न्यूयार्क, नाफ, १९२२, पृष्ठ २।

(४) ४० प्रतिशत वृद्धों की सहायता मुख्यतः बच्चे तथा थोड़ी बहुत उनके रिश्तेदार और मित्र करते थे।

(५) ६० प्रतिशत से अधिक वृद्धों को किसी विपत्ति या दुर्घटना, जैसे—अन्धता, बधिरता, लकवा, चिरकालिक रोग, मानसिक रोग आदि, के कारण विवश होकर अवकाश प्राप्त करना पड़ा था[८]।

उपर्युक्त दशक में तथा उसके बाद वाले दशक के पूर्वार्ध में अनेक राज्यों में वृद्धावस्था-वृत्ति (सहायता) कानून लागू हो गये। संविधान-पुस्तिका में अन्त तक बने रहने वाले राज्य-सम्बन्धी कानूनों में से पहला कानून मोन्टाना में सन् १६२३ में स्वीकृत हुआ था। इसके पहले एरिजोना में सन् १६१४ में और पेन्सिलवानिया तथा नेवादा में सन् १६२३ में इस तरह के कानून स्वीकृत हुए थे जो बाद में अवैध घोषित कर दिये गये और उनमें जो अवैधानिक बातें थीं उन्हें दूर करने के लिए फिर से उन्हें विधान-सभा में ले जाना आवश्यक था। सन् १६३४ तक वृद्ध-सहायता-कार्यक्रम ३४ राज्यों में चालू हो गया था। उसके दूसरे वर्ष कांग्रेस ने सामाजिक सुरक्षा कानून स्वीकृत कर लिया जिसमें वृद्धावस्था-सहायता के लिए संघ और राज्यों के सहयोग की शर्त रखी गयी थी। इस तरह कांग्रेस-सदस्य विल्सन (पेन्सिलवानिया) ने इस सम्बन्ध में सन् १६०६ में एक विधेयक उपस्थित करके जो प्रयत्न प्रारम्भ किया था उसकी परिणति इस कानून के रूप में हुई।

कुछ ही वर्षों में संघ-राज्य-सहयोग पर आधारित वह कानून पूरे देश में लागू हो गया। पर उसका वृद्धों की निर्भरता-सम्बन्धी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? सन् १६४६ में, जब कि सामाजिक सुरक्षा-कानून संशोधनार्थ विचाराधीन था, काग्रेस में वृद्धों की स्थिति के सम्बन्ध में आँकड़े उपस्थित किये गये। यहाँ यह बात निश्चित रूप से ध्यान में रखनी होगी कि हमारा देश मन्दी के जमाने की स्थिति को पार कर चुका था, और उसके बाद

(८) राष्ट्रीय नागरिक-संघ, औद्योगिक कल्याण-विभाग—"इक्सटेन्ट आफ ओल्ड एज डिपेन्डेन्सी"—न्यूयार्क सिटी, १६२८। मैसाचुसेट्स कमिशन आन पेन्शन्स—"रिपोर्ट आन ओल्ड एज पेन्शन्स"—बोस्टन, १६२५। न्यूयार्क स्टेट कमिशन आन ओल्ड एज सेक्योरिटी—"ओल्ड एज सेक्योरिटी"—अल्बानी, १६३०। अब्राहम इप्सिटीन—"इन सेक्योरिटी, ए चैलेंज टु अमेरिका (तृतीय संस्करण)"—न्यूयार्क, रेण्डम हाउस, १६३६, पृ० ४६१–५०६। आइजक रुबिनाऊ—"द क्वेस्ट फार सेक्योरिटी"—न्यूयार्क, हेन्री होल्ट एण्ड कम्पनी, १६३४, पृ० २४४–२५२।

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व के उत्पादन का युग आया था, फिर युद्ध-सम्बन्धी उत्पादन-कार्य का युग आया, फिर युद्ध का काल आया और अन्त में हमारी विजय हुई और इन सबके अन्त में महायुद्धोपरान्त के अनवरुद्ध औद्योगिक उत्पादन का काल प्रारम्भ हुआ। ३० जून, १९४५ के प्रतिवेदन के आधार पर उस समय ६५ वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्धों की संख्या करीब ४० लाख थी, जो ६५ वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का ४० प्रतिशत थी। ६५ वर्ष से अधिक उम्र वाले को किसी-न-किसी प्रकार की सहायता अवश्य मिलती थी। यह सहायता आधी से अधिक राजकीय स्रोतों से, मुख्यतः वृद्धावस्था-सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, मिलती थी और आधी से कुछ कम वृद्धों के मित्रों और सम्बन्धियों द्वारा दी जाती थी[९]।

कुछ वर्षों बाद इस सम्बन्ध में जो शोध-अध्ययन हुआ उसके अनुसार दस वर्षों से अधिक समय से चलने वाले संघीय वृद्धावस्था-बीमा-कार्यक्रम और संघ और राज्य के सहयोग से संचालित वृद्ध-सहायता-कार्यक्रमों के बावजूद वृद्ध व्यक्ति अब भी बहुत कुछ असुविधाग्रस्त और उपेक्षित स्थिति में ही थे। ६५ वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले कुल वृद्धों की केवल चौथाई संख्या उन वृद्धों की थी जो नियमित रूप से रोजगार या नौकरी में लगे थे। वृद्धों की कुल संख्या १ करोड १० लाख थी जिनमें से ८० लाख वृद्धों को किसी न किसी प्रकार की आय होती थी। उस आय का संख्यानुसार वर्गीकरण नीचे दिया जा रहा है—

५०० डालर तक वार्षिक आय वाले वृद्धों की संख्या—						२५,००,०००
५०० से ९९९	,,	,,	,,	,,	—	२३,००,०००
१,००० से १,९९९	,,	,,	,,	,,	—	१६,००,०००
२,००० से २,९९९	,,	,,	,,	,,	—	७.५०,०००
३,००० से ४,९९९	,,	,,	,,	,,	—	५,००,०००
५,००० से ९,९९९	,,	,,	,,	,,	—	२,००,०००
१०,००० से अधिक	,,	,,	,,	,,	—	१,००,०००

इन आँकड़ों को श्रम-सांख्यिकी-परिषद् द्वारा प्रस्तुत इस आय-व्ययक के मेल में रख कर देखना चाहिए कि प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति की एक "साधारण किन्तु उचित" जीवन-स्तर

(९) इशूज इन सोशल सेक्योरिटी—ए रिपोर्ट टु द कमिटी आन वेज ऐण्ड मीन्स आफ द हाउस आफ रिप्रेजेण्टेटिव्स, सातवीं कांग्रेस, प्रथम अधिवेशन, वाशिंगटन, गवर्नमेण्ट प्रिण्टिंग आफिस, १९४६, पृ० २७०–२७१।

के निर्वाह के लिए १६०० से १६०० डालर तक (यह संख्या व्यक्ति के स्थान की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है) धन की आवश्यकता होती है। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार अवकाश-प्राप्त श्रमिकों को प्रतिमास औसत दर से ४२ डालर का बीमा-लाभ मिलता है किन्तु ६५ वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले अवकाश-प्राप्त श्रमिक और उसकी पत्नी को प्रतिमास औसतन ६८ डालर का बीमा-लाभ मिलता है। कुछ उदाहरणों में तो एक ही व्यक्ति को वृद्धावस्था-बीमा-लाभ और वृद्धावस्था-सहायता दोनों प्राप्त होते हैं, बीमा-लाभ से जब उस व्यक्ति का काम नही चलता तो उसकी कमी की पूर्ति वृद्धावस्था-सहायता द्वारा की जाती है[१०]।

वृद्धों के सम्बन्ध में, और यदि निश्चित रूप से सीमा-निर्धारित करके कहा जाय तो उन वृद्धों के सम्बन्ध में, जिन्हें सन् १६५२ के आँकड़ों के अनुसार वृद्धावस्था और उत्तराधिकारी-बीमा लाभ मिलता है, जो जानकारी इधर हाल में प्राप्त हुई है, उससे पता चलता है कि बीमा-योजना की कल्पना और समर्थन करने वालों ने इस शताब्दी के चौथे दशक में इस योजना से जिस सुरक्षा-लाभ की बात सोची थी वह न्यूनतम मात्रा में भी नहीं उपलब्ध हुआ है। सन् १६५२ में लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या आदि का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इस प्रकार के हर पाँच वृद्धों में से तीन व्यक्ति आंशिक रूप से अपने सम्बन्धियों पर अथवा सरकारी या गैर सरकारी सहायता पर आश्रित थे। बीमा-लाभ प्राप्त करने वाले प्रत्येक ६ वृद्धों में एक ऐसा था जिसे राजकीय सहायता-कार्यक्रम के अन्तर्गत नकद धन की सहायता मिलती थी। राजकीय सहायता-कार्यक्रम के अनुसार जीवन-स्तर के निर्वाह के लिए प्रत्येक वृद्ध को प्रतिमास ६३ डालर और प्रत्येक वृद्ध दम्पती को प्रतिमास १०० डालर की आय होनी चाहिए। पर उस वर्ष की अवधि में उपर्युक्त वृद्धों के अतिरिक्त बीमा-लाभ प्राप्त करने वाले बहुत-से अन्य वृद्धों का जीवन-स्तर ऊपर बताये गये जीवन-स्तर से काफी नीचे थे। इन आँकड़ों तथा अन्य शोध-अध्ययनों के आँकड़ों से इस सामान्य धारणा की पुष्टि होती है कि बीमा और सहायता-सम्बन्धी कार्यक्रमों के कारण वृद्धों की वह पर-निर्भरता एक सीमित, किन्तु उत्साहवर्धक मात्रा तक कम हुई है जो उनके मनोबल को क्षीण बनाती है तथा जो आज के औद्योगिक युग में वृद्ध व्यक्तियों पर अनिवार्यतः आरोपित हो जाती है। विल्बर जे० कोहेन के, जिनके निबन्ध का हवाला ऊपर

(१०) विल्बर जे० कोहेन--"इनकम मेनटीनैन्स फार दी एजेड"--एनल्स--जिल्द २७६, जनवरी १६५२, पृ० १५४-१६२, और भी देखिए--फैक्ट बुक आन एजिंग--पृ० ४६।

दिया गया है, शब्दों में "वृद्धावस्था और उत्तराधिकारी-बीमा-योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में किये गये इस अध्ययन के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, और वृद्धावस्था तथा उत्तराधिकारी-बीमा-परिषद् के अन्य शोध-अध्ययन सम्बन्धी निष्कर्ष भी प्रायः ऐसे ही थे कि अधिकतर वृद्ध लाभार्थियों के लिए बीमा-लाभ उनकी आय का एक अनिवार्य और महत्त्वपूर्ण स्रोत है। इस अध्ययन के अनुसार बहुत कम, सम्भवतः २० में से एक, लाभार्थी ऐसे होंगे जो बीमा-लाभ प्राप्त किये बिना भी पर्याप्त सुख से जीवन-निर्वाह करते हों। बहुतों के लिए यह बात बीमा-लाभ पर ही निर्भर करती है कि वे अपने सम्बन्धियों या राजकीय सहायता पर आश्रित रहें या न रहें। जब उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो उनके लड़के या सम्बन्धी उनकी सहायता करते हैं अथवा उन्हें राजकीय सहायता लेनी पड़ती है; किन्तु उस समय यदि उनको बीमा-लाभ मिल जाय तो उनके लड़कों या रिश्तेदारों के लिए सिर का बोझ कम हो जाता है अथवा राजकीय सहायता अधिक नहीं लेनी पड़ती है। अतः ऐसे वृद्ध पुरुषों और स्त्रियों के लिए बीमा-लाभ उनकी उस आत्म-निर्भरता को पुनः वापस लाने वाला एक प्रमुख सहायक तत्त्व होता है जिसे उन्होंने अपनी जवानी के साथ ही पीछे छोड़ दिया था[११]।"

रोजगार और वृद्ध व्यक्ति

जिस तरह वृद्ध व्यक्ति की आत्म-निर्भरता या पर-निर्भरता उसकी आय या आय के अभाव पर आधारित होती है, उसी तरह आय भी बहुत कुछ रोजगार या नौकरी पर निर्भर करती है। ६५ वर्ष की या उससे भी अधिक आयु वाले जो वृद्ध व्यक्ति लाभकर रूप में रोजगार में लगे हैं उनकी संख्या कितनी है। मार्च सन् १९५२ की गणना के अनुसार उस समय श्रमिक रूप में काम करने वाले ६५ वर्ष या अधिक की आयु के वृद्ध पुरुषों की संख्या उनकी कुल संख्या का ४१ प्रतिशत और स्त्रियों की संख्या उनकी कुल संख्या का ८ प्रतिशत थी। कुछ लोगों को यह संख्या अनुपात की दृष्टि से बहुत अधिक प्रतीत हो सकती है। अतः इस विषय को अच्छी तरह समझने के लिए इसे कई अन्य तथ्यों के सन्दर्भ

(११) एडना सी० वेण्टवर्थ—"हाउ ओल्ड एज ऐण्ड सरवाइवर्स इन्श्योरेन्स बेनिफिशियरीज गेड एलांग"—पब्लिक वेलफेयर—जिल्द ११, अप्रैल, १९५३, पृ० ४२। और भी देखिए—वेण्टवर्थ—"इकोनामिक सिचुयेशन आफ एजेड इन्श्योरेन्स बेनिफिशियरीज"—सोशल सेक्योरिटी बुलेटिन—जिल्द १७, अप्रैल, १९५४, पृ० १३–१२, २६।

में रख कर देखना होगा । पहली बात तो यह है कि ४१ प्रतिशत वाली यह संख्या ४५ वर्ष से ६४ वर्ष के बीच की आयुवाले उन लोगों की संख्या की तुलना में बहुत कम है जो मजदूरी के कामों में लगे हुए थे । इस आयु-वर्ग (४५ से ६४ वर्ष) की कुल स्त्रियों में से २८ प्रतिशत स्त्रियाँ और कुल पुरुषों में से ८७ प्रतिशत पुरुष श्रमिक थे । दूसरा विचारणीय तथ्य यह है कि काम करने वाले वृद्धों में से ६० प्रतिशत व्यक्ति मजदूरी या नौकरी करने वाले थे और शेष ४० प्रतिशत अपने निजी रोजगारों में लगे थे । निजी रोजगारों में लगे हुए वृद्धों में आधे खेती का काम और आधे छोटे-मोटे व्यवसाय करते थे । रोजगारों में लगे अधिकतर वृद्ध व्यक्ति, चाहे वे नौकरी करते हों चाहे निजी काम-धन्धे, प्रायः अंशकालिक रूप में काम करते थे । तीसरा महत्त्व का तथ्य यह है कि काम में लगे वृद्धों की संख्या का अनुपात इस शताब्दी में (युद्ध-सम्बन्धी उत्पादन के काल को छोड़कर) उत्तरोत्तर कम होता गया है अर्थात् सन् १८९० में ६५ वर्ष और उससे अधिक की आयुवाले ऐसे वृद्धों की संख्या ६८.२ प्रतिशत थी जो सन् १९५० में घटकर ४५ प्रतिशत हो गयी[१२] ।

वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली रोजगार-सम्बन्धी स्थिति को वास्तविकता की दृष्टि से देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उन कठिनाइयों की जाँच की जाय जिनका आज की प्रभावशाली औद्योगिक और नगर-केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था में वृद्धों को सामना करना पड़ता है । जिन श्रमिकों की अवस्था बढ़ती जा रही हैं उनकी श्रम-शक्ति और कौशल के उचित उपयोग के मार्ग में क्या बाधाएँ उपस्थित होती है ? क्या एक निर्दिष्ट अवस्था हो जाने पर किसी व्यक्ति के अपने आप अवकाश प्राप्त कर लेने का सिद्धान्त उचित है और उसका समर्थन करना चाहिए ? क्या आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में वृद्ध श्रमिकों की कोई उपयोगिता है ? क्या आज के उद्योग-धन्धों में वृद्ध व्यक्तियों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उन्हें किसी रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है या किया जायेगा ।

वृद्ध-श्रमिकों के सामने जो रुकावटें आती हैं वे दो प्रकार की होती हैं । कुछ रुकावटें उद्योग-सम्बन्धी नियमों के कारण होती हैं, जिन्हें हम बाह्यारोपित अवरोध कह सकते हैं और कुछ रुकावटें स्वयं श्रमिक द्वारा अपने ऊपर आरोपित होती हैं जिन्हें आन्तरिक अवरोध कहा जा सकता है । पहले प्रकार के अवरोधों में सबसे महत्त्वपूर्ण अवरोध वे हैं जो आधुनिक उद्योग-धन्धों में यन्त्र को प्रमुखता प्राप्त हो जाने के कारण उत्पन्न हुए हैं ।

(१२) फैक्ट बुक आन एजिंग—(पूर्व निर्दिष्ट ग्रन्थ), पृ० ५४–५५ ।

सरल आर्थिक-व्यवस्था जैसे—कृषि-प्रधान आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन का नियन्त्रण बहुत कुछ व्यक्ति के हाथ में होता था और इस तरह उत्पादन अधिकतर व्यक्ति पर ही निर्भर करता था, किन्तु यान्त्रिक उद्योगों में ऐसी बात नहीं रह गयी है। आज तो उत्पादन की गति का नियन्त्रण यन्त्र करते हैं। और उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक यन्त्रों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वस्तुतः उत्पादन की प्रक्रिया यन्त्र की गति से संचालित होती है और इस यान्त्रिक उत्पादन-पद्धति में मनुष्य को भी एक पुर्जे की तरह उचित स्थान पर लगाना पड़ता है। अतः इस तरह यन्त्रीकृत उद्योगों में नौजवान व्यक्तियों की ज्यादा माँग होती है क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि वे यन्त्र की गति के साथ आसानी से अपने को नियोजित कर सकते हैं तथा यन्त्र की अबाधता कायम रख सकते हैं। काम के विभिन्न अंगों का विभाजन इसलिए किया जाता है कि थोड़े समय में अधिक काम हो सके और थोड़े समय में अधिक काम करने का अर्थ है कि व्यक्ति में काल-सम्बन्धी दबाव के भीतर रहकर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसी क्षमता नौजवानों में ही हो सकती है, अतः आधुनिक उद्योगों में वृद्धों से अधिक नौजवानों को पसन्द किया जाता है।

यंत्र के प्रभुत्व का एक अन्य पहलू यह है कि उद्योग-धन्धों के प्रबन्धक यह विश्वास करते हैं कि वृद्ध व्यक्तियों का कार्य-कौशल नवीन परिवर्तित यांत्रिक उत्पादन के लिए अव्यवहार्य और अनुपयोगी हो जाता है। इस धारणा के अनुसार नवीन यंत्रों के आविष्कार के कारण पुराने यंत्र में या तो सुधार करना पड़ता है या उन्हें हटा कर उनकी जगह नवीन आविष्कृत यंत्र रखने पड़ते हैं, किन्तु वृद्ध श्रमिक, जिन्हें पुराने यंत्रों की पद्धति के अनुसार काम करने का अभ्यास रहता है, नवीन यंत्रों के अनुरूप अपने को उतनी जल्दी नहीं ढाल सकता है जितनी जल्दी नौजवान श्रमिक अपने को ढाल सकता है। अतः स्वाभावतः वृद्ध श्रमिकों को नौजवान श्रमिकों की अपेक्षा कम उत्पादन-शक्ति वाला माना जाता है।

इसके अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे विश्वास या धारणाएँ हैं जिनका वृद्धों की नौकरी की सम्भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। यह माना जाता है कि वृद्ध श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त होते या बीमार पड़ते हैं। चूँकि वे नौजवानों की तरह स्फूर्ति-युक्त नहीं होते और चूँकि यंत्र किसी भी भूल करने वाले व्यक्ति का साथ देने के लिए रुक-रुक कर या मन्द गति से नहीं चल सकता, अतः वृद्ध व्यक्तियों को ही यंत्र के कारण विशेष हानि उठानी पड़ती है। इसी तरह चूँकि वृद्ध व्यक्ति रोज-रोज वृद्ध ही होते जाते हैं और यह सामान्य धारणा है कि बुड्ढे नौजवानों की अपेक्षा अधिक बीमार पड़ते हैं, अतः यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि वृद्ध श्रमिकों को, नौजवानों श्रमिकों की अपेक्षा बीमार पड़ने का खतरा अधिक रहता है।

वृद्ध व्यक्तियों को नौकरी मिलने में एक और बाधा यह है कि अनेक कारखानों या दूकानों में पेन्शन की योजना अपनायी जाती है, अतः वे कारखाने यह नहीं चाहते कि अधिक वृद्ध व्यक्तियों को नौकरी में रखें क्योंकि इससे उनको पेन्शन के रूप में दी जाने वाली धनराशि बहुत अधिक हो जायेगी। कई जगहों पर पेन्शन की योजना सामाजिक सुरक्षा कानून के लागू होने से पहले से प्रचलित थी और कुछ जगहों पर उसे संघीय वृद्धावस्था और उत्तराधिकारी-बीमा कार्यक्रमों के अभावों और त्रुटियों के कारण लागू करना पड़ा। इन दोनों स्थितियों में प्रत्येक कारखाना यह चाहता था कि उसे पेन्शन अधिक न देनी पड़े और इसी कारण नौजवानों को नौकरी में रखने की बात पर अधिक बल दिया जाता रहा।

अन्तिम कारण (ऊपर बताये गये सभी कारण समग्र कारणों के अंश मात्र थे।) यह था कि अनेक कारखानेदारों ने, विशेषकर बड़ी-बड़ी कम्पनियों के मालिकों ने, अपने यहाँ काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक निश्चित उम्र के बाद अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का नियम बना रखा था। प्रायः अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की उम्र मनमाने ढंग से ६५ वर्ष मान ली जाती थी, (यद्यपि यह नियम हर जगह लागू नही था) और यदि कोई मजदूर ६५ वर्ष की उम्र के बाद भी पूर्ण स्वस्थ, फुर्तीला, सावधान और पूर्ण उत्पादन-क्षमता वाला होता था तो भी उसे नियमानुसार सेवा-निवृत्त होना पड़ता था।

सबसे बड़ा, और प्रायः सबसे अधिक निराशा उत्पन्न करने वाला अवरोध श्रमिक का अपना ही आरोपित अवरोध था। श्रमिकों को अपनी उपयोगिता के सम्बन्ध में स्वयं पूर्ण विश्वास नहीं रहता है। सामान्य धारणा से अनेक वर्षों से प्रभावित होते रहने के कारण और फिर ६५ वर्ष की आयु होने का ख्याल आने पर सहसा हतप्रभ हो जाने के कारण (सामान्य लोगों में वृद्धावस्था का प्रारम्भ ६५ वर्ष की उम्र के बाद माना जाता है।) श्रमिक को अपने प्रति इतना विश्वास नहीं रह जाता कि वह बाजार में अपनी श्रम-शक्ति को बेचने जाय। इस विश्वास के अभाव के कारण वह भी उस सामान्य घिसी-पीटी धारणा को स्वीकार कर लेता है और कभी-कभी तो सचमुच वह उन बीमारियों या अक्षमताओं का शिकार हो जाता है जिनका सामान्य लोगों द्वारा इस उम्र के व्यक्तियों में होना निश्चित माना जाता है।

तथ्य क्या है ?

ऊपर जिन धारणाओं और विश्वासों का वर्णन किया गया है उनके कारण वृद्ध व्यक्तियों को नौकरी मिलने में अथवा मिली हुई नौकरी में बने रहने के मार्ग में कठिन अवरोध उपस्थित होते थे (यद्यपि मजदूर संघ की नीतियों के कारण उन अवरोधों में कुछ कमी हुई)।

उपर्युक्त धारणाओं के विश्लेषण करने की दिशा में अभी कुछ वर्षों पूर्व तक कुछ भी प्रयत्न नही किया गया था । यह आश्चर्य की बात है कि विश्लेषण और परीक्षण करने पर उपर्युक्त धारणाओं में से अधिकांश गलत सिद्ध होती हैं । उदाहरण के लिए बीमारी आदि के कारण कारखाने में काम पर अनुपस्थित होनेवालों में नौजवानों की संख्या अनुपात में वृद्धों की संख्या से अधिक होती है । वृद्ध व्यक्ति नौजवानों की अपेक्षा कम दुर्घटनाग्रस्त होते हैं (यद्यपि घायल होने पर वृद्ध व्यक्ति को नौजवानों की अपेक्षा अच्छा होने में अधिक समय लगता है) । वृद्ध श्रमिकों की यह विशेषता होती है कि वे अधिक विश्वसनीय और भरोसा योग्य होते हैं । उनके काम में नौजवानों-जैसी गति भले ही न हो, पर ऐसे कामों में जिनमें विवेक और स्थैर्य की आवश्यकता होती है प्रायः वृद्ध व्यक्ति जवानों की अपेक्षा सक्षम और उत्पादन-शक्ति वाले माने जाते हैं । प्रस्तुत विषय में हमारा ज्ञान-क्षेत्र सीमित है, किन्तु इस विषय में संयुक्त राज्य श्रमिक-साख्यिकी-केन्द्र के अधिकारी इवान क्लेगे ने जो कुछ लिखा है, वह बहुत ही स्पष्ट और ज्ञान-वर्द्धक है । उन्होंने इस विषय का विवेचन करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष उपस्थित किये हैं;–"(१) अनेक वृद्ध-व्यक्ति मनमाने ढंग से सेवा-निवृत्ति की निश्चित उम्र के बाद भी अपना काम सफलतापूर्वक करने में पूर्ण सक्षम और सशक्त होते हैं;, (२) अनेक व्यक्ति वृद्ध हो जाने पर कुछ अक्षम या क्षीण अवश्य हो जाते है या प्रायः दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं अथवा वे पहले से जो काम करते आ रहे हैं उन्हें करने के लिए उनमें पर्याप्त शारीरिक शक्ति नहीं रह जाती, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे काम करने के बिलकुल अयोग्य है; (३) कुछ वृद्ध-व्यक्ति (जिनकी संख्या वस्तुतः बहुत कम होती है) स्थायी रूप से बीमार या अक्षम हो जाते हैं (किन्तु वे वृद्धता की निश्चित उम्र में ही बीमार नहीं होते, बल्कि विभिन्न समयों पर बीमार हुआ करते है) अतः वे स्वयं अपनी जीविका के निर्वाह के लिए काम नही कर सकते अथवा उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहिए[१३] ।"

(१३) देखिए, ईवान क्लेगे का "एजिंग एण्ड इम्प्लायबिलिटी" शीर्षक निबन्ध जो क्लार्क टिब्बिट्स द्वारा सम्पादित निम्नलिखित ग्रन्थ में संकलित हैं—"लिविंग थ्रू दि ओल्डर ईयर्स"—ऐन आर्बर, मिशिगन यूनिवर्सिटी प्रेस, १९४९, पृ० १४९–१५० । और भी देखिए, अल्बर्ट जे० आब्राम्स का निबन्ध "बैरियर्स टु दि इम्पलायमेण्ट आफ ओल्डर वर्कर्स"—ऐनल्स, जिल्द २७९, जनवरी १९५२, पृ० ६२–७१ । अल्बर्ट जे० अब्राम्स—"इन्डस्ट्री व्यूज इट्स एल्डर्ली वर्कर्स"—वर्थडेज डोन्ट काउण्ट—न्यूयार्क स्टेट ज्वाइण्ट लेजिसलेटिव कमिटी आन प्राब्लम्स आफ

सेवा-निवृत्ति की निरंकुश पद्धति क्यों ?

पिछले कुछ वर्षों में इस सम्बन्ध में मजेदार ढंग से बहस-मुबाहसा होता आया है कि किसी एक निश्चित उम्र में—प्रायः ६५ वर्ष की उम्र में—मजदूरों को अनिवार्यतः श्रम के क्षेत्र से अलग कर देना चाहिए या नहीं ? अधिकांश बड़े-बड़े उद्योगों में यह मान्यता प्रचलित है कि श्रमिकों के लिए एक निश्चित उम्र में सेवा-निवृत्ति का नियम न्यायोचित और पूर्णतः लोकतान्त्रिक है । इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि जहाँ सेवा-निवृत्ति की यह नीति निश्चित रूप से अपनायी जाती है और जहाँ के सभी कर्मचारियों को इसका ज्ञान होता है, वहाँ सभी कर्मचारियों के साथ, भेद-भाव और पक्षपात से रहित होकर, एक-जैसा व्यवहार किया जाता है । इस नीति के कारण मालिक और मजदूर दोनों को यह सुविधा होती है कि वे सेवा-निवृत्ति की बाद के लिए अपनी योजनाएँ निश्चित कर सकें । इस पद्धति के द्वारा सेवा-निवृत्त कर्मचारी को इस बात के लिए अवसर मिलता है कि वह अपने जीवन का शेष समय उपयोगी सामुदायिक कार्यों में लगा सके तथा अपनी रुचि और शौक के कामों में अपने समय का उपयोग कर सके । इस सम्बन्ध में प्रायः सबसे चुटीला तर्क यह दिया जाता है कि एक निश्चित उम्र में अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के नियम के कारण नौजवानों को आगे बढ़ने और कार्यारम्भ करने का मौका मिलता है । किसी कारखाने या संस्था में उच्चतम पद पर काम करने वाले तथा अधिकतम वेतन पानेवाले कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति का अर्थ यह होता है कि उसकी जगह उस कम्पनी के विभिन्न विभागो या श्रेणियों में छोटे-छोटे पदों पर दस से लेकर बीस तक कर्मचारी नियुक्त किये जा सकते हैं और साथ ही कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि हो सकती है ।

इसके विरोध में यह कहा जा सकता है कि चूँकि हर व्यक्ति भिन्न उम्र में सेवा-निवृत्ति के योग्य होता है, अतः सबके लिए सेवा-निवृत्ति की कोई एक उम्र निश्चित करने की नीति तर्करहित और निरंकुशतापूर्ण है। कुछ व्यक्ति ५० वर्ष की उम्र में ही सेवा-निवृत्ति के योग्य होते हैं, कुछ ५५ वर्ष की उम्र में तो कोई ६० वर्ष की उम्र में होते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ७० या कभी-कभी ७५ वर्ष की उम्र में भी अपने लिए तथा उस उद्योग के लिए, जिसमें वे काम करते हैं, उपयोगी बने रहते है ।

द एंजिंग—अल्बानी, १९४८, पृ० १४१–१६२ । और भी देखिए, जासेफ डब्लू० विलियर्ड—"इम्प्लायमेण्ट प्राब्लम्स आफ ओल्डर वर्कर्स"—प्रोसीडींग्स आफ द नेशनल कान्फरेन्स आफ सोशल वर्क—१९४८, पृ० ३९५–४०२ ।

सेवा-निवृत्ति का समय निर्धारित करते समय केवल व्यक्ति की उम्र का ही विचार न करके कई अन्य बातों, जैसे उसके स्वास्थ्य, उसके काम की अन्य कामों से भिन्नता, उसकी पारिवारिक स्थिति आदि बातों पर भी विचार करना चाहिए। जो सरकारी अधिकारी या उद्योग-पति इस विचार के पोषक हैं उनका कहना है कि कोई व्यक्ति नौकरी या काम करने योग्य है या नही इसका निर्णय उसके ऐतिहासिक जीवन-क्रम वाली उम्र के आधार पर नही, बल्कि 'कार्यात्मक' उम्र (कार्यक्षमता से युक्त शारीरिक अवस्था) के आधार पर होना चाहिए, (वस्तुतः वृद्धावस्था की समस्याओं पर विचार करने वाले सभी अध्येता वृद्धों के लिए सभी दृष्टि से 'कार्यात्मक' उम्र को ही अधिक महत्त्व देते हैं)। कार्य-क्षमता के मापदण्ड पर आधारित सिद्धान्त के अनुसार सभी व्यक्तियों का एक निश्चित उम्र हो जाने पर अनिवार्यतः सेवा-निवृत्त हो जाना आवश्यक नहीं है। उस निश्चित उम्र के बाद भी वृद्धों को हलके और कम जिम्मेदारी वाले काम दिये जा सकते है (चाहे उनकी क्षतिपूर्ति-सम्बन्धी दर में परिवर्तन किया जाय या न किया जाय) और प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर उनके काम के घंटे कम करके तथा उनकी छुट्टियों की अवधि बढ़ा कर के उनके कार्य-भार को धीरे-धीरे कम किया जा सकता है। इसी तरह श्रमिकों को निश्चित उम्र के (जो सबके लिए एक ही नही होनी चाहिए) बाद भी काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए और इस तरह उन्हें अपनी पेन्शन की निधि बढ़ाने के लिए अवसर मिलना चाहिए। अनेक विचारशील मालिक सेवा-निवृत्ति के पूर्व मजदूरों को परामर्श देने के लिए परामर्श-सेवा-कार्यक्रम भी चलाते हैं ताकि जब सेवा-निवृत्ति का समय आये तो मजदूर उसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें और सेवा-निवृत्त होने के बाद भी अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सकें तथा इस तरह सन्तोषजनक रूप से अपना शेष जीवन बिता सकें।

कई जगह सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को काम देने के लिए 'रक्षात्मक श्रम-गृहों' की भी व्यवस्था की गयी है जिनमें श्रमिकों के स्वास्थ्य और उम्र को ध्यान में रखकर उनके लिए उपयुक्त काम देने का कार्यक्रम चलाया जाता है। कुछ समुदायों में निस्स्वार्थ और परोपकारी रोजगार-अभिकरण काम करते हैं। इन अभिकरणों द्वारा कुछ उद्योगपतियों और कारखानेदारों को इस बात के लिए राजी कर लिया जाता है कि वे वृद्ध श्रमिकों की कार्य-क्षमता और श्रम-शक्ति का उपयोग करने में रुचि दिखावें तथा इस दिशा में कुछ कार्य करे। कुछ वृद्ध मजदूर सामाजिक सुरक्षा-योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता के बाद भी अंश-कालिक नौकरी करते हैं, तब कहीं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। (वृद्धावस्था और उत्तराधिकारी-बीमा के कोई लाभार्थी यदि किसी पूर्वनिर्धारित रोजगार या नौकरी से प्रतिमास ७५ डालर तक कमाता है तो उसे मिलने वाली

मासिक सहायता बन्द नही की जाती। इससे अधिक आय होने पर मासिक सहायता बन्द की जा सकती है। पहले १५ डालर से अधिक मासिक आय पर ही ऐसा प्रतिबन्ध था, बाद में उसे बढा कर ५० डालर और अन्त में सन् १९३५ में सामाजिक सुरक्षा-कानून स्वीकृत होने पर ७५ डालर तक कर दिया गया। फिर सन् १९५४ में यह नियम लागू हुआ कि १२०० डालर वार्षिक आय वाले वृद्ध श्रमिक को भी बीमा-योजना-सम्बन्धी मासिक लाभ मिल सकता है। किन्तु जब बीमाकृत वृद्ध ७५ वर्ष की उम्र का हो जाता है तो उसकी आय पर उपर्युक्त प्रतिबन्ध नहीं रह जाता।)

इन तमाम प्रश्नों के मूल में एक अन्य विचारणीय प्रश्न निहित है। देश में उत्पादित होने वाली समस्त सम्पत्ति और सेवाओं का प्रतिवर्ष देश भर की समूची जनता के बीच विभाजन या वितरण होता है। इस बात को देखते हुए कि देश की आबादी में वृद्धों की संख्या बढ़ती रही है और उद्योग-धन्धों में काम करने वाले वृद्ध श्रमिकों की संख्या उसी अनुपात में कम होती जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि देश की आबादी में जितने लोग श्रम करने योग्य है उनमें से थोड़े लोगों को ही देश की पूरी आबादी के लिए उत्पादन करने या सेवा-कार्यो में काम करने का अवसर मिलता है जब कि देश की आबादी में ऐसे वृद्धों की प्रतिशत-संख्या बहुत अधिक है जो उत्पादन-क्षमता नही रखते। यदि बहुत-से व्यक्ति देश की समस्त सम्पत्ति के उत्पादन तथा सेवाओं में योगदान नहीं करते, किन्तु उस सम्पत्ति या सेवाओं के उपभोग में भागीदार होते हैं तो यह स्पष्ट है कि जो लाभ-उत्पादन-कार्य में लगे है उन पर कार्य-भार बहुत बढ़ जायेगा और वितरित होने वाली सम्पत्ति भी अपेक्षाकृत कम मात्रा में ही उत्पादित होगी। इस कथन का महत्त्व तब और भी स्पष्ट हो जायेगा यदि हम इस बात की ओर ध्यान देंगे कि बहुत-से श्रमिक मनमाने ढंग से निश्चित की गयी सेवा-निवृत्ति की उम्र में पहुँचते ही काम से अलग होने के लिए विवश कर दिये जाते है जब कि अगले कई वर्षों तक उनमें पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से काम करने की पूरी क्षमता या उत्पादन-शक्ति होती है। इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि सेवा-निवृत्ति की उम्र के बाद जो श्रमिक व्यक्तिगत कारणों से काम न करना चाहें उनको भी जबर्दस्ती काम करने के लिए विवश किया जाय। यहाँ मूल विचारणीय बात यही है कि सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी निर्णय या नीति-निर्धारण उन स्थितियों की वास्तविकता के आधार पर, जो हमारी समग्र अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, तथा उन व्यक्तियों के हित को ध्यान में रखकर, जिनके योग से समाज बना है, होना चाहिए[१४]।

(१४) ---सालोमन बार्किन---आर्गेनाइज्ड लेबर सेज नो।" ऐनल्स जिल्द २७९, जनवरी १९५२, पृ० ७७--८०। क्रेग पी० कोशरेन---"सम मैनेज-

उम्र और स्वास्थ्य

इस अध्याय में एक जगह पहले कहा जा चुका है कि हमारे देश की आबादी के संघटन में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है और किस तरह वृद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसका कारण प्रथम महायुद्ध के पहले तक इस देश में बाहर से लोगों का आप्रवास तथा महायुद्ध के बाद उसका बन्द हो जाना था। यहाँ वृद्धों की संख्या-वृद्धि के कुछ अन्य कारणों पर प्रकाश डाला जायेगा। इन कारणों में दो मुख्य कारण हैं—देश में जन्मसंख्या में कमी तथा कुछ बीमारियों पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण। जहाँ तक बीमारियों के नियन्त्रण का प्रश्न है, यहाँ केवल यही देखना पर्याप्त नहीं है कि इस दिशा में क्या काम किया गया है, बल्कि यह भी विचारणीय है कि अभी क्या काम बाकी है या इस दिशा में और क्या किया जा सकता है।

देश की जन्म-संख्या में कमी हो जाने के बावजूद इस बात के प्रमाण हैं कि गर्भ धारण करने पर उसकी सन्तानोत्पत्ति में परणति का अनुपात पहले से अधिक हो गया है। उसी तरह सन्तानोत्पत्ति के बाद बच्चों के बचने की सम्भावनाएँ भी पहले से बहुत अधिक बढ़ गयी हैं। जो बच्चे एक वर्ष की उम्र तक बचे रह जाते हैं उनके दूसरे, तीसरे, पाँचवें और दसवें वर्ष तक भी बचे रहने की सम्भावना जितनी आज हो गयी है उतनी इसके पहले कभी नहीं थी। बच्चों की बीमारियों—विशेष रूप से छूत की बीमारियों—पर प्रायः विजय प्राप्त की जा चुकी है; फलतः सांख्यिकी के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों के जीवित रह कर वयस्क होने की सम्भावना भी पहले से बहुत अधिक हो गयी है। उसी तरह उन बीमारियों के अनुप्रभाव या उत्तरप्रभाव से उत्पन्न बीमारियों—जैसे दिल और गुर्दे की बीमारियों—का भी बहुत कुछ उच्छेद हो चुका है जिससे बालकों के वयस्क होने की बात में अब शंका करने की गुंजाइश बहुत कम कम हो गयी है।

इन सब बातों का व्यावहारिक प्रभाव यह हुआ है कि लोग आसानी से ५०,६० या ७० वर्ष की उम्र तक जीवित रहते हैं और केवल उन्हीं बीमारियों से मरते हैं जिन पर अभी

मेण्ट्स प्रेफर फ्लेक्सिबिलिटी" वही; पृ० ७४–७७। स्टैनली सी० होप—शुड देयर बी ए फिक्सड रिटायरमेण्ट एज? सम मैनेजमेण्ट्स से एस"—वही, पृ० ७२–७७। जेनेवा मैथियासेन—(सम्पादन), क्राइटेरिया फार रिटायरमेण्ट—न्यूयार्क, जी० पी० पुट नम्स सन्स, १९५३; कम्पेनी प्रैक्टिसेज रिगार्डिंग ओल्डर वर्कर्स ऐण्ड रिटायरमेण्ट—एडविन शील्ड्स हेविट ऐण्ड एसोशियेट्स, लिबर्टी विले, इलीनोइस, १९५२।

तक विजय नही प्राप्त की जा सकी है अर्थात् जो अपकर्षी बीमारियाँ है । सन् १९४५ में ६५ वर्ष और उससे अधिक उम्रवाले व्यक्तियों की मृत्यु जिन बीमारियों के कारण हुई थी उनका विश्लेपण करने पर पता चलता है कि अधिकतर मृत्यु निम्नलिखित बीमारियों से हुई—हृद्रोग—(३९.१ प्रतिशत), मस्तिष्क-रक्तस्राव (१२.९ प्रतिशत), कैन्सर (१२.८ प्रतिशत), गुर्दाशोथ (८.१ प्रतिशत), और न्यूमोनिया (४.० प्रतिशत) । इन बीमारियों से मरने वाले वृद्धों की संख्या उनकी कुल मृत्यु-संख्या की तीन चौथाई से भी अधिक थी । यदि हम पिछले ५० वर्षों में देश भर में मृत्यु के कारणों में होनेवाले परिवर्तनों पर दृष्टिपात करें तो यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी । सन् १९४४ में पूरी आबादी में से हृद्रोग से मरने वालों की संख्या सबसे अधिक थी जब कि सन् १९०० में इस बीमारी से मरने वालों की सख्या अधिकता की दृष्टि से चतुर्थ स्थान पर थी; सन् १९४४ में कैन्सर का स्थान दूसरा था जब कि सन् १९०० में उसका स्थान आठवाँ था । मस्तिष्क-रक्तस्राव का स्थान सन् १९०० में सातवाँ और १९४४ में तीसरा था, उसी तरह मधुमेह का स्थान सन् १९०० में २७वाँ और सन् १९४४ में आठवाँ था; और धमनी-काठिन्य का स्थान सन् १९०० में ३४वाँ तथा सन् १९४४ में दसवाँ था[१५] ।

सामान्य जनता तथा वृद्ध व्यक्तियों की बीमारी-अक्षमता के सम्बन्ध में सम्भवत: सबसे अधिक उपयोगी आँकड़े सन् १९३५–१९३६ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य-सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध हुए थे । यह सर्वेक्षण संयुक्तराज्य राजकीय स्वास्थ्य-विभाग द्वारा देश भर मे घर-घर आदमी भेजकर कराया गया था । इस सर्वेक्षण से यह पता चला कि लगातार सात या उससे अधिक दिनों तक बीमार रहने पर अक्षमता उत्पन्न होने की घटनाएँ जितनी अधिक ६५ वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के वर्ग में होती हैं उतनी उससे कम उम्र वाले लोगो में नहीं होती । पूरी आबादी के सभी उम्र के लोगों में ये बीमारियाँ १००० व्यक्तियों में से १७१ व्यक्तियों को हुई जबकि ६५ वर्ष से अधिक उम्रवालों में २७९ प्रति सहस्र व्यक्तियों को हुई । जहाँ तक उन जीर्ण रोगों का प्रश्न है, जिन्हें सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में अस्थायी बीमारियाँ कहा गया है, ये बीमारियाँ सभी उम्र के लोगों में ३६ प्रति सहस्र व्यक्तियों को और ६५ वर्ष से ऊपर के लोगों में ११४ प्रति सहस्र व्यक्तियों को

(१५) लूइस आई० डब्लिन का "सिग्नीफिकैण्ट ट्रेण्ड्स इन द हेल्थ आफ दी एजिंग" शीर्षक निबन्ध निम्नलिखित ग्रन्थ में संकलित है—बर्थडेज डोण्ट काउण्ट—न्यूयार्क स्टेट ज्वाइण्ट लेजिस्लेटिव कमिटी आन प्राब्लम्स आफ एजिंग, न्यूबर्ग, न्यूयार्क, १९४८, पृ० १८९–१९४ ।

हुई । प्रतिवेदन में जिन्हें स्थायी जीर्ण रोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वे सभी उम्र के लोगों में १२ प्रति सहस्र व्यक्तियों को तथा ६५ वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले लोगों में ६३ प्रति सहस्र व्यक्तियों की हुईं । प्रतिवेदन में प्रतिवर्ष अक्षम होने वाले व्यक्तियों की अक्षमता के दिनों की गणना भी की गयी है । सभी उम्र के लोगों में प्रतिवर्ष हर व्यक्ति औसतन सौ दिनों में ९.९ दिन अक्षम रहता था, किन्तु ६५ वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में हर व्यक्ति प्रतिवर्ष औसतन १०० दिनों में से ३६.१ दिन तक अक्षम रहता है[१६] ।

उपर्युक्त आँकड़ों का समर्थन राजकीय स्वास्थ्य-अधिकारियों, सामान्य चिकित्सकों तथा अन्य चिकित्सा-विशेषज्ञों, जैसे जराव्याधि-चिकित्सक आदि, के अनुभवों से भी होता है । वृद्धावस्था और वृद्धों से सम्बन्धित सभी समस्याओं और रोगों विषयक चिकित्साशास्त्र में, जिसे वृद्ध रोग-विज्ञान (जीराण्टालाजी) कहा जाता है, रुचि लेने वाले उपर्युक्त सभी चिकित्सक यह अनुभव करते हैं कि वर्तमान समय में वृद्धों के सेवा-कार्यों का महत्त्व और आवश्यकता वैसी ही है जैसी आज से ५० वर्ष पूर्व बच्चों के सेवा-कार्यों की थी । जो लोग अपने उपयोगितापूर्ण जीवन की उम्र बिता चुके हैं, वे अब भी समाज की महत्त्वपूर्ण परि-सम्पत्ति हैं । अतः व्यावहारिक चिकित्सा तथा चिकित्सा-अनुसन्धान का सर्वोत्तम कार्य यही हो सकता है कि वृद्ध व्यक्तियों की इस तरह सहायता की जाय कि वे वृद्धावस्था में भी अपने लिए तथा दूसरों के लिए उपयोगी बने रह सकें । चिकित्सा-विज्ञान का लक्ष्य केवल वृद्धों की बीमारियाँ दूर करना या कम करना ही नहीं है, बल्कि उनके निरोध पर अधिक बल देना भी है । उसका एक लक्ष्य वृद्धावस्था में व्यक्ति को स्वस्थ बनाये रखना तथा इस तरह सन्तोषपूर्ण जीवन बिता कर दूसरों को सन्तोष प्रदान करना भी है । ये विचार जब मानवतावादी धारणा पर या वास्तविकतापूर्ण सामान्य विवेक पर आधारित होंगे तभी वृद्ध व्यक्तियों को जबर्दस्ती पराश्रित और उत्पादन-क्षमता से रहित बनाने की जगह उन्हें उत्पादन के योग्य और स्वावलम्बी बनाया जा सकेगा । एक दृष्टि यह भी है कि समाज ने इन व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव की सुविधाएँ देकर उनमें जो

(१६) जी० सेण्ट जे० पेराट, मार्कस एस० गोल्डस्टाइन और सेलविन डी० कालिन्स का "हेल्थ स्टेट्स ऐण्ड हेल्थ रिक्वायरमेण्ट्स आफ ऐन ऐंजिंग पापुलेशन" शीर्षक निबन्ध जो निम्नलिखित पुस्तिका में प्रकाशित हुआ है—इलनेस ऐण्ड हेल्थ सर्विसेज इन ऐन एंजिंग पापुलेशन—पब्लिक हेल्थ सर्विस पब्लिकेशन, संख्या १७०, वाशिंगटन, डी० सी०, फेडरल सेक्योरिटी एजेन्सी; १९५२ ।

लागत लगायी है उसका लाभ उनसे उस समय भी उठाया जाना चाहिए जब कि उनकी उम्र अधिक हो चुकी है अर्थात् वे वृद्ध हो चुके हैं।

वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित उपर्युक्त सामग्री का महत्त्व केवल वर्तमान समय के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी है क्योंकि आबादी में उन लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है जो शीघ्र ही वृद्ध हो जाने वाले हैं। इसका महत्त्व स्वास्थ्य-सम्बन्धी सेवाओं और सुविधाओं की दृष्टि से तो है ही, नौकरी, आवास, मनोरंजन और समुदाय की सामाजिक सेवाओं की दृष्टि से भी बहुत अधिक है।

जरा और व्यक्तित्व

अपने पूरे जीवन में हम सबको बराबर सामंजस्य करते रहना पड़ता है। वृद्ध व्यक्ति भी इसके अपवाद नहीं हैं। हर उम्र की आवश्यकताएँ या शर्तें अलग-अलग होती हैं जिन्हें पहिचाना जा सकता है। भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं वाली ये अवस्थाएँ हैं—शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था (वयस्कता), प्रौढ़ावस्था (परिपक्वता), प्रौढ़ोत्तर-अवस्था, प्रारम्भिक वृद्धावस्था और वृद्धावस्था। मानव होने के नाते हम किसी-न-किसी रूप में भावात्मक सुरक्षा और पर्याप्तता की भावना से सम्बन्धित अपनी आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति करते रहते हैं। शायद उपर्युक्त अवस्थाओं में से कुछ में, जैसे—किशोरावस्था में, आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सन्तोष की उपलब्धि के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएँ उपस्थित होती हैं जो हतप्रभ कर देने वाली होती है, पर अधिकांश व्यक्ति उन बाधाग्रस्त अनुभवों की स्थिति से किसी-न-किसी प्रकार बच निकलते है। यहाँ यह कहना हमारा उद्देश्य नहीं है कि किशोरावस्था के समान वृद्धावस्था भी जटिलताग्रस्त और नैराश्योत्पादक होती है; फिर भी वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने जीवन में अर्जित सभी साधनों या स्रोतों को जुटाने का प्रयास करता है, पर साथ ही उसे जीवन की अन्तिम परिणति अर्थात् मृत्यु भी बहुत दूर नही दिखाई देती। अतः जीवन की अन्तिम परिणति के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण पर ही वृद्धावस्था में उसका सन्तोष-असन्तोष अथवा सुख-दुःख निर्भर करता है।

कोई व्यक्ति अपने जीवन के अन्तिम वर्षों का कैसे उपयोग करता है या ये अन्तिम वर्ष उस व्यक्ति को किस रूप में प्रभावित करते हैं, यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, उस व्यक्ति ने अपनी वृद्धावस्था के पूर्व के जीवन का संघटन किस रूप में किया था? उसने अपने जीवन में असफलताओं, विपत्तियों, सफलताओं, दुर्घटनाओं तथा बीमारियों का सामना किस रूप में किया था अथवा परिवर्तनों को किस रूप में स्वीकार किया था? अन्य व्यक्तियों, जैसे अपने कुटुम्बियों, सहयोगियों, साथ काम करने वालों

तथा अपने शत्रुओं के साथ उसके सम्बन्ध का स्वरूप क्या था ? उसकी प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोण का स्वरूप आक्रमणात्मक था या स्वीकारात्मक, आत्मनिर्भरतामूलक था या परावलम्बनमूलक, कठोर था या कोमल और लचकदार ? इन्ही प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उन तीन क्षेत्रों के—परिवार, रोजगार और स्वास्थ्य—सम्बन्ध में, जिनमें परिवर्तन घटित होने की सम्भावना रहती है, यहाँ विचार किया जा रहा है ।

परिवार बनते हैं । बच्चे पैदा होते, बढ़ते, काम-धन्धे में लगते, विवाह करते तथा अपने रास्ते पर बढ़ते हुए अपने परिवार का निर्माण करते हैं । परिवार के संव्यूहन में से जब कोई व्यक्ति इस प्रकार अलग होने लगता है तो ऐसे हर परिवर्तन के साथ परिवार के विभिन्न व्यक्तियों के मन पर भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएँ होती है । वृद्धावस्था की ओर बढ़ने वाले माता-पिता के लिए पुत्र के अलग होकर अपनी गृहस्थी की व्यवस्था करने की बात प्रीतिकर भी हो सकती है और दुःखकर भी । प्रीतिकर होने पर माता-पिता उसके लिए सहर्ष अनुमति दे देते हैं और प्रीतिकर न होने पर वे पुत्र पर अधिकाधिक प्रभुत्व बनाये रखकर उसे अंकुश में रखना चाहते हैं अथवा अन्य सूक्ष्म भावात्मक प्रक्रियाओं द्वारा उसको काबू में रखने का प्रयत्न करते है । पुत्र के सामने भी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उसके, अपने परिवार से अलग होकर, एक नया परिवार बनाने का अर्थ यह लगाया जायगा कि वह अपने माता-पिता को ऐसे समय में त्याग रहा है जब कि वृद्धता के कारण उन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी । माता-पिता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस बात के लिए भी प्रयत्न कर सकते हैं या करते है कि नव-विवाहित पुत्र उनके साथ या उनके पास ही कही रहे अथवा यदि अलग रहना आवश्यक हो तो वह नियमित रूप से उनसे मिलता-जुलता रहे तथा छोटे-बड़े सभी कामों के बारे में निर्णय करते समय उनसे राय लिया करे । इसके विपरीत कुछ माता-पिता ऐसे भी होते हैं जो पुत्र के अलग गृहस्थी बसाने के निर्णय का स्वागत करते हैं तथा यह सोचते हैं कि पुत्र के भरण-पोषण, शिक्षा आदि का उनके ऊपर जो बोझ था उससे उन्हें अब मुक्ति मिलेगी तथा अब तक पुत्र एवं परिवार के पालन में अपनी सब आर्थिक शक्ति लगा देने के कारण वे अपनी जिन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सके थे उनकी पूर्ति का अवसर मिलेगा । जो माता-पिता रचनात्मक क्षमता से युक्त होते हैं उन्हें पुत्रों के स्वावलम्बी हो जाने से और भी प्रसन्नता होती है क्योंकि पुत्र के भार से मुक्त हो जाने पर वे अपने जीवन और कार्य-पद्धति को सन्तोषजनक रीति से, नये सिरे से व्यवस्थित कर सकते हैं ।

परिवार की स्थिति में एक और परिवर्तन उस समय उपस्थित होता है जबकि वयस्क दम्पती में किसी एक की मृत्यु हो जाती है और गृहस्थी की व्यवस्था नये सिरे से करनी पड़ती है । एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि परिवारी पति-पत्नी में से पहले पत्नी की

ही मृत्यु हो जाती है (सांख्यिकी से तो यही पता चलता है कि स्त्रियाँ, पुरुषों से अधिक दिनों तक जीवित रहती हैं)। उस समय सबसे बड़ी समस्या तो आवास-व्यवस्था की होगी और ये प्रश्न उठेंगे कि मृत व्यक्ति की विधवा पत्नी अपने पहले वाले ही घर में रहे या उसे छोड़कर उस पुत्र के साथ रहने के लिए चली जाय जो विवाहित होने के बाद से अपने माता-पिता से अलग रहता है या वह कोई अन्य मकान लेकर रहे या किसी संस्था में चली जाय या अपने पति के साथ वह जिस प्रकार के काम-धाम करती थी उन्हें वह जारी रखे अथवा वह फिर वे ही काम शुरू करे जिन्हें उसने बच्चों के पालन-पोषण के झंझट के कारण बन्द कर दिय थे ? यह भी देखना होगा कि उस विधवा स्त्री में जीवन के प्रति किस प्रकार की अभिरुचि शेष बची है। क्या पति की मृत्यु के कारण उसे इतना सदमा पहुँचा है कि जीवन उसके लिए अर्थहीन हो गया है ? क्या वह अब अकेली ही नये सिरे से अपना जीवन प्रारम्भ कर सकती है या जल्दी से जल्दी उसके मन में मर जाने की इच्छा है ? ठीक इसी प्रकार के प्रश्न उस स्थिति में भी उत्पन्न होते हैं जबकि पत्नी की मृत्यु हो जाती है और पति बचा रहता है।

इस समस्या का एक तीसरा पक्ष घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रों की मृत्यु से या प्रवास से सम्बन्धित है। मृत्यु या प्रवास के कारण ये मित्र इतने दूर हो जाते हैं कि पुनः उनका साथ प्राप्त होने की या तो बिलकुल सम्भावना नही होती या बहुत कम सम्भावना रहती है। सपत्नीक या अपत्नीक व्यक्ति को इस घटना के कारण भी काफी परेशानी होती है क्योंकि उम्र बढ़ जाने के बाद वह नये मित्र बना नहीं सकता है। वृद्धावस्था में जब व्यक्ति नयी पीढ़ी के लोगों से घिरा रहता है तब भी वह अपने को अकेला ही पाता है और इस कारण उसे और भी बेचैनी रहती है।

इस पूरे अध्याय में इस बात की चर्चा बार-बार की गयी है कि ६५ वर्ष की उम्र में अनिवार्य सेवा-निवृत्ति होनी चाहिए या नहीं ? अब तक इतना तो स्पष्ट ही हो गया होगा कि इन पंक्तियों के लेखक का मत यह है कि सेवा-निवृत्ति की उम्र निर्धारित करने में ६५ वर्ष की उम्र का कड़ाई से पालन नहीं होना चाहिए और सेवा-निवृत्ति-काल का निर्णय व्यक्ति की स्थिति के अनुसार होना चाहिए। यह कथन केवल भावुकता पर आधारित नहीं है; इसमें व्यक्ति से सम्बन्धित बातों के अतिरिक्त व्यापक राजनयिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों से सम्बन्धित बातें भी सन्निहित हैं।

आधुनिक समाज में व्यक्ति के लिए काम एक आधार-भूत अर्थ रखता है। काम के कारण न केवल व्यक्ति के समय का उपयोग होता है, बल्कि उससे व्यक्ति अपनी अन्तर्निहित क्षमताओं की बाह्याभिव्यक्ति भी करता है और साथ ही कुछ धन भी कमाता है जिससे वह अपना तथा अपने आश्रितों का भरण-पोषण करता है। काम तथा उससे होने वाली

आय के कारण समाज में व्यक्ति को सम्मानपूर्ण स्थान मिलता है, अतः अन्य व्यक्तियों द्वारा मनमाने ढंग से निश्चित एक विशेष उम्र में जब व्यक्ति को विवश होकर सेवा-निवृत्त होने के कारण काम छोड़ना पड़ता है उस समय उसके सामने अपने को नये सिरे से व्यवस्थित करने की समस्या उपस्थित होती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं। कुछ व्यक्ति तो सेवा-निवृत्ति का विरोध करते तथा अपने को और अन्य व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे अभी काम करने के योग्य हैं। दूसरे व्यक्ति चुप मारकर बैठ जाते और हार मान लेते हैं क्योंकि उनके भीतर विरोध करने की शक्ति नहीं होती और न तो उनके पास ऐसे साधन ही होते हैं कि सेवा-निवृत्ति के बाद के कठिन काल में धैर्य पूर्वक अपने जीवन को नये सिरे से व्यवस्थित कर सकें। कुछ अन्य व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी दूसरों पर रोब जमाने और अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखने की पूर्ववर्त्ती प्रवृत्ति सेवा-निवृत्ति के बाद एकदम समाप्त हो जाती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सेवा-निवृत्ति के बाद आय में कमी हो जाने के कारण बिलकुल असहाय हो जाते तथा दूसरों के ऊपर बोझ बन जाते हैं। ऐसे अधिकांश व्यक्ति सेवा-निवृत्ति के बाद प्रारम्भ के कुछ दिनों तक सामाजिक सुरक्षा-कार्यक्रम के अन्तर्गत किंचित् आर्थिक सहायता भी प्राप्त करते हैं और कभी-कभी उसके साथ ही पूरक रूप में राजकीय सहायता भी पाते हैं। इस प्रकार की सहायता के कारण उनके मन में यह भावना भी उठती है कि उनके संघर्षमय जीवन का अन्तिम काल सम्मानपूर्ण नहीं रह गया है।

किन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके लिए सेवा-निवृत्ति अर्थात् नौकरी के त्याग का अर्थ तबाही या विनाश नहीं होता। वे इतनी आय कर लेते हैं कि समाज में अपना सिर ऊँचा करके चल सकते हैं, अथवा जीवन में जिस फुरसत या अवकाश की कमी का अनुभव वे हमेशा से करते आये थे, सेवा-निवृत्ति के बाद वह उन्हें मिल पाती हैं और इस अवकाश का उपयोग वे अपनी अभिरुचि के कामों या उद्योगों में करते हैं। इसके अतिरिक्त सेवा-निवृत्ति के बाद उन्हें सामाजिक कार्य करने के लिए भी समय और अवसर मिलने लगता है। यही नहीं, सेवा-निवृत्ति के बाद ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के उन इने-गिने दिनों का, जब तक कि उन्हें इस दुनिया में रहना है, उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए भी कर सकते हैं।

हम में से अधिकतर लोग जीवन भर अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता का अनुभव करते और उसके महत्त्व को जानते हैं। शायद वृद्धावस्था में इसकी ओर हमारा ध्यान जितना अधिक रहता है उतना इसके पूर्व जीवन की अन्य किसी अवस्था में नहीं रहता। किन्तु इस उम्र में शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया के चंगुल में हम इस तरह फँस जाते हैं कि

जीवन का जो भी साज-सामान हमारे पास रहता है उसे लेकर हम अपने मार्ग पर भाग पड़ते हैं (या चलने लगते, अथवा लँगड़ाते हुए चलने लगते या रेंगने लगते हैं) । कुछ लोगों के लिए तो बुढ़ापा जीर्ण रोग और अक्षमता का घर बन जाता है और इसी कारण जीवन उनके लिए भारी बोझ का रूप धारण कर लेता है । किन्तु दूसरे कुछ लोग वृद्धावस्था में शरीर की इस अक्षमता या कमजोरी को स्वीकार ही नहीं करते और वृद्धावस्था की वास्तविकता की ओर से आँख मूँद कर अपने शेष जीवन का पूर्ण उपभोग कर लेना चाहते हैं । इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वृद्धावस्था की उस वास्तविकता को पहिचान कर और शरीर-यंत्र की स्वाभाविक शिथिलता के तथ्यों को स्वीकार करके अपने जीवन की गति धीमी कर देते और उसी के अनुसार अपनी आदतों और प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन लाने तथा उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हैं । जो व्यक्ति वृद्धावस्था में अपनी आदतों में परिवर्तन कर सकते हैं उनके जीवन-वृत्त के अध्ययन से पता चल सकता है कि जवानी के दिनों में भी वे इस प्रकार का परिवर्तन लाने या अपने को पुनर्व्यवस्थित करने में आनाकानी नहीं करते थे ।

वृद्धों की वैयक्तिकीकृत सेवा

प्रायः, यह कह दिया जाता है कि वृद्धावस्था एक समस्या या सामाजिक समस्या है, पर इस सम्बन्ध में लोग अधिक सोच-विचार नहीं करते हैं । किन्तु यह एक विचारणीय विषय है कि वृद्धता-जैसी अत्यन्त नैसर्गिक शारीरिक प्रक्रिया को समस्या कहना कहाँ तक उचित है । यदि वृद्धावस्था एक समस्या है तो उसी तरह बच्चों के जन्म, विकास और मनुष्य की मृत्यु को भी समस्या कहना चाहिए । इस कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि उपर्युक्त नैसर्गिक तथ्यों या प्रक्रियाओं से सम्बन्धित कोई कठिनाई होती ही नहीं, इसके विपरीत हमारा कहना यह है कि ये कठिनाइयाँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि शरीर की नैसर्गिक प्रक्रियाओं में निहित आवश्यकताओं की पूर्ति हम करते हैं या नहीं । इन्हीं आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति की पद्धतियों के आधार पर ही हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी सोचना या उनसे सम्बन्धित सेवाओं का स्वरूप-निर्धारण करना चाहिए ।

क्या अन्य व्यक्तियों के समान ही वृद्धों को भी सुरक्षा तथा प्यार की आवश्यकता नहीं होती ? क्या वृद्ध व्यक्ति भी औरों की तरह यह नहीं चाहते कि लोग उनको अपने लिए आवश्यक और उपयोगी समझें ? क्या वे भी इस आवश्यकता का अनुभव नहीं करते कि अन्य लोगों के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए और अपने चतुर्दिक् के संसार की गतिविधि में उनको भी समुचित स्थान मिलना चाहिए ? इस प्रकार के असंख्य प्रश्न उपस्थित किये जा सकते हैं और उन सबका उत्तर 'हाँ' में दिया जा सकता है । किन्तु

यहाँ उन प्रश्नों को छोड़कर केवल उन कठिनाइयों पर ही विचार करना अधिक उपयोगी होगा जो वृद्धावस्था की स्थिति के कारण उत्पन्न होती या विकसित होकर गम्भीर रूप धारण करती हैं और इस विषय पर भी विचार करना अत्यन्त लाभकर होगा कि अन्य लोग अपने चतुर्दिक् के परिवेश से जिस सीमा तक या जिस रूप में प्रभावित होते हैं उसका इन वृद्धों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

व्यक्ति वयस्क होने पर विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है और परिवार बढ़ाता है। यदि वह कुछ धन कमाता है तो उसी धन से परिवार का पालन करता है, उसी के सहारे बच्चे स्कूल में पढ़ते और भविष्य में अपने जीवन-यापन की तैयारी करते हैं। इस तरह परिवार में दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी पर आश्रित रहती है अर्थात् उन दोनों पीढ़ियों में आश्रित और आश्रयदाता का सम्बन्ध रहता है। फिर दूसरी पीढ़ी वाले बच्चे बड़े होते, विवाह करते, बच्चे पैदा कर परिवार बढ़ाते तथा स्वयं अपने परिवार का भरण-पोषण करने लगते हैं। इस तरह अपने आप दोनों पीढ़ियों के परिवार अलग-अलग होकर समानता के स्तर पर रहने लगते हैं। इसी बीच पहली पीढ़ी के लोग अर्थात् माता-पिता वृद्ध होकर विवशतापूर्वक सेवा-निवृत्त हो जाते या स्वेच्छा से काम-धाम से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार श्रम के क्षेत्र से अलग हो जाने के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ उनका सम्पर्क बहुत सीमित हो जाता है। परिणाम यह होता है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है पहली पीढ़ी के लोग उत्तरोत्तर दूसरी पीढ़ी पर आश्रित होते जाते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका पहले वाला सम्बन्ध उलट जाता है अर्थात् आश्रयदाता आश्रित बन जाते और आश्रित आश्रयतादा बन जाते हैं।

इन तथा कुछ अन्य परिवर्तनों के कारण वृद्ध व्यक्तियों के मन में जो भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, परिवार के लोगों तथा विशेष रूप से सामाजिक कार्यकर्ताओं को उन्हें सहानुभूति-पूर्वक समझने का प्रयत्न करना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति भले ही कुछ न कहें, किन्तु पारिवारिक स्थिति-सम्बन्धी इन परिवर्तनों तथा अपनी सामाजिक पदच्युति के कारण वे धीरे-धीरे आत्म-सम्मान खोने लगते हैं और क्रमशः उनके मन में यह भाव स्थिर हो जाता है कि वे दूसरों पर आश्रित हैं। उनके भीतर अनेक प्रकार के भय जो प्रायः अस्पष्ट और निराधार होते हैं, उत्पन्न होकर उन्हें पीड़ित करने लगते हैं। वे यह सोचते लगते हैं कि वे बिलकुल अकेले हैं, भले ही वे कुटुम्बियों आदि के निकट ही रहते हों; और इस अकेलेपन की भावना का उनके ऊपर बहुत ही विनाशक प्रभाव पड़ता है।

वृद्ध व्यक्तियों पर उनकी इन भावनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है और जिन परिस्थितियों में वे रहते हैं उनकी उन पर क्या प्रतिक्रिया होती है? सामाजिक कार्यों द्वारा उनकी किस प्रकार सहायता और सेवा की जाती है? अधिकतर उदाहरणों में, और विशेषकर वृद्धों

के मामलों में, सहायता के रूप में व्यक्ति को व्यवस्थित करने के लिए जो भी प्रयत्न किये जाते हैं वे उनके पूर्ववर्ती जीवनानुभवों को ध्यान में रख कर ही किये जाते हैं। जिनका वृद्धावस्था के पूर्व का जीवन सन्तोषजनक रहा है, जिन्होंने दूसरों को प्यार किया है तथा सुरक्षा दी है और जिन्हें दूसरों ने प्यार किया है और सुरक्षा दी है, जिन्होंने दूसरे व्यक्तियों के साथ तथा विभिन्न परिस्थितियों के बीच अपने जीवन का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है और इन सब स्थितियों से गुजरते हुए जिन्होंने अपने जीवन का विकास किया है और वयस्कता प्राप्त की है, वे व्यक्ति अपने ऊपर वृद्धता द्वारा बलपूर्वक आरोपित अभावों और परिसीमाओं का धैर्यपूर्वक और बिना घबराहट के सामना करते हैं। कठिनाइयाँ और परेशानियाँ उनके सामने भी आती हैं, पर उनके कारण वे निराशा और कुण्ठा के शिकार नही होते और न तो वे निरन्तर अपने बचाव के लिए विविध उपायों का अवलम्बन करने का ही प्रयत्न करते हैं।

वृद्धों की सहायता की दिशा में सामाजिक कार्य की सबसे महत्त्वपूर्ण देन यह है कि सिद्धान्ततः सामाजिक कार्यकर्ता वृद्ध को भी एक व्यक्ति ही समझता है और इस बात पर बल देता है कि सामाजिक कार्य-सम्बन्धी प्रत्येक योजना या कार्यक्रम में उपर्युक्त सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का उद्देश्य निहित होना चाहिए। यह एक अत्यन्त स्पष्ट और निर्विवाद स्थिति प्रतीत हो सकती है, किन्तु वर्तमान समय में प्रचलित सिद्धान्तों और व्यावहारिक पद्धतियों का विवेचन करने पर पता चलता है कि ६५ वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को एक ही वर्ग में रख देने की पद्धति केवल सुगमता के लिए अपनायी जाती है, और यह बनी बनायी मान्यता भी केवल श्रम से बचने तथा आसानी के लिए स्वीकार कर ली जाती है कि इस वर्ग के लोगों के लिए निर्णय करने तथा कार्यक्रम बनाने का कार्य दूसरे लोगों को करना चाहिए। उदाहरण के लिए इस विवाद की कि सेवा-निवृत्ति की उम्र ६५ वर्ष रखने का कोई तर्कपूर्ण आधार है या नहीं मुख्य स्थापना यही है कि ६५ वर्ष (अथवा ६० या ७० वर्ष) की उम्र वाले सभी व्यक्तियों को एक ही वर्ग में रखना चाहिए तथा उस वर्ग के लोगो के हितों के सम्बन्ध में निर्णय करने का काम दूसरों को करना चाहिए। इसी तरह हम अपने प्रति कितने भी निश्छल क्यों न हों, पर हम लोग भी आसानी के लिए सभी सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को एक ही वर्ग में डाल कर उनकी सहायता के कार्यक्रम बनाने और चलाने लगते है चाहे वे व्यक्ति विवशतापूर्वक सेवा-निवृत्त हुए हों या स्वेच्छापूर्वक। निश्चय ही हम लोग यह काम बहुत ही पवित्र भावना से करते हैं, किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि हम इस तरह हमेशा यह भुला दिया करते हैं कि सेवा-निवृत्त वृद्ध व्यक्ति भी मानव है, अतः उनकी सहायता का कार्य उनके सहयोग से ही होना चाहिए, न कि उनके ऊपर लादा जाना चाहिए।

प्रश्न है कि वे विश्वास और सिद्धान्त क्या हैं जिनके ऊपर सामाजिक सेवा के कार्य आधारित होनें चाहिए। पहला सिद्धान्त तो यह है कि व्यक्ति के मूल्य और महत्त्व में हमारा विश्वास होना चाहिए। यह सही है कि यह सिद्धान्त न तो नया है, न मौलिक ही और न केवल सामाजिक सेवा के क्षेत्र का अपना निजी सिद्धान्त। किन्तु इसकी नवीनता और विचित्रता उन पद्धतियों या प्रक्रियाओं में है जिनके द्वारा उक्त सिद्धान्त को व्यवहार-रूप में परिणत किया जाता है। दूसरा सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सम्बन्ध में ऐसे निश्चय और निर्णय करने का अधिकार है जो उसकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से सम्बन्ध रखते हैं और प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता को व्यक्ति के इस मूल अधिकार के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। यह सिद्धान्त सामान्य रूप में बहु प्रचलित इस मान्यता के विपरीत है कि व्यक्ति स्वयं अपने सम्बन्ध मे उचित निर्णय नहीं कर सकता, अतः उसके लिए दूसरों को निर्णय करना चाहिए। तीसरा सिद्धान्त यह है कि व्यक्ति की गोपनीय बातों और भावनाओं पर विचार करना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति सहायता की याचना करता है तो इसका यह अर्थ नही है कि वह सहायता प्राप्त करने के बदले अपनी गोपनीय बातों और भावनाओं का बलिदान कर देना चाहता है। चौथा सिद्धान्त यह है कि व्यक्ति की स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता में कार्यकर्ता को विश्वास और उसके प्रति आदर होना चाहिए क्योंकि परिवर्तन के कारण ही व्यक्ति का विकास होता है और वह परिवर्तित परिस्थितियों तथा नये व्यक्तियों के साथ अपना सामाञ्जस्य-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर सकता है।

शैक्षणिक सेवाएँ

शिक्षा-सिद्धान्त को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त करते हुए कहा जा सकता है, और इस कथन में पर्याप्त पूर्णता भी है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल वर्तमान को ही नहीं भविष्य को भी ध्यान में रखकर निर्दिष्ट होता है। इस तरह प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा का उद्देश्य बालक की नैसर्गिक क्षमताओं का परिष्कार और विकास करना तथा विकास की अगली मंजिलों के लिए उसे तैयार करना होता है। उसी तरह बाद की मंजिलों में भी शिक्षा का उद्देश्य भावी जीवन की तैयारी करना ही होता है ताकि वयस्क होकर परिपक्व अवस्था में पहुँचने अथवा वृद्ध हो जाने पर व्यक्ति सन्तोषजनक रीति से अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए जीवन बिता सके। जब हम यह समझ लेंगे कि जीवन भर व्यक्ति औरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का जो प्रयत्न करता है वह कितना महत्त्वपूर्ण है और वृद्धावस्था में उसके तत्सम्बन्धी प्रयत्नों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है तो यह स्पष्ट हो जायगा कि जीवन की प्रक्रिया में बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक किस प्रकार का नैरन्तर्य होता है।

उपर्युक्त विवेचन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि प्रायः बिना तर्क या प्रमाण के सहज रूप में यह मान्यता स्वीकार कर ली जाती है कि वृद्ध व्यक्तियों की शैक्षणिक सेवा का कार्य उस समय प्रारम्भ होना चाहिए जब कि वे ६५ वर्ष की उम्र के हो जायें। हम जानते हैं कि इस देश (अमेरिका) में वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आजीवन शिक्षित करते रहना है, विशेष रूप से वृद्धों को शिक्षित करने का उसका उत्तरदायित्व और भी अधिक है क्योंकि विशेष रीति से शिक्षित होने पर ही वे अपनी क्षमता का उचित उपयोग करते रह सकते हैं तथा समाज के एक सक्रिय सदस्य के रूप में उसके कामों में योगदान भी कर सकते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा का (अथवा शिक्षाशास्त्रियों का) यह उत्तरदायित्व किस मात्रा में पूरा किया गया है, इसे जानने के लिए यह ज्ञान होना आवश्यक है कि उन क्षेत्रों में शिक्षा का नेतृत्व किन लोगों के हाथ में है। कुछ क्षेत्रों में इस दिशा में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं ने उद्योग-धन्धों के मालिकों या अधिकारियों को इस बात के लिए राजी करने में सफलता प्राप्त की है कि वे वृद्ध मज़दूरों को सेवा-निवृत्ति (जो उम्र-सम्बन्धी लचीले नियमों पर आधारित होनी चाहिए) के बाद के लिए तैयारी करने के कार्य में उनकी सहायता करें अथवा सेवा-निवृत्ति के बाद भी बहुत दिनों तक उपयोगी बने रहने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने का प्रयत्न करें। यह नेतृत्व कभी-कभी विभिन्न सामुदायिक अभिकरणों—जैसे चर्च, क्लब, पुस्तकालय, संग्रहालय, कल्याणकारी समूहों आदि—के माध्यम से प्रकट होता है जो वृद्धों के लिए अनेक प्रकार के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चलाते हैं। ऐसा भी प्रायः होता है, यद्यपि यह बहुत सामान्य प्रवृत्ति नहीं है, कि शिक्षा संस्थाएँ, अपने उत्तरदायित्व का अक्षरशः निर्वाह करने के उद्देश्य से सभी उम्र वाले लोगों की शिक्षा की व्यवस्था आयु-वर्ग के आधार पर करतीं और प्रायोगिक रूप में अपने साधनों और कर्मचारी-वर्ग का उपयोग वृद्धों तथा अन्य लोगों की शैक्षणिक सेवा-सम्बन्धी कार्यक्रमों के संचालन में करती है। इस प्रकार का महत्त्वपूर्ण सेवा-कार्य करने वाली कुछ प्रमुख शिक्षा-संस्थाओं के नाम ये हैं—क्लीवलैण्ड कालेज, शिकागो विश्वविद्यालय, इलिनोइस विश्वविद्यालय, मिशिगन विश्वविद्यालय और सिराक्यूज विश्वविद्यालय।

इस समय इस सम्बन्ध में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया है कि विश्वविद्यालयों में वृद्धों की शिक्षा की व्यवस्था करना उचित है या नहीं और कुछ लोगों का यह स्पष्ट मत है कि जो विश्वविद्यालय वृद्धों के लिए शिक्षात्मक-कार्यक्रम चलाते हैं उन्हें यह कार्य बन्द कर देना चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों की यह हार्दिक इच्छा होती है कि वे समाज के अन्य उम्रवाले व्यक्तियों से पृथक् न किये जायँ, बल्कि उन्हें भी समस्त आबादी के एक अंग के रूप में सबके साथ रखा जाय। यदि उनकी इस भावना को ध्यान में रख कर देखा

जाय तो मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों पर उदारतापूर्वक विचार करना तथा उसके पक्ष में मत देना आवश्यक प्रतीत होगा। मिशिगन में वृद्धों को शिक्षा इस आधार पर दी जाती रही है कि उन्हें प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायगा और कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यद्यपि ऐसी कक्षाओं में अधिकतम संख्या वृद्ध व्यक्तियों की ही रहती है, पर उनमें बैठकर शिक्षा प्राप्त करने वालों में १० वर्ष से लेकर ८० वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति हुआ करते हैं। उन लोगों में पेशेवर कार्यकर्ता, परिवारों के सदस्य, जिनमें वयस्क माता-पिता भी सम्मिलित होते हैं तथा वृद्ध व्यक्ति सभी होते हैं। पेशेवर कार्यकर्ता ऐसी कक्षाओं में इसलिए सम्मिलित होते हैं कि वे अपनी उपयोगिता बढ़ाने के लिए अर्थात् सेवा करने की अपनी योग्यता की वृद्धि के लिए वृद्धता के सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। परिवारो के वयस्क सदस्य इन कक्षाओं में इसलिए जाते हैं कि वे अपने साथ रहने वाले वृद्धों की आवश्यकताओं को समझने की पर्याप्त योग्यता हासिल कर सकें। वृद्ध व्यक्ति इन कक्षाओं में इसलिए प्रविष्ट होते हैं कि वृद्धावस्था में अपने को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनके सम्बन्ध में वे विशेष जानकारी प्राप्त कर सकें और उन्हें ठीक-ठीक समझ सकें तथा उनको सुलझाने में, स्वयं तथा दूसरों की सहायता से सफलता प्राप्त कर सकें। कक्षाओं के पाठ्यक्रम पर एक सरसरी दृष्टि डालने से ही उसकी उपयोगिता तथा विषय की व्यापकता का कुछ आभास मिल जाता है। पाठ्यक्रम में जिन विषयों का सामान्य ज्ञान कराने की व्यवस्था की गयी है, उनमें से कुछ प्रमुख विषय ये हैं—वृद्धता के शरीर-वैज्ञानिक कारण, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, वृद्धावस्था में व्यक्ति के आवास तथा जीवन-यापन की व्यवस्था, उसके धार्मिक तथा रचनात्मक क्रिया-कलाप, उसकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, वसीयत उत्तराधिकार-सम्बन्धी कानूनी समस्याएँ, वृद्धों के लिए नागरिकता और मनोरंजन-सम्बन्धी कार्यों तथा अन्य प्रकार की सेवाओं को सुविधा प्रदान करने का समुदाय का उत्तरदायित्व आदि[१७]।

(१७) विल्मा डोना ह्यू का "एज विथ ए फ्यूचर" शीर्षक निबन्ध जो "सोशल वर्क इन द करेंट सीन" नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है—प्रकाशक, नेशनल कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, १९५०—पृ०, ७८। और भी देखिए; विल्मा डोना, ह्यू—"एजुकेशन्स रोल इन मेण्टेनिंग द इनडिविजुअल्स स्टेट्स"—एनल्स, जिल्द २७९, जनवरी १९५२, पृ० ११५ – १२५।

चर्च द्वारा किया जाने वाला कार्य

वृद्ध व्यक्ति चाहे नियमित रूप से चर्च में जायें या न जायें, फिर भी चर्च उनके जीवन को सुखी बनाने के कार्य में महत्त्वपूर्ण और ठोस सहायता कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि चर्च वृद्धों का एक निश्चित दिशा में मत परिवर्तन करायें अथवा भावी जीवन के लिए उनको एक निश्चित विधि से तैयार करें, इसके विपरीत उनका यह कर्त्तव्य है कि वे वृद्ध व्यक्तियों को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे वे हैं तथा उनकी इस प्रकार सहायता करें कि वे अपनी क्षमताओं का पूरी तरह और सन्तोषजनक ढंग से उपयोग कर सकें। यद्यपि अन्य सामुदायिक अभिकरण भी वृद्धों के सम्बन्ध में इसी प्रकार का सहायता-कार्य करते हैं, किन्तु चर्चों को यह कार्य करने में इस कारण अधिक सुविधा हो सकती है कि पर्याप्त कर्मचारियों और सुविधाओं के कारण वे उनकी निश्चित और पर्याप्त सहायता कर सकते हैं। इस तरह चर्च में यदि किसी वृद्ध को उपासना-सम्बन्धी शिक्षा-वृत्ति प्राप्त होती है तो उससे उस व्यक्ति को वृद्धावस्था में जो अनुभव प्राप्त होते हैं वे उस व्यक्ति के अनुभवों से अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं जो बहुत पहले से अर्थात् युवावस्था से ही इस काम में लगा हुआ है। यह बात उनलोगों पर और भी अधिक लागू होती है जिनके कुटुम्बी और घनिष्ठ मित्र मर चुके हैं या नही रह गये हैं और अब एकाकीपन ही उनके जीवन की वास्तविकता बन गया है।

यद्यपि चर्च की प्रार्थना-सभाओं की उपयोगिता कम नही है, किन्तु पादरी वृद्ध व्यक्तियों को धर्म और उपासना के सम्बन्ध में जो परामर्श देते हैं उससे उन्हे बहुत सन्तोष प्राप्त होता है; अतः पादरी के परामर्श-सम्बन्धी कार्य को प्रार्थना-सभा का पूरक कार्य कहा जा सकता है। इधर हाल में कुछ दिनों से एक नये प्रकार की मनश्चिकित्सा का प्रारम्भ हुआ है जिसे 'धर्मोपदेशकीय मनश्चिकित्सा' कहा जाता है और जो बहुत कुछ आधुनिक मनश्चिकित्सा की उपलब्धियों और सिद्धान्तों पर ही आधारित है। अनेक पादरी अपने सम्प्रदाय में दीक्षित विक्षिप्त और कठिनाई-ग्रस्त व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए मन-श्चित्सकीय पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। अस्पतालों द्वारा धर्मोपदेशकीय मनश्चिकित्सा-सम्बन्धी अनेक संस्थान स्थापित किये गये हैं जिनमें पादरियों के विक्षिप्त व्यक्तियों की, जिनमें वृद्ध व्यक्ति भी होते हैं, धार्मिक आधार पर चिकित्सा करने की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त चर्च के कार्यक्रमों के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी की जा सकती है कि पादरी वृद्ध व्यक्तियों के घर जाकर उनसे मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करें अथवा प्रार्थना-सभाओं में ही वृद्ध व्यक्तियों से मेल-जोल स्थापित करें जिससे उत्साहित होकर वृद्ध व्यक्ति स्वयं उनसे मिलने के लिए उनके घर जायें।

चर्च के भवन तथा मैदान में भी अनेक प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। चर्च के गोष्ठी-कक्षों में प्रतिदिन प्रायः हर घंटे अथवा सन्ध्या समय इस प्रकार का कोई-न-कोई कार्य होता रहता है। किसी-किसी चर्च में सामूहिक कार्यों में सहायता करने के लिए कर्मचारी भी नियुक्त होते हैं और अन्य चर्चों द्वारा इस बात की अनुमति दे दी जाती है कि अन्य सामाजिक अभिकरण इस काम के लिए उनके गोष्ठी-कक्षों का उपयोग कर सकते हैं। अतः यहाँ भी वृद्ध व्यक्ति इस प्रकार के सामाजिक कार्यों का नेतृत्व ग्रहण कर सकते हैं तथा अपने सक्रिय सहयोग द्वारा उदाहरण उपस्थित करके इस कार्य को अधिक व्यापक और प्रभावपूर्ण बना सकते हैं।

जो चर्च, जिनकी संख्या सम्भवतः अधिक नहीं हो सकती, बड़े हैं तथा जिनकी साधन-सम्पदा इतनी है कि वे समाज-सेवी कार्यकर्ताओं को अपने कमचारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं उन्हें वृद्ध व्यक्तियों की प्रत्यक्ष-सहायता का कार्य करने में विशेष सुविधा हो सकती है। अनेक समुदायों में राजकीय कल्याण-विभाग तथा अन्य सामाजिक अभिकरणों द्वारा बड़े पैमाने पर सामाजिक सेवा का कार्य किया जाता है; अतः ऐसे स्थानों पर चर्चों द्वारा स्वतन्त्र रूप से अथवा प्रतिद्वन्द्विता के भाव से सामाजिक सेवा का कार्य प्रारम्भ करने से अधिक अच्छा यह है कि उनके कर्मचारियों के सामने जो समस्याएँ आयें उन्हें वे उपर्युक्त अभिकरणों के पास भेज दें।

इस समय चर्च जो महत्त्वपूर्ण सेवा-कार्य कर रहे हैं उनमें से एक वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्थापित आवास-गृहों या संस्थाओं की सहायता का कार्य भी है। चर्चों द्वारा किये जाने वाले इस सहायता-कार्य का प्रारम्भ और विकास बहुत कुछ उसी प्रकार हुआ है जिस तरह एक शताब्दी पूर्व बच्चों की सहायता के लिए, विशेष रूप से अनाथ-बच्चों के लिए, विभिन्न सम्प्रदायो की ओर से अनेक संस्थाओं की स्थापना और संचालन किया जाता था। पिछले कुछ वर्षो में विभिन्न बाल-संस्थाओं को, जो बहुत दिनों से बाल-कल्याण-कार्य करती आ रही थी, विवश होकर आज के बदले हुए युग की परिवर्तनशील परिस्थितियों के सन्दर्भ में बालकों की आवश्यकताओं को नये ढंग से समझने का प्रयत्न करना पड़ा है और तदनुसार अपने उद्देश्यों और कार्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन करके अपनी सेवा-पद्धति में भी पर्याप्त परिवर्तन करना पड़ा है। उसी तरह आज हमें वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा उनकी सहायता के लिए संचालित विविध कार्यक्रमों के सम्बन्ध में इतनी अधिक जानकारी हो गयी है कि हम वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्थापित संस्थाओं के सम्बन्ध में नये सिरे से और अधिक गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए विवश हो गये हैं। अनेक क्षेत्रों में तो यह धारणा बलवती हो गयी है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए निर्मित संस्थाओं को वृद्धों का सामान्य संग्रहागार न बनाया जाय, वरन् इसके विपरीत सरकारी तथा गैर-सरकारी अभिकरणों

(जिनमें चर्च भी सम्मिलित हैं) को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाय कि वे उपर्युक्त संस्थाओं से बाहर अपने-अपने ढंग से इस प्रकार की सेवाओं और कार्यक्रमों का संचालन करें जिनसे वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं की, जो अन्य उम्रवाले लोगों की आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं, उचित रीति से पूर्ति हो सके। इस प्रकार केवल वृद्धों ही नहीं, बल्कि सभी वर्गों के लोगों की सहायता का कार्य करने वाले अन्य अभिकरणों के समान चर्च भी उनके साथ सहयोग करते हुए वृद्धों की सहायता मे सम्बन्धित अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं[१८]।

आवास-व्यवस्था और वृद्ध व्यक्ति

वृद्ध व्यक्तियों को प्रायः व्यवस्था-सम्बन्धी जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनमें से एक प्रमुख कठिनाई आवास-व्यवस्था की होती है। यदि किसी वृद्ध पति-पत्नी के पास कोई अपना मकान होता भी है, जिसमें वे जीवन भर रह आये हैं और जिसमें उनके बच्चे पैदा हुए तथा उनका पालन-पोषण हुआ, तो भी वृद्धावस्था में कभी-कभी उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि वे उस मकान को छोड़कर किसी छोटे मकान में रहें या अपने लड़के-लड़कियों के पास जाकर रहें। ये प्रश्न इतने आसान नहीं होते कि आसानी से उनका अन्तिम उत्तर दिया जा सके; वस्तुतः वे बहुत जटिल प्रश्न होते हैं और अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों से—जैसे आर्थिक स्थिति अथवा आय, स्वास्थ्य की स्थिति, लड़के-लड़कियों तथा मित्रों के पास पहुंच, तथा जलवायु आदि—सम्बन्धित होते हैं। वृद्ध व्यक्तियों के सम्मुख यह प्रश्न भी उपस्थित हो सकता है कि वे क्यों न किसी संस्था में जाकर रहें? ऐसे प्रश्नों पर उन्हें गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

वृद्ध व्यक्तियों की यह इच्छा प्रायः अधिक बलवती होती है कि वे अपने पुराने मकान के परिचित वातावरण में ही अधिक-से-अधिक जितने दिनों तक रह सकें, रहें। उनकी इच्छा किसी संस्था में रहने की इसलिए नहीं होती कि संस्था के प्रति उनकी कोई दिलचस्पी नही होती। वे जिस परिचित वातावरण में जीवन बिता चुके हैं उसी का अंग बनकर रहना चाहते हैं और यह पसन्द नहीं करते कि सक्रिय जीवन वाले नयी उम्र के लोगों से विच्छिन्न करके उन्हें किसी संस्था के अपरिचित वातावरण में ढकेल दिया जाय। कहा

(१८) पाल बी० मेव्स और जे० लेनार्ट सीडरलीफ—"ओल्डर पीपुल एण्ड द चर्च"—टेन नासविले, एंविंग्डन कोक्सबरी प्रेस, १९४९।

जा सकता है कि इस कथन में अव्याप्ति दोष है और इस बात के प्रमाण दिये जा सकते हैं कि इस प्रकार की संस्थाओं तथा उनमें रहने वालों की संख्या देश भर में उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि भले ही कुछ वृद्ध व्यक्ति संस्थाओं में रहना पसन्द करते हो, पर ऐसे वृद्धों की संख्या बहुत अधिक है जो किसी संस्था में जाकर रहने की जगह अपने रहने की कोई अन्य व्यवस्था करना अधिक पसन्द करते है।

अकेले रहने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह बात विशेष रूप से तब लागू होती है जब वृद्ध व्यक्ति के साथ केवल उसकी वृद्धा पत्नी होती है अथवा वह बिलकुल अकेला होता है या घर में अकेली विधवा वृद्धा होती है। पति-पत्नी को वृद्धावस्था के पूर्व अपने बाल-बच्चों और परिवार के बीच अनेक बार आपस में लड़ना, झगड़ना पड़ता है, किन्तु परिवार के साथ रहने के कारण वे झगड़े सुलझ जाया करते है और फिर उनमें परस्पर मेल-मिलाप हो जाता है; किन्तु वृद्धावस्था में जब लड़के वयस्क होकर अलग हो जाते है तो घर में वृद्ध पति-पत्नी को अकेले ही रहना पड़ता है और इस समय जब उनमें परस्पर मतभेद या झगड़ा होता है तो इससे उनके दिल को अधिक चोट लगती तथा कभी-कभी तो ये झगड़े उनके लिए असह्य हो जाते है क्योंकि अब घर में अन्य कोई व्यक्ति उनका झगड़ा छुड़ाने वाला नहीं रहता। बाल-बच्चों के साथ रहने पर उनकी परेशानियों को सुलझाने में ही पति-पत्नी का अधिकाश समय व्यतीत हो जाता है; किन्तु वयस्क होकर उनके अलग हो जाने पर वृद्ध माता-पिता को यह समझ में ही नही आता कि अब वे क्या करे और इस कारण उनके आपसी जीवन-सम्बन्ध और भी भार-ग्रस्त तथा तनावपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही उनकी कठिनाइयाँ बहुत बढ़ जाती है, किन्तु यह बात हर वृद्ध पति-पत्नी के साथ लागू नही होती, कुछ वृद्ध-युग्म तो ऐसे होते है जो आजीवन साथ-साथ रहने के कारण एक दूसरे के स्वाभाव से पूर्णतः परिचित होते हैं जिससे वृद्धावस्था में भी वे एक दूसरे के प्रति सहनशील और उदार बने रहते है। इसके अतिरिक्त युवावस्था में बाल-बच्चों को लेकर उन्हें जो सुख या दुख प्राप्त हुआ था उसमें समान रूप से भागीदार होने के कारण उनमें एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता और प्रेम तथा सम्मान बढ़ता ही जाता है जो बुढ़ापे में आसक्ति के रूप मे बदल जाता है और इस कारण छोटे-मोटे झगड़े और मतभेद उनके लिए महत्त्वहीन होते है। वृद्ध पति-पत्नी का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनके पास जीवन-साधनों की पर्याप्तता है अथवा उनकी कमी है।

वृद्ध व्यक्ति को अपने वयस्क पुत्र-पुत्रियों के साथ रहने में विशेष सन्तोष तो अवश्य प्राप्त होता है, किन्तु यदि वे उनके साथ उनकी इच्छा से नही, बल्कि विवशतापूर्वक भारस्वरूप

बनकर रह रहे हैं तो उस स्थिति में अनेक तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ कठिनाइयाँ तो इतनी बढ़ जाती हैं कि उनके कारण क्षोभ और उत्तेजना की तथा कभी-कभी तो भयंकर विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दो पीढ़ियों के लोग आसानी से एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते और यह बात तब और भी अधिक सही होती है जब कि उन दो पीढ़ियों का पारस्परिक सम्बन्ध एक लम्बे अरसे के बाद उलट जाता है अर्थात् आश्रय-दाता व्यक्ति आश्रित बन जाता है और आश्रित आश्रय-दाता। प्रायः ऐसा भी होता है कि माता-पिता और पुत्र-पुत्रियों में प्रारम्भ से ही थोड़ा-बहुत विरोध का भाव चलता आता है जो दूसरी पीढ़ी के वयस्क हो जाने पर झगड़ा और तनाव का रूप धारण कर लेता है और जब माता-पिता वृद्ध होकर पुत्र-पुत्रियों के आश्रित हो जाते हैं तो उसी पूर्ववर्ती विरोध-भावना के कारण वे अपने ही पुत्र-पुत्रियों के लिए ऐसा भार बन जाते हैं जिसे वहन करना उनके लिए असह्य हो जाता है। अनेक उदाहरणों में सास और पतोहू तथा दामाद और सास के सम्बन्ध भी इसी प्रकार के दिखलाई पड़ते हैं। वृद्धावस्था में पहली पीढ़ी के लोगों की, दूसरी पीढ़ी के वयस्क लोगों के साथ सामञ्जस्य स्थापित करने की इस प्रक्रिया में पिता को कुछ विशेष सुविधाएँ प्राप्त होने के कारण अधिक सफलता प्राप्त होती है; यद्यपि वृद्धा माता अपने पुत्र और पुत्रवधू के घरेलू कामों में सहायक सिद्ध होती है।

जब दो पीढ़ियोंवाले ऐसे परिवार में तीसरी पीढ़ी भी उत्पन्न हो जाती है तो पहली पीढ़ीवाले व्यक्तियों की वे परेशानियाँ जो उन्हें अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिए उठानी पड़ी थीं, फिर उनके सामने उपस्थित हो जाती हैं और विशेष रूप से वृद्धा माता को अपनी पतोहू के कारण उसी प्रकार कष्ट झेलना पड़ता है जिस प्रकार पहले उसने (वृद्धा ने) अपनी सास को कष्ट दिया था। वृद्ध माता-पिता को अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण करने का जो अनुभव होता है उसके आधार पर वे अपने नाती-पोतों के पालन-पोषण के विषय में अपने पुत्र-पुत्रियों को आदेश अथवा परामर्श देने से बाज नहीं आते; वे अपने अनुभवों को ही दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी के लोगों पर लादना चाहते हैं। बुढ़ापे में माता-पिता को विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ता है कि अपने पुत्र-पुत्रियों का उन्होंने किस प्रकार अहित किया अथवा उनके लिए जो करना आवश्यक और उचित था वह नहीं किया।

यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में (अधिकतर वृद्धों के सम्बन्ध में होने वाले संघ तथा राज्यों के सम्मेलनों में) इस विषय पर पर्याप्त विचार-विमर्श हुआ है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए उनके पुत्र-पुत्रियों से अलग कहाँ रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए, किन्तु एक तीसरा मार्ग भी वर्तमान है जो विचारणीय है और वह वृद्ध व्यक्तियों को संस्थाओं में रखने का

मार्ग है[१९]। ये संस्थाएँ अनेक प्रकार की हो सकती हैं। कोई संस्था वृद्ध-स्वास्थ्य-गृह के रूप में कार्य करती है जिसमें चिकित्सकीय देख-भाल और उपचार पर ही प्रमुख रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाता है। तो कुछ संस्थाएँ विशेष रूप से वृद्धों के रहने के लिए स्थापित की जाती हैं जिनमें उम्र के आधार पर प्रवेशार्थियों की भर्ती होती है; इन संस्थाओं में रहनेवालों की चिकित्सा का कार्य भी संस्था के कार्यों का ही एक अंग होता है जैसा कि बालकों की संस्थाओं में होता है, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। वृद्धों के निमित्त स्थापित संस्थाएँ अनेक प्रकार की और विविध स्थानों पर स्थित होती हैं, जैसे जनपदों में स्थित निर्धन-कृषि-क्षेत्र, जनपदीय वृद्ध-आवास-गृह, बिरादरी और सम्प्रदाय द्वारा स्थापित तथा अन्य लोगों द्वारा परोपकार की दृष्टि से स्थापित आवास-गृह, और गैर-सरकारी सहायता से चलने वाले ऐसे आवास-गृह जिनमें रहने वालों को आवास-शुल्क देना पड़ता है। इन सब संस्थाओं में इतना रूप-भेद हैं कि उनकी विशेषताओं का यहाँ अलग-अलग विवेचन करना अत्यन्त कठिन है। इनमें से चिकित्सा की दृष्टि से विशेषीकृत संस्थाओं को छोड़कर (जिनमें ऐसे वृद्धों की चिकित्सकीय सेवा की जाती है जो उन्हें

(१९) विदेशों में तथा इस देश में आवास-समस्या तथा उसके समाधान के सम्बन्ध में किये गये कार्यों पर प्रकाश डालने वाली दो लघु, किन्तु ज्ञानवर्द्धक निबन्ध उल्लेखनीय और पठनीय हैं––(१) चार्ल्स अब्राम्स का "हाउजिंग दी एल्डरली हियर ऐण्ड एब्राड" शीर्षक निबन्ध जो 'बर्थडेज़ डोण्ट काउण्ट' शीर्षक ग्रन्थ में छपा है, प्रकाशक––न्यूयार्क स्टेट ज्वाइण्ट लेजिस्लेटिव कमिटी आन प्राब्लेम्स आफ द एजिंग, न्यूयार्क, १९४८, पृ० २४७–२५३। (२) हर्था क्राउस––"हाउजिंग आवर ओल्डर सिटिज़न्स"––एनल्स, जिल्द २७९, जनवरी १९५३, पृ० १२६–१३८। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आवास-अधिकारी-संघ समय-समय पर वृद्ध व्यक्तियों से सम्बन्धित आवास-व्यवस्था की प्रगति की सूचना प्रकाशित करता रहता है। अभी हाल में प्रकाशित एक प्रतिवेदन के अनुसार मासाचुसेट्स-विधान सभा ने एक कानून (सन् १९५३) द्वारा वृद्ध व्यक्तियों पर आवास-गृहों के किराया का भार कम करने के लिए सहायता की व्यवस्था की है, मेम्फिस (टेनेसी) में नये बने मकानों में से एक और दो कमरे वाले मकान विशेष रूप से वृद्धों के लिए अलग कर दिये गये हैं; तथा मजदूर-संघों और कुछ औद्योगिक कारखानों ने तो सेवा-निवृत्त व्यक्तियों के लिए एक अलग सामुदायिक आवास की भी व्यवस्था की है। राष्ट्रीय आवास-अधिकारी-संघ का प्रधान कार्यालय शिकागो में है।

अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो पातीं) अन्य संस्थाओं के बारे में यही कहा जा सकता है कि जिस किसी व्यक्ति या समूह के तत्त्वावधान में इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना तथा इस तरह उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि का कार्य सम्भवतः अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है और उनके औचित्य में भी सन्देह है। इससे अधिक इस बात की ओर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है कि वृद्धों की आवास-व्यवस्था के लिए कुछ अन्य तरीके अपनाये जायँ, जैसे आवासीय-क्लब, वृद्धावास-कक्षवाले होटल, गृह-निर्माण-प्रायोजनाओं में वृद्धों के रहने योग्य मकान आदि की व्यवस्था। इस अध्याय में इस समस्या के समाधान से सम्बन्धित कुछ अन्य उपायों, जैसे आवासहीन वृद्धों के पालन-गृहों की व्यवस्था आदि पर आगे विचार किया जायगा।

वृद्धों के निमित्त स्थापित संस्थाओं के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठते हैं उन पर विचार के दो आधार हो सकते हैं—मानव व्यक्तित्व का आधार और संस्था के आर्थिक पक्ष का आधार। जैसा पिछले पृष्ठों में कहा जा चुका है, अधिकांश वृद्ध व्यक्ति अपने पूर्व परिचित वातावरण में और पूर्वपरिचित व्यक्तियों के साथ रहना अधिक पसन्द करते हैं और यह नहीं चाहते कि उन्हें शेष समाज से विच्छिन्न करके एक अलग समूह या वर्ग मान लिया जाय। यद्यपि वे वृद्ध हो गये होते हैं फिर भी, सम्भवतः अपने वृद्ध होने की अनुभूति के कारण ही, वे जीवन के प्रवाह से विलग नही होना चाहते, बल्कि उसकी धारा के साथ-साथ बहना चाहते हैं। उनकी जीवन-गति मन्द हो सकती है, पर वस्तुतः अपनी शारीरिक और भावात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप वे अपने को पूर्णतः ढाल चुके होते हैं। साथ ही, वृद्ध हो जाने के बावजूद वे नौजवानों और अन्य कम उम्र वाले व्यक्तियों के साथ सम्पर्क स्थापित रखना चाहते हैं। किन्तु संस्था में वृद्ध व्यक्ति को भेजने का अर्थ उसको जीवन के प्रवाह से विच्छिन्न करके एक संकीर्ण घेरे में बन्द कर देना, जहाँ वह अकेला होजायेगा और अपने जीवन के अन्तिम दिन मृत्यु की प्रतीक्षा में चुपचाप व्यतीत करता रहेगा और फिर मृत्यु के बाद ही उसे उस संस्था से छुटकारा मिलेगा। चाहे उस संस्था में वृद्ध व्यक्ति को अपने सम्बन्धियों और मित्रों से मिलने-जुलने की कितनी भी सुविधा क्यों न हो, उसे वहाँ कितना भी स्वादिष्ठ भोजन क्यों न मिलता हो और चिकित्सा-सम्बन्धी कितनी भी सेवाएँ क्यों न उपलब्ध हों, वहाँ रहने वाला वृद्ध व्यक्ति एक क्षण के लिए भी यह नहीं भूल पाता कि वह एक वृद्ध-आवास-संस्था में रह रहा है। वहाँ उसके चारों ओर वृद्ध व्यक्ति ही दिखाई पड़ते हैं और उससे यही आशा की जाती है कि वह वृद्ध व्यक्ति के समान ही आचरण करे।

यह सब कहने का यह उद्देश्य नहीं है कि इस तथ्य को दृष्टि-पथ से ओझल कर दिया जाय कि कुछ वृद्ध व्यक्ति संस्था का जीवन पसन्द भी कर सकते हैं, या करते हैं। मनो-

वैज्ञानिक दृष्टि से संस्था में रहने पर उनको अपने सिर पर कोई बोझ नही मालूम पड़ता या वहाँ उन्हें अधिक काम-धाम नहीं करना पड़ता। घर पर रहने पर वृद्धों को जिन बातों के खतरे रहते हैं संस्था में उनकी आशंका कम होती है क्योंकि यहाँ वे अपनी उम्र के अन्य वृद्धों के साथ घुल-मिलकर रह सकते हैं, पर घर पर कम उम्र वालों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। संस्था में उन्हें मृत्युपर्यन्त आवास, भोजन और चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएँ मिलती रहती हैं जिनके कारण वे सदा सुरक्षा का अनुभव करते रहते हैं। जीवन भर उन्हें ऐसे संघर्ष करने पड़ते हैं जिनका उचित पुरस्कार उन्हें नहीं मिल पाता; अतः संस्था में आने पर उन्हें उन संघर्षों से मुक्ति मिल जाती है।

संस्थाओं और उनकी चिकित्सा-व्यवस्था पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में भी विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। संस्था के खर्च के अन्तर्गत केवल उसका निर्माण-व्यय ही नहीं, उसकी व्यवस्था का व्यय भी सम्मिलित होता है। बाल-संस्थाओं, शिक्षा-संस्थाओं, अस्पतालों और सुधार-गृहों या जेलों आदि सभी संस्थाओं में रहने वाले या लाभ उठाने वाले प्रति व्यक्ति के ऊपर होने वाले व्यय की मात्रा बहुत अधिक होती है। वृद्धों के निमित्त स्थापित संस्थाओं में प्रति व्यक्ति पर होने वाला व्यय सम्भवतः अस्पतालों और जेलों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं से अधिक होता है क्योंकि वृद्धों की सुख-सुविधाओं तथा उनकी सुरक्षा के कार्य बहुत खर्चीले होते हैं। कभी-कभी संस्थाओं के भवन भी पुराने हो जाने के कारण आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रह जाते और संस्थाओं के नवीन सिद्धान्तों और व्यवहार को अपनाये जाने के मार्ग में ये भी एक बाधा बन जाते हैं। इस बात की कुछ सम्भावना है कि पिछली शताब्दी में बालकों की संस्थाओं के लिए जिस प्रकार इस देश में बहुत अधिक भवनों का निर्माण हुआ ठीक उसी तरह इस शताब्दी में वृद्धों के लिए भी भवन निर्माण होगा। जहाँ तक बालकों की संस्थाओं का सम्बन्ध है, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें परम्परागत संस्थाओं के अस्तित्व के कारण ही बाल-कल्याण-सम्बन्धी नवीन और प्रभावोत्पादक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मार्ग में बहुत बाधा उपस्थित हुई और उन संस्थाओं तथा उनके प्रबन्धकों ने बहुधा इस विषय से सम्बन्धित नवीन विचारों और परिस्थितियों के अनुसार अपने को परिवर्तित करना स्वीकार नहीं किया।

वृद्धों के लिए स्थापित संस्थाओं को चलाने में भी बहुत अधिक व्यय होता है और पिछले अनुभवों से यह सिद्ध होता है कि यह व्यय उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कमी होने की कोई सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती। जिस संस्था की प्रबन्ध-व्यवस्था जितनी ही अच्छी होती है, उसके कर्मचारी जितने ही योग्य और कुशल होते हैं, उसके कार्यक्रम जितने ही व्यापक और विस्तृत होते हैं, उसमें प्रति व्यक्ति पर होने वाला

व्यय भी उतना ही अधिक होता है। बाल-संस्थाओं से सम्बन्धित विगत दो शताब्दियों के अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी संस्था को चलाते समय यह उद्देश्य होने पर कि उसका व्यय कम हो, उसकी सेवा का स्तर भी अत्यन्त सामान्य या निम्न हो जाता है, किन्तु अन्ततोगत्वा उसका परिणाम यह होता है कि मानव-हित अथवा मानवीय गुणों के विकास की दृष्टि से देखने पर यह काम कम खर्चीला नही दिखाई पड़ता क्योंकि उससे लाभ तो कम होता है, पर उसकी तुलना में उसका व्यय अधिक होता है। यदि बाल-संस्थाओं में ऐसी स्थिति है तो वृद्धों की संस्थाओं में खर्च अधिक पड़ना और भी स्वाभाविक है क्योंकि बालकों की अपेक्षा वृद्ध व्यक्ति अपना मत व्यक्त करने, विशेष कर अपनी सुख-सुविधा के विषय में शिकायतें उपस्थित करने में, अधिक वाचाल होते हैं।

व्यावहारिकता की दृष्टि से इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं—

(क) कम खर्च पर चलने वाली वृद्धों की संस्थाएँ वृद्धों की शारीरिक, भावात्मक, चिकित्सकीय और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नही कर सकती और फलस्वरूप वे समुदाय में अपने अस्तित्व की अनिवार्यता या उपयोगिता नहीं सिद्ध कर पाती हैं।

(ख) जो संस्थाएँ बहुत अधिक प्रवेश-शुल्क या अन्य व्यय-सम्बन्धी शुल्क (साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक) लेती है, उनमें वे निर्धन व्यक्ति प्रविष्ट नहीं हो सकते जिन्हें उन संस्थाओं की सेवाओं की नितान्त आवश्यकता होती है। यदि वृद्ध व्यक्तियों की आय का हिसाब लगा कर इस प्रश्न पर विचार किया जाय (इस अध्याय के प्रारम्भिक अंश में इस पर विचार किया गया है) तो यह स्पष्ट हो जायगा कि बहुत कम ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं जो इन संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ हो सकें। बशर्ते कि वे समर्थ वृद्ध व्यक्ति या उनके बाल-बच्चे यह समझते हों कि इन संस्थाओं के पास पहुँचने के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई मार्ग शेष नहीं रह गया है।

ऊपर के अनुच्छेदों में कही गयी बातें बहुत कटु और सम्भवतः अनुचित भी प्रतीत हो सकती है। हम अपने कथन की सत्यता के सम्बन्ध में कोई भी चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं और हमारी इस तत्परता से हमारे मन की इस भावना की अभिव्यक्ति होती है कि वृद्धों के लिए स्थापित जिन संस्थाओं ने भूलें की है या अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है उनके बारे में हम कितने चिन्तित हैं; साथ ही इससे हमारी इस बलवती धारणा की भी अभिव्यक्ति होती है कि ये संस्थाएँ वृद्धों के जीवन को सुखमय बनाने की दिशा में ठोस कार्य सम्पादित कर सकती है। इसके अतिरिक्त इस तत्परता से हमारी इस आन्तरिक आशा की भी अभिव्यक्ति होती है कि हम आगे से वृद्धों की सेवा के क्षेत्र में कार्य करते समय पिछली दो शताब्दियों में बालकों के लिए स्थापित संस्थाओं के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीख सकेंगे। साम्प्रदायिक और धार्मिक संस्थाएँ, परोपकारार्थ स्थापित

तथा किसी विशेष जाति-बिरादरी से सम्बन्धित अभिकरण और मजदूर सगठन तथा ऐसी औद्योगिक संस्थाएँ जिनके सामने हर समय कुशल नेतृत्व की खोज की समस्या उपस्थित रहती है, ऐसी संस्थाओं की स्थापना तथा ऐसे संस्थागत कार्यक्रमों का प्रारम्भ कर सकती हैं जिनसे वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं की रचनात्मक और प्रभावपूर्ण ढंग से पूर्ति हो सके। इस समय इस प्रकार की जो संथास्थाएँ हैं उनके कार्यक्रम मुख्यतः वृद्धों की चिकित्सकीय और अभिरक्षात्मक देख-भाल तक ही केन्द्रित हैं। इन संस्थाओं की नीति पर्याप्त लचीली है जिससे कई संस्थाओं द्वारा वृद्धों की इस प्रकार की सेवा-व्यवस्था की जाती है कि वे अपने घर पर रहकर ही देख-भाल-सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अभ्यर्थी अपने घर पर ही रहकर अभिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं से जब तक चाहे लाभ उठा सकता है। इस स्थिति में सामुदायिक अभिकरण उसकी चिकित्सा तथा गृह-कार्य-सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था में सहायता करता है और जब वृद्ध व्यक्ति के लिए किसी कारण अपने घर पर रहना असम्भव हो जाता है तो अभिकरण उसे किसी संस्था में भर्ती करा देता है[२०]।

अभिरुचि एवं सक्रियता से सम्बन्धित कार्यक्रम

चूंकि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत बढ़ गयी है जो सेवा-निवृत्त (स्वेच्छा से अथवा विवशता पूर्वक) होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अतः ऐसे व्यक्तियों की अभिरुचि और अन्तर्निहित क्षमताओं की सम्यक् अभिव्यक्ति के लिए तदनुरूप कार्यक्रमों का विकास और प्रारम्भ किया गया है। बहुत-से व्यक्ति सेवा-निवृत्ति के पूर्व अपने पेशे से सम्बन्धित काम-धाम में इतने उलझे रहते हैं कि जीवन भर उन्हें अपने भीतर निहित उन क्षमताओं को उद्घाटित करने या पहचानने का अवसर ही नहीं मिलता (न तो मन में कोई इस तरह की अभिलाषा ही जाग्रत होती है) जिनका उनके पेशे से सीधा सम्बन्ध नहीं होता। कुछ व्यक्तियों को अपने काम-धाम से फुरसत पाने पर अवकाश के समय यह समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। अनेक व्यक्ति नौकरी करते समय कार्यभार से इतने दबे रहते हैं कि उन्हें विश्राम करने अथवा कोई अन्य काम करने का अवसर ही नहीं मिल पाता जिसके कारण सेवा-निवृत्ति के बाद, विशेष रूप से तब जब कि उन्हें विवशतापूर्वक

(२०) स्टैन्डर्स आफ केयर फार ओल्डर पीपुल इन इन्स्टीच्यूशन्स—न्यूयार्क, नेशनल कमिटी आन द एजिंग आफ द नेशनल सोशल वेल्फयर असेम्बली, १९५३। ए होम इन द लेटर ईयर्स—न्यूयार्क स्टेट एसोशियशन आफ कौन्सिल्स एण्ड चेस्टस १९५३।

सेवा-निवृत्त होना पड़ता है, अवकाश का समय उन्हें बहुत खलने लगता है और वे अत्यधिक अकेलेपन का अनुभव करने लगते हैं और उन्हें ऐसा अनुभव होने लगता है कि वे बिलकुल असहाय हैं तथा उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अतः सामुदायिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत वृद्धों के लिए इस प्रकार के कार्यों की व्यवस्था की जाती है कि उपर्युक्त ढंग का जीवन व्यतीत करने वाले अवकाश-प्राप्त वृद्ध व्यक्ति अपने शेष जीवन को सार्थक और सोद्देश्य समझें तथा सेवा-निवृत्ति के बाद के समय का उपयोग सन्तोषजनक रीति से तथा उपयोगी कामों में कर सकें।

अनेक स्थानों पर, वहाँ पहले से वर्तमान सुविधाओं का ही उपयोग करके, विविध प्रकार के कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाते हैं। बड़े-बड़े नगरों के लिए जहाँ व्यवस्थापन-गृहों या महल्लों की स्थापना हुई रहती है यह बात विशेष रूप से सही है। यह भी सही है कि अधिकांश व्यवस्थापन-गृहों में आस-पास के क्षेत्रों के सभी उम्रवाले व्यक्ति जाकर लाभ उठा सकते हैं, किन्तु उनमें युवकों के कार्यक्रमों पर ही विशेष बल दिया जाता है। लेकिन वृद्ध व्यक्तियों को तो दिन में हर समय फ़ुरसत रहती है, अतः सामुदायिक अभिकरणों की सुविधाओं का उपयोग वे प्रातः काल, तीसरे पहर अथवा रात्रि में कर सकते हैं। व्यवस्थापन-गृहों का प्रारम्भ १९ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में हुआ था और उस समय से लेकर अब तक उन व्यवस्थापन-गृहों द्वारा बराबर यह सुविधा दी जाती रही है कि आस-पास के क्षेत्रों के लोग अपने अवकाश के समय की आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ जाकर कर सकें। कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य सभी व्यवस्थापन-गृहों ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम संचालित करने तथा अपने विशिष्ट साधनों की सहायता से उसके लिए भवन-निर्माण कराने में बहुत अधिक तत्परता दिखलायी थी।

अन्य सामुदायिक अभिकरणों ने भी अनेक उपयोगी कार्य किये, जैसे चर्चों, पार्कों, खेल के मैदानों, शिक्षा-संस्थाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों आदि की स्थापना और व्यवस्था। इन सब कार्यों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य दिवा-केन्द्रों की स्थापना था, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण न्यूयार्क नगर का विलियम हड्सन केन्द्र है। इन अभिकरणों के अतिरिक्त वृद्धों की सेवा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यों को प्रारम्भ या प्रोत्साहित करने वाले और भी कई अभिकरण हैं, जैसे नगरपालिकाओं के मनोरंजन-विभाग, सामाजिक अभिकरणों की समितियाँ तथा यहूदी महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद् आदि।

इन अभिकरणों द्वारा परिचालित कार्यक्रमों का विवेचन करने पर इस बात का कुछ आभास मिल जायेगा कि इन कार्यक्रमों में अभिरुचि और कार्यों की कितनी विविधता है। जो वृद्ध व्यक्ति हाथ से काम करने में अधिक रुचि रखते हैं उनके लिए विविध प्रकार की उपयोगी कलाओं और शिल्पों की व्यवस्था की जाती है, जैसे चित्रकला, मूर्त्तिकला,

मृत्तिका-शिल्प, काष्ठकला, धातुकला, चर्म-शिल्प, सिलाई आदि। जो वृद्ध व्यक्ति आत्माभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों में रुचि रखते हैं उनके लिए लेखन कार्य, समुदाय के समाचार-पत्र या पत्रिका के सम्पादन-कार्य, अभिनय, सामूहिक नृत्य, सामूहिक संगीत आदि की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। जो वृद्ध व्यक्ति सामाजिक सम्पर्कों से ही अधिक सन्तोष प्राप्त करते है उनके लिए सामाजिक क्लबों की व्यवस्था की जाती है। ऐसे क्लबों में गोल्डेन एज क्लब तथा उसकी शाखाओं का नाम उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। कुछ वृद्ध व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी रुचि शारीरिक श्रमसम्बन्धी कार्यों में होती है, अतः उनके लिए कम मेहनत वाले खेलों की व्यवस्था की जाती है।

उपर्युक्त अनुच्छेदों में कही गयी बातों से स्पष्ट है कि वृद्धों के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रमों में जो कार्य सम्मिलित किये जाते हैं वे केवल वृद्धों के लिए नहीं, सभी आयु-वर्गों के लोगों के लिए होते है; केवल अधिक सक्रियता वाले कार्यों तथा प्रतियोगितापूर्ण खेल-कूद के कार्यक्रमों को ही अपवाद के रूप में रखा जा सकता है क्योंकि वृद्ध व्यक्ति उन्हें नहीं कर सकते। उपर्युक्त बातों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अभिकरण वृद्धों के लिए जो सुविधाएँ प्रदान करते है और उन्हें अपनी रुचि के अनुकूल कार्य का चुनाव करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसका कितना अधिक महत्त्व है। वृद्ध व्यक्ति भी अन्य सब लोगों की तरह अपने ढंग से तथा अपने निर्णय के अनुसार आत्माभिव्यक्ति करना पसन्द करते हैं। अन्य सब लोगों की भाँति वे भी यह नही चाहते कि अवकाश के समय करने योग्य उनकी अभिरुचि के कार्यों का नियन्त्रण कोई और व्यक्ति या संस्था करे। यह भी सम्भव है कि कुछ वृद्ध व्यक्ति किसी प्रकार का भी सक्रियतापूर्ण कार्य करना न पसन्द करें और अपने ढंग से तथा अपनी गति के अनुसार इस तरह चलने का निर्णय करें कि उन्हें विशेष श्रम न करना पड़े। यदि ऐसे व्यक्ति निष्क्रिय रहकर चुपचाप बैठना ही पसन्द करते हैं तो कार्यक्रमों की योजना बनाने वालों के लिए यही उचित है कि वे उन्हें चुपचाप बैठे रहने दें, क्योंकि हो सकता है कि उन वृद्धों के लिए बाह्यतः निष्क्रिय बने रहने का अधिक मूल्य हो और उन्हें उसी में सन्तोष मिलता हो।

दिवस-केन्द्र

वृद्धों के लिए किये जाने वाले कार्यों में एक अत्यन्त उपयोगी कार्य, जिसकी सम्भावनाएँ बहुत अधिक हैं, दिवस-केन्द्रों की स्थापना है। यह केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि सही अर्थ में एक केन्द्र—एक विशेष स्थान या भवन—होता है जहाँ वृद्ध व्यक्ति दिन में एकत्र होकर अपने को इस प्रकार के कार्यों में लगाते हैं जिनसे उनके मन को सन्तोष प्राप्त होता है। सारे देश में, विशेषकर बड़े-बड़े नगरों में, इस प्रकार के बहुत-से केन्द्र हैं। न्यूयार्क नगर

के विलियम हड्सन केन्द्र के कार्यक्रमों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि ये केन्द्र जो कार्य करते हैं उनमें कितनी विविधता होती है तथा वृद्ध व्यक्तियों को उनसे कितना सन्तोष प्राप्त होता है। यह केन्द्र वे सभी कार्य तो करता ही है जिनका उल्लेख पिछले अनुच्छेद में किया जा चुका है, पर उनके अतिरिक्त वह और भी अनेक प्रकार के कार्य करता है। वे अन्य प्रकार के कार्य ये हैं—जन्मदिवस-सम्बन्धी मासिक दावतें, व्रतोत्सव, भाषण, वर्ष में एक बार सदस्यों द्वारा बाजार लगाने का आयोजन, नाव की सैर, ग्रीष्म-शिविर, पार्कों की सैर, ध्वनि-चित्र-प्रदर्शन आदि। यद्यपि इस केन्द्र में प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त हैं, किन्तु केन्द्र का संचालन मुख्यतः स्वायत्तशासन के आधार पर होता है; संचालन की सुविधा के लिए उसमें निम्नलिखित समितियों का संगठन किया गया है;—कार्य-कारिणी-समिति, उपाहार-समिति, स्वच्छता-समिति, हाट-समिति, सेवा-समिति, रोगी निरीक्षण-समिति, मनोरंजन-समिति, घरेलू शिकायतों से सम्बन्धित समिति और पुस्तकालय-समिति। केन्द्र द्वारा व्यक्तिगत मामलों में परामर्श देने से सम्बन्धित सेवा की व्यवस्था भी की गयी है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित समस्याओं से सम्बन्धित सहायता की जाती है—आवास, चिकित्सा, दन्त-चिकित्सा, रोग-मुक्ति के बाद की देख-भाल, सात्विक देख-भाल, नौकरी तथा रोजगार, कानूनी मामले, सामाजिक सुरक्षा और राजकीय सहायता। इस केन्द्र की स्थापना सन् १९४३ में हुई थी और तब से लेकर अब तक उसके सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी है। फलतः स्थापना के बाद १० वर्ष के भीतर ही केन्द्र के सस्दयों की संख्या एक हजार हो गयी थी। इन सदस्यों में से औसतन तीन सौ सदस्य प्रतिदिन केन्द्र में उपस्थित होते है तथा प्रतिवर्ष औसतन ४० हजार से लेकर ५० हजार व्यक्ति तक उसमें जाया करते हैं। केन्द्र के वार्षिक बजट का आधा व्यय न्यूयार्क नगर का राजकीय जन-कल्याण-विभाग देता है, (न्यूयार्क शहर में इस तरह के कुल तेरह केन्द्र हैं जिनमें एक विलियम हड्सन केन्द्र भी है; इस केन्द्र का नामकरण न्यूयार्क नगर के राजकीय जन-कल्याण-विभाग के भूत-पूर्व निदेशक विलियम हड्सन के नाम पर हुआ है जिनकी मृत्यु एक विमान-दुर्घटना में हो गयी थी)।

इस केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों का वार्षिक विवरण पढ़ने से ज्ञात होता है कि वृद्ध व्यक्ति न केवल आत्माभिव्यक्ति तथा आत्म-स्वीकृति का अवसर प्रदान करने वाले उन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं (उन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष नयी-नयी योजनाएँ जुड़ती जाती हैं जिनमें से नवीनतम 'शिविर-योजना' है) बल्कि उन कार्यक्रमों के कारण आनुषंगिक रूप में उसके सदस्यों का जीवन भी बहुत अधिक प्रभावित होता है और इस कारण केन्द्र का महत्त्व और भी बढ़ गया है। बहुत-से व्यक्ति जो पहले चिकित्सा के लिए

प्राय: स्वास्थ्य-गृहों और अस्पतालों की शरण लिया करते थे और अपनी वास्तविक अथवा काल्पनिक बीमारियों में ही दिन-रात उलझे रहते थे, अब केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर अधिक सन्तोष का अनुभव करते हैं तथा चिकित्सकीय स्वास्थ्य-गृहों में उनकी दिलचस्पी बहुत कम हो गयी है और संस्था द्वारा संचालित कार्यों में ही अब वे अधिक रुचि के साथ भाग लेने लगे हैं। केन्द्र का एक अन्य उल्लेखनीय कार्य यह है कि जो वृद्ध व्यक्ति ६५ वर्ष से कम उम्र के हैं वे भी केन्द्र के कार्यों में भाग ले सकते हैं या केन्द्र में जा सकते हैं। प्रारम्भ में केन्द्र में सम्मिलित होने के लिए यह नियम बनाया गया था कि सेवा-निवृत्त होने के बाद एक निश्चित अवधि तक कोई भी व्यक्ति केन्द्र का सदस्य नहीं बन सकता और जब केन्द्र को (या स्वयं उस व्यक्ति को) यह विश्वास हो जाता था कि वह केन्द्र की सेवाओं का उचित उपभोग कर सकेगा, तभी उसे सदस्य बनाया जाता था या केन्द्र के कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाती थी। इस नियम में एक बड़ा दोष यह था कि वृद्ध व्यक्तियों को सेवा-निवृत्ति के बाद तुरन्त केन्द्र में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिल पाता था। अत: कई वृद्ध व्यक्ति जो सेवा-निवृत्ति के बाद की परिस्थिति के बीच अपना सामंजस्य नहीं कर पाते थे, कई वर्षों तक अकेलेपन का अनुभव करते हुए जीवन बिताने के लिए विवश हो जाते थे और इस प्रकार तरह-तरह की बातें सोचने में लगे रहते या अपने में ही डूबे रहते थे। अत: ऐसे लोगों का जीवन सुखमय बनाने के लिए अब केन्द्र ने सेवा-निवृत्ति के बाद की वह अवधि कम कर दी है जिसमें कि कोई वृद्ध व्यक्ति केन्द्र के कार्यक्रयों में भाग नहीं ले सकता था। अब वृद्ध व्यक्तियों को सेवा-निवृत्ति के थोड़े दिनों बाद ही केन्द्र के कार्यक्रमों में भाग लेने की सुविधा मिल जाती है। केन्द्र के कार्यों का महत्त्व इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उसके सदस्यों में ऐसे वृद्धों की संख्या बहुत कम होती है जो वृद्धावास-गृहों में जाकर रहना पसन्द करते हैं। केन्द्र के प्रारम्भिक ५ वर्षों के कार्यकाल में उसके ५०० सदस्यों में केवल १० सदस्यों ने वृद्धावास-गृहों में रहना पसन्द किया था। उनमें तीन सदस्यों ने बाद में यह निश्चय किया था कि वे समुदाय में अन्य लोगों की तरह उपस्करणयुक्त मकान किराये पर लेकर रहना चाहते हैं; फलत: वे फिर केन्द्र से वापस आ गये हैं। केन्द्र के कार्यों की सफलता और महत्ता इससे भी प्रमाणित होती है कि उपर्युक्त अवधि में उसके सदस्यों में से किसी भी वृद्ध व्यक्ति को मानसिक चिकित्सालय या पागलखाने में नहीं भेजना पड़ा। प्रासंगिक रूप में यह बता देना भी अनुचित न होगा कि वृद्धों की सुख-सुविधा के लिए कार्यक्रम संचालित करने वाले दो और केन्द्रों के जो दो बड़े नगरों—मिनियापोलिस और फिलाडेल्फिया में स्थापित हैं, कार्यों के प्रतिवेदन से भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है। यदि हम इस तथ्य की ओर ध्यान दें कि वर्तमान समय में मानसिक चिकित्सालयों

में भेजे जाने वाले वृद्ध व्यक्तियों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है, तो उपर्युक्त कथन का महत्त्व और भी अधिक स्पष्ट हो जायगा[२१]।

अन्य सामूहिक कार्यक्रम

यद्यपि अनेक नगरों—शिकागो, क्लीवलैण्ड, डेट्रोइट, मिलवाडकी, फिलाडेल्फिया, सन-फ्रान्सिस्को, वाशिंगटन आदि—में अनेक प्रकार के प्रभावपूर्ण कार्यक्रम संचालित होते हैं, पर इनमें भी मिनियापोलिस के केन्द्र द्वारा परिचालित कार्यक्रमों में इतनी विविधता है और उनमें सामूहिक कार्यों से सम्बन्धित कौशलों का उपयोग इस तरह होता है कि यहाँ उनका उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। वहाँ की जनपदीय कल्याण-परिषद् ने कई वर्ष पूर्व सामूहिक कार्य-सम्बन्धी परामर्श देने की व्यवस्था की थी ताकि पूरे समुदाय में वृद्ध नागरिकों की सहायता के लिए कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा सके। परिषद् की परामर्श-सेवा के माध्यम से और उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप वहाँ की अनेक संस्थाओं, जैसे चर्च, विद्यालय, पुस्तकालय, उद्योग, व्यवस्थापन-गृह आदि ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए सामूहिक कार्य प्रारम्भ किया। इन सभी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करके परिषद् ने पूरे समुदाय के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना प्रारम्भ किया जिससे यह सम्भव हो पाया कि वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

चूँकि मिनियापोलिस के केन्द्र द्वारा परिचालित ये कार्यक्रम पूरे समुदाय के लिए होते हैं। अतः उन कार्यक्रमों में इतनी विविधता होती है कि विभिन्न उम्र वाले वृद्ध व्यक्तियों को अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों मे भाग लेने का अवसर मिल जाता है। केन्द्र इस बात पर अधिक बल देता है कि उसमें ऐसे कुशल कार्यकर्ता नियुक्त किये जायँ जो सामूहिक कार्य-सम्बन्धी कौशलों से पूर्ण परिचित हों और विभिन्न वर्गों वाले व्यक्तियो की पूरी सहायता कर सकें। इस तरह कार्यकर्ताओं या स्वयंसेवकों का कार्य बहुत महत्त्व-

(२१) देखिए—विलियम हडसन-केन्द्र के निदेशक-मण्डल द्वारा प्रकाशित केन्द्र का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन "फाइव इयर्स अचीवमेण्ट्स—१९४३–१९४८"—न्यूयार्क नगर। इसके अतिरिक्त केन्द्र का आखिरी प्रतिवेदन भी, जिसमें केन्द्र के अब तक के कार्यों का विवरण है, उल्लेखनीय है। और भी देखिए—हेनरी ए० लेवाइन—"कम्युनिटी प्रोग्राम्स फार दी एल्डरली"—एनल्स, जिल्द २७९, जनवरी १९५२, पृष्ठ १६८–१७०। मूसान एच० कूबी और गर्टरूड लाण्डाऊ—"ग्रूप वर्क विथ द एजेड—न्यूयार्क, इण्टरनेशनल युनिवर्सिटी प्रेस, १९५३ ई०।

पूर्ण माना जाता है । संस्थाओं तथा आवास-गृहों में किया जाने वाला सेवा-कार्य भी पूरे समुदाय में संचालित कार्यक्रमों का एक अंग माना जाता है[२२] ।

यद्यपि शायद ही कोई ऐसा वृद्धावास-गृह होगा जहाँ विलियम हड्सन केन्द्र के समान वृद्धो के लिए वैविध्यपूर्ण और बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाये जाते हों, फिर भी यत्र-तत्र इस बात के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं कि कुछ संस्थाएँ वृद्धों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों का संग्रह करना चाहती हैं और इसके लिए अधिकाधिक प्रयत्न-शील भी हैं । इसका प्रमाण यह है कि जो संस्थाएँ पहले बिलकुल निष्क्रिय बनी रहती थीं उन्होंने ही अब अपना द्वार पूरे समुदाय के उपयोग के लिए मुक्त कर दिया है । कुछ वृद्धा-वास गृहों में अब यह व्यवस्था हो गयी है कि दिन के समय उनके कार्यक्रमों में बाहरी व्यक्ति भी भाग ले सकते हैं। इस तरह इन कार्यक्रमों में वृद्धावास-गृह में रहने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य वृद्ध व्यक्ति भी; जो अपने निजी घरों में रहते हैं, भाग लेने का अवसर प्राप्त करते हैं। इस व्यवस्था के कारण वृद्धावास-गृह के कार्यक्रमों में शक्ति और प्राणवत्ता तो आती ही है साथ ही समुदाय का एक बड़ा भाग उन कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर वृद्धावास-गृह की सेवाओं का उपयोग भी करता है ।

इस प्रकार ये कार्यक्रम चाहे वृद्धों के लिए निर्मित संस्थाओं द्वारा परिचालित हों अथवा व्यवस्थापन-गृहों, चर्चो, समुदाय या दिवस-केन्द्रों द्वारा, इस बात के प्रमाण सर्वत्र ही दिखाई पड़ते हैं कि उनसे उन वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है जो सेवा-निवृत्ति के बाद की परिस्थिति के साथ अपने जीवन का सामंजस्य करने तथा अपने जीवन को उपयोगी और सन्तुष्ट बनाने के लिए प्रयत्नशील है । इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमों में, चाहे हम इन्हें मनोरंजन-कार्यक्रम कहें अथवा अभिरुचि और सक्रियता से सम्बन्धित कार्य-क्रम कहें, सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इनके द्वारा जो कार्य सम्पादित होता है वह स्वर्गीय एडुवर्ड लिंडेमैन के इस कथन के सर्वथा अनुरूप है, "मनोरंजन द्वारा व्यक्ति को अपनी शैक्षणिक प्रक्रिया तथा अपने कौशलों का विकास करने, सौन्दर्य बोधात्मक अनुभव वाले कार्यों में भाग लेने और समुदाय की विविध प्रकार की क्रियाओं में हाथ बटाने का अवसर प्राप्त होता है ।" ये सभी बातें वृद्ध व्यक्ति के लिए अत्यन्त महत्त्व की होती हैं ।

(२२) जेरोम कैप्लन—ए सोशल प्रोग्राम फार ओल्डर पीपुल—मिनिया-पुलिस, द युनिवर्सिटी आफ मिनेसोटो प्रेस, १९५३ । जेम्स एच० दुडस—हेल्पिंग ओल्डर पीपुल इन्ज्वाय लाईफ—न्यूयार्क, हर्पिर एण्ड ब्रदर्स, १९५३ ।

संस्थावासियों के लिए कार्यक्रम (संस्थाओं में)

इस अध्याय में कई स्थलों पर बाल-संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान शताब्दी में इन संस्थाओं के सम्बन्ध में बहुत अधिक विवेचन और विश्लेषण हुआ है। और साथ ही बाल-संस्थाओं के कार्यक्रमों में पिछले कुछ वर्षों से वैयक्तिक सेवा-कार्य को बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। उसी तरह इस समय वृद्ध व्यक्तियों के लिए विभिन्न व्यक्तियों या संघटनों के तत्त्वावधान में जो संस्थाएँ निर्मित हो रहीं हैं वे अथवा उनके व्यवस्थापक और कर्मचारी इस बात से अधिकाधिक अवगत होते जा रहे हैं कि वृद्धों के लिए निर्मित संस्थाओं में वहाँ रहने वालों के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं, उनका वैयक्तिक सेवा-कार्य महत्त्वपूर्ण अंग है। बाल-संस्थाओं के समान वृद्धों की संस्थाओं में भी वैयक्तिक सेवा-कार्य प्रवेशार्थी के पहले ही प्रारम्भ हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि वह व्यक्ति उस संस्था में रहता है। बालकों की संस्थाओं में जब किसी बालक को संस्था से जाना होता है तो उस समय उसे वैयक्तिक सेवा-कार्य की और भी अधिक आवश्यकता होती है, किन्तु वृद्धों की संस्थाओं में किसी व्यक्ति को संस्था से जाते समय वैयक्तिक सेवा-कार्य की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती यद्यपि आवश्यकतानुसार उस समय भी उसकी व्यवस्था की जाती है।

जब कोई वृद्ध व्यक्ति किसी संस्था में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र देता है तो प्रवेश के पहले प्रवेशार्थी और उसके परिवार वालों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें पूछते समय भी वैयक्तिक सेवा-कार्य से सम्बन्धित कौशल की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम दो आधारभूत प्रश्न सामने आते हैं—(क) प्रवेशार्थी की आवश्यकताएँ क्या हैं और (ख) क्या संस्था उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है? यदि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में विरोध नहीं है अर्थात् यदि संस्था प्रवेशार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है तो उस व्यक्ति को संस्था में भर्ती कर लिया जाता है और उसके बाद जब तक वह उस संस्था में रहता है, वैयक्तिक सेवा-कार्य की पद्धति से उसकी सहायता करने की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद फिर ये प्रश्न उठते हैं—संस्था की सेवाओं का वह व्यक्ति किस प्रकार उपभोग कर रहा है और उस व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था के कार्यक्रमों को पुनर्व्यवस्थित किया जाता है या नहीं और यदि किया जाता है तो किस रूप में? बच्चों की संस्थाओं की तरह वृद्धों की संस्थाओं में भी भर्ती हुए व्यक्ति के परिवार को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है और इसी कारण यह व्यवस्था की जाती है कि आवासी और उसके परिवार के बीच बराबर सम्पर्क बना रहे क्योंकि सतर्क वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता को इस सम्पर्क के कारण अपने सेवा-कार्य में बड़ी सहायता मिलती है। भले ही वृद्धों की

संस्थाओं में रहने वाले बहुत कम वृद्ध व्यक्ति वहाँ से निकल कर बाहर जाना चाहते हों, पर जब भी ऐसा अवसर आता है तो यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि बाहर जाने वाले व्यक्ति की वैयक्तिक सेवा की सम्भावनाएँ क्या हैं और उन सम्भावनाओं के आधार पर उस व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसकी अधिक-से-अधिक क्या वैयक्तिक सेवा की जा सकती है ?

संस्था से बाहर जाने वाले या बाहर रहने वाले वृद्धों के लिए कार्यक्रम

कुछ संस्थाओं (या वृद्धावास-गृहों) ने अनुभव के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि संस्था से बाहर जाने वाले वृद्ध व्यक्ति के रहने के लिए संस्था के निकट ही किसी परिवार में एक कमरे का प्रबन्ध कर दिया जाय तो संस्था का वैयक्तिक सेवा-कार्य उसके लिए अधिक उपयोगी हो सकता है । ऐसे व्यक्ति को संस्था के कार्यक्रमों में भाग लेने तथा अन्य प्रकार के वे सभी अधिकार प्राप्त होते है जो संस्था के भवन के भीतर समूह में रहने वाले आवासियों को प्राप्त होते हैं । क्लीवलैण्ड के माण्टिफियोर आवास-गृह की ओर से, जहाँ संस्था के बाहर रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों के लिए इस प्रकार के कार्य किये जाते हैं, यह प्रबन्ध किया गया है कि वृद्ध व्यक्ति संस्था के निकट ही किराये का कोई कमरा लेकर रहते और संस्था में ही भोजन करते हैं अथवा उनके निवास-स्थान पर ही भोजन बनाने की सुविधा होती है और वे दिन में एक या दो वक्त का या सभी समय का भोजन अपने हाथ से ही बना लेते है । वह परिवार जिसके साथ ऐसा व्यक्ति रहता है, उसको केवल किरायेदार के रूप में नहीं, बल्कि अतिथि के रूप में सम्मान के साथ अपने घर में रखता है । वह परिवार इस बात के लिए भी वचनबद्ध होता है कि यदि उस वृद्ध व्यक्ति के साथ कोई आकस्मिक घटना घटित होती है या संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ सकता है, जैसे उसके स्वास्थ्य की अन्य कोई स्थिति, तो उस परिवार के लोग तुरन्त माण्टिफियोर-आवास-गृह को इसकी सूचना देंगे । उस कमरे का जो किराया तय होता है उसे माण्टिफियोर आवास-गृह द्वारा प्रतिमास अग्रिम रूप में अदा किया जाता है । उस कमरे में रहने वाला वृद्ध व्यक्ति भी माण्टिफियोर आवास-गृह द्वारा संचालित वैयक्तिक सेवा का उसी प्रकार उपभोग करता है जैसे आवास-गृह के भवन के भीतर रहने वाले आवासी करते है[२३] ।

(२३) हेलेन के० वील–"ऐन आउटरेजिडेण्ट प्रोग्राम इन ए होम फार दएजेड" –जीविश सोशल सर्विस क्वार्टरली ––जिल्द २६, वसन्त १६५३, पृष्ठ ३१०–३१५ ।

न्यूयार्क नगर के पीबाडी आवास-गृह ने इस समस्या को कुछ भिन्न रूप में ग्रहण करके उसका समाधान निकाला है। काफी समय तक प्रवेशार्थियों के आवेदन-पत्रों का परीक्षण और विश्लेषण करते रहने के बाद उस आवास-गृह ने यह समाधान निकाला है। विश्लेपण द्वारा उसे यह पता चला कि प्रवेशार्थियों में से ८० प्रतिशत व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें आवास-गृह के रक्षात्मक देख-भाल की आवश्यकता नहीं थी। "उनमें प्रायः सभी चिन्ताग्रस्त, एकाकी और किकर्तव्यविमूढ़ स्त्रियाँ थीं जिनका उत्साह भंग हो चुका था या साहस टूट गया था और संसार के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत कटुतापूर्ण और विरोधयुक्त था क्योंकि वे समझती थीं कि इस संसार में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। आवेदन पत्र देने के समय उनमें से कुछ तो ऐसी थीं जो आत्महत्या करने का संकल्प कर चुकी थीं, कुछ रोगभ्रम से पीड़ित थीं, कुछ विचित्र सम्प्रदायों में विश्वास करने वाली तथा भोजन-सम्बन्धी सनक रखने वाली थीं जो अपनी सुरक्षा की खोज में दिग्भ्रमित हो गयी थीं। कुछ की निराशा और कुण्ठा कठिनाई ग्रस्त व्यवहारों के रूप में बदल गयी थी जिनके कारण उनके सम्बन्धी, मित्र और पड़ोसी उनकी ओर से एकदम निराश हो चुके थे। इस तरह वे ऐसी औरतें थीं जिन्हें संस्थागत देख-भाल की नही, बल्कि केवल सहायता और निर्देशन की आवश्यकता थी[२४]।"

अतः यह व्यवस्था की गयी कि आवेदन पत्र देने वाली उन स्त्रियों में से कुछ को संस्था में भर्ती तो किया जाय, पर उन्हें संस्था के भवन के भीतर न रखकर यह छूट दे दी जाय कि वे जहाँ और जिस तरह चाहें, रहें। इस व्यवस्था के अनुसार कुछ स्त्रियाँ या तो अपने निजी घरोंमें रहती हैं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ उनके रहने की व्यवस्था की गयी है। कुछ के लिए ऐसे सुसज्जित कमरों की व्यवस्था है जिनमें से कुछ में तो भोजन बनाने की सुविधा है, पर कुछ में यह व्यवस्था नहीं है। कुछ स्त्रियाँ, जो अपने हाथ से खाना बनाना और अकेले खाना पसन्द नही करती हैं, किराये के आवास-गृहों में रहती हैं और कुछ अपने मित्रों या रिश्तेदारों के साथ रहती हैं। माण्टिफियोर आवास-गृह की ओर से वैयक्तिक सेवा-कार्य की जो व्यवस्था की गयी उससे ऐसे सभी व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं जो संस्था के सदस्य होते हुए भी उसके बाहर रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी केन्द्रीय स्थान में स्थित समाज-सेवा-कार्यालयमें सामूहिक कार्यों की व्यवस्था की जाती है। ये बाहर रहने वाले व्यक्ति भी पीबाडी आवास-गृह के परिवार के सदस्य माने जाते हैं और जब भी पीबाडी

(२४) रूथ लेवर्टी—"नानरेजीडेण्ट एड—ए कम्युनिटी प्रोग्राम फार द एजेड"—स्टेट गवर्नमेण्ट, जिल्द २५, अक्टूबर १९५२, पृष्ठ २२२।

आवास-गृह में कोई महत्त्वपूर्ण सामाजिक उत्सव या कार्य होता है उन्हें निमंत्रित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को यह आश्वासन दिया गया रहता है कि अन्त में आवश्यकता पड़ने पर उसे पीबाडी आवास-गृह के भीतर रहने के लिए बुला लिया जायगा। इस प्रकार के आश्वासन के कारण उन व्यक्तियों के मन में अपने भविष्य के विषय में कोई भय या आशंका नहीं रह जाती, उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, और साथ ही पीबाडी आवास-गृह में प्रवेशार्थियों की भीड़ में भी कमी होती है।

पालन-गृह-सेवा

पालन-गृह-सेवा के सिद्धान्तों और पद्धतियों का प्रयोग अनेक क्षेत्रों, जैसे बालकों, पागलों और अपराधियों के लिए किये जाने वाले कार्यों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। अभी कुछ वर्षों से वृद्धों के लिए भी पालन-गृह-सेवा की व्यवस्था की जाने लगी है, पर यह व्यवस्था वहीं की जाती हैं जहाँ उपर्युक्त सेवा-क्षेत्रों की भाँति कुशल वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ताओं की सेवाएँ उपलब्ध हो सकती हैं। इस क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों के समान ही सर्वप्रथम ये आधारभूत प्रश्न सामने उपस्थित होते हैं कि कार्यार्थी (या आवेदक) की आवश्यकता क्या हैं और क्या पालन-गृह की सेवा से उन आवश्यकताओं की सम्यक् पूर्ति हो सकती है ? वृद्ध व्यक्तियों की सहायता के लिए जो अनेक पद्धतियाँ प्रचलित है, उनमें से एक पालन-गृह की सेवा भी है। अन्य सेवा-पद्धतियों में से कुछ की, जिनमें प्रायः वैयक्तिक सेवा-कार्य की आवश्यकता नहीं होती, चर्चा इस अध्याय में पहले की जा चुकी है, जैसे वृद्धों के रहने के लिए कमरे की, अलग मकान की या व्यवस्थापन-गृहों की व्यवस्था।

सन् १६४८ से लेकर अब तक के अपने अनुभवों के आधार पर लांग आइलैण्ड की जेविस कम्युनिटी सर्विसेज नामक संस्था इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि पालन-गृहों की देख-भालसम्बन्धी सहायता प्राप्त करने के लिए जितने लोग आवेदन-पत्र देते हैं, उन्हें निम्न-लिखित वर्गों में रखा जा सकता है—

१. वे वृद्ध व्यक्ति जो अपने लिए स्वयं व्यवस्था नही कर सकते, किन्तु जो समुदाय के भीतर ही तब तक रहना चाहते हैं जब तक उनका रहना वहाँ सम्भव हो। ऐसे व्यक्ति किसी संस्था में रहना किसी भी स्थिति में नहीं पसन्द करते, और यदि कोई संस्था उन्हें रखने को तैयार हो जाती है तो भी वे उसमें नहीं जाना चाहते।

२. ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनका नाम आवास-गृह के प्रवेशार्थियों की प्रतीक्षा सूची में है और जिन्हें प्रतीक्षा-काल की अवधि में सेवा की आवश्यकता होती है।

३. ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिन्हें एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी रूप से आवास-व्यवस्था की आवश्यकता होती है; इसके उदाहरण के लिए किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति को

लिया जा सकता है जिसके पुत्र-पुत्री आदि, जिनके साथ वह रहता है, कहीं लम्बी यात्रा पर चले जाते या बीमार हो जाते है[२५]।

इस संस्था में प्रवेश की शर्तें काफी लचीली है। यह अभिकरण एक धार्मिक वर्ग द्वारा स्थापित किया गया है, अतः पहली शर्त तो यह है कि प्रवेशार्थी को उसी धर्म का अनुयायी होना चाहिए और उम्र ६० वर्ष से कम नही होनी चाहिए। एक महत्त्वपूर्ण नियम यह भी है कि प्रवेशार्थी को अपना आवेदन-पत्र स्वयं देना चाहिए। उसके बाद प्रवेश के पूर्व संस्था के निजी चिकित्सक द्वारा प्रवेशार्थी के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। जो वृद्ध व्यक्ति रोग-शय्या पर पड़े होते या मानसिक व्याधि-ग्रस्त होते हैं उन्हें संस्था में भर्ती नही किया जाता है यद्यपि संस्था द्वारा जितने लोग अब तक लाभान्वित हो चुके हैं उनमें कुछ मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति भी रहे हैं जिनका सफलतापूर्ण व्यवस्थापन किया जा चुका है तथा कुछ ऐसे व्यक्ति भी भर्ती किये जा चुके हैं जो सीधे पागल-खाने से रिहा होकर आये थे। संस्था में भर्ती होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम-से-कम ९० डालर प्रतिमास शुल्क देना पड़ता है। शुल्क की इस राशि का निर्धारण इस आधार पर हुआ है कि राजकीय लोक-कल्याण-विभाग भी आवास-गृहों में रहने के लिए प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को वृद्धावस्था के रूप में इतनी ही धन-राशि का अनुदान देता है। संस्था का अधिकतम शुल्क १४५ डालर है। इस तरह संस्था में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार ९० डालर से लेकर १४५ डालर के बीच की कोई-न-कोई धनराशि शुल्क के रूप में देनी पड़ती है। जो व्यक्ति ९० डालर भी नहीं दे सकता उसका मामला राजकीय लोक-कल्याण-विभाग के पास भेज दिया जाता है। और यदि यह पता चलता है कि वह व्यक्ति वृद्धावस्था-सहायता पाने का अधिकारी पात्र नही है तो अभिकरण (लांग आइलैण्ड की जीविश कम्युनिटी सर्विसेज नामक संस्था) ९० डालर से कम शुल्क लेना भी स्वीकार कर लेता है, किन्तु यह कम धनराशि कितनी हो इसका निर्णय प्रवेशार्थी के सामर्थ्य के आधार पर किया जाता है। आवेदक के साथ व्यवहार करते समय उसे हर कदम पर एक जिम्मेदार कार्यार्थी मान कर उसकी समस्याओं पर विचार किया जाता है और अभिकरण इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करता है कि वह वृद्ध व्यक्ति अपनी सीमित परिस्थितियों के भीतर ही अपनी क्षमताओं का अधिक-से-अधिक उपयोग करे। संस्था में रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों

(२५) विलियम पोजनर—फोस्टर केयर आफ एजेड इन ए मल्टिपुल फंकशन एजेन्सी—न्यूयार्क, कौन्सिल आफ जीविश फेडरेशन ऐण्ड वेलफेयर फण्ड्स, जून १९५२, पृष्ठ ३।

की सहायता के लिए जो वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता नियुक्त किये जाते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति की, संस्था में प्रवेश से लेकर वहाँ से बाहर जाने के समय तक की अवधि में, अपने समस्त वृत्तिक कौशलों के साथ, सहायता करते हैं। इस प्रकार की सेवा आवास-सम्बन्धी सेवा से अधिक महत्त्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके पीछे सामाजिक कार्य-सम्बन्धी यह आधार-भूत विश्वास और तर्क निहित होता है कि व्यक्ति, यहाँ तक की वृद्ध व्यक्ति भी, बदले जा सकते हैं अथवा स्वयं को बदल सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं और यदि उनकी समुचित सहायता की जाय तो वे अपनी परिस्थितियों को उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से नियन्त्रित कर सकते हैं, किन्तु यह तभी सम्भव होता है जब कि ऐसे व्यक्तियों को उनकी समस्या स्वयं सुलझाने में केवल सहायता की जाय, न कि कार्यकर्ता स्वयं ही उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करे[२६]।

गृहकार्य-सहायक

जो वृद्ध व्यक्ति अपने घरों में ही रहना चाहते हैं अथवा जिनके रहने के लिए संस्था स्वयं कोई आवास-व्यवस्था करती है, उनकी सहायता के लिए ऐसे गृहकार्य-सहायकों की व्यवस्था की जाती है जो दिन में कुछ समय तक उन वृद्ध व्यक्तियों का घरेलू काम-धाम करके फिर अपने घर चले जाते हैं। जब इस प्रकार की सेवा की व्यवस्था की जाती है, और प्रायः यह व्यवस्था व्यक्तिगत सहायता से चलने वाले पारिवारिक अभिकरणो द्वारा की जाती है, तो इसे भी अभिकरण द्वारा संचालित वैयक्तिक सेवा-कार्य के एक आवश्यक अंग के रूप में ही माना जाता है। प्रायः इस प्रकार की सेवा-व्यवस्था थोड़े दिनों के लिए की जाती है और जितने समय के लिए यह व्यवस्था की जाती है उतने दिनों तक के लिए वृद्ध व्यक्ति के घरेलू कामों में सहायता करने के लिए किसी गृहकार्य-सहायक की पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रूप में नियुक्ति कर दी जाती है। गृहकार्य-सहायक वस्तुतः अभिकरण का कर्मचारी होता है और अभिकरण ही उसे वेतन भी देता है, किन्तु गृहकार्य-सहायक की सेवाओं के लिए कार्यार्थी को अभिकरण के पास एक निर्धारित शुल्क जमा करना पड़ता है।

(२६) विलियम पोजनर—"केसवर्क प्रासेस इन ए प्राइवेट रेजिडेंस प्रोग्राम फार ओल्डर परसन्स"—जर्नल आफ सोशलवर्क प्रासेस, जिल्द ४, मई १६५३, पृष्ठ ६–२८। और भी देखिए; मार्गरेट डब्ल्यू वैगनर—"फोस्टर होम केयर फार दि एजेड" —जर्नल आफ सोशल केसवर्क, जिल्द २७, अक्टूबर १६४६। पृष्ठ २३८–२४२।

इस सेवा का मुख्य उद्देश्य परिवार के संघटन और शक्ति को सुरक्षित रखना है। जब किसी परिवार को थोड़े दिनों के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उस समय यह सेवा बड़े महत्त्व की होती है। इस सेवा का उपभोग ऐसे परिवारों के लोग अधिक करते हैं जिनमें केवल वृद्ध पति-पत्नी हैं, जिनका काम बड़ी आसानी से चल रहा था और एकाएक उनमें से किसी एक की बीमारी अथवा दुर्घटना के कारण उन्हें विपत्ति-ग्रस्त हो जाना पड़ता है। ऐसे परिवारों को भी गृहकार्य-सहायक की आवश्यकता होती है जिनमें दो अथवा कभी-कभी तीन पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं और जिनमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि सारे परिवार का बोझ बीच वाली पीढ़ी के ऊपर आ पड़ता है जिसे अकेले वहन करना उस पीढ़ी के लिए सम्भव नहीं हो पाता; ऐसी कठिन स्थिति में ही गृहकार्य-सहायक की सेवाओं की आवश्यकता होती है। ऐसे परिवार में गृहकार्य-सहायक को एक ही साथ कई पीढ़ियों के लोगों की सहायता करनी पड़ती है और यह सेवा-कार्य तब तक जारी रहता है जब तक कि उस परिवार के लिए सुखमय जीवन बिताने के लिए अन्य कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो जाती जिसमें परिवार के सभी लोग एक दूसरे के प्रति विरोध रहित होकर आपस में मिलकर रह सकें। कुछ परिवारों की ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिनमें परिवार के लोग अपनी गृहस्थी अलग बसा कर भिन्न-भिन्न स्थानों में रहते हैं और उस परिवार की कोई विवाहिता लड़की अपने घर का काम-धाम देखने के साथ ही अलग रहने वाले अपने माता-पिता की गृहस्थी भी सँभालती हो। ऐसी स्थिति में भी, जहाँ एक ही व्यक्ति पर दो-दो परिवारों की गृहस्थी सँभालने की जिम्मेदारी होती है, गृहकार्य-सहायक की सेवाओं का अस्थायी रूप से तब तक उपयोग किया जा सकता है जब तक कि कोई अन्य उचित व्यवस्था नहीं हो जाती। ऐसे परिवारों के लिए गृहकार्य-सहायता-सम्बन्धी सेवा के साथ-साथ वैयक्तिक सेवा-कार्य-सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था भी की जाती है जिससे परिवार के लोगों को वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता से परामर्श लेने का अवसर प्राप्त होता है। इससे यह लाभ होता है कि भिन्न-भिन्न पीढ़ियों के व्यक्तियों के बीच खाई के समान वर्तमान वे कठिनाइयाँ जिनको कोई कभी खुलकर व्यक्त नहीं करता, सामने आ जाती हैं और उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति संघर्ष और अस्वीकृति की जो भावनाएँ होती हैं तथा अपने भीतर ही जो अपराध-भावना छिपी रहती है, वे सभी प्रकाश में आ जाती हैं और सभी उनके वास्तविक रूप से अवगत हो जाते हैं। इस तरह इस पद्धति द्वारा माता-पिता, पत्नी या पुत्र-पुत्रियों पर भ्रमपूर्ण घातक आरोप लगाने की जगह, वास्तविकता के आधार पर उन कठिनाइयों या विरोधों का समाधान निकालने का प्रयत्न किया जाता है। "अनेक परिवारों में बीच की पीढ़ी के लोग अपने माँ-बाप की ओर ध्यान देने के अपने कर्त्तव्य का इस तत्परता से

पालन करते हैं कि वे अपने लड़कों-बच्चों को एकदम भुला कर उनके लिए स्वयं विनाशक माता या पिता बन जाते है[२७]।"

इस सेवा का एक दूसरा रूप यह है कि कम आय वाले वृद्ध व्यक्तियों को इस बात की आर्थिक सहायता दी जाती है कि वे कुछ कठिन काम, जैसे सप्ताह में एक बार घर की पूरी सफाई आदि, मजदूरी देकर स्वयं करा लें। इस तरह वृद्ध व्यक्ति प्रायः अपने घरेलू कामों की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं और अभिकरण द्वारा नियुक्त गृहकार्य-सहायक की सहायता के बिना भी अपने निजी घर में आसानी से रह सकते हैं। फिर भी कभी-कभी किसी व्यक्ति के साधन इतने सीमित होते है कि दूसरों की (विशेष कर किसी गैर-सरकारी अभिकरण की) पूरक सहायता आवश्यक हो जाती है ताकि उस सहायता के बल पर घर के अधिक श्रम-साध्य कार्य कराये जा सकें। इस स्थिति को हम व्यक्ति के अपने निजी घर में रहने तथा किसी आवास-गृह या सेवा-गृह में जाकर रहने के बीच की स्थिति कह सकते है[२८]।

(२७) गर्ट्रूड आर० डेविस—"विज़िटिंग हाउस कीपर सर्विस फार दि एजेड"— जर्नल आफ सोशल केसवर्क, जिल्द २९, पृष्ठ २३।

(२८) कुछ अन्य क्षेत्रों में सभी आयु-वर्गों के लोगों के लिए किये जाने वाले कई ऐसे कार्य है जिनका वृद्ध व्यक्तियों के सन्दर्भ में भी पर्याप्त महत्त्व है। न्यूयार्क नगर के माण्टीफियोर अस्पताल द्वारा संचालित चिकित्सालयीय गृहसेवा-कार्यक्रम को उदाहरण के रूप में उपस्थित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जीर्णरोग-ग्रस्त रोगियों को जब अस्पताल की देखभाल-सम्बन्धी सेवा की आवश्यकता नहीं रह जाती तो उन्हें अपने घर जाने की अनुमति दे दी जाती है। उन्हें अस्पताल की सभी चिकित्सकीय सेवाएँ, यहाँ तक कि अस्पताली चारपाई भी, अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाती है, इसके अतिरिक्त उनके लिए सामाजिक सेवा और गृहकार्य-सहायक की सेवाओं का भी प्रबन्ध किया जाता है। जब उन रोगियों का फिर अस्पताल की देखभाल-सम्बन्धी सेवा की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें पुनः अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। (देखिए, "होम केयर" नामक पुस्तिका, प्रकाशक, माण्टीफियोर हास्पिटल, न्यूयार्क सिटी, १९४९।)

जीर्ण रोगों से पीड़ित रोगियों की सेवाओं का एक अन्य उदाहरण यह है कि देश भर में जीर्णरोग-ग्रस्त रोगियों के लिए संचालित कार्यक्रमों को अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है और उनसे वृद्ध रोगियों की आवश्यकताओं की भी एक सीमा तक पूर्ति हो जाती है। पुनर्वास-सम्बन्धी सेवाओं के विषय में भी बहुत कुछ यही बात कही जा सकती है क्योंकि

लोक-कल्याण विभाग और समुदाय का उत्तरदायित्व

वृद्ध व्यक्तियों की सहायता के लिए स्थानीय राजकीय लोक-कल्याण विभागों के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्य किये जाते हैं। इन कार्यों में कुछ ये हैं—वृद्धावस्था-सहायता, स्थायी रूप से तथा पूर्णतः अक्षम वृद्धों की सहायता, सामान्य सहायता, उन वृद्धों की सहायता जिनके बच्चे १६ वर्ष से कम उम्र के (यदि विद्यालय में पढ़ते हों तो १८ वर्ष से कम उम्र के) हैं, आश्रित बालकों की सहायता आदि। इन सभी सहायता-सम्बन्धी सेवाओं के विषय में पहले ही इस पुस्तक के एक अध्याय में विचार किया जा चुका है, अतः यहाँ केवल इतना ही बताना पर्याप्त होगा कि इन क्षेत्रों में किये जाने वाले वैयक्तिक सेवा-कार्य का स्तर क्या है। राजकीय लोक-कल्याण विभाग के पास वैयक्तिक सेवा-कार्य से सम्बन्धित इतना अधिक कार्यभार रहता है और दूसरी ओर देश की आबादी में वृद्धों की संख्या इस

पुनर्वास-कार्य देश की पूरी आबादी के लिए किया जाता है, किसी एक आयु-वर्ग के लोगों के लिए ही नहीं। (इस सन्दर्भ में मेरीलैण्ड, बाल्टीमोर के जीर्णरोग-आयोग के कार्य तथा न्यूयार्क विश्वविद्यालय के बेलेव्यू चिकित्सा केन्द्र और शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास-संस्थान के डा० ए० रस्क हावर्ड एवं अन्य विद्वानों द्वारा किये गये कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं।)

आज वृद्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऐसे समय में चिन्ता और दिलचस्पी दिखायी जा रही है जब कि हमें यह अनुभव हो रहा है कि हमारे कार्यक्रम और सेवाएँ अधिकाधिक शोध-कार्यों के परिणामों पर निर्भर होती जा रही है। यह स्थिति गत शताब्दी के उस स्थिति से बिलकुल भिन्न है जब कि हमारे अनेक विकास-सम्बन्धी कार्यों का प्रारम्भ हुआ था। इस समय वृद्धता के सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों, जैसे शरीर-विज्ञान, जीव-रसायनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आदि में शोध-कार्य हो रहा है और सरकारी तथा गैर सरकारी धन की सहायता से विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के तत्त्वावधान में यह शोध-कार्य किया जा रहा है। इस विषय में रुचि रखने वाले पाठकों को निम्न-लिखित साहित्य देखना चाहिए—रिलेटेड रेफरेन्सेज़ आन एंजिंग, ऐन एनोटेटेड बिब्लियोग्रैफी—(संकलन ग्रन्थ), संघीय सुरक्षा-अभिकरण (अब संघीय स्वास्थ्य कल्याण और शिक्षा-विभाग) की वृद्धता एवं जरा-व्याधि-विज्ञान-समिति द्वारा सन् १९५२ में संकलित। नेथन डब्ल्यू० शाक—ए क्लासिफाइड बिब्लियोग्राफी आफ जीराण्टालोजी ऐण्ड जीरियाट्रिक्स—स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, सन् १९५१।

तरह बढ़ती जा रही है कि इस बात का खतरा उत्पन्न हो गया है कि कहीं वृद्धों की सहायता सम्बन्धी सेवा की ओर से लोग लापरवाह या उदासीन न हो जायँ। यह बात जनपदीय कल्याण-विभागों पर विशेष रूप से लागू होती है क्योंकि जनपदीय कल्याण-परिषदों की वित्तनीति बहुत ही मितव्ययितापूर्ण हो गयी है। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता भी वृद्ध व्यक्तियों के लिए वैयक्तिक सेवा-कार्य की पद्धति के प्रयोग की उपयोगिता और महत्त्व के सम्बन्ध में पर्याप्त आस्थावान् नहीं दिखाई पड़ते। यद्यपि गैर-सरकारी सहायता से चलने वाले अभिकरणों द्वारा वृद्ध व्यक्तियों की वैयक्तिक सेवा की दिशा में अनेक नवीन प्रयोग किये जा रहे हैं, फिर भी राजकीय लोक-कल्याण-अभिकरण पर ही इस बात की जिम्मेदारी सबसे अधिक है कि वह अपने वृद्ध कार्यार्थियों के लिए उच्चतम स्तर के वैयक्तिक सेवा-कार्य की व्यवस्था करे। इसके अतिरिक्त राजकीय अभिकरण के लिए यह भी विचारणीय विषय है—और इसके पूर्व प्रमाण भी वर्तमान हैं—कि क्यों न वह भी स्वय इस दिशा में कुछ नया और मार्ग-दर्शक कार्य प्रारम्भ करे। उदाहरण के लिए, जीर्ण रोगों से पीड़ित दुर्दशाग्रस्त रोगियों की सेवा का क्षेत्र ऐसा है जिसमें इस तरह का प्रयोगात्मक सेवा-कार्य किया जा सकता है।

राजकीय लोक-कल्याण विभाग की सेवाओं की उपयोगिता का एक अन्य उदाहरण उन अभिकरणों का कार्य है जिन्होंने कार्यारम्भ करके तथा अपने समस्त साधन-स्रोतों का उपयोग करके वृद्ध व्यक्तियों की समुचित देख-भाल के लिए वृद्धावास-गृहों का निर्माण कराया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उनमें रहने वाल वृद्धों की वैयक्तिक सेवा के लिए ऐसे कुशल कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाय जिनकी सहायता से उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं की समुचित रीति से पूर्ति हो सके[२९]।

वृद्धों की सेवा से सम्बन्धित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, जिनका प्रारम्भ अभी कुछ वर्षों से ही हुआ है, ये प्रश्न उठाये गये हैं कि उन की समाजिक सेवा किस स्थान पर होनी चाहिए, और उनके लिए की जाने वाली सेवाओं के बीच समन्वय स्थापित करने, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनका नेतृत्व करने का उत्तरदायित्व किस पर होना चाहिए? अब तक उनके लिए किया जाने वाला सेवा-कार्य विभिन्न संस्थाओं के तत्त्वावधान में होता आया है। उनसे सम्बन्धित वैयक्तिक सेवा-कार्य मुख्यतः गैर-सरकारी और सेवा-भावना से काम करने वाले अभिकरणों, विशेष कर साम्प्रदायिक अभिकरणों, द्वारा किया जाता रहा है।

(२९) डोरोथी बी० प्रूसिन—"हेल्पिंग ओल्डर परसन्स रिमेन इन द कम्युनिटी"—पब्लिक वेलफेयर, जिल्द ११, जुलाई १९५३, पृष्ठ १०३–१०५।

पालन-गृह-सेवा और वैयक्तिक सेवा-कार्य के सम्बन्ध में तो यह बात निश्चित रूप से सत्य है, पर दीर्घकालीन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली सहायता, जैसे वृद्धावस्था-सहायता, आवास-गृह की सेवाओं की व्यवस्था आदि का कार्य मुख्यतः राजकीय लोक-कल्याण-विभाग करता रहा है। राजकीय अभिकरण पर अन्य क्षेत्रों के वैयक्तिक सेवा-कार्य का इतना अधिक भार रहता है कि वह वृद्धों के लिए ठोस, उपयुक्त और उपयोगी वैयक्तिक सेवा-कार्य की व्यवस्था नही कर सका है। अनेक सामूहिक कार्य-अभिकरणों ने वृद्ध व्यक्तियों की सेवा में अपनी साधन-सुविधाओं और सेवाओं को विनियोजित करके दिशा-निर्देश का स्तुत्य कार्य किया है। सामाजिक अभिकरणों की कौंसिलों ने अपने प्रभाव का उपयोग करके समुदाय में वर्तमान विभिन्न संघटनों और समितियों के माध्यम से इस क्षेत्र में नवीन सेवा-कार्यों का प्रारम्भ किया या उन्हें प्रोत्साहित किया है। अब तक विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी सामुदायिक संगठनों की, चाहे वे वैयक्तिक सेवा-कार्य करते हों या सामूहिक कार्य, स्पष्ट परिभाषा नही निश्चित हो सकी है और न तो उनके पारस्परिक भेद को ही लोग अच्छी तरह समझ सके हैं। अमेरिका में अधिकांश सामाजिक सेवाओं का विकास किस प्रकार हुआ है, यह बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है क्योंकि उनकी एक निश्चित परम्परा है। यद्यपि अनेक समुदायों में व्यापक पैमाने पर सामाजिक सेवा के कार्य-क्रम चलाये जा रहे हैं, किन्तु यह बात सामान्यतया स्वीकार की जाती है कि इस दिशा में नये प्रयोगों के लिए पर्याप्त गुञ्जाइश है। यद्यपि यह सही है कि हम सेवा-भावना से काम करने वाले अभिकरणों से यह आशा रखते हैं कि वे सीमित, किन्तु प्रयोगात्मक आधार पर सामाजिक सेवासम्बन्धी नवीन प्रायोजनाओं का प्रारम्भ करने का अपना ऐतिहासिक उत्तरदायित्व पूरा करते रहेंगे, किन्तु हम इस बात पर विशेष बल देना चाहते हैं कि लोक कल्याण-सम्बन्धी राजकीय अभिकरणों को इस दिशा में सबसे आगे बढ़कर नेतृत्व सँभालना चाहिए हालाँकि उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। पिछले तीन दशकों से इस देश में इस तथ्य का ज्ञान अधिक होता जा रहा है कि यहाँ की आबादी में बहुत अधिक परिवर्तन हुए है और उन परिववर्तनों के सन्दर्भ में समुचित सामाजिक सेवाओं का विकास आवश्यक है। राजकीय समाज-कल्याण-अभिकरणों ने केवल दो दशकों से इस दिशा में विशेष रूप से प्रगति करना प्रारम्भ किया है और इस समय उनकी जो स्थिति है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि केवल दो दशकों में ही समूचे सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उनका स्थान सर्व प्रमुख हो गया है। वृद्ध व्यक्तियों की सेवा से सम्बन्धित कार्यक्रम राजकीय कल्याण-विभाग के सामने एक चुनौती के रूप में उपस्थित हुए हैं क्योंकि लोक-कल्याण-विभाग को न केवल इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त है, बल्कि सामान्य जनता भी उनसे यह आशा रखती है कि उन्हें वृद्ध व्यक्तियों की

सेवा और सहायता के लिए अपने अधिकारों और साधनों का यथोचित प्रयोग करना चाहिए[१०]।

उपर्युक्त कथन का यह अर्थ नहीं है कि वृद्ध व्यक्तियों की सेवा का समूचा भार सामाजिक कार्य करने वालों को ही वहन करना चाहिए। हमारा तात्पर्य इससे बिलकुल भिन्न है। उत्तरोत्तर विकासमान कल्याणकारी सेवाओं के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ कार्य करना बाकी है और जहाँ तक वृद्ध व्यक्तियों की सामाजिक सेवा का प्रश्न है यह कार्य भी समूची आबादी के लिए संचालित सेवाओं और कार्यक्रमों का ही एक अंग है। इस अध्याय में वृद्ध व्यक्तियों की सेवा से सम्बन्धित जो तथ्य उपस्थित किये गये है उन्हें विवेचनात्मक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि इस विषय से सम्बन्धित अनेक बातें है जिन पर विचार करना आवश्यक है तथा यह भी आवश्यक है कि उनमें से अधिकांश को एक दूसरे से सम्बद्ध करके उन पर विचार किया जाय। हमने इस अध्याय में नवीन कार्यक्रमों की योजना नहीं उपस्थित की है; इसमें केवल वृद्धों की आय की रक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, व्यावसायिक पुनर्वास, आवास-व्यवस्था, व्यवसायगत मनोरंजन और अनुसंधान-जैसे कुछ विषयों की चर्चा की गयी है। ये सभी विषय सामाजिक कल्याण की दृष्टि से विचारणीय हैं क्योंकि यदि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति उचित रूप से नही होती है तो कल्याण-कार्यो पर भी इसका प्रभाव पड़े बिना नही रह सकता। अतः उन बड़े और महत्त्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित कार्यक्रम बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना आवश्यक है। जब वे कार्यक्रम कार्यान्वित होने लगेंगे और इस तरह सामाजिक सेवाओं का समाज में समुचित स्थान मान्य हो जायेगा तभी हमें इस बात का सन्तोष होगा कि हमने कठिनाइयों का साहस के साथ सामना किया, उन्हें ठीक ढंग से समझा और सफलतापूर्वक उनको हल किया।

(३०) रेनाल्ड एम० हिलीयार्ड––"प्लैनिंग सर्विसेज फार दि एजेड : (१) बाई द स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेण्ट"––प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल कान्फेरेन्स आफ सोशल वर्क, १९४७––पृष्ठ ४०२–४१०। जेरोम कैपलन––"ए सोशल प्रोग्राम फार ओल्डर पीपुल"––मीनियापोलिस, यूनिवर्सिटी आफ मिनेसोटा प्रेस, १९५३। हैरी ए० लेवाइन ––"कम्युनिटी प्रोग्राम्स फार द एल्डरली"––एनल्स, जिल्द २७९, जनवरी १९५२, पृष्ठ १६४–१७०। बेन्फेयर कौंसिल आफ मेल्ट्रापोलेटन शिकागो, कम्युनिटी सर्विसेज फार ओल्डर पीपुल––शिकागो, १९५२। एलिजाबेथ विकेण्डेन––द नीड्स आफ ओल्डर पीपुल एण्ड पब्लिक वेल्फेयर सर्विसेज टु मीट देम––शिकागो अमेरीकन पब्लिक वेलफेयर एसोशियेशन, १९५४।

इस शताब्दी में वृद्धों की समस्या इतनी उग्र हो गयी है कि इस क्षेत्र में उपर्युक्त कार्यक्रमों को चलाने की और भी अधिक आवश्यकता तथा उसके लिए पर्याप्त अवसर है ।

सहायक ग्रन्थ-सूची

पुस्तकें और पुस्तिकाएँ

फ्लायेड ए० बाण्ड––ओवर नीडी एजेड; ए कैलिफोर्निया स्टडी आफ ए नेशनल प्राब्लम––न्यूयार्क, हेनरी होल्ट एण्ड कम्पनी, १९५४ ।

अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्गेस (सम्पादन)––एजिंग एण्ड रिटायर्मेण्ट––द अमेरिकन जर्नल आफ सोशियालाजी, जनवरी १९५४ ।

एलिजाबेथ ब्रेकिनरिज––इफेक्टिव यूज आफ ओल्डर वर्कर्स––शिकागो, विलकाक्स एण्ड फालेट कम्पनी, १९५३ ।

मिल्टन डर्बर (सम्पादन)––द एजेड एण्ड सोसाइटी : ए सिम्पोजियम आन द प्राब्लम्स आफ एन एजिंग पापुलेशन––सैम्पेन (इलियानोइस), इंडस्ट्रीयल रिलेशन्स रिसर्च एसोसियेशन, १९५० ।

विल्मा डोना ह्यू और क्लार्क टिब्बिट्स (सम्पादन)––ग्रोइंग इन द ओल्डर इयर्स––एन आर्बर, यूनिवर्सिटी आफ मिशिगन प्रेस, १९५१ ।

प्लैनिंग द ओल्डर ईयर्स––प्रकाशक वही, सन् १९५० ।

विल्मा डोना ह्यू, जेम्स रे (जूनियर), और रोजर बी० वेरी (सम्पादन)––रिहैबिलिटेशन आफ द ओल्डर वर्कर––प्रकाशक वही, १९५३ ।

अब्राहम एपिस्टाइन––द चैलेञ्ज आफ द एजेड––न्यूयार्क, द वानगार्ड प्रेस, १९२८ ।

फैक्ट बुक आन एजिंग––वाशिंगटन डी०सी०, फेडरल सेक्योरिटी एजेन्सी, कमिटी आन एजिंग एण्ड जेरियाट्रिक्स, यू० एस० गवर्नमेण्ट प्रिंटिंग आफिस, १९५२ ।

सुसान एच० कूबी और जेरट्रूड लैण्डाउ––ग्रुप वर्क विथ द एजेड––न्यूयार्क इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटीज प्रेस, १९५३ ।

जेरोम कैप्लन––ए सोशल प्रोग्राम फार ओल्डर पीपुल––मिनियापोलिस यूनिवर्सिटी आफ मिनेसोटा प्रेस, १९५३ ।

मैन एण्ड हिज इयर्स––एन एकाउण्ट आफ द फर्स्ट नेशनल कान्फरेन्स आन एजिंग, स्पान्सर्ड बाई द फेडरल सेक्योरिटी एजेन्सी, रेले, एन० सी, हेल्थ पब्लिकेशन्स इन्स्टीच्यूट १९५१ ।

जिनेवा मेथियासेन (सम्पादन)—क्राइटेरिया फार रिटायर्मेण्ट—न्यूयार्क, जी० पी० पुटनम्स सन्स, १९५३ ।

पाल बी० मेस और जे० लेनार्ट सेडरलीफ—ओल्डर पीपुल एण्ड द चर्च—नौशविले, एंलिगडन-कोक्सबरी प्रेस, १९४९ ।

राबर्ट टी० मोनरो—डिज़ीजेज़ इन ओल्ड एज—केम्ब्रिज, हार्वर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, १९५१ ।

न्यूयार्क स्टेट ज्वाइण्ट लेजिस्लेटिव कमिटी आन प्राब्लम्स आफ एंजिग, न्यू बरो, न्यूयार्क द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकाएँ—बर्थडेज डोण्ट काउण्ट (१९४८) नेवर टू ओल्ड (१९४९), यंग ऐट एनी एज (१९५०), नो टाइम टु ग्रो ओल्ड (१९५१), एज इज नो बैरियर (१९५२), एनरिचिंग द इयर्स (१९५३) और ग्रोइङ्ग विथ द इयर्स (१९५४) ।

"सेलेक्टेड पेपर्स आन एंजिग—नेशनल कानफरेन्स आफ सोशल वर्क, कोलम्बस, ओडियो, १९५२ ।

नैथन डबल्यू० शाक—ए क्लासिफाइड बिब्लियोग्राफी आफ जीराण्टालोजी एण्ड जीरियाट्रिक्स, स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, १९५१ ।

"—(सम्पादन)—प्राब्लम्स आफ एंजिग—न्यूयार्क, जोसिया मैकी (जूनियर), फाउण्डेशन, १९५२ ।

"—ट्रेण्ड्स इन जीराण्टालोजी —स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, १९५१ ।

लियोडब्ल्यू साइमन्स—द रोल आफ द एजेड इन प्रिमिटिव सोसाइटी—न्यू हैवेन, एल युनिवर्सिटी प्रेस, १९४५ ।

टी० लिन स्मिथ (सम्पादन)—लिविंग इन द लेटर इयर्स—गैनेसविले, युनिवर्सिटी आफ फ्लोरिडा प्रेस, १९५२ ।

प्राब्लम्स आफ अमेरिकाज़ एंजिंग पापुलेशन—प्रकाशक वही. १९५१ ।

एडिथ स्टर्न और मेबेल रास—यू एण्ड योर एंजिंग पेरेण्ट्स—न्यूयार्क, ए० ए० विन, १९५२ ।

एडवर्ड जे० स्टीगलित्ज़—द सेकेण्ड फार्टी इयर्स—फिलाडेल्फिया, जे० नी० लिमिनकाट कम्पनी, १९४६ ।

क्लार्क टिब्बिट्स (सम्पादन)—लिविंग थ्रू द ओल्डर इयर्स—ऐन आर्बर, युनिवर्सिटी आफ मिशिगान प्रेस, १९४९ ।

क्लार्क टिब्बिट्स (सम्पादन)—सोशल काण्ट्रीब्यूशन बाई द एंजिग—फिलाडे-

ल्फिया, एनल्स आफ दी अमेरिकन एकेडमी आफ पोलिटिकल एण्ड सोशल साइन्स, जनवरी, १९५२ ।

वेलफेयर कौंसिल फार मेट्रोपोलिटन शिकागो द्वारा प्रस्तुत "कम्युनिटी सर्विसेज़ फार ओल्डर पीपुल—द शिकागो प्लैन"—शिकागो, विलकाक्स एण्ड फालेट कम्पेनी, १९५२ ।

एलिज़ाबेथ विकेण्डन—द नीड्स आफ ओल्डर पीपुल एण्ड पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज़ टु मीट देम—शिकागो, अमेरिकन पब्लिक वेलफेयर एसोसियेशन, १९५४ ।

आर्थर विलियम्स—रिक्रियेशन फार द एजिंग—न्यूयार्क, एसोसियेशन प्रेस, १९५३ ।

जेम्स एच० वुड्स—हेल्पिंग ओल्डर पीपुल एन्ज्वाय लाइफ—न्यूयार्क, हार्पर एण्ड ब्रदर्स, १९५३ ।

महत्त्वपूर्ण निबन्ध

गर्ट्यूड आर० डेविस—"विजिटिंग हाउसकीपर फार द एजेड"—जर्नल आफ सोशल केसवर्क, जिल्द २९, जनवरी, १९४८, पृष्ठ २२–२७ ।

मेरीगैल्पर्न, हेलेन टर्नर और आलविन गोल्डफार्ब—"साइकियाट्रिक इवैलुएशन आफ ऐप्लीकैण्ट्स फार ए होम फार दी एजेड"—सोशल केसवर्क, जिल्द ३३, अप्रैल १९५२, पृष्ठ १५२–१६० ।

रूथ हिल—"फोकसिंग अटेन्शन आन ओल्डर पीपुल्स नीड्स"—जर्नल आफ सोशल केसवर्क, जिल्द ३०, दिसम्बर १९४९, पृ० ४०५–४११ ।

पाल बी० लेमकाउ—"द मेण्टल हाइजिंग आफ एजिंग"—पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट्स, जिल्द ६७, मार्च १९५२ पृष्ठ २३७–२४१ ।

जोसेफ डब्ल्यू० माउनटिन—"कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज़ फार ऐन एजिंग पापुलेशन"—पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट्स, जिल्द ६७, अक्टूबर, १९५२, पृष्ठ ९४९–९५३ ।

विलियम पोज़नर—"केसवर्क प्रासेज इन ए प्राइवेट रेजिडेन्स प्रोग्राम फार ओल्डर पर्सन्स"—जर्नल आफ सोशल वर्क प्रासेज, जिल्द ४, मई १९५३, पृष्ठ ९–२८ ।

सारा एस० रैप—"बोर्डिंग केयर फार द एजेड सिक"—द फेमिली, जिल्द २७, जून १९४६, पृष्ठ १९२–१९६ ।

रोजमेरी रेनाल्ड्स, एमी एस० पावेल और मारिस ज़ेलडिज—"केसवर्क एण्ड द एजिंग पापुलेशन"—जर्नल आफ सोसल केसवर्क, जिल्द ३०, फरवरी १९४९, पृष्ठ ५८–६५ ।

इलियास सेवित्स्की––"साइकोलाजिकल फैक्टर्स इन न्यूट्रिशन आफ द एजड", सोशल केसवर्क, जिल्द ३४, दिसम्बर १९५३, पृष्ठ ४३५–४४० ।

मार्गरेट डब्ल्यू वैगनर––"फोस्टर होम केयर फार द एजेड"––जर्नल आफ सोशल केसवर्क, जिल्द २७, अक्तूबर १९४६, पृष्ठ २३८–२४२ ।

"––" "मेण्टल हेजार्ड्स इन ओल्ड एज"––द फेमिली , जिल्द २५, जू १९४४, पृष्ठ १३२–१३७ ।

––:०:––

श्रीमती बेन्सन

विलियम पोजनर––सहायक निदेशक
एवं
आर्थर एस० फार्बर––संयुक्त परिवीक्षक
जीविश कम्युनिटी सर्विसेज़, लांग आइलैण्ड ।

भूमिका

जो वृद्ध व्यक्ति किसी विशेष कारण से अपने घर में अथवा अपने किसी कुटम्बी या रिश्तेदार के साथ नही रह सकते, उनकी देख-भाल के लिए समुदाय में जितने भी कार्यक्रम प्रचलित हैं उनकी तुलना में वृद्धों के लिए पालन-गृह-व्यवस्थापन (जिसे हम निजी आवास-व्यवस्था कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं) एक नवीन प्रयोग है । इस प्रकार की नवीन सेवा-पद्धति के प्रति किस तरह लोगों में अभिरुचि उन्पन्न हो रही है. इसका उल्लेख पहले (देखिए अध्याय ६) किया जा चुका है । यद्यपि यह पद्धति अभी प्रारम्भिक अवस्था में है, फिर भी उसके सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान-वृद्धि हुई है और उसका प्रयोग भी उत्तरोत्तर अधिक होने लगा है । अगले पृष्ठों में लांग आइलैण्ड के यहूदी सामुदायिक सेवा-संस्था द्वारा की जाने वाली सेवाओं तथा उसके तत्त्वावधान में चलने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा और यह देखने का प्रयत्न किया जायेगा कि इस संस्था के कार्यो के अन्तर्गत उसके द्वारा संचालित वृद्धों के लिए निजी आवास-व्यवस्था-सम्बन्धी कार्यक्रम का क्या स्थान और महत्त्व है ।

यहूदी सामुदायिक सेवा-संस्था एक ऐसा पारिवारिक अभिकरण है जो बहुमुखी सेवा-कार्य करता है । उसके सभी कार्य तीन विभागों में विभक्त हैं,––बाल और युवा-सेवा, पारिवारिक सेवा और वृद्ध-सेवा । इसी संघटनात्मक ढांचे के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग

अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अनेक विध सेवा-कार्य करता है । उन में से कुछ उल्लेखनीय सेवा-कार्य ये हैं—परामर्श-सेवा, मनश्चिकित्सकों के एक दल द्वारा मानसिक रोगियों की चिकत्सा की व्यवस्था, विविध प्रकार की आर्थिक सहायता (निर्वाह-सहायता को छोड़ कर) सम्बन्धी सेवाएँ, गृह-कार्य-सहायता-सेवा, सामूहिक परामर्श-सेवा, अन्य अभिकरणों के पास मामले भेजने का कार्य आदि ।

वृद्धों के लिए किये जाने वाले सेवा-कार्यों के अन्तर्गत वृद्धों के निमित्त निजी आवास-व्यवस्था का कार्यक्रम एक विशिष्ट सेवा-कार्य है । एक अन्य सामुदायिक अभिकरण ऐसा है जो केवल बच्चों को पालन-गृहों में व्यवस्थापित करने का कार्य करता है । उसी तरह जीविश सामुदायिक सेवा-संस्था भी केवल वृद्ध व्यक्तियों के लिए पालन-गृहों की देख-भाल की सुविधा दिलाने अर्थात् उन्हें अन्य व्यक्तियों के घरो में व्यवस्थापित करने का प्रबन्ध करता है ।

वृद्ध सेवार्थी

न्यूयार्क और उसके आसपास के बृहत्तर क्षेत्र में रहने वाला कोई भी यहूदी जिसकी अवस्था ६० वर्ष से कम नही है, उपर्युक्त सेवा से लाभ उठाने का अधिकारी माना जाता है । किन्तु वैयक्तिक सेवा-कार्य के कौशल-सम्बन्धी ज्ञान के लिए उपयोगी होने पर ६० वर्ष से कम उम्र वाले वृद्ध व्यक्तियों के मामले भी हाथ में ले लिये जाते हैं । इस सेवा के लिए पात्रता-सम्बन्धी दूसरी बुनियादी शर्त यह है कि यदि कोई व्यक्ति भावात्मक या शारीरिक कठिनाइयों या दोनों के कारण अपने वयस्क पुत्र-पुत्रियों के साथ अथवा अकेले ही रहने में असमर्थ है, तभी वह इस सेवा को प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है । शारीरिक या चिकित्सकीय शर्तें बहुत लचीली हैं । जो व्यक्ति पूर्णतः रोग-शय्या-ग्रस्त हैं, उन्हें छोड़कर अन्य सभी वृद्ध व्यक्ति इस सेवा से लाभ उठा सकते हैं, यहाँ तक कि जिन्हें ऐम्बुलेन्स गाड़ी पर उठाने की आवश्यकता पड़े, और जिन्हें विशेष देख-भाल की आवश्यकता हो उनको भी शारीरिक दृष्टि से सेवा प्राप्त करने के योग्य माना जा सकता है । उसी तरह जो व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित रह चुके हैं, वे भी इसके अधिकारी हो सकते है । इस तरह शारीरिक या चिकित्सकीय दृष्टि से केवल उन व्यक्तियों को ही इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने से वंचित रहना पड़ता है जिनके लिए वस्तुतः अभिरक्षात्मक देख-भाल की आवश्यकता होती है । अभिकरण की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण शर्त यह है कि वृद्ध कार्यार्थी भावात्मक दृष्टि से इस बात के लिए तैयार हो कि उसके लिए वैयक्तिक सेवा का जो कार्य किया जायगा वह उससे पूरी तरह सहयोग करेगा और व्यवस्थापन की प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी शर्तों को स्वीकार करेगा ।

एक शर्त यह भी है कि व्यवस्थापन के पूर्व अभिकरण का चिकित्सक सेवार्थी का भली-भाँति चिकित्सकीय परीक्षण करेगा। इस परीक्षण का उद्देश्य कार्यार्थी की पात्रता का पता लगाना उतना नहीं है जितना इस बात की ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करना है कि उसके स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति क्या है ताकि व्यवस्थापन के बाद उसी के अनुसार उसकी देख-भाल की व्यवस्था की जा सके। इस तरह हर हालत में किसी कार्यार्थी की पात्रता या अपात्रता का निर्णय करने की जिम्मेदारी अन्ततः अभिकरण या उसके कार्यकर्ता के ऊपर होती है।

अन्तिम शर्त आर्थिक है, अर्थात् प्रत्येक सेवार्थी के लिए कम से कम ९० डालर का मासिक शुल्क देना अनिवार्य होता है। शुल्क की राशि ९० डालर इस कारण निर्धारित की गयी है कि राजकीय लोक-कल्याण विभाग आवास-गृहों में रहने वाले ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को जो वृद्धावस्था-सहायता पाने के अधिकारी हैं, प्रतिमास सहायता के रूप में ९० डालर देता है। शुल्क की यह राशि निर्धारित करने में अभिकरण का दृष्टिकोण यह था कि यदि कोई वृद्ध व्यक्ति स्वयं शुल्क देने में असमर्थ हो तो वृद्धावस्था-सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकारी पात्र होने पर उस सहायता की राशि से वह अपना मासिक शुल्क दे सकता है। इस नियम में अपवाद तभी उपस्थित होता है जब कि कोई कार्यार्थी स्वयं तो यह शुल्क देने में असमर्थ होता ही है, राजकीय लोक-कल्याण विभाग भी उसे वृद्धावस्था-सहायता के लिए अनधिकारी मान कर सहायता देना अस्वीकार कर देता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर कार्यार्थी से बातचीत करके उसकी स्थिति के अनुसार उसके लिए मासिक शुल्क कम कर दिया जाता है। मासिक शुल्क की दर के अनुसार जो व्यक्ति अधिक शुल्क देने में समर्थ होते हैं, उनसे बातचीत करके व्योरे की बातें तय करने के बाद उनका मासिक शुल्क निर्धारित किया जाता है। अधिकतम मासिक शुल्क १४५ डालर रखा गया है। इसका कारण यह है कि जिन घरों में इन वृद्ध व्यक्तियों को व्यवस्थापित किया जाता है उनके मालिकों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से १४५ डालर प्रतिमास देना पड़ता है।

व्यवस्थापन के लिए सेवार्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार करने के साथ ही अभिकरण की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह उस व्यक्ति की स्थायी रूप से देख-भाल की व्यवस्था करे। यदि कोई व्यक्ति व्यवस्थापन के बाद पालन-गृह में अधिक दिनों तक रहने में अपने को असमर्थ पाता है तो अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करने की दिशा में उसकी सहायता की जाती है। व्यवस्थापन-काल में अभिकरण अपने चिकित्सकों द्वारा उस व्यक्ति की चिकित्सा की सुविधा प्रदान करता है और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं से सम्बन्धित उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। इसके अतिरिक्त

अभिकरण द्वारा उसको मनोरंजन की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसके मामले को अन्य अभिकरणों के पास भेजने की भी व्यवस्था की जाती है ।

कोई वृद्ध व्यक्ति अन्यत्र अपने व्यवस्थापन की बात क्यों सोचता है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, किन्तु एक सामान्य कारण, जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है, यह है कि वृद्ध व्यक्ति अपने लिए जिस प्रकार की देख-भाल चाहते हैं, वह उन्हें व्यवस्थापन द्वारा उपलब्ध हो जाती है । ऐसे व्यक्ति किसी भी हालत में किसी संस्था के भीतर व्यवस्थित होना नहीं पसन्द करते । उनकी यह हार्दिक इच्छा होती है कि वे अधिक से अधिक दिनों तक समाज का अंग बन कर समुदाय के लोगों के साथ रहें, इसीलिए वे किसी संस्था के सीमित दायरे में एक विशेष समूह के साथ उस संस्था के कायदे-कानूनों से बँध कर नहीं रहना चाहते । ऐसे लोगों की दृष्टि में संस्था में रहने का अर्थ अपनी स्वतन्त्रता को पूर्णतः खो देना है । इसी से वे अपने रहने की ऐसी व्यवस्था अधिक पसन्द करते हैं जिसमें उन्हें यथासम्भव अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त रहती है । यद्यपि यह सत्य है कि बहुत से वृद्ध व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो किसी संस्था के सब प्रकार से सुरक्षित वातावरण में रहना अधिक पसन्द करते है,पर या तो वे वृद्धावास-गृह में रहने का अधिकारी पात्र न होने के कारण अथवा प्रवेश के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करने में अपने को असमर्थ पाकर पालन-गृह में अपने व्यवस्थापन के लिए आवेदन-पत्र दे देते हैं । पर ऐसे वृद्ध व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है ।

इस संस्था द्वारा व्यवस्थित होने वाले अधिकांश वृद्ध व्यक्ति अन्य सामुदायिक अभिकरणों, जैसे अस्पताल, वृद्धावास-गृह और वृद्ध यहूदियों की सहायता के लिए संघटित केन्द्रीय परिषद द्वारा भेजे हुए होते हैं । इनमें से अन्तिम संस्था यहूदी सम्प्रदाय का एक ऐसा संगठन है जिसका कार्य केवल विभिन्न सेवा-कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के मामलों को उपयुक्त अभिकरणों के पास भेजना है । इस अभिकरण के निदेशक-मण्डल के सदस्यों तथा अन्य सामान्य व्यक्तियों द्वारा जो व्यक्ति यहूदी सामुदायिक सेवा-संस्था के पास भेजे जाते हैं उनकी संख्या आश्चर्यजनक रूप से अधिक होती है ।

निजी आवास-व्यवस्था

जो व्यक्ति इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि उनके घर में वृद्ध व्यक्तियों के लिए निजी आवास अथवा पालन-गृह की व्यवस्था की जाय वे इस सम्बन्ध में अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए सीधे अभिकरण के पास आवेदन-पत्र देते हैं । किन्तु कभी-कभी यहूदी सामुदायिक सेवा-संस्था इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन निकलवाती है जिसके

फलस्वरूप उसके पास इस तरह के आवेदन-पत्र आते है । आवेदन-पत्र भेजने वाले मकान मालिक प्रायः मध्य वय वाले प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं जिनके बच्चे या तो विकास की अवस्था में होते हैं या वयस्क होकर परिवार से अलग हो गये रहते है । किन्तु बहुत-से युवावस्था वाले व्यक्ति भी इस काम में दिलचस्पी रखते है और ये चाहते हैं कि उनके घर में उनके बच्चों के लिए कोई "दादा या दादी" आकर रहे । इसी तरह अनेक वृद्ध व्यक्ति भी अभिकरण के पास इस आशय का आवेदन-पत्र देते है कि वे अपने घर में अन्य वृद्ध व्यक्तियो को व्यवस्थित करना चाहते है । इस तरह ये सभी लोग दुर्भाग्य-ग्रस्त वृद्ध व्यक्तियों की देख-भाल-सम्बन्धी सेवा मे हाथ बँटा कर समाज के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध करते है ।

आवास-गृहों के मालिकों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से १४५ डालर मासिक शुल्क दिया जाता है। इस राशि में कमरे का किराया, भोजन-खर्च, अन्य आकस्मिक व्यय तथा छोटी-मोटी आवश्यक सेवाओं का खर्च सम्मिलित होता है । मकान मालिक के लिए निम्नलिखित शर्तें होती है—

१. उसे निश्चित रूप से यहूदी होना चाहिए ।

२. आवास-गृह के किराये के अतिरिक्त उसके परिवार की निजी आय भी होनी चाहिए ।

३. उस व्यक्ति को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि यदि अभिकरण उसे अपने कार्यालय में साक्षात्कार के लिए बुलाये तो उसे आने मे अथवा आवेदन-पत्र देने में आपत्ति नहीं होगी ।

४. उसे इसके लिए भी राजी होना चाहिए कि यदि अभिकरण उसके आवेदन-पत्र पर विचार करने के दौरान अपना कोई प्रतिनिधि उसका घर देखने के लिए भेजता है अथवा उसके परिवार में रहने वाले सदस्यों से साक्षात्कार करना चाहता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

५. उसका आवेदन-पत्र स्वीकृत करने के पूर्व अभिकरण अपने चिकित्सक द्वारा उसके स्वास्थ्य की जाँच करायेगा ताकि यह पता चल सके कि वह एक अन्य व्यक्ति की देख-भाल करने की शारीरिक क्षमता रखता है या नही ।

६. उसे कार्यार्थी के लिए एक अलग कमरा निश्चित कर देना होगा जिसे कार्यार्थी अपना निजी कमरा समझ सके ।

७. उसे इस बात के लिए राजी होना चाहिए कि वह आवासी वृद्ध व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन की व्यवस्था करेगा और कभी-कभी उसे विशेष भोजन भी खिलायेगा ।

८. यदि वृद्ध आवासी बीमार हो जाता है तो उस हालत में गृहपति उसकी सेवा करने को तैयार रहेगा ।

९. उससे सदैव यह आशा की जायेगी कि वह आवासी वृद्ध व्यक्ति के परिवार वालों और मित्रों के आने पर उनके साथ उसी प्रकार का शिष्ट व्यवहार करेगा जैसा समाज में मान्य और प्रचलित है ।

१०. उसे इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि वह आवासी की नित्य की बुनियादी जरूरतों, जैसे साबुन, लीलेन, टेलीफोन आदि की व्यवस्था करेगा ।

११. एक अनिवार्य शर्त यह भी है कि वह (मकान मालिक) अभिकरण के कार्यों में सहयोग करेगा और अभिकरण द्वारा किये जाने वाले पर्यवेक्षण और सहायता के कार्यो में कोई बाधा नहीं उपस्थित करेगा ।

यदि आवास-व्यवस्था के लिए आवेदन-पत्र देने वाला व्यक्ति राजकीय सहायता पाता है तो उसके लिए किसी घर में रहने की व्यवस्था तभी हो सकती है जब कि राजकीय लोक-कल्याण विभाग को उस घर और उस परिवार के सदस्यों के बारे में कोई आपत्ति न हो ।

आवेदनकर्ता के व्यवस्थित हो जाने के बाद अभिकरण नियमित रूप से उसके तथा उसके मकान मालिक की गतिविधि के पर्यवेक्षण की व्यवस्था करता है ।

श्रीमती बेन्सन का व्यवस्थापन के लिए आवेदन[1]

श्रीमती बेन्सन एक विधवा वृद्धा थी जो ८५ वर्ष की अवस्था में भी पर्याप्त स्वस्थ थी । वृद्ध यहूदियों की सहायता करने वाली केन्द्रीय परिषद् ने श्रीमती जान्सन का मामला यहूदी सामुदायिक सेवा-संस्था के पास भेजकर उसके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में सिफारिश की थी । श्रीमती बेन्सन जर्मनी से लौटने के बाद अपनी पुत्री श्रीमती ग्लिक के साथ कई वर्षों से रह रही थीं । किन्तु कुछ महीनों से श्रीमती बेन्सन, उनकी पुत्री, दामाद और नतिनी के बीच पर्याप्त भावात्मक कठिनाइयाँ और विरोध उत्पन्न हो गये थे । श्रीमती बेन्सन के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि वे हर व्यक्ति से यही आशा रखती हैं कि वह उनकी देखभाल को प्राथमिकता दे ।

श्रीमती ग्लिक ने अभिकरण की कार्यकर्त्री के पास पहली बार टेलीफोन पर जो बात-

(१) इस मामले से सम्बन्धित वैयक्तिक सेवा-कार्य, आदि से अन्त तक श्रीमती रूथ गोल्डन ने किया था ।

चीत की उसमें भी उपर्युक्त बात कही गयी थी । इसके अतिरिक्त उसने क्रुद्ध स्वर में कहा था कि उसकी माँ पड़ोसियों से यह शिकायत करती है कि वह (श्रीमती ग्लिक) अपनी माँ को खाना नहीं देती और उसके साथ दुर्व्यवहार करती है । कार्यकर्त्री को यह भी पता चला कि श्रीमती ग्लिक ने अपनी माँ से इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया था कि वह उसे अन्यत्र व्यवस्थित करना चाहती है और उसकी यह भी इच्छा थी कि अभिकरण श्रीमती बेन्सन को बिना उनकी इच्छा जाने, अन्यत्र व्यवस्थापित करने का प्रबन्ध कर दे । इस मामले में कार्यकर्त्री को यह भी मालूम हुआ कि श्रीमती बन्सन को राजकीय लोक-कल्याण विभाग से वृद्धावस्था-सहायता दिलाने की आवश्यकता होगी । काफी बहस के बाद श्रीमती ग्लिक इस बात के लिए तैयार हुई कि वह अपनी माँ से उनको अन्यत्र व्यवस्थापित करने के सम्बन्ध में बातचीत करेगी तथा राजकीय अभिकरण से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी । यह तय हुआ कि इन दोनों कार्यों की दिशा में वह जब अग्रसर होगी तभी उसे कार्यकर्त्री से मिलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया जायेगा । कार्यकर्त्री ने इस बात पर भी विशेष बल दिया कि मुलाकात के लिए श्रीमती बेन्सन को स्वयं इच्छा प्रगट करनी चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छा का बहुत महत्त्व है ।

कई दिनों के बाद श्रीमती बेन्सन ने कार्यकर्त्री से टेलीफोन पर बताया कि वे उससे मिलना चाहती हैं । उसी समय श्रीमती ग्लिक ने भी कार्यकर्त्री से टेलीफोन पर बातचीत की और इस बात के लिए राजी हो गयी कि वह अपनी माँ को लेकर अभिकरण के कार्यालय में आयेगी । दोनों माँ-बेटियों में कितना गहरा मतभेद था इसका कुछ आभास टेलीफोन पर हुई उनकी बातचीत से ही मिल गया था ।

आवेदन-पत्र की स्वीकृति की प्रक्रिया की प्रारम्भिक अवस्था में कई ऐसी बातें होती हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है । निश्चय ही एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व तो यह है कि इस प्रक्रिया में वृद्ध कार्यार्थी को स्वयं सक्रिय भाग लेना चाहिए । जो अभिकरण वृद्ध व्यक्तियों को व्यवस्थापित करने का कार्य करते हैं उनका यह अनुभव है कि ऐसे मामलों में प्रायः कार्यार्थी के वयस्क पुत्र-पुत्रियों द्वारा व्यवस्थापन के लिए प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं; किन्तु श्रीमती बेन्सन के मामले में तो स्थिति यह थी कि उसकी पुत्री ने उसके अन्यत्र व्यवस्थापित करने के सम्बन्ध में उनसे पूछा तक नहीं था । किन्तु सच पूछा जाय तो व्यवस्थापित होनेवाले वृद्ध व्यक्ति की न केवल स्वीकृति आवश्यक है, बल्कि इस कार्य में उसका सक्रिय सहयोग और प्रत्यक्ष सम्पर्क भी अपेक्षित है । वृद्ध व्यक्ति के वयस्क उत्तराधिकारी अपने को इस बात के लिए अपने मन में अपराधी समझने लगते हैं कि वे अपने वृद्ध माता-पिता को अपने पास से हटाकर अन्यत्र भेज रहे हैं; इसी कारण वे उनसे प्रत्यक्ष रूप में इस विषय पर बातचीत करने में शर्माते हैं । किन्तु वास्तविकता यह है कि जब तक

वृद्ध व्यक्ति स्वयं आवेदन-पत्र की जिम्मेदारी नहीं लेते, अभिकरण उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। प्रायः ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में बहुत कुछ समझाने-बुझाने की आवश्यकता पड़ती है कि अपनी जिम्मेदारी स्वयं ग्रहण करने का क्या महत्त्व है। अभिकरण इस प्रकार की सहायता के लिए सदैव तैयार रहता है इस बात के महत्त्व को न समझ कर अनेक वयस्क उत्तराधिकारी अपने वृद्ध माता-पिता के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा छोटे बच्चों के साथ किया जाता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके माता-पिता इतने वृद्ध हो गये हैं कि वे अपने सम्बन्ध में कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते।

इस तरह व्यवस्थापन प्रक्रिया की प्रारम्भिक अवस्था में ही अभिकरण वृद्ध व्यक्तियों तक यह विचार पहुँचा देना चाहता है कि उनका भी मूल्य और महत्त्व है। इसीलिए अभिकरण इस बात पर जोर देता है कि वयस्क उत्तराधिकारी इस विषय पर पहले अपने माता-पिता से अच्छी तरह बातचीत कर लें और वृद्ध व्यक्ति स्वयं मुलाकात के लिए समय निश्चित करने की प्रार्थना करें। यह तथ्य अन्य सभी तथ्यों की अपेक्षा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए अधिक महत्त्व का होता है। क्योंकि इससे व्यवस्थापन-सम्बन्धी आवेदन-पत्र की पूरी जिम्मेदारी उस वृद्ध व्यक्ति पर ही आ जाती है और व्यवस्थापन-सम्बन्धी प्रक्रिया में उसका सहयोग प्राप्त करना आसान हो जाता है।

"३१ जुलाई—श्रीमती बेन्सन और उनकी पुत्री श्रीमती ग्लिक प्रातःकाल निश्चित समय पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुईं। मैंने पहले श्रीमती बेन्सन से एकान्त में मुलाकात की, यद्यपि श्रीमती ग्लिक की इच्छा थी कि उसकी माँ के साथ मेरी मुलाकात के समय वह भी उपस्थित रहती। मिलते ही मैंने श्रीमती बेन्सन से कहा कि इस अवस्था में भी वे कितनी चुस्त और सक्रिय दिखलाई पड़ रही थीं। उन्होंने बताया कि वे अनेक प्रकार की विपत्तियाँ झेल चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह उन्हें जर्मनी में नाजियों के बन्दी-शिविर में रहना पड़ा था। उन्होंने वहाँ के कुछ अपने अनुभवों का भी वर्णन किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें हृष्ट-पुष्ट रहने की कला मालूम है। मैंने उनसे कहा कि सम्भवतः इस समय उनके जीवन में फिर एक नया मोड़ उपस्थित हुआ है। श्रीमती बेन्सन ने बताया कि उन्हें इस बात की बहुत चिन्ता हो गयी है कि हम सब लोग अन्यत्र किसी आवास-गृह में उनके रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं। उन्होंने बड़े विस्तार से बतया कि उनकी पुत्री के घर में उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है। उनकी कहानी की अधिकांश बातें असंगठित और विशृंखलित मालूम पड़ रही थीं और बाद में श्रीमती ग्लिक ने मुझसे जो कुछ बताया उसके आधार पर यह निर्णय करना कठिन था कि श्रीमती बेन्सन की कितनी शिकायतें उचित और कितनी आरोपित थीं। उनकी बातों से जो कुछ स्पष्ट हुआ वह यह था कि वे

माता और पुत्री दोनों ही दूसरों पर नियन्त्रण की इच्छा रखने वाली स्त्रियाँ हैं। किन्तु दोनों में बराबर संघर्ष होता रहता है। श्रीमती बेन्सन की कम से कम यह शिकायत साधार प्रतीत हुई कि उनकी दोनों पुत्रियाँ (उनकी एक और पुत्री है जो मैसाचुसेट्स में रहती है) उनके प्रति उदासीनता और विरोध का भाव रखती हैं। उनकी दूसरी लड़की उनके जर्मनी से लौटने के बाद से अब तक उनसे मिलने नही आयी थी। यद्यपि बहुत पहले, जब श्रीमती बेन्सन न्यूयार्क में रहती थी, उनकी दूसरी पुत्री कभी-कभी उनसे मिलने आया करती थी, किन्तु अब यह बात स्पष्ट हो गयी है कि वह अपनी माँ से मिलना पसन्द नहीं करती। इतना तो स्पष्ट था कि उनकी दोनों पुत्रियाँ यह सोचती थीं कि उनकी माँ एक कठिन समस्या थीं जो सदैव दूसरों पर नियन्त्रण रखना चाहती थीं और उनके पिता की मृत्यु के बाद से वे हमेशा उनसे तरह-तरह की माँग करती रहती थीं। जब बाद में श्रीमती ग्लिक से मेरी बातचीत हुई तो उसने बताया कि चूँकि उसकी माँ जर्मनी में नाजियों के बन्दी शिविर में रहकर बहुत अधिक कष्ट भोग चुकी है, अतः उसके प्रति सहानुभूति की भावना से प्रेरित होकर एवं इस बात को भुलाकर कि उनके साथ रहना अत्यन्त कठिन है और अपनी बहिन की राय के विरुद्ध जाकर उसने अपनी माँ को जर्मनी से वापस बुलाया था। यह घटना तीन वर्ष पहले की है। श्रीमती ग्लिक का कहना है कि यद्यपि उसकी माँ का दोनों पुत्रियों के साथ प्रेमपूर्ण सम्बन्ध नहीं था क्योंकि उनके लिए अपनी माँ के साथ रहना असह्य था, फिर भी उसकी माँ ऐसे व्यक्तियों के साथ, जो उसके परिवार के सदस्य नहीं है, बहुत अच्छी तरह रह लेती है।

यद्यपि श्रीमती बेन्सन ने प्रारम्भ में जोर देकर कहा था कि वे जर्मन के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं समझ सकतीं, पर मेरे दफ्तर में थोड़ी देर तक विश्राम कर लेने तथा अपने बन्दी जीवन की बातें बता कर अपने मन का तनाव दूर कर लेने के बाद उसने मुझसे कहा कि यदि मुझे जर्मन बोलने में कठिनाई होती हो तो वे यहूदी भाषा (जीविश) भी समझ लेगी। किन्तु ज्यों ही उनकी पुत्री कमरे में आयी और दोनों एक साथ हो गयीं तो श्रीमती बेन्सन ने फिर कहना शुरू किया कि वे यहूदी भाषा बिलकुल नहीं समझ सकती। उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि कितना अच्छा हो यदि उन्हें किसी कोशर (यहूदी खाद्य) आवास-गृह में रहने की जगह मिल जाती। किन्तु साक्षात्कार के उत्तरार्द्ध में जब उनकी पुत्री वहाँ आयी तो उसने (पुत्री ने) कहा कि यदि उसकी माँ को किसी कोशर आवास-गृह में जगह नहीं मिलती, कहीं अन्यत्र मिलती है तो भी वे शायद ही उसे पसन्द करें तो इस पर उसकी माँ ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि वे तो उसी प्रकार का आवास-गृह चाहती हैं। इस पर उनकी पुत्री ने उनका विरोध करते हुए कहा कि अब जिद करने से काम नहीं चलेगा, अब तो उन्हें अनेक प्रश्नों पर समझौता करना ही होगा। ऐसा लगा कि अब उन

दोनों में झगड़ा होने ही वाला है, किन्तु मैंने अन्त में स्थिति सँभालते हुए कहा कि आवास-गृह का विषय ऐसा है जिसके सम्बन्ध में बाद में भी निर्णय किया जा सकता है। श्रीमती बेन्सन की दिलचस्पी इस बात में है कि उन्हें ऐसे आवास-गृह में रखा जाय जहाँ उन्हें अपनी भाषा (जर्मन) में बातचीत करने का अवसर मिले। वे अपनी जिद पर अड़ी हैं और और कुछ जानने या सीखने के लिए बिलकुल तैयार नहीं है।

मैंने श्रीमती बेन्सन को समझाया कि यदि वे हमारे व्यवस्थापन-सम्बन्धी नियमों के अनुसार अधिकारी पात्र समझी जायँगी तो निश्चय ही उन्हें जर्मन जानने वाले व्यक्तियों के साथ रखा जायेगा।

यद्यपि श्रीमती बेन्सन अपनी पुत्री का घर छोड़ने तथा अन्यत्र किसी आवास-गृह में रहने के विषय में चिन्तित हैं, पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी दिलचस्पी इस बात में भी है कि उनकी पुत्री को दण्ड मिले। उन्हें यह जान कर बहुत घबराहट हुई कि उनकी पुत्री उनके व्यवस्थापन के लिए आर्थिक सहायता देने को तैयार नहीं है। मैंने उन्हें समझाया कि उनके व्यवस्थापन का प्रश्न बहुत कुछ राजकीय लोक-कल्याण विभाग के रुख पर निर्भर करता है; यदि लोक-कल्याण विभाग उन्हें इस योग्य समझेगा कि उन्हें वृद्धावस्था-सहायता-सम्बन्धी अनुदान मिले तो उनकी पुत्री से कुछ भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे उस समय भी कुछ घबरायी प्रतीत हुई जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे इस समय ब्रुकलिन में रहने वाले ऐसे किसी पालक परिवार का ज्ञान नहीं है जिसके सदस्य जर्मन भाषा बोलते या समझते हों। यह सब बहानेबाजी इसी कारण थी कि वे अपनी पुत्री से अलग नहीं होना चाहती थीं, यद्यपि वह मुझसे कह चुकी थीं कि वे अपनी पुत्री से अधिक-से-अधिक दूर जाकर रहना चाहती हैं। अतः वास्तविकता यही है कि उनको अपनी पुत्री से अलग होना ही कठिन प्रतीत हो रहा है।"

यद्यपि पहला साक्षात्कार केवल तथ्यों का पता लगाने के लिए होता है, किन्तु उससे उन मूलभूत धारणाओं पर प्रकाश पड़ता है जो वृद्धों के सेवा-कार्य के प्रसंग में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं। उनमें से एक मान्यता यह है, जिस पर स्पष्ट शब्दों में बार-बार बल देने की आवश्यकता है कि हमारे समस्त कार्यों के केन्द्र-बिन्दु वृद्ध व्यक्ति हैं और हमें मुख्यतः उन्हीं की चिन्ता करनी चाहिए। श्रीमती बेन्सन के मामले में भी इसी कारण पहले केवल उन्हीं से मिलना आवश्यक समझा गया, उनकी पुत्री से नहीं। यद्यपि श्रीमती बेन्सन अन्तर्बाधाग्रस्त व्यक्तित्ववाली स्त्री नहीं है, फिर भी केवल अकेले में कार्यकर्त्री से बातचीत कर लेने के कारण ही उसमें मुक्ति की भावना उत्पन्न हुई जो अन्य किसी भी तरह नहीं उत्पन्न हो सकती थी। वह भले ही अपनी पुत्रियों की शिकायत करें और अपने सम्बन्ध

में स्वयं निर्णय करें, पर अभिकरण की सेवा प्राप्त करने के लिए उन्होने प्रार्थना की, यही इस साक्षात्कार की सफलता थी ।

अभिकरण की दृष्टि से इसका महत्त्व इस बात में है कि इससे यह पता चल गया कि व्यवस्थापन के लिए केवल श्रीमती बेन्सन की पुत्री ने ही नहीं, स्वयं श्रीमती बेन्सन ने भी प्रार्थना की ।

इसके अतिरिक्त प्रथम साक्षात्कार से इस तथ्य पर भी प्रकाश पड़ता है कि किसी वृद्ध व्यक्ति के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में विचार करने तथा उस सम्बन्ध में आग की योजनाएं जारी रखने के कार्य में उस व्यक्ति के वयस्क पुत्र-पुत्रियों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता है जो स्वयं उस वृद्ध व्यक्ति के योगदान से भिन्न होते हुए भी उससे कम महत्त्व-पूर्ण नहीं होता । अतः उस वयस्क पुत्र या पुत्री को भी ऐसी सहायता की आवश्यकता होती है जिससे उसके मन से यह पश्चात्ताप-भावना निकल जाय कि अपने पिता या माता को अन्यत्र व्यवस्थित कराने का प्रयत्न करके उसने कोई अपराध किया है । श्रीमती ग्लिक के मन में भी यही ग्लानि है कि उसने कार्यकर्त्री के साथ टेलीफोन पर हुई अपनी पहली बातचीत में ही अपनी माँ की शिकायत करके अपराधपूर्ण कार्य किया है ।

"१ अगस्त—श्रीमती ग्लिक ने टेलीफोन किया था । वह बहुत घबरायी हुई थी क्योंकि राजकीय लोक-कल्याण विभाग की कार्यकर्त्री ने उसे सूचित किया था कि यदि उसकी माँ को तुरन्त कहीं व्यवस्थापित नहीं कर दिया जाता तो वह उनके मामले में आगे की कार्रवाई करना बन्द कर देगी । यह सुनकर मैंने उक्त कार्यकर्त्री को टेली-फोन किया । बड़ी देर तक मेरे साथ विचार-विमर्श करने के बाद अन्त में उसने यह मामला अपने परिवीक्षक के सम्मुख उपस्थित किया । उसने यह वादा किया कि वह इस विषय से सम्बन्धित वक्तव्य मेरे पास तुरन्त भेजेगी ।"

"१४ अगस्त—श्रीमती ग्लिक ने मेरे पास टेलीफोन करके बताया कि वह अपनी माँ के कहने से मुझसे बातें कर रही है । उसन कहा कि वह और उसकी माँ दोनों बहुत चिन्तित हो उठी हैं । उसने यह भी बताया कि अभी हाल में उसे उदर-व्रण हो गया था जिसका आपरेशन कराना पड़ा था । इधर कुछ दिनों से उसे फिर खून आना शुरू हो गया है और उसे इस बात का भय है कि उसे दुबारा अस्पताल जाना पड़ सकता है । इसी कारण उसकी माँ और भी चिन्तित हो उठी हैं और चाहती हैं कि उनके व्यवस्थापन की योजना जल्दी-से-जल्दी कार्यान्वित हो । मैंने श्रीमती ग्लिक से बताया कि मैं उसकी माँ से एक बार और मुलाकात करना चाहती हूँ । पर चूँकि वह ८५ वर्ष की इस उम्र में मेरे कार्यालय तक अकेली नहीं आ सकती थीं, अतः मै इस बात के लिए राजी हो गयी कि मैं ही उनसे साक्षात्कार के लिए उनके घर जाऊँगी । मैंने उसे सूचित किया कि मैं

आज तीसरे पहर ब्रुकलिन जाना चाहती हूँ और बृहस्पतिवार को भी तीसरे पहर मुझे वहीं जाना है; अतः यदि सम्भव हुआ तो मैं आज ही उसके (श्रीमती ग्लिक के) घर आऊँगी और यदि किसी कारणवश आज नहीं आ सकी तो बृहस्पतिवार को तो अवश्य आऊँगी।

मैंने उसे बताया कि अभी तक मेरे पास लोक-कल्याण विभाग से कोई सूचना नहीं आयी है, अतः वह स्वयं लोक-कल्याण-विभाग की कार्यकर्त्री से सम्पर्क स्थापित करके उससे जल्दी काम करा ले और यदि वे अब भी इस मामले को हमारे पास पूछ-ताछ के लिए भेजना चाहते हों तो जल्दी भेजवाने का प्रयत्न करे।"

"१६ अगस्त—मैं श्रीमती बेन्सन से मिलने के लिए उनकी पुत्री के घर गयी। उसका परिवार मकान की चौथी मंजिल में रहता था जहाँ सीढ़ी चढ़ कर जाना पड़ा। उस समय घर में केवल श्रीमती बन्सन थीं। जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो पहले तो दरवाजा ही खोलने में बहुत हिचकिचा रही थीं, पर जब मैंने अपना नाम बताया तो आश्चर्य-चकित होकर उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। मेरे वहाँ जाने से वे बहुत कृतज्ञता का अनुभव कर रही थीं। वे मुझे अपने कमरे में ले गयी जो बहुत साफ-सुथरा दिखाई पड़ रहा था। श्रीमती बेन्सन को देखने से भी यह निश्चित पता चल रहा था कि वे अपने कमरे की सफाई स्वयं करती हैं। यद्यपि उन्होंने आज भी अपनी पुत्री की काफी शिकायत की, पर साथ ही उन्होंने मेरे साथ अपने व्यवस्थापन की योजना के सम्बन्ध में भी बड़ी देर तक विचार-विमर्श किया। हम लोगों ने इस विषय पर भी विचार किया कि उनके जीवन के लिए व्यवस्थापन की क्या सार्थकता है। वे जानती हैं कि व्यवस्थापन के कारण उन्हें अपरिचित लोगों के साथ रहना होगा, पर उनका कहना है कि यहाँ उन्हें जितनी तकलीफ है उतनी अपरिचित लोगों के साथ रहने में न होगी। वे मुझे अपनी पुत्री के कमरे में ले गयीं और उसे दिखाते हुए बोलीं कि उनके कमरे की तुलना में यह कमरा कितना अव्यवस्थित और गन्दा है। यद्यपि मैं जानती थी कि श्रीमती बेन्सन अपनी पुत्री के प्रति अपनी विरोध-भावना की अभिव्यक्ति के लिए ही इस विषय को छेड़ रही थीं, पर मैं अनुभव कर रही थी कि इस गन्दगी को देखकर श्रीमती बेन्सन के स्वच्छताप्रिय मन में क्षोभ और खिन्नता अवश्य होती होगी। यद्यपि उन्होंने साफ-साफ नहीं कहा, पर उनका तात्पर्य समझ में आ गया कि उनकी पुत्री जिस पुरुष के साथ रहती है वह उसका विवाहित पति नहीं है और यह एक ऐसी कड़वी गोली है जिसे गिनलना उनके लिए सम्भव नहीं है। इतना होते हुए भी, उनके कथनानुसार, ग्लिक कुछ दिनों पूर्व तक उसके साथ जैसा बर्ताव करता था वह उसकी पुत्री और नतिनी के बर्ताव से तो अच्छा ही था; क्योंकि उसके व्यवहारों से यह पता नहीं चलता था कि श्रीमती बेन्सन का उस घर में रहना उसे पसन्द नहीं था,

पर उसकी पुत्री और नतिनी के व्यवहार से यह पता चल जाता था कि वे उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहतीं। श्रीमती बेन्सन का खयाल है कि उनकी पुत्री ही अन्य सभी लोगों को उनके विरुद्ध भड़काया करती है और उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि उसे (श्रीमती बेन्सन को) इस घर में एक कौर भोजन करना भी पाप मालूम पड़ता है। मैंने श्रीमती बेन्सन से कहा कि इस घर में इतने महँगे और आधुनिक विद्युत्-उपकरण वर्तमान हैं कि उन्हें देखकर ही यह अनुमान किया जा सकता है कि श्रीमती बेन्सन का भार वह स्वयं आसानी से वहन कर सकती है। श्रीमती बेन्सन को जहाँ भी व्यवस्थापित किया जायगा वहाँ का खर्च यद्यपि लोक-कल्याण-विभाग और यहूदी सामुदायिक सेवा-संस्था द्वारा दिया जायेगा, पर श्रीमती बेन्सन का खयाल था कि शायद व्यवस्थापन-गृह (पालन-गृह) में वहाँ की वस्तुओं का इस्तेमाल करने की अधिक छूट न मिले, फिर भी उनका कहना था कि पालन-गृह में सुख-साधन की वस्तुओं के प्रयोग की स्वतन्त्रता कम-से-कम उनकी पुत्री के घर से तो अधिक ही होगी। उनकी दूसरी पुत्री जो मैसाचुसेट्स में रहती है, अपनी माँ के पास प्रतिमास १० डालर भेजा करती है। (पहली मुलाकात में मुझे ऐसा लगा था कि श्रीमती बेन्सन की दूसरी पुत्री अपनी माँ से उनके जर्मनी से लौटने के बाद कभी मिली ही न थी) व्यवस्थापन-काल में अपनी पुत्री द्वारा प्रतिमास भेजे गये इस १० डालर का उपयोग वे अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करेंगी।

श्रीमती बेन्सन को तथा उनके कमरे को देखकर आसानी से यह कहा जा सकता है है कि व्यवस्थापन-काल में वे स्वयं अपनी देख-भाल अच्छी तरह कर लेंगी, किन्तु जब मैंने इस विषय में उनसे बातें कीं कि पालन-गृह में उन्हें क्या-क्या वस्तुएं अपने हाथ से साफ करनी होंगी तो वे कहने लगीं कि उन्हें अपने कपड़े तथा अन्य वस्तुएँ धोने में बड़ी कठिनाई होंगी। किन्तु यदि ब्रुकलिन में ही कहीं उनके रहने का प्रबन्ध किया जायेगा तो उनकी लड़की जाकर यह काम कर दिया करेगी। फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि मुख्य विचारणीय प्रश्न यह नहीं है कि उन्हें किस जगह रखा जाय, बल्कि यह है कि उन्हें जिस परिवार में रखा जाय उसके सदस्य जर्मन भाषा जानते हों ताकि वे उनसे बातचीत कर सकें; यहाँ तो वे अत्यधिक अकेलेपन का अनुभव करती हैं। मेरा अब भी यह खयाल है कि श्रीमती बेन्सन किसी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा करती हैं; फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी पुत्री के साथ उनके संघर्ष का कुछ वास्तविक आधार अवश्य है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि श्रीमती बेन्सन के लिए मनश्चिकित्सकीय निदान की आवश्यकता नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि व्यवस्थापन-प्रक्रिया का अगला कदम क्या होगा और वे इस बात के लिए राजी हो गयीं कि वे हमारे कार्यालय में आयेंगी और उस

समय मैं किसी ऐसे गृह-स्वामी से उनकी बातचीत कराऊँगी जिसके परिवार में उनके रहने की व्यवस्था की जा सकती है ।

श्रीमती बेन्सन ने इस बात के लिए आभार प्रकट किया कि मैं उनके घर गयी । जब मैं वहाँ से बिदा होने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिये । मैंने समझा कि वे मेरा हाथ चूमने जा रही हैं किन्तु वे इतनी अभिमानिनी थीं कि उन्होंने मेरा हाथ नहीं चूमा ।"

इस साक्षात्कार से कार्यकर्त्री को यह स्पष्ट पता चल गया कि श्रीमती बेन्सन स्वतन्त्र व्यक्तित्व वाली स्त्री हैं, अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को भली-भाँति समझती हैं तथा अपने निर्णयों का उत्तरदायित्व स्वीकार करने में समर्थ हैं । पहले साक्षात्कार के बाद से दूसरे साक्षात्कार तक की अवधि में उन्होंने अपना यह इरादा पक्का कर लिया है कि अब उन्हें अपनी पुत्री के साथ नहीं रहना है । इस भावना का बहुत महत्त्व है क्योंकि व्यवस्थापन-काल में एक नयी जिन्दगी का प्रारम्भ इसी भावना के आधार पर हो सकता है । किसी अपरिचित स्थान में अजनबी लोगों के साथ रहने की बात स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है जिससे इस भावना को अभिव्यक्ति मिलती है कि अजनबी व्यक्ति भी उनकी पुत्री से अच्छे ही होंगे । कार्यकर्त्री ने यह स्वीकार किया है कि इस मामले में भावात्मक व्यतिक्रम उत्पन्न हो सकता है और ज्यों-ज्यों व्यवस्थापन का समय निकट आता जा रहा है उनके मामले में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है ।

जो वृद्ध व्यक्ति अपने पुत्र-पुत्रियों के साथ रहते है उनके विषय में यह सामान्य अनुभव है कि पुत्र-पुत्रियों से अलग हो जाने एवं अन्यत्र व्यवस्थापित होने पर उन्हें जैसे अपनी वह स्वतन्त्रता और सुरक्षा पुनः प्राप्त हो जाती है जिसे वे बहुत दिनों से खो चुके थे । क्योंकि बुढ़ापे में वयस्क पुत्र-पुत्रियों के साथ रहने पर आश्रित और आश्रयदाता की पूर्ववर्ती स्थिति प्रायः उलट जाती है । बुढ़ापे में वे अपने पुत्र-पुत्रियों के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि उनके वयस्क उत्तराधिकरी ही उनकी देख-भाल करते, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते और रुपया-पैसा तथा भोजन-वस्त्र देते हैं । इस तरह बुढ़ापा उन्हें बच्चा बना देता है और उनका पुराना पिता-माता का अधिकार समाप्त हो जाता है । अतः वृद्ध व्यक्तियों का अपने पुत्र-पुत्रियों के साथ रहने में असमर्थता का अनुभव करना अधिकतर उस संघर्ष का परिणाम होता है जो वृद्ध व्यक्तियों के, अपनी पूर्ववर्ती स्वतन्त्रता और अधिकारों को कायम रखने के प्रयत्न के कारण उत्पन्न होते हैं ।

इस साक्षात्कार से यह बात भी स्पष्ट हो गयी कि श्रीमती बेन्सन अपने जीवन को नये रास्ते पर ले चलने के सम्बन्ध में विचार करने को तैयार थीं । यह बात कार्यकर्त्री के साथ उसके निजी आवास-गृह से सम्बन्धित विचार-विमर्श से ही स्पष्ट हो जाती है ।

वह इस बात पर जोर देती है कि इस प्रश्न पर विचार करते समय इस बात को प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि जिस परिवार में उन्हें रहना है उसके सदस्य जर्मन भाषा जानते हैं या नहीं ।

निष्कर्ष यह कि इस साक्षात्कार से हमारे सामने एक सतर्क और स्वतन्त्र विचार की स्त्री का चित्र उपस्थित होता है जो कठिन परिस्थिति में भी सामान्य ढंग से व्यवहार करती है ।

"१७ अगस्त—श्रीमती ग्लिक ने टेलीफोन किया था । उसकी माँ ने उसे बताया था कि व्यवस्थापन की योजना पर कार्रवाई हो रही है । उसने मुझसे पूछा कि उसकी माँ जानना चाहती हैं कि इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है । फिर एकाएक जैसे उसके मन में यह भावना उत्पन्न हो गयी हो कि इस मामले में जल्दबाजी दिखाकर वह कोई अपराध कर रही है, इसीलिए उसने कहा, "यदि मेरी माँ ने मेरे परिवार की जिन्दगी अस्त-व्यस्त न कर दी होती तो मुझे उन्हें अपने घर से हटाकर अन्यत्र रखने के लिए इतनी चिन्ता न करनी पड़ती ।" श्रीमती ग्लिक ने कहा कि उसे इस बात की चिन्ता नहीं है कि उसकी माँ को किस मुहल्ले में व्यवस्थित किया जाता है क्योंकि चाहे उन्हें शहर के किसी भी भाग में क्यों न रखा जाय वह अपनी माँ के साथ बराबर सम्पर्क बनाये रखेगी । मैंने उसे बताया कि लोक-कल्याण-विभाग से मेरे कार्यालय में पत्र आ गया है । मैंने उसे यह भी सूचित किया कि उसको अपनी माँ के आय-व्ययक के घाटे की पूर्त्ति के लिए स्वयं भी कुछ आर्थिक सहायता करनी होगी ताकि उस धन से वह अपनी निजी आवश्यकताएँ पूरी कर सके । श्रीमती ग्लिक ने इस सम्बन्ध में कुछ भी वादा नहीं किया कि वह क्या करेगी, किन्तु उसने इतना अवश्य कहा कि यह मैसाचुसेट्स में रहने वाली उसकी बहन की जिम्मेदारी है और वही उसे पूरा करेगी । उसकी आवाज से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि अपनी बहन के प्रति भी उसके मन में अत्यधिक विरोधपूर्ण भावना थी । जब मैंने उससे इस सम्बन्ध में पूछा तो उसने बताया कि उसकी बहन माँ के लिए प्रतिमास १० डालर भेजती रही है और उसने (श्रीमती ग्लिक ने) अपनी माँ से कह दिया है कि वह उसकी मैसाचुसेट्स वाली बहन को लिख दे कि वह व्यवस्थापन-काल में भी वह धन भेजना जारी रखे ।"

श्रीमती ग्लिक की टेलीफोन-वार्ता से यह स्पष्ट था कि ज्यों-ज्यों उसकी माँ को अन्यत्र व्यवस्थापित करने का समय निकट आता जा रहा था उसकी आत्मग्लानि बढ़ती जा रही थी ।

"११ सितम्बर—मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना था, अतः जाने के पूर्व मैंने लौरा गोल्डमैन से, जो अपने घर में किसी वृद्ध व्यक्ति को रखने को तैयार थी, श्रीमती

बेन्सन के सम्बन्ध में बातें की थीं। वह इस सम्बन्ध में श्रीमती बेन्सन से मिलकर बातचीत करने के लिए तैयार थी। श्रीमती गोल्डमैन को अभी अपने घर में किसी वृद्ध व्यक्ति को रखने के लिए राजकीय लोक-कल्याण-विभाग से स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई थी। अतः मैंने उससे कहा कि जब तक मैं लौट कर आऊँगी तब तक सम्भवतः उसे स्वीकृति मिल गयी रहेगी। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि जब तक हमें यह निश्चय नहीं हो जाता कि श्रीमती बेन्सन उसके घर में जाने को तैयार हैं तब तक लोक-कल्याण-विभाग का कोई कर्मचारी उसके घर की जाँच करने नहीं जायेगा। मैंने उससे यह भी कहा कि मेरे छुट्टी से वापस आने के पूर्व श्रीमती बेन्सन से उसका मिलना भी सम्भव नहीं हो पायेगा। मैंने श्रीमती बेन्सन को एक पत्र लिखकर यह सूचित कर दिया था कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रही हूँ, अतः मेरे जाने के पूर्व वे ११ सितम्बर को फार राकवे के मेरे कार्यालय में आकर मुझसे मिल लें। मैंने उन्हें यह भी सुझाव दिया था कि वे अपने आने की सूचना कार्यालय में दे दें। श्रीमती ग्लिक ने अपने और अपनी माँ की कोई सूचना नहीं दी, किन्तु ११ तारीख को ठीक दस बजे वह अपनी माँ के साथ ब्रुकलिन से फार राकवे तक की लम्बी दूरी तय करके मेरे कार्यालय में आ पहुँची। मैंने श्रीमती बेन्सन से अकेले में बातचीत की। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी पुत्री इस बात की शिकायत करते हुए भुनभुना रही थी कि ब्रुकलिन से यहाँ तक आने में उसका कितना समय नष्ट हुआ है और पैसा भी खर्च हुआ है। मैंने जब प्रतीक्षा-कक्ष में श्रीमती ग्लिक से भेंट की और उसका चेहरा देखा तो मुझे लगा कि उसकी माँ जो कुछ कह रही थी वह ठीक ही था। श्रीमती ग्लिक ने अपनी माँ की ओर अत्यधिक परेशानी भरी नजरों से देखा। अब भी उसका चित्त इतना स्थिर नहीं हो सका था कि वह मेरी या अभिकरण की कुछ शिकायत ही करती। श्रीमती बेन्सन को इस बात से बहुत निराशा हुई कि आज श्रीमती गोल्डमैन से उसकी मुलाकात न हो सकी। आज तो वे व्यवस्थापन के विरुद्ध कही जाने वाली बातों के सम्बन्ध में सोच-विचार करने को भी तैयार नहीं थीं। उन्होंने ब्रुकलिन में रहने की इच्छा प्रकट की थी और मैं उन्हें मैनहाटन में रहने की राय दे रही थी। किन्तु इसके लिए भी वे राजी थीं क्योंकि उनका खयाल था कि उनकी पुत्री के घर में उनका रहना अब असम्भव हो गया है और उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी जाकर रहना उनके लिए अच्छा ही होगा। उनके मन में भी इस बात के लिए ग्लानि हो रही थी कि वे अपनी पुत्री के लिए ऐसे समय में परेशानी का कारण बन रही थीं जब कि वह रक्तचाप-रोग से पीड़ित थी जो उत्तेजना के कारण और भी बढ़ता है। यद्यपि उनका कहना था कि उनके, उनकी पुत्री के घर में, रहने के कारण उनकी पुत्री को उत्तेजित होने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वास्तविकता यही है कि वह उत्तेजित हो जाया करती है। श्रीमती बेन्सन ने यह बात कई बार दुहरायी कि पता

नहीं उनकी इस लड़की को क्या हो गया है ? जिसके साथ वह इतनी अच्छी तरह रहा करती थी वही अब अपनी माँ को देखना तक पसन्द नहीं करती । मेरे बहुत कहने पर उन्होंने इतना स्वीकार किया कि उसके व्यवस्थापन के लिए श्रीमती ग्लिक भी काफी प्रयत्न कर रही है और अपना शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी वह अपनी माँ के साथ इतनी लम्बी यात्रा करके यहाँ तक आयी है । जब मैंने श्रीमती बेन्सन से कहा कि उन्हें श्रीमती गोल्डमैन से मिलने के लिए एक बार और इस कार्यालय तक आना पड़ेगा, तो वे एकदम भयभीत हो उठी । इस भय का कारण उन्हें अपने स्वास्थ्य या थकावट की चिन्ता नहीं थी (मैंने इस विषय में उनसे कुछ बातें भी की थीं), बल्कि यह था कि उनकी पुत्री इस बात के लिए उन्हें कटु वचनों से विद्ध कर देगी कि इस यात्रा में पुनः उसे इतना कष्ट उठाना पड़ा, पैसा खर्च करना पडा और समय नष्ट करना पड़ा ।

ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस साक्षात्कार में पूरे समय तक मेरे नाम के सम्बन्ध में उसे भ्रम हो गया था और इसी कारण वह मुझे बराबर श्रीमती एन्जिल कहकर सम्बोधित करती रही । मैंने बाद में उन्हें इस सम्बन्ध में बताया, साथ ही मैंने उन्हें यह भी सूचित किया कि हमारा अभिकरण उनकी सहायता करने के लिए कटिबद्ध है और राजकीय लोक-कल्याण-विभाग भी उसकी सहायता के लिए हर तरह तैयार है । किन्तु श्रीमती बेन्सन हमारे अभिकरण या कल्याण-विभाग की चर्चा न कर मेरी ही प्रशंसा किये जा रही थीं और उनके कथनानुसार मैं उन्हें "पाप से मुक्ति दिलाने वाली" साक्षात् देवी थी । बाद में मैंने श्रीमती ग्लिक से अकेले में बातें कीं । मैंने उससे कहा कि सचमुच उसे मेरे ऊपर इस कारण बड़ा क्रोध होगा कि उसे अपनी माँ को लेकर श्रीमती गोल्डमैन से मिलने के लिए एक बार और यहाँ आना पड़ेगा और इसके लिए फिर लम्बी यात्रा का कष्ट उठाना होगा । श्रीमती ग्लिक ने इस बात से इन्कार किया कि वह मुझसे या हमारे अभिकरण से नाराज है, किन्तु लोक-कल्याण विभाग के प्रति उसने अपने विरोध भाव अवश्य व्यक्त किये । यह बात उसने विशेष रूप से उस समय कही जब कि मैंने उसे बताया कि उसकी माँ और श्रीमती गोल्डमैन के मिलने के बाद भी व्यवस्थापन की बात बिलकुल पक्की नहीं समझनी चाहिए ।

मैंने उसे बताया कि वह और उसकी माँ दोनों ही इस बात के लिए ठोस और महत्त्व-पूर्ण प्रयत्न कर रही हैं कि उसकी माँ के आवास-गृह की समस्या शीघ्र हल हो जाय । अतः कितना अच्छा होता, यदि वह कुछ धैर्य और शान्ति से काम करती और बात-बात में क्रुद्ध होना बन्द कर देती । मैंने उसे समझाया कि यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो निश्चय उसका उदर-व्रण फिर उभड़ जायेगा और रक्त-चाप भी बढ़ जायेगा । श्रीमती ग्लिक ने पहले तो अपनी माँ के ऊपर ही यह जिम्मेदारी थोपना चाही कि वही व्यवस्थापन के लिए

जल्दी मचा रही है। उसने कहा, "आप नहीं जानती हैं कि मेरी माँ मेरा घर छोड़कर जाने के लिए कितनी उतावली हो रही है और इसके लिए उसने हम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है।" पर बाद में उसने स्वीकार किया कि वस्तुत: स्वयं उसी की इच्छा थी कि उसकी माँ उसके घर से चली जाय। इस सम्बन्ध में उसने कहा, "उन्होंने हम लोगों के विरुद्ध न जाने क्या-क्या किया है।" इस "क्या-क्या" का अर्थ यह था कि उसकी माँ पड़ोसियों से यह कहा करती थी कि उनमें और उनकी पुत्री में झगड़ा था और श्रीमती ग्लिक का कहना था कि यह बात बिलकुल असत्य है। मैंने उससे कहा कि भले ही यह बात झूठी हो कि उसने अपनी माँ को मारा था, पर क्या वह यह नहीं सोचती कि अपनी माँ के बारे में वह जो विचार रखती है उसके लिए वह उतना ही बुरा है जितना मारना? श्रीमती ग्लिक ने कहा कि वह अपनी माँ को यथासम्भव अधिक-से-अधिक आराम पहुँचाने का प्रयत्न करती है, किन्तु इन दिनों वह स्वयं बीमार है जिससे अपनी माँ की देख-भाल के लिए अपना सारा समय नहीं दे सकती, और इस कारण उसका पति, जिसके बारे में उसने बार-बार यह बात दुहरायी कि उसकी माँ के साथ उसका बर्ताव बहुत अच्छा था, उससे (श्रीमती बेन्सन से) ऊब गया था और चाहता था कि वह जल्दी-से-जल्दी हमारे घर से चली जाय। मेरा यह अनुमान है कि श्रीमती ग्लिक के सम्बन्ध अपनी पुत्री और पति से भी उतने अच्छे नहीं हैं और उनमें भी आपसी झगड़े हैं। उसके मन में अपने विवाह के प्रश्न को लेकर भी कुछ आत्म-ग्लानि अवश्य है। यद्यपि वह इस बात को स्वीकार नहीं करती, पर अपने विवाह के बारे में वह इतनी बातें करती है कि इसी से उसकी भावना का पता चल जाता है। जो हो, इस विषय में खोज-बीन करना मेरा काम नही था, अत: मैंने उसकी परेशानियों को स्वीकार करते हुए कहा कि सचमुच वह बहुत विषम परिस्थिति में पड़ी हुई थी। मैंने उससे फिर कहा कि चूँकि वे दोनों ही इस समय परिवर्तन की दिशा में ठोस कार्य कर रही थी, अत: अच्छा हो यदि वह इस मामले में कुछ धैर्य से काम ले।

श्रीमती बेन्सन से श्रीमती गोल्डमैन की मुलाकात एक अन्य कार्यालय में होने वाली थी, और इस खबर से श्रीमती ग्लिक कुछ चिन्तित दिखायी पड़ी, किन्तु जब मैंने उसे बताया कि उस दफ्तर में पहुँचने में उसे बहुत कम खर्च करना पड़ेगा, तो उसे सन्तोष हुआ। उसने कहा कि वहाँ जाने में भी उसे अपने दैनिक कार्यक्रम में बहुत कुछ हेर-फेर करना होगा और उसकी माँ को भी उस दफ्तर तक जाने में काफी तकलीफ उठानी पड़ेगी। इस कथन के बावजूद उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वह वहाँ जाने के लिए कृतसंकल्प थी।

इस साक्षात्कार से माँ और बेटी दोनों व्यवस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाली

उलझनों के विषय में एक दूसरे के काफी निकट आ गयीं । पहली बार उन्होंने अभिकरण के प्रति दबी जबान से विरोध प्रकट किया कि उन्हें उतनी लम्बी यात्रा करनी पड़ी और कष्ट उठाना पड़ा और आवास-गृह की स्वामिनी से मिलने के लिए फिर एक बार और आना पड़ेगा और तब भी यह निश्चित नहीं है कि व्यवस्थापन की बात पक्की ही हो जायेगी ।

फिर भी इस साक्षात्कार की सफलता इस बात में है कि इससे यह स्पष्ट हो गया कि यद्यपि उपर्युक्त परेशानियों की बात कुछ सीमा तक सही थी, पर वास्तविक समस्या—विशेषकर श्रीमती ग्लिक की समस्या कुछ और ही थी जिसका सम्बन्ध इस तथ्य से है कि श्रीमती ग्लिक का उसकी माँ से अलग हो जाना एक विशिष्ट भावात्मक महत्त्व रखता है । श्रीमती ग्लिक अपने वैवाहिक जीवन से असन्तुष्ट है और उसकी बीमारी अलग परेशानी का कारण है जिसकी परिणति उसकी अपनी माँ के प्रति विरोध भावना के रूप में हुई है । इस साक्षात्कार से यह भी ज्ञात हो जाता है कि श्रीमती बेन्सन अपनी पुत्री की परेशानियों को अच्छी तरह समझती हैं और उसकी स्थिति के प्रति उसके मन में पूर्ण सहानुभूति है ।

इस साक्षात्कार की सबसे महत्त्वपूर्ण सफलता यह है कि इसमें अभिकरण की शर्तों और उनके प्रयोग के सम्बन्ध में जो व्याख्या प्रस्तुत की गयी उससे कार्यार्थियों की आन्तरिक भावनाएँ और उनकी समस्याएँ स्पष्ट रूप से सामने आ गयीं । ये भावनाएं और समस्याएँ चाहे कितनी भी कठोर और उलझनपूर्ण क्यों न हों, पर वस्तुतः वे ही वह माध्यम हैं जिनसे व्यवस्थापन और गृह-त्याग की योजना को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सकता है ।

"१३ सितम्बर—जमाइका के कार्यालय में श्रीमती बेन्सन और श्रीमती गोल्डमैन की मुलाकात हुई । मैंने उन दोनों को करीब २० मिनट तक परस्पर बात करने का अवसर दिया । मैंने श्रीमती बेन्सन को इस मुलाकात के बाद हँसते हुए देखा और यह पहला अवसर था जब मैं उनको हँसते हुए देख रही थी । उन्होंने मुझे बताया कि जब कोई जर्मन भाषा में बात करने वाला मिल जाता है तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होती है ? उन्होंने यह भी कहा कि श्रीमती गोल्डमैन यों भी उन्हें बहुत अच्छी महिला मालूम पड़ीं । उन्होंने इस बात के लिए बहुत चिन्ता व्यक्त की कि पता नहीं उनकी पुत्री इस सम्बन्ध में क्या सोचेगी, पर उनकी इच्छा तो यही थी कि वे अभी श्रीमती गोल्डमैन के घर जायें और वह कमरा देख आयें जिसमें उन्हें रहना है ।

मैंने श्रीमती गोल्डमैन से अकेले में बातें कीं । उसकी बातों से यही मालूम हुआ कि वह भी श्रीमती बेन्सन से प्रभावित हुई है । उसने कहा कि उसका अनुमान है कि वह बेचारी स्नेह और ममता की भूखी है और साथ ही वह जो भाषा (जर्मन) जानती है उसकी ध्वनि के लिए उसके कान प्यासे हैं जिसे न सुनने के कारण ही वह अकेलेपन का

अनुभव करती है। श्रीमती बेन्सन ने उसे जो कुछ बताया था उससे वह इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि श्रीमती ग्लिक जल्दी-से-जल्दी अपनी माँ का अमेरिकीकरण कर देना चाहती थी। श्रीमती गोल्डमैन ने यह भी बताया कि स्वयं उसकी माँ, जो ८२ वर्ष की हैं, अपने पुराने रंग-ढंग और भाषा को छोड़ने को तैयार नही थीं। इसी कारण श्रीमती गोल्डमैन के मन में इस कार्यार्थी के प्रति सहानुभूति की भावना थी। वह श्रीमती बेन्सन और उनकी पुत्री को इसी समय अपने घर ले जाकर कमरा दिखाने को तैयार थी।"

व्यवस्थापन की प्रक्रिया में यह एक आवश्यक कदम माना जाता है कि वृद्ध कार्यार्थी और पालन-गृह के मालिक अभिकरण के कार्यालय में व्यवस्थापन के पहले ही एक बार मिल लें। कार्यार्थी के लिए इस मिलन का अत्यधिक महत्त्व होता है। उनकी मुलाकात के पहले अभिकरण का कार्यकर्ता (अथवा कार्यकर्त्री) उन दोनों से बारी-बारी से मिलता और अन्त में दोनों का एक दूसरे से परिचय कराता है। इसके बाद उन दोनों को एक दूसरे से बातचीत करने का अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वे आपस में मिलकर इस विषय पर विचार कर सकें कि व्यवस्थापन का प्रबन्ध किस रूप में होगा और वे एक दूसरे के लिए क्या कर सकेंगे। इस मुलाकात के बाद वे दोनों अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराने के लिए फिर कार्यकर्ता से अलग-अलग मिलते हैं।

इसके बाद फिर दोनों को आपस में बातचीत करने के लिए स्वतन्त्र कर दिया जाता है ताकि वे पुनः बातचीत द्वारा अन्तिम रूप से यह निर्णय कर सकें कि वे वस्तुतः एक दूसरे को चाहते हैं या नही। यदि वे दोनों स्वीकारात्मक निर्णयों पर पहुँचते हैं तो यह व्यवस्था की जाती है कि कार्यार्थी किसी निश्चित तिथि को गृह-स्वामी के घर जाकर उससे मुलाकात करे। इससे कार्यार्थी को अपना कमरा, गृह-स्वामी का घर तथा उसका पास-पड़ोस देखने का अवसर मिलता है। यदि कार्यार्थी को ये सभी चीजें पसन्द आ जाती तो अपना मकान छोड़कर इस नये व्यवस्थापन-गृह में आने के लिए तिथि निश्चित कर दी जाती है।

इस थोड़ी देर के साक्षात्कार में कार्यार्थी और गृह-स्वामी दोनों एक-दूसरे की भावात्मक स्थिति को समझते तथा एक-दूसरे की आवश्यकताओं से परिचित होते हैं।

यहाँ गृह-स्वामिनी श्रीमती गोल्डमैन के बारे में दो शब्द कहना आवश्यक प्रतीत होता है। श्रीमती गोल्डमैन ५० वर्ष की विधवा स्त्री है। उसके परिवार में १७ और १४ वर्ष के उसके दो लड़कों के अतिरिक्त उसकी वृद्धा माँ है जिसकी अवस्था ८२ वर्ष की है। श्रीमती गोल्डमैन एक सुव्यवस्थित महिला है और यद्यपि उसके पास कुछ अचल सम्पत्ति भी है जिससे उसे आय होती है फिर भी वह अपने मकान में किरायेदार रखती आयी है। उसने अस्पताल के एक सामाजिक कार्यकर्ता से कमरा किराये पर देने की बात

कही थी और उसी कार्यकर्ता ने अभिकरण से उसके सम्बन्ध में सिफारिश की थी। श्रीमती गोल्डमैन का मकान बहुत बड़ा है जिसमें सात कमरे हैं। इनमें से दो कमरों में अभिकरण द्वारा व्यवस्थित दो वृद्ध व्यक्ति पहले से ही रहते है। इन दोनों वृद्ध व्यक्तियों की देख-भाल करने में श्रीमती गोल्डमैन ने पर्याप्त योग्यता का प्रदर्शन किया था। अपने घर में वृद्ध व्यक्तियों को रखना न केवल उसके लिए आय की दृष्टि से हितकर है, बल्कि उससे एक अन्य लाभ यह है कि उसकी वृद्धा माँ को बातचीत और मन बहलाव के लिए कुछ समवयस्क साथी मिल जाते हैं। अभिकरण की दृष्टि में श्रीमती गोल्डमैन आदर्श गृह-स्वामिनी है जो अपने आवास-गृह के आवासियों तथा उनके परिवार वालों के व्यवहार के प्रति बहुत सहनशील रहती है और उसे एक यथार्थ स्थिति के रूप में स्वीकार करती है। श्रीमती गोल्डमैन की तरह उसके लड़के भी वृद्ध व्यक्तियों के साथ बहुत ही शालीनतापूर्ण व्यवहार करते है और उन्हें अपने दादा या दादी के समान मानते हैं।

अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि श्रीमती बेन्सन और श्रीमती गोल्डमैन इतनी जल्दी एक दूसरे से कैसे हिल-मिल गयीं।

"१७ अक्तूबर—मैंने राजकीय लोक-कल्याण-विभाग को तुरन्त सूचना भेज दी कि श्रीमती गोल्डमैन ने श्रीमती बेन्सन को अपने घर में रखना स्वीकार कर लिया है। लोक-कल्याण विभाग के घरों की तलाश और जाँच-पड़ताल करने वाले कार्यकर्ता ने मेरी सूचना के चौबीस घंटे के भीतर ही श्रीमती गोल्डमैन के घर जाकर उसका मकान देखा और उसकी संस्तुति की। मैंने श्रीमती बेन्सन और श्रीमती गोल्डमैन को बुलवाकर उन्हें समझाया कि वे दोनों आपस में तय करके कोई ऐसी निश्चित तिथि बतायें जिस दिन श्रीमती बेन्सन को श्रीमती गोल्डमैन के घर में पहुँचाया जाय और जो दोनों के लिए सुविधाजनक हो। उन दोनों ने यह निश्चित किया कि उनके लिए पहली तारीख सुविधाजनक होगी। श्रीमती ग्लिक ने मुझे बताया कि वह रविवार को अपनी माँ को श्रीमती गोल्डमैन के घर पहुँचा आयेगी और फिर दूसरे दिन भी सीधे उनके कमरे में जाकर उनसे मिलेगी। मैंने उससे कहा कि इस तरह तो उसे दो बार यात्रा करनी पड़ेगी, इससे कही अच्छा यह है कि वह श्रीमती गोल्डमैन से भी कुछ सहायता ले। उसने मुझसे पहले ही कहा था कि उसे यात्रा करने में कष्ट होता है और इसीलिए मैंने उससे यह बात कही थी। इसके उत्तर में उसने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और साथ ही उसने इस बात पर जोर दिया कि उसका अपनी माँ के पास दूसरे दिन जाना आवश्यक है। क्योंकि अपनी माँ को आराम पहुँचाने वाली छोटी-मोटी बातों की जानकारी केवल उसी को है; अन्य कोई व्यक्ति वे सब काम नहीं कर सकता।"

इस तरह काफी संघर्ष के बाद इस साक्षात्कार में व्यवस्थापन की बात पक्की हो गयी।

इस साक्षात्कार की सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसमें श्रीमती ग्लिक की आन्तरिक ग्लानि की भावना स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ गयी । यह बात इसी से स्पष्ट है कि यद्यपि उसे यात्रा करने में कष्ट होता था फिर भी वह अपनी माँ के कमरे की व्यवस्था करने के लिए दो बार यात्रा करने को तैयार थी । व्यवस्थापन की स्थिति का सामना करना उसके लिए अत्यन्त कठिन था । व्यवस्थापन-गृह में अपनी माँ के पास जाकर उनके कमरे की व्यवस्था करने को तैयार हो जाना इस बात का द्योतक था कि वह अपनी माँ की देख-भाल न कर पाने की कमजोरी या अक्षमता को दूर करने का प्रयत्न कर रही थी ।

"२३ अक्तूबर—मैंने श्रीमती बेन्सन से उनके नये आवास-गृह में जाकर मुलाकात की । इस वृद्ध महिला में जो परिवर्तन हुआ था वह सचमुच उल्लेखनीय था । वे श्रीमती गोल्डमैन की माँ और बहन के कमरे में उनके साथ बैठकर बातचीत कर रही थी । वह एक सुन्दर एप्रन पहने हुए थीं । उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे इस घर में बहुत चैन का अनुभव कर रही थीं । उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से मेरा स्वागत किया और इस बात के लिए क्षमा माँगी कि इस समय वे दूसरों के साथ थीं । वह मुझे अपने कमरे में ले गयीं । श्रीमती बेन्सन का कमरा मकान के अगले भाग में है और बहुत आकर्षक है । श्रीमती बेन्सन ने इस बात के लिए कृतज्ञता प्रकट की कि अब उन्हें एक ऐसा कमरा मिल गया है जिसमें रहकर अब वे अपने को 'सचमुच का आदमी' समझ रही हैं । ऐसा कहते हुए उन्होंने फुर्ती से झुककर मेरा हाथ चूम लिया । मैंने अपना हाथ पीछे नही खीचा और उनसे कहा कि इसमें मेरे प्रति कृतज्ञ होने की कोई बात नहीं है और इसे यह नही सोचना चाहिए कि यह सब मैंने किया है । मैंने उन्हें बताया कि यह सब कुछ हमारे अभिकरण और राजकीय लोक-कल्याण-विभाग ने किया है । मैंने उनसे पूछा कि क्या वे यह नहीं अनुभव करतीं कि इस विषय में उनका योगदान भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जब-जब मैंने उन्हें बुलाया, तब-तब वे इस वृद्धावस्था में भी कार्यालय तक आयीं और जिस तरह यहाँ व्यवस्थापित होने के कार्य में उन्होंने सहयोग किया है उसी तरह यहाँ सुव्यवस्थित ढंग से जीवन बिताने की जिम्मेदारी भी बहुत कुछ उन्हीं पर होगी । श्रीमती बेन्सन ने मेरी विनम्रता के सम्बन्ध में अस्पष्ट शब्दों में कुछ कहा और थोड़ी देर बाद स्थिर होकर बताने लगीं कि इस नये स्थान में उन्हें कैसा लग रहा है । उन्हें इस बात के लिए बाह्यतः कोई पश्चात्ताप नहीं था कि उन्हें अपनी पुत्री का घर छोड़ना पड़ा है, किन्तु जब मैंने स्पष्ट रूप से इस सम्बन्ध मे पूछा कि उनकी पुत्री के मकान की तुलना में यह मकान कैसा है तो उन्होंने बताया कि इस मकान का स्नानागार उतना अच्छा नहीं है जितना उनकी पुत्री के मकान में था । इसके अतिरिक्त यहाँ अपने कमरे में उन्हें सोने में भी बाधा पहुँचती है क्योंकि

चारों ओर से रोशनी आती रहती है, किन्तु इस बाधा को दूर करने के लिए श्रीमती गोल्डमैन खिड़कियों पर काला पर्दा लगवाने जा रही है ताकि शीशों से रोशनी न आ सके। मेरे कहने पर उन्होंने यह स्वीकार किया कि कोई मकान ऐसा नही होता जिसमें सभी बातें अपनी पसन्द की हों। इस ८५ वर्षीया वृद्धा महिला में वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप अपने को ढाल लेने की असाधारण क्षमता थी, इसका मैने स्पष्ट अनुभव किया। मैने उनसे इस विषय में बातचीत की कि राजकीय लोक-कल्याण-विभाग से उन्हें जो चेक मिलेगा उसको किस प्रकार खर्च किया जायेगा और उसमें से कितना धन श्रीमती गोल्डमैन को दिया जायेगा। यद्यपि यह हिसाब-किताब बड़ा पेचीदा था फिर भी उन्होंने उसे ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की। जब मैं उनसे अलग हुई तो उन्होंने समझा कि मैं श्रीमती गोल्डमैन से अकेले में बात करने जा रही हूँ, किन्तु मेरा अनुमान है कि इससे वे तनिक भी चिन्तित या आतंकित नही हुई।

जब मैने श्रीमती गोल्डमैन से बातें कीं तो उसने बताया कि और सब तो ठीक है, किन्तु उसे एक बात का डर है, और वह यह कि श्रीमती बेन्सन इतनी संवेदनशील हैं कि पता नहीं उनके मन को किस बात के कारण आघात पहुँच जाय। मैंने उसे समझाया कि यदि उसे वस्तुतः इस व्यवस्थापन को उचित ढंग से चलाना है तो वह जैसे रहती आयी है उसी तरह रहना चाहिए और यदि कोई समस्या उत्पन्न होगी तो हम सब लोग मिल कर उसे हल करेंगे। श्रीमती गोल्डमैन ने कहा कि उसका विश्वास है कि श्रीमती बेन्सन की समस्या तो वस्तुतः उनकी पुत्री ही रही है। उसने बताया कि श्रीमती बेन्सन के यहाँ आने के दूसरे दिन श्रीमती ग्लिक यहाँ आयी थी और अपने साथ कुछ गन्दी रूमालें ले आयी और इस कमरे में उसने (श्रीमती गोल्डमैन ने) जो रूमालें रखी थी उन्हें इस कमरे से हटवा दिया यद्यपि वे रूमालें काफी स्वच्छ थीं। उसने यह भी कहा था कि उसकी माँ छोटी-छोटी बातों के लिए भी बहुत शोर-गुल मचा दिया करती है। श्रीमती गोल्डमैन ने यह भी बताया कि अपनी पुत्री के जाने के बाद श्रीमती बेन्सन ने भी इस घटना की चर्चा और उसके इस कृत्य की आलोचना की थी।"

व्यवस्थापन-गृह में कार्यकर्त्री श्रीमती बेन्सन के वहाँ जाने के बाद पहली बार गयी थी। इस सेवा-योजना के अन्तर्गत कार्यकर्ता (या कार्यकर्त्री) को व्यवस्थापन के बाद कुछ दिनों के भीतर ही एक बार व्यवस्थापन-गृह में जाना चाहिए। कार्यकर्त्री ने वहाँ की यात्रा के बारे में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उससे स्पष्ट है कि श्रीमती बेन्सन ने इस नये आवास-गृह में अपने को व्यवस्थित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। वह नये घर में जाने के लिए इतनी आतुर थीं कि अब यह कार्य सम्पन्न हो जाने पर उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे इस पालन-गृह में आने या अपनी पुत्री का घर छोड़ने के सम्बन्ध में

अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति करेंगी। फिर भी कार्यकर्त्री ने श्रीमती बेन्सन को अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसके फलस्वरूप श्रीमती बेन्सन ने नय आवास-गृह के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें की। इसी तरह अपनी कोई भी शिकायत खुलकर कहने की उन्हें पूरी स्वतन्त्रता है।

पर कार्यकर्त्री के सम्मुख श्रीमती ग्लिक की भावनाएँ एक समस्या बनकर उपस्थित हो गयी हैं। आवास-गृह में जाने से उसे पता चला कि श्रीमती ग्लिक वहाँ गयी थी और वहाँ के लोगों पर एक तरह से अपना आधिपत्य दिखाने की कोशिश की थी। उससे इस बर्ताव की आशा करना असंगत नही है, पर इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है।

"३० अक्तूबर—श्रीमती ग्लिक को आज प्रातःकाल मिलने के लिए बुलाया गया था, पर वह निश्चित समय से आधा घंटा पहले ही आ गयी। उसने यहाँ आने की बात बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर ली थी यद्यपि यहाँ उसके इस समय आने का अर्थ यह था कि उसे अपने घर से आठ बजे के पहले ही चल देना पड़ा होगा।

श्रीमती ग्लिक आज कुछ बदली हुई दिखाई पड़ रही थी। उसमें आज उसका मातृत्व अधिक झलक रहा था। इसके पहले जब वह अपनी माँ के साथ यहाँ आया करती थी, वह बालिका बनी रहती थी और तब उसका बालिका का लड़ाकू रूप ही अधिक उभरा दिखाई पड़ता था। यहाँ तक कि उस समय वह अपने बालों में फीता भी बाँध कर आया करती थी। आज उससे जो बातें हुई उनसे यह तथ्य प्रकाश में आया कि उसका अपनी माँ के साथ संघर्ष का मुख्य कारण श्रीमती बेन्सन का अपने मातृत्व-सम्बन्धी अधिकार का प्रयोग ही था। श्रीमती ग्लिक ने सारा दोष अपनी माँ पर थोपते हुए यह तर्क उपस्थित किया कि उसकी माँ उसे वयस्क स्त्री मानने को तैयार ही नहीं होती थी। वह उसे छोटी बालिका ही समझा करती थी। श्रीमती ग्लिक इस सम्बन्ध में अपना कोई दोष स्वीकार करने को तैयार नही थी और मैंने इस विवाद को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा क्योंकि मैं जानती थी कि उसे इस विषय में परामर्श देने के लिए काफी समय की आवश्यकता होगी और उसे परामर्श-सम्बन्धी सेवा ब्रुकलिन में ही, जहाँ वह रहती है, उपलब्ध हो जायेगी।

आज श्रीमती ग्लिक ने मेरे प्रति भी विरोध के भाव व्यक्त किये और मेरा अनुमान है कि उसके मन में यह विरोध भीतर-ही-भीतर बढ़ रहा था क्योंकि वह सोच रही थी कि मैं उसकी माँ का पक्ष लेती हूँ। उसके भीतर की यह ग्लानि कि वह जान-बूझकर अपनी माँ को अपने घर से बाहर करना चाहती थी, आज स्वयं उसको भी स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गयी थी और यह भी सच था कि मैंने उसकी इच्छा पूरी करने में उसकी सहायता

की थी। श्रीमती ग्लिक ने मेरी परीक्षा लेने की दृष्टि से कहा कि उस सम्बन्ध में कुछ नहीं मालूम है कि राजकीय लोक-कल्याण-विभाग के कर्मचारी उससे सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ पूछ-ताछ करेंगे या नहीं। मैंने उससे कहा कि इस विषय में जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेदारी तो मेरी ही है और मैं सब बातें जानती ही हूँ। इस पर उसने पहले तो विनीत भाव से, पर बाद में विरोध प्रकट करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि उससे सब यही आशा रखते हैं कि उसे केवल अपनी माँ के बारे में ही सोचना चाहिए, अपने बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। मैंने उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मेरा यह दृढ़ विश्वास था कि व्यवस्थापन ही ऐसा उचित मार्ग था जिससे उसके तथा उसकी माँ की स्वत्व की रक्षा हो सकती थी। किन्तु उन दोनों के अलग हो जान से ही समस्या का अन्त नही हो जाता। मैंने उसके साथ इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया कि वह व्यवस्थापन-गृह में अपनी माँ के कमरे को ठीक करने की जिम्मेदारी को अब भी अपनी जिम्मेदारी क्यों समझती है और वह यह क्यों नही सोचती कि अपने नये आवास-गृह में उसकी माँ या तो स्वयं अपनी जिम्मेदारी सँभाल सकती है अथवा अपने कमरे को ठीक करने तथा अन्य कामों की जिम्मेदारी गृह-स्वामिनी को सौंप सकती है। जब श्रीमती ग्लिक ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सोचती हूँ कि उसे सप्ताह में एक बार भी अपनी माँ से मिलने नही जाना चाहिए, तो उसके उत्तर में मैंने कहा कि यह निश्चय करने का दायित्व स्वयं उसका है कि वह अपनी माँ से सप्ताह में या महीने में कितनी बार मिलने जाय। फिर इसी प्रसंग में मैंने उसे याद दिलाया कि जब वह महीने में एक बार अपनी माँ के साथ मुझसे मिलने के लिए मेरे कार्यालय में आती थी तो उसने एक बार कहा था कि यहाँ तक आने में उसे बहुत अधिक थकावट आ जाती है। इस पर वह मुस्करा कर बोली, "उस समय मेरी माँ जो मेरे साथ थी।" श्रीमती ग्लिक ने अपनी स्थिति की वास्तविकता को बहुत हद तक स्वीकार किया और यह भी बताया कि उसकी माँ के चले जाने के बाद उसके मकान में किस तरह सजावट-सम्बन्धी नये-नये परिवर्तन किये गये हैं। यह कहते हुए उसने फिर आत्म-ग्लानि का अनुभव किया और इसीलिए उसने यह तर्क दिया कि यह सब काम वह स्वयं नही करती, उसकी पुत्री करती है और वही उसके लिए व्यय भी करती है।

मैंने श्रीमती ग्लिक से कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रही है कि उसकी समस्या केवल उसकी माँ की उसके घर में उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले मतभेदों और संघर्षों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनसे कहीं अधिक गहराई में स्थित है। उसने मेरे साथ सहमति प्रकट की और बताया कि उसने तो अपने चिकित्सक से भी यह राय माँगी थी कि क्यों न वह एक बार अपना मनश्चिकित्सकीय

उपचार करा ले । इस पर मैंने उसे सुझाव दिया कि इस मामले में उसे यहूदी पारिवारिक समिति से सहायता मिल सकती है और यदि वह चाहे तो मैं उसका मामला उक्त अभिकरण के पास भेज सकती हूँ, और हमारा सम्पर्क केवल उन समस्याओं तक ही सीमित रहेगा जो उसकी माँ के व्यवस्थापन के कारण उत्पन्न होंगी ।"

इस साक्षात्कार से यह स्पष्ट हुआ कि माँ के रहने की अन्यत्र व्यवस्था हो जाने के कारण श्रीमती ग्लिक एक नवीन स्वतन्त्रता अनुभव कर रही थी जिसके कारण वह न केवल अपनी माँ के प्रति भिन्न ढंग से सोचने लगी थी, बल्कि अपने बारे में उसके सोचने का ढंग बदल गया था क्योंकि उसके मन के ऊपर से उसकी माँ का बोझ उतर गया था । इस साक्षात्कार से यह भी पता चलता कि उसे अपनी निजी समस्याओं के हल के लिए भी कुछ प्रयत्न करना पड़ सकता है और इसके लिए वह तैयार थी ।

"७ नवम्बर––आज जब मैं श्रीमती बेन्सन के आवास-गृह में गयी तो पहले श्रीमती गोल्डमैन से मिली । उसने और उसकी बहन ने, जो साक्षात्कार के समय काफी देर तक साथ रही, यह बताया कि श्रीमती बेन्सन ऐसी वृद्धा महिला है जिन्हें सचमुच श्रद्धा और प्यार किया जा सकता है । वह बहुत ही विचारशील और फुर्तीली औरत हैं । मुझे यह भी बताया गया कि पिछले दो दिनों से श्रीमती गोल्डमैन की तबीयत खराब थी और श्रीमती बेन्सन ने इस वृद्धावस्था में भी अपनी पूरी शक्ति से उसकी सहायता की है । श्रीमती गोल्डमैन का पुत्र अपने पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर श्रीमती बेन्सन को पढ़ने के लिए देता है । सबको यह देखकर आश्चर्य होता है कि वह कितना सतर्क रहती हैं । मानो यह अनुभव कर कि मैं श्रीमती बेन्सन के कुछ दोषों की जानकारी प्राप्त करना चाहती थी, श्रीमती गोल्डमैन ने उसकी तरफदारी करते हुए कहा कि श्रीमती बेन्सन इतनी अच्छी हैं कि वह उन्हें प्यार करने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकती । वस्तुतः उसे प्यार और ममता की ही आवश्यकता है और श्रीमती गोल्डमैन उनके इस अभाव की पूर्ति करने के लिए पूरी तरह तैयार थी । मैंने श्रीमती गोल्डमैन को बताया कि मैं यह जान कर बहुत प्रसन्न हूँ कि श्रीमती बेन्सन ने नयी परिस्थिति के साथ अपना सामंजस्य बहुत ही सुन्दर ढंग से किया है । मैंने कहा कि वह जहाँ और जब भी कोई ऐसी बात देखे जो उसे पसन्द नहीं है तो उससे कहने की उसे पूरी स्वतन्त्रता है और रहनी चाहिए । इस पर श्रीमती गोल्डमैन ने बताया कि श्रीमती बेन्सन को जब भी आवश्यकता महसूस होती है, वे निस्संकोच होकर खाने की वस्तुएँ माँग लेती हैं जैसे कि खाने के अन्त में फल आदि तो दिया ही जाता है, पर अन्य समय भी वह ये वस्तुएँ बिना हिचकिचाहट के माँग लेती हैं । इस कथन में जो विरोध का भाव छिपा था उसका कारण यह था कि श्रीमती बेन्सन की पुत्री यहाँ आकर कह गयी थी कि उसकी माँ को अपनी इच्छा के अनुसार ये

वस्तुएँ माँगने का अधिकार था। यद्यपि श्रीमती गोल्डमैन ने इस विषय में अपनी भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति की, पर साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि श्रीमती बेन्सन इस तरह यहाँ अधिक अपनत्व का अनुभव करती हैं तो वह उसके लिए इन वस्तुओं का प्रबन्ध करने का प्रयत्न करेगी क्योंकि वह श्रीमती बेन्सन के सुख-सन्तोष की तुलना में इन वस्तुओं का मूल्य अधिक नहीं मानती।

श्रीमती गोल्डमैन ने मुझे बताया कि जब श्रीमती ग्लिक मेरे कार्यालय में मुझसे मिलने के बाद उसके घर अपनी माँ से मिलने आयी थी, उस समय वह काफी बदली हुई दिखाई पड़ रही थी। उसने यह भी कहा कि पिछले सप्ताह जब श्रीमती बेन्सन अपनी पुत्री से टेलीफोन पर बात कर रही थी उस समय वह भी उस कमरे में उपस्थित थी। उस बात-चीत का जो अंश उसे सुनाई पड़ा उसका आशय यह था कि श्रीमती ग्लिक अपने घर की सजावट के लिए नये-नये परिवर्तन कर रही है। श्रीमती बेन्सन ने टेलीफोन पर अपनी पुत्री को यह बताया कि वह इस घर में कितनी प्रसन्न है और यहाँ के लोग उसके लिए क्या-क्या करते हैं; किन्तु इसे सुनते ही श्रीमती ग्लिक ने नाराज होकर टेलीफोन रख दिया, और श्रीमती बेन्सन को इस बात का बहुत दुःख है। श्रीमती गोल्डमैन ने इस बात के लिए चिन्ता व्यक्त की कि श्रीमती बेन्सन अपनी पुत्री की हमेशा शिकायत करती रहती हैं। मैंने कहा कि श्रीमती बेन्सन और उनकी पुत्री के झगड़े के बारे में हम लोगों को सोच-विचार करने की जरूरत नही है, किन्तु मैंने अपना यह विचार अवश्य व्यक्त किया कि श्रीमती बेन्सन चाहे कितनी भी विचारशील क्यों न हो, किन्तु उनके और उनकी पुत्री के सम्बन्ध का स्तर भिन्न है। इस पर श्रीमती गोल्डमैन ने कहा कि कठिनाई यह है कि जब भी श्रीमती ग्लिक यहाँ आती है उसके कहने से उसकी माँ यहाँ के खर्चों का हिसाब देखना चाहती है। श्रीमती गोल्डमैन ने यह भी बताया कि वह जब कभी बाहर जाती है तो श्रीमती बेन्सन उससे पूछती हैं कि वह कहाँ गयी थी यद्यपि वह इस बारे में काफी विचार-शील है। श्रीमती गोल्डमैन का यह ख्याल है कि श्रीमती बेन्सन को ऐसा नहीं पूछना चाहिए और इसीलिए वह उसके ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देती। मेरा ख्याल है कि श्रीमती गोल्डमैन, श्रीमती बेन्सन के सम्बन्ध में बहुत ही यथार्थवादी दृष्टिकोण रखती है।

इसके बाद मैं श्रीमती बेन्सन से मिलने के लिए उसके कमरे में गयी। वह अपने कमरे का दरवाजा हमेशा बन्द रखती है और बाहर की खिड़की हमेशा खुली रखती है, चाहे बाहर का तापमान कितना भी नीचे क्यों न हो। मुझको देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने आज फिर कृतज्ञतावश मेरा हाथ चूमने की कोशिश की और इस बात के लिए मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने उन्हें ऐसी जगह दिला दी है जहाँ उन्हें अपने घर से भी ज्यादा आराम है और वे इतनी प्रसन्न है जितनी पिछले कई वर्षों के बीच कभी नहीं रहीं।

श्रीमती बेन्सन ने श्रीमती गोल्डमैन के बारे में बड़े उत्साह से बातें कीं। वह उसके प्रति माँ जैसा स्नेह रखती है और इसी कारण उन्होंने चिन्ता व्यक्त की कि श्रीमती गोल्ड-मैन का स्वास्थ्य ठीक नही है। यद्यपि उन्होंने यह शिकायत की कि श्रीमती गोल्डमैन बहुत कठिन परिश्रम करती है, किन्तु मेरे समझाने पर वह मुझसे सहमत हो गयी कि यह श्रीमती गोल्डमैन की जिम्मेदारी है कि वह स्वयं सोचे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नही करना चाहिए। इसके बाद विषय बदलते हुए श्रीमती बेन्सन ने बताया कि उन्हें अपना कमरा साफ करने में बहुत आनन्द आता है। इसलिए नहीं कि इस तरह वे श्रीमती गोल्डमैन का काम हलका करती हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें यह सोच कर ही बहुत प्रसन्नता होती है कि इस अवस्था में भी वे अपने हाथ से अपना काम कर सकती है। इसी प्रसंग में उनके प्रति उनकी पुत्री के व्यवहार की चर्चा भी उपस्थित हो गयी। मैंने उनसे कहा कि मै इस बात का अनुमान कर सकती हूँ कि उन्हें उनकी पुत्री के व्यवहार से कितना दुःख हुआ होगा। किन्तु मैंने उन्हें यह भी समझा दिया कि उनके व्यवस्थापन से कुछ भी लाभ नहीं होगा यदि वे इसी तरह अतीत-जीवी बनी रहेंगी और हमेशा अपनी पुत्री और उसके वर्तमान जीवन के बारे में ही सोचा करेंगी। उन्होंने मेरी बात स्वीकार की और मुझसे पूछा कि वे अपनी जीवन-पद्धति को परिवर्तित करने के लिए जो प्रयत्न करेंगी उसमें क्या मै उनका साथ दूँगी ? इसके बाद छाती के नीचे वाली हड्डी पर हाथ फेरते हुए उन्होंने बताया कि अपनी उक्त भावना को दबाने के लिए वे न जाने कितने दिनों से प्रयत्न करती आ रही हैं। मैंने उत्तर देते हुए कहा कि जब तक वे अपने वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर जीवन-सम्बन्धी प्रयत्न करती रहेंगी, मै बड़े धैर्य के साथ उसके परिणाम की प्रतीक्षा करती रहूँगी और चूँकि उन्होंने कई बार अपनी उम्र की भी चर्चा की थी, अतः मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि अपने जीवन को किसी भी उम्र में नये मार्ग पर मोड़ा और नये ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है, अवस्था उसमें बाधा नही डाल सकती।"

इस साक्षात्कार से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमती बेन्सन और उसके आवास-गृह की स्वामिनी के परिवारवालो का आपसी-सम्बन्ध किस प्रकार अधिक सार्थकतापूर्ण बनता जा रहा है। परिवार का सबसे छोटा बालक श्रीमती बेन्सन के लिए पुस्तकालय से पुस्तकें लाता है और श्रीमती बेन्सन निस्संकोच होकर भूख लगने पर खाने की वस्तुएँ माँग लेती हैं। इस साक्षात्कार से इस बात पर भी प्रकाश पड़ता है कि श्रीमती ग्लिक अपनी माँ के व्यवस्थापन के प्रति अधिक विरोधी भावनाएँ रखने लगी है। इस विषय में श्रीमती बेन्सन जो बातें करती है उससे यह आभास मिलता है कि उस पर भी उनके व्यवस्थापन के कारण घटित हुए परिवर्तनों की प्रक्रितिया हुई है। उनकी पुत्री उनके

साथ जो व्यवहार करती आयी है, उसकी शिकायत वे अब भी करती हैं। अपने अतीत-जीवन के प्रति उनका लगाव अब भी बना हुआ है। कार्यकर्त्री श्रीमती बेन्सन को समझाती है कि उन्हें अपने वर्तमान जीवन से मिलने वाले सन्तोष और सुखों का उपभोग करने का पूरा अधिकार है और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह ऐसी बात है जिस पर श्रीमती बेन्सन को सहसा विश्वास ही नहीं होता और वे सोचने लगती है कि यदि वे ऐसा करेंगी तो इसका अर्थ यह होगा कि वे अपनी पुत्री को, जो अपनी माँ से अलग होने के बाद इतना अधिक बदल गयी है, अपने जीवन-सन्दर्भ से बहिष्कृत और अस्वीकृत कर देंगी। किसी परिवर्तन को तुरन्त स्वीकार कर लेना आसान नहीं होता, अतः श्रीमती बेन्सन के लिए भी अपनी नयी भावनाओं के अनुरूप अपने जीवन को व्यवस्थित करने में पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी।

इस अवधि में तथा उसके बाद वाले सप्ताह में यह बात स्पष्ट हो गयी कि श्रीमती ग्लिक को ऐसी सहायता की आवश्यकता है कि वह इन दिनों जो कुछ कर रही है और उसमें इधर जो परिवर्तन आ गये हैं, उन्हें वह स्वयं अच्छी तरह समझ सके। व्यवस्थापित होने वाले वृद्ध व्यक्तियों के वयस्क पुत्रों और पुत्रियों की इस प्रकार की सहायता अभिकरण के वैयक्तिक सेवा-कार्य-सम्बन्धी कार्यक्रम का ही एक अंग मानी जाती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर श्रीमती ग्लिक के साथ कई बार साक्षात्कार करने की व्यवस्था की गयी। उनमें से दो साक्षात्कारों का विवरण आगे दिया जा रहा है ताकि उसके लिए किये जाने वाले वैयक्तिक सेवा-कार्य पर कुछ प्रकाश पड़ सके।

"२९ फरवरी—श्रीमती ग्लिक जब निश्चित समय पर मिलने के लिए आयी तो वह बहुत गुस्से में थी। ज्यों वह कमरे में घुसी मैंने सीधे इसी विषय पर उससे बात शुरू की। यद्यपि उसने स्वीकार किया कि मिलने के लिए समय निश्चित करने की प्रार्थना स्वयं उसने ही की थी, किन्तु उसकी यह शिकायत थी कि जब उसकी माँ को अलग व्यवस्थापित कर दिया गया है तो उसको इस बात के लिए क्यों जिम्मेदार माना जाता है कि वह अपनी माँ के शारीरिक और भावात्मक हितों की देखभाल करे। उसने कहा कि स्वयं उसका स्वास्थ्य इस योग्य नहीं है कि वह बार-बार ब्रुकलिन से मैनहाटन तक की यात्रा किया करे। मैंने इस बात के लिए उसकी प्रशंसा की कि उसे बार-बार कष्ट उठाकर अपनी माँ को देखने के लिए ब्रुकलिन से मैनहाटन तक जाना पड़ता है, किन्तु इसका उत्तर उसने बड़े विस्तार से देते हुए कहा कि वह स्वयं अपने स्वास्थ्य की अधिक चिन्ता नहीं करती। वह तो यहाँ अपनी माँ की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आयी है। मैंने उसकी बात स्वीकार करते हुए कहा कि यद्यपि यह सच है कि वह यहाँ स्वयं अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में बात करने नहीं आयी थी, फिर

भी हमें उसके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सोच-विचार करने का अधिकार है क्योंकि उसकी माँ की देखभाल अच्छी तरह तभी हो सकती है कि जबकि स्वयं उसका (श्रीमती ग्लिक का) स्वास्थ्य ठीक रहे। साथ ही मैंने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि आखिर वह अपनी माँ के बारे में इतनी अधिक चिन्तित क्यों रहती है और स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी सप्ताह में एक बार उससे मिलने जाने की बाध्यता का अनुभव क्यों करती है ? इस विषय में हम लोगों में जो बातचीत हुई उससे पता चला कि श्रीमती ग्लिक के मन में इस बात के लिए पश्चात्ताप था कि उसी ने अपनी माँ को जर्मनी से यहाँ बुलाया था और बुलाने के बाद उसके लिए निजी घर की व्यवस्था नहीं की थी, यद्यपि यह सब कहने के पूर्व उसने प्रारम्भ में अपनी माँ को दोषी बताते हुए कहा था, "आप मेरी माँ को नहीं जानती हैं। उसी के कारण मुझे ये बातें सोचनी पड़ती है।" फिर बहुत कुछ दोष अपने ऊपर लेते हुए उसने कहा, "वस्तुतः यही मेरे जीवन का रास्ता है।" साथ ही उसने यह भी कहा कि चाहे वह स्वयं कितना भी बीमार रहे, किन्तु जब उसकी माँ इस बात के लिए उसकी प्रशंसा करने लगती है कि वह उसके (माँ के) लिए कितना काम करती है तो प्रसन्नता से उसका हृदय खिल उठता है। मैंने श्रीमती ग्लिक से कहा कि व्यवस्थापन की प्रक्रिया के प्रारम्भिक काल में तो वह मुझे अच्छी लड़की जान पड़ी थी जबकि वास्तविकता यह थी कि वह खराब लड़की थी। यह आश्चर्य की बात थी कि इस कथन से श्रीमती ग्लिक क्रुद्ध नहीं हुई, इसके विपरीत हँसते हुए उसने मेरी बात स्वीकार की। किन्तु जब मैंने उसे बताया कि अभिकरण इस बात को मान्यता नही देता कि श्रीमती बेन्सन की, श्रीमती ग्लिक के अतिरिक्त कोई और भी सन्तान है तो इसे सुनकर उसके मन में अभिकरण के प्रति और भी विरोधी भाव उत्पन्न हो गया। क्योंकि वह सोचने लगी कि इस तरह उसकी माँ की जिम्मेदारी अकेले उसी पर आ जायेगी और यदि उसकी माँ पूर्णतः अक्षम हो जाती है तो उसका सारा बोझ उसी को ढोना होगा। उसने आवेश के साथ कहा कि उसने अपनी माँ को राय दी है कि वह इस बात के लिए एक आवेदन-पत्र दे कि उसे किसी ऐसे वृद्धावास गृह में रखा जाय जहाँ उसकी सारी जिम्मेदारी अभिकरण ले सके। उसका कहना था कि उसकी माँ को श्रीमती गोल्डमैन के आवास-गृह के सम्बन्ध में बहुत-सी शिकायतें हैं, किन्तु जब उसने अपनी माँ से वृद्धावास-गृह के बारे में चर्चा की तो वह एकदम बदल गयी और अपने वर्तमान आवास-गृह की शिकायतें भूलकर कहने लगी कि वह इस बारे में सोच भी नहीं सकती कि उसे वृद्धावास-गृह में रखा जायेगा। मने श्रीमती ग्लिक से पूछा कि इस सम्बन्ध में वह स्वयं क्या करना चाहती है ? मैंने उससे यह भी कहा कि हमारा अभिकरण वृद्धावास-गृह नहीं है और उसका यह सोचना ठीक ही है कि हमारे अभिकरण द्वारा जिन वृद्ध-व्यक्तियों को पालन-गृहों में व्यवस्थापित किया

जाता है उनकी देख-रेख की अधिकांश जिम्मेदारी उनके परिवारवालों की ही होती है, फिर भी हम उसे किसी भी तरह विवश नहीं कर सकते कि वह अपनी माँ की इतनी अधिक जिम्मेदारी ले जो उसकी शक्ति के बाहर है। इसी कारण मैंने उसे आज मिलने के लिए बुलाया था ताकि हम लोग मिलकर इस सम्बन्ध में विचार कर सकें कि अभिकरण उसकी माँ की कितनी आर्थिक सहायता कर सकता है ? मैंने उसे बताया कि उसे बुलाने का मुख्य कारण यह था कि उसकी माँ की समस्या वस्तुतः श्रीमती ग्लिक की ही समस्या थी। यदि वह यह महसूस करती है कि उसे अपनी माँ के पास प्रायः जाना चाहिए तो उसका यह भी कर्त्तव्य है कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपनी माँ को चिकित्सक के पास भी ले जाय।

जब श्रीमती ग्लिक इस सम्बन्ध मे अपनी तमाम शंकाएँ व्यक्त कर चुकी कि उसकी माँ के प्रति भविष्य में उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, तो यद्यपि मैं उसकी सभी आशंकाओं को दूर नहीं कर सकती थी, फिर भी मैंने उसे कम से कम इतना आश्वासन दिया कि वह जो भी योजना बनायेगी, उसमे अभिकरण उसकी सहायता करेगा। इसके बाद श्रीमती ग्लिक ने इस बारे में विचार करना प्रारम्भ किया कि उसकी माँ के दाँत बनवाने के लिए क्या किया जा सकता है, लोक-कल्याण-विभाग के अस्पताल में तो उस काम में बहुत समय लग जायगा, क्या कहीं और यह काम कम समय में नही हो सकता ? मैंने उसे बताया कि यद्यपि हमारे अभिकरण से सम्बद्ध कोई दन्त-चिकित्सक नहीं है, पर यदि वह स्वयं किसी दन्त-चिकित्सक से मिल कर इस बात का पता लगा ले कि उसकी माँ के दाँत बनवाने में कुल कितना धन व्यय होगा तो उसके बाद हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि अभिकरण इस कार्य में कितनी सहायता कर सकता है। इस पर श्रीमती ग्लिक ने स्वयं यह प्रस्ताव किया कि वह श्रीमती गोल्डमैन से पूछेगी कि उसके मुहल्ले में कोई दन्त-चिकित्सक है या नहीं, यदि वहाँ कोई दन्त-चिकित्सक होगा तो वह अपनी माँ को ब्रुकलिन लाने का कष्ट न देकर उसी चिकित्सक के पास ले जायेगी और उसके बाद वह दाँत बनवाने के अनुमानित व्यय का ब्यौरा मुझे दे जायेगी। साक्षात्कार के अन्त में जब मैंने उससे कहा कि आज तो हम दोनों ही के लिए साक्षात्कार का समय अच्छी तरह नहीं बीता तो उसने कहा कि वह ऐसा सोचती है कि यह ऐसी जगह है जहाँ वह अपने मन की सभी बातें खुल कर व्यक्त कर सकती है। मैंने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि वह मुँहदेखी बात नहीं करती, यद्यपि मैंने उसे प्रारम्भ में ऐसा ही समझा था क्योंकि तब वह हर बात पर कृतज्ञता प्रकट करती थी। मैंने इस बात के लिए उसकी प्रशंसा भी की कि वह अपनी माँ को आराम पहुँचाने के लिए यथाशक्ति सब कुछ करती है। मैंने उससे कहा कि उसकी माँ के व्यवस्थापन के प्रारम्भिक काल में यह अन्दाज करना कठिन था कि उससे

उसकी माँ के सम्बन्ध में किन बातों की आशा रखनी चाहिए और इसी कारण पहले मैंने उसे सावधान किया था कि वह अपनी माँ के पास अधिक न जाया करे, किन्तु आज मैं ही उससे इस बात के लिए आग्रह कर रही थी कि वह अपनी माँ के विषय में अधिक रुचि और सक्रिय भाग ले। मेरे ऐसा कहने पर श्रीमती ग्लिक को बहुत सन्तोष हुआ और अब उसने चैन की साँस ली।"

इस साक्षात्कार से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि श्रीमती ग्लिक के मन में अपनी माँ, इस अभिकरण तथा स्वयं अपने सम्बन्ध में कितनी परस्पर विरोध या द्वन्द्वात्मक भावनाएँ वर्तमान थी। इसका पता इससे चलता है कि व्यवस्थापन के बाद भी वह अपनी माँ की जिम्मेदारी सँभाले रहना चाहती है। पालन-गृह-सेवा के सिद्धान्त का यह एक अंग माना जाता है कि व्यवस्थापित होने वाले वृद्ध व्यक्तियों के वयस्क उत्तराधिकारी, व्यवस्थापन के बाद भी अपने माता-पिता की सेवा से सम्बन्धित कुछ बातों, जैसे उन्हें चिकित्सक या दन्त-चिकित्सक के पास ले जाना, चिकित्सा कराना आदि, की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। यद्यपि श्रीमती ग्लिक अपनी माँ से मिलने के लिए पर्याप्त कष्ट उठा कर जाया करती थी और उससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ता था, पर जब उससे यह कहा गया कि वह अपनी माँ को दन्त-चिकित्सक के पास ले जाय तो उसने इस पर आपत्ति की। इसका एक कारण तो यह मालूम पड़ता था कि अभिकरण ने अपनी कार्यकर्त्री के माध्यम से, जिसने श्रीमती बेन्सन को व्यवस्थापित कराने का कार्य सम्पन्न किया था, उसे इतना आराम पहुँचाया जितना उसे श्रीमती ग्लिक के घर में कभी नहीं मिला था। इसी कारण यद्यपि यह अपने मन से तो अपनी माँ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाने को तैयार थी, पर जब अभिकरण की ओर से उससे कहा गया कि वह माँ को दन्त-चिकित्सक के पास ले जाय तो इस पर उसने आपत्ति की। एक मातृ-भक्त पुत्री होने के नाते वह अपनी माँ के पास आती-जाती थी, पर जब माँ की चिकित्सा कराने या दाँत बनवाने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो उसने सोचा कि जब उसकी माँ दूसरे के घर में रहती है और उस सुख-आराम का श्रेय दूसरे को मिलना है तो वह इस कार्य में सहयोग क्यों करे; इस तरह मनोवैज्ञानिक तथ्य यही था कि इस प्रकार के सहयोग को वह तिरस्कार के योग्य समझ कर नापसन्द करती थी। श्रीमती ग्लिक से उसकी आन्तरिक शक्ति की प्रशंसा करके तथा यह स्वीकार करके कि श्रीमती बेन्सन के लिए बनायी जाने वाली योजना में सहयोग करके वस्तुतः अपनी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ही कर रही थी, कार्यकर्त्री ने उसको इस तरह प्रभावित कर दिया कि श्रीमती ग्लिक का दृष्टिकोण ही बदल गया।

वस्तुतः इस साक्षात्कार की सफलता इस बात में थी कि इससे श्रीमती ग्लिक को अपने

अधिकारों और कर्त्तव्यों का अधिक स्पष्टता से बोध हो गया और वह यह समझने लगी कि यद्यपि वह अपनी माँ की देख-भाल और सेवा स्वयं नहीं कर रही है, पर तब भी वह अपनी माँ की, जो दूसरे के घर में रह रही थी, सहायता करके उसकी पुत्री बनी रह सकती थी। इस बात की अनुभूति हो जाने मात्र से वह अपनी आत्म-ग्लानि को बहुत कुछ दूर कर सकती थी।

"२८ मार्च—श्रीमती ग्लिक ने मुझे टेलीफोन किया कि वह आज मुझसे मिलना चाहती है, किस समय आये। उसकी आवाज बहुत ही प्रसन्नतापूर्ण और विश्वासयुक्त थी। साक्षात्कार कितने बजे हो, इस सम्बन्ध में उसका अपना कोई आग्रह नहीं था। जब वह मिलने आयी तो और धार की तरह निश्चित समय से कुछ पहले ही नहीं पहुँची, बल्कि ठीक समय पर आयी। वह प्रतीक्षा-कक्ष में काफी आराम से बैठी थी। निश्चित भाव से उसने अपना कोट उतार कर अलग रख दिया था ताकि आराम से बैठ सके।

श्रीमती ग्लिक ने साक्षात्कार का प्रारम्भ करते हुए मुझसे पूछा कि सचमुच क्या वह अपनी माँ के साथ पहले-जैसी ममता का सम्बन्ध बनाये रख सकेगी? उसने आगे कहा कि किसी के साथ सम्बन्ध बनाये रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि व्यक्ति अपने को नियंत्रित रखे। मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि हर व्यक्ति के लिए कोई-न-कोई ऐसी जगह अवश्य होनी चाहिए जहां वह अपने सही मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सके, किन्तु हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अपने परिवार के लोगों के साथ ऐसा सम्बन्ध बनाये रखना जिसमें इस तरह की स्पष्टोक्ति के लिए छूट हो सम्भव न हो। उसने मेरी बात का समर्थन करते हुए बताया कि उसका पति जो हमेशा से शान्त प्रकृति का व्यक्ति रहा है, अब बहुत चिड़चिड़ा हो गया है जिसका कारण शायद यह है कि उसका स्वास्थ्य इधर कुछ दिनों से खराब रहा करता है। उसका पति इन दिनों जितनी जल्दी चिढ़ जाया करता है उतनी वह स्वयं कभी नहीं चिढ़ती थी, यद्यपि वह भी पहले कम चिड़-चिड़ी न थी। मैंने उससे कहा कि आज वह जितनी प्रसन्न और चिन्तारहित मालूम पड़ती है उतनी इसके पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। इस पर उसने कहा कि अब उसने यह अच्छी तरह समझ लिया है कि दिन भर के अपने काम की जो योजना बनाती है उसमें से यदि कुछ पूरे नहीं हो पाते तो भी कोई गम्भीर बात नहीं घटित हो सकती; यह हमारा दुराग्रह है कि सब सोची बातें पूरी होनी ही चाहिए। वह अपने शरीर को अधिक शकने न दे, यह बात उसके हित में ही नहीं उसके पति के हित की दृष्टि से भी बहुत महत्त्व की है। फिर उसने हँसते हुए कहा कि कुछ व्यक्ति यह जानते हुए भी कि उनसे जो कुछ कहा जा रहा है, वह ठीक ही है, जान-बूझकर बेकार ही बात-बात में झगड़ते और विद्रोह करते रहते हैं। मैंने कहा कि यह भी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति से जो बात कही जा रही हो वह

उचित न हो, ऐसी स्थिति में उस बात का विरोध करना या उस व्यक्ति से विद्रोह करना उतना बुरा नहीं माना जायगा। अब श्रीमती ग्लिक पीछे लौट कर अपने मूल विषय पर आयी और बोली कि आज वह इतनी प्रसन्न थी, उसे इतना अच्छा लग रहा था कि उसकी इच्छा हुई वह मुझसे मिले; इसीलिए उसने टेलीफोन पर मिलने के लिए समय निश्चित करने को कहा था। उसने याद दिलाया कि किस तरह जब वह पिछली बार मुझसे मिलने के लिए कार्यालय में आयी थी, तो मेरी बातों के विरुद्ध विद्रोह कर बैठी थी, यद्यपि मन-ही-मन वह महसूस करती थी कि वह अभिकरण द्वारा यहाँ बुलायी नहीं गयी थी, बल्कि स्वयं प्रार्थना करके मिलने के लिए आयी थी। फिर उसने हँसकर कहा कि उस समय मुझे उसको उसी तरह डांट देना चाहिए था जैसे कोई माँ अपने धृष्ट बच्चे को डाँटती है। मैंने उससे कहा कि हो सकता है कि ऐसे क्षण उसके जीवन में आते हों जब कि उसके मन में यह अनुभूति उत्पन्न होती हो कि मैं उसकी माँ हूँ। पर निश्चय ही मैं उसे कोई ऐसा काम करने को नहीं कह सकती जिसे वह स्वयं करने की इच्छा न रखती हो। हो सकता है कि वह जिस तरह अपनी माँ के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव कर रही है उसे देखते हुए मैंने उसे यहाँ आने का सुझाव दिया हो और इसको उसने यह समझा हो कि मैं उसे आज्ञा दे रही हूँ। अतः निश्चय ही एसी स्थिति में उसे पूरा अधिकार था कि वह इस सम्बन्ध में अपनी सही भावनाओं को अभिव्यक्त करे। मैंने कहा कि मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि वह इस सम्बन्ध में अब भिन्न ढंग से सोचने लगी है। इसके बाद हम लोगों ने इस विषय में बातें शुरू कीं कि निजी आवास-गृह के व्यवस्थापन से किसी संस्था का व्यवस्थापन किस रूप में भिन्न होता है। चूँकि हमारी संस्था एक पारिवारिक अभिकरण है, अतः मुझे यह उचित प्रतीत होता है कि हम लोग सहयोग से काम करें और श्रीमती ग्लिक तथा उसकी माँ के बीच पारिवारिक सम्बन्ध बना रहे, किन्तु हमारी दिलचस्पी इस बात में है कि हम उन दोनों के सम्बन्ध को प्रीतिकर बना सकें। इसके बाद श्रीमती ग्लिक ने जो बात कही उसमें उसकी निश्छलता स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। उसने कहा कि उसकी भी यही इच्छा है कि उसकी माँ से उसका सम्बन्ध प्रीतिकर बना रहे और भले ही कुछ ऐसी बातें हों जिनमें वह अपनी माँ की कुछ भी सहायता न कर पाये, पर उसे इस बात की चिन्ता बनी रहे कि कौन-सा ऐसा काम हो सकता है जो वह अपनी माँ के लिए करे। उसने बड़ी आर्द्रता से बताया कि जब उसकी माँ उसे अपनी छाती से लगा लेती है तो उसका हृदय किस तरह उत्फुल्ल हो जाता है, किन्तु इस बार उसकी माँ ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस प्रकार के रक्त-सम्बन्ध वाले अपनत्व की अभिव्यक्ति हो।

मैंने अनुभव किया कि जब उसकी भावनाएँ इतनी अच्छी हो गयी हैं तो शायद अब

वह अपनी माँ से सम्बन्धित मामलों में स्वयं भी आराम से रह सकेगी और दूसरों के साथ उसके सम्बन्ध भी प्रीतिकर बन जायेंगे। श्रीमती ग्लिक ने बताया कि उसने जन्म-दिवस के अवसर पर अपनी माँ के लिए क्या-क्या किया था। मैंने उससे कहा कि श्रीमती बेन्सन की गृह-स्वामिनी ने उसके लिए जो कुछ किया है उसकी प्रशंसा करते हुए भी वह (श्रीमती ग्लिक) यह अवश्य सोचती होगी कि उसकी माँ उसके तथा श्रीमती गोल्डमैन के कामों की तुलना करके श्रीमती गोल्डमैन को अधिक श्रेय देती है और इससे उसकी हीनता सिद्ध हो सकती है। यद्यपि श्रीमती ग्लिक ने मेरी इस बात को मानने से इन्कार किया, पर जब मैंने कहा कि बात के दो पहलू होते हैं और हर प्रश्न पर दो मत हो सकते हैं तो उसने तुरन्त उत्तर दिया कि वह आशा करती है कि वह कभी भी किसी समस्या के अप्रीतिकर पहलू की ओर देखने का प्रयत्न नहीं करेगी। उसने अंशतः यह स्वीकार किया कि मेरी बात इस अर्थ में अवश्य सच है कि इस प्रकार की प्रत्यक्षतः अन्यायपूर्ण तुलना की बात सोच कर उसका हृदय विक्षुब्ध हो जाया करता है। अन्त में मैंने उसे समझाया और उसने मेरी बात स्वीकार भी कर ली कि श्रीमती गोल्डमैन चाहे श्रीमती बेन्सन के प्रति कितनी भी दयालु क्यों न हो और उसकी कितनी भी सेवा क्यों न करे, पर वह श्रीमती बेन्सन की पुत्री का स्थान नहीं ले सकती अर्थात् वह उसकी माँ के लिए कभी भी श्रीमती ग्लिक नहीं बन सकती। इस पर श्रीमती ग्लिक ने इसके कुछ उदाहरण दिये कि कब-कब उसने अपनी माँ के व्यवहारों में इस सत्य का साक्षात्कार किया था।

पुनश्च—उसी दिन बाद में मैंने एक अन्य मामले के सम्बन्ध में श्रीमती गोल्डमैन को टेलीफोन किया था। बातचीत के प्रसंग में उसने बताया कि श्रीमती ग्लिक उसके घर गयी थी और उसमें बहुत अधिक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा था। वह बहुत प्रसन्न थी और उसके (श्रीमती गोल्डमैन के) तथा अपनी माँ के साथ उसने इस विषय पर बातचीत की कि अपनी माँ को दन्त-चिकित्सक के पास ले जाने के कार्य में वह किस रूप में योगदान कर सकती है। उन्होंने यह तै किया कि इस सप्ताह में एक दिन तो श्रीमती गोल्डमैन श्रीमती बेन्सन को दन्त-चिकित्सक के पास ले जायेगी और अन्य दिनों स्वयं श्रीमती ग्लिक उसे वहाँ ले जाया करेगी।"

इस प्रकार इस साक्षात्कार से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमती ग्लिक में और उसकी माँ के व्यवस्थापन से सम्बन्धित अन्य लोगों के प्रति उसके व्यवहार में जो यथार्थ परिवर्तन प्रारम्भ हुआ था, वह और भी गहरा और स्पष्ट होता जा रहा है। वह स्वीकार करती है कि पहले उसके मन में विद्रोह और संघर्ष की भावनाएँ वर्तमान थीं और इन भावनाओं का कारण यह था कि पहले न तो वह अपने को ही अच्छी तरह पहचानती थी और न एक व्यक्ति के रूप में अपने महत्त्व को ही समझती थी। पहले वह अपनी माँ, इस अभि-

करण तथा आवास-गृह-स्वामिनी श्रीमती गोल्डमैन के साथ अपने सम्बन्धों में अपने को अरक्षित समझती थी और इसी कारण अपनी सुरक्षा की उपलब्धि के लिए वह सबसे लड़ने को तैयार रहती थी। वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्त्री की सहायता से वह समझ गयी कि उसकी विद्रोह-भावना वस्तुतः उसकी सुरक्षाहीनता और अनुभव करने की अक्षमता की बाह्याभिव्यक्ति थी।

अपने विद्रोह और मिश्रित भावनाओं की अभिव्यक्ति तथा कार्यकर्त्री के आश्वासन के बाद अब श्रीमती ग्लिक ने स्वयं ही अपना कर्त्तव्य समझ लिया है और अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। अतः उसकी माँ और श्रीमती गोल्डमैन के साथ उसके सम्बन्ध में पर्याप्त सुधार और समझौते की गुञ्जायश है। उसके भीतर सुरक्षा की जिस नयी भावना का उदय हुआ है उसके कारण अब वह अपने लिए तथा अपनी माँ के लिए जो कुछ भी करेगी उसमें उसे वास्तविक प्रसन्नता का अनुभव होगा।

निष्कर्ष

वृद्धावास-गृह अथवा अन्य किसी भी जगह व्यवस्थापित किये जाने वाले वृद्ध व्यक्तियों के वैयक्तिक सेवा-कार्य के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसके लिए नियुक्त कार्यकर्ता में पर्याप्त संवेदनशीलता हो। हमारे समाज में वृद्धता एक विशिष्ट सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ रखती है। लोग वृद्धावस्था की बात सोच कर भयभीत हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति की उपयोगिता और स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है, वह बेकार हो जाता है और उसकी आय के साधन नहीं रह जाते। वे यह भी सोचते है कि इस अवस्था में मनुष्य अकेला हो जाता है क्योंकि उसके समवयस्क मित्र या रिश्तेदार मृत्यु या बीमारी के कारण उससे दूर हो गये रहते हैं। जहाँ तक स्वयं वृद्ध व्यक्तियों का प्रश्न है, अनेक उदाहरणों में ये बाह्य धारणाएँ उनकी वास्तविक धारणाएँ बन जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि अपने आयु-वर्ग के अन्य लोगों से बहुत कुछ भिन्न स्थिति में होते हुए भी वे अपने जीवन में अपने को अरक्षित समझने लगते है क्योंकि उन धारणाओं को वे सही और उचित मान बैठते हैं।

अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी यही दृष्टिकोण होता है, फलतः सहायता प्राप्त करने के लिए आने वाले वृद्ध कार्यार्थियों के साथ वे अपनत्व नही स्थापित कर पाते। अतः वृद्ध व्यक्तियों के लिए वैयक्तिक सेवा-कार्य करते समय, अपने दृष्टिकोण तथा वृद्धता-सम्बन्धी अपने आन्तरिक भय के कारण वे उनकी समस्या को एक चुनौती के रूप में नहीं स्वीकार कर पाते।

अतः इस क्षेत्र में सेवा-कार्य करने वाले कार्यकर्ता की आधारभूत आवश्यकता यह है कि

उसका दृष्टिकोण विधेयात्मक हो और वह वृद्ध कार्यार्थी से अपने को अभिन्न मान कर उसके साथ कार्य करे। वृद्ध व्यक्ति की सहायता करते समय हमें सबसे पहले उसे एक ऐसा व्यक्ति समझना चाहिए जिसको स्वतन्त्र व्यक्ति के सभी अधिकार प्राप्त हैं, जो जीवन्त आंगिक शक्ति से युक्त है, जिसमें भावात्मक शक्ति है और अब भी जिस पर, उसकी सीमाओं और अभावों के बावजूद, जीवन की परिवर्तनशील स्थितियों और पक्षों की प्रतिक्रिया होती है।

वृद्ध व्यक्तियों की सहायता का कार्य करते समय हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उस प्रसंग में किसी भी समय नाटकीय परिवर्तन घटित हो सकते हैं। हमें अपना लक्ष्य बहुत ऊँचा न बना कर सामान्य परिवर्तनों और प्रतिक्रियाओं को ही लक्ष्य बनाना और उसी से सन्तोष करना चाहिए। सम्भवतः ये छोटे परिवर्तन भी कम नाटकीय नही होते बशर्ते कि हम उन परिवर्तनों को वृद्ध व्यक्तियों की उस जीवन-विधि और दृष्टिकोण की तुलना में रख कर देखें जिनका उन्हें जीवन भर अभ्यास रहा है और जिनको छोड़कर नये परिवर्तन स्वीकार करना उनके लिए अत्यन्त कठिन होता है।

वृद्ध व्यक्तियों के सेवा-कार्य का एक अन्तिम घटक तत्त्व यह है कि हमें वृद्ध कार्यार्थियों के वयस्क पुत्रों और पुत्रियों के लिए भी सेवा-कार्य करने के लिए निश्चित रूप से तैयार रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम वृद्ध व्यक्ति के सेवा-कार्य को पूर्ण इकाई मान कर उसके अन्य सभी आंशिक इकाइयों या अंगों को, जिनमें पुत्र-पुत्रियों का सेवा-कार्य भी सम्मिलित है, समान महत्त्व दें और सबकी समान रूप से चिन्ता करें। व्यवस्थापन के कार्य में आवास-गृह का स्वामी भी उसी तरह उस पूर्ण इकाई का एक अंग है। यहाँ जिस समस्या का उदाहरण उपस्थित किया गया है उससे उपर्युक्त कथन की पुष्टि हो जाती है। उसमें व्यवस्थापन-प्रक्रिया के सभी अग एक दूसरे से समान शक्ति के साथ टकराते दिखाई पड़ते हैं।

प्रिय जनों से बिछोह व्यवस्थापन-प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है और उस बिछोह या जुदाई का अनुभव भी वैसा ही अभिघातज होता है जैसा जीवन में सामान्यतः किसी भी अन्य प्रकार के वियोग का होता है। यद्यपि वृद्ध माता-पिता के व्यवस्थापन की स्थिति को उनके पुत्र, परिजन आदि अधिक शिष्ट और शालीन ढंग से स्वीकार करते हैं जैसा किसी माता या पिता के लिए अपने बच्चे को अन्यत्र व्यवस्थापित करते समय करना कठिन होता है, किन्तु इसमें भी बालकों की व्यवस्थापन-स्थिति के समान ही आत्मग्लानि और द्वन्द्वात्मक भावनाओं का उदय होता है। सामाजिक अभिकरण को इस बात का ज्ञान रहता है, अतः वह इसे अपना कर्त्तव्य समझ कर केवल वृद्ध माता-पिता की ही सहायता नही करता, बल्कि साथ-साथ उनके वयस्क पुत्रों और पुत्रियों की भी सहायता

करता है । वृद्ध व्यक्तियों को पालन-गृहों में व्यवस्थापित करने में अभिकरण का लक्ष्य यह होता है कि व्यवस्थापन के बाद वृद्ध माता-पिता और उनके वयस्क पुत्र-पुत्रियों के पारस्परिक सम्बन्ध में एक नया सन्तुलन उत्पन्न हो । इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब कि अभिकरण सभी सम्बन्धित व्यक्तियो के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करे ।

——:o:——

अध्याय १४

सामूहिक समाज-सेवा-कार्य

व्यक्ति, समूह या समुदाय (समाज) के लिए जो सेवा-कार्य किये जाते है उन्ही का दूसरा नाम सामाजिक कार्य है । यद्यपि आज हम इन सेवाओं को निर्विवाद सत्य के रूप मे मान लेते है, किन्तु गुण और मात्रा, दोनों की ही दृष्टि से उसके विकास की गति बहुत विषमतापूर्ण रही है । जिसे हम वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य कहते है और जिस पर एक अलग अध्याय मे पहले ही विचार किया जा चुका है उसको सामाजिक सेवा-कार्य के रूप मे मान्यता मिलने मे सबसे अधिक समय लगा है और वह भी एक लम्बे काल तक लगातार होने वाले अध्ययन, शोध और विकास-प्रक्रिया का परिणाम है । किन्तु सामूहिक कार्य को समाज-सेवा-कार्य के अनिवार्य अंग के रूप मे मान्यता अपेक्षाकृत नयी वस्तु है । इसका कारण यह है कि पहले इस प्रकार के कार्य को या तो समाज-सेवा के क्षेत्र के बाहर की वस्तु समझा जाता था अथवा उसको सामाजिक कार्य के साथ आंशिक रूप से ही सम्बद्ध माना जाता था । यहाँ पहले इस सम्बन्ध में संक्षेप मे विचार किया जायगा कि वर्तमान समय में हमारे समाज में समूह की कार्य-प्रक्रिया क्या है और उसके बाद सामूहिक कार्य के विकास के कुछ पक्षों का ऐतिहासिक विवेचन किया जायगा ।

समसामयिक समाज में समूह की कार्य-भूमिका

यद्यपि आज भी समूह के कार्य को न तो अच्छी तरह समझा गया है और न उसके महत्त्व का उचित आकलन ही किया गया है, किन्तु वास्तविकता यह है कि व्यक्ति के विकास मे समूह हमेशा से महत्त्वपूर्ण योगदान करता आया है । प्रत्येक व्यक्ति जिसका विकास शिशु-अवस्था की आत्म-केन्द्रित मानसिक दशा तक ही पहुँच कर अवरुद्ध नही हो गया है, निश्चित रूप से व्यापक क्षेत्र में बिखरे विभिन्न समूहों के माध्यम से अन्य व्यक्तियो के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करने की अपनी क्षमता का विकास करना चाहता है । इस सम्बन्ध-विकास का अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति यह सीखना चाहता है कि वह दूसरो को स्वीकार करे तथा इस योग्य बने कि दूसरे भी उसको स्वीकार कर सके और इस तरह वह असामाजिक या समाज-विरोधी व्यक्ति न बनकर सामाजिक व्यक्ति बन सके और

साथ ही अपनी स्वार्थ-भावना को सन्तुलित करने के लिए अपने भीतर परार्थ या परोपकार-भावना को विकसित कर सके।

समाज के विकास में परिवार नामक इकाई या समूह का बहुत प्राचीन काल से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। पारिवारिक सम्बन्धों के भीतर से ही व्यापक सामाजिक सहयोग या सम्बन्धो के साधक तत्त्वो का विकास हुआ। उन साधक तत्त्वों या साधनो का गुण-दोष इस बात पर निर्भर करता है कि वह सामग्री कैसी है जिससे उन साधनों की रचना हुई है। उन साधनो के गुणो या दोषो का निर्धारण करने वाली सामग्रियाँ ये है—विश्वास या भय, मित्रता या शत्रुता, स्वतन्त्रता या अवरोधक नियंत्रण, सहानुभूति या क्रूरता, आत्म-नियन्त्रण या प्राधिकार के विरुद्ध विद्रोह।

परिवार नामक समूह के महत्त्व की स्वीकृति जितनी देर मे मिली उससे कही अधिक देर उन समूहो को स्वीकृति मिलने में हुई जिनकी समाज मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य-भूमिका होती है। व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से प्रौढ़ता या परिपक्वता की स्थिति मे तब पहुंचता है जब कि उसे व्यापक अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध स्थापित करने का अवसर मिलता है। ये सम्बन्ध बचपन से ही प्रारम्भ हो जाते है और इनके अन्तर्गत शिशु-पाठशाला, किण्डर-गार्टेन, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक और उच्चतर विद्यालय, पास-पडोस के मित्र, एक ही आयुवर्ग के बालको और बालिकाओ के लिए निर्मित संघ, सहपाठिनी-समूह तथा अपने निजी परिवार का निर्माण ये सभी सम्मिलित है। समाज-शास्त्र के विद्वानो ने बताया कि हे समाज के कोई भी दो समूह व्यक्ति से समान आशाएं नही रखते। और इसी तरह व्यक्ति के सामाजिक विकास मे किन्ही भी दो समूहो का योगदान एक ही प्रकार का नही होता। इस तरह विभिन्न प्रकार के समूहो में व्यक्ति को औपचारिकता, अनौपचारिकता, सस्था के आकार, उद्देश्य, स्वरूप और सगठन आदि से सम्बन्धित जो अनुभव होते है उनसे उसका सर्वांगीण विकास होता है। कोई भी व्यक्ति इन वैविध्य-पूर्ण अनुभवो के बिना पूर्णत: विकसित सामाजिक व्यक्ति नही बन सकता, क्योंकि इन्ही अनुभवो के द्वारा व्यक्ति यह जान पाता है कि कौन-से तत्त्व उसके निजी जीवन से सम्बन्ध रखते है और कौन बाते ऐसी है जिनका सम्बन्ध पूरे समूह से है और समूह के एक अंग के रूप मे ही वह उन बातो का भागीदार है। कोई भी व्यक्ति केवल एक व्यक्ति के रूप में अकेले अथवा समूह के सदस्य के रूप में सदैव केवल सामूहिक जीवन नही व्यतीत कर सकता। व्यक्ति सही अर्थ में सामाजिक दृष्टि से शिक्षित तभी कहा जा सकता है जब उसमें इन दोनों क्षेत्रों में समान रूप से सक्रियता प्रदर्शित करने की क्षमता हो।

आधुनिक समाज का संघटनात्मक स्वरूप ऐसा हो गया है कि उसमें विभिन्न समूहों के महत्त्व के आयाम बदलकर बिलकुल नये हो गये है। आज केवल इतना ही आवश्यक

नही रह गया है कि विकसित सामाजिक प्राणी बनने के लिए कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों के अनुभव प्राप्त करे, आज तो समाज का एक समभागी नागरिक बनना तथा उस अधिकार से कार्य करना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि वह विभिन्न समूहों के माध्यम से समाज की स्थिति और विकास में स्वयं पर्याप्त योग-दान नही करता। जिन समूहों के माध्यम से वह यह कार्य करता है उनमें से कुछ उल्लेखनीय समूह ये हैं—श्रमिक संघ, व्यावसायिक संघटन, धार्मिक संघ, वृत्तिक-संघ, राजनीतिक संघटन आदि, यद्यपि इन समूहों की संख्या अनगिनत हो सकती है। हमारे समाज का स्वरूप आज इतना जटिल हो गया है कि उसमें इन समूहों से अलग होकर कोई व्यक्ति अकेले समाज के विकास के लिए यदि कुछ भी काम करना चाहेगा तो उसके सभी प्रयत्न असफल और कुंठित हो जायेंगे। अतः आधुनिक युग में एक नागरिक के रूप में सफलता के साथ कार्य करने की कुंजी यह है कि व्यक्ति समूह के सदस्य के रूप में योग्यता के साथ काम करने में पूर्ण सक्षम हो। इस तथ्य पर निम्नलिखित निबन्ध में बहुत अच्छी तरह और स्पष्टता के साथ विचार किया गया है—"आटोनामस ग्रुप्स एण्ड मेण्टल हेल्थ—ए रिपोर्ट टु द इण्टरनेशनल कांग्रेस आफ मेण्टल हेल्थ।"[१] निबन्ध से आगे जो उद्धरण दिया जा रहा है वह यद्यपि मनश्चिकित्सा से सम्बन्धित है, किन्तु सामान्य रूप में उसमे कही गयी बातें सब पर लागू होती है—

"यदि मनश्चिकित्सा-शास्त्र को अपने इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करनी है कि मनुष्य का जीवन पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा और सुखी बने तो उसे आधारभूत सामाजिक समूहों का महत्त्व समझना होगा।.....

मनश्चिकित्सा-शास्त्र के सामने इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है कि वह व्यक्ति के उन प्रयत्नों में सहयोग करे जो वह अपनी वैयक्तिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अध्ययन, खेल-कूद तथा अन्य कार्यों के क्षेत्र में वैयक्तिक और मानवीय दृष्टि से एक-दूसरे के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया के रूप में करता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपने सम्बद्ध समूहों के भीतर स्वतन्त्रता के साथ कार्य करे। यह स्वतन्त्रता विधेयात्मक स्वतन्त्रता होती है। इस विधेयात्मक स्वतन्त्रता को अच्छी तरह समझने के लिए समाज की उस परिभाषा को समझना होगा जिसके अनुसार समाज उन अनगिनत समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों का जाल है जिनके अंग के रूप में व्यक्ति कार्य करता है। उन समूहो में भी परस्पर

(१) आटोनामस ग्रुप्स बुलेटिन, जिल्द ३, संख्या ४ (तिथि नहीं), पृष्ठ ११–१३।

विछिन्न व्यक्तियों का असम्बद्ध एकत्रीकरण नही होता अर्थात् समूह के सदस्य केवल उन निर्वैयक्तिक सम्बन्ध-सूत्रों से आबद्ध नही होते जो उन्हें किसी एक सांस्कृतिक परम्परा से उत्तराधिकार रूप में प्राप्त होते अथवा किसी एक राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण सानिध्य-सम्बन्ध के रूप में निर्मित होते है । व्यक्ति समूहों के सदस्य होते है और उन समूहो के माध्यम से कार्य करते हुए विभिन्न व्यक्तियों के भीतर भिन्न-भिन्न रूपों और मात्रा में इस भावना का उदय और विकास होता है कि समाज के साथ उनका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । इस तरह विभिन्न सामाजिक समूहों, जैसे––परिवार, धार्मिक सम्प्रदाय आदि, के सदस्य के रूप मे ही व्यक्ति के अस्तित्व को मान्यता मिलती है, अन्य किसी रूप में नही ।"[२]

इस निबन्ध के अन्त में ५ निष्कर्ष दिये गये है जिनमे से दूसरा निष्कर्ष इस प्रकार है––

"मानव-समाज की सबसे महत्त्वपूर्ण और सार्थक सामाजिक इकाई वह छोटा सामाजिक समूह है जिसमें परस्पर अविरोधी और एक दूसरे को निकट से जानने वाले व्यक्ति एक साथ रहते और जिनके अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध, प्यार, विश्वास, आपसी व्यवहार और समझ पर आधारित होते है । ऐसे ही समूह मे रहकर व्यक्ति को इस बात की सबसे अधिक अनुभूति होती है कि यह समाज का एक सदस्य है ।"[३]

सामूहिक कार्य की ऐतिहासिक प्रगति

सामूहिक समाज-सेवा से सम्बन्धित अधिकांश कार्य विभिन्न सामाजिक, अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित तथा मनोरंजन-सम्बन्धी सेवा-कार्य करने वाले अभिकरणों द्वारा किया जाता है । पहले कहा जा चुका है कि यद्यपि आज सामूहिक समाज-सेवा-कार्य को सामाजिक कार्य का अभिन्न अंग माना जाता है, किन्तु हमेशा एसी बात नही थी । यद्यपि वैयक्तिक सेवा-कार्य और सामूहिक सेवा-कार्य, इन दोनो के विकास के इतिहास में बहुत अधिक भिन्नता है, किन्तु दोनों का प्रारम्भ एक ही ऐतिहासिक परिस्थिति में हुआ जब कि इग्लैण्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका मे औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ हो गयी थी । एक ओर दान-सधटन-समितियो और दूसरी ओर व्यवस्थापन-गृहो, 'ईसाई-युवक-संघ,' ईसाई-युवती-संघ तथा इसी प्रकार की अन्य सस्थाओं के कार्यक्रमो का प्रारम्भ न केवल एक ही सामाजिक उथल-पुथल की परिस्थिति मे हुआ, बल्कि प्रारम्भ मे इन दोनों प्रकार के सेवा-

(२) वही, पृष्ठ २२ ।
(३) वही, पृष्ठ २२ ।

कार्यों के प्रेरक और नेता भी एक ही व्यक्ति होते थे। अटलांटिक महासागर के दोनों पार के देशों में जेन ऐडम्स, आक्टेबिया हिल, एडवर्ड टी० डिवाइन आदि अनेक ऐसे व्यक्ति हुए जो इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि तत्कालीन सामाजिक परिवेशों में जिस तीव्र गति से नयी-नयी सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही थी और उनके कारण मानव की आवश्यकताएँ जिस प्रकार बदल गयी थी, उनको देखते हुए तत्कालीन सेवा-संस्थाओं के कार्यक्रम पर्याप्त नहीं थे और उनसे तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नही हो सकती थी। अतः उन आवश्यकताओं को देखते हुए तत्कालीन नेताओं ने ऐसे सेवा-कार्यो का प्रारम्भ किया जिनका क्षेत्र व्यापक था। ज्यों-ज्यों समस्याओं का रूप जटिल होता गया और उनके समाधान के लिए आपेक्षित कौशल ज्यो-ज्यो सुनिश्चित और विशेषीकृत होते गये त्यों-त्यों सामाजिक संस्थाओं की सीमा भी निर्दिष्ट होती गयी और उनके द्वारा परिचालित सेवाओं का स्वरूप भी विभक्त और नियन्त्रित होता गया। उन नेताओ के उत्साह, साहस और कल्पना-शक्ति से प्रारम्भ मे एक ही प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओ की पूर्ति के उद्देश्य से उन विभिन्न कार्यक्रमों का उद्भव हुआ, फिर बाद में उनका अलग-अलग स्वतन्त्र रूप में विकास होने लगा और अन्त में वे फिर एक साथ मिलकर एक ही विशेषीकृत और स्पष्ट परिभाषित पेशे के भिन्न अंगो के रूप मे मान्य हो गये।

उन्ही सामाजिक परिस्थितियो में, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अवकाश के समय में और अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में विविध सामाजिक संस्थाओ का संघटन किया गया। यहूदी-केन्द्र-आन्दोलन सन् १८५४ में प्रारम्भ हुआ। आज अमेरिका के प्रायः सभी बड़े-बड़े यहूदी-समुदाय इस आन्दोलन के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित है। प्रौढ़ शिक्षा-सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यक्रम सन् १८७४ के आस-पास लेक चाउटाउकुआ में शुरू किये गये थे। व्यवस्थापन-कार्यक्रम इस देश में सन् १८८४ मे शुरू हुआ। व्यवस्थापन-आन्दोलन का एक विशिष्ट योगदान यह था कि इङ्गलैण्ड के प्रारम्भिक प्रयोगो को आदर्श मानकर व्यवस्थापन-संस्था के अनेक कर्मचारी संस्था के पास-पड़ोस के क्षेत्रों में मकान लेकर रहते थे। इस तरह वे संस्था के 'पड़ोसी' बनकर परिवार की ओर ही विशेष रूप से ध्यान देते दिखाई पड़ते थे, यद्यपि वास्तविकता यह थी कि वे व्यक्ति, परिवार, समूह, पास-पडोस सबके लिए कार्य करते थे। सन् १९११ तक देश भर में प्रायः सभी नगरों में व्यवस्थापन-संस्थाओ की संख्या इतनी अधिक हो गयी कि यह आवश्यकता समझी जाने लगी कि इन संस्थाओं के बीच परस्पर सम्प्रेषण का कोई माध्यम अवश्य होना चाहिए क्योंकि सिद्धान्त और कार्य-पद्धति की दृष्टि से उनमें मूलतः परस्पर कोई भेद नही था यद्यपि उनका प्रारम्भ और विकास विभिन्न समुदायों की आवश्यकताओं के अनुरूप भिन्न-भिन्न स्थानों में अवश्य हुआ। इसीलिए सन् १९११ में

राष्ट्रीय व्यवस्थापन संघ का संघटन हुआ जिसका उद्देश्य यह था कि सभी सम्बद्ध व्यवस्थापन-संस्थाओं को आवश्यक बातों की सूचना दी जाती रहे और सबके लिए संयुक्त योजना बनायी जा सके ताकि सभी संस्थाओं की कार्य-क्षमता का समान रूप में विकास हो सके। अभी हाल में उक्त संघ का नाम बदल कर 'राष्ट्रीय व्यवस्थापन एवं पडोस-केन्द्र-संघ' कर दिया गया है। इस परिवर्तित नाम से ही यह पता चल जाता है कि इस संस्था के रुचि के क्षेत्र, कार्य और सेवाओं का स्वरूप अब अधिक व्यापक हो गया है।

इंग्लैण्ड में ईसाई-युवक-संघ-आन्दोलन का आरम्भ सर्वप्रथम जार्ज विलियम्स ने किया था। उसके सात वर्ष बाद अमेरिका मे सर्वप्रथम सन् १८५१ में ईसाई-युवक-संघ की स्थापना हुई। सन् १८६६ तक यह आन्दोलन देश भर मे फैल गया और तब यह आवश्यकता समझी जाने लगी कि इस आन्दोलन को संयत और नियन्त्रित रूप से विकसित करने के लिए इसका एक राष्ट्रीय संघटन बनना चाहिए। पहले एक ईसाई युवती-संघ सन् १८५८ में न्यूयार्क में स्थापित हुआ था। कुछ समय तक तो अमेरिका मे दो ईसाई-युवती-सघ थे, एक पूर्वी अमेरिका में न्यूयार्क मे तथा दूसरा शिकागो में था। सन् १९०६ में दोनों संघ मिलकर एक हो गये और तब देश भर मे एक ही संस्था––'राष्ट्रीय ईसाई-युवती-संघ'––कार्य कर रही है। राष्ट्रीय ईसाई-युवक-सघ और राष्ट्रीय ईसाई-युवती-संघ, दोनों ही अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएँ है।

अमेरिका में सर्वप्रथम न्यूयार्क में सन् १८७४ मे 'हिब्रू-युवक एव हिब्रू-युवती-सघ' की स्थापना हुई थी और इसी संस्था ने देश भर में हिब्रू-युवक-संघ और हिब्रू-युवती-सघो की संस्थापना करायी। प्रथम महायुद्ध-काल में यहूदी कल्याण-कार्य-परिषद् की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य देश भर मे बिखरे यहूदी सामुदायिक केन्द्रो, यहूदी युवक-सघो एव यहूदी युवती-सघो के कार्यो का सूत्रबद्ध और समन्वित करना था।

सन् १८९६ मे मैसाचुसेट्स के सालेम नामक स्थान मे अमेरिका के प्रथम बाल-क्लब की स्थापना हुई थी। सन् १९६० तक देश भर में बाल-क्लबो की सख्या इतनी अधिक हो गयी कि उनका भी एक राष्ट्रीय संघ बनाना आवश्यक हो गया। इस सघ का उद्देश्य सम्बद्ध क्लबों को परामर्श देना तथा उनके कार्यो को समन्वित करना था।

सन् १९१० में बालचर-कार्यक्रमो का प्रारम्भ हुआ और दो वर्ष के बाद ही बालिका स्काउट और गर्ल्स बालिका-कैम्प-फायर नामक कार्यक्रमो का भी प्रारम्भ हो गया।

सन् १९०७ में वाशिगटन डी० सी० में कृषि-विभाग तथा राज्य के विभिन्न कृषि कालेजों के तत्त्वावधान में ४ एच० क्लब के कार्यक्रमों का प्रारम्भ हुआ। बाद में सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों के अन्तर्गत 'भविष्य के अमरीकी किसान' नामक आन्दोलन के कार्यक्रम भी, जिसका प्रारम्भ सन् १९२८ में देश भर में राजकीय उच्चतर विद्यालयों

में शिक्षा प्राप्त करने वाले वयस्क किसानों के लिए हुआ था, इसीमें सम्मिलित कर लिये गये। उनके परिवीक्षण और प्रोत्साहन का उत्तरदायित्व स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण-विभाग के शिक्षा-कार्यालय का होता है।

कैथलिक युवक-संघ की स्थापना सन् १९३० में शिकागो में हुई थी। इस संस्था का कार्य मुख्यतः बड़े-बड़े नगरों में होता है, पर अब अन्यत्र भी उसका प्रचार होता जा रहा है।

सामूहिक कार्य करने वाली संस्थाओं के उद्भव और विकास का यह विवरण इसलिए दिया गया है कि यह पता चल सके कि देश भर में विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों का प्रारम्भ कैसे हुआ और परवर्ती काल में किस तरह उनका विकास हुआ। इनमें कुछ संस्थाएँ जनता के स्वेच्छा-प्रयत्न से स्थापित हुई थी और कुछ की स्थापना राजकीय प्रोत्साहन और प्रयत्न से हुई थी; कुछ बालकों और युवकों के लिए थी तो कुछ बालिकाओं और युवतियों के निमित्त बनी थीं, कई संस्थाएँ ऐसी थीं; जिनका उद्देश्य परिवार की समस्याओं का समाधान करना था; कुछ का संचालन सुदृढ़ केन्द्रीय निर्देशन द्वारा होता था जिससे देश भर में फैली उनकी शाखाओं में सामान्य एकरूपता रहती थी (जैसे बालचर-कार्यक्रम) तो इसके विपरीत कई संस्थाएँ ऐसी थी जिनकी शाखाएँ केन्द्रीय अनुशासन में रहते हुए भी बहुत कुछ स्वायत्त-शासन से संचालित एवं स्थानीय आवश्यकताओं और हितों के अनुसार अपने कार्यक्रम चलाने के लिए स्वतन्त्र थीं (जैसे व्यवस्थापन-गृह); कुछ देहाती क्षेत्रों के लिए तो अधिकांश नगरों में कार्य करने के लिए बनी थी; इसी तरह कुछ संस्थाएँ धर्म-निरपेक्ष थीं तो कुछ का प्रारम्भ धार्मिक या साम्प्रदायिक संघटनों या समुदायों द्वारा हुआ था। इस तरह उनमें सिद्धान्त, स्वरूप, कार्यक्रम और कार्य-पद्धति-सम्बन्धी पर्याप्त भिन्नता और विविधता थी, फिर भी सबका उद्देश्य एक ही था। और वह था अपने उन सदस्यों की, जिनकी वे सेवा करती थी, सामाजिक क्षमताओं और शक्तियो के पूर्णतम विकास में सहायता करना।

कहा जा चुका है कि सामाजिक कार्य के साथ इन संस्थाओं के कार्यों की समानता या असमानता पर उनके ऐतिहासिक सन्दर्भ में विचार करना चाहिए और वह ऐतिहासिक दृष्टि मुख्यतः काल-विशेष, सिद्धान्तों और पद्धतियों को प्रभावित करने वाले स्रोतों और विचार-धाराओं की ओर केन्द्रित होनी चाहिए। यद्यपि अवकाश के समय में किये जाने वाले कार्यों के क्षेत्र में चलने वाले हमारे अधिकाश परिचित कार्यक्रमों का प्रारम्भ प्रथम महायुद्ध के पूर्व अथवा उसी काल में हो गया था, पर उनका विकास अधिकतर प्रथम और द्वितीय महायुद्धो के बीच के काल मे ही हुआ। इन दोनों महायुद्धों ने उपर्युक्त कार्यक्रमों के दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार को गम्भीर रूप से प्रभावित किया। विकास की इस अवधि में उनके सिद्धान्तों और कार्यात्मक प्रयोगों के विकास के तीन प्रधान स्रोत थे—

(१) जनता का मनोरंजन, (२) शिक्षा और (३) सामाजिक कार्य, मुख्यतः वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य ।

लोक-मनोरंजन

प्रथम महायुद्ध में लोगों की समझ मे यह बात आयी कि नागरिकों या सैनिकों के मनोबल को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए मनोरंजन तथा अवकाश के समय के कार्यों का कितना महत्त्व है । प्रथम विश्व-युद्ध में ईसाई युवक-संघ तथा मुक्ति-सेना (साल्वेशन आर्मी) जैसी सस्थाओं को सैनिक शिविरों और छावनियों में कार्य करने की अनुमति मिल गयी थी । दूसरे महायुद्ध के समय तक इन सेवाओं का मूल्य इस तरह सर्वमान्य हो गया कि सैनिक शिविरों या सेना के कर्मचारी अकेले ही इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने लगे । सन् १९३० के बादकी मन्दी के दिनो मे तेजी से प्रगति करने वाले सहायता-कार्यक्रमों के कारण, जिनमें श्रम-प्रगति-प्रशासन और राष्ट्रीय युवक प्रशासन के कार्यक्रम भी सम्मिलित थे, लोक-मनोरंजन के लिए किये जाने वाले कार्यों (जैसे खेल के मैदान, पार्क, मनोरंजन-केन्द्र और राजकीय विद्यालयो द्वारा संचालित कार्यक्रम आदि) में बहुत अधिक वृद्धि हुई । उन कार्य-क्रमों के अन्तर्गत मन्दी के दिनों की मानसिक क्लान्ति दूर करने की दृष्टि से मनोरंजन-सम्बन्धी कार्यो के विस्तार के लिए आवश्यक कर्मचारियो और उपकरणों की व्यवस्था की जाती थी । इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय पार्को और वनों के विकास और वन-जन्तुओं के सरक्षण के लिए उद्योग किया गया, बाढ़-नियंत्रण के कार्यक्रम चालू किये गये जिनके फलस्वरूप नयी झीलों तथा भ्रमण करने या मछली का शिकार करने के लिए स्थानों का विकास हुआ, संघीय सुरक्षा-अभिकरण की ओर से भवनों का निर्माण हुआ और द्वितीय विश्व-युद्ध के काल मे महत्त्वपूर्ण युद्ध-सामग्रियों के उत्पादन से सम्बन्धित सुविधाओं और प्रशिक्षण-केन्द्रो का विकास हुआ । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप उपर्युक्त कार्यक्रमों का अत्यधिक विस्तार तो हुआ ही, इस सिद्धान्त को भी सामान्य रूप से स्वीकृति मिली कि अवकाश के समय की सेवाओं की व्यवस्था करना शासन (संघीय, राज्य और स्थानीय) का उतना ही महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है जितना स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस-नियंत्रण का प्रबन्ध करना । इस काल में मनोरंजन-सम्बन्धी कार्यो के लिए अपेक्षित कौशलों का तीव्र गति से विकास तो हुआ ही, मनोरंजन-कार्यों का संचालन करने वाले कर्मचारियों अथवा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए योजना और निर्माण और कार्यक्रमों के निर्धारण की कसौटी भी निश्चित की गयी । आज हम जिसे सामूहिक सेवा-कार्य कहते हैं, वह उपर्युक्त कार्यों की प्रगति से बहुत दूर तक प्रभावित हुआ है ।

शिक्षा

बीसवी शताब्दी के तीसरे दशक में शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ उसके फलस्वरूप अवकाश के समय में किये जाने वाले मनोरंजन के कार्यो को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला । इन मनोरंजन-कार्यो का विस्तार तो बड़ी तेजी से हो रहा था, किन्तु उनमें उद्देश्य की स्पष्टता नही थी और न उनका आधार ही वैज्ञानिक था । सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रश्न का विवेचन करके यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि व्यक्तियो के सामाजिक विकास की प्रक्रिया का मूलतत्त्व वह अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध है जो अनिवार्यत. समूह के भीतर ही अभिव्यक्त होता है, मनुष्यों की भीड़ मे उसकी अभिव्यक्ति नही हो सकती । "समूह" को भीड़, झुण्ड अथवा केवल साथ रहने वाले लोगों के जमघट से अलग करके भिन्न रूप में देखने और उस पर विशेष बल देने के कारण इस सम्बन्ध में विशेष अनुसंधान करन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई ।

उस दशक के मध्य में प्रगति के पथ पर अग्रसर शिक्षा के क्षेत्र मे "प्रक्षेप-पद्धति" का विकास हुआ । इस पद्धति के अनुसार छात्रो के किसी विशेष समूह में किसी एक ही कार्य के माध्यम से विविध विषयों की शिक्षा दी जाती है । इस नवीन-पद्धति से इस सिद्धान्त का विकास हुआ कि शिक्षक को केवल इसी बात पर ध्यान नही देना चाहिए कि छात्र "क्या" कार्य कर रहे है, बल्कि इस ओर अपना ध्यान अधिक केन्द्रित करना चाहिए कि वे उस कार्य को "कैसे" कर रहे है । यह "शिक्षण-प्रक्रिया" उत्तरोत्तर अधिक महत्त्वपूर्ण बनती गयी, किन्तु साथ ही इस बात का पता लगाने का प्रयत्न भी होता रहा कि जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित होते है उसकी दृष्टि से कौन-सी शिक्षण-प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावपूर्ण हो सकती है ।

उसी काल में आगे चलकर वे व्यक्ति जो 'मानसिक स्वास्थ्य एव निर्देशन' के क्षेत्र मे काम कर रहे थे, इस बात पर अधिक बल देने लगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, जीवन-मूल्य, अभिवृत्ति, विचार और व्यवहार, उसके सामाजिक अनुभवों के प्रभाव से ही निर्मित होते है । शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्राकार के ज्ञान की इस बढ़ती हुई धारा के फलस्वरूप यह मान्यता अधिक बलवती होती गयी कि शिक्षा में "व्यक्ति" पर ही विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित होना चाहिए । इस तरह शिक्षा-शास्त्रियो का ध्यान अब समूह पर ही नही रहा, समूह और व्यक्ति दोनों पर समान रूप से केन्द्रित हो गया क्योकि उनके अनुसार समूह एक इकाई है और व्यक्ति उस इकाई का अनिवार्य अंग है । इन उपलब्धियों के कारण सामूहिक-सेवा-कार्य को अपने दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार के निर्माण मे बहुत अधिक सहायता मिली ।

वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य

२०वी शताब्दी के चौथे दशक के प्रारम्भिक वर्षो से ही वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य की उपलब्धियों का महत्त्व बढ़ने लग गया था और वे सामाजिक कार्य को विशेष प्रभावित करने लगी थीं। वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य के सम्पर्क से सामाजिक कार्य के उद्देश्य और कार्य-पद्धति को अधिक परिष्कृत बनाने के उपायों की खोज की जाने लगी तथा यह अनुभव किया जाने लगा कि अभिलेख प्रस्तुत करने तथा विभिन्न व्यक्तियों के मामलों को सम्बन्धित अभिकरणो में प्रेषित करने की पद्धति मे पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार वैयक्तिक समाज-सेवा-कार्य और सामूहिक समाज-सेवा-कार्य की पद्धतियों मे अत्यधिक समानता का अनुभव किया जाने लगा। इन दोनो पद्धतियो के बढते हुए सम्बन्ध के कारण उनकी कार्य-पद्धति और वृत्तिक-प्रशिक्षण के स्तर के सम्बन्ध मे भी अधिक चिन्ता व्यक्त की जाने लगी और उसे ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया जाने लगा। इन दोनों पद्धतियो पर मनोविश्लेषण शास्त्र की आधारभूत मान्यताओ और दृष्टियों का बहुत प्रभाव पड़ा है।

सामाजिक कार्यों का एकीकरण

इस तरह जिसे हम सामूहिक-सेवा-कार्य कहते है उसने लोक-मनोरंजन, शिक्षा और सामाजिक-कार्य के क्षेत्रो की उपलब्धियों से बहुत-कुछ बाते ग्रहण की है। बहुत दिनो तक उपर्युक्त क्षेत्रों में सामूहिक सेवा-कार्य करने वाले कार्यकर्ता अपने को उन पूर्ववर्ती प्रशिक्षण और अनुभव के क्षेत्रों से भिन्न करके नही देख पाते थे। परिणामस्वरूप इस सम्बन्ध में पर्याप्त अव्यवस्था और अनिश्चितता फैली हुई थी कि सामूहिक समाज-सेवा-कार्य के तीन प्रमुख क्षत्रो मे से किसे वास्तविक और तर्कपूर्ण आधार पर वृत्तिक पहचान और वृत्तिक शिक्षण की दृष्टि से सामूहिक सेवा-कार्य कहा जाय।

इस पद्धति मे आमूल परिवर्तन करने तथा उसको नये रूप में सघटित करने के लिए किये जाने वाले प्रयत्नो को प्रभावित करने वाली एक दूसरी समयोचित प्रगति यह हुई कि राष्ट्रीय सामाजिक कार्य-सम्मेलन ने एक सामूहिक कार्य के एक अलग विभाग का संघटन किया जिसकी, एक अलग संघटन के रूप मे, पहली बैठक सन् १९३५ में हुई। इससे न केवल सामूहिक कार्य के क्षेत्र में होने वाली प्रगति को बल मिला, बल्कि यह भी सिद्ध हो गया कि सामूहिक कार्य सामाजिक कार्य का एक अभिन्न अंग है।

दूसरे ही वर्ष "संयुक्त राज्य-सामूहिक-कार्य-अध्ययन-परिषद्" नामक संस्था की स्थापना की गयी जिसमें अधिकतर वे ही व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन के उपर्युक्त

विभाग की स्थापना में प्रमुख रूप से योग दिया था। यह संस्था किसी भी अर्थ में विशिष्ट पेशागत संस्था नहीं थी। इस संस्था के द्वार किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए खुले हुए थे जो सामूहिक समाज-सेवा-कार्य के विषय में आवश्यक अध्ययन की रुचि रखता था और इस कार्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक आधार का निर्धारण करने और उसके मूलभूत सिद्धान्तों और पद्धतियो को विकसित करने के सम्बन्ध में कुछ भी दिलचस्पी रखता था। इसके सदस्य अब भी प्रायः वे ही लोग होते थे जो लोक-मनोरंजन, शिक्षा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कार्य करते थे। किन्तु उनमें भी प्रारम्भ से ही अधिकतम संख्या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में काम करने वालों की ही थी। प्रायः १० वर्ष तक इस परिषद् का संघटनात्मक स्वरूप इसी प्रकार का बना रहा। उस अवधि में इस विषय से सम्बन्धित अन्य प्रकार की प्रगति भी हुई। लोक-मनोरंजन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की भी एक परिषद् संघटित हुई[४] और इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के भी वृत्तिक-संघ बने[५] जिनकी शक्ति सदस्य-संख्या और कार्यक्रम की प्रभावात्मकता, दोनों ही दृष्टियों से उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। चूँकि ये कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों से ही विशेष रूप से सम्बद्ध होते थे, इसलिए "सयुक्त राज्य ने सामूहिक-कार्य-अध्ययन-परिषद्" के सदस्यों में भी सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की ही अधिकता थी।

प्रथम महायुद्ध के बाद जब कि सामुदायिक दान-पेटिका-आन्दोलन का तेजी से प्रचार हो रहा था, अवकाशकालीन मनोरंजन-कार्य के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश गैर-सरकारी अभिकरण सामुदायिक दान-पेटिका समितियों के सदस्य बन गये और इस तरह की सामाजिक अभिकरण-समितियों से सम्बद्ध हो गये। जिससे सामाजिक कार्य के साथ उनका सम्बन्ध और भी सुदृढ़ हो गया। सामाजिक कार्य से अभिन्नता स्थापित करने की यह प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ गयी थी कि सन् १९४६ में संयुक्त राज्य सामूहिक कार्य-अध्ययन-परिषद् के सदस्यों ने बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि वह संस्था वृत्तिक संस्था बना दी जाय और उसकी सदस्यता के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी जाय। यह नियम बनाने के साथ ही इस बात की भी छूट दी गयी थी कि

(४) "सोसाइटी आफ रिक्रियेशन वर्कर्स आफ अमेरिका"—जिसे आजकल अमेरिकन रिक्रियेशन सोसाइटी कहा जाता है।

(५) उदाहरण के लिए देखिए—"नेशनल एजुकेशन एसोशियेशन," अमेरिकन एसोशियेशन फार हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एण्ड रिक्रियेशन, आदि।

जो व्यक्ति सामाजिक कार्य, शिक्षा अथवा मनोरंजन के क्षेत्र मे कार्य करने का अनुभव रखते हैं वे भी इसके सदस्य हो सकते हैं। किन्तु इतना होते हुए भी उसके अधिकाश सदस्य सामाजिक कार्य की शिक्षा देने वाले विद्यालयो मे शिक्षित व्यक्ति ही थे। इस वृत्तिक संस्था का नाम बदलकर संयुक्त-राज्य सामूहिक कार्य-परिषद् कर दिया गया। सन् १९५२ मे इस परिषद् ने बहुमत से यह प्रताव स्वीकृत किया कि सामाजिक कार्य करने वाली पाँच वृत्तिक परिषदो को एक मे मिला देने की जो योजना उपस्थित थी उसके अनुसार उस परिषद् को भी उसमें विलीन कर दिया जाय[६] ताकि देश भर मे सामाजिक कार्य से सम्बन्धित एक ही प्रतिनिधि सस्था कार्य करे। इस तरह सामाजिक कार्य के क्षेत्र मे एकीकरण की दिशा मे यह कार्य अन्तिम महत्त्वपूर्ण कदम था।

सामूहिक कार्य की परिभाषा

अबतक सामूहिक कार्य की प्रगति का जो ऐतिहासिक विवरण उपस्थित किया गया है उसकी आवश्यकता इसलिए थी कि सामूहिक समाज-सेवा-कार्य के ऐतिहासिक विकास तथा उसकी वर्तमान अवस्था का समुचित ज्ञान हो जाय। जिस तरह सामाजिक कार्य की कोई सामान्यत: स्वीकृत परिभाषा नही है उसी तरह सामूहिक समाज-सेवा-कार्य की भी कोई एक निश्चित और सर्व-स्वीकृत परिभाषा नही बन सकी है। फिर भी सामूहिक समाज-सेवा के क्षेत्र मे काम करने वाले कार्यकर्ताओ की कार्य-भूमिका क्या है इसके बारे मे सामान्यतया कोई मतभेद नही है। सयुक्त-राज्य सामूहिक कार्य-परिषद् ने, जिसके सदस्य देश के सभी भागो के व्यक्ति थे, उक्त सिद्धान्त को विशेष रूप से पल्लवित किया। सन् १९५३ मे परिषद् ने एक समिति की स्थापना की जिसका कार्य परिषद् के सन् १९४९ के सिद्धान्तविषयक वक्तव्य का संशोधन करना था। उसके महत्त्व को ध्यान मे रखते हुए यहाँ उसे पूरा-का-पूरा उद्धृत किया जा रहा है—

"सामूहिक कार्य करने वाला कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के समूहों को इस तरह कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है कि उन समूहो के बीच होनेवाली परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया तथा उनके कार्यक्रमों की सक्रियता के फलस्वरूप व्यक्ति का विकास तो होता ही है, अपेक्षित सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। सामूहिक

(६) अमेरिकन एसोशियेशन आफ सोशल-वर्कर्स, अमेरिकन एसोशियेशन आफ साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स, अमेरिकन एसोशियेशन आफ मेडिकल सोशल वर्कर्स, अमेरिकन एसोशियेशन आफ ग्रुप वर्कर्स, नेशनल एसोशियेशन आफ स्कूल सोशल वर्कर्स।

ाग की स्थापना में प्रमुख रूप से योग दिया था। यह संस्था किसी भी अर्थ में विशिष्ट गत संस्था नही थी। इस संस्था के द्वार किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए खुले हुए ो सामूहिक समाज-सेवा-कार्य के विषय में आवश्यक अध्ययन की रुचि रखता था इस कार्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक आधार का निर्धारण करने उसके मूलभूत सिद्धान्तों और पद्धतियो को विकसित करने के सम्बन्ध में कुछ भी चस्पी रखता था। इसके सदस्य अब भी प्रायः वे ही लोग होते थे जो लोक-मनोरंजन, ा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कार्य करते थे। किन्तु उनमें भी प्रारम्भ से ही ाकतम संख्या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में काम करने वालों की ही थी। प्रायः १० तक इस परिषद् का संघटनात्मक स्वरूप इसी प्रकार का बना रहा। उस अवधि में विषय से सम्बन्धित अन्य प्रकार की प्रगति भी हुई। लोक-मनोरंजन के क्षेत्र में काम े वाले व्यक्तियों की भी एक परिषद् संघटित हुई[४] और इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में ा करने वाले व्यक्तियों के भी वृत्तिक-संघ बने[५] जिनकी शक्ति सदस्य-संख्या और क्रम की प्रभावात्मकता, दोनों ही दृष्टियों से उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। चूँकि ये कर्ता अपने-अपने क्षेत्रों से ही विशेष रूप से सम्बद्ध होते थे, इसलिए "सयुक्त राज्य ामूहिक-कार्य-अध्ययन-परिषद्" के सदस्यों में भी सामाजिक कार्य करने वाले क्तियों की ही अधिकता थी।

प्रथम महायुद्ध के बाद जब कि सामुदायिक दान-पेटिका-आन्दोलन का तेजी से ार हो रहा था, अवकाशकालीन मनोरंजन-कार्य के क्षेत्र मे काम करने वाले अधिकांश सरकारी अभिकरण सामुदायिक दान-पेटिका समितियों के सदस्य बन गये और तरह की सामाजिक अभिकरण-समितियों से सम्बद्ध हो गये। जिससे सामाजिक कार्य ाथ उनका सम्बन्ध और भी सुदृढ़ हो गया। सामाजिक कार्य से अभिन्नता स्थापित े की यह प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ गयी थी कि सन् १९४६ में संयुक्त राज्य सामूहिक -अध्ययन-परिषद् के सदस्यों ने बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि वह संस्था ाक संस्था बना दी जाय और उसकी सदस्यता के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य दी जाय। यह नियम बनाने के साथ ही इस बात की भी छूट दी गयी थी कि

(४) "सोसाइटी आफ रिक्रियेशन वर्कर्स आफ अमेरिका"—जिसे आजकल रिकन रिक्रियेशन सोसाइटी कहा जाता है।

(५) उदाहरण के लिए देखिए—"नेशनल एजुकेशन एसोशियेशन," रिकन एसोशियेशन फार हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एण्ड रिक्रियेशन, आदि।

जो व्यक्ति सामाजिक कार्य, शिक्षा अथवा मनोरंजन के क्षेत्र मे कार्य करने का अनुभव रखते है वे भी इसके सदस्य हो सकते है। किन्तु इतना होते हुए भी उसके अधिकाश सदस्य सामाजिक कार्य की शिक्षा देने वाले विद्यालयो मे शिक्षित व्यक्ति ही थे। इस वृत्तिक सस्था का नाम बदलकर सयुक्त-राज्य सामूहिक कार्य-परिषद् कर दिया गया। सन् १९५२ मे इस परिषद् ने बहुमत से यह प्रताव स्वीकृत किया कि सामाजिक कार्य करने वाली पाँच वृत्तिक परिषदो को एक मे मिला देने की जो योजना उपस्थित थी उसके अनुसार उस परिषद् को भी उसमे विलीन कर दिया जाय[६] ताकि देश भर मे सामाजिक कार्य से सम्बन्धित एक ही प्रतिनिधि सस्था कार्य करे। इस तरह सामाजिक कार्य के क्षेत्र मे एकीकरण की दिशा में यह कार्य अन्तिम महत्त्वपूर्ण कदम था।

सामूहिक कार्य की परिभाषा

अबतक सामूहिक कार्य की प्रगति का जो ऐतिहासिक विवरण उपस्थित किया गया है उसकी आवश्यकता इसलिए थी कि सामूहिक समाज-सेवा-कार्य के ऐतिहासिक विकास तथा उसकी वर्तमान अवस्था का समुचित ज्ञान हो जाय। जिस तरह सामाजिक कार्य की कोई सामान्यतः स्वीकृत परिभाषा नही है उसी तरह सामूहिक समाज-सेवा-कार्य की भी कोई एक निश्चित और सर्व-स्वीकृत परिभाषा नही बन सकी है। फिर भी सामूहिक समाज-सेवा के क्षेत्र मे काम करने वाले कार्यकर्ताओ की कार्य-भूमिका क्या है इसके बारे मे सामान्यतया कोई मतभेद नही है। सयुक्त-राज्य सामूहिक कार्य-परिषद् ने, जिसके सदस्य देश के सभी भागो के व्यक्ति थे, उक्त सिद्धान्त को विशेष रूप से पल्लवित किया। सन् १९५३ मे परिषद् ने एक समिति की स्थापना की जिसका कार्य परिषद् के सन् १९४९ के सिद्धान्तविषयक वक्तव्य का संशोधन करना था। उसके महत्त्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ उसे पूरा-का-पूरा उद्धृत किया जा रहा है—

"सामूहिक कार्य करने वाला कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के समूहो को इस तरह कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है कि उन समूहो के बीच होनेवाली परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया तथा उनके कार्यक्रमों की सक्रियता के फलस्वरूप व्यक्ति का विकास तो होता ही है, अपेक्षित सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। सामूहिक

(६) अमेरिकन एसोशियेशन आफ सोशल-वर्कर्स, अमेरिकन एसोशियेशन आफ साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स, अमेरिकन एसोशियेशन आफ मेडिकल सोशल वर्कर्स, अमेरिकन एसोशियेशन आफ ग्रुप वर्कर्स, नेशनल एसोशियेशन आफ स्कूल सोशल वर्कर्स।

सेवा-कार्यकर्ता के उद्देश्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं—व्यक्ति की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप उसके व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएँ प्रदान करना, व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों, समूहों तथा समूचे समाज के साथ सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध स्थिर करना और समाज के सुधार में योग देने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करना तथा व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार करना कि वह अपने अधिकारों, सीमाओं और क्षमताओं को पहचान सके तथा दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों, सीमाओं और क्षमताओं को स्वीकार कर सके। समह के कार्यों मे सम्मिलित होकर उसमें सक्रिय योग देने में कार्यकर्ता का यह उद्देश्य होता है कि वह समूह की कार्य-प्रक्रिया को प्रभावित कर सके ताकि समूह द्वारा किये गये निर्णय विवेक और ज्ञान पर आधारित हों और सभी अपने-अपने विचारो और अनुभवों के आधार पर इस प्रकार का निर्णय करने मे सहयोग करें, न कि समूह के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति या शक्ति द्वारा ये निर्णय उस पर लादे जायँ। अपने अनुभवों के सहारे कार्यकर्ता यह प्रयत्न करता है कि एक समूह का दूसरे समूहों तथा बृहत्तर समुदाय के साथ इस प्रकार का सम्बन्ध निर्मित हो जिसके फलस्वरूप समूह के सदस्य जिम्मेदार नागरिक बन सकें, उनमें समुदाय के विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक समूहों में एक-दूसरे को अच्छी तरह समझने की भावना उत्पन्न हो, सभी लोकतांत्रिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज को निरन्तर सुधार के पथ पर अग्रसर करते रहने के कार्य में योगदान कर सकें। इस प्रकार के नेतृत्व का पथ-निर्देशक उद्देश्य लोकतांत्रिक समाज-सम्बन्धी सामान्य मान्यता पर आधारित होता है; वह मान्यता यह है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की सुविधा मिलनी चाहिए कि वह स्वतंत्रता-पूर्वक अपनी क्षमताओं का विकास कर सके, दूसरों का आदर और उचित मूल्यांकन कर सके और हमारे समाज के लोकतांत्रिक स्वरूप के संरक्षण तथा उसके निरन्तर सुधार के सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार कर सके। सामूहिक कार्य की पद्धति व्यवहारतः व्यक्ति, समूहगत व्यवहार, सामाजिक दशा और सामुदायिक सम्बन्धों के सम्यक् ज्ञान पर आधारित है और उस ज्ञान का सम्बन्ध आधुनिक समाज-वैज्ञानिक विषयों से है। इसी ज्ञान के सहारे सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता उस समूह के, जिसमें वह कार्य करता है, सदस्यों को नेतृत्व-सम्बन्धी कौशलों का ज्ञान कराता है जिसके फलस्वरूप उस समूह के सदस्य अपनी क्षमताओं का अधिक-से-अधिक उपयोग करने और सामाजिक दृष्टि से रचनात्मक सामूहिक कार्यों का आयोजन करने में समर्थ होते हैं। कार्यकर्ता कार्यक्रम-सम्बन्धी गतिविधियों के अतिरिक्त इस बात से भी अवगत रहता है कि समूह के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्वों पर एक दूसरे की क्या क्रिया-प्रतिक्रिया होती है और उसी तरह उस समूह और उसके चतुर्दिक् के समुदाय के बीच परस्पर किस प्रकार की क्रिया-

प्रतिक्रिया होती रहती है । वह समूह के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता और अभिरुचि को ध्यान में रखकर सदस्यों की इस तरह सहायता करता है कि उनको समूह के अन्तर्गत चलने वाले कार्यक्रमों से अधिकतम सन्तोष और लाभ प्राप्त होता है, सामाजिक-सम्बन्धों की सुविधा मिलने से उनको मानसिक सुख प्राप्त होता है तथा उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही उन्हें जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज के कार्यों में भाग लेने का भी अवसर प्राप्त होता है[७] ।

सामूहिक सेवा-कार्य की शैक्षणिक सम्भावनाएँ

सभी सामूहिक समाज-सेवा-कार्यो मे इन दो बातो पर निरन्तर और एक ही साथ समान रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाता है कि एक ओर तो समूह के माध्यम से व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो दूसरी ओर व्यापक सामाजिक उद्देश्यो की भी सिद्धि होती रहे । सामूहिक कार्यो में भाग लेने से व्यक्ति का अपने समकालीन व्यक्तियो के बीच पद-गौरव बढ़ता है क्योंकि वह अपनी शक्ति के अनुसार समूह के कार्यो मे योग दान करता है और उसके इस योगदान के अनुसार उसे सम्मान भी मिलता है और प्रक्रिया मे इस बात पर ध्यान नही दिया जाता कि जिसे सम्मान दिया जा रहा है वह कौन व्यक्ति है, बल्कि केवल इसी बात का विचार किया जाता है कि उसने जो कार्य किया है उसका महत्त्व क्या है ? इस सामाजिक प्रक्रिया मे व्यक्ति के महत्त्वपूर्ण योगदान को स्वीकृति ही नही मिलती, बल्कि उसकी यह जिम्मेदारी भी समझी जाती है कि वह इस प्रकार के कार्य करे । इस प्रकार के सामाजिक वातावरण मे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि रचनात्मक ढग से आत्माभिव्यक्ति के लिए उसे पूरी स्वतन्त्रता है और उसे इस वातावरण के सामाजिक अनुभवो से यह सीखने का अवसर मिलता है कि किस प्रकार के व्यवहारो को सामाजिक स्वीकृति मिलती है और किस प्रकार के व्यवहारों को सामाजिक अवरोधो का सामना करना पड़ता है । इन अनुभवो से शर्मीला व्यक्ति अनावश्यक रूप से लजाने की आदत छोड़ देता है और अपने सामाजिक सम्बन्धो मे अधिक आत्मविश्वास के साथ अग्रसर होने लगता है । दूसरी ओर उग्र और आक्रामक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियो की मानसिक स्थिति में इन अनुभवों के कारण परिवर्तन भी होता है और उनकी आक्रामक वृत्ति अवरुद्ध हो जाती है । इन सामूहिक कार्यों द्वारा इस बात

(७) —"डिफिनिशन आफ द फंकशन आफ द ग्रूप वर्कर"—द ग्रूप—जिल्द ११, मई १९४९, पृष्ठ ११–१२ ।

की परीक्षा भी हो जाती है कि किस व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता है और कौन व्यक्ति केवल अनुयायी बनने के योग्य है। इन तमाम बातों से व्यक्ति के भीतर वह क्षमता विकसित होती है जिससे वह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ लोकतांत्रिक आधार पर स्थापित सम्बन्धों के सूत्र में आबद्ध होता है, दूसरों से बहुत-कुछ ग्रहण करता है और उन्हें स्वयं भी बहुत-कुछ देता है, उनके साथ सहयोग करता तथा है उनसे सहयोग लेता है और अन्य व्यक्तियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता तथा उनसे यह उम्मीद करता है कि वे भी उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे।

ये सार्थक और महत्त्वपूर्ण अनुभव सामूहिक कार्य के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और तत्सम्बन्धी गतिविधियों के माध्यम से ही उपलब्ध होते है। इस प्रकार की गतिविधियों की संख्या अनन्त हो सकती है जिन्हें सूचीबद्ध करना सम्भव नहीं है, पर उनमें से कुछ का नाम उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, जैसे वाद-विवाद, कार्य-सम्बन्धी बैठक, कला और शिल्प, संगीत, नाट्याभिनय, कुश्ती, खेलकूद, शिविर, नृत्य, मनोरंजन-यात्रा तथा अन्य कोई ऐसे ही विशिष्ट कार्य। सामूहिक कार्यकर्ता का कौशल इस बात में है कि उसमें समूह के कार्यक्रमों के प्रति सदस्यों की सहज सद्यःप्रतिक्रिया को इस तरह नियंत्रित और निर्दिष्ट करने की क्षमता हो कि उससे सदस्यों के लिए वह कार्यक्रम आनन्दप्रद होने के साथ ही सार्थक और शिक्षात्मक भी बन जाय। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि किशोरावस्था की कुछ बालिकाओ का एक समूह सामूहिक सेवा-कार्यकर्त्री के साथ कहीं आराम से बैठा है और बालिकाएँ किसी सिनेमा की ऐसी कहानी के बारे में बातें कर रही हैं जिसमें माता और पुत्री के सम्बन्ध संकट के बिन्दु तक पहुँच गये है। उस समय सामाजिक कार्यकर्त्री उनसे कहती है कि वे इस विषय से सम्बन्धित अपने-अपने अनुभव बताएँ; फिर वह सबके साथ मिलकर उन अनुभवो तथा समस्याओं की विवेचना करती है। उसकी यह पद्धति बालिकाओं के लिए नयी वस्तु है, पर इससे उनको बहुत लाभ पहुँचता है। इसी तरह दूकानदारी से सम्बन्धित एक समूह मे एक बालक आता है जो विद्यालय के अनुभवों से बहुत निराश और कुंठित हो गया है। आते ही वह हथौड़ा उठाकर जोर-जोर से पीटने लगता है। किन्तु समूह का समझदार नेता उसे समझाता और उसकी इस तरह सहायता करता है कि वह धीरे-धीरे अपनी शक्ति किसी अन्य रचनात्मक-कार्य में लगाने में सफल हो जाता है। इस सफलता का कारण यह है कि वह नेता उसकी भावात्मक शक्ति को, जो निराशा के कारण उत्तेजित हो उठी थी, ऐसे कार्य की दिशा में मोड़ देता है जो समाज के लिए स्वीकार्य है। एक अन्य शर्मीला छोटा बालक शिल्प कक्ष के सामने भीतर होने वाले कार्य से आकर्षित होकर बड़ी देर से दरवाजे पर खड़ा है। जब सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता उसे देखता

है तो उसके पास जाकर उसे भीतर जाने के लिए प्रोत्साहित करता है और वह बालक कार्यकर्ता की प्रेरणा और सहायता से शिल्प-कक्ष के कार्यों में सक्रिय रूप से हाथ बँटाने लगता है। उस बालक को जान कर अत्यन्त आश्चर्य और प्रसन्नता का अनुभव होता है कि उसमें हस्तशिल्प-सम्बन्धी कार्य की ऐसी क्षमता है जिसका विकास होने पर उसे ऐसी मान्यता और गौरव का पद मिलता है जिसे उसने अपने वर्ग के अभिजात जनों के बीच कभी नहीं प्राप्त किया था और इस तरह इस आनन्द से वह अभी तक वंचित ही था। इसका परिणाम यह होता है कि उसमें स्वीकृति और सुरक्षा की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं जिनके सहारे वह इस समूह के सदस्यों के साथ वैयक्तिक सम्बन्ध स्थापित करता है; अपने पूर्ववर्ती लज्जालु और अलग रहने की प्रवृत्ति की तुलना में अब वह अपने भीतर अधिकाधिक स्वतंत्रता और सहजता का अनुभव करता है। एक दूसरा बालक ऐसा है जिसने बास्केट बाल की टीम में स्थान पाने की कोशिश की थी, पर उसे सफलता नही प्राप्त हुई थी। वही बालक सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता की समझ और निर्देशन के सहारे उसी बास्केट बाल-टीम का व्यापारिक मैनेजर बन जाता है। इस तरह टीम में एक खिलाड़ी के रूप में, जिसकी कला और क्षमता उसमें नही थी, स्थान न पाने से उसे जो सन्तोष और सम्मान नही मिल सका था, वही अब व्यापारिक मैनेजर बन जाने पर उसे आसानी से मिल गया। उस बालक को सम्मान का पद और सामाजिक मान्यता ही नहीं मिलती है, बल्कि उसे इस बात का हार्दिक सन्तोष भी प्राप्त होता है कि उसने उस टीम के लिए ईमानदारी के साथ ऐसा कार्य किया है जैसा वह इसके पूर्व कभी नहीं कर सका था। इस तरह वही बालक जो पहले अपनी अपेक्षित स्वीकृति न मिल पाने पर टीम-वालों को बुरा-भला कहा करता था, अब उस समझदार और सहिष्णु कार्यकर्ता की सहायता से व्यायाम से सम्बन्धित एक नवीन कार्य स्वीकार कर उसमें अपनी कला का विकास करता है तथा इस तरह अपने समाज में स्वीकार्य मान्यता प्राप्त कर पहले से अधिक सन्तोष का अनुभव करता है। इसी प्रकार के अन्य बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनका कहीं अन्त नहीं। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि उचित वातावरण तैयार करके और अपने विवेकपूर्ण कौशल द्वारा सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता सामूहिक कार्यों में भाग लेने वालों को इस योग्य बना देता है कि उन कार्यों के अनुभवों द्वारा वे सामाजिक दृष्टि से सन्तुष्ट और परिपक्व व्यक्ति बन जाते हैं।

ऐसा सामाजिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए जिसमें व्यक्ति की क्षमताओं का उचित विकास सम्भव हो सके, पूरे समूह पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है। साथ ही इस तथ्य को समझना भी बहुत आवश्यक है कि सामूहिक कार्य के अनुभवों से व्यक्ति की जिन क्षमताओं के विकास की बात ऊपर कही गयी है वे न तो व्यक्ति में सन्निहित

होती हैं और न हर हालत में उनका विकास अनिवार्य ही होता है। इसके विपरीत कौशलयुक्त नेतृत्व द्वारा उनके विकास की सम्भावित योजना बनायी जाती है। यदि व्यक्ति को अपने विकास के लिए उपयोगी और सहायक सामाजिक वातावरण नहीं मिलता तो उस स्थिति में सामूहिक कार्य के अनुभव उसके लिए लाभकर होने की जगह हानिकर ही सिद्ध हो सकते हैं। इस तरह सामूहिक समाज-सेवा-कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह जिस समूह में काम कर रहा है उसके सदस्यों को यह बात हृदयंगम करा दे कि उस समूह का अस्तित्व किस लिए है और वह किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इसी तरह उसे ऐसा सामाजिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होना चाहिए जिसके बीच समूह के इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। व्यक्ति के समान समूहों का भी अपना-अपना व्यक्तित्व और उनकी कार्य-पद्धति की अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं। कुछ समूह हमेशा वही कार्य करते हैं जिनकी उनसे आशा की जाती है, किन्तु कुछ हमेशा दूसरों की निन्दा करते और अपनी जिम्मेदारी नहीं निबाहते हैं; कुछ समूहों में सदा गतिशीलता और सक्रियता बनी रहती है और कुछ निरन्तर गतिहीन तथा निष्क्रिय बने रहते हैं। कुछ समूहों के पुराने सदस्य उनसे बाहर हो जाते हैं अतः वे नये सदस्यों और नवीन अनुभवों के स्वागत के लिए सदा तैयार रहते हैं, पर दूसरे समूह ऐसे होते हैं जिनमें पुराने ही सदस्य बने रहते हैं और नये सदस्यों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा रहता है। इसी तरह कुछ समूह समान गति से उत्तरोत्तर विकास करके परिपक्वावस्था में पहुँच जाते हैं जबकि अन्य समूह अन्त तक अपनी शैशवावस्था की स्थिति में ही बने रहते हैं। व्यक्ति के समान समूह की परिपक्वावस्था भी इस बात पर निर्भर करती है कि जब तक उस समूह का अस्तित्व बना रहे तब तक उसका समान गति से और निरन्तर विकास जारी रहना चाहिए। यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसे एक बार उपलब्ध कर लेने पर फिर थोड़ा प्रयत्न कर लेने से ही हमेशा सुरक्षित रखा जा सकता है। वस्तुतः समूह हमेशा या तो आगे की ओर प्रगति करते हैं या पीछे की अवनति करते हैं, वे एक ही स्थिति में कभी भी स्थिर नहीं बने रह सकते।

सामूहिक समाज-सेवा-कार्यकर्ता की कार्य-भूमिका

जो भी अभिकरण सामूहिक समाज-सेवा का कार्य करता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह समूह के सदस्यों को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से यथासम्भव अधिक-से-अधिक शिक्षित बनाने की जिम्मेदारी स्वीकार करे। इसका यह अर्थ है कि उसे सामूहिक सेवा-कार्य के लिए वृत्तिक नेता तैयार करने होंगे। कुछ वर्ष पहले तक कोई भी व्यक्ति सामूहिक कार्यों का नेतृत्व शुरू कर देता था, और इस तरह प्रकाश में आ जाता था।

ऐसे ही नेता अक्सर यह कहते सुने जाते थे कि "जब तक मैं इस समूह का संचालन करता था, इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी और इसके कार्यक्रम बहुत अच्छे होते थे, किन्तु ज्यों ही मैं इस समूह से अलग हुआ, इसकी स्थिति खराब हो गयी।" पर आज तो विकास के मूल्यांकन का यह आधार माना जाता है कि समूह को इस तरह की सहायता मिली है या नहीं जिससे वह ऐसी स्वतन्त्रता, परिपक्वता और आत्मनिर्भरता की अभिवृद्धि कर सके जो समूह के सदस्यों की आयु तथा उनकी सामाजिक, बौद्धिक और भावात्मक परिपक्वता और समूह के पूर्ववर्ती अनुभवों के अनुरूप और उनके लिए उपयुक्त हो। प्रत्येक अच्छे नेता का एक अच्छा अनुयायी भी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमेशा नेता ही नही बना रहता है। बहुत छोटे बच्चों, पागलों, मानसिक अवरोधवाले व्यक्तियो अथवा अनुभव रहित लोगों के साथ काम करते समय सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता को स्पष्ट ही अधिक अनुशासन और कड़ाई से काम लेना होगा, किन्तु जोर हमेशा इसी बात पर रहना चाहिए कि समूह तथा उसके सदस्यों की क्षमताओं का साथ-साथ विकास हो[८]।

सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता की समूह के प्रति वैसी ही दृष्टि होनी चाहिए जैसी वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता की किसी विशेष कार्यार्थी व्यक्ति के प्रति होती है। इसका अर्थ यह है कि उस समूह को जिसके बीच वह कार्य कर रहा है, अच्छी तरह समर्थन के लिए, उसे उस समूह के विषय में उपलब्ध संगत सूचनाओं की छान-बीन करनी चाहिए, यह देखना चाहिए कि उस समूह में क्या कमियाँ हैं और साथ ही उसके सम्बन्ध में अन्य आवश्यक तथ्यों का संग्रह भी करना चाहिए। उपलब्ध सामग्री के मूल्यांकन और परिष्करण की यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि कार्यकर्ता को जब तक समूह के सम्बन्ध में पूरी सामग्री की सूचना न मिल जाय, वह कोई कार्य प्रारम्भ ही नही करता। निस्सन्देह वह समूह के विषय में जितनी अधिक जानकारी रखेगा, उतनी ही पूर्णता से वह उसके बीच कार्य कर सकेगा, किन्तु साथ ही समूह के साथ अपने प्रथम सम्पर्क के बाद से ही वह व्यक्ति और समूह के व्यवहारों के सम्बन्ध में अपने समस्त ज्ञान का उपयोग करने लगता है। अपने इस ज्ञान के उपयोग के लिए ही कार्यकर्ता को इस बात का पता लगाने की आवश्यकता होगी कि उस समूह का निर्माण जिन व्यक्तियों के संघटन से

(८) सामाजिक कार्यकर्ता और समूह के अप्रशिक्षित स्वयंभू नेता के अन्तर को स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक के लिए कार्यकर्ता और दूसरे के लिए नेता शब्द का प्रयोग किया गया है। नेता वस्तुतः समूह का एक सदस्य ही होता है जो नेता की कार्य-भूमिका सँभालता है।

हुआ है वे कौन और कैसे लोग हैं; और उम्र, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, बौद्धिक योग्यता और मानसिक क्षमता, सामाजिक परिपक्वता, समूह-सम्बन्धी पूर्व अनुभव, अभिरुचि, वयस्क व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करने की योग्यता तथा इसी प्रकार के अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्यों की दृष्टि से उस समूह के सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के हैं अथवा विभिन्न प्रकार के ? इस बात का पता लगाना भी अत्यन्त आवश्यक है कि समूह के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध कैसे हैं, उनमें से कौन व्यक्ति सर्वाधिक लोक-प्रिय है और कौन ऐसे हैं जिन्हें समाज से सबसे कम स्वीकृति प्राप्त हुई है, इस समूह में सम्मान और लोकप्रियता की कसौटी क्या है, उसमें नेता के पद पर एक ही व्यक्ति स्थायी रूप से बना है या उस पर बारी-बारी से अन्य व्यक्ति भी प्रतिष्ठित होते रहते हैं ? एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटक तत्त्व समूह की एकता है । उसके सम्बन्ध में भी यह पता लगाना होगा कि उस समूह के सदस्य एक इकाई के रूप में एक ही लक्ष्य की सिद्धि के लिए कार्य करते है अथवा वे विभिन्न दलों में विभक्त हैं और परस्पर झगड़ते रहते है ? यदि उसमें अनेक दल हैं तो वे स्थायी हैं अथवा उनका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है ? उनके आपसी झगड़ों का आधार क्या है ? समूह का मनोबल ऊँचा और समान गति वाला है अथवा अस्थायी और परिवर्तनशील ? समूह में संचालित होने वाले कार्यक्रमों में उसके सभी सदस्य समान रूप से रुचि लेते हैं अथवा उस समूह के कुछ लोग अलग दल बनाकर अपनी रुचि के अनुसार अलग कार्यक्रम चलाते हैं ? उस समूह में अधिकतर मैत्रीभाव वाले व्यक्ति हैं अथवा विरोधी और विद्रोही प्रवृत्ति वाले ? वयस्क नेतृत्व को उस समूह में किस प्रकार स्वीकृति मिलती है ? क्या उस समूह के सदस्य अपने वयस्क नेता पर ही आश्रित हैं ? वे उसके नेतृत्व को अस्वीकार करते हैं अथवा आवश्यकतानुरूप उसका रचनात्मक ढंग से उपयोग करते हैं ? वे जिस अभिकरण में मिलते हैं उसके वे महत्त्वपूर्ण अंग हैं अथवा उसके साथ उनकी कोई वास्तविक अभिन्नता नहीं है ? यदि उनमें पारस्परिक कलह है तो उसका स्वरूप क्या है, और उनका निपटारा कैसे होता है—वयस्क अधिकारियों द्वारा अथवा सामूहिक निर्णय द्वारा; उस समूह के कार्यक्रम कौन निश्चित करता है ? वे कार्यक्रम कैसे कार्यान्वित होते हैं ? किस प्रकार के कार्यों का उस समूह के सदस्य सबसे अधिक उत्साह के साथ स्वागत करते हैं और किस प्रकार के कार्यों को अस्वीकार कर देते हैं तथा ऐसा करने का कारण क्या होता है ?

सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता को उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए जो उस समूह के सदस्य हैं । इसीलिए कार्यकर्ता प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण बातों और रहस्यों का पता लगाता है ताकि वह हर सदस्य को भली-भाँति समझ सके । उसे इन बातों का पता लगाना पड़ता है कि समूह के किसी व्यक्ति को उसके अन्य सदस्य किस

रूप में स्वीकार करते है और वह व्यक्ति स्वयं अन्य व्यक्तियों किस रूप में स्वीकार करता है ? क्या वह व्यक्ति यह मानता है कि सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता अभिकरण द्वारा नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से कर्मचारी के रूप में सहायता-कार्य करता है अथवा वह व्यक्ति कार्यकर्ता को माता, पिता या गुरु के रूप में मानता है अथवा उसे एक ऐसा वयस्क अधिकारी समझता है जिसे वह, जब भी मौका मिले, आसानी से धोखा दे सकता है ? क्या वह सदस्य उपयुक्त अवसर पर अपनी जिम्मेदारी सँभाल सकता है ? क्या वह दूसरे के नेतृत्व में अनुयायी बना रह सकता है अथवा स्वयं नेतृत्व सँभाल सकता है ? किस प्रकार की स्थिति में नेता से उस व्यक्ति का संघर्ष या मतभेद उत्पन्न होता है और किस स्थिति में वह आसानी से सबके साथ मैत्री-सम्बन्ध रख सकता है ? उसकी सबसे महत्त्वपूर्ण शक्ति या दुर्बलता क्या है ? उसका व्यवहार सदैव एक प्रकार का होता है या समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है ? किन बातों के प्रति उसकी प्रमुख रूप से दिलचस्पी और किन के प्रति घृणा है ? क्या वह पूर्ण स्वस्थ है ? अपने बुजुर्गों तथा अपने से भिन्न यौन-वर्ग के व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करता है ? उस व्यक्ति के घर, विद्यालय, या पास-पड़ोस की पृष्ठ-भूमि से सम्बन्धित कौन-सी सूचनाएँ अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती हैं ? समूह तथा उसमें सम्मिलित व्यक्तियों को समझने के लिए जिस प्रकार की सूचनाओं का अवलम्बन लेना आवश्यक होता है, उनके स्वरूप का कुछ आभास उपर्युक्त सूची के तथ्यों से मिल सकता है ।

सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता को अपने पेशे से सम्बन्धित लक्ष्य की सिद्धि के लिए अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के समान इस बात में विश्वास रखकर कार्य करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति में विकास, प्रगति और परिवर्तन की नैसर्गिक क्षमता होती है; साथ ही उसमें व्यक्ति के अन्तर्निहित मूल्य के प्रति आस्था भी होनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म या रंग का क्यों न हो ।

व्यक्ति के विकास, समूह की गत्यात्मक क्रियाशीलता और समाज में क्रियाशील सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्तियों के सम्बन्ध में सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता की जो अभिज्ञता होती है, वह उसी के आधार पर अपना कार्य करता है । इन विषयों के ज्ञान का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यकर्ता में ऐसा कौशल हो कि वह सहज ही समूह की प्रक्रिया का एक अविच्छिन्न अंग बन जाय । व्यक्ति और समूह की विकासात्मक प्रगति की ओर ही कार्यकर्ता का ध्यान मुख्य रूप से केन्द्रित होना चाहिए और समूह को उसे व्यक्ति के विकास के मुख्य अस्त्र या साधन के रूप में मानना चाहिए । अभिकरण के बाहर के सामाजिक साधनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना उसके लिए अत्यन्त आवश्यक है । उसका सामूहिक कार्य-सम्बन्धी कौशल इतना

व्यापक और विविध विषयों से सम्बन्धित होना चाहिए कि वह विभिन्न प्रकार के सामूहिक कार्यक्रमों को आसानी से संचालित कर सके, चाहे वे कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलते हों या छोटे पैमाने पर, औपचारिक हों या अनौपचारिक, स्त्री और पुरुष, दोनों वर्गों के लिए हों या केवल किसी एक वर्ग के लिए, एक ही प्रकार या श्रेणी के हों या भिन्न-भिन्न ढंग और श्रेणियों के हों और बहुत दिनों तक लगातार चलने वाले हों या जिनमें सदस्यों को परस्पर सम्पर्क के अवसर कम मिलते हों।

सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता सामूहिक कार्यों का संचालन इस प्रकार करता है कि समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए उन कार्यों के अनुभव सार्थकतायुक्त और महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं। समूह के सदस्य अवकाश के समय के कार्यक्रमों में इसलिए भाग लेते हैं कि वे अपने उस समय को प्रसन्नता के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, अतः जब तक ऐसे कार्यक्रमों में उनको प्रसन्नता और तृप्ति नहीं होगी, वे उन कार्यक्रमों से अन्य किसी प्रकार का सम्भावित लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे, यद्यपि इन कार्यक्रमों में इस प्रकार के लाभ पहुँचाने की पर्याप्त क्षमता निहित है। यद्यपि विभिन्न समूहों के आकार, उद्देश्य, संघटन-स्वरूप, कार्य-विधि, प्रेरक शक्तियाँ आदि में पर्याप्त भिन्नता होती है, पर सबके मूल संघटक-तत्त्व एक ही होते हैं। ये तत्त्व हैं स्वीकृति और अस्वीकृति, निर्णय करना, संघर्ष और नियंत्रण, विभिन्नता और एकता, जो सबमें सदैव एक समान वर्तमान रहते हैं।

किशोरावस्था के बालकों के एक समूह में कार्य करने वाला एक सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता उन्हें यह सीखने में सहायता कर रहा था कि वे एक समूह के रूप में कैसे कार्य करें। उस समूह के बालक यह चाहते थे कि उनका समूह सुसंघटित इकाई बन जाय। इसके लिए वे एक क्लब की स्थापना करना चाहते थे। अपनी एकता के प्रतीक के रूप में उन्होंने प्रत्येक बालक के नाम का पहला अक्षर लेकर और उन अक्षरों को जोड़कर क्लब का नामकरण किया। किन्तु वह नाम उनके अधिकांश साथियों को अर्थहीन मालूम पड़ा। फिर भी उन्होंने उस नाम का त्याग नहीं किया क्योंकि उसमें सबके नामों का अंश मिला था; साथ ही उससे उनकी सामूहिक भावना का भी बोध होता था। कार्यकर्ता ने इस बात के महत्त्व को समझने और उस भावना का अनुभव करने में उनकी सहायता की। जब उस क्लब के पदाधिकारियों के चुनाव का प्रश्न उपस्थित हुआ तो उन लड़कों में से सभी पदाधिकारी बनना चाहने लगे और यह स्वाभाविक था कि कुछ ही बालक पदाधिकारी चुने गये, शेष नहीं चुने जा सके। इस तरह उस समूह के कुछ बालकों में ईर्ष्या और असन्तोष की भावना उत्पन्न हुई तो दूसरी ओर पदाधिकारी चुने गये बालकों में सन्तोष और सफलता का आनन्द भी लहरें लेने लगा। कार्यकर्ता ने उनकी इन परस्पर

विरोधी भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायता की। जिन लड़कों ने अपने इच्छित पद प्राप्त करने में सफलता पायी थी, उन्हें कार्यकर्ता ने इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे अपने पदों की जिम्मेदारी को गम्भीरता के साथ स्वीकार करें और अन्य सदस्यों के साथ उचित व्यवहार करें। जो लड़का मंत्री चुना गया था, वह वस्तुतः अध्यक्ष बनना चाहता था; अतः वह मंत्री का पद स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं था। किन्तु कार्यकर्ता ने बड़ी चतुराई से उसे समझाया कि उसे मंत्री का पद स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि सम्भवतः मंत्री को ही कोषाध्यक्ष का पद भी सँभालना होगा। इस बात पर सब लोग आसानी से राजी हो गये और उस पद पर काम करने वाला और भी अधिक सम्मान का अधिकारी बन गया। किन्तु उतनी ही महत्त्वपूर्ण सफलता यह थी कि सभी बालकों ने यह बात अच्छी तरह समझ ली कि क्लब के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सभी पदों का समान महत्त्व है। उन बालकों को हर समय कार्यकर्ता की कौशलयुक्त सहायता की आवश्यकता थी। वे लड़के यह भी जानना चाहते थे कि उनके क्लब में यदि लड़कियाँ भी सम्मिलित हों तो वे उनके साथ मिलकर ठीक तरह कार्य कर सकते हैं या नही, पर इस सम्बन्ध में वे अभी कुछ निश्चय नहीं कर सके थे कि इस कार्य को कैसे शुरू किया जाय। इस प्रश्न को लेकर काफी वाद-विवाद हुआ, कई बैठकें हुई और दो-एक बार तो संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो गयी। उस क्लब के माध्यम से उन लड़कों ने नृत्य सीखा, लड़कियों को साथ लेकर उद्यान-गोष्ठी का आयोजन भी किया और उन्होंने वे सभी शिष्टाचार सीखने की कोशिश की जिन्हें किशोरावस्था के बालकों को अनिवार्यतः सीखना चाहिए। कार्यकर्ता ने स्वयं उनके लिए इन कार्यो का निर्देश नही किया, किन्तु उसने उनकी इस बात में सहायता अवश्य की कि वे यह अच्छी तरह पहचान सकें कि उनकी वास्तविक अभिरुचि किन बातों में है। उसने उनको ऐसे उपाय भी बताये जिनसे उनकी अभिरुचि के कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। इन तमाम बातों के सम्बन्ध में साथ मिलकर विचार-विमर्श करने की प्रक्रिया में धीरे-धीरे वे अपने यथार्थ स्वरूप, अपने विश्वासों,अपने भय, महत्वाकांक्षाओं,पूर्वाग्रहों और आस्थाओं को अधिक निकट से पहचानने लगे। उस समूह का कोई भी सदस्य इस प्रकार के अनुभवों से अछूता नहीं रह सका। सामूहिक कार्यों का प्रभाव लाभकर हो रहा है या नही, यह बात बहुत कुछ कार्यकर्ता के कौशल पर निर्भर करती है। अतः यह ऐसी जिम्मेदारी है जिसे गम्भीरतापूर्वक ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि कार्यकर्ता सामान्य से अधिक मात्रा में सावधानी बरते और उसमें अपने पेशे से सम्बन्धित पर्याप्त कौशल हो जो व्यवहार, प्रेरणा-शक्ति और सामूहिक प्रक्रियाविषयक उसके ज्ञान पर आधारित तथा मानव मात्र के प्रति आदर की भावना के आदर्श से अनुप्राणित हो।

स्वयंसेवक

ऐसे समूहों की प्रतिशत संख्या थोड़ी ही है जो वस्तुतः प्रशिक्षित वृत्तिक सामूहिक सेवा-कार्यकर्ताओं के निर्देशन में कार्य करते हैं। इसके दो महत्त्वपूर्ण कारण हैं; पहला यह कि प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की जितनी अधिक माँग है उसकी तुलना में उनकी संख्या इतनी कम है कि यह किसी भी तरह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक अभिकरण में पर्याप्त वृत्तिक शिक्षा-प्राप्त कर्मचारी नियुक्त किये जा सकें। जिन कार्यकर्ताओं ने सामूहिक कार्यविषयक शिक्षा प्राप्त की है उनमें से अधिकांश कहीं-न-कहीं परिवीक्षण-सम्बन्धी अथवा प्रशासकीय पदों पर कार्य कर रहे हैं[९]।

सेवा-भावना से स्वयं आगे बढ़कर इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की अधिकता का कारण केवल आवश्यकता ही नहीं, एक विशेष सिद्धान्त भी है। सामूहिक कार्य के क्षेत्र में स्वयंसेवक कार्यकर्ता उसी समय से कार्य करते आ रहे हैं जब कि 'सामूहिक कार्य' शब्द का निर्माण भी नहीं हुआ था और न तो उस समय प्रशिक्षित वृत्तिक कार्यकर्ता ही थे। उस समय इस तरह के सभी कार्य स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं द्वारा ही किये जाते थे। यह प्रथा बहुत कुछ अब तक चली आ रही है और आज भी स्वयंसेवक इन कार्यक्रमों के अभिन्न अंग हैं। वैयक्तिक सेवा-कार्य और सामूहिक सेवा-कार्य की प्रगति में परस्पर एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यही है कि सामूहिक कार्य के क्षेत्र में स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं का आज भी प्राधान्य है जब कि वैयक्तिक सेवा-कार्य के क्षेत्र में कार्यार्थी की प्रत्यक्ष सेवा के लिए स्वयंसेवकों की सेवा निरर्थक हो गयी है और इसीसे इस क्षेत्र में स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है।

(९) सामूहिक कार्य-सम्बन्धी सेवाओं का केवल एक क्षेत्र ऐसा है जिस पर उपर्युक्त बात लागू नहीं होती। वह मनश्चिकित्सा-संस्थाओं का क्षेत्र है जहाँ के लिए सामूहिक सेवा के कार्यक्रम अपेक्षाकृत नवीन वस्तु हैं, और जहाँ पिछले छः या सात वर्षों से मन्द गति से, किन्तु निरन्तर प्रगति होती आ रही है। इन मनश्चिकित्सकीय संस्थाओं में, चाहे वे अस्पताल हों, या बाल-निर्देशन-गृह अथवा अन्य कोई विशिष्ट संस्था, समूहों का निर्देशन केवल वृत्तिक प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ता ही करते हैं। इन संस्थाओं में सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता उस चिकित्सा-दल का एक सदस्य चुन लिया जाता है जिसमें मनश्चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, नर्स, वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता आदि सम्मिलित रहते हैं। अतः वहाँ सामूहिक सेवा के कार्यक्रम अनिवार्यतः उपचार-सम्बन्धी लक्ष्य से सम्बद्ध होते हैं। इसी कारण वहाँ अप्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं रखे जाते।

सामूहिक कार्य करने वाली संस्थाओं में स्वयंसेवक विभिन्न प्रकार के समूहों का नेतृत्व करते तथा पूर्णकालिक वेतन-भोगी कर्मचारियों की सहायता करते हैं; लिपिक (क्लर्क) का कार्य करते हैं, विशिष्ट सेवा करनेवाली संस्थाओं में कार्यार्थियों के स्थानान्तरण के कार्य में सहायता करते हैं, जैसे वृद्ध व्यक्तियों और पंगुओं को सामूहिक कार्यों में सम्मिलित होने में सहायता पहुँचाते हैं और परिषदों और समितियों में प्रशासकीय पदों पर काम करते हैं।

एक प्रश्न के सम्बन्ध में बहुत अधिक अव्यवस्था और भ्रम है जिसका निराकरण करना आवश्यक है। स्वयंसेवक शब्द का प्रयोग उन कार्यकर्ताओं के लिए किया जाता है जो वेतन-भोगी कर्मचारी नहीं होते। वेतनभोगी कर्मचारी पूर्णकालिक या अंशकालिक दोनों तरह के होते हैं पर स्वयंसेवक प्रायः हमेशा अंशकालिक ही होते हैं। फिर भी इन दोनों में मौलिक अन्तर यह नहीं है, कि उनमें से एक वेतन-भोगी होता है और दूसरा नहीं होता, मौलिक अन्तर इस बात में होता है कि जो काम उन्हें सौंपा जाता है, उसे करने के लिए वे प्रशिक्षण और अनुभव की दृष्टि से पूर्णतः योग्य और सक्षम हैं या नहीं। कोई प्रशिक्षित सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता यदि विवाह या अन्य किसी कारण से अपनी पूर्णकालिक सवैतनिक नौकरी छोड़ देता है तो वह किसी सामाजिक अभिकरण को स्वयंसेवक के रूप में अपनी अंशकालिक सेवाएँ अर्पित कर सकता है। सामूहिक कार्यक्रमों की दृष्टि से इस व्यक्ति का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वह वेतनभोगी है या नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जायगा कि उसमें अपने कार्य के विषय में कितनी योग्यता है। इसी तरह आलमारी बनाने वाला कुशल मिस्त्री किसी अभिकरण को सामूहिक कार्य-श्रमालय में एक वक्त काम सिखाने के लिए अपनी सेवाएँ अर्पित कर सकता है और उस मिस्त्री को अभिकरण में उस विषय का सबसे अधिक सुयोग्य व्यक्ति माना जायगा। बहुधा स्वयंसेवक अपने कार्य के अनियमित समय अथवा पूर्णकालिक कर्मचारियों की अपने प्रति उपेक्षात्मक दृष्टि से या ऐसे अन्य किसी कारण से कभी अभिकरण के समग्र कार्य-कलाप का अभिन्न अंग नहीं बन पाते हैं और इसीलिए अभिकरण के कार्यों में अपने योगदान को महत्त्व न मिलते देख उन्हें अपनी सेवा निष्फल प्रतीत होती है, जिससे वे सन्तोष का अनुभव नहीं कर पाते।

स्वयंसेवकों में बहुत कम ऐसे होते हैं, जिन्हें अपने पेशे की पूर्ण कुशलता प्राप्त रहती है। अधिकतर स्वयंसेवकों को विशेष-विशेष कार्यों के कौशल का ज्ञान नहीं प्राप्त रहता है, फिर भी वे अभिकरण के उन सेवा-कार्यों में योग देने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिनसे व्यक्ति, समूह और समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। स्वयंसेवकों की सेवाओं का सफल उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि उनके कार्यों का परिवीक्षण उत्तरदायी व्यक्तियों

द्वारा और उचित रूप में किया जाता है या नहीं और अभिकरण उनको सेवा-काल में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करता है या नहीं। प्रशिक्षित वृत्तिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के कार्यों को सावधानी से अलग-अलग बाँट देना भी उतना ही आवश्यक है। उतनी ही सावधानी से और उसी तरह यह भी निश्चित कर देना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वे कार्य सौंपे जायँ, उसकी योग्यता क्या हो। स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएँ अर्पित करने वाले सभी व्यक्ति किसी समूह का नेतृत्व करने के लिए भावात्मक दृष्टि से उतने परिपक्व नहीं होते। अतः किसी व्यक्ति को ऐसे ही समूह में कार्य करने के लिए भेजना चाहिए, जहाँ वह अपनी शक्ति के अनुसार अधिकतम योगदान कर सके और जहाँ स्वयं उसके विकास और प्रगति की सम्भावना वर्तमान हो। इस प्रकार जब स्वयंसेवकों की सेवाओं का उपयोग उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से किया जायगा तो वे अभिकरण के कार्यों के ऐसे महत्त्वपूर्ण अंग हो जायँगे कि उनकी सहायता से समुदाय की अधिकतम सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय चलने वाले कार्यक्रमों में वृत्तिक प्रशिक्षण-प्राप्त सामूहिक सेवा-कार्यकर्ताओं का एक महत्त्वपूर्ण कार्य स्वयंसेवकों की भर्ती, चुनाव, प्रशिक्षण और परिवीक्षण करना है।

मिस सिम्स ने अभिकरणों द्वारा स्वयंसेवकों की सेवाओं के उपयोग से सम्बन्धित कुछ प्रवृत्तियों की एक सूची प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार हैं[१०]। आज पहले से अधिक व्यक्ति स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सेवाएँ अर्पित कर रहे हैं, अधिक नवयुवक व्यक्तिशः और सामूहिक रूप से महत्त्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं, स्वयंसेवकों के लिए उपयुक्त कार्यों का निर्धारण पहले से अधिक अच्छी तरह हो रहा है और इस तरह उनकी योग्यता और कौशलों का व्यापक क्षेत्र में उपयोग सम्भव हो रहा है, मानसिक रोग-अस्पतालो द्वारा प्रतिष्ठित अभिकरणों से स्वयंसेवकों की माँग पहले से अधिक बढ़ गयी है, स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण पर नये सिरे से अधिक बल दिया जाने लगा है और प्रशासकीय पदों पर कार्य करने वाले स्वयंसेवकों की संख्या में स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वैयक्तिक और सामूहिक सेवा-कार्यों का समन्वय

यद्यपि पेशे की दृष्टि से सामाजिक कार्य के क्षेत्र में सामूहिक सेवा-कार्य का इतिहास

(१०) नोर्मा जे० सिम्स—"वालण्टियर्स इन सोशल वर्क"—सोशल वर्क इयर बुक—न्यूयार्क, अमेरिकन एसोशियेशन आफ सोशल वर्कर्स, १९५१, पृष्ठ ५४१।

सबसे बाद में प्रारम्भ हुआ, पर कई ऐसे विषय-क्षेत्र हैं जहाँ सामूहिक और वैयक्तिक सेवा-कार्य एक दूसरे का सहर्ष स्वागत और अभिनन्दन करते हैं। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पहले विभिन्न सेवा कार्यों को अलग-अलग विशेषीकृत रूप दिया गया और उसके बाद उन सब में समान रूप से प्राप्त आधार-तत्त्वों की खोज की जाने लगी। वस्तुतः यह कार्य अब भी जारी है और खोज की इस प्रक्रिया में उनका सामान्य आधार और भी व्यापक और गहरा होता जा रहा है। विश्लेषण के अन्तिम परिणाम के रूप में, यही प्रतीत होता है कि सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों के मूल्यांकन की आधारभूत कसौटी यह है कि उन कार्यों का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सभी सामाजिक कार्यों में यह विश्वास सामान्य रूप से स्वीकृत है कि कार्यार्थी, सदस्य, समूह या समुदाय को अपने सम्बन्ध में निर्णय करने का पूरा अधिकार है और अपने निर्णयों का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर है। सभी सामाजिक कार्यों को एक धागे में पिरोने वाला सिद्धान्त भी अनिवार्यतः एक ही होना चाहिए, भले ही उस सिद्धान्त या लक्ष्य तक पहुँचने के रास्ते विभिन्न कार्यों के भिन्न-भिन्न हों। वैयक्तिक सेवा कार्य मूलतः व्यक्ति से सम्बन्धित होता है और सामूहिक सेवा कार्य समूह से, यह सामान्यीकृत परिभाषा, जिसे लोग बहुधा प्रयुक्त किया करते हैं, बहुत भ्रामक है और इसे खतरनाक अति सरलीकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि हम ध्यान देकर विचार करें तो देखेंगे कि सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता प्रायः अनिवार्यतः अपने समूह के सदस्यों के साथ वैयक्तिक रूप में ही व्यवहार करता है और उसी तरह वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता प्रायः अपने सेवार्थियों के साथ कार्य करते समय अनिवार्यतः उनकी समूहगत स्थिति की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता है; उदाहरण के लिए उसे कार्यार्थी की पारिवारिक स्थिति से सम्बन्धित समस्याओं पर ध्यान देना ही पड़ता है। फिर भी सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता वैयक्तिक समस्याओं से अपने को उसी सीमा तक सम्बद्ध करता है, जहाँ तक वे व्यक्ति की, सामूहिक कार्यों के अनुभवों से लाभान्वित होने की क्षमता को प्रभावित करती या उनसे सम्बन्धित होती हैं।

प्रायः लोग इन दोनों में यह अन्तर भी बताया करते हैं कि वैयक्तिक सेवा-कार्य का सम्बन्ध अव्यवस्थित अथवा कुसमंजनयुक्त व्यक्तियों से तथा सामूहिक सेवा-कार्य का सम्बन्ध सामान्य व्यक्तियों से होता है। यह भी अत्यन्त भ्रामक और सामान्यीकृत कथन है। इससे कहीं अधिक सही कथन यह है कि सामूहिक कार्यक्रमों का लक्ष्य समुदाय के विभिन्न और परस्पर विरोधी वर्गों की सेवा करना है। किसी भी प्रतिनिधि भिन्न वर्गीय समुदाय में सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः सुव्यवस्थित तथा पूर्णतः अव्यवस्थित या रुग्ण व्यक्तियों या वर्गों के दो अतिवादी छोरों के बीच और भी बहुत-से व्यक्ति और समूह होते है, जिनका सामाजिक स्तर अत्यधिक वैविध्यपूर्ण होता है। यदि किसी सामूहिक सेवा-कार्यक्रम से

वस्तुतः किसी भिन्न वर्गीय समूह को लाभान्वित करना है तो कार्यकर्ता को समूह के विभिन्न व्यक्तियों के पास तक पहुँचना होगा और उसे ऐसे व्यक्ति भी मिल सकते हैं जिनकी समस्याएँ बहुत गम्भीर और उस विशेष सामूहिक सेवा-कार्यक्रम की क्षमता और सीमा के बाहर की हैं। उस स्थिति में अभिकरण का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह उस व्यक्ति या उसके परिवार की सहायता करे और उसे इस बात के लिए राजी करे कि यदि उसका मामला किसी ऐसे अभिकरण के पास, जो उस सेवा का विशेषज्ञ है, भेज दिया जाय तो उसे आपत्ति नहीं होगी। ये सेवाएँ कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे वैयक्तिक सेवा-कार्य, स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधा, मानसिक स्वास्थ्य, निर्देशन-स्वास्थ्य-गृह आदि। अनेक वर्षों तक विभिन्न प्रकार के अनेक अभिकरणों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभवों का प्रकाशन और उनके सम्बन्ध में पर्याप्त विचार-विमर्श इस उद्देश्य से किया कि सेवार्थियों के मामलों को अन्यत्र प्रेषित करने की प्रक्रिया में सुधार और परिष्कार किया जाय। उन्होंने इन प्रश्नों पर विचार किया कि जिन अभिकरणों के पास ये मामले भेजे जाते हैं, उन्हें प्रेषण-प्रक्रिया की किस अवस्था में उन मामलों में हाथ डालना चाहिए; किसी व्यक्ति या परिवार की सहायता का वह सर्वोत्तम उपाय क्या है, जिससे वह अपने मामले को किसी अन्य अभिकरण के पास भेजने की आवश्यकता का स्वयं अनुमान करने लगे और उसके लिए आसानी से तैयार हो जाय और यदि किसी मामले से कई अभिकरण सम्बद्ध हैं तो उनमें से प्रत्येक की अलग-अलग जिम्मेदारियाँ क्या हैं? इन तथा ऐसे ही अन्य प्रश्नों पर बहुत समय तक पर्याप्त विचार-विमर्श हो चुका है। सन् १९५१ में पिट्सबर्ग में इन्हीं तथा कुछ और भी समस्याओं पर विचार करने के लिए वृत्तिक सामाजिक कार्य करने वाली पाँच संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक समिति बनायी गयी[११]। इस समिति की दृष्टि का एक उत्साहजनक पक्ष यह था कि उसने जो सिद्धान्त और पद्धतियाँ निर्धारित कीं, वे सभी सामाजिक अभिकरणों और स्वास्थ्य-संस्थाओं के बीच, मामलों की प्रेषण-प्रक्रिया से सम्बन्धित थी। समिति ने वैयक्तिक और सामूहिक सेवा-कार्यों के बीच परस्पर एक दूसरे के पास भेजे जाने वाले मामलों के सम्बन्ध में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी और उसी तरह सामूहिक सेवा-कार्य और स्वास्थ्य-अभिकरणों

(११) वे पाँचों संस्थाएँ ये थीं—अमेरिकन एसोशियेशन आफ सोशल वर्कर्स, अमेरिकन एसोशियेशन आफ ग्रुप वर्कर्स, अमेरिकन एसोशियेशन आफ मेडिकल सोशल वर्कर्स, अमेरिकन एसोशियेशन आफ साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स, और नेशनल एसोशियेशन आफ स्कूल सोशल वर्कर्स।

के बीच की प्रेषण-प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी अलग से विचार करने की आवश्यकता नही समझी गयी, यद्यपि इनमें से प्रत्येक की पद्धति अलग-अलग और विशिष्ट थी। इससे भी यह सूचना मिलती है कि यह धारणा सर्वमान्य होती जा रही थी कि सभी सामाजिक सेवाओं का सामान्य आधार एक ही है। इस समिति के विचार-विमर्श के परिणाम-स्वरूप सर्वसम्मति से सेवार्थी के प्रवेश, उसकी सेवा और सेवा-कार्य की अवधि की समाप्ति से सम्बन्धित सिद्धान्त और पद्धतियाँ निश्चित की गयीं।

सेवार्थी का मामला हाथ में लेने के पूर्व एक परामर्श-गोष्ठी करने की आवश्यकता होती है, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति को जिस नवीन सेवा की आवश्यकता है, उसका स्वरूप क्या है, वह वर्तमान सेवा का उपयोग किस रूप में कर रहा है, अपना मामला अन्यत्र भेजने के सम्बन्ध में निर्णय करने के कार्य में उसका निजी योग किस रूप में और किस सीमा तक रहा है और उस मामले से सम्बद्ध सभी अभिकरणों की अपने-अपने उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में सहमति है या नहीं? प्रारम्भिक मौखिक परामर्श-गोष्ठी के बाद दूसरा कदम यह होता है कि उस गोष्ठी में भाग लेने वाले व्यक्ति लिखित रूप में अपनी सहमति देकर अपने मौखिक कथन की पुष्टि करते हैं। जब कार्यार्थी और यह नवीन अभिकरण, जिसके पास मामला भेजा गया है, मिलकर इस सम्बन्ध में निर्णय कर लेते है कि वह मामला अभिकरण को स्वीकार्य है या नही अथवा वह कार्यार्थी अपना मामला उस अभिकरण के हाथ में देने को तैयार है या नही, तो उसके तुरन्त बाद उस निर्णय की सूचना उस अभिकरण को दे दी जाती है, जहाँ से वह मामला इस अभिकरण के पास प्रेषित किया गया है। यदि किसी मामले में दोनों अभिकरणों का हाथ साथ-साथ रहता है तो यह बात अत्यधिक महत्त्व की समझी जाती है कि दोनों अभिकरणों के प्रतिनिधि मिलकर उस मामले के सम्बन्ध में एक दूसरे को सूचनाएँ दें, उस कार्यार्थी के सम्बन्ध में योजनाएँ बनायें तथा उसकी स्थिति का आकलन करें।

यदि उन दोनों अभिकरणों में से कोई एक या दोनों ही इस आवश्यकता का अनुभव करते हैं कि उस कार्यार्थी का सेवा-कार्य अब समाप्त हो जाना चाहिए, तो उस समय दोनों अभिकरणों द्वारा संयुक्त निर्णय होना चाहिए। सेवा-कार्य की समाप्ति के कई कारण हो सकते हैं, जैसे यह कि उस कार्यार्थी को अब सेवा की जितनी आवश्यकता थी, वह पूरी हो चुकी है अथवा यह कि दोनों अभिकरणों द्वारा उपलब्ध सेवाओं से वह कार्यार्थी किसी एक का दोनों का उपयोग करके लाभ नहीं उठा रहा है या स्वयं कोई एक या दोनों अभिकरण सेवा-कार्य को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं अथवा कार्यार्थी स्वयं उनकी सेवाओं का उपयोग करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है।

ये बातें प्रेषण-प्रक्रिया की अनिवार्य अंग हैं, पर प्रेषण का प्रस्ताव स्वीकृत करने के पूर्व

अनेक प्रश्नों का समाधान आवश्यक होता है । यदि सामूहिक कार्यक्रम में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति उस सामूहिक कार्य-सम्बन्धी सेवा का उपयोग नहीं करता है तो सबसे पहले यही प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा क्यों है ? क्या कार्यक्रम का स्वरूप ही ऐसा है, जिसके कारण वह उसका उपयोग नहीं कर पाता ? अथवा क्या वह समूह ही, जिसका वह व्यक्ति सदस्य है, उसके लिए अनुपयुक्त है ? क्या उस व्यक्ति के प्रति किया जाने वाला व्यवहार, उचित रहा है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस समूह ने ही उस व्यक्ति को, उसके व्यवहार दृष्टिकोण या अयोग्यता के कारण, अस्वीकृत कर दिया है ? इसमें जाति, धर्म या ऐसी ही किसी अन्य बात से सम्बन्धित कोई कारण तो नहीं है ? अथवा वह सदस्य इन्हीं कारणों से स्वयं ही उस समूह को अस्वीकार तो नहीं कर रहा है ? क्या उस समूह के कार्यक्रम उस सदस्य की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की दृष्टि से अपर्याप्त हैं अथवा क्या उन कार्यक्रमों से उसकी आवश्यकता की पूर्ति असम्भव है ?

इस सम्बन्ध में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि उपर्युक्त प्रश्नों के सन्दर्भ में जो निष्कर्ष निकाले जायँ, वे किसी एक ही समूह की एक या दो घटनाओं या अनुभवों पर ही आधारित न हों । इस प्रकार के आकलन का आधार यह होना चाहिए कि अनुभव के विभिन्न क्षेत्रों में जब व्यक्ति या समूह के व्यवहार का स्वरूप लगातार एक-जैसा रहने वाला या अपेक्षाकृत कम परिवर्तनशील हो तो ऐसे व्यवहारों को देख कर कोई निष्कर्ष निकाला जाय । सभी उपलब्ध तथ्यों का सावधानी से आकलन कर लेने के बाद जब किसी मामले को अन्यत्र प्रेषित करने का निर्णय कर लिया जाता है तो उसके बाद तुरन्त यह निश्चय करना आवश्यक है कि उस मामले को किस अभिकरण के पास भेजना उचित होगा । उसके बाद ही प्रेषण की वह प्रक्रिया प्रारम्भ होती है जिसकी रूप-रेखा ऊपर प्रस्तुत की गयी है । जब वह मामला अन्यत्र भेज दिया जाता है तो उसके बाद वैयक्तिक सेवा-कार्य करने वाला वह अभिकरण, जिसके पास वह मामला प्रेषित हुआ है, निश्चय करता है कि प्रेषित मामलेमें कार्यार्थी को जिस सेवा की आवश्यकता है, उसका निश्चित रूप क्या होगा ? यही पद्धति उस समय भी अपनायी जाती है, जब वैयक्तिक सेवा-कार्य सम्बन्धी कोई मामला सामूहिक सेवा का कार्यक्रम चलाने वाले किसी अभिकरण के पास भेजा जाता है। उस स्थिति में सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता यह निश्चित करता है कि उस व्यक्ति के लिए, जिसका मामला उससे पास भेजा गया है, विभिन्न सामूहिक कार्यक्रमों में से कौन-सा कार्यक्रम सर्वाधिक उपयुक्त होगा ।

वैयक्तिक सेवा-कार्य और सामूहिक सेवा-कार्य, दोनों ही अपने-अपने ढंग से व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, किन्तु दोनों की अपनी-अपनी सीमाएँ भी है, जिन्हें वास्तविकता के आधार पर समझने का प्रयत्न करना चाहिए । किसी समस्या के

एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रेषण का कार्य ठीक उसी समय होना चाहिए,जब कि उससे कार्यार्थी के लाभ उठाने की अधिकतम सम्भावना हो । कभी-कभी प्रेषण का कार्य बहुत देर से होता है क्योंकि उसकी समस्या का निदान होने में ढिलाई हो जाती है या निदान उचित ढंग से नहीं हो पाता अथवा यह निश्चय करने में ही आगा-पीछा किया जाता है कि उस व्यक्ति को नवीन सेवा से लाभ होगा या नहीं । अतः इस वृत्तिक सेवा कार्य का यह एक अनिवार्य अंग माना जाता है कि आवश्यकता उपस्थित होने पर किसी कार्यार्थी के मामले को तुरन्त उपयुक्त अभिकरण के पास भेजने की व्यवस्था की जाय ।

जब सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता अपने समूह के किसी सदस्य का मामला किसी वैयक्तिक सेवा-अभिकरण के पास भेजता है तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे यह कि उस सदस्य की वैयक्तिक आवश्यकताएँ इतनी गम्भीर हैं और उनकी जड़ें उसके व्यक्तित्व में इतनी गहराई तक गयी हुई है कि समूह के कार्यों में भाग लेने में उसे तनिक भी सन्तोष नहीं मिलता अथवा उस सदस्य पर व्यक्तिगत रूप से जितना अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, उतना ध्यान देना समूह के वातावरण में सम्भव नहीं है या वह व्यक्ति समूह में सम्मिलित होने में तब तक एकदम असमर्थ बना रहता है, जब तक कि व्यक्तिशः सबसे पहले उसकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान नही हो जाता ।

वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता किसी व्यक्ति की समस्या को सामूहिक सेवा-कार्य करने वाले अभिकरण के पास इसलिए भेजता है कि उस व्यक्ति की समस्या का जो निदान किया गया है, सामूहिक कार्यक्रम मे उसके भाग लेने से उसकी पुष्टि हो सके या उस सम्बन्ध में और भी तथ्यों का पता लग सके । किसी व्यक्ति की समस्याओं का सही ज्ञान परामर्श-गोष्ठी के विचार-विमर्श से उतना नहीं हो सकता, जितना समूह में उसके साथियों के साथ उसे रख कर हो सकता है क्योंकि समूह में उसकी यथार्थ जीवन-विधि और साथियों के साथ उसके सम्बन्ध के आधार पर उसकी समस्याओं का ठीक-ठीक अध्ययन किया जा सकता है । समूह में वास्तविक जीवन के अनुभवों के लिए अधिक अवसर मिलता है । सामूहिक जीवन के अनुभवों से व्यक्ति को इस बात की सुविधा मिल सकती है कि वह अपने भीतर सुरक्षा की भावना का उचित विकास करे। यह सुविधा उसे अपने घर, विद्यालय या वैयक्तिक सेवा-कार्य के साक्षात्कार-कार्यालय में नहीं मिल सकती, जहाँ उसे समझदार और अनुभवी बुजुर्गों के सम्पर्क में रहना पड़ता है और जहाँ का वातावरण समूह के वातावरण से भिन्न होता है । समूह में उसे ऐसा वातावरण मिलता है, जिसमें वह अपनी उस प्रतिद्वन्द्विता की भावना को, जो परिवार में रहते समय वह अपने भाइयों और बहनों के प्रति रखता था, धीरे-धीरे अपने भीतर से निकाल देता है क्योंकि समूह में वह अन्य साथियं के समान कार्यकर्ता के साथ मिलने-जुलने या बातचीत करने में सहयोग करता है

ये केवल कुछ उदाहरण हैं, जिनके कारण किसी व्यक्ति की समस्या एक सेवा-पद्धति से दूसरी सेवा-पद्धति के अन्तर्गत प्रेषित की जाती है। इस तरह वैयक्तिक और सामूहिक सेवा-कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं और परस्पर एक दूसरे की सहायता का स्वागत करते हैं। व्यक्ति की विकास-प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में उनमें से किसी एक की अथवा दोनों की सहायता आवश्यक हुआ करती है।

सामूहिक कार्य-कौशल सम्बन्धी नयी माँगें

उन तथाकथित परम्परागत सामाजिक अभिकरणों के, जिनका विवेचन पहले किया जा चुका है, सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयत्न में सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता अपने पेशे से सम्बन्धित कौशलों का भी निरन्तर विकास करता आया है। किन्तु पिछले कुछ वर्षों से वृत्तिक प्रशिक्षण-प्राप्त सामूहिक सेवा-कार्यकर्ताओं के कौशल की इतनी अधिक पूछ होने लगी है और ऐसे कार्यकर्ताओं की माँग इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि सामाजिक कार्यविद्यालयों के लिए उतने कार्यकर्ताओं को शिक्षित कर पाना सम्भव नहीं है।

जिन क्षेत्रों में सामूहिक सेवा-कार्य का प्रारम्भ नया-नया हुआ है, उनमें से एक सेना-विभाग भी है। अभी हाल में सेना-विभाग की ओर से यह घोषणा की गयी थी कि जिस व्यक्ति ने सामाजिक कार्य-विषय में एम० ए० की उपाधि प्राप्त की है,वह भी सेना में कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। सेना-विभाग में वृत्तिक शिक्षा-प्राप्त जितने सामूहिक सेवा-कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई है, उनमें से अधिकांश को सैनिक अस्पतालों में कार्य करने का भार दिया गया है, साथ ही मनश्चिकित्सकीय संस्थाओं में उनकी नियुक्ति की ओर और भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। अवकाश के समय के कार्यक्रमों तथा लोक-कल्याण-सम्बन्धी कार्यक्रमों में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के कौशल का उपयोग अपेक्षाकृत सीमित मात्रा में होता है। वायु-सेना में भी सामाजिक कार्य-सम्बन्धी कौशलों का उपयोग अधिकाधिक होने लगता है। उसी तरह जल-सेना के स्वास्थ्य और कल्याण तथा अनुशासन-सम्बन्धी कार्यक्रमों में उनका उपयोग हो रहा है, किन्तु जल-सेना में अभी सामाजिक कार्य की शिक्षा की उपाधिप्राप्त व्यक्तियों को कमीशन्ड अफसर बनाने का विशेष नियम नहीं निर्धारित किया गया है।

एक अन्य क्षेत्र, जिसमें देश भर में सामूहिक कार्यों के कौशल के उपयोग के प्रति दिलचस्पी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, वृद्धों के लिए संचालित कार्यक्रमों का है। विभिन्न समुदायों में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के तत्त्वावधान में वृद्धों के लिए

अवकाश के समय के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उनमें से अनेक कार्यक्रम सामूहिक सेवा-कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं[१२]।

विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को अब यह अनुभव होने लगा है कि वे जो सामूहिक कार्य कर रही हैं, उनका क्या महत्त्व है। संस्था के वातावरण में काम करने वाला सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता केवल सामूहिक सेवा से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन ही नही करता, बल्कि समूह के कार्यों की गत्यात्मकता से सम्बन्धित अपने ज्ञान द्वारा महत्त्वपूर्ण योगदान भी करता है। संस्थागत जीवन सामूहिक जीवन होता है। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में अनेक प्रकार के समूह होते हैं, जैसे किसी संस्था में एक साथ रहने वालों का समूह, विद्यालय में एक साथ पढ़ने वालों का समूह, एक साथ काम करने वालो का समूह, अवकाश के समय का उपयोग करने वालों का समूह, मित्रों का समूह, समवयस्कों का समूह आदि। अब यह बात उत्तरोत्तर अधिक मान्य होती जा रही है कि वही संस्था अपने उद्देश्य मे अधिक सफलता प्राप्त कर सकती है, जो सामूहिक कार्य-सम्बन्धी कौशलों के सहारे इन सामूहिक सम्बन्धों का, जो किसी भी सस्था के संघटनात्मक स्वरूप के अनिवार्य अंग होते है,रचनात्मक उपयोग करती है। जिन संस्थाओं में सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता के कौशलों का उपयोग किया जाता है, उनमें से कुछ ये हैं—युवकों अथवा वयस्कों के लिए स्थापित दण्ड-संस्थाएँ, मानसिक दृष्टि से अभावग्रस्त और अवरोध-ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्थापित सस्थाएँ, वृद्धावास-गृह, पालन-गृह में भेजे जाने वाले व्यक्तियों को, उसके लिए तैयार करनेवाली संस्थाएँ अथवा उन लोगों के लिए स्थापित संस्थाएं जिन्हें पालन-गृहों में रखने की व्यवस्था नही हो पाती और चिकित्सोत्तर स्वास्थ्य-सुधार-गृह।

ज्यों-ज्यों यह बात अधिक स्पष्टता से समझ में आती जा रही है कि शारीरिक रोगों और व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है, त्यों-त्यों इन दोनों विषयों के क्षेत्र अधिक निकटता के सूत्र में आबद्ध होते जा रहे ह। सामूहिक सेवा-सम्बन्धी कार्य-क्रमों से व्यक्ति के खाली समय के रचनात्मक उपयोग का अवसर प्राप्त होता है, किन्तु सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता का योगदान इसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है; उसका कार्य यह भी है कि वह उपर्युक्त संस्थागत जीवन वाले उपर्युक्त समूहों के स्वरूप को अच्छी तरह समझे और संस्था में रहने वाले व्यक्तियों को इस बात के लिए तैयार करे कि वे संस्था की सेवाओं का रचनात्मक उपयोग कर सकें। संस्था का संघटनात्मक स्वरूप ही ऐसा होता है कि उसके अधिकांश नहीं तो अनेक नीति-सम्बन्धी निर्णय, नियम और कार्यक्रम उसके

(१२) देखिए, वृद्धों के लिए सामाजिक सेवाएँ शीर्षक तेरहवाँ अध्याय।

प्रशासकीय कर्मचारियों द्वारा निश्चित और कार्यान्वित किये जाते है । विभिन्न संस्थाओं में प्रशासकीय कर्मचारियों के अधिशासन की मात्रा और स्वरूप में भिन्नता होती है; उदाहरण के लिए, किसी पागलखाने में प्रशासकीय अधिकार की मात्रा सबसे अधिक होती है, किन्तु किसी छोटे बाल-आवास-गृह में अधिशासन का स्वरूप बहुत कुछ लोकतान्त्रिक होता है । विभिन्न संस्थाओं में सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता जिन वाद-विवाद-गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, उनकी कार्यवाही देखने से पता चलता है कि वहाँ रहने वाले व्यक्तियों के मन में अनेक प्रकार के भय और शंकाएँ होती हैं, वे संस्था के कार्यक्रमों को तथा उनकी कार्यपद्धतियों के मूल में निहित कारणों और उद्देश्यों को ठीक-ठीक समझ नही पाते हैं तथा उन्हें बहुत-सी शिकायतें भी होती हैं । यद्यपि सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता भी संस्था के कर्मचारी वर्ग का एक सदस्य होता है, किन्तु वह जो सामूहिक कार्यक्रम संचालित करता है, उसमें प्रशासकीय नियन्त्रण नहीं होता, इसी कारण समूह के सदस्य अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार सामूहिक कार्यक्रमों का स्वरूप निश्चित करने, योजनाएँ बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में पूरी तरह सहयोग करते है । इस तरह सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता संस्था के आवासियों के साथ जिस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करता है, वैसा संस्था के अन्य कर्मचारी नहीं कर सकते । इसी कारण यह सम्भव हो पाता है कि संस्था की वाद-विवाद-गोष्ठियों में स्वतन्त्रता का वातावरण होता है, जिसमें गोष्ठी के सदस्य अपने भय, शंका और शिकायतों के बारे में खुलकर बातें करते हैं, जिससे अनेक अज्ञात तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है, उनका स्पष्टीकरण होता है और प्रायः आवासी स्वयं रचनात्मक ढंग से उन समस्याओं को हल कर लेते हैं । यदि किसी चिकित्सा-सम्बन्धी कार्यविधि के बारे में कोई गलतफहमी होती है तो चिकित्सक को निमन्त्रित किया जाता है और उसके साथ विचार-विमर्श करके उस भ्रम का स्पष्टीकरण कर लिया जाता है । यदि भोजन आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायत होती है (जो प्रायः होती ही है) तो समूह के सदस्य आहार-विशेषज्ञ से परामर्श लेते या उसे समूह में आकर स्पष्टीकरण करने के लिए निमन्त्रित करते हैं । इस प्रकार कार्यकर्ता की सहायता से आवासियों का दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है, जो संस्था की समग्र सेवाओं के प्रति विधेयात्मक होता है और आवासी अपने को संस्था के कार्यक्रमों का अभिन्न अंग समझने लगते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे संस्था की सेवाओं के उपयोग द्वारा पूर्णतः लाभान्वित हो पाते हैं ।

यह बात चिकित्सा एवं मनश्चिकित्सा-सम्बन्धी संस्थाओं, चिकित्सोत्तर सुधार-गृहों तथा अन्य प्रकार की संस्थाओं का उदाहरण सामने रखकर कही गयी है । विभिन्न संस्थाओं में सामूहिक सेवा-सम्बन्धी कार्यविधियों का पारस्परिक अन्तर मुख्यतः इस विषय में होता है कि सामूहिक सेवा-सम्बन्धी कौशल और कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों

की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप हैं या नही। किसी चिकित्सा-संस्था में संचालित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है, अतः कार्यक्रमों में भाग लेने की उनकी शारीरिक क्षमता भी एक जैसी नहीं होती। उनमें से कुछ तो रोग-शय्या ग्रस्त होते हैं, कुछ अस्पताल की पहियेदार कुर्सी पर चलते हैं और कुछ बैशाखी के सहारे चलते हैं; कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो इच्छानुसार इधर-उधर चल-फिर सकते हैं। अतः ऐसी संस्था मे सामूहिक सेवा-सम्बन्धी कार्यक्रम शारीरिक दृष्टि से बाधा-ग्रस्त उन व्यक्तियों की अवस्था और आवश्यकता के अनुरूप होने चाहिए, जिनके हाथ या पाँव बेकार हो गये हैं अथवा जिन्हें दिल की बीमारी या मृगी रोग है या जो अपेण्डिसाइटिस के आपरेशन के बाद स्वास्थ्य-सुधार की स्थिति में है। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सामूहिक कार्य के उपयोग की मात्रा या स्वरूप में इस कारण भी अन्तर पड़ जाता है कि उन व्यक्तियों की देख-भाल-सम्बन्धी आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं; जिस व्यक्ति की चिकित्सा का अधिकांश कार्य अभी बाकी है, उसकी रुचियाँ और चिन्ताएँ भिन्न प्रकार की होती हैं। यदि वह चिकित्सकीय उपचार के बीच की स्थिति में है तो उसकी अभिरुचि उपचार के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के अनुरूप होगी। यदि कोई व्यक्ति चिकित्सोपरान्त स्वास्थ्य-सुधार की अवस्था में है और यह निश्चित है कि वह शीघ्र ही अपने परिवार तथा समुदाय में लौट जायगा तो उसे इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी कि वह अस्पताल के वातावरण की पराश्रयता की स्थिति से परिवार और समुदाय की अपेक्षाकृत अधिक आत्मनिर्भरता तथा परस्पर-निर्भरता की स्थिति में पुनः पहुँचने की तैयारी कर सके। मनश्चिकित्सकीय संस्था के वातावरण में इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है कि समूह के प्रत्येक व्यक्ति की उपचार-सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाया जाय। ऐसे व्यक्तियों के लिए उनके मानसिक रोग की मात्रा तथा वास्तविकता के स्तर पर व्यवहार करने की उनकी क्षमता के अनुसार सामूहिक कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है। इस तरह संस्थाओं के क्षेत्र में इस बात को उत्तरोत्तर अधिक महत्त्व दिया जा रहा है कि संस्था की समग्र सेवाओं की प्रभावात्मकता की दृष्टि से सामूहिक कार्यों द्वारा स्थापित होने वाले समूहगत सम्बन्धों का बहुत अधिक महत्त्व है। इस धारणा को और भी पुष्ट करने के लिए सामूहिक कार्य का अधिकाधिक योगदान अपेक्षित है, किन्तु किसी पूर्णतः सन्तुलित संस्था के लिए केवल सामूहिक कार्य के योगदान की ही नहीं, बल्कि अन्य बातों की भी आवश्यकता होती है[१३]।

(१३) इस सम्बन्ध में विशेष अध्ययन के लिए देखिए—गिसेला कोनोप्का—

शिविर-कार्यक्रम के क्षेत्र में भी बहुत दिनों से सामूहिक कार्य-सम्बन्धी कौशलों को महत्त्वपूर्ण मानकर इनका उपयोग होता आ रहा है। किन्तु पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसके कारण शिविर-कार्यक्रमों में सामूहिक कार्य-सम्बन्धी कौशलों के उपयोग का महत्त्व और भी बढ़ गया है। नियमित ढंग के शिविर-कार्यक्रमों में न केवल कार्य और प्रभावात्मकता की दृष्टि से निरन्तर सुधार होता आया है, बल्कि उनका क्षेत्र भी बहुत अधिक विस्तृत हुआ है। देश के कुछ भागों में, विद्यालयों में वर्ष में कुछ दिन के लिए शिविर-कार्यक्रम की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है और वहाँ एक निश्चित कक्षा तक के सभी लड़कों का एक या दो सप्ताह तक शिविर में रहना आवश्यक है। इसी तरह अंधों के लिए भी शिविरों की व्यवस्था की जाती है। जहाँ सम्भव हो पाता है, परिवारों के लिए भी शिविरों की व्यवस्था की जाती है और कहीं-कहीं केवल माताओं और बच्चों के लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है। पंगु बालकों को भी शिविर-जीवन का अनुभव प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है; उनको या तो सामान्य शिविरों में सीमित संख्या में अन्य लोगों के साथ रखा जाता है अथवा विशेष रूप से उन्हीं के लिए अलग से शिविरों की व्यवस्था की जाती है। इसी पद्धति का प्रयोग मानसिक दृष्टि से अवरोध-ग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी किया जा रहा है। एक नवीन प्रयोग वृद्ध व्यक्तियों, विशेषकर ६० या ६५ वर्ष से अधिक उम्रवाले वृद्धों, के लिए शिविरों का आयोजन करना भी है। संस्थागत वातावरण के समान शिविरों में भी सामूहिक कार्य-क्रम शिविरवासियों की शारीरिक और भावात्मक क्षमता के अनुरूप होने चाहिए। किन्तु कार्यक्रम सम्बन्धी-सिद्धान्त और कौशलों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह शिविर में रहनेवालों की आवश्यकताओं और विशेष माँगों को ठीक-ठीक समझ कर उनके अनुसार कार्यक्रम बनाने में पूर्णतः कुशल हो।

सामाजिक कार्य-सम्बन्धी कौशलों का मूल्य और महत्त्व कितना बढ़ता जा रहा है, यह इससे भी स्पष्ट है कि चर्चों द्वारा संचालित और चर्चों में केन्द्रित कार्यक्रमों में भी उनका उपयोग अधिक हो रहा है। कुछ चर्चों ने ऐसे कार्यक्रम-निदेशकों को अपने यहाँ नियुक्त करने की इच्छा व्यक्त की है, जिन्हें धार्मिक शिक्षा में तो प्रशिक्षण प्राप्त हो ही, साथ ही जो

थेराप्यूटिक ग्रुपवर्क विथ चिल्ड्रेन—मिनियापोलिस, यूनिवर्सिटी आफ मिनेसोटा प्रेस, १९४९। सुसान सुल्जे—(संपादन)—क्रियेटिव ग्रुप लिविंग इन ए चिल्ड्रेन्स इन्स्टीच्यूशन—न्यूयार्क, एसोशियेशन प्रेस, १९५१।

सामूहिक समाज-सेवाकार्य में भी प्रशिक्षित हों। चर्चों से सम्बन्धित उन समूहों द्वारा भी, जो धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं, अपने पाठ्यक्रमों में सामूहिक सेवा-कार्य सम्बन्धी पाठ्यक्रम सम्मिलित करने की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। यह प्रवृत्ति धार्मिक शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए चुने गये कर्मचारियों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में सामूहिक सेवा-कार्य की शिक्षा को सम्मिलित करने तक ही सीमित नही है, बल्कि उसका एक रूप यह भी है कि सामाजिक अभिकरणों और धार्मिक समूहों के बीच अधिकतम सहयोगपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो। इस महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति का प्रमाण शिकागो के 'जीविश सेण्टर फील्ड' के कार्यों से मिल सकता है, जहाँ शिकागो के यहूदी सामुदायिक केन्द्रों तथा यहूदी उपासना-गृहों के बीच सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने की व्यवस्था की गयी है। यहूदी उपासना-गृह-कार्यक्रमो का प्रारम्भ करते तथा उनके लिए आवश्यक सामग्री तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं और उन कार्यक्रमों को चलाने वाले प्रशिक्षित नेताओं की नियुक्ति यहूदी सामुदायिक केन्द्रों द्वारा की जाती है। अन्य सम्प्रदायों द्वारा भी देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के अवकाश के समय के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और अनेक सम्प्रदायो ने तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम शुरू करने के सम्बन्ध में भी अपनी दिलचस्पी दिखायी है। इसी तरह विभिन्न सामाजिक अभिकरणों और धार्मिक समूहों का पारस्परिक सम्बन्ध भी उत्तरोत्तर इसलिए बढ़ता जा रहा है कि वे कार्यार्थियों के मामले एक दूसरे के पास प्रेषित करते रहते हैं और इस प्रेषण-कार्य में अब पहले से अधिक प्रगति हो रही है।

जर्मनी जब तक मित्र-राष्ट्रों की विजयी सेनाओं के कब्जे में था, उस समय तक सामाजिक सेवा-कार्य में प्रशिक्षित कई कार्यकर्ता वहाँ इसलिए भेजे गये कि वे वहाँ जा कर युवक-समाज के नेताओं को लोकतान्त्रिक आधार पर नेतृत्व करने के लिए तत्सम्बन्धी सिद्धान्तों और पद्धतियों की शिक्षा दें और इस तरह लोकतान्त्रिक ढंग के नेता बनने के लिए उन्हे प्रशिक्षित करें। साथ ही जर्मनी से भी बहुत-से युवक नेता तीन महीने से लेकर एक वर्ष या कोई-कोई उससे अधिक अवधि तक के लिए उसी विषय का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इस देश में बुलाये गये। किन्तु इस तरह के प्रशिक्षण-सम्बन्धी कार्यक्रम विजित या अधिकृत देशों तक ही सीमित नहीं थे; फुलब्राइट-छात्रवृत्ति तथा अन्य छात्र-विनिमय-व्यवस्थाओं के माध्यम से इस देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं को यूरोप, दक्षिणी अमेरिका के देशों तथा कुछ सीमा तक संसार के अन्य देशों में भी इस विषय का अध्यापन करने अथवा संस्थाओं का संचालन करना सिखलाने के लिए भेजा जाता है और उसी तरह अन्य देशों के कार्यकर्ता या छात्र भी यहाँ इस विषय का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आते हैं। इस तरह संसार के विभिन्न देशों के बीच धीरे-धीरे, किन्तु निश्चित रूप से सामाजिक कार्य के

क्षेत्र में सहयोग का सम्बन्ध बढ़ता जा रहा है जिससे यह सम्भव हो गया है कि हम देख सकें कि सामाजिक कार्य के वे मूल सिद्धान्त क्या हैं जो सार्वभौम हैं और उसके कौन-से तत्त्व भिन्न-भिन्न देशों की स्थानीय या देशीय संस्कृति द्वारा निर्दिष्ट या उस पर आधारित हैं। हमारी यह प्रवृत्ति हो गयी है कि हम अपने कार्य के सार्वभौम आधारभूत तत्त्वों का आवश्यकता से अधिक प्राक्कलन करते तथा उसके मूल में लिखित अपने सांस्कृतिक तत्त्वों का आवश्यकता से कम प्राक्कलन करते हैं[१४]।

मिशिगन विश्वविद्यालय में स्थित 'सामूहिक गत्यात्मकता-अनुसन्धान-केन्द्र' और वेथेल (मेन) स्थित 'सामूहिक विकास-प्रयोगशाला' में[१५] होने वाली शोध-सम्बन्धी प्रगति के कारण सामूहिक समाज-सेवाकार्य और समूह की गत्यात्मकता से सम्बन्धित अनुसन्धान के परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। सन् १९५० के राष्ट्रीय सामाजिक कार्य-सम्मेलन में इस विषय को और अच्छी तरह समझने के लिए भूमिका के रूप में दो शोध-निबन्ध प्रस्तुत किये गये थे[१६]। जैसा कुमारी क्वायले ने उस समय कहा था, 'सामूहिक-गत्यात्मकता' शब्द का कभी-कभी गलत अर्थ में प्रयोग किया जाता और उसे एक व्यवहार-पद्धति मान लिया जाता है अर्थात् उसका अर्थ "समूह को गत्यात्मक बनाना" समझा जाता है, जब कि वस्तुतः उसका अर्थ इस धारणा से सम्बन्धित है कि "समूह की प्रक्रिया गत्यात्मक होती है और वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति द्वारा ही उस प्रक्रिया के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान हो सकता है[१७]।" जैसा कुमारी क्वायले ने कहा है, अनुसन्धान का कार्य "मानव व्यवहार के आधारभूत ज्ञान के वैज्ञानिक साधनों

(१४) सामूहिक सेवा की कार्य-पद्धति को प्रभावित करने वाले कुछ तथ्यों के सम्बन्ध में एलन एफ० क्लाइन ने अपनी पुस्तक 'सोसाइटी, डिमोक्रेसी एण्ड द ग्रूप" में बहुत अच्छा विवेचन प्रस्तुत किया है। प्रकाशक—ह्वाइट साइड, न्यूयार्क, १९५३।

(१५) यह संस्था 'राष्ट्रीय शिक्षा-संघ' तथा अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के सहयोग से, उनके संयुक्त तत्त्वावधान में, प्रारम्भ हुई थी।

(१६) ग्रेस एल० क्वायले—"ग्रूप डायनेमिक्स एण्ड द प्रैक्टिस आफ सोशल ग्रुप वर्क"—प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, सन् १९५०, पृष्ठ २६६–२७६। लियान फेस्टिंगर–"करेण्ट डेवलपमेण्ट्स इन ग्रूप डाइनेमिक्स" —प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क—सन् १९५०, पृष्ठ २५३–२६५।

(१७) वही, पृष्ठ २६७।

के उत्पादन" के साथ जुड़ा हुआ है[१८]। सामाजिक कार्यकर्ता मुख्यतः अपने पेशे की कार्य-पद्धति को सुधारने के बारे में सोचते हैं और वे मानव-व्यवहार के आधारभूत ज्ञान के सहारे अपना काम करते हैं। वे यह चिन्ता नही करते कि किस अनुशासन या नियम के अनुसार उन व्यवहारों का संचालन होता है। पर अनुसन्धान-कर्ता सामूहिक प्रक्रिया के किसी एक अंश को चुन लेते हैं और उसे उस प्रक्रिया के शेष भाग से विच्छिन्न करके बिलकुल भिन्न वस्तु के रूप में उसका परीक्षण करते हैं। किन्तु सामूहिक कार्य करने वाले कार्यकर्ता के कार्य का सम्बन्ध ऐसे व्यक्तियों से होता है जो किमी समग्र सामूहिक प्रक्रिया के अंग होते तथा परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया में लीन सामुदायिक शक्तियों के बीच कार्य करते हैं। अनुसन्धान-केन्द्र के कर्मचारियों का प्रशिक्षण मूलत. सामाजिक मनोवैज्ञानिकों और समाज-शास्त्रियों की तरह होता है। किन्तु सामूहिक समाजसेवा-कार्यकर्ता का प्रशिक्षण सामाजिक-कार्य के विषयों में होता है। इस तरह यद्यपि दोनों में ऐसा सहयोगपूर्ण सम्बन्ध होता है जिससे दोनों ही लाभान्वित होते है, पर वस्तुतः दोनों के कार्यक्रमों और पद्धतियों के लक्ष्य और प्रविधि में भिन्नता होती है; अतः दोनों का आकलन भिन्न-भिन्न कसौटियों पर होना चाहिए[१९]।

अन्य सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं की भाँति सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता भी अधिकाधिक इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक नृतत्व-शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों के क्षेत्र में होने वाले अनुसन्धान की प्रगति और उनकी उपलब्धियों का सामाजिक कार्य की विषय-वस्तु और कार्य-विधि के साथ समवाय-सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही इस विषय में भी अधिकाधिक जानकारी बढ़ती जा रही है कि ऊपर-ऊपर से देखने में यह कार्य जितना सरल मालूम पड़ता है, उतना सरल है नही; इसके विपरीत वह उससे कही अधिक कठिन और जटिल कार्य है। प्रत्येक शास्त्र ने अपने-अपने क्षेत्र में अपनी अलग शब्दावली और भाषा निर्मित कर ली है ताकि उसमें वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक पूर्णता और शुद्धता आ सके। किन्तु इससे एक बहुत बड़ी बाधा यह उत्पन्न हो गयी है कि प्रत्येक शास्त्र की पारिभाषिक

(१८) वही, पृष्ठ २६९।

(१९) 'सामूहिक गत्यात्मकता' के क्षेत्र में होने वाली नवीनतम प्रगति के विषय में विशेष विवरण की जानकारी के लिए देखिए—डारविन कार्टराइट और अलबिन ज़ैण्डर (सम्पादन)—ग्रूप डाइनेमिक्स—रिसर्च एण्ड थियरी—इवान्स्टन, रो, पीटर्सन एण्ड कम्पनी, १९५३।

भाषा अलग-अलग हो जाने से विभिन्न शास्त्रों की विचार-धाराओं और अनुसन्धान-सम्बन्धी उपलब्धियों को एक दूसरे के लिए समझना या जानना उत्तरोत्तर अधिक कठिन होता जा रहा है। फिर भी सम्भव है कि आगामी कुछ वर्षों में इस दिशा में कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण प्रगति हो कि इस बाधा का निराकरण हो जाय।

सहायक ग्रन्थ-सूची

पुस्तक और पुस्तिकाएँ

जेन ऐडन्स—फार्टी इयर्स ऐट हल हाउस—न्यूयार्क, द मैकमिलन कम्पनी, १९३५।

लूई एच० ब्लूमेन्थल—ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ग्रूप वर्क—न्यूयार्क एसोसियेशन प्रेस, १९४८।

डारविन कार्टराइट और अलविन जैण्डर (सम्पादित)—'ग्रुप डायनेमिक्स—रिसर्च एण्ड थियरी'—इवांस्टन, रो, पिटर्सन ऐण्ड कम्पनी—१९५३।

ग्रेस एल क्वायले—ग्रुप वर्क विथ अमेरिकन यूथ—न्यूयार्क, हार्पर एण्ड बदर्स, १९४८।

ग्रेस एल क्वायले—स्टडीज इन ग्रुप बिहैवियर—न्यूयार्क, हार्पर एण्ड ब्रदर्स, १९३७।

रूथ कनिंघम और सहयोगी—अन्डरस्टैण्डिग ग्रुप बिहैवियर आफ ब्वायज एण्ड गर्ल्स—न्यूयार्क—टीचर्स कालेज, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी, १९५१।

हेडले एस० डिमोक—रीडिसकवरिंग द एडोलसेण्ट—न्यूयार्क, एसोसियेशन प्रेस, १९३७।

हैरिसन इलियट—द प्रासेस आफ ग्रुप थिंकिग—न्यूयार्क, एसोसियेशन प्रेस, १९२८।

मैरी पार्कर फोलेट—क्रियेटिव एक्सपीरियेन्स—न्यूयार्क, लांगमैन्स ग्रीन एण्ड कम्पनी, १९२४।

फ्रेंक्लिन एस हेमैन—ग्रुप लीडरशिप एण्ड डेमोक्रेटिक एक्शन—बोस्टन, हाफ्टन, मिफ्लिन कम्पनी, १९५०।

चार्ल्स ई० हेन्ड्री (सम्पादन)—ए डिकेड आफ ग्रुपवर्क—न्यूयार्क, एसोसियेशन प्रेस, १९४८।

हेलेन हाल जेनिंग्स—लीडरशिप एण्ड आइसोलेशन (संशोधित संस्करण), न्यूयार्क, लांगमैन्स ग्रीन एण्ड कम्पनी १९५०।

एलन एफ० क्लाइन—सोसायटी, डेमोक्रेसी, एण्ड द ग्रुप—न्यूयार्क, ह्वाइट साइड, इंक, १९५३।

गिसेला कोनोप्का—थेराप्यूटिक ग्रुपवर्क विथ चिल्ड्रेन—मिनियापोलिस, यूनिवर्सिटी आफ मिनिसोटा प्रेस, १९४९।

सिडनी जे० लिण्डेनबर्ग––सुपरविजन इन स्पेशल ग्रुप वर्क––न्यूयार्क, एसोसियेशन प्रेस, १९३९ ।

हेरोल्ड डि मेयर और चार्ल्स के० ब्राइटबिल––कम्युनिटी रिक्रियेशन––बोस्टन, डी० सी० हीथ एण्ड कम्पनी, १९४८ ।

———स्टेट रिक्रियेशन : आर्गेनाइजेशन एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन––न्यूयार्क, ए० एस० बार्नेस एण्ड कम्पनी, १९५० ।

लोरेनी एम० पेसी (सम्पादन)––रीडिंग्स इन द डेवलपमेण्ट आफ सेटलमेण्ट वर्क––न्यूयार्क, एसोसियेशन प्रेस, १९५० ।

जी० आट रोम्नी––आफ द जाब लीविंग––ए मार्डन कन्सेप्ट आफ रिक्रियेशन––न्यूयार्क, ए० एस० बार्नेस एण्ड कम्पनी, १९४५ ।

सुसान सुल्जे––क्रियेटिव ग्रुप लीविग इन ए चिल्ड्रेन्स इन्स्टीच्यूशन––न्यूयार्क, एसोसियेशन प्रेस, १९५१ ।

मेरी के० सिम्कोविच––नेबरहुड––माई स्टोरी आफ ग्रीनविच हाउस––न्यूयार्क, डब्लू० डब्लू० नार्टन एण्ड कम्पनी, १९३८ ।

एस० आर० स्लेब्सन––ऐन इन्ट्रोडक्शन टु ग्रुप थिरैपी––न्यूयार्क, कामनवेल्थ फण्ड, १९४३ ।

———रिक्रियेशन एण्ड द टोटल परसनालिटी––न्यूयार्क, एसोसियेशन प्रेस, १९४६

डोरथिया एफ० सुलिवान (सम्पादन), ––द प्रैक्टिस आफ ग्रुप वर्क––न्यूयार्क, एसोसियेशन प्रेस, १९४१ ।

———रीडिंग्स इन ग्रुप वर्क––न्यूयार्क, एसोसियेशन प्रेस, १९५२ ।

ग्राहम टेलर––शिकागो कामन्स थ्रू फार्टी ईयर्स––शिकागो, कामन्स एसोसियेशन, १९३६ ।

आडरे ट्रेकर और बी० हारलेई––हाउ टु वर्क विथ ग्रुप्स––न्यूयार्क, द वोमेन्स प्रेस, १९५२ ।

हारलोई बी० ट्रेकर––सोशल ग्रुप वर्क––प्रिंसपुल एण्ड प्रैक्टिस––न्यूयार्क, द वोमेन्स प्रेस, १९४८ ।

लिलियन डि० वाल्ड––विन्डोज आन हेनरी स्ट्रीट––बोस्टन, लिटिल, ब्राउन एण्ड कम्पनी, १९३० ।

गेरट्रूड विल्सन––ग्रुप वर्क एण्ड केसवर्क––न्यूयार्क, फेमिली वेल्फेयर एसोसियेशन आफ अमेरिका, १९४१ ।

———और ग्लैडिस रिलैण्ड—सोशल ग्रुप वर्ग प्रैक्टिस—बोस्टन, हाफ्टन मिफ्लिन कम्पनी, १९४९ ।

रुडोल्फ एम० विटेनबर्ग—द आर्ट आफ ग्रुप डिसिप्लिन—न्यूयार्क, एसोसियेशन प्रेस, १९५१ ।

———सो यू वान्ट टु हेल्प पीपुल—न्यूयार्क, एसोसियेशन प्रेस, १९४७ ।

राबर्ट ए० वुड्स और एल्बर्ट जे० केनेडी—द सेटलमेण्ट होराइजन—न्यूयार्क, रुसेल सेज फाउण्डेशन, १९२२ ।

महत्त्वपूर्ण निबन्ध

अमेरिकन एसोसियेशन आफ ग्रुप वर्कर्स—"डिफिनिशन आफ द फाउण्डेशन आफ द ग्रुप वर्कर"—द ग्रुप, जिल्द ११, मई १९४९, पृ० ११ – १२ ।

लेलैण्ड पी० ब्रेडफोर्ड और जे आर जान आर० पी० फ्रेन्च—"द डायनेमिक्स आफ द डिसकशन ग्रुप"—जर्नल आफ सोशल ईशूज, जिल्द ४, वसन्त १९४८, पूरा ।

ग्रेस एल० क्वायली—"सोशल ग्रुप वर्क"—सोशल वर्क ईयर बुक, न्यूयार्क, अमेरिकन एसोसियेशन आफ सोशल वर्कर्स, १९५४, पृष्ठ ४८० – ४८६ ।

डोनाल्ड बी० डायर—"द रोल एण्ड रेस्पासिबिलिटी आफ पब्लिक एजेन्सी इन बिल्डिंग ए टोटल कम्युनिटी प्रोग्राम"—सेलेक्टेड पेपर्स इन ग्रुप वर्क एण्ड कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन, रैले, हेल्थ पब्लिकेशन्स इन्स्टीच्यूट, १९५२, पृष्ठ २५ – २७ ।

एल० के० हाल—"ग्रुप वर्कर्स एण्ड प्रोफेशनल इथिक्स"—द ग्रुप, जिल्द १५, अक्तूबर १९५२, पृष्ठ ३–८ ।

क्लारा ए० कैसर—"ग्रुप वर्क एजुकेशन इन द लास्ट डिकेड"—द ग्रुप, जिल्द १५, जून १९५३, पृष्ठ ३–१०, २७–२९

एलन एफ क्लाइन—"द इफेक्ट आफ कल्चरल वैरिएबुल्स आन ग्रुप वर्क प्रैक्टिस" —द ग्रुप, जिल्द १५, फरवरी—१९५३, पृ० १३–१४, २३–२६ ।

गिसेला कोनोप्का—रेजिस्टेन्स एण्ड हास्टिलिटी इन ग्रुप मेम्बर्स"—द ग्रुप, जिल्द १६, अक्तूबर १९५३, पृष्ठ ३–१० ।

रोनाल्ड लिप्पिट—"एप्लाइंग न्यू नालेज एबाउट ग्रुप बिहैवियर"—सेलेक्टेड पेपर्स इन ग्रुप वर्क एण्ड कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन; रैले हेल्थ पब्लिकेशन इन्स्टीच्यूट, १९५१, पृष्ठ ७–१७ ।

एम० डी० अलेक्जेन्डर आर० मार्टिन—"युटिलाइजिंग न्यू नालेज एबाउट इन्डिवुजुअल बिहैवियर इन वर्क विथ ग्रुप्स इन द लेजर टाइम सेटिंग"—सेलेक्टेड पेपर्स

इन ग्रुप वर्क एण्ड कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन; रैले, हेल्थ पब्लिकेशन्स इन्स्टीच्यूट, १९५१, पृष्ठ १८–३१ ।

मैरी ई० पेनाक और ग्रेस वेकर––"सम डेवलपमेण्ट्स इन दि इटीगरेशन आफ केसवर्क एण्ड ग्रुप वर्क इन ए चाइल्ड्स गाइडेन्स क्लिनिक"––द ग्रुप, जिल्द १५, दिसम्बर १९५२, पृष्ठ २–१०, २२ ।

नार्मन ए० पोलन्स्की––"आन द डायनेमिक्स आफ बिहैवियरल कान्टोजियन"––द ग्रुप, जिल्द, १४, अप्रैल १९५२, पृ० ३–८, २१–२५ ।

रोजमेरी रेनाल्ड्स––"सर्विसेज टु इन्डिविजुअल्स विदिन ए ग्रुप वर्क सेटिंग"––सेलेक्टेड पेपर्स इन ग्रुप वर्क एण्ड कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन; रैले, हेल्थ पब्लिकेशन्स इन्स्टीच्यूट, १९५१, पृष्ठ ३२–४२ ।

हालिस विक––"द रोल एण्ड रेस्पासिबिलिटी आफ वालण्टरी एजेन्सीज इन बिल्डिग ए टोटल रिक्रियेशन प्रोग्राम"––सेलेक्टेड पेपर्स इन ग्रुप वर्क एण्ड कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन; रैले, हेल्थ पब्लिकेशन्स इन्स्टीच्यूट, १९५२, पृष्ठ २८–३२ ।

––:०:––

मिडटाउन ब्वायज क्लब[1]

बेटी हार्पनैर
क्षेत्र-प्रशिक्षक
यंगमेन्स एण्ड वीमेन्स हिब्रू एसोसियेशन
पिट्सबर्ग पेन्सिलवानिया ।

पिछले अध्याय में विशेष बल के साथ यह बात कही जा चुकी है कि हमारा समाज विभिन्न समूहों से बना हुआ है और व्यक्तियों को स्वेच्छापूर्वक अथवा परिस्थितियों के वश में होकर इन्हीं समूहों में रहना पड़ता है । सामूहिक जीवन की प्रथम भूमिका परिवार में तैयार होती है । इसके बाद बालक का सम्बन्ध व्यापक बनने लगता है और परिवार

(१) यहाँ मिडटाउन ब्वायज क्लब के अभिलेखों का उपयोग, यंग मेन्स एण्ड वीमेन्स हेब्रू एसोशियेशन, पिट्सबर्ग, पेन्सिलानिया की अनुमति से, किया जा रहा है । इसमें सभी वास्तविक नाम बदल दिये गये हैं और इसमें व्याख्यात्मक अंश लेखक के निजी विचारों पर आधारित हैं ।

के बाहर विद्यालय के अध्यापकों और अपने सहपाठियों से उसका सम्पर्क और सम्बन्ध स्थापित होता है। विद्यालयीय जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में ही बालक में सम्बन्ध-भावना विकसित होकर महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेती है जिसकी अभिव्यक्ति कक्षा में अध्ययन के अतिरिक्त अवकाश के समय अनौपचारिक कक्षाओं की व्यवस्था, विचार-गोष्ठियों या समूहों के संघटन और सामाजिक क्लबों के रूप में होती है।

चूँकि व्यक्ति शैशवावस्था से ही किसी-न-किसी समूह का सदस्य होता है, अतः उसे इस बात का कभी अनुभव ही नहीं होता कि समाज में प्रभावात्मक ढंग से काम करने या खेलने की कला उसे नैसर्गिक रूप में नही प्राप्त हुई है। हम अपने विविध प्रकार के जीवनानुभवों से यह सीखते हैं कि समूह के सदस्य के रूप में किस प्रकार कार्य करना चाहिए और हम में इस सामूहिक जीवन में भाग लेने की जितनी क्षमता होती है उसी के अनुसार आजीवन समाज के विभिन्न दिशा-निर्देशक-समूहों के सदस्य के रूप में हमारे जीवन की सफलता या असफलता भी निश्चित होती है; चाहे वे समूह धार्मिक हों या राजनीतिक अथवा सामाजिक।

समूह के एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में प्रशिक्षित होने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यहाँ निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे है। इन तथ्यों से इस बात पर भी प्रकाश पड़ता है कि सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता समूह और उसके सदस्यों को सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने में किस-प्रकार सहायता देता है और उसके इस कार्य से उपर्युक्त प्रक्रिया किस रूप में प्रभावित होती है। आगे जो उदाहरण दिये जा रहे हैं वे एक समूह के अभिलेख से लिये गये हैं। यह अभिलेख उस समूह में कार्य करने वाले सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता ने आवश्यक सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया था ताकि जब आवश्यकता हो वह उनका उपयोग करे और उनके आधार पर अपने ज्ञान और समझ को विकसित करते हुए आगे की योजनाएं निर्मित कर सके।

"वाई" नामक स्थान जहाँ मिड टाउन ब्यायज क्लब की स्थापना हुई थी नगर के 'नागरिक-केन्द्र' में स्थित है। इस क्षेत्र में जो सांस्कृतिक कार्य होते हैं उनसे आस-पास के मुहल्लों के निवासी लाभ उठाते है। फलस्वरूप यहाँ जो लोग रहते हैं वे प्रायः कुछ समय के लिए ही यहाँ आते है, किन्तु इस मुहल्ले में बहुत-से लोग अपने स्थायी निवास-गृहों में भी रहा करते है।

मिड टाउन ब्वायज क्लब की स्थापना का कारण यह था कि "वाई" में पहले से एक और भी क्लब वर्तमान था। अतः यह आवश्यक है कि हम पहले उस पुराने क्लब के बारे में, जिसका नाम मिड टाउन टीन्स था, कुछ विचार कर लें। जिस वर्ष की बातों की यहाँ चर्चा की जा रही है उसके अन्तिम दिनों में 'मिड टाउन टीन्स' क्लब की एक बैठक

"वाई" में हुई, जैसा पिछले ६ वर्षों से बराबर होती आ रही थी। इस क्लब के सदस्यों ने, जो सभी किशोरावस्था को पार कर रहे थे, इस बैठक में अपने कार्यक्रमों की योजना बनाना शुरू किया जैसा वे प्रतिवर्ष किया करते थे। विचार-विमर्श के सिलसिले में यह बात स्पष्ट हुई कि शहर के मध्य में जिस प्रकार के महत्त्वपूर्ण क्लब की आवश्यकता है यह क्लब वैसा नहीं है क्योंकि इसमें उस प्रकार की प्रेरणा-शक्ति का अभाव है। इनमें से अधिकांश सदस्य कालेज में अध्ययन के लिए प्रविष्ट हो चुके थे और व्यावहारिक जगत् में कदम रख चुके थे। उनके क्लब के परामर्शदाता ने उन्हें सुझाया कि अब वे बड़े हो गये हैं और उनके सामूहिक जीवन पर उनकी अवस्था का प्रभाव पड़ रहा है। सदस्यों ने यह निश्चय किया कि इस समस्या का समाधान यह हो सकता है कि उनके मिड टाउन टीन्स क्लब मे अन्य कम उम्र वाले बालकों को भर्त्ती किया जाय जो उनके क्लब छोड़ देने पर उनका स्थान ले सकें। उन्होंने ऐसा निश्चय तो किया, किन्तु कार्यकर्ता की सहायता से वे शीघ्र ही यह अनुभव करने लगे कि क्लब से बाहर के कामों में उनका इतना अधिक समय लग जाता है कि क्लब की बैठकों में वे उपस्थित नहीं हो पाते और फलस्वरूप बैठकों में कोरम भी पूरा नही हो पाता। अतः कार्यकर्ता के सुझाव पर क्लब की आपातिक बैठक बुलायी गयी और क्लब को भंग कर दिया गया।

जिस समय मिड टाउन क्लब को भंग किया गया उसके पहले तक उसमें बहुत-से कम उम्र वाले लड़के भी आया करते थे। जब कार्यकर्ता ने उन कम उम्र वाले बालको से पूछा कि क्या वे कोई नया क्लब बनाना पसन्द करेंगे, तो उनमें से केवल दो सबसे कम उम्र वाले लड़के इसके लिए तैयार हुए। उनमें से एक का नाम स्टीव और दूसरे का बेन था। नये क्लब की पहली बैठक में ये दोनों लड़के अपने साथ पाँच और लड़कों को ले आये। यही सात लड़के उस क्लब के, जिसका नाम मिड टाउन ब्वायज क्लब रखा गया, प्रथम वर्ष के पहले सदस्य हुए।

ये सभी लड़के १३ या १४ वर्ष की उम्र के थे। इनमे से आर्नल्ड, जैक, सौल, और लॉरी आठवीं कक्षा में पढ़ते थे तथा शेष बालक स्थानीय हाई-स्कूल के विद्यार्थी थे। बेन के अतिरिक्त अन्य सभी लड़के व्यायाम और खेल-कूद में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। बेन स्थूल और सुस्त बालक था जो साफ-सुथरा रहने की कोशिश तो करता था, किन्तु इसमें उसे सफलता नही मिल पाती थी। वह चश्मा लगाता था और उसमें समन्वय बुद्धि की कमी थी। स्टीव औसत ऊँचाई और सूरत-शक्ल का लड़का था। आर्नल्ड लम्बा और दुबला था। उसकी चाल-ढाल पूर्णतः व्यवस्थित थी। वह अन्य लड़कों से अधिक उम्र का दिखलाई पड़ता था। लारी बहुत नाटे कद का, मुश्किल से ५ फुट लम्बा था। सौला की सूरत-शक्ल बहुत अच्छी थी और देखने में वह बहुत सुन्दर मालूम पड़ता था।

जैक बहुत दुबला-पतला था। हावर्ड गोल-मटोल दिखलाई पड़ता था। उसमें किसी प्रकार की भी अनावश्यक गति नही मालूम पड़ती थी ।

ये सातों लड़के चौक के पास-पड़ोस में ही रहते थे। यही स्थिति पूर्ववर्ती क्लब के सदस्यों की भी थी। इन लड़कों की उम्र इतनी अधिक नहीं थी कि उनकी संस्था नेशनल टीन्स आर्गेनाइजेशन नामक सार्वदेशिक संस्था से सम्बद्ध हो पाती। इसी कारण उन्हें क्लब के पूर्ववर्ती नाम में से "टीन्स" शब्द हटा देना पड़ा और उन्होंने अपने क्लब का नाम 'मिड टाउन ब्वायज क्लब' स्वीकार किया, फिर भी उनका एक उद्देश्य यह अवश्य था कि अगले वर्ष तक जब कि वे सभी १४ वर्ष की अपेक्षित उम्र के हो जायेंगे तो उनका क्लब उपर्युक्त नेशनल टीन्स आर्गेनाइजेशन का सदस्य मान लिया जायेगा।

पहली बैठक में बालकों ने यह उत्सुकता अवश्य दिखलायी थी कि वे नये क्लब की स्थापना करना चाहते हैं, किन्तु इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए उन्हें कार्यकर्ता की सहायता की आवश्यकता थी।

"१६ नवम्बर—इसके बाद मैंने उन लड़कों को यह सुझाव दिया कि वे इस बैठक के लिए किसी बालक को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लें। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि जो नया अधिकारी अर्थात् अध्यक्ष चुना जायेगा, उसकी सहायता मैं बैठक की कार्यवाही के संचालन में करूँगा। मैंने उनसे कहा कि इससे उन्हें इस बात का अभ्यास होगा कि वे अपनी बैठकों का काम स्वयं कैसे चलायें। गुप्त मतदान द्वारा चुनाव हुआ और हर बालक ने अपना मत-पत्र मत-दान-पेटिका में डाला। लॉरी ने यह सुझाव दिया कि हर बार इस तरह चुनाव करने की आवश्यकता नही है। इससे अच्छा यह हो कि सदस्य किसी को अध्यक्ष मनोनीत कर दें.....आर्नल्ड अध्यक्ष-पद के चुनाव में विजयी हुआ, उसे पाँच मत और उसके विरोधी को दो मत प्राप्त हुए।"

जब इस नये क्लब की स्थापना की दिशा में कार्यारम्भ हुआ तो कार्यवाही सम्बन्धी पहली क्रिया—अध्यक्ष का चुनाव—में ही यह स्पष्ट हो गया कि उन लड़कों को अलग-अलग व्यक्ति के रूप में नहीं. बल्कि एक साथ मिल कर काम करने की आवश्यकता थी। उसके बाद जब वे यह विचार करने लगे कि उनके क्लब का स्वरूप क्या हो, तो उन्होंने यह अनुभव किया कि उन्हें कई अन्य निर्णय करने की भी आवश्यकता होगी। उस बैठक में कुछ निर्णयात्मक प्रस्ताव स्टीव के, जो पूर्ववर्ती क्लब की बैठकों में उपस्थित रह कर इस विषय में "अनुभव" प्राप्त कर चुका था, सुझाव पर स्वीकृत किये गये और कुछ निर्णय सभी सदस्यों ने मिल कर किये। क्लब का शुल्क या देय निर्धारित किया गया, नये सदस्य स्वीकृत करने के लिए मतदान की पद्धति निश्चित की गयी और क्लब के हित की दृष्टि से कार्यकर्ता ने यह बताया कि इसके पूर्व मिड टाउन टीन्स क्लब की बैठकों में कैसे क्या

होता था। इस समूह ने यह निश्चित किया कि क्लब का उद्घाटन-उत्सव बाइबिल-पाठ के रूप में मनाया जाय और समाप्ति-समारोह "गुड एण्ड वेलफेयर" के गायन के रूप में सम्पन्न हो।

वे सातों लड़के एक ही पास-पड़ोस में रहते थे और नागरिक-केन्द्र के बाहर भी परस्पर मिला करते थे। पर इस क्लब में उपस्थित होने पर उन्हें जितना सन्तोष मिलता था, उतना अपने वैयक्तिक सम्बन्धों से नही प्राप्त होता था। वे आशा करते थे कि इस समूह के माध्यम से वे 'कुछ कर सकेंगे' और साथ ही उनका नाम भी होगा।

पहली बैठक में आद्यन्त क्लब के सदस्य इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि क्लब के स्वरूप की रूप-रेखा निश्चित कर दी जाय, पर उनमें संघटनात्मक अनुभव की कमी थी, जिससे उन्हें हर बात के लिए कार्यकर्ता की सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। वे चाहते थे कि उनका क्लब भी पूर्ववर्ती क्लब जैसा हो, पर साथ ही उससे भिन्न भी हो और उसका संघटनात्मक स्वरूप अपना निजी हो।

क्लब की दूसरी बैठक में उन्होंने इस विषय पर विचार किया कि उनके क्लब के कार्यक्रम क्या हों। इस बैठक की जिन बातों की ओर कार्यकर्ता का ध्यान आकर्षित हुआ, वे ये है—

"२६ नवम्बर—(उपस्थिति—सभी सदस्य)—चुनाव-कार्य समाप्त हो जाने के बाद मैंने समूह के सदस्यों से कहा कि बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व वे गेंद फेंकने की क्रीड़ा के लिए एक दल अथवा तैराकी दल बनाने की जो चर्चा कर रहे थे, इस समय उस सम्बन्ध में विचार-विनिमय किया जा सकता है। इस पर बेन ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि इसके लिए धन कहाँ से आयेगा। उसने यह भी सुझाव दिया कि चाहे जो भी दल प्रारम्भ किया जाय, उसका काम शुक्रवार और शनिवार की रात में बन्द रहना चाहिए। हावर्ड के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों ने समझ लिया कि बेन के ऐसा प्रस्ताव रखने का कारण यह था कि उसके परिवारवाले पुराने खयाल के और कट्टर धार्मिक थे, यद्यपि किसी ने खुल कर यह बात नहीं कही। आर्नल्ड ने यह राय प्रकट की कि एक तैराकी दल का संघटन समूह के हित में सबसे अच्छा होगा। पूरे समूह ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। बेन बराबर यह कहता रहा कि वह तैरना नहीं जानता, पर उसके विरोध को यह कह कर दबा दिया गया कि यदि वह तैरना नही जानता तो वह उथले पानी में रहेगा, जब कि और लोग गहरे पानी में तैरते रहेंगे। इसके बाद आर्नल्ड और सौल ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि तैराकी दल में लड़कियों को सम्मिलित किया जाय। अन्य लड़कों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, इस पर बेन ने फिर कहा कि वह तैर नहीं सकता। आर्नल्ड और सौल बाद में भी यह कहते रहे कि दल में लड़के-लड़कियाँ दोनों रहें, पर समूह ने उनकी बात

अस्वीकृत कर दी । जब समूह के सदस्य कमरे से चलने लगे तो सौल ने कहा कि वह और आर्नल्ड अपने साथ सात लड़कियों को दल में ले आयेंगे ताकि यदि अन्य लड़के एक भी लड़की न ला सकें तो भी सातों लड़कों के लिए सात लड़कियाँ हो जायेंगी ।"

इसके बाद क्लब की जो बैठक हुई, उसमें तैराकी दल के सम्बन्ध में थोड़ी देर तक विचार-विमर्श होने के बाद कार्यकर्ता और आर्नल्ड तैरने के लिए निर्मित स्नान-कुण्ड तक गये, ताकि वहाँ तैराकी दल के लिए समुचित व्यवस्था की जा सके । पर वहाँ व्यायाम-निदेशक से उनकी मुलाकात न हो सकी, अतः कार्यकर्ता ने वादा किया कि वह उसी सप्ताह किसी दिन व्यायाम निदेशक से मिल कर बातें कर लेगा । अगली बैठक में आर्नल्ड ने, जो तैराकी दल की व्यवस्था के कार्य से सम्बद्ध था, कार्यकर्ता से पूछा कि व्यायाम-निदेशक से उसकी क्या बातें हुई ।

"११ दिसम्बर---(उपस्थिति–सभी सदस्य)---इसके बाद आर्नल्ड ने मुझसे पूछा कि तैराकी दल की व्यवस्था के बारे में क्या हुआ । मैंने बताया कि व्यायाम निदेशक ने मुझसे कहा है कि पहले क्लब के एक या दो सदस्यों को स्नान-कुण्ड पर नियुक्त जीवन अभिरक्षक से मिल कर तैराकी के सम्बन्ध में योजना बनानी पड़ेगी । सदस्यों ने हावर्ड पर, जिसे पहले खेल-कूद सम्बन्धी कार्यक्रम की योजना बनाने का कार्य सौंपा गया था, इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी, किन्तु अन्य कोई सदस्य उसके काम में हाथ बँटाने को तैयार नहीं हुआ । उसी समय आर्नल्ड ने फिर यह प्रश्न उठाया कि तैराकी दल में लड़कियों को भी सम्मिलित किया जाय । लॉरी ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि क्लब इस प्रश्न पर पहले ही अपना निर्णय दे चुका है । किन्तु आर्नल्ड अपनी बात कहता ही गया । इस पर मैंने बीच में टोकते हुए उन्हें सुझाव दिया कि क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए यह आवश्यक है कि समूह का प्रत्येक व्यक्ति समूह के निर्णयों को माने और उनके अनुसार कार्य करे ।·····इस पर बातचीत का रुख फिर नये सिरे से इस प्रश्न की ओर मुड़ गया कि "क्या हम चाहते हैं कि तैराकी दल बने ?" सभा का रुख यह प्रतीत हो रहा था कि तैराकी दल अवश्य बनना चाहिए; इसी से किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया । किन्तु जो लड़के यह चाहते थे कि तैराकी दल में लड़कियाँ रहें, वे इस प्रस्ताव पर बहुत उत्साह नही दिखा रहे थे । लड़कों ने तैराकी दल की योजना पर विचार करना जारी रखा ।"

इस अभिलेख से यह स्पष्ट है कि क्लब के लड़कों ने अपने सर्वप्रथम कार्यक्रम के लिए उत्साहपूर्वक योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था, पर वे किसी ऐसे निश्चित सामूहिक निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहे थे जो सभी सदस्यों के लिए समान रूप से रुचिकर हो । फलस्वरूप योजना-निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक सदस्य यही चाहता था कि तैराकी

दल का निर्माण उसी के इच्छानुसार हो। जब कार्यकर्ता ने सहायता करने की दृष्टि से उन्हें यह सुझाया कि प्रत्येक सदस्य को समूह के बहुमत द्वारा स्वीकृत निर्णय का आदर करना चाहिए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या रुचि का त्याग करना चाहिए तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी इस बात से सदस्यों का उत्साह कुछ क्षीण हो गया।

जैसा पहले कहा जा चुका है, बालकों के किसी समूह का एक साथ इकट्ठा होकर एक क्लब के रूप में काम करने लगना आसान काम नही है, भले उन लड़कों में पहले से ही परस्पर मैत्री-सम्बन्ध हो। आर्नल्ड और सौल बालक-बालिकाओं का सम्मिलित तैराकी दल बनाने के पक्ष में थे और समूह के अन्य सदस्यों की इस राय से सहमत नहीं थे कि पहले उन्हें बालकों का सामूहिक कार्यक्रम ही प्रारम्भ करना चाहिए। उनकी इच्छा यह थी कि क्लब उसी प्रकार कार्य करे, जैसा वे व्यक्तिगत रूप से चाहते थे, चाहे अन्य सदस्यों की उनसे भिन्न राय ही क्यों न हो। दूसरी ओर बेन न तो लड़कियों को तैराकीदल में शामिल करने के पक्ष में था और न स्वयं तैरना ही जानता था। अतः वह दूसरी ही दिशा में जोर मार रहा था।

कार्यकर्ता का ध्यान जब इस ओर गया होगा तो यह प्रश्न उसके मन में अवश्य उठा होगा कि वह इन लड़कों की किस तरह सहायता करे कि वे एक ऐसे सुसंघटित दल का निर्माण कर सकें, जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। बाद की घटनाओं से स्पष्ट हो गया कि तैराकी दल की योजना में उनकी अधिक दिलचस्पी नहीं थी। इस तरह उस योजना के प्रति दिलचस्पी कम हो जाने से उनकी शक्ति का उपयोग अन्य दिशा में होना शुरू हो गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह समूह अब एक गेंद फेंकने की क्रीड़ा से सम्बन्धित दल बनाने के पक्ष में हो जायेगा।

"११ दिसम्बर —(पूर्ववर्ती अभिलेख का शेषांश)—आर्नल्ड ने फिर यह प्रस्ताव रखा कि समूह की ओर से गेंद फेंकने की क्रीड़ा से सम्बन्धित एक दल का संघटन किया जाय। अन्य लड़कों की राय थी कि गेंद फेंकने वाला खेल हर शुक्रवार को संध्या समय आयोजित किया जाय, पर बेन ने याद दिलाया कि वह किसी भी शुक्रवार की शाम के आयोजन में नहीं सम्मिलित हो सकेगा। किन्तु हावर्ड उसके बाद भी इस बात पर जोर दिये जा रहा था कि गेंद की क्रीड़ा का आयोजन शुक्रवार की शाम को ही होना चाहिए। वह इस बात को नही समझ पा रहा था कि बेन धार्मिक विश्वासों के कारण शुक्रवार की शाम के किसी आयोजन में भाग नहीं ले सकता। अतः इस समय मैंने फिर उनकी बहस में दखल देना उचित समझा और उन्हें समझाया कि बेन एक कट्टर धार्मिक परिवार का लड़का है, अतः क्लब के किसी भी ऐसे समारोह में भाग नहीं ले पायेगा, जो किसी धार्मिक पर्व या अवकाश के दिन आयोजित होगा। मैंने उन्हें यह भी बताया कि चूंकि

इस क्लब का संघटन यहूदी धर्म के आदर्शों के अनुसार किया जा रहा है, अतः अच्छा यही होगा कि क्लब के कार्यक्रम निर्धारित करते समय यहूदी धार्मिक पर्वों को भी ध्यान में रखा जाय; यद्यपि मिडटाउन ब्वायज क्लब उन्हें न मानने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और वह इस मामले में चाहे जो भी निर्णय करना उचित समझे, कर सकता है। मेरे वक्तव्य का यह प्रभाव हुआ कि सदस्य इस तर्क को मान गये कि यह क्लब मुख्यतया एक यहूदी संघटन है और बेन के वैयक्तिक कारण वाले तर्क की अपेक्षा मेरा उक्त तर्क अधिक जोरदार सिद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप समूह ने यह तय किया कि शुक्रवार के दिन उक्त आयोजन न किया जाय। यह भी निश्चित हुआ कि अगले सप्ताह क्लब की बैठक की जगह गेंद फेंकने के खेल के आयोजन में ही सब लोग इकट्ठे हों। सौल ने यह जिम्मेदारी ली कि वह गेंद के खेल के लिए क्रीड़ा-भूमि के आरक्षण की व्यवस्था करेगा, पर उसे इस बारे में कुछ भी ठीक-ठीक नही मालूम था कि उसे इसके लिए कहाँ क्या करना होगा। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि बैठक समाप्त हो जाने के बाद मै उसे इस विषय से सम्बन्धित बातें बताऊँगा और उसका उचित निर्देशन करूँगा।"

इस तरह क्लब के सदस्यों ने एक दूसरी योजना बनायी, जो केवल क्लब के सदस्यों के लिए ही थी। किन्तु जब वे खेल सीखने लगे तो अन्य लड़कों को भी सम्मिलित करने का प्रश्न उठा, पर उस समय भी उनकी यह राय नही थी कि बाहरी लड़कों को दल में सम्मिलित किया जाय क्योंकि इससे शायद स्वयं उनकी वरीयता पर प्रभाव पड़ता। यद्यपि दल ने इस बात पर कोई प्रतिबन्ध नही लगाया था कि बाहरी लोगों को दल में सम्मिलित न किया जाय, गोकि बेन का यही खयाल था, फिर भी क्लब के सदस्यों की राय थी कि इस तरह के आयोजनों में पुराना क्लब—मिड टाउन टीन्स—जैसा करता था, वैसा ही उन्हें भी करना चाहिए। वे भी अपने क्लब को उस पूर्ववर्ती क्लब-जैसा तथा नेशनल टीन्स आर्गेनाइजेशन्स के, जिससे वह पूर्ववर्ती क्लब सम्बद्ध था, अनुरूप बनाना चाहते थे।

दुर्भाग्यवश गेंद फेंकने के खेल का आयोजन भी असफल ही रहा, क्योंकि केवल तीन ही सदस्य उसमें भाग लेने के लिए उपस्थित होते थे। अतः कार्यकर्ता ने यह अनुभव किया कि लड़कों को क्लब की अब तक की गतिविधि और स्थिति के बारे में अच्छी तरह समझा देने का अवसर आ गया है ताकि उसके बाद यदि वे किसी नवीन योजना का उपक्रम करें तो उसमें उनकी सहायता की जा सके।

"८ जनवरी—(उपस्थित व्यक्ति—आर्नल्ड, जैक, सौल और स्टीव)—इसके बाद सौल ने यह प्रस्ताव रखा कि समूह की ओर से बर्फ पर स्केटिंग करने वाला एक दल संघटित किया जाय। इस पर मैंने बीच में दखल देते हुए कहा कि अच्छा हो यदि क्लब

के सदस्य पहले इस सम्बन्ध में विचार कर लें कि इसके पूर्व जो दो बार भिन्न-भिन्न योजनाओं के लिए दल बनाये गये थे, उनका परिणाम क्या हुआ, यदि उन्हें चलाया गया होता तो किस प्रकार का सुधार उनके लिए अपेक्षित था और उन दोनों योजनाओं में उतनी सफलता क्यों नहीं मिली जितनी अपेक्षित थी। सदस्यों ने सिर हिला कर इस प्रस्ताव का समर्थन किया, किन्तु उनमें से किसी को यह नही सूझ रहा था कि बात किस तरह शुरू की जाय। तब मैंने सुझाव दिया कि चूंकि हावर्ड (जो तैराकी दल का अध्यक्ष चुना गया था) यहाँ उपस्थित नहीं है, अतः उसकी जगह कोई भी सदस्य इस प्रश्न की व्याख्या करे कि किन कारणों से उस योजना को समाप्त कर देना पड़ा था। स्टीव और जैक ने तैराकी दल से सम्बन्धित पूरी बातें बतायीं, वे दोनों एक ही साथ नहीं बोल रहे थे, बल्कि बारी-बारी से एक दूसरे के कथन की कमी पूरी करते चल रहे थे। उनके वक्तव्य का सारांश यह था कि वस्तुतः उनमें से दो सदस्यों को ठण्ड लग गयी थी; बाहर बहुत ठण्ड थी, अतः सदस्यों ने आपस में एक दूसरे से फोन पर बातचीत करके यह निश्चय कर लिया था कि वे तैराकी दल के आयोजन में नही जायेंगे।

इसके बाद स्टीव ने गेंद फेंकने की क्रीड़ा से सम्बन्धित दल के बारे में विवरण उपस्थित किया। मैंने इस सम्बन्ध में कहा कि जिस दिन खेल का आयोजन किया गया था उसी दिन जैक की वर्षगाँठ थी, अतः मैंने पूछा कि उस दिन उसके साथ सिनेमा देखने कौन-कौन गये थे? सौल ने कहा कि जैक के साथ अकेला वही गया था, और कोई नहीं। तब मैंने कहा कि क्या यह अधिक अच्छा न हुआ होता कि जब खेल का आयोजन समाप्त ही करना था तो उसी दिन जैक की वर्षगाँठ के उपलक्ष में एक भोज का आयोजन किया गया होता? इससे उस दिन सब एक साथ इकट्ठे हो गये होते, सभी अलग-अलग अपनी रुचि के कामों में न लगे होते। सौल ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी सूझ थी और उसे दुख था कि किसी ने पहले यह बात नही सोची। इस पर मैंने कहा कि कार्यक्रमों की योजना बनाते समय समूह को इस बात का खयाल रखना चाहिए कि ऐसे कामों को भी अपने कार्यक्रमों में स्थान दिया जाय, जिन्हें व्यक्तिगत रूप में नही, केवल सामूहिक रूप में ही किया जा सकता है। फिर मैंने पूछा कि ऐसे क्या काम हो सकते थे जिनसे उपर्युक्त कार्यक्रम सफल हुए होते। आर्नल्ड के कहने से स्टीव ने उत्तर दिया कि यदि सभी सदस्य उपस्थित हुए होते तो उपर्युक्त कार्यक्रम अवश्य सफल हुए होते। अन्य लड़कों ने भी इस मत का समर्थन किया। तब मैंने पूछा कि आगे से क्या किया जाय कि सभी उपस्थित हों? उसका उत्तर किसी के पास नहीं था। तब मैंने ही कहा कि हममें से हर व्यक्ति को समूह के प्रति अपने इस उत्तरदायित्व को हमेशा याद रखना चाहिए कि समूह के कार्यक्रमों में उपस्थित रहना हमारा प्रथम कर्त्तव्य है। जो व्यक्ति किसी कार्यक्रम का अधिकारी नियुक्त हो, उसका यह

उत्तरदायित्त्व है कि कि वह अन्य सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए याद दिलाये ।

जब समूह के सदस्यों ने पिछले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अपनी सभी बातें कह ली तो स्टीब ने फिर यह प्रस्ताव रखा कि आगे के लिए एक स्केटिंग दल स्थापित किया जाय, पर शायद अन्य लड़कों में से किसी ने भी इस विचार को पसन्द नहीं किया क्योंकि वे स्केटिंग करना (बर्फ पर फिसलना) नहीं जानते थे। तब स्टीव ने सुझाव दिया कि फिर दुबारा गेंद फेंकने का आयोजन किया जाय। मैंने भी कहा कि गेंद फेंकने का खेल ऐसा है, जिसमें हम सभी भाग लेकर आनन्द प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु यह एक ऐसा खेल है जिसे अकेले-अकेले भी खेला जा सकता है और इसके आयोजन के लिए क्लब चलाने की आवश्यकता नहीं है । इस पर स्टीव ने सुझाव दिया कि इसके लिए सदस्यों के दो दल बना दिये जायँ, जो सप्ताह में एक बार गेंद की निशानेबाजी की प्रतियोगिता करें । क्लब के अन्य लड़कों ने भी विचार व्यक्त किया कि यह अच्छा सुझाव था क्योंकि इसमें उनका समय अच्छी तरह बीतेगा और साथ ही जब तक सभी सदस्य सहयोग नहीं करेंगे, प्रतियोगिता हो भी नहीं पायेगी । इस पर स्टीव ने फिर सुझाव दिया कि प्रति सप्ताह क्लब की बैठक के बाद गेंद की निशानेबाजी की प्रतियोगिता की जाय । इस पर सभी लोग आर्नल्ड की ओर देखने लगे, जिसके बारे में वे जानते थे कि विद्यालय के कार्यक्रमों में भी वह अनेक प्रकार की शर्तें लगाया करता था । आर्नल्ड ने कहा कि यदि यह निश्चित हो कि प्रतियोगिता का कार्यक्रम समाप्त करके वह ११ बजे तक अपने घर पहुँच जायेगा तो उसे उसमें भाग लेने में कोई आपत्ति न होगी ।"

कार्यकर्ता की सहायता से बालकों की समझ में यह बात आ गयी कि पिछले कार्यक्रमों के अनुभव को असफलता नहीं मानना चाहिए, बल्कि वे ऐसे अनुभव रहे हैं, जिनसे उनको यह शिक्षा मिली है कि वे अपने आगे के कार्यक्रमों की कैसी योजना निर्मित करें । इसके बाद उन्होंने समूह के लिए ऐसे कार्यक्रम की योजना बनायी, जिससे क्लब के सभी सदस्यों का सम्मिलित होना आवश्यक था । इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या उस क्लब की दृष्टि से यह वास्तविकता पर आधारित योजना थी, क्योंकि इस सफलता के लिए सभी सदस्यों का सहयोग आवश्यक था । फिर इस योजना की स्वीकृति से समूह की भावना में इस अर्थ में प्रगति हुई कि अब व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से कार्यक्रम में भाग लेने की अनिवार्यता हो गयी । कार्यकर्ता की सहायता से एक अन्य कार्य की ओर भी सदस्यों का ध्यान गया, जिसके द्वारा क्लब से उनको और भी अधिक लाभ हो सकता था । वह कार्य था सदस्यों की वर्षगाँठ तथा अन्य उत्सवों के अवसर पर भोज या उपाहार-गोष्ठी का आयोजन करना ।

अगले सप्ताह कई लड़के क्लब की बैठक के पहले बास्केट बाल का खेल खेलने गये थे और वहाँ से वे बिलकुल थकी हुई हालत में तथा देर से क्लब की बैठक में उपस्थित हुए। बैठक की कार्यवाही में सदस्यों की इस मनःस्थिति की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ी।

"१६ जनवरी—(उपस्थिति—सभी सदस्य)—आर्नल्ड ने फिर सबको शान्त कराया और कहा कि वह क्लब के अध्यक्ष-पद से त्यागपत्र दे रहा है। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि क्लब के किसी सदस्य की यह इच्छा नहीं थी कि वह अध्यक्ष-पद से त्यागपत्र दे। मैंने उससे पूछा कि क्या वह सदस्यों को बतायेगा कि उसने त्यागपत्र देने का निश्चय क्यों किया है? आर्नल्ड ने स्पष्ट उत्तर दिया, "मैं सोचता हूँ कि क्लब में मेरी इतनी कम दिलचस्पी है कि मुझे इसके अध्यक्ष-पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।" इसके बाद उसने कहा, "अध्यक्ष-पद के लिए अब किसी भी सदस्य का नामांकन किया जा सकता है।" इस पर स्टीव ने बेन का और लॉरी ने स्टीव का नाम प्रस्तावित किया। स्टीव और बेन ज्यों ही कमरे से बाहर गये, सौल ने कहा, "मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इन दोनों का नाम अध्यक्ष-पद के लिए प्रस्तावित हुआ है। ये दोनों क्लब के सबसे खराब सदस्य हैं और मेरी यही इच्छा थी कि सबसे खराब व्यक्ति क्लब का अध्यक्ष हो।" उसने यह बात हँसी में कही थी, पर उसके शब्दों में पर्याप्त गम्भीरता भी थी। स्टीव चुनाव में विजयी हुआ। उसे ३ मत और बेन को २ मत प्राप्त हुए थे। वस्तुतः दोनों को दो-दो मत मिले थे, पर सौल ने अपना अध्यक्षीय मत स्टीव के पक्ष में दिया, जिससे उसे ३ मत मिल गये।"

इस बैठक की कार्यवाही से स्पष्ट हो जाता है कि क्लब के सदस्य अब अपने समूह के महत्त्व को समझने लगे थे। आर्नल्ड ने अध्यक्ष-पद से त्यागपत्र दे दिया और बेन का, जो समूह का सबसे कम मान्य सदस्य था, नाम इस पद के लिए स्टीव ने प्रस्तावित किया। हो सकता है कि स्टीव ने यह नाम इसलिए प्रस्तावित किया हो कि इससे उसके स्वयं अध्यक्ष चुने जाने की सम्भावना बढ़ जायेगी। किन्तु सौल के भीतर इसकी जो प्रतिक्रिया हुई, उससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह गया कि क्लब का हौसला क्षीण होता जा रहा था। समूह ने अब तक कोई महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न नहीं किया था।

यह एक दिलचस्प बात हुई होती, यदि इस समय कार्यकर्ता उनकी बातों में दखल देकर उन्हें यह समझाने की कोशिश करता कि क्लब के सम्बन्ध में उनकी जो धारणा है, उसके आधार पर अध्यक्ष-पद के लिए किसी विशेष व्यक्ति का चुनाव करना उचित नही है। फिर भी लड़कों ने समूह को भंग नहीं होने दिया और यद्यपि चुनाव में स्टीव को सबके मत नहीं मिले, जिससे यह स्पष्ट है कि वह बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं था, फिर भी उसे जो कार्य सौंपा जाता था, उसके प्रति वह ईमानदार रहता था, उसमें दिलचस्पी

दिखाता था और सदैव क्लब के हित की बात सोचा करता था। निश्चय ही उसके क्लब के साथी उसके इन गुणों में से कुछ को जानते होंगे।

यद्यपि क्लब की गत बैठक में लड़कों का हौसला ऊँचा नही था, फिर भी उन्होंने यह निश्चय किया कि क्लब के सदस्यों के लिए टी-कमीजें (अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार की कमीजें) खरीदी जायँ और हर हफ्ते क्लब की बैठक के बाद गेंद की निशानेबाजी के खेल का अभ्यास किया जाय। इतना होते हुए भी कार्यकर्ता से यह बात छिपी न रह सकी कि सदस्यों में सच्चे उत्साह की कमी थी। कार्यकर्ता ने यह महसूस किया कि बालकों की सर्वप्रमुख आवश्यकता यह थी कि वे किसी भी प्रायोजना को सफलता के साथ सम्पन्न करें, इसीलिए उसने बालकों को समझाया कि वे आगे की बात सोचें और क्लब की अगली बैठक में किसी नयी योजना पर विचार करें। पर बालकों ने केवल बातें कीं और किसी योजना के सम्बन्ध में किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके। समूह की दसवीं बैठक में क्लब के सदस्यों ने अपने परिवारवालों के दबाव के कारण गेंद की निशानेबाजी का कार्यक्रम समाप्त कर दिया। इस बैठक में होने वाले विचार-विमर्श में सबसे अधिक उल्लेखनीय और नयी बात यह हुई कि अब क्लब के सदस्य स्वयं ही इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्हें ऐसे कार्यक्रमों की योजना बनानी चाहिए जिसका स्वरूप सामूहिक हो और जिसका लक्ष्य इस समूह (क्लब) को सुदृढ़ बनाना हो।

"२३ जनवरी—(उपस्थिति—आर्नल्ड, जैक, हावर्ड, लारी, सौल और स्टीव)—स्टीव ने बताया कि क्लब के सदस्यों ने यह कहा है कि क्लब की बैठकों के दिन उन्हें बहुत रात तक घर के बाहर रह जाना पड़ता है और घर पहुँचने में उन्हें देर हो जाती है, अतः वे आज बैठक के बाद गेंद की निशानेबाजी का कार्यक्रम नहीं चलायेंगे। मैंने इसी समय बीच में टोक कर कहा कि यह बात करीब वैसी ही है, जो मैंने एक सप्ताह पूर्व कही थी कि समूह एक शाम को बहुत अधिक काम करने का प्रयत्न करता है। इस पर स्टीव ने सूचित किया कि आर्नल्ड के पिता श्री स्मिथ ने वायदा किया है कि सप्ताह में जितने दिन मैं निशानेबाजी के कार्यक्रम में उपस्थित नही रह पाता हूँ, उतने दिन वे उपस्थित होकर सदस्यों के साथ रहेंगे। अतः फिर वह बहस शुरू हुई कि किस दिन निशानेबाजी के खेल का आयोजन किया जाय और शुक्रवार की शाम का समय ही निश्चित किया गया, जिस पर बेन ने फिर याद दिलाया कि शुक्रवार को वह इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेगा क्योंकि उसके पिता इसके लिए किसी भी हालत में अनुमति नहीं दे सकेंगे। इस पर जैक क्रुद्ध होकर बोला, "तुम हमेशा यही बात कहते हो। इस तरह तुम कभी कुछ नहीं कर सकते।"

इसके बाद स्टीव ने भाषण करते हुए कहा, "क्या यदि एक सदस्य हमारे कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पायेगा तो उसके लिए हम कार्यक्रमों में कमी करते जायेंगे? गेंद की निशाने-

बाजी ही एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसे हम इस समय चला रहे है और क्लब का यह कर्तव्य है कि वह केवल एक व्यक्ति के लिए उस कार्यक्रम का परित्याग न करे ।" बेन ने इस कथन से सहमति प्रकट की, पर लारी उससे असहमत था । उसने कहा, 'तुम सप्ताह में कम-से-कम पाँच दिन यह कार्यक्रम चलाते हो । पर केवल तुम्हारे चाहने से हम इस कार्यक्रम को नहीं चला सकते ।" इस पर जैक ने कहा, "मैं गेंद की निशानेबाजी के कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूँ, पर हमें ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाना चाहिए, जिससे हमारे सभी सदस्य भाग न ले सकें ।" इसके बाद स्टीव ने यह प्रस्ताव रखा कि इस विषय पर मतदान ले लिया जाये ।.....मतदान कार्य पूरा होने के पहले ही स्टीव ने मेरी ओर संकेत करके कहा कि मैं तो उनके साथ खेल के कार्यक्रम में रविवार को रह नही सकता, अतः उस दिन आर्नल्ड के पिता उन लोगों के साथ रहें । इस पर सौल बीच ही में बोल उठा, "कम-से-कम रविवार को तो हम लोगों को यह प्रतीक्षा नही करनी होगी कि कब शाम हो तो हम खेल के मैदान में जायँ ।" मैंने सदस्यों से पूछा कि क्या श्री स्मिथ प्रति सप्ताह रविवार को उनके साथ जा सकेंगे ? आर्नल्ड ने स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिलाया । तब मैंने जैक और लारी से पूछा कि अब तो उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है ? (अब तक उन्हें मतदान देने का अवसर नही मिला था ।) उन्होंने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि यदि क्लब के सदस्य उस दिन तीन बजे के पहले खेल के मैदान में जाने के लिए रवाना न हों तो उन्हें यह व्यवस्था स्वीकार है । सबने ३ बजे वाली बात स्वीकार कर ली ।"

इस महीने के कार्यक्रमों मे क्लब के सदस्यो ने अपने साथ ऐसे नये लड़कों को भी सम्मिलित किया, जो बाद में सदस्य बन कर क्लब के सदस्यों की संख्या बढ़ाते । यद्यपि इनमें से कई लड़कों ने क्लब की एक-दो बैठकों में भाग लिया, पर क्लब का सदस्य कोई नहीं बना । मार्च का प्रारम्भ होते-होते इन सभी लड़कों ने नये विभिन्न प्रकार के कारण बता कर क्लब में आना बन्द कर दिया । मिड टाउन ब्वायज़ क्लब की बैठकें चार महीने से होती आ रही थीं और अब क्लब के सदस्यों ने किसी अन्य कार्यक्रम के बारे में विचार करना प्रारम्भ कर दिया था, जो उनका तीसरा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम होता । पर इससे किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनका इतने दिनों का समय व्यर्थ ही नष्ट हुआ । इन चार महीनों में क्लब के सदस्य जो बैठकें करते और उनमें 'केवल बातें' करते रहे, उनसे उन्हें सामूहिक रूप में विचार-विमर्श करने और निर्णय करने की शिक्षा मिली । दूसरे शब्दों में इन कार्यों का उनके ऊपर व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर अनेक रूपों में प्रभाव पड़ता रहा और उनमें परिवर्तन घटित होता रहा । किसी भी समूह से हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि चूंकि उसके सदस्य एक विशेष आयु-वर्ग के है, इसलिए वे स्वयं

अपने कार्यक्रम बनाने या प्रायोजनाओं को कार्यान्वित करने में समर्थ हैं। हर समह के सीखने के तरीके भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी कारण इस समूह को भी अपने ढंग से अपने मार्ग का निर्माण करना पड़ा।

"२६ जनवरी—(उपस्थिति–आर्नल्ड, बेन, जैक, लारी, सौल, स्टीव तथा तीन अतिथि)—इसके बाद आर्नल्ड ने पुनः उस प्रस्ताव की चर्चा शुरू की, जो पिछले सप्ताह अस्वीकृत कर दिया गया था। वह प्रस्ताव पाव-रोटी का विक्रय करने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में था। उसने कहा कि अब वह उस प्रस्ताव का समर्थक हो गया है। पर बेन ने पिछली बार की तरह फिर कार्निवाल का आयोजन करने का प्रस्ताव किया। इस पर स्टीव ने सूचित किया कि दो सप्ताह पूर्व क्लब की बैठक में जिन सदस्यों ने कार्निवाल के आयोजन के पक्ष में मत दिया था, उन्होंने क्लब का सदस्य बनना स्वीकार नहीं किया है, अतः कार्निवाल के सम्बन्ध में फिर से मत लेने की आवश्यकता है। अन्य लड़कों ने भी यह बात मान ली। मतदान में अधिकांश लड़कों ने पाव-रोटी-विक्रय के आयोजन के पक्ष में अपना मत दिया। मैंने समूह के सदस्यों से कहा कि मैं इस बात का पता लगाऊँगा कि अगले रविवार को पाव रोटी-विक्रय का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है या नही, और इस सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त होगी, उसे अगली बैठक में सदस्यों को बताऊँगा।"

"५ मार्च—(उपस्थिति–आर्नल्ड, जैक, लारी, सौल और स्टीव)—आर्नल्ड ने कहा कि क्लब के सदस्यों की उपस्थिति आज अच्छी नही है। इसके उत्तर में जैक ने कहा—आज की बैठक में जो लोग उपस्थित हैं वस्तुतः इस क्लब की रीढ़ की हड्डी वे ही हैं। उसका कहना था कि हो सकता है कि इस सप्ताह समूह कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य करे। इस बैठक का पूरा वातावरण इतना शान्त था, जितना इसके पहले कई सप्ताह तक कभी नही था। सौल ने सदस्यों को बताया कि बकाया शुल्क सब लोगों ने नही दिया है, किन्तु आज यह पहला अवसर था जब कि उसने क्लब के कोष का हिसाब पढ़ कर नहीं सुनाया। मैंने इसके बाद सूचित किया कि पिछली बैठक में मेरे जिम्मे जो काम सौंपा गया था उसे मैंने पूरा कर दिया है, अर्थात् अगले रविवार को पाव-रोटी के विक्रय का प्रबन्ध कर दिया है। इस पर स्टीव ने तुरन्त टोकते हुए कहा कि क्लब के आधे से कम ही सदस्य आज की बैठक में उपस्थित हैं, अतः आज योजना के सम्बन्ध में आगे की कुछ भी कार्रवाई करना असम्भव है। उसने कहा कि अच्छा हो यदि इस मामले में विचार करना अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया जाय। अन्य सदस्य मौन थे और स्टीव उनके प्रवक्ता के रूप में बोल रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं विक्रय के लिए कोई दूसरा दिन रखवाने का प्रबन्ध करूँगा, पर आज सदस्यों को उनका अलग-अलग कार्य बाँट देना अच्छा होगा ताकि आगे के समय का, तैयारी के लिए, अच्छी तरह उपयोग किया जा सके। मेरे इस अन्तिम

कथन को सुन कर सबके सब मेरी ओर सूनी आँखों से घूरते रहे । अन्त में आर्नल्ड ने कहा कि काम अलग-अलग न बाँटकर सब लोगों द्वारा सामूहिक रूप में किये जायँ । प्रत्यक्षत: उसके वक्तव्य की कोई भी प्रतिक्रिया किसी सदस्य पर होती नहीं दिखाई पड़ी । तब स्टीव ने मुझसे पूछा—काम बाँटने से क्या तात्पर्य है और वे काम क्या हैं ? मैंने उत्तर देते हुए बताया कि इस प्रायोजना का प्रचार करने के लिए इश्तहार बनाना होगा, जिसे तैयार करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए । इस पर स्टीव तुरन्त बोला कि यह काम बेन कर सकता है । इसके बाद मैंने सुझाया कि मेज की सजावट के लिए भी कुछ वस्तुएँ होनी चाहिए, जैसे क्लब का नामांकित ध्वज (बैनर) आदि । इस पर स्टीव ने फिर कहा कि इस काम को भी बेन ही करेगा ।

मैंने स्टीव को समझाया कि इश्तहार और नामांकित ध्वज बनाने में काफी समय और श्रम लग सकता है, अत: क्या यह उचित है कि यह सब काम अकेले बेन के ऊपर लादा जाय, जो आज यहाँ उपस्थित भी नहीं है ? इस पर टिप्पणी करते हुए आर्नल्ड बोला, "बेन यह करेगा, बेन वह करेगा ! यदि बेन ही सब काम करेगा तो हम लोग क्या करेंगे ? स्टीव ने आर्नल्ड के कथन की उपेक्षा करते हुए मुझसे पूछा, "और क्या काम है ?" अन्य लड़के बड़े ध्यान से सब बातें सुन रहे थे । मैंने उत्तर दिया कि अन्य काम ऐसे हैं जिनके लिए इतने पहले से तैयारी की आवश्यकता नहीं है और उन्हें अगली बैठक में भिन्न-भिन्न सदस्यों को सौंपा जा सकता है । उसी समय क्लब के प्रत्येक सदस्य द्वारा कोई-न-कोई उत्तरदायित्व ग्रहण करने के प्रश्न पर विचार होगा । किन्तु स्टीव ने मुझे टोकते हुए कहा, "यदि हम उनकी प्रतीक्षा करते रहेंगे तो हम कुछ भी नही कर पायेंगे ।" मैंने कुछ और छोटे-मोटे कामों की सूची उपस्थित की और फिर सबसे पूछा कि यदि मैंने कोई बात छोड़ दी हो तो उपस्थित सदस्य उसके बारे में सुझाव दें । पर किसी ने कोई सुझाव नहीं उपस्थित किया ।

इसके बाद जैक ने आर्नल्ड का पुराना सुझाव फिर उपस्थित किया कि सदस्यों को काम बाँटने के लिए हैट-पद्धति का प्रयोग किया जाय । अत: स्टीव ने अपना हैट दिया और साथ ही एक कागज के कई टुकड़े करके उनमें से एक पर गुणा का निशान (×) बना दिया । सदस्यों ने कागज का एक टुकड़ा उठाया और सौल को वह चिह्नांकित टुकड़ा मिला, जिसका अर्थ यह था कि उसे अपने घर से मेज को ढकने वाली कोई चीज—मोज-पोश आदि—लानी होगी । इसी पद्धति से हर बार चिह्नांकित कागज का टुकड़ा जिसके हाथ में आता था, उसे कोई-न-कोई जिम्मेदारी दी जाती थी । इस तरह आर्नल्ड को अपने घर से कागज की तश्तरी का काम मिला । लारी को चिह्नांकित टुकड़ा दो बार मिला और उसे मूल्यांकित कागज बाँधने वाला फीता और रोटी काटने वाला कोई औजार लाने का

काम मिला । जैक और स्टीव के जिम्मे कोई काम नहीं निकला । लारी ने इस पर आपत्ति की और कहा कि यह बहुत अनुचित प्रतीत होता है कि किसी को कोई काम न मिले और किसी पर दो-दो कामों की जिम्मेदारियाँ लाद दी जायँ, जैसा स्वयं उसके साथ हो रहा था । स्टीव ने लारी को उत्तर दिया कि यदि वह भाग्यवान् होता तो उसे भी कोई काम न मिलता । मैने फिर अपनी पहले वाली बात दुहरायी कि बेन को बहुत अधिक काम सौंप दिया गया है और अच्छा हो कि जिन लोगों के जिम्मे कोई काम नहीं निकला है, वे बेन का कार्य-भार हलका करने के लिए उसका कुछ काम अपने जिम्मे ले लें । इस पर स्टीव ने कहा कि वह इश्तहार बनाने में बेन की सहायता करेगा और जैक ने बहुत धीरे-से कहा कि वह भी सहायता करेगा ।

इसके बाद सौल ने बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव रखा, जो स्वीकृत हो गया । लड़के आज अपने वस्त्र आदि एकत्र करने में सुस्ती दिखा रहे थे और यद्यपि बैठक के बाद उन्होंने कोई खास काम नहीं किया, फिर भी घर जाने के लिए वे बैठक समाप्त होने के पाँच मिनट बाद रवाना हुए, जब कि हर बार बैठक समाप्त होते ही वे बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ते थे ।"

इस बैठक की कार्यवाही से स्पष्ट है कि यद्यपि बैठक प्रारम्भ होने के समय सदस्यों की समझ में नहीं आ रहा था कि आज उन्हें क्या करना है या कार्यारम्भ कैसे किया जाय और न वे स्वयं कोई जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आ रहे थे, पर उनके मन में यह चिन्ता अवश्य थी कि उनके आगामी कार्यक्रम की योजना बननी चाहिए और उन्होंने इसके लिए उत्सुकता भी दिखायी ।

अगली बैठक में इस बैठक की तुलना में सदस्यों ने उतना अधिक उत्साह और दिल-चस्पी नहीं दिखायी । उनमें आगे बढ़ने का संकल्प तो दिखाई पड़ता था, किन्तु उपस्थिति की कमी के कारण वे हतोत्साह भी हो गये थे । इसके बाद वाली बैठक में कार्यकर्ता ने फिर इस बात में उनकी सहायता की कि वे अपने पिछले कार्यों की सफलता या असफलता पर दृष्टिपात करें । उसने उनके कार्यो की दिशा निश्चित करने में भी उनकी सहायता की ।

"१६ मार्च (उपस्थिति—आर्नल्ड, बेन, जैक, लारी, सौल और स्टीव)—स्टीव ने बाइबिल का पाठ समाप्त करने के बाद तुरन्त कहना शुरू किया, "अन्य कोई कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मैं यह कह देना चाहता हूँ कि कि मेरे विचार से यदि हमें कुछ करना है तो हमें सबसे पहले अपने क्लब के सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी और इसके लिए एक मात्र रास्ता यही है कि हम अपने क्लब को किंग्स क्लब के साथ मिला दें । अकेले हमारा क्लब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारी सदस्य-संख्या बहुत कम है ।" यह सुन कर सभी सदस्य

भुनभुनाने लगे, जिसकी आवाज क्षण भर तक पूरे कमरे में गूँजती रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रत्येक सदस्य इस विचार के पक्ष में बोल रहा था।

इसी समय मैं भी उनकी बहस में सम्मिलित हुआ। मैंने सदस्यों से कहा कि इस प्रकार का कोई निर्णय करने के पहले, कई प्रश्न ऐसे हैं जिन पर विचार कर लेना आवश्यक है और अब वह समय आ गया है जबकि हमें उन तथ्यों को ठीक-ठीक समझ लेना चाहिए, जो हमारी संस्था की कठिनाइयों के मूल कारण हैं। इसके बाद मैंने उपस्थित सदस्यों से पूछा कि क्लब की स्थापना क्यों हुई थी? उसका उद्देश्य क्या था? स्टीव ने उत्तर दिया कि इस क्लब की स्थापना एक सामाजिक और व्यायाम-सम्बन्धी कार्य करने वाले समूह के रूप में हुई थी। फिर मैंने पूछा कि इस क्लब ने अब तक क्या किया है? इसका उत्तर पहले आर्नल्ड ने, फिर स्टीव ने और अन्त में लारी ने दिया। सब का उत्तर एक ही था, "कुछ नहीं"। फिर स्टीव ने कहा कि समूह अब तक इसीलिए कुछ नहीं कर सका है कि इसके सदस्यों की संख्या पर्याप्त नही है। इस पर मैंने फिर पूछा, "सदस्यों की संख्या पर्याप्त क्यों नहीं है और क्लब की बैठकों में उपस्थिति इतनी कम क्यों होती है? इसका उत्तर आर्नल्ड ने दिया, "क्यों कि जब सभी यहाँ उपस्थित रहते हैं तब भी हम कोई काम नहीं करते हैं।" लारी का उत्तर था कि "हमारे सभी सदस्य इसलिए उपस्थित नहीं होते और नये सदस्य भी इसीलिए नहीं बनते हैं कि हमारे पास कोई आकर्षक कार्यक्रम नही है, जिसे हम सदस्यों के सामने रख सकें।" इस पर पहले मैंने कमरे में बैठे सदस्यों पर बारी-बारी से नजर डाली और उनकी ओर देखते हुए पूछा, "क्या सचमुच आप लोगों का यही तात्पर्य है जो आप कह रहे हैं। आर्नल्ड ने कहा, "हाँ"। फिर मैंने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने क्लब की बैठकों में कितने कार्यक्रमों के विषय में बातें की थी और योजनाएँ बनायी थी, पर उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ भी नही किया था। फिर भी मैंने स्वीकार किया कि समूह के लिए खेल की जर्सी बनवाने का आदेश जा चुका था और गेंद की निशानेबाजी का सामूहिक कार्यक्रम भी वे चला ही चुके थे। पर उनकी सफलता की सीमा बस इतनी ही थी, इससे अधिक उन्होंने कुछ नही किया था।

इसके बाद स्टीव ने फिर क्लब के विलीनीकरण की बात शुरू की। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं किंग्स क्लब के परामर्शदाता से इस सम्बन्ध में बात कर सकूँगा? जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो आर्नल्ड ने कुछ क्रुद्ध होकर कहा, "तुम विलीनीकरण चाहते हो, बस इसीलिए हम विलीनीकरण कर दें? इस विषय में आगे कुछ भी करने के पहले हमें मतदान द्वारा यह निर्णय कर लेना चाहिए कि हमें विलीनीकरण करना है या नहीं।" इसके बाद लारी बोल उठा, "उन गप्पबाज लड़कों ने जब अपना क्लब बनाया, हम लोग तभी से उनका मजाक उड़ाते रहे हैं और आज तुम चाहते हो कि उन्हीं के सामने

घुटनों के बल जाकर गिड़गिड़ायें। मेरे भीतर कुछ स्वाभिमान है और यदि हमारे क्लब का उनके क्लब के साथ विलीनीकरण होता है तो यह हमारा बहुत बड़ा अपमान होगा, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता।" इस पर आर्नल्ड ने कहा कि हम उनके क्लब में मिलने नहीं जायेंगे, बल्कि उनसे कहा जायेगा कि वे हमारे क्लब में आकर सम्मिलित हो जायँ।

मैंने सदस्यों को याद दिलाया कि वे कुछ महत्त्वपूर्ण बातें भूलते जा रहे हैं। मैंने कहा, "पहली बात तो यह है कि आपको इस बारे में अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है कि वे लड़के आपके साथ मिलना चाहते भी हैं या नहीं। आप लोगों ने स्वयं स्वीकार किया है कि आपके क्लब ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि दूसरे लड़के इसमें आना पसन्द करें, यहाँ तक कि आप के सदस्य ही इसकी बैठकों में आने के लिए आकृष्ट नहीं होते हैं। अतः उस दूसरे क्लब के सामने आप अपनी कौन-सी विशेषता बतायेंगे, जिसके लिए वे आकृष्ट हों?" इसके बाद मैंने यह सुझाव दिया कि वे अपनी मूल समस्या की ओर लौटें कि आखिर इसका क्या कारण है कि वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं और इसमें दोष किसका है? स्टीव ने कहा, "मैं सोचता हूँ कि सारा दोष मेरा है।" जब किसी ने उसके कथन का खण्डन नहीं किया तो मैंने कहा कि नहीं, इसके लिए केवल स्टीव ही दोषी नहीं है। इस पर जैक कमरे में उपस्थित सबकी ओर बारी-बारी से देख कर कहने लगा, "इसमें दोष तुम्हारा है, तुम्हारा है, और मेरा भी है।" सब ने सिर हिला कर उससे अपनी सहमति व्यक्त की। तब मैंने पूछा, "अच्छी बात है, अब आप लोग इस के लिए क्या करना चाहते हैं?"

इसके उत्तर में जैक और लॉरी ने नृत्य के कार्यक्रम की चर्चा शुरू की और फिर पिछली बैठकों के ढंग की ही बहस होने लगी। इसके बाद लॉरी सहसा बोल उठा, "अब फिर हम लोग उसी तरह की बातों में उलझ गये हैं, जिनका परिणाम कुछ नहीं निकलता। यहाँ हम केवल बातें ही करेंगे या कुछ काम भी करेंगे?" इस पर मैंने उन्हें याद दिलाया कि क्लब की पिछली दो बैठकों से पाव-रोटी विक्रय की योजना पर विचार स्थगित होता आ रहा है, अतः क्या सदस्यों की राय है कि इस योजना को कार्यान्वित किया जाय? स्टीव ने कहा, "हमने विचार स्थगित इसलिए किया था कि हमारे सदस्य इतने नहीं हैं, जो इस प्रायोजना को कार्यान्वित कर सकें। मैंने पूछा कि यदि वस्तुतः सब इस काम को करना चाहते हों तो क्या यह सम्भव नहीं है कि बैठक में जितने सदस्य उपस्थित हैं, वे ही उसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें? जैक ने तत्काल उत्तर देते हुए कहा, "हम इसे आसानी से कार्यान्वित कर सकते थे।" किन्तु बहस फिर नृत्य-सम्बन्धी कार्यक्रम की ओर मुड़ गयी, पर सदस्यों में से किसी के मन में इस विषय में कोई निश्चित योजना नहीं थी। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि समूह की प्रथम प्रायोजना के रूप में उन्हें केवल ऐसा कार्यक्रम ही हाथ में लेना चाहिए, जो आसान हो, जैसे पाव-रोटी के विक्रय की योजना, जिससे वे सीख

सकें कि एक साथ मिल कर कैसे काम किया जाता है । एक बार यह सीख लेने पर वे बाद में जटिलतापूर्ण और श्रमसाध्य कार्यक्रम, जैसे नृत्य का कार्यक्रम, भी अपने हाथ में आसानी से ले सकते हैं । किन्तु पावरोटी-विक्रय के कार्यक्रम को कब और कैसे पूरा किया जाय, यह निर्णय करने का अधिकार उन्हीं का था । पर स्टीव पर मेरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उसने प्रस्ताव रखा कि इस विषय पर मत ले लिया जाय कि नृत्य का कार्यक्रम कब रखा जाय । इस पर आर्नल्ड ने फिर उसका विरोध करते हुए उसे चुप होने को कहा कि सबसे पहले हमें यह निश्चय करना होगा कि हम पाव रोटी-विक्रय की योजना कार्यान्वित करना चाहते हैं या उसे छोड़ कर नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं । विवश होकर स्टीव ने इसी पर मतदान लेने की बात स्वीकार की । मतदान में पावरोटी के विक्रय का प्रस्ताव सर्व-सम्मति से स्वीकृत हो गया ।

तब मैंने कहा कि यदि सचमुच हम लोगों को केवल बातें न करके कुछ ठोस काम करना है तो इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग कामों की अलग-अलग जिम्मेदारी आज ही बाँट लें । मैंने यह भी पूछा कि विक्रय-कार्यक्रम किस दिन रखा जायेगा ? बैठक में यह निश्चित हुआ कि आगामी शनिवार तारीख २८ मार्च को और यदि उस दिन के लिए प्रबन्ध न हो सके तो उसके दूसरे दिन अर्थात् २९ मार्च को विक्रय-कार्यक्रम आयोजित किया जाय । मैंने वादा किया कि मैं जाकर दिन निश्चित कर आऊँगा । बेन ने फिर याद दिलाया कि वह शनिवार तक अपना शुल्क नहीं दे पायेगा । दो अन्य लड़कों ने यह कहा कि उन्हें उस दिन काम पर जाना है । इस पर स्टीव ने बेन से पूछा कि क्या वह विक्रय में सहायता कर सकेगा, अर्थात् रोटी काटने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य कर सकेगा क्योंकि इस तरह वह शुल्क देने से मुक्त हो जायेगा । बेन ने उत्तर दिया कि वह यह काम कर सकता है और इसके लिए तैयार है । लारी ने यह प्रस्ताव रखा कि क्लब की अगली बैठक में इश्तहार तैयार कर लिया जाय ताकि यह निश्चित हो जाय कि एक काम पूरा हो गया । यह सुझाव मान लिया गया ।

इसके बाद स्टीव बारी-बारी से सभी सदस्यों के पास गया और सभी सदस्यों ने कहा कि "वे शुल्क की नक़द राशि न देकर उसे पकी रोटी के रूप में देंगे । सदस्यों ने यह भी तय किया कि वे उस दिन मेज आदि ठीक करने के लिए 'बाई' में साढ़े बारह बजे तक पहुँच जायेंगे और विक्रय का कार्यक्रम डेढ़ बजे से पाँच बजे शाम तक चलेगा, साथ ही उस समय सदस्यगण बारी-बारी से काम करेंगे ताकि सभी को तीसरे पहर के उस लम्बे काल में कुछ विश्राम करने का अवसर मिल जाय ।"

इस बैठक में कई महत्त्वपूर्ण बातें हुईं । लड़कों ने इस सम्बन्ध में निश्चित निर्णय किया कि उन्हें क्या करना है । साथ ही उन्होंने अपनी गलतियों को भी पहचाना और कई बार

पहले की बैठकों की भाँति जब कोरी बातें होने लगती थीं तो उन्होंने बाधा डाल कर काम की बात करने का प्रयत्न किया। आर्नल्ड इसके लिए विशेष रूप से सावधान था और उसने औरों को इस बारे में कई बार याद दिलाया। स्टीव यद्यपि दूसरे सदस्यों की इच्छाओं की प्रायः चिन्ता नही करता था, पर वह भी याद दिलाने पर मान गया और उसने निश्चित रूप से कुछ निर्णय करने के लिए मतदान कराने की बात कही, यहाँ तक कि उसने बेन को भी, उसके साथ अपने पूर्ववर्ती विरोध-भाव को भुला कर, कार्यक्रम में सम्मिलित करने का रास्ता निकाला। सारांश यह है कि सदस्यों में क्लब को आगे बढ़ाने की उत्कट अभिलाषा इस तरह उमग रही थी कि उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा कर अपनी योजना को एक निश्चित रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया।

इस अभिलेख से यह बात चित्र की तरह स्पष्ट हो जाती है कि क्लब की पिछली बैठकों का उनके कार्यक्रमों या उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर भी अपेक्षाकृत इस नये विषय—दूसरे क्लब के सम्बन्ध में विचार—की दृष्टि से और भी अतिरिक्त शक्ति लगा कर कार्य करने की आवश्यकता है। लड़के अब एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे हैं, किन्तु इस नयी दिशा में प्रगति करने के लिए भी उन्हें सहायता की आवश्यकता है।

अगली बैठक में, पूर्व निश्चय के अनुसार मुख्यतः इश्तहार और नामांकित ध्वज बनाने का ही कार्य किया गया। सदस्यों में बहुत उत्साह था और कई तो काम समाप्त करने के लिए काफी देर तक वहाँ रुके रहे। सप्ताहान्त में विक्रय का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। यद्यपि कार्यकर्ता को उस दिन अभिकरण के अन्य कार्य पूरे करने थे, फिर भी उसने मिड टाउन ब्वायज क्लब की योजना की तैयारी में सहायता की और तीसरे पहर उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वह समय निकाल कर वहाँ पहुँचा।

"२ अप्रैल—(उपस्थिति—सभी सदस्य)—इसके बाद स्टीव ने सुझाव दिया कि अब बैठक में पाव रोटी के विक्रय के सम्बन्ध में विचार किया जाय। उसने आगे यह भी कहा कि विक्रय का आयोजन बहुत सफल था, किन्तु क्लब को यह काम फिर करना हो तो उसे कुछ काम दूसरे ढंग से करने होंगे। इस पर मैंने पूछा कि क्लब को इस बार सफलता क्यों मिली? स्टीव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि सफलता का कारण यह था कि क्लब के सभी सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, उस दिन कम-से-कम तीसरे पहर तो सभी सदस्य विक्रय-स्थल पर उपस्थित थे और प्रत्येक सदस्य बिक्री के लिए कोई-न-कोई वस्तु अपने घर से लाया था। इसके बाद सदस्यों ने इस विषय पर बातें शुरू कीं कि कार्यक्रम की किन-किन बातों में और भी सुधार किया जा सकता था।...

इसके बाद जैक ने फिर अपना पुराना प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा कि उसका विचार है कि क्लब को अब की बार नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। मैंने

कहा कि हमारा अगला कार्यक्रम क्या होगा यह निश्चय करने के पूर्व हमें इस विषय पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि हमारे उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा। यह सुनकर सभी मेरी ओर सूनी आँखों से ताकने लगे। तब मैंने उन्हें समझाया कि उनका मुख्य लक्ष्य नये व्यक्तियों को, अपने क्लब का सदस्य बनाने की दृष्टि से, आकृष्ट करना हो तो उन्हें नये सदस्यों को बाँधकर अपनी ओर खींचने वाला कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। यदि वे किसी प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम रखना चाहते हों तो वे नृत्य का आयोजन कर सकते हैं अथवा किसी ऐसी गोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें किसी एक लड़की को अथवा लड़कियों के समूह को निमंत्रित किया जा सकता है। यदि वे अब भी इस बात में दिलचस्पी रखते हों कि उनका क्लब किंग्स क्लब में मिला दिया जाय अथवा दोनों किसी-न-किसी रूप में सम्बद्ध हो जायँ तो फिर उन्हें किसी ऐसे कार्यक्रम की योजना बनानी पड़ेगी जिसे दोनों समूह संयुक्त रूप से सहयोग के साथ कार्यान्वित करें और इस तरह वे देखें कि दोनों समूह परस्पर मिल कर काम कर सकते हैं या नहीं। मैंने ज्यों ही अन्तिम कार्यक्रम की बात कही, त्यों ही स्टीव बोल उठा कि वह इस योजना का पूरी तरह समर्थन करता है। लारी ने इस सुझाव का विरोध किया कि उनका क्लब किंग्स क्लब के साथ मिला दिया जाय। उसने कहा कि इस प्रश्न पर सदस्यों ने एक बार निर्णय दे दिया है कि वे किंग्स क्लब के साथ अपने क्लब का विलीनीकरण नही चाहते हैं। जैक ने नृत्य के कार्यक्रम का समर्थन किया। नृत्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में मतदान लिया गया और यह प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकृत हो गया। इसके पक्ष में ४ और विपक्ष में ३ मत मिले थे।

इसके बाद जैक ने कहा कि चूंकि नृत्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक प्रमुख आपत्ति यह थी कि हमारे सदस्यों की संख्या इतनी अधिक नही थी कि नृत्य के लिए पर्याप्त नृत्य-युग्म मिल सकें, अतः क्या यह सम्भव नही है कि कम-से-कम इस कार्यक्रम को मिड टाउन ब्वाज़य क्लब और किंग्स क्लब दोनों एक साथ मिल कर आयोजित करें? फिर तुरन्त लारी की ओर अर्थभरी दृष्टि से देखते हुए उसने कहा कि इस सहयोगपूर्ण कार्य का अर्थ किसी भी तरह विलीनीकरण नहीं माना जायेगा, इसका अर्थ केवल यही समझा जायेगा कि हमारा क्लब दूसरे क्लब के साथ मिलकर एक ऐसा कार्य कर रहा है, जिसे उन दोनों में से कोई भी क्लब अकेले नहीं कर सकता था। इस पर मैंने समूह के सदस्यों को याद दिलाया कि सम्भव है किंग्स क्लब के सदस्यों के भी इस सम्बन्ध में कुछ विचार हों और यदि ब्वायज़ क्लब इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो उसे पहले इसकी सूचना किंग्स क्लब को देनी होगी। सौल ने कहा कि किंग्स क्लब के अध्यक्ष से उसकी भेंट नित्य विद्यालय में होती है और वह उससे इस बारे में बात कर सकता है। इसके बाद मैंने

पूछा कि क्या अब यह निश्चित माना जाय कि सदस्यों को किंग्स क्लब के साथ मिलकर नृत्य-कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकार है, क्योंकि इस विषय पर अभी तक मतदान तो हुआ नहीं है ? इस पर यद्यपि मुँह से किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सिर हिला कर सबने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।"

इस बैठक में सदस्यों के रंग-ढंग से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कई दृष्टियों से यह समूह बिलकुल बदल गया है। उन्होंने पावरोटी के विक्रय के सम्बन्ध में अपनी सफलता के आकलन से बैठक की कार्यवाही का प्रारम्भ किया और फिर उसके बाद वे नये कार्यक्रम के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने में तल्लीन हो गये। कार्यकर्ता बराबर उनको समझाता रहा कि वे नृत्य-सम्बन्धी कार्यक्रम के विविध पक्षों के बारे में पहले अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि उनका निर्णय ऐसा हो, जिससे वे जो चाहते हों, उसमें सफलता प्राप्त कर सकें।

"९ अप्रैल—(उपस्थिति—आर्नल्ड, जैक, लारी, सौल और स्टीव)—एक बार फिर समूह के सदस्य आपसी बातचीत में बहक गये। मैंने महसूस किया कि सम्भवतः इस बैठक की निरुद्देश्यता का कारण अंशतः यह था कि बैठक के पूर्व मैंने स्टीव के साथ विचार-विमर्श नहीं किया था।

इसके बाद स्टीव ने कहा कि किंग्स-क्लब वालों का इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय हो, पर उसका यह विचार है कि क्लब को नृत्य-सम्बन्धी कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी करनी चाहिए। बैठक शुरू होने के पूर्व सम्भवतः आर्नल्ड के साथ उसने इस विषय में विचार-विमर्श किया था क्योंकि बैठक में वे एक दूसरे की ओर अर्थभरी दृष्टि से देखते तथा मुस्कराते थे, जिससे यह व्यक्त होता था कि उन्होंने इस विषय में निर्णय कर लिया है, यद्यपि आर्नल्ड स्टीव को बीच-बीच में याद दिलाता रहा कि अभी तो इस विषय पर सदस्यों का मत लेना बाकी ही है। सौल ने बताया कि उसने अपने विद्यालय में किंग्स क्लब के अध्यक्ष से बातें की थीं और हँसी-हँसी में उससे कहा था कि कुछ लोग चाहते हैं कि दोनों क्लब साथ मिलकर काम करें। इसके उत्तर में किंग्स क्लब के अध्यक्ष ने भी हँसी में ही कहा था कि ऐसा होना असम्भव है। जैक ने इसका यही अर्थ लगाया था कि दोनों क्लब साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। मैंने सदस्यों को याद दिलाया कि पहले तो अब तक किंग्स क्लब के पास इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक पत्र नहीं भेजा गया, दूसरी बात यह कि किंग्स क्लब का अध्यक्ष विली क्लब का एक सदस्य मात्र है, अतः अकेले ही वह क्लब की ओर से कोई निर्णय नहीं दे सकता और उसने फिर सौल से यह बात हँसी-हँसी में कही थी जिसे गम्भीरतापूर्वक ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यह भी कहा कि किंग्स-क्लब वालों ने अभी इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार नहीं किया है,

अतः क्या उपस्थित सदस्यों में से कोई किंग्स क्लब के पास पत्र लिखने की जिम्मेदारी ले रहा है ?....बाद में बैठक समाप्त होने के पहले आर्नल्ड ने किंग्स क्लब के नाम एक पत्र, जिसे उसने अभी-अभी लिखा था, पढ़कर सुनाया। सभी सदस्यों ने सुनकर उसे स्वीकार कर लिया।

इसके बाद मैंने कहा कि जहाँ तक मुझे मालूम है कि ब्वायज़ क्लब पहले भी इस बात में दिलचस्पी रखता था और आज भी रखता है कि वह किसी तरह नेशनल टीन्स आर्गेनाइजेशन से सम्बद्ध हो जाय। इस सम्बन्ध में मैंने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि ऐसा होना तभी सम्भव है, जब कि इस क्लब की सदस्य-संख्या बढ़ जाय और सदस्य-संख्या बढ़ाने में क्लब के सामने क्या बाधाएँ रही हैं यह सबको मालूम है। मैंने यह सुझाव दिया कि वे नेशनल टीन्स आर्गेनाइजेशन के अधिकारी श्री कैन्टर को एक पत्र लिखें, जिसमें अपने क्लब की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए इस बात का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से कर दें कि वे अपने क्लब को नेशनल टीन्स आर्गेनाइजेशन के साथ सम्बद्ध कराने में अब भी दिलचस्पी रखते हैं। इसके बाद स्टीव ने मुझे विश्वास दिलाने के उद्देश्य से कहा कि किंग्स क्लब के साथ मिलकर नृत्य के कार्यक्रम का आयोजन करने में उसकी अधिक दिलचस्पी इसी कारण है कि इससे ब्वायज़ क्लब की सदस्य-संख्या बढ़ेगी। ये सब बातें सुनकर जैक जैसे हक्का-बक्का हो गया। उसने कहा कि उसकी समझ मे यह बात बिलकुल नहीं आ रही है क्योंकि ब्वायज़ क्लब के सदस्यों की उम्र अभी कम है और अगले वर्ष के पहले वे नेशनल टीन्स आर्गेनाइजेशन की सम्बद्धता प्राप्त करने के अधिकारी नही हो सकते, अतः अभी सम्बद्धता प्राप्त करने की बात व्यर्थ है। लारी ने जैक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या उसका मतलब यह है कि वे क्लब को नेशनल टीन्स आर्गेनाइजेशन के साथ, जिसका अस्तित्व पहले से ही वर्तमान है, सम्बद्ध करके उसमें कोई नया अध्याय जोड़ देंगे। जैक ने कहा कि उसका ख्याल तो यही है। इस पर स्टीव ने बहस को अपने हाथ में लेते हुए ऊँची आवाज में कहा कि इस क्लब की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अपनी विशिष्टता कायम रखनी थी और इसी कारण पुराने क्लब के सदस्य इस क्लब में नहीं रखे गये क्योंकि उनकी उम्र अधिक हो गयी थी। जैक ने अतना मुंह बन्द रखा, वह एक शब्द भी नही बोला। स्टीव ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक किंग्स क्लब के पास लिखे गये पत्र का उत्तर न मिल जाय, तब तक नेशनल टीन्स आर्गेनाइजेशन को कोई पत्र न लिखा जाय। मैं जानता था कि स्टीव प्रायः अन्य लड़कों से परामर्श किये बिना ही उनकी ओर से इस तरह मत व्यक्त करने लगता था, मानो वह उन्हीं के विचार व्यक्त कर रहा हो। इसीलिए मैंने सदस्यों से पूछा कि क्या वे जैक से सहमत हैं। सदस्यों ने सिर हिला कर अपनी सहमति प्रकट की।"

"१६ अप्रैल—(उपस्थिति—आर्नल्ड, बेन, जैक, हावर्ड, सौल और स्टीव)—जब तक हम लोग अन्य लड़कों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस बीच मैंने स्टीव को याद दिलाया कि कई सप्ताह पूर्व मैंने उससे कहा कि था कि यदि वह किसी दिन बैठक के कुछ समय पहले आ जाय तो कुछ जरूरी बातों के सम्बन्ध में विचार किया जाय। किन्तु उसके बाद हम दोनों को यह बात भूल गयी थी। स्टीव ने कहा कि अभी तो बैठक प्रारम्भ नहीं हुई है और हम अभी कुछ सदस्यों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः क्यों न इसी बीच हम बातें कर लें। इसके बाद मैंने उसे संक्षेप में बताया कि चूँकि ऐसा लगता है कि सदस्यों को आज जल्दी है, अतः आज विचार-विमर्श को केवल नृत्य के कार्यक्रम तक ही सीमित रखा जाय.....

बाइबिल-पाठ समाप्त होने के बाद स्टीव ने सदस्यों को सूचित किया कि आज की बैठक का प्रथम और सबसे महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय नृत्य का कार्यक्रम है। इसके बाद सौल ने बताया कि उसने विली के साथ इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक बातें की थीं और विली की बातों से ऐसा मालूम पड़ता था कि वह इस संयुक्त कार्यक्रम की योजना को पसन्द करता है और सम्भवतः उसके क्लब के अन्य सदस्य भी इसे पसन्द करेंगे। मैंने कहा कि सम्भवतः दूसरा क्लब यह चाहेगा कि इस क्लब का कोई प्रतिनिधि उसकी बैठक में जाकर उसके सदस्यों को यह समझाये कि हम क्या चाहते हैं, अतः यह बहुत आवश्यक है कि किंग्स क्लब की बैठक में अपना प्रतिनिधि भेजने के पहले हम इस प्रश्न पर खूब अच्छी तरह विचार कर लें। यह सुनकर सौल बहुत उत्साहित हुआ और उसने यह बताया कि विली ने उसे आमन्त्रित किया है कि वह किंग्स क्लब की बैठक में उपस्थित होकर इस योजना के बारे में उसके सदस्यों से बातचीत करे।

इसके बाद मैंने सुझाव दिया कि हम नृत्य सम्बन्धी कार्यक्रम की स्पष्ट और ठोस रूप-रेखा निर्मित कर लें, जिसे उस क्लब की बैठक में उपस्थित किया जा सके। मैंने यह भी कहा कि यदि वे हमारी सहायता करना स्वीकार नहीं करते हैं तो भी इस बीच हम जो कुछ कर चुके रहेंगे, उसके आधार पर हम अकेले भी इस योजना को सफलतापूर्वक कार्या-न्वित कर सकते है। किन्तु क्लब के सदस्यों की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि नृत्य-सम्बन्धी योजना बनाने का कार्य कैसे प्रारम्भ किया जाय। मैंने यह अनुभव किया कि यद्यपि मैंने इसके बारे में स्टीव से पहले ही परामर्श कर लिया था, किन्तु मैंने उसे इस योजना से सम्बन्धित ब्यौरे की बातें नहीं बतायीं थीं, अतः मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में निर्णय करने की पहली बात यह है कि नृत्य के कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाय।

इसके बाद कार्यकर्ता ने क्लब के सदस्यों को समझाया कि नृत्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रचार, कार्यक्रम-निर्धारण तथा अन्य आवश्यक विषयों का क्या महत्त्व है।

क्लब की अगली बैठकों में किंग्स क्लब के सदस्यों के साथ मिलकर इस योजना पर विचार किया गया। योजना की प्रगति में बाधाएँ अवश्य आयीं—बैठकों में अशान्ति रहा करती थी, सदस्यों को यह समझ में नहीं आता था कि आगे क्या किया जाय तथा इसी प्रकार की अन्य समस्याएँ भी उपस्थित होती रहीं, जो एक समूह के दूसरे समूह के साथ मिलकर काम करते समय अनिवार्यतः उपस्थित हुआ करती हैं। कार्यक्रम से सम्बन्धित भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग योजना-उप-समितियाँ बना दी गयी थीं। कार्यकर्ता उन उप-समितियों के सदस्यों से मिलकर उनकी जिम्मेदारी समझाता तथा उनके कार्यों में सहायता करता था। अन्त में नृत्य के कार्यक्रम का आयोजन सम्पन्न हुआ। कार्यकर्ता ने उन मामलों में लड़कों की सहायता की, जो यदि अकेले उन्हीं पर छोड़ दिये जाते तो परिणाम निराशाजनक होता। इस तरह यद्यपि इस आयोजन में बाहरी लोगों ने भाग नहीं लिया, फिर भी कार्यकर्ता की सहायता के कारण कार्यक्रम सफल हुआ और लड़कों को उसमें बहुत आनन्द आया।

"२८ मई—(उपस्थिति—सभी सदस्य)—मैने इस समूह के सदस्यों को इस बात के लिए तैयार किया था कि वे अपने ही बल पर नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करें और उसमें बाहरी व्यक्तियों की सहायता की आशा न करें। मैने जो बात कही थी, वह सही सिद्ध हुई। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दोनों क्लबों के सदस्य अपनी-अपनी संगिनियों के साथ आये थे। केवल बेन ही एक ऐसा सदस्य था, जिसके साथ कोई संगिनी नहीं थी। बाहरी लड़के-लड़कियों के केवल दो जोड़े आये थे। इसके अतिरिक्त ५ लड़कियाँ ऐसी आयीं थीं, जिनके साथ लड़के नहीं थे। बालकों का समय बहुत अच्छी तरह बीता और उन्हें जादू के खेल-जैसा आनन्द आया। क्लब के सदस्यों को इस विषय में कुछ चिन्ता हो गयी थी कि नृत्य समाप्त होगा भी या नही, इसीलिए शाम होते-होते कोई-न-कोई सदस्य बराबर मेरे पास इस सम्बन्ध में पूछताछ के लिए आता रहा...

नृत्य के कार्यक्रम में बेन के अतिरिक्त क्लब के अन्य सभी सदस्यों ने भाग लिया। व्यक्तिगत रूप से इस आयोजन के सम्बन्ध में सदस्यों की यह राय थी कि प्रथम अनुभव की दृष्टि से यह आयोजन बहुत सफल था....अगले वर्ष जब क्लब के सदस्य फिर इस प्रकार का आयोजन करेंगे तो उन्हें इस में सम्भवतः भय का अनुभव कम होगा।"

उस सत्र की अन्तिम बैठक में सदस्यों ने संक्षेप में क्लब के जरूरी कामों के सम्बन्ध में ही विचार किया। वे समूह के लिए कोई निर्णय करने में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि वस्तुतः वे नृत्य-कार्यक्रम के आयोजन को ही सत्र की अन्तिम बैठक के रूप में मान रहे थे और इस समय केवल अन्तिम बैठक की औपचारिकता का निर्वाह करने के लिए एकत्र हुए थे।

"४ जून—(उपस्थिति—आर्नल्ड, बेन, जैक, लारी, सौल और स्टीव)—जब मैंने यह प्रश्न पूछा कि क्लब के सदस्यों का किंग्स क्लब के साथ संयुक्त रूप से कार्य का अनुभव कैसा रहा, तो इस पर सबने यही कहा कि जहाँ तक आज की बैठक में उपस्थित सदस्यों का सम्बन्ध है, उनकी दृष्टि से वह अनुभव अच्छा ही था। केवल एक सदस्य की राय भिन्न थी। मैंने उनसे कहा कि इस सम्बन्ध में व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, बल्कि पूरे समूह की दृष्टि से विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रायः सभी समूहों में एक या दो व्यक्ति तो ऐसे होते ही हैं, जो अन्य सदस्यों की साथ उन्हीं की तरह नहीं सोचते या नहीं काम करते हैं। सभी लड़के इस विषय में एक मत थे कि नृत्य-कार्यक्रम में उन्हें बहुत आनन्द आया था, किन्तु उन्हें इसी बात से निराशा हुई थी कि आयोजन में उपस्थित होने वालों की संख्या अधिक नहीं थी। किन्तु एक तरह से वे कम उपस्थिति के कारण प्रसन्न भी थे क्योंकि नृत्य-कार्यक्रम के अवसर के लिए हमने सामग्री आदि की सुविधाओं की जो तैयारी की थी, वह इतने ही लोगों के लायक थी। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि लड़के उस कार्यक्रम की उपयोगिता और सफलता या असफलता के सम्बन्ध में विवेचना करें, पर वे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, जिससे मेरा सब प्रयत्न बेकार सिद्ध हो रहा था। अतः मैंने यह अनुमान किया कि वे सभी बहुत खुश थे और अगले वर्ष जब वे नृत्य-आयोजन करेंगे तो उस समय उन्हें इतनी अधिक कठिनाई नहीं होगी।"

इस तरह मिड टाउन ब्वायज क्लब, जो वार्षिक सत्र के प्रारम्भ में एक नये और असंघटित समूह के रूप में शुरू हुआ था, वर्ष-सत्र के अन्त में एक ऐसे संघटित क्लब के रूप में विकसित हो गया, जिसे कठिन श्रम के फलस्वरूप, मन्द गति से ही सही, उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई थी।

इस क्लब के कार्यों को अलग-अलग सफलता की एक-एक सीढ़ी के रूप में देखा जा सकता है। उनमें से प्रत्येक पूर्ववर्ती कार्यक्रम परवर्ती कार्यक्रम की ठोस आधार-शिला के रूप में था। यदि हम क्लब के प्रत्येक कार्यक्रम को लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि क्लब और उसके सदस्यों को सामूहिक जीवन की शिक्षा देने के साधन के रूप में ग्रहण करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि क्लब के पहले वार्षिक सत्र के कार्यों का मूल्यांकन उनकी सफलताओं या असफलताओं के आधार पर नहीं, बल्कि उनके माध्यम से क्लब के सदस्यों को प्राप्त होने वाली शिक्षा तथा अनुभवों के आधार पर होना चाहिए।

इस दृष्टि से देखने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन कार्यक्रमों से क्लब को तथा उसके सदस्यों को अनेक लाभ हुए तथा उनके भीतर पर्याप्त परिवर्तन भी घटित हुआ। सदस्यों में व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर यह आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ कि उनमें कोई भी कार्य पूरी तरह सम्पन्न कर सकने की क्षमता है। सदस्यों ने अपने क्लब का

संघटनात्मक स्वरूप स्वयं निर्धारित किया था और यद्यपि इस स्वरूप में पूर्ववर्ती मिड टाउन टीन्स क्लब की कई बातें सम्मिलित कर ली गयी थीं, फिर भी उसकी कार्य-पद्धति का ढांचा अपने निजी वैशिष्ट्य से युक्त था। इस समूह को प्रारम्भ में अनेक विषयों के सम्बन्ध में निर्णय करने में विशेष कठिनाई होती थी, किन्तु वर्ष पूरा होते-होते उनकी निर्णय-क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हो गयी और किसी विषय पर विचार करते समय अपनी वैयक्तिक रुचि और हित का ध्यान रखने की उनकी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर कम होती गयी। वर्ष के अन्त में क्लब के प्रति उसके सदस्यों का विश्वास काफी बढ़ गया था और वे उसके लिए ऐसी आत्मीय भावना या सम्बन्ध का अनुभव करने लगे, जैसा वर्ष के प्रारम्भ में नहीं करते थे।

यह बात अवश्य थी कि क्लब के कुछ सदस्यो ने अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से प्रगति की थी, किन्तु हर क्षेत्र में प्रगति-सम्बन्धी व्यक्तिगत क्षमता में अन्तर दिखलाई पड़ता है। नवीन स्थिति में पूर्ववर्ती अनुभवों से लाभ उठाने वालों में सम्भवतः आर्नल्ड सब से आगे था क्योंकि वह सबसे अधिक शीघ्रता से उन अनुभवों का उपयोग कर सकता था। वह न केवल पूरे क्लब को मुख्य विचारणीय विषय से हट कर इधर-उधर बहकने पर अथवा गलत कदम उठाने के लिए प्रवृत्त होने पर आपत्ति कर बैठता था, बल्कि वह बराबर स्टीव की अनावश्यक बातों का भी विरोध किया करता था, ताकि क्लब किसी एक ही व्यक्ति के मतो का अन्ध-अनुगामी न बनने पाये। दूसरी ओर स्टीव अन्य सदस्यो को किसी निर्णय पर पहुँचने में सहायता देने की जगह, उसमें बाधक ही बनता था। किन्तु वह ऐसा तभी करता था, जब किसी विषय पर उसका मत औरो के मत से नही मिलता था। फिर भी वह शीघ्र ही अन्य सदस्यों के मतों पर विचार करने लगा, यद्यपि किसी भी स्थिति में वह अपनी इस दृढ़ इच्छा का परित्यागन ही करता था कि संस्था का नाम बढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी संस्था के अध्यक्ष की जो जिम्मेदारियाँ होती है उनसे परिचित होने की दिशा में भी उसने पर्याप्त प्रगति की।

सौल, लरी, और जैक, सभी ने क्लब से सम्बन्धित अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की दिशा में अपनी क्षमता का पर्याप्त विकास किया। यद्यपि कार्यकर्ता के अभिलेखों से हावर्ड की गति-विधियों के सम्बन्ध में कुछ भी पता नही चलता, पर वर्ष के अन्त के एक अभिलेख में उसने हावर्ड के बारे में लिखा है, "यदि मुझे हावर्ड में इसके अतिरिक्त और कोई ठोस प्रगति नहीं दिखलाई पड़ी कि क्लब की बैठकों में उसकी उपस्थिति अधिक नियमित होती गयी, फिर भी मेरा अनुमान है कि अब वह दल का एक अन्तरंग सदस्य बन गया है।" केवल बेन इस दल का एक ऐसा सदस्य था जो दल के कार्यक्रमों में सबसे कम भाग लेता था। इसका कारण सम्भवतः यह था कि दल के

अन्य सदस्य उसके लिए कुछ करने में आवश्यकता से अधिक तत्परता दिखाते थे। फिर भी उसने कुछ कार्यक्रमों तथा विचार-गोष्ठियों में भाग लिया और यह उसके लिए नया अनुभव था।

इस वर्ष के अनुभवों से इस दल के बालकों के लिए एक ऐसी आधार-भूमि तैयार हो गयी है जिस पर उनके भावी सहयोगपूर्ण कार्यक्रम निर्मित हो सकते हैं। आगे इस क्लब में रह कर अथवा इसके बाहर जाकर वे जो भी कार्य करेंगे उनमें वे इन अनुभवों से लाभ उठायेंगे जो वस्तुतः उनके संघटित सामूहिक जीवन के प्रारम्भिक उद्योग के परिणाम हैं।

इस अवधि में अनेक ऐसी स्थितियाँ आयी थीं जिनमें कार्यकर्ता अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेकर क्लब के लिए स्वयं सारा काम आसानी से कर सकता था। किन्तु ऐसा करने पर उसका यह मौलिक उद्देश्य ही नष्ट हो जाता कि समूह के सदस्यों को स्वयं काम करके अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और कार्यकर्ता का काम केवल उनकी सहायता करना है। कार्यकर्ता मिड टाउन ब्वायज़ क्लब की बैठकों में इसलिए उपस्थित रहता था कि वह विचार-विमर्श में सदस्यों का मार्ग-निर्देश कर सके, प्रत्येक स्थिति को अधिक से अधिक सफाई के साथ समझने में उनकी सहायता कर सके और अपने व्यापक अनुभवों के आधार पर वह अपने स्रोतों द्वारा उनका कार्य करा सके। इसके अतिरिक्त इस क्लब में सहायता पहुँचाने की दृष्टि से वह प्रत्येक स्थिति में जिस तरह उपयुक्त ढंग से काम करता था उससे पता चलता है कि व्यक्तियों और समूहों की प्रकृति के सम्बन्ध में उसको पर्याप्त ज्ञान था और उपर्युक्त समूह के साथ काम करते समय वह उस ज्ञान का समुचित उपयोग करता था।

अध्याय १५

समाज कल्याण-सम्बन्धी सामुदायिक संघटन

वैयक्तिक सेवा-कार्य, सामूहिक सेवा-कार्य और सामुदायिक संघटन

सामाजिक कार्य के तीन विशेषीकृत क्षेत्र या विभाग है—वैयक्तिक सेवा-कार्य, सामूहिक सेवा-कार्य और सामुदायिक संघटन। परिभाषा और पहचान की दृष्टि से ये तीनों क्षेत्र जितने अंश या मात्रा में सामाजिक कार्य की पद्धति के अंग माने जाते हैं उसमें परस्पर भिन्नता है। वैयक्तिक सेवाकार्य को सामान्य रूप से सामाजिक कार्य की पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाता है और ऐतिहासिक दृष्टि से वस्तुतः वैयक्तिक सेवा-कार्य पूर्णतः सामाजिक कार्य विषयक पारिभाषिक शब्द है। सामूहिक समाज-सेवा-कार्य उत्तरोत्तर सामाजिक कार्य के एक ऐसे अवयव के रूप में मान्य होता जा रहा है जिसका सम्बन्ध व्यापक अवकाश-कालीन कार्यक्रमों और मनोरंजन के क्षेत्रों से है। सामुदायिक संघटन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पुराने समय से बहुत व्यापक अर्थ में होता आ रहा है, किन्तु अब सामुदायिक संघटन को भी एक आधारभूत सामाजिक कार्य-पद्धति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। 'सामुदायिक संघटन' शब्द का प्रयोग सामाजिक कार्य-सम्बन्धी आयोजनों के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही अनेक प्रकार के ऐसे सामुदायिक उद्यमों के लिए भी किया जाता है जिनका सामाजिक कार्य अथवा समाज-कल्याण सम्बन्धी समस्याओं से कोई सीधा सम्बन्ध नही है। इस अध्याय में हमारी विवेचना सामाजिक कार्य के उन्हीं पक्षों तक सीमित रहेगी जिनका सम्बन्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्राथमिक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से है।

यदि सामुदायिक संघटन को उसके सबसे सीधे अर्थ में लिया जाय तो वह ऐसा कार्य है जिसका उद्देश्य समाज के संघटक अवयवों—व्यक्तियों और समूहों—की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यह समुदाय का वह संघटित प्रयत्न है जिसके द्वारा समाज के अंगभूत व्यक्तियों की सामाजिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं तथा सामुदायिक समूहों की सामान्य जरूरतों की पहचान की जाती, उनकी परिभाषा निर्धारित होती तथा उनकी पूर्ति की जाती है। वस्तुतः समुदाय स्वयं एक सम्मिलित समूह है जिसकी कुछ

अपनी मौलिक आवश्यकताएँ होती है जिनकी पूर्ति उसी प्रकार होनी चाहिए जैसे समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। सामुदायिक संघटन ऐसा प्रयत्न है जिसका उद्देश्य समाज के वर्तमान साधनों का उपस्थित समस्याओं के समाधान में इस तरह विनियोग करना है कि समुदाय की उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय, और आवश्यकता पड़ने पर उन साधनों में संशोधन-परिवर्तन भी किया जा सके ताकि उनका अधिक प्रभावात्मक उपयोग हो सके। उसका यह भी उद्देश्य है कि जो विशिष्ट सेवाएँ वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम हो गयी है उन्हें समाप्त करने का प्रयत्न किया जाय और आवश्यक होने पर नवीन साधनों का विकास भी किया जाय।

सामुदायिक संघटन-कार्यकर्ता का कार्य मुख्यतः स्वास्थ्य और जनकल्याण-सम्बन्धी उन विविध प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करना है जिनसे समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे पारिवारिक और बाल-कल्याण-सम्बन्धी सेवाएँ संस्थागत एवं पालन-गृह-सम्बन्धी सुविधाएँ, युवकों और वयस्कों के लिए मानसिक स्वास्थ्य-चिकित्सालय परिवारों और बालकों के लिए उपयुक्त विशेष न्यायालय, अवकाश के समय के कार्यक्रम, और इसी प्रकार की अनगिनत सेवाएँ। किन्तु उसका काम इतने ही तक सीमित नहीं है; बल्कि जो संघटन पहले से ही चले आ रहे है उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करना भी है। केवल सेवाओं की संख्या में वृद्धि करते जाना ही पर्याप्त नही है, कार्यकर्ता का मुख्य कार्य यह भी देखना है कि उन सेवाओं के बीच परस्पर सहयोग और समन्वय का सम्बन्ध कितना प्रभावात्मक और क्षमतापूर्ण है। इस युग में किसी सामाजिक अभिकरण के लिए अन्य निजी और राजकीय कल्याणकारी साधनों का सहयोग प्राप्त किये बिना सफलतापूर्वक और सुचारु रूप से कार्य करना असम्भव है। व्यक्ति हो अथवा संस्था या अभिकरण, कोई भी आज के युग में अपने आप में पूर्ण और अपने पर ही निर्भर नही रह गया है।

ऐतिहासिक विकास

ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि सामुदायिक संघटन का कार्य भी उसी समय और उन्ही परिस्थितियों में प्रारम्भ हुआ था जब कि वैयक्तिक और सामूहिक सेवा-कार्य शुरू हुए थे। फिर भी इस क्षेत्र में विशेष प्रगति तब हुई जब कि संघटनों और सामाजिक कार्य करने वाले दलों या समूहों की संख्या और विविधता इतनी अधिक हो गयी कि अनेक प्रकार की गड़बड़ी और भ्रम उत्पन्न हो गये। इन्ही परिस्थितियों में और विभिन्न उपलब्ध सेवाओं के बीच परस्पर दूरी और असहयोग देख कर ही यह आवश्यकता महसूस की गयी कि उन सुविधाओं और सेवाओं

के बीच समन्वय स्थापित करने तथा उनका सम्यक् आकलन करने के लिए कुछ अवश्य किया जाना चाहिए और जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है उनके लिए भी समुचित सेवाओं की योजना बननी चाहिए। सामुदायिक स्तर पर संघटनात्मक कार्य की दिशा में सबसे प्रारम्भ में जो प्रयत्न किये गये उनमें से १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में दान-संघटन-समितियों द्वारा किये गये कार्य विशेष उल्लेखनीय है। उस समय विभिन्न अभिकरणों द्वारा की जाने वाली सेवाओं के स्वरूप और गुणों में इतना अधिक वैविध्य और वैभिन्य था कि उसके कारण बहुत गड़बड़ी उत्पन्न हो गयी थी और उन अभिकरणों के पारस्परिक सम्बन्ध भी काफी असन्तुलित थे, अतः उस गड़बड़ी और अव्यवस्था को दूर करने के लिए ही दान-संघटन-समितियों का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था। इसके अतिरिक्त उन समितियों द्वारा प्रत्यक्ष सेवा-कार्य करना भी उस आन्दोलन का उद्देश्य था। उन्ही प्रयत्नों के अनुभवों के आधार पर सामुदायिक सघटन-सम्बन्धी सिद्धान्तो में से एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त की प्रतिष्ठा हुई। अनुभव द्वारा शीघ्र ही यह बात स्पष्ट हो गयी कि यह सम्भव नही है कि एक ही अभिकरण प्रत्यक्ष सेवा का कार्य भी करे और साथ ही उसी प्रकार की सेवा का कार्य (मुख्यतः वैयक्तिक सेवा-कार्य) करने वाले अन्य अभिकरणों के कार्यों के गुण-दोष का निर्णय और उनके बीच समन्वय करने का प्रयत्न भी करे। इन्ही तथा इनसे मिलते-जुलते अन्य प्रयत्नो के अनुभवों से प्रभावित होकर कोष-संग्रह, कार्यक्रम-समन्वयन, स्तर-निर्धारण आदि के लिए अलग तथा प्रत्यक्ष सेवाओं के लिए अलग संघटनों का निर्माण और विकास हुआ। इन दोनों प्रकार की सेवाओं की वस्तुपरकता तथा परस्पर प्रतियोगिता की भावना के अभाव के कारण तथा किसी एक ही अभिकरण तक केन्द्रित न रहकर उनके व्यापक सामुदायिक दृष्टिकोण के कारण उनका स्वरूप और कार्य अनिवार्यतः अलग-अलग और अपनी निजी विशिष्टताओं से युक्त हो गया। इस अध्याय में सामुदायिक संघटनों के समन्वय, प्रतिमान-निर्धारण और कोष-संग्रह-सम्बन्धी कार्यो के विषय में ही विचार किया जायगा।

कोष-संग्रह

इस समय कोष-संग्रह सम्बन्धी कार्य करने वाले अनेक नामधारी समूह या आन्दोलन वर्तमान हैं, जैसे सामुदायिक दान-पेटिका, सामुदायिक कोष, संयुक्त कोष आदि। इन सभी आन्दोलनों और प्रयत्नों का प्रारम्भ उन लोगों की दिलचस्पी और प्रयासों के कारण हुआ जो स्वेच्छापूर्वक काम करने वाले सामाजिक अभिकरणों की सहायता के लिए बहुत अधिक धन दान दिया करते थे। ज्यों-ज्यों सामाजिक अभिकरणों की संख्या तथा उनकी स्वरूपगत जटिलता में वृद्धि होती गयी त्यों-त्यों अधिक मात्रा में दान देने वाले व्यक्तियों

के लिए सामाजिक अभिकरणों के कार्यों तथा कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से जानना और देखना-सुनना असम्भव होता गया। शीघ्र ही यह स्थिति इस सीमा तक पहुँच गयी कि एक ऐसी नवीन सेवा की अवश्यकता महसूस होने लगी जिसका कार्य दान-दाताओं की इस प्रकार की सहायता करना हो कि वे ठीक-ठीक इस बात का निर्णय कर सकें कि जो अभिकरण उनसे सहायता की माँग कर रहा है वह वस्तुतः ऐसा ही सेवा-कार्य कर रहा है या नहीं, जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है और उसका काम इतना अच्छा है या नहीं कि अन्य सहायता माँगने वाली संस्थाओं की आर्थिक सहायता न कर उस विशेष अभिकरण की ही सहायता की जाय। इस प्रकार की सेवा या सहायता की खोज के परिणामस्वरूप ही सामुदायिक कोष-आन्दोलन का प्रारम्भ और विकास हुआ।

इसकी सर्वाधिक प्रगति द्वितीय महायुद्ध के काल में हुई, यद्यपि उसके पहले भी इस विषय से सम्बन्धित कुछ प्रारम्भिक कार्य हो चुका था। बहुत पहले सन् १८८९ में ही डेनवर ने पन्द्रह-सोलह अभिकरणों का एक संघ, सहयोगपूर्ण ढंग से संयुक्त कोष-संग्रह के उद्देश्य से, बनाया था, यद्यपि उस समय इन अभिकरणों के लिए पूरा-का-पूरा दान इस संघ द्वारा ही संगृहीत नहीं होता था और न तो इस संघ ने समुदाय से यही वादा किया था कि इस कोष-संग्रह के अतिरिक्त और किसी प्रकार का कोष-संग्रह-कार्य नहीं किया जायगा। सन् १९०० के आसपास क्लीवलैण्ड के चेम्बर आफ कामर्स ने दान माँगने-वाली संस्थाओं की विश्वसनीयता का पता लगाने के लिए एक उप-समिति का संघटन किया था जिसका काम इस बात की जाँच-पड़ताल करना था कि जो परोपकारी संस्थाएँ समुदाय से दान माँगती हैं उनमें से किसकी माँग उचित है और किसकी अनुचित और उनमें से किसे सहायता देनी चाहिए और किसे नहीं।

इन कार्यों को आगे बढ़ाने वालों में उस समय के पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं की नहीं, बल्कि सामान्य लोगों की प्रमुखता थी। इसके चार प्रधान कारण थे—(१) अधिक दान देने वाले दाता यह सोचते थे कि वे जितना दान देने लायक हैं, उससे अधिक उनसे माँगा जा रहा है; (२) उनका यह भी विश्वास था कि इस तरह के सामुदायिक उद्योग में सामान्य जनता से व्यापक सहयोग प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम आवश्यक हैं; (३) उन्हें इस बात का दुख था कि अलग-अलग कोष-संग्रह का कार्य करने वाले अनेक अभिकरणों की कार्य-क्षमता बहुत कम थी और उनका व्यय बहुत अधिक था; तथा (४) उनका यह भी खयाल था कि कई संस्थाएँ एक ही प्रकार का कार्य करती थीं जिससे एक ही क्षेत्र में कई सेवाओं की पुनरावृत्ति हुआ करती थी, साथ ही वे अभिकरण अनिवार्य और सर्वाधिक प्रभावपूर्ण सेवाओं की पहचान और चुनाव नहीं कर पाते थे।

प्रथम महायुद्ध के समय युद्ध-सम्बन्धी दान-पेटिकाओं का प्रयोग इतना सफल हुआ

था कि उनके कारण दान-पेटिका आन्दोलन को बड़ा बल मिला। युद्ध-विराम होने के बाद युद्ध-सम्बन्धी दान-पेटिकाओं को ही शान्तिकालीन सामुदायिक दान-पेटिकाओं के रूप में बदल दिया गया। इस तरह इन्हीं प्रारम्भिक मार्गान्वेषण-सम्बन्धी कार्यों से उन समुदायव्यापी प्रयत्नों का प्रारम्भ हुआ जिनका आधारभूत सिद्धान्त यह है कि कोष-संग्रह के लिए दस या अस्सी या सौ संस्थाओं या संघटनों द्वारा अलग-अलग प्रयत्न करने से कहीं अच्छा यह है कि सब की ओर से संयुक्त रूप में कोष-संग्रह का एकोन्मुख प्रयास किया जाय क्योंकि इससे अभिकरणों के वृत्तिक कर्मचारियों को धन-संग्रह के कार्य में न फँसकर सेवा-सम्बन्धी अपना कार्य करने का समय मिल सकेगा और इस बात की भी व्यवस्था हो सकेगी कि अभिकरणों द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जाँच-पड़ताल की जा सके और उचित तथा उपयोगी होने पर उनका समर्थन किया जा सके ताकि आम जनता धोखा खाने या ठगी जाने से बच सके अथवा अभिकरणों की अक्षमता के दोष का निराकरण किया जा सके। इस पद्धति से दाताओं के पास दान माँगने वाले एक बार ही जा सकते हैं, पहले की तरह हर संस्था के प्रतिनिधि अलग-अलग दान माँगने के लिए नहीं पहुँचते रहेंगे। इस पद्धति से एक बड़ी समस्या यह उत्पन्न होती है कि इस तरह संयुक्त रूप में अनेक कार्यक्रमों और अभिकरणों के लिए कोष-संग्रह के निमित्त दान माँगते समय दाताओं के सम्मुख जो माँग की जाती है उसमें दान के किसी एक लक्ष्य का ब्योरेवार विवरण नहीं दिया जा सकता। फलस्वरूप इस प्रकार के उद्देश्य से दान देने वालों के सम्मुख लक्ष्य-विषयक वैसी दिलचस्पी नहीं होती जैसी किसी एक अभिकरण या किसी विशेष सेवा के लिए, जिसकी दाता को व्यक्तिगत रूप से जानकारी होती है, दान देने में हो सकती है।

नये-नये कार्यक्रमों का विकास होता जा रहा है। इनमें से कुछ कार्यक्रमों को तो संयुक्त कोष-संग्रह के आन्दोलन में सम्मिलित कर लिया गया है, पर कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिनके लिए अलग से धन-संग्रह किया जा रहा है। इस तरह विभिन्न कायक्रमों या सेवाओं के लिए अलग-अलग कोष-संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है जो फिर एक गम्भीर समस्या का रूप धारण करती जा रही है। (इस सम्बन्ध में इस अध्याय में बाद में विशेष रूप से विचार किया जायेगा)। वर्तमान समय में इस समस्या के होते हुए भी संयुक्त कोष-संग्रह के कार्य का सामान्य अनुभव बहुत उत्साहवर्द्धक है क्योंकि हम देखते हैं कि संयुक्त कोष-संग्रह के आन्दोलन में योग देने वाले या सम्मिलित होने वाले संघटनों और नगरों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती आयी है और अब भी हो रही है। सन् १९५३ में २२५ दान-पेटिका-संघटनों ने अपना जो प्रतिवेदन उपस्थित किया था उसके अनुसार उस वर्ष के कोष-संग्रह आन्दोलन से उन्हें कुल ७ करोड़ १७ लाख २० हजार ७५ डालर प्राप्त हुए थे अर्थात् उन्होंने अपने निर्धारित लक्ष्य का ९७.६ प्रतिशत धन इकट्ठा किया था। इन संघटनों

ने सन् १९५२ में भी अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे और उनके दोनों वर्षों के प्रतिवेदनों की तुलना करने पर पता चलता है कि उन्होंने सन् १९५३ में सन् १९५२ के संगृहीत धन का १०५.४ प्रतिशत धन संगृहीत किया[१]।

समन्वय और प्रतिमान-निर्धारण-सम्बन्धी कार्यक्रम

कोष-संग्रह का कार्य यदि मुख्यतः सामान्य गैर-पेशेवर लोगों की दिलचस्पी और प्रोत्साहन से आगे बढ़ा तो संघटनों के सेवार्थियों और सदस्यों के लिए किये जाने वाले सेवा-कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा उनका प्रतिमान निश्चित करने का कार्य मुख्यतः सामाजिक कार्यकर्ताओं की दिलचस्पी और प्रेरणा से प्रारम्भ हुआ और उन्होंने ही इस कार्य को विकास के पथ पर अग्रसर किया। इस तरह से कार्य करने वाले आज दिन जो संघटन वर्तमान हैं उनमें से कुछ के नाम ये हैं—सामाजिक अभिकरण-समितियाँ, सामुदायिक योजना-समितियाँ, समाज-कल्याण-संघ आदि। इस प्रकार के कार्यक्रमों की प्रगति भी प्रथम महायुद्ध-काल में तथा उसके बाद तीव्र गति से हुई यद्यपि इनका भी महा-युद्ध के पहले ही पिट्सबर्ग, राचेस्टर, मिलवाडकी और क्लीवलैण्ड में प्रारम्भ हो गया था। इन प्रारम्भिक प्रयत्नों का उद्देश्य उस समय प्रचलित विभिन्न सेवा-कार्यक्रमों को परस्पर समन्वित करना तथा उनके कार्य के स्तर को ऊँचा उठाना था। सेवा-कार्यों के स्तर को ऊँचा करने की ओर ही मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित करने की दिशा में लोगों की दिलचस्पी बाद में शुरू हुई। विभिन्न संस्थाओं और कार्यकर्ताओं के बीच परस्पर समन्वय और सहयोग का सम्बन्ध स्थापित करने, संयुक्त रूप से योजना बनाने और प्रतिमान के स्थिरीकरण के सम्बन्ध में सब के एक मत होने के लिए विचारों, योजनाओं और कार्यक्रमों का पर्याप्त आदान-प्रदान हुआ। इन सब प्रयत्नों का प्रधान लक्ष्य यही था कि विभिन्न सेवाओं के स्तर में सुधार किया जाय।

प्रारम्भ में इस प्रकार का कार्य करने वाले संघटनों को सामान्यतया सामाजिक अभिकरण-समिति या सामाजिक अभिकरण-संघ कहा जाता था। किन्तु अब कुछ वर्षों से उनके नामों में जो परिवर्तन हुए हैं उनसे यह पता चलता है कि उनके कार्य-क्षेत्र और दृष्टिकोण में लगातार व्यापकता आती जा रही है, साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि उनके कार्यक्रमों की प्रभावात्मकता भी पहले से अधिक बढ गयी है। अब उन

(१) ईस्थरमूर—"हाउ डिड द कम्पेन गो"—कम्युनिटी, जिल्द, २८, जनवरी, १९५३, पृष्ठ ८३।

सामाजिक अभिकरण-समितियों के नाम बदल कर सामुदायिक समिति, सामुदायिक-योजना-समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण-संघ आदि नये नाम रखे जा रहे हैं। इस नाम-परिवर्तन से जिस महत्त्वपूर्ण प्रगति की सूचना मिलती है वह इस प्रकार की प्रयत्नों में राजकीय अभिकरणों के भी सम्मिलित होने का परिणाम है (जब कि पूर्ववर्ती सामाजिक अभिकरण-समितियों में केवल गैर-सरकारी अभिकरण ही सम्मिलित हो पाते थे)। प्रगति का एक अन्य कारण यह है कि इन समितियों में सामान्य जनता के व्यापक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हो गयी है जिसमें सदस्य संघटनों की परिषदों के प्रतिनिधि तो होते ही हैं, अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों, जैसे चिकित्सा, उपचर्या, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, धर्म, श्रमिक-वर्ग, व्यवसाय आदि के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते है।

संघ या समिति का कार्य प्रायः एक प्रतिनिधि-निकाय द्वारा किया जाता है जिसमे प्रत्येक सदस्य अभिकरण के दो या दो से अधिक प्रतिनिधि रहते हैं। ये प्रतिनिधि पेशेवर और गैर-पेशेवर दोनों प्रकार के कार्यकर्ता होते है जिनमें प्रायः अभिकरण की कार्यकारिणी समिति और साधारण सभा के अध्यक्ष अवश्य सम्मिलित होते है। जिस संघ या समिति के सदस्य-अभिकरणों की संख्या बहुत अधिक होती है उसका प्रतिनिधि-निकाय इतना बड़ा हो जाता है कि वह संघ के बहुतेरे कार्यों का संचालन सुचारु रूप से नही कर पाता, अतः ऐसे संघ अपने प्रशासकीय कार्यों को कुछ विशेष उत्तरदायित्वों तक ही सीमित कर कर देते हैं जैसे संविधान और उपनियमों का निर्धारण तथा निदेशक-मण्डल का चुनाव। निदेशक-मण्डल ही नीति-निर्धारण का कार्य करता है। यह मण्डल चुनाव द्वारा एक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति करता है जिसके जिम्मे वृत्तिक कर्मचारियों से काम लेने तथा संघ की नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कराने का काम सुपुर्द कर दिया जाता है।

अनेक समितियाँ, विशेष कर बड़े-बड़े नगरों की समितियाँ अपने सम्पूर्ण कार्यों को कई भागों में विभक्त कर देती है और उन विभागों के लिए अलग समितियाँ बना देती हैं और ये समितियाँ भी अलग-अलग कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न उपसमितियाँ संघटित कर देती है, जैसे स्वास्थ्य, परिवार और बालकों की सेवाओं से सम्बन्धित उपसमिति अथवा सामूहिक कार्य और मनोरंजन कार्यक्रम-सम्बन्धी उपसमिति। इसके अतिरिक्त यदि संघ का रूप बड़ा हुआ तो उसमें और भी कई उपसमितियों या विभागों का संघटन कर दिया जाता है, जैसे अनुसंधान विभाग या समिति, विशेष कार्यों, जैसे सामाजिक सेवा-विनिमय, सूचना-सेवा और जन-सम्पर्क-सम्बन्धी उपसमितियाँ और स्वयंसेवक-केन्द्र जहाँ मुख्यतः स्वयं-सेवकों की भर्ती और उनका प्रशिक्षण होता है। इन विभिन्न विभागों या उपसमितियों के अध्यक्ष व्यवहारतः सदैव गैर-पेशेवर व्यक्ति ही हुआ करते हैं, किन्तु बड़े समुदायों में

कार्य करने वाली उपसमितियों या विभागों के मंत्री वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता ही होते हैं। इन विभागों का कार्य भी प्रायः अधिकारियों, विशेष कर कार्यकारिणी समितियों के माध्यम से सम्पन्न होता है। उनमें भी प्रतिनिधि-निकाय होते हैं जिनमें विभिन्न सदस्य अभिकरणों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहते हैं। संघ के निदेशक-मण्डल में इन सभी उप-समितियों या विभागों के प्रतिनिधि रखे जाते हैं ताकि नीति-निर्धारण करते समय संघ के विभिन्न घटक तत्त्वों या समितियों का उचित प्रतिनिधित्व तथा उनके अनुभवों और विचारों का समन्वय हो सके।

कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अनेक प्रकार की पद्धतियों या उपायों का अव-लम्बन लिया जाता है, जैसे अध्ययन समितियों का निर्माण जिनमें पेशेवर और गैर-पेशेवर दोनों प्रकार के व्यक्ति सदस्य होते हैं, विचार-विमर्श तथा योजना-निर्माण के लिए अन्य कई प्रकार के विभागों या समितियों का संघटन तथा अनुसन्धान-विभागों या समितियों का संघटन। इसके अतिरिक्त वृत्तिक कर्मचारियों का परामर्श प्राप्त करना तथा स्थानीय समुदाय से बाहर के विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध करने की व्यवस्था करना भी एक सामान्य पद्धति है। स्थानीय समुदायों में किये जाने वाले सेवा-कार्यों के क्षेत्र को व्यापक बनाने तथा उनका देशव्यापी प्रसार करने के लिए और भी कई उपायों का सहारा लिया जाता है, जैसे अमेरिकन एसोसियेशन आफ सोशल वर्कर्स या अमेरिकन एसोसियेशन आफ साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स-जैसी वृत्तिक संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना या उनके साथ सहयोग करना अथवा फेमिली सर्विस एसोसियेशन आफ अरेरिका, द चाइल्ड लीग आफ अमेरिका या कम्युनिटी चेस्ट्स एण्ड कौंसिल्स-जैसी अखिल अमेरिकन संस्थाओं के साथ स्थानीय संघ या समिति को सम्बद्ध कराना।

दान-पेटिका-समितियों के साथ सहयोग पूर्ण समन्वय स्थापित करने का कार्य, कार्य-कारी मण्डल के सदस्यों द्वारा, जो दोनों मण्डलों के सदस्य होते हैं, कर्मचारी मण्डल के सदस्यों की परामर्श-गोष्ठी तथा समितियों की संयुक्त बैठक और संयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। इन संयुक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत सूचना-प्रसार, लोक-सम्पर्क तथा स्थानीय समुदाय के लिए आवश्यक अन्य कार्य सम्मिलित होते हैं।

कोष-संग्रह-समितियों और योजना तथा समन्वय-समितियों के पारस्परिक सम्बन्ध का स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। इन दोनों प्रकार की समितियों के कार्य अलग-अलग होते हैं और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता होती है। कुछ बड़े नगरों तथा अधिकांश छोटे नगरों में इन दोनों प्रकार के संघटनों के कार्यालय एक ही भवन में स्थित होते हैं। कुछ नगरों में तो दोनों समितियों की कार्यकारिणी-परिषद् और निदेशक-मण्डल एक ही होते हैं और कोष-संग्रह तथा योजना-सम्बन्धी कार्यों

के लिए अलग-अलग विभाग या समितियाँ बना दी जाती हैं। कहीं-कहीं कार्यकारिणी समिति एक ही होती है, किन्तु कोष-संग्रह और योजना कार्य के लिए दो अलग-अलग निदेशक-मण्डल संघटित कर दिये जाते हैं, यद्यपि प्रायः कई व्यक्ति दोनों ही मण्डलों के सदस्य होते हैं। जिन बड़े नगरों में ये दोनों प्रकार के संघटन अलग-अलग स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं वहाँ भी प्रायः कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दोनों ही संघटनों के निदेशक-मण्डल के सदस्य होते है।

समितियों का उनके सदस्यों के साथ तथा दान-पेटिका-संघों का उनके सदस्य अभिकरणों के साथ जो सम्बन्ध होता है, उन दोनों के स्वरूप में मौलिक अन्तर होता है। चूँकि दान-पेटिका-संघ अपने सदस्य अभिकरणों को आर्थिक अनुदान देता है, अतः उन पर उसका अधिक सशक्त नियन्त्रण होता है। किन्तु अभिकरण-समितियों का नियन्त्रण सीमित होता है क्योंकि उन समितियों की संयुक्त बैठक में पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद सबकी स्वीकृति से ही कोई काम होता पाता है। इस तरह इन समितियों के सदस्य उनके नियन्त्रण को स्वेच्छापूर्वक ही स्वीकार करते हैं। वस्तुतः ये समितियाँ उन पर बलपूर्वक अपने निर्णय नहीं लादतीं और न ऐसा करना चाहती हैं। अतः यदि समितियों के निर्णयों के औचित्य में सदस्य अभिकरणों का विश्वास होता है और वे सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं तभी अपेक्षित फल की प्राप्ति हो सकती है। इसके विपरीत दानपेटिका-संघों के ऊपर संगृहीत कोष से सदस्य अभिकरणों को अनुदान देने का उत्तरदायित्व होता है। वे जिसे चाहे अनुदान दें, या न दें, यह उनके हाथ में होता है। इस कारण सदस्य अभिकरणों पर उनका नियन्त्रण अथवा अनुशासन बहुत अधिक होता है।

सामाजिक योजना के कार्य और कोष-संग्रह तथा अनुदान-वितरण के उत्तरदायित्व को बिलकुल अलग-अलग नही रखा जा सकता और न रखना चाहिए। वस्तुतः योजना-निर्माण, कोष-संग्रह और अनुदान-वितरण के कार्य समन्वित रूप में और सहयोगपूर्ण ढंग से अत्यन्त सावधानी से सम्पादित होने चाहिए। अनुदान-वितरण की पद्धति बहुत सावधानी से निर्धारित की जानी चाहिए और उसका आधार यह हो सकता है कि अनुदान देते समय इन बातों पर ध्यान रखा जाय कि जिस समुदाय के अभिकरण को अनुदान देना है उसकी समग्र आवश्यकताएँ कितनी हैं, उसके समस्त सरकारी और गैर-सरकारी साधन क्या हैं और वहाँ अभिकरण द्वारा जो सेवा-कार्य किया जाता है उसका स्तर कैसा है। अनुदान वितरण करने वाला निकाय या उपसमिति चाहे कितनी भी सतर्कता बरते, पर प्रायः उसके पास आये प्रार्थना-पत्रों में जितनी सहायता की माँग की गयी रहती है, उसे पूरी करने में वह असमर्थ होती है क्योंकि कोष हमेशा कम पड़ जाता है। इस तरह समितियों की आय-व्ययक-उपसमिति को सदैव इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि यदि

किसी अभिकरण को जो अनुदान दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है तो उस सीमित धनराशि से वह अभिकरण समूचे समुदाय का सर्वोत्तम ढंग से हित-साधन कैसे कर सकता है ? नयी सेवाएँ प्रारम्भ करने के प्रसंग में यह प्रश्न और भी अधिक उग्र रूप में उपस्थित होता है कि यदि पहले से चलने वाले कार्यक्रमों के लिए ही पर्याप्त धन नहीं है तो नयी सेवाएँ प्रारम्भ करने की अनुमति कैसे दी जाय ? इससे यह प्रमाणित होता है कि सामाजिक योजना और अनुदान-वितरण दोनों ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जिनमें समुदाय की समग्र आवश्यकताओं और वर्तमान साधनों का निरन्तर मूल्यांकन और परीक्षण करते रहने की आवश्यकता होती है । और यह देखना होता है कि क्या नयी आवश्यकताएँ उन आवश्यकताओं से अधिक अनिवार्य और तात्कालिक हैं जिनकी पूर्ति के साधन और सुविधाएँ पहले ही वर्तमान हैं ? किसी कार्यक्रम को केवल इसी कारण जारी रखना कि वह पहले से चल रहा है और उसके लिए सुविधाएँ वर्तमान हैं, अपने आप में कोई महत्त्व नहीं रखता । उसे जारी रखने का एक मात्र औचित्य यही होना चाहिए कि उसका स्तर ऊँचा है और उसकी उपयोगिता एवं व्यापकता अधिक है । जीवन के अन्य क्षेत्रों की भाँति समाज-कल्याण के क्षेत्र में भी नयी सेवाओं या योजनाओं को प्रारम्भ कर देना तो आसान है, पर उन सेवाओं को समाप्त कर देना उतना आसान नही है जो वर्तमान स्थिति में अनावश्यक अथवा कम प्रभावात्मक हो गयी हैं, फिर भी चलती जा रही हैं । अतः यह देखने की आवश्यकता होती है कि जो कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं और जिन नये कार्यक्रमों के लिए जनता आग्रह कर रही है, उनमें से समुदाय की समग्र आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से कौन अधिक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है ।

सामुदायिक संघटन के सामाजिक कार्य-सम्बन्धी संघटक अवयव

राष्ट्रीय सामाजिक कार्य-सम्मेलन ने अनेक वर्षो तक सामुदायिक संघटन और उसके सामाजिक कार्य-सम्बन्धी संघटक तत्त्वों की परिभाषा को स्पष्ट और निश्चत रूप देने के प्रयत्न में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है । सन् १९३९ में सम्मेलन की एक समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें एक वर्ष में सामुदायिक संघटन के विषय में होने वाले अध्ययन और सम्मेलन के लिए उसकी सार्थकता का लेखा-जोखा उपस्थित किया गया था । वह प्रतिवेदन छः नगरों की विचार-गोष्ठियों में होने वाले विचार-विमर्श के आधार पर तैयार किया गया था[२] । इस प्रतिवेदन के अनुसार आज की तरह ही उस समय भी

(२) बोस्टन, बफेलो, डेट्रायट, न्यूयार्क, पिट्सबर्ग और शिकागो

सामुदायिक संघटन शब्द का अर्थ एक पद्धति विशेष तथा एक कार्य-क्षेत्र दोनों ही समझा जाता था और बहुधा इसके प्रयोग में इन दोनों अर्थों को परस्पर एक-दूसरे से मिला दिया जाता था। सामुदायिक संघटन सम्बन्धी कुछ कार्य तो सामाजिक कार्यों के अन्तर्गत ही किए जाते थे, पर कुछ उसकी सीमा के बाहर होते थे। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया था कि सामुदायिक संघटन-सम्बन्धी जो कार्य सामाजिक कार्यों के अन्तर्गत किये जाते थे वे कुछ अभिकरणों के कार्य के प्रमुख अंग होते थे और कुछ में उनको अपने कार्यक्रम का गौण या प्रासंगिक अंग मान कर अपनाया जाता था और ये सभी सामुदायिक संघटन-सम्बन्धी कार्य स्थानीय पास-पड़ोस के स्तर से लेकर राष्ट्रीय क्षेत्र के स्तर तक व्यापक रूप में किये जाते थे[1] (और आज तो वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के स्तर पर भी सम्पादित किये जा रहे हैं)। सम्मेलन में सन् १९३९ के बाद से प्रतिवर्ष विभिन्न समितियों में विचार-विमर्श तथा निबन्धों द्वारा सामुदायिक संघटन की परिभाषा, कार्य-विधि, सिद्धान्त और दर्शन के स्पष्टीकरण और निरूपण के लिए बराबर प्रयत्न किया जाता रहा है।

सन् १९४७ में जब राष्ट्रीय सामाजिक कार्य-सम्मेलन का अधिवेशन सानफ्रांसिस्को में में हुआ तो उसमें फिर नये सिरे से इस विषय पर बैठकों और निबन्धों का सिलसिला शुरू हुआ और इस तरह यह सम्मेलन इस विषय के अध्ययन और परिभाषा-निर्धारण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इस सम्मेलन में इस विषय पर अनेक निबन्ध पढ़े गये जिनमें पेन्सिलवानिया स्कूल आफ सोशल वर्क के श्री केनेथ प्रे, पिट्सबर्ग स्कूल आफ सोशल वर्क के श्री विल्बर आइ० न्यूस्टेटर और नेशनल अर्बन लीग के श्री लीस्टर ग्रैंगर के निबन्ध विशेष उल्लेखनीय थे। सामुदायिक संघटन के उस अंश की जो सामाजिक कार्य का अविच्छिन्न अंग है, और उस अंग की जो सामाजिक कार्य की सीमा के बाहर होते हुए भी समुदाय के समग्र विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, परिभाषा निश्चित करने की दिशा में इन निबन्धों का योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण था।

श्री प्रे के निबन्ध का विषय था, "सामुदायिक संघटन कब सामाजिक कार्य का रूप ग्रहण करता है?" विषय की गहराई में प्रवेश करने के पूर्व इस प्रश्न पर विचार करना स्थगित करके कि सामुदायिक संघटन कब सामाजिक कार्य का रूप ग्रहण कर लेता है, श्री प्रे ने अपने निबन्ध में पहले यह प्रश्न उठाया है कि सामुदायिक संघटन सामाजिक कार्य है या नहीं। उन्होंने इस प्रसंग के अन्त में लिखा है—

(३) **बेनी मैकमिलन—कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन फार सोशल वेलफेयर—शिकागो, युनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, १९४५, पृष्ठ ३६–३९।**

"सामुदायिक संघटन भी सामाजिक कार्य ही है। इस कार्य में लगे कार्यकर्ता सामाजिक कार्य-सम्बन्धी किसी एक पेशे के विकास में योगदान कर सकते हैं, पर इसके लिए तीन शर्तें हैं—(१) उन्हें इस बात पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा कि वे अपने उद्देश्यों के अनुरूप उस कार्य की प्रक्रिया को इस प्रकार विकसित करें कि उसके द्वारा जनता के पारस्परिक सामाजिक सम्बन्ध सन्तोषप्रद और फलदायक बन सकें। (२) दूसरी शर्त यह है कि वे अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए सदा लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का सहारा लें और उनकी इस बात में आस्था हो कि व्यक्ति और समुदाय के उन अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए जिनके आधार पर व्यक्ति और समुदाय आपस में सुख और सन्तोष प्रदान करने वाले सम्बन्धों की स्थापना करते तथा अपने निर्धारित लक्ष्य की सिद्धि के लिए उन सम्बन्धों का समुचित उपयोग करते हैं। (३) तीसरी शर्त यह है कि कार्यकर्ता को व्यावहारिक सेवा-कार्य के लिए आवश्यक तथा उस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली आधारभूत प्रक्रियाओं, पद्धतियों और कौशलों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वह उनके सहारे किसी भी सेवा-कार्य का प्रारम्भ करने तथा उसे जारी रख सकने में सक्षम हो सके और व्यक्तियों तथा समूहों के साथ उसका सम्बन्ध नियन्त्रण करने की भावना पर नही, बल्कि सहायता करने की भावना पर आधारित हो सके[४]।

अन्तःसामूहिक समाज-सेवा-कार्य की प्रक्रिया

श्री न्यूस्टेटर के निबन्ध का विषय था "अन्तःसामूहिक समाज-सेवा-कार्य की प्रक्रिया।" इस शब्द-समूह (अन्तःसामूहिक समाज-सेवा-कार्य) से सामुदायिक संघटन के सामाजिक कार्यों से सम्बन्धित संघटक तत्त्वों की परिभाषा का स्पष्टीकरण करने की दिशा में एक नवीन धारणा का प्रारम्भ हुआ। यह धारणा भी समुदाय-सम्बन्धी एक अन्य सुनिश्चित धारणा पर आधारित है। समुदाय की परिभाषा विभिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न ढंग से निश्चित करने का प्रयास किया है क्योंकि समुदाय को देखने-समझने की उनकी दृष्टियाँ अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग मानवों के उस समूह को समुदाय कहते हैं जो एक मानव-निर्मित सीमा वाले भौगोलिक क्षेत्र में या नैसर्गिक सीमा वाले स्थलाकृतिक

(४) केनेथ एल० एम० प्रे—"ह्वेन इज कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन सोशल वर्क प्रैक्टिस ?"—प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल कान्फ्रेंस आफ सोशल वर्क—१९४७—पृष्ठ २०३–२०४।

क्षेत्र में रहते हैं और कुछ लोग मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक प्रकार के व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं। इसी प्रकार और भी परिभाषाएँ बतायी जाती हैं। अन्तःसामूहिक समाज-सेवा-कार्य की धारणा की आधारभूमि समूह की वह परिभाषा है जो यू बैंक ने बतायी है। वह यह है—

"दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों को समूह कहा जायगा जिनके बीच परस्पर मानसिक क्रिया-प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है और जिनके पारस्परिक सम्बन्धों को अन्य सभी व्यक्तियों के साथ उनके सम्बन्धों से अलग करके देखा और पहचाना जा सकता है और इसी आधार पर उनकी एक अलग सत्ता मानी जा सकती है[५]।"

श्री न्यूस्टेटर की परिभाषा के अनुसार समुदाय और समूह दोनों शब्द पर्यायवाची हैं और समूह अथवा व्यक्तियों के समूहो को ही समुदाय कहा जाता है।

यह परिभाषा इस मान्यता पर आधारित है कि किसी समूह में सामुदायिक भावना उत्पन्न होने के पूर्व उसके सदस्यों के बीच परस्पर मानसिक क्रिया-प्रतिक्रिया का स्वाभाविक सम्बन्ध अनिवार्यतः होता ही है। यदि कुछ व्यक्ति एक साथ रहते है,किन्तु उनके बीच परस्पर मानसिक क्रिया-प्रतिक्रिया का सम्बन्ध नहीं है तो उन्हें समूह की संज्ञा नही दी जा सकती। उक्त परिभाषा का आधार यह विश्वास भी है कि यदि कोई व्यक्ति समाज में अपना गौरव का स्थान और प्रभाव रखता है और समुदाय का नेतृत्व कर सकने की स्थिति में है तो इसका कारण यह है कि उसका कुछ विशेष समूहों के साथ इस प्रकार का सम्बन्ध है और उसमें ऐसी क्षमता है कि वह अन्य समूहों का समर्थन प्राप्त कर सकता है अथवा उन्हें प्रभावित कर सकता है। ये समूह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक समूह, धार्मिक समूह, व्यावसायिक संस्था, मजदूर-संघ, वृत्तिक संघटन और इसी प्रकार के अन्य विविध समूह। अतः यदि व्यक्ति को उसके समूहगत सम्बन्धों से विच्छिन्न कर दिया जाय तो समुदाय के लिए उस व्यक्ति की अपने आप में कोई सार्थकता नहीं रह जायेगी।

इस दृष्टि से सामुदायिक संघटन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस समुदाय के विभिन्न समूहों के बीच परस्पर किस प्रकार सम्बन्ध है अथवा वे समूह किसी विशेष कार्यक्रम को प्रभावित करने की स्थिति में हैं या नहीं। यह तो स्पष्ट ही है कि किसी समुदाय के सभी बड़े या छोटे समूहों का भीड़ बना कर एक साथ बैठना असम्भव और अव्यावहारिक है, अतः उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से उनके बीच उपर्युक्त ढंग का

(५) अर्ले ई० यूबंक—द कान्सेप्ट्स आफ सोशियालोजी—बोस्टन डी० सी०, हीथ एण्ड कम्पनी, १९३२, पृष्ठ १६३।

क्रिया-प्रतिक्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता या उसके लिए सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं। यदि कोई सामुदायिक संघटन किसी विशेष समुदाय में मनोरंजन-कार्य-सम्बन्धी किसी प्रायोजना का प्रारम्भ करना चाहता है तो इसके लिए ऐसा प्रबन्ध किया जा सकता है कि नगर के मनोरंजन-विभाग, विद्यालयों, अभिभावकों और अध्यापकों के संघों, नागरिक समूहों, नवयुवक ईसाई-संघों, नवयुवती ईसाई-संघों, व्यवस्थापन-गृह, बाल-क्लब तथा अन्य विभिन्न अवकाशकालीन कार्यक्रमों के प्रतिनिधि एक साथ इकट्ठे होकर प्रेमपूर्वक मिले, बैठकें करें और समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकमत होकर योजनाएँ बनायें। किन्तु इतना होने पर भी तब तक सफलता नहीं प्राप्त हो सकती जब तक कि वे समूह जिनके प्रतिनिधि योजनाओ के सम्बन्ध में कुछ निश्चय करते हैं (जैसे नगर-शासन, विद्यालय-सघ, अवकाशकालीन कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएँ और चर्च) स्वयं आगे बढ़ कर तथा एक साथ मिलकर किसी सेवा-कार्य-सम्बन्धी कार्यक्रम का प्रारम्भ नहीं करते तथा उसके लिए सुविधाएँ नही प्रदान करते।

इस तरह अन्तःसामूहिक कार्य के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं—(१) ऐसे व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करना जो विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करते है। (२) उन समूहों के साथ मिलकर कार्य करना जिनके प्रतिनिधि पहले एक साथ मिलकर योजना बना चुके हों। (३) प्रतिनिधियों के समूह या "अन्तःसमूह" के साथ मिलकर कार्य करना।

विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि तीन प्रकार के हो सकते हैं। कुछ प्रतिनिधि तो अपने समूह के आधिकारिक प्रतिनिधि होते है क्योंकि वे अपने समूह द्वारा औपचारिक ढंग से प्रतिनिधि चुने जाते हैं तथा उन्हें यह निर्देश भी दे दिया जाता है कि वे समूह की ओर से क्या बातें करेंगे। ऊपर प्रतिनिधियों को एकत्र करने का जो उदाहरण दिया गया है, उसमें शिक्षा-परिषद् के प्रतिनिधि का उल्लेख किया गया है। हो सकता है कि शिक्षा-परिषद् का सरकारी और गैरसरकारी संघटनों के बीच उत्तरदायित्व के बटवारे के सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धान्त हो और साथ ही इस बारे में भी उसकी कोई निश्चित नीति हो कि उस समय वर्तमान कोष, कर्मचारी-मण्डल और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रख कर परिषद् इस दिशा में क्या कार्य कर सकती है। इन सब बातों का विचार करके परिषद् अपने कर्मचारियों में से किसी ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि मनोनीत करती है जो उसके सिद्धान्तों और नीतियों को प्रतिनिधि-सभा में सही ढंग से उपस्थित कर सके और परिषद् की स्थिति को औरों के सामने स्पष्ट कर सके।

कुछ उदाहरण ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें प्रतिनिधि तो आधिकारिक हों, पर उन्हें यह निर्देश न दिया गया हो कि वे प्रतिनिधि-सभा में क्या कहे या करेंगे। उदाहरणार्थ,

किसी व्यवस्थापन-गृह की ओर से कोई कर्मचारी या व्यवस्थापक-मण्डल का कोई सदस्य प्रतिनिधि के रूप में उस बैठक में भाग लेने के लिए भेजा जाय अथवा दोनों ही भेजे जायँ जो बैठक में विचारणीय विषय पर पर अच्छी तरह विचार कर सकें। ये प्रतिनिधि अपनी संस्था के सिद्धान्तों और नीतियों के अनुसार अपने विचार व्यक्त करेंगे, पर संस्था की ओर से कोई पूर्व निर्देश न होने के कारण वे किसी विषय पर मतदान करने के लिए स्वतन्त्र होंगे। यदि उस अन्तःसामूहिक सभा में विचार-विमर्श के प्रसंग में कोई नया प्रश्न छिड़ता या कोई नया तथ्य सामने आता है तो व्यवस्थापन-गृह का प्रतिनिधि (या प्रतिनिधि-गण) समग्र समुदाय तथा अपनी संस्था के सर्वाधिक हित को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक के अनुसार स्वतन्त्र रूप से मतदान करेंगे।

तीसरे प्रकार के प्रतिनिधि वे होते हैं जो किसी विशेष समूह या समूहों का प्रतिनिधित्व तो अवश्य करते हैं, पर वे अपने समूह द्वारा आधिकारिक रूप से निर्वाचित या मनोनीत किये गये प्रतिनिध नही होते और न वे अपने कार्यो के लिए अपने समूह के प्रति उत्तरदायी ही होते है। उदाहरण के लिए, सभा श्री 'क' को समाचार-पत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहती है। अतः श्री 'क' सभा में जो विचार व्यक्त करेंगे वह केवल उन्हीं के समाचार-पत्र का दृष्टिकोण व्यक्त करने वाला विचार नही माना जायेगा, बल्कि उसे सभा में विचारणीय समस्या के प्रति सभी समाचार-पत्रों का सामान्य दृष्टिकोण समझा जायेगा। श्री 'क' जो कुछ कहेंगे वह किसी विशेष समाचार-पत्र का विचार नही होगा और न उन्हें वापस जाकर किसी समाचार-पत्र के अधिकारियों से यह बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने सभा में क्या कहा और किया। इन तीनों प्रकार के प्रतिनिधियों में से पहले दो प्रकार के प्रतिनिधियों की कार्य-पद्धति अन्त.सामूहिक कार्य की सफलता के लिए आधारभूत आवश्यकताओं में से एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करती है और वह यह है कि किसी समूह के प्रतिनिधि को आधिकारिक रूप से अपने समूह के विचारों या सिद्धान्तों को अन्तःसमूह के पास पहुँचाना चाहिए और उसी तरह अन्तःसामूहिक बैठक में व्यक्त किये गये विचारों, उसके सुझावों तथा कार्यो के बारे में वापस जाकर अपने समूह को पूरी तरह परिचित कराना चाहिए। इस तरह प्रतिनिधियों का जो "दुहरा सम्बन्ध" होता है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और इस समस्त कार्य-प्रक्रिया का सबसे कठिन भाग होता है।

अन्तःसामूहिक कार्य-प्रक्रिया को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी मान्यता दिलाने के लिए दो बातों की ओर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है। इस पुस्तक के 'सामूहिक कार्य' विषयक अध्याय में हम दिखा चुके हैं कि अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों पर आधारित वैयक्तिक आवश्यकताओं और सामाजिक या सामुदायिक आवश्यकताओं—दोनों का

कितना अधिक महत्त्व है। अन्त:सामूहिक कार्य-प्रक्रिया का एक दुहरा उत्तरदायित्व यह भी है कि उसमें जो समूह भाग लेते हैं उनके पारस्परिक सम्बन्ध सन्तोषप्रद बनें और साथ ही समूह जिस सामाजिक लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं अर्थात् वे जिस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं उसकी भी इस तरह पूर्ति या प्राप्ति हो जिससे सब समूहों को समान रूप से सन्तोष और लाभ प्राप्त हो। इस प्रक्रिया में वैयक्तिक आवश्यकताओं की ओर उसी सीमा तक ध्यान दिया जाता है जहाँ तक वे अन्त:सामूह के किसी सदस्य या प्रतिनिधि की कार्य-क्षमता में बाधक होते हैं। इस तरह इस कार्य-प्रक्रिया के अन्तर्गत समूह और समुदाय की आवश्यकताओं का स्थान प्रमुख तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं का स्थान गौण है। किसी भी कार्यक्रम को सही अर्थ में सामाजिक तभी कहा जा सकता है जब कि उसका लक्ष्य सामाजिक हो। अत: सामाजिक कार्य कहे जाने के लिए यह आवश्यक है कि अन्त:सामूहिक कार्य-प्रक्रिया के अन्तर्गत सामाजिक लक्ष्य और सन्तोष-प्रद अन्त:सामूहिक सम्बन्ध, दोनों पर एक साथ समान रूप से निरन्तर ध्यान केन्द्रित रखा जाय।

अपने निबन्ध में श्री न्यूस्टेटर ने यह भी बताया है कि उस अन्त:सामूहिक कार्य के लिए, जिसे सामाजिक कार्य-प्रक्रिया कहा जा सकता है, कौन-सा काल अधिक उपयुक्त होता है[१]।

(६) इस अध्याय में 'प्रक्रिया' शब्द का प्रयोग कई विभिन्न सन्दर्भों में किया गया है, अत: यह समझ लेना आवश्यक है कि इस शब्द का प्रयोग कितने रूपों में होता है—

(क) 'किसी विशेष लक्ष्य को ध्यान में रख कर किये जाने वाले कार्यों की क्रमबद्ध शृंखला' का ही नाम प्रक्रिया है। (द अमेरिकन कालेज डिक्शनरी—न्यूयार्क, पृष्ठ ९६५।)

(ख) विभिन्न व्यक्तियों के बीच होने वाली क्रिया-प्रतिक्रिया की शृंखला ही सामाजिक प्रक्रिया है। केवल एक समय में कुछ व्यक्तियों के एक साथ रहने मात्र से नहीं, बल्कि पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया से व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिससे उनमें परस्पर विचारों और भावों का आदान-प्रदान होता तथा वे एक दूसरे के कार्यों से प्रभावित होते हैं ?

(ग) सामाजिक प्रक्रिया उस स्थिति में सामाजिक कार्य की प्रक्रिया बन जाती है जब कि (१) उसके उद्देश्य सामाजिक कार्य के उद्देश्यों के अनुरूप या समान होते हैं।

"मेरा यह सुझाव है कि अन्तःसामूहिक कार्यों को अन्तःसामूहिक कार्य-प्रक्रिया का रूप देने के लिए हमें सामाजिक कार्य-सम्बन्धी पद्धतियों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब कि किसी अन्तःसामूहिक बैठक के नियन्त्रण या सेवा-सम्बन्धी उसकी किसी योजना का मूल उद्देश्य यह हो कि वे समूह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना कोई निश्चित सामाजिक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए सहयोगपूर्ण ढंग से कोई योजना बनायेंगे और उस लक्ष्य तक पहुँचने की प्रक्रिया में उनकी क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ उत्तरदायित्वपूर्ण तथा ऐक्य-भावना से युक्त होंगी। हमें इस ओर तब अग्रसर होना चाहिए जब हमें यह विश्वास हो जाय कि विभिन्न समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों के स्तर को उतना ही महत्त्व दिया जा रहा है जितना उन लक्ष्यों को जिनकी सिद्धि के लिए अन्तःसामूहिक बैठक बुलायी गयी है तथा अन्तःसामूहिक सम्बन्धों के क्षेत्र में सम्बन्धित सामाजिक कार्यकर्ता की कार्य-भूमिका मूलतः अनुशासन और नियमन पर आधारित है और वह यह अनुभव करता है कि यह सब करते हुए भी, साथ-साथ समुदाय की आवश्यकता के महत्त्व पर जोर देते रहना भी उसका आवश्यक कर्तव्य है और इसके लिए उसे समूहो

(२) जब कि इस प्रक्रिया का संचालन किसी ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा होता है जो सम्बन्धित समूहों द्वारा चुना गया होता है अथवा उसे उनकी स्वीकृति प्राप्त होती है और जिसकी वृत्तिक क्षमता ऐसी होती है कि वह अपनी सामाजिक कार्य-सम्बन्धी ज्ञान और पद्धतियो की जानकारी के आधार पर, अपने पेशे के अनुशासन के अनुसार, उस क्षेत्र में कार्य करता है। (विल्बर आई० न्यूस्टेटर—"द सोशल इण्टरग्रूप वर्क प्रासेस"—प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल कान्फ्रेंस आफ सोशल वर्क—१९४७, पृष्ठ २०६)।

(घ) सामान्य व्यवहार में "सामाजिक कार्य-प्रक्रिया" शब्द निम्नलिखित प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त होता है—

(१) वैयक्तिक सेवा-कार्य-प्रक्रिया,

(२) सामूहिक सेवा-कार्य-प्रक्रिया,

(३) अन्तःसामूहिक कार्य-प्रक्रिया।

(ङ) 'सामुदायिक संघटन-प्रक्रिया' के अन्तर्गत साधारणतया निम्नलिखित प्रक्रियाएं मानी जाती हैं—

(१) अन्तःसामूहिक कार्य-प्रक्रिया (सामाजिक कार्य),

(२) प्रशासन-प्रक्रिया,

(३) शिक्षात्मक और उन्नयनात्मक प्रक्रिया।

की इस तरह सहायता करनी होगी कि वे अपने सामाजिक लक्ष्य को व्यापक सामुदायिक हितों से भिन्न न समझें; उसे अन्तःसामूहिक बैठकों में ऐसे सभी समूहों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना होगा जो किसी निश्चित लक्ष्य को लेकर कार्य कर रहे हैं[७]।"

शिक्षात्मक और उत्कर्षात्मक प्रक्रिया

न्यूस्टेटर ने अपने निबन्ध में अन्तःसामूहिक कार्य की परिभाषा निश्चित करते समय उसे सामुदायिक संघटन का एक सामाजिक कार्य-सम्बन्धी अवयव बताते हुए दो और प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने उनको भी सामुदायिक संघटन के अन्तर्गत ही माना है पर यह भी लिखा है कि यद्यपि ये दोनों प्रक्रियाएँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है फिर भी उन्हें सामाजिक कार्य-प्रक्रिया नही कहा जा सकता। उनमें से एक शिक्षात्मक और उत्कर्षात्मक प्रक्रिया है जिसे विकयात्मक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। इसमें कोई केन्द्रीय समूह या संघटन कोई विशेष कार्यक्रम चलाने का निश्चय करता है तथा नीति और कार्यक्रम-सम्बन्धी पद्धतियों की रूपरेखा भी निर्धारित करता है। इसके बाद वह समूह उस योजना को विभिन्न समूहों या समुदायों के हाथ बिक्री कर देता है। ये स्थानीय, राज्यगत, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय समूह केन्द्रीय संघटन द्वारा निश्चित योजना को अपने-अपने क्षेत्र में कार्यान्वित करते है। पोलियो, कैन्सर और हृद्रोग-सम्बन्धी योजनाओं से सम्बन्धित आन्दोलन इस शिक्षात्मक और उत्कर्षात्मक पद्धति के उदाहरण है।

ग्रैंगर ने अपने निबन्ध में इस प्रक्रिया की अनेक सरणियों या विकासक्रम की मंजिलो का उल्लेख किया है[८]। इसकी पहली आवश्यक सरणि है शिक्षा। यह बहुत आवश्यक है कि समुदाय के सामान्य लोगों को किसी उपस्थित प्रश्न के विषय में पूरी जानकारी दी जाय। किन्तु समस्या के स्वरूप से जनता को परिचित करा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि उस समस्या के विषय में सामान्य जनता में विशेष दिलचस्पी है या नही और यदि नहीं है तो उसमें उसके प्रति गहरी दिलचस्पी उत्पन्न करना भी आवश्यक है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पाठक इस बात से पूर्णत; परिचित होंगे कि क्षय रोग, कैन्सर और हृद्रोग कितने खतरनाक होते है। कई वर्षों से जनता

(७) विल्बर आई० न्यूस्टेटर—"द सोशल इण्टरग्रूप वर्क प्रासेस"—प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल कान्फ्रेंस आफ सोशल वर्क, १९४७, पृष्ठ २१७।

(८) लीस्टर बी० ग्रैंगर—"एजुकेशनल ऐण्ड प्रोमोशनल प्रासेस इन कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन"—प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल कान्फ्रेंस आफ सोशल वर्क, १९४७, पृष्ठ २१८–२२६।

को इन रोगों की पहचान और स्वरूप के सम्बन्ध में लगातार "शिक्षित" किया जाता रहा है और यह बताया जाता रहा है उनसे बचने के लिए कितना सावधान रहने की आवश्यकता है अन्यथा ये रोग कभी भी किसी भी परिवार पर आक्रमण कर सकते है। समस्या की जानकारी हो जाने के बाद दूसरा कदम है उस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक सक्रिय उपायों की पहचान तथा उन उपायों की रूपरेखा का विस्तृत ज्ञान। यदि समस्या के सम्बन्ध में जनता की अभिरुचि बनाये रखनी है तो उसके इस सक्रिय या विधेयात्मक पक्ष के महत्त्व को स्वीकार करके उसको प्रचारित करना आवश्यक है। इस पक्ष के अन्तर्गत कई बातें आती हैं, जैसे सामान्य जनता कोष-संग्रह करने, बीमारियों की तुरन्त सूचना देने मे कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करने तथा इसी तरह की अन्य बातों की अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करे और अधिकारी भी ऐसी व्यवस्था करें कि समुदाय की विशेषीकृत सेवा करने वाले अभिकरण, जैसे अस्पताल, स्वास्थ्य-गृह, शोध-संस्थान आदि अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। उपर्युक्त दोनों प्रकार के कार्य शिक्षात्मक है और जब इन कार्यो की सरणि समाप्त होती है तो उसके बाद ही उन्नयन की सरणि का प्रारम्भ होता है जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस समस्या के सम्बन्ध में कुछ करने की आवश्यकता है और इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जाता है कि वह "कुछ" क्या हो सकता है जिसे करना है। स्थायी उन्नयन के लिए केवल इतना ही आवश्यक नही है कि शिक्षात्मक प्रक्रिया की पूर्ववर्ती दोनों सरणियों के कार्य सावधानी से और प्रभावात्मक रूप में किये जायँ, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उन कार्यों के प्रति समुदाय की जो धारणा है उसे भी अच्छी तरह जाना और समझा जाय क्योकि उस धारणा का प्रस्तावित कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पक्ष हो सकते है। इस तरह के कार्यक्रमों में सफलता तभी मिल सकती है जब कि समुदाय के प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र के व्यक्ति उनको कार्यान्वित करने में सहायता करें और दिलचस्पी लें।

सामुदायिक संघटन में प्रशासन-प्रक्रिया

सामुदायिक संघटन के कार्यक्रमों में तीसरी उल्लेखनीय प्रक्रिया, जिसका वैशिष्ट्य स्वीकार किया गया है, प्रशासन से सम्बन्धित है। यह भी अपने आप मे मूलतः सामाजिक कार्य की प्रक्रिया नही है, किन्तु यह सभी प्रकार के सामुदायिक संघटनों का एक अनिवार्य अंग है। जो कार्य किया जाने वाला है, यदि वह मूलतः प्रशासकीय है तो वह केन्द्रीय प्रक्रिया का रूप ग्रहण कर लेता है। 'सोशल सर्विस एक्सचेञ्ज' अर्थात् 'सामाजिक-सेवा-विनिमय' (जिसे कभी-कभी सोशल सर्विस इण्डेक्स भी कहा जाता है।) नामक संघटन

इस प्रक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। इस संघटन की स्थापना इसलिए हुई है कि वह सामाजिक और स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्य करने वाले अभिकरणों के लिए, चाहे वे सरकारी हों या गैर-सरकारी, समाशोधन-गृह (निकासी-कार्यालय) का काम करे ताकि एक ही काम दो संस्थाएँ न करें और काम का उचित बँटवारा हो सके[९]।

किन्तु इस प्रसंग में एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जिन तीन प्रक्रियाओं —अन्तःसामूहिक, शिक्षात्मक और उन्नयनात्मक तथा प्रशासकीय—का उल्लेख ऊपर किया गया है उनमें से कोई भी कभी केवल अपने विशुद्ध रूप में अकेले-अकेले इस तरह नहीं रहती कि अन्य दोनों प्रक्रियाओं का उसके साथ कोई सम्बन्ध ही न हो। प्रायः प्रत्येक उदाहरण में ये तीनों एक दूसरे के साथ मिली रहती हैं अर्थात् वे सदा परस्परव्यापी होती हैं, बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि किसी विशेष प्रक्रिया में इन तीनों में से जो सर्वप्रमुख होती है उसी के नाम पर उस प्रक्रिया का नामकरण किया जाता है, गौण प्रक्रियाओं के नाम पर नहीं। प्रशासकीय प्रक्रिया अन्य दोनों प्रक्रियाओं में भी किसी-न-किसी मात्रा में वर्तमान रहती है। अन्तःसामूहिक कार्य-प्रक्रिया में भी, जिसमें सामूहिक विचार-विमर्श बहुत अधिक होता है और कोई भी निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से आपसी रजामन्दी से किया जाता है, ज्यों ही कोई कार्यक्रम स्थिर किया जाता है उसके बाद तुरन्त ही उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षात्मक और उन्नयनात्मक प्रक्रिया का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती है ताकि उस कार्यक्रम को जनता का अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त हो सके। यदि किसी कार्य की योजना को, विचार-विमर्श के बाद कार्यान्वयन की दिशा में अग्रसर करना है, तो यह स्पष्ट है कि उसके लिए प्रभावपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया का मार्ग अपनाना पड़ेगा। अतः सामुदायिक संघटन के क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता की यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह यह जानने का प्रयत्न करे कि किसी विशेष परिस्थिति में या विशेष कार्यक्रम के लिए उन तीनों में से कौन-सी प्रक्रिया सबसे अधिक उपयुक्त होगी।

इस तरह इन तीनों प्रक्रियाओं के विवेचन द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि सामुदायिक संघटन के सामाजिक कार्य-सम्बन्धी संघटक अवयव क्या हैं। यदि इस विषय में और भी अध्ययन और अनुसन्धान किया जाय तो हो सकता है कि कुछ और प्रक्रियाओं का पता चले और यह भी सम्भव है कि ऊपर उक्त तीनों प्रक्रियाओं का जो

(९) इस 'विनिमय' के सम्बन्ध में इस अध्याय के बाद में विस्तार से विचार किया जायेगा।

विश्लेषण और स्वरूप-निर्धारण किया गया है वह उस समय अपर्याप्त या दोषपूर्ण प्रती हो अथवा अनुसन्धान द्वारा यह पता चले कि वे तीनों प्रक्रियाएँ वस्तुतः एक ही प्रक्रिय के संघटक अवयव हैं। किन्तु जब तक इस तरह का अध्ययन और अनुसन्धान नहीं होत तब तक के लिए तो ये प्रक्रियाएँ ऐसी उपयोगी साधन हैं जिनके द्वारा हम सामुदायि संघटन-सम्बन्धी धारणा और परिभाषा को और भी स्पष्ट और परिमार्जित बनाक उपस्थित कर सकते हैं।

सामुदायिक संघटन में वृत्तिक कार्यकर्ता की कार्य-भूमिका

अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मे दारियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। साधारणतया किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के लि तीन ऐसे व्यापक क्षेत्र हैं जिनके भीतर वह सामुदायिक संघटन-सम्बन्धी कार्य के किर भी स्तर पर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकता है—

(१) सामाजिक कार्यकर्ता का यह अनिवार्य कर्त्तव्य है कि वह प्रतिनिधियों के समू की (चाहे उस समूह का नाम समिति, अन्तःसमूह, प्रतिनिधि-निकाय, असेम्बली या औ कुछ भी क्यों न हो।) इस तरह सहायता करे कि वह समूह कोई उपयुक्त संघटन निर्मि कर सके या उस संघटन के स्वरूप और पद्धतियों का निर्धारण कर सके जिससे समूह व अपने निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँचने में सफलता प्राप्त हो सके।

(२) सामाजिक कार्यकर्ता का यह कर्त्तव्य है कि वह अन्तःसामूहिक बैठक में भा लेने वालों को इस बात के लिए तैयार करे कि वे दो महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ यथासम्भ सफलता से निभा सकें—

(क) समह के सदस्य की भूमिका;

(ख) अन्तःसमूह में समूह के प्रतिनिधि की भूमिका।

(३) सामाजिक कार्यकर्ता को उस समूह की, जिसका प्रतिनिधित्व अन्तःसामूहि बैठक में हुआ है, इस बात में सहायता करनी चाहिए कि जो प्रायोजना हाथ में ली गयी उसे कार्यान्वित करने में वह समूह औरों के साथ अधिक से अधिक और उचित ढंग से सा योग करे। दूसरे शब्दों में उसे एक ओर तो प्रतिनिधि-सभा के साथ मिल कर कार्य कर है और दूसरी ओर उन समूहों के साथ भी कार्य करना है जिनके प्रतिनिधि उस प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हुए हैं।

जहाँ तक उपर्युक्त सामान्य जिम्मेदारियों तथा संघटन और उसकी पद्धतियों व सम्बन्ध है कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर इस विषय के आकलन के लिए आवश्यक सूचना का सामान्य आधार बन सकता है। उनमें से सम्भवतः सबसे मौलिक प्रश्न यह है f

क्या किसी अन्तःसमूह को पूरी तरह इस बात का ज्ञान है कि उसका अस्तित्व किस लिए है और उसके उद्देश्य क्या हैं ? ऊपर-ऊपर से यह बात हास्यास्पद प्रतीत हो सकती है, किन्तु वास्तविकता यह है कि उन समूहों या संस्थाओं की, जिन्हें अपने असली उद्देश्य का ही ठीक-ठीक पता नही रहता, संख्या इतनी अधिक है कि उसे जानकर आश्चर्य और चिन्ता होती है । कुछ अन्तःसमूह ऐसे भी होते है जिनके विभिन्न सदस्य अपनी संस्था के उद्देश्यों की व्याख्या अलग-अलग ढंग से करते है । बहुत कम ऐसी संस्थाएँ होंगी जिनके उद्देश्यों के सम्बन्ध में उनके शत-प्रतिशत सदस्य एकमत हों, किन्तु यदि किसी समूह को प्रभावपूर्ण बनना और सफल होना है तो उसको अपना स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होगा तथा कार्य की ऐसी दिशा निर्धारित करनी होगी जिससे उसके सभी सदस्य एक होकर गम्भीरतापूर्वक कार्य कर सकें । यह जानना भी आवश्यक है कि संस्था कब और क्यों स्थापित हुई थी और उसको सर्वप्रथम किसने प्रारम्भ किया था ? उसके कार्यक्रम और कार्यविधियाँ उसके घोषित उद्देश्य के अनुरूप हैं या नहीं ? उसके सदस्य कौन लोग है ? नये सदस्यों का चुनाव कैसे होता है ? उसका काम लोकतान्त्रिक ढंग से होता है अथवा उसके नियन्त्रण में गुटबन्दी होती है ? उसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं या अनियमित रूप से कभी-कभी ? बैठक बुलाने का निश्चय कौन करता है और इस तरह के निर्णय करने की पद्धति क्या है ? अन्तःसमूह में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों के लिए यह व्यवस्था की गयी है या नही कि वे अन्तःसमूह के निर्णयों के सम्बन्ध में अपने-अपने समूहों को अवगत करायें । क्या ये प्रतिनिधि दुहरे प्रतिनिधित्व-सम्बन्धी अपने उत्तरदायित्त्व का वहन करते है ? वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधि है या किसी संस्था के प्रतिनिधि है ? अन्तःसमूह में जो कार्यवाही होती है वह सतर्कतापूर्वक संगृहीत तथ्यों पर आधारित तथा उनका पूरी तरह विश्लेषण करने के बाद होती है अथवा भावुकता और वहम के आधार पर होती है ? क्या अन्तःसमूह में ऐसे सभी समूहों का प्रतिनिधित्व हुआ है जो उसके कार्यक्रमो को प्रभावित कर सकते है या उनसे प्रभावित हो सकते है ? यदि ऐसी बात नही है तो इसका क्या कारण है ? क्या उन्होंने स्वयं अन्तःसमूह में सम्मिलित होना अस्वीकार कर दिया था या उन्हें इसके लिए अवसर ही नही दिया गया कि वे उसमें सम्मिलित हो सकें । क्या प्रतिनिधत्व के नियम उतने उदार और व्यापक हैं कि उसमें सभी प्रकार के सरकारी या गैर-सरकारी समूह, जैसे स्वास्थ्य-विभाग, जन-कल्याण-विभाग, नागरिक समूह, वृत्तिक समूह, श्रम से सम्बन्धित समूह तथा सामाजिक और जाति-बिरादरी के आधार पर संघटित समूह आदि सम्मिलित हो सकते हैं ? क्या उसमें भिन्न यौनवर्गीय, आयुवर्गीय, धार्मिक, भिन्न राष्ट्रीय, और जातीय समूह भी सम्मिलित हैं ? इसी प्रकार के और भी बहुत-से प्रश्न हो सकते हैं । अन्तःसमूह के

स्वरूप-संघटन और कार्य-पद्धति का सम्यक् आकलन करने के लिए कार्यकर्ता को उन सभी प्रश्नों से सम्बन्धित जानकारी की आवश्यकता पड़ सकती है ।

सामुदायिक संघटनों में कार्य करने वाले कार्यकर्ता का, अन्तःसमूह के प्रतिनिधियों के साथ काम करते समय, यह वृत्तिक कर्तव्य है कि वह किसी प्रतिननिधि की वैयक्तिक समस्या को उसी सीमा तक सुलझाने का प्रयास करे जहाँ तक उस समस्या के कारण प्रतिनिधि के रूप में या समूह के सदस्य के रूप में उस व्यक्ति की कार्य-क्षमता प्रभावित होती है । सामाजिक कार्यकर्ता का यह कर्त्तव्य है कि आवश्यकता पड़ने पर वह उस प्रतिनिधि को किसी अन्य उपयुक्त स्रोत से सहायता लेने के लिए राजी करे । सामुदायिक संघटन के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता की कार्य-भूमिका वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता जैसी नहीं होती । कोई व्यक्ति जब किसी सामुदायिक संघटन के कार्यक्रमों में भाग ले रहा है तो सामुदायिक संघटन-कार्यकर्ता का काम उस व्यक्ति की इस तरह सहायता करना है कि वह अपना काम अच्छी तरह कर सके । किन्तु जब उस व्यक्ति की वैयक्तिक समस्याओं के कारण ऐसा होना असम्भव हो जाता है तो आवश्यकता पड़ने पर उसके मामले को किसी अन्य उपयुक्त अभिकरण के पास भेजने की व्यवस्था की जाती है ।

अन्तःसमूह (प्रतिनिधि-सभा) तथा अपने निजी समूह में किसी समय सदस्य की स्थिति और सम्बन्धों को समझने के लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि उसका प्रतिनिधि के रूप में चुनाव किस तरह हुआ था । क्या सामान्य मतदान द्वारा उसका चुनाव बहुमत से हुआ था या उसे मनोनीत कर दिया गया था और यदि उसकी नियुक्ति मनोनयन-पद्धति से हुई थी तो क्या उसे सदस्यों का सामान्य समर्थन प्राप्त था अथवा व्यक्तिगत प्रवक्ता के रूप में या किसी एक गुट द्वारा उसका मनोनयन हुआ या उसे केवल इस कारण चुना गया कि और कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नही था अथवा वह इस कार्य के लिए अपनी विशेष योग्यता के कारण नही, बल्कि समूह के लिए की गयी अपनी सेवाओं के बदले चुना गया था ? क्या वह सदस्य वस्तुतः स्वयं इस उत्तरदायित्त्व को स्वीकार करने के लिए इच्छुक था अथवा यह भार उस पर बलपूर्वक लादा गया था ? उस समूह की, जिसका वह प्रतिनिधि है, उन समूहों की तुलना में, जिसका प्रतिनिधित्व अन्तःसमूह में हुआ है, प्रतिष्ठा कैसी है ? क्या प्रतिनिधि की प्रतिष्ठा पर उसके समूह की प्रतिष्ठा का प्रभाव पड़ा है ? समूह के भीतर किसी विशेष प्रतिनिधि का, पूर्ववर्ती अनुभव, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक सुख, जाति, धर्म, सामाजिक और आर्थिक मर्यादा तथा अन्य बातों की दृष्टि से, जिनसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और प्रभाव का स्वरूप निर्धारित होता है, क्या स्थान है ? सामाजिक कार्यकर्ता को इन सब बातों के बारे में तो पूरी जानकारी रखनी ही चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि किसी विशेष वातावरण और समूह में किन बातों

की आवश्यकता होगी, किन्तु साथ ही उसे प्रतिनिधियों की, वैयक्तिक रूप से, इस तरह सहायता करनी चाहिए कि वे अन्तःसमूह के अन्तर्गत प्रतिनिधि के रूप में तथा अपने समूह के अन्तर्गत सदस्य के रूप में अधिक प्रभावात्मक ढंग से कार्य कर सकें। निम्नस्तरीय मर्यादा वाले सदस्य की किस प्रकार सहायता की जानी चाहिए कि वह अपनी मर्यादा का स्तर ऊँचा कर सके ? उसी तरह एकाधिकारवादी को किस तरह सहायता पहुँचायी जाय कि उसका हृदय-परिवर्तन हो और वह अपने अधिकारों में से दूसरों को भी हिस्सा देने को राजी हो जाय ? लज्जालु को अधिक निःशंक और सुरक्षा-भावना से युक्त कैसे बनाया जा सकता है ? उग्र और आक्रमणकारी व्यक्ति को सामाजिक नियंत्रण के अन्तर्गत कैसे लाया जा सकता है ? आत्मकेन्द्रित और स्वार्थी व्यक्ति के दृष्टिकोण को सामाजिक दृष्टि से अधिक उदार और व्यापक बनाने के लिए क्या करना चाहिए। पूर्वग्रही व्यक्तियों की किस प्रकार मदद की जाय कि वे किसी विषय पर पूर्व निश्चित भावात्मक मत रखना छोड़ कर तथ्यों के आधार निर्णय देना सीख सकें ? ये और इसी प्रकार के अन्य प्रश्न कार्यकर्ता के सम्मुख उपस्थित होकर बराबर उसे परेशानी में डाला करते हैं। ये सभी स्थितियाँ अलग-अलग और भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है और कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति, समूह और समुदाय के साथ अपने व्यवहार में अपनी समस्त वृत्तिक जानकारी और कौशलों का उपयोग करते हुए कार्य करे।

कार्यकर्ता के कार्य का तीसरा क्षेत्र वह है जिसमें उन समूहों को एक साथ मिलकर अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से काम करने में सहायता दी जाती है जिनका अन्तःसमूह में प्रतिनिधित्व होता है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की होती है कि ऐसे सभी समूहों को यह अच्छी तरह समझाया जाय कि उनके सामान्य या सामाजिक लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। उन्हें जानने से ही वह सामान्य आधार-भूमि तैयार हो सकती है जिस पर उनके सहयोगपूर्ण प्रयत्न प्रतिष्ठित होंगे। जब विभिन्न समूह एक साथ मिलकर काम करने लगेंगे और उन्हें नये-नये अनुभव होंगे तो बहुत सम्भव है कि उनके कार्य का आधार पहले से अधिक व्यापक और विस्तृत हो जाय (अथवा एकदम नष्ट भी हो सकता है।), यद्यपि कार्य आरम्भ करते समय उनकी दिलचस्पी का क्षेत्र प्रायः बहुत संकीर्ण होता है। समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों में जो समस्याएँ सामने आती हैं, ठीक वैसी ही समस्याएँ उन व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों में भी उत्पन्न होती हैं, जो अन्तःसमूह में प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होते हैं। अन्तःसामूहिक सम्बन्धों में भी व्यक्तिगत मर्यादा या प्रतिष्ठा का प्रश्न उठता है जो आर्थिक, जातीय, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या इसी तरह के अन्य प्रभावों पर आधारित होता है। इस तरह व्यक्तिगत सम्बन्धों की तरह सामूहिक सम्बन्धों में भी प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त करने, उसे सुरक्षित रखने या

उसे उन्नत करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अतः समूहों और अन्तःसमूह के पारस्परिक सम्बन्ध के क्षेत्र में कार्य करने वाले के लिए यह आवश्यक है कि उसे सामूहिक गति-विज्ञान के साथ व्यक्ति के व्यवहारों की गत्यात्मकता का, अन्तःसामूहिक सम्बन्धों के साथ समूहगत सम्बन्धों का और सामुदायिक गति-विज्ञान के साथ, अन्तःसमूह की गति-विधि का पूरा ज्ञान हो।

सामुदायिक संघटन में सामाजिक कार्यकर्ता के कुछ कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का यहाँ संक्षेप में जो परिचय दिया गया है उससे कुछ बहुत व्यापक समस्याओं का क्षेत्र खुल कर सामने आ जाता है और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्यकर्ता को जिन बातों की आवश्यकता होती है वे उसके सामने एक चुनौती का रूप धारण करके उपस्थित होती हैं। इस अध्याय के अन्त में जो अभिलेख उद्धृत किया गया है उसमें एक महल्ला-समिति में काम करने वाले कार्यकर्ता का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है और उसके कार्य से सम्बन्धित सिद्धान्तों और कार्य-विधियों के सम्बन्ध में विचार किया गया है।

सामुदायिक संघटन और वैयक्तिक तथा सामूहिक सेवा-कार्य

अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट है कि सामुदायिक संघटन और वैयक्तिक तथा सामूहिक सेवा-कार्यों की बहुत-सी बातें समान हैं। इन तीनों का आधारभूत सिद्धान्त एक ही है और वह यह है कि व्यक्ति की वैयक्तिकता के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए और इस बात में विश्वास होना चाहिए कि किसी भी सेवार्थी को यह अधिकार है और यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने समुदाय के सांस्कृतिक ढाचे के अन्तर्गत जिस तरह चाहे, अपने सामाजिक लक्ष्य का निर्धारण तथा उसके लिए कार्य करे, चाहे वह सेवार्थी कोई व्यक्ति हो अथवा कोई समूह या समुदाय हो। ये तीनों ही व्यक्ति, समूह और समुदाय की भौतिक और सामाजिक कार्य-विधि के सामान्य ज्ञान-राशि पर आधारित हैं। यों तो सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए सामुदायिक गति-विज्ञान को समझना आवश्यक है, परन्तु सामुदायिक संघटन-कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में कार्य आरम्भ करने के बाद से ही प्रत्यक्ष रूप से लगातार इस आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। सामुदायिक संघटन-कार्यकर्ता का कार्यार्थी व्यक्ति या समूह नहीं, बल्कि समुदाय होता है (अथवा सम्भवतः यह कहना अधिक सही होगा कि उसके कार्यार्थी समुदाय के कुछ निश्चित समूह होते हैं)। इस तरह उसका लक्ष्य समुदाय की दृष्टि से निर्धारित होता है, व्यक्ति या समूह की दृष्टि से नहीं। सामुदायिक संघटन में कार्यकर्ता उन समूहों के साथ कार्य करता है जिनका प्रतिनिधित्व अन्तःसामूहिक संघटन में हुआ रहता है। इस कारण उसकी कार्य-पद्धति एक ऐसी नयी दिशा का उद्घाटन करती है जो सामाजिक कार्य की अन्य पद्धतियों के लिए

अज्ञात होती है । साक्षात्कार, गोष्ठी, विचार-विमर्श, सम्मेलन या परामर्श-गोष्ठी, कार्य-विवरण, अभिलेख तथा इसी प्रकार की कुछ अन्य पद्धतियों का उपयोग तो अन्य सभी क्षेत्रों के सामाजिक कार्यकर्ता किसी-न-किसी मात्रा में करते है, पर उन सबके तात्कालिक लक्ष्य और प्रमुख कार्य, जिन पर वे विशेष बल देते हैं, भिन्न-भिन्न होते हैं । वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता सामान्यतः सेवार्थी की अलग-अलग वैयक्तिक आवश्यकताओं पर विशेष बल देता है, सामूहिक कार्यकर्ता समूह की आवश्यकताओं पर ही विशेष बल देता है और व्यक्ति की आवश्यकताओं पर वह उसी सीमा तक बल देता है जहाँ तक वे उस व्यक्ति की, समूह के सदस्य की हैसियत से कार्य करने की, क्षमता में बाधा उपस्थित करती हैं । उसी तरह सामुदायिक संघटन-कार्यकर्ता अन्तःसमूह तथा समुदाय की आवश्यकताओं पर बल देता है, पर व्यक्ति की आवश्यकताओं पर वह तभी बल देता है जब कि वे अन्तःसमूह के सदस्य के रूप मे उनके कार्यो से सम्बन्धित होती है ।

उनके लक्ष्य इस अर्थ में समान हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी या सदस्य की सामाजिक कार्य-क्षमता को उच्चतम स्तरतक पहचाने में उसकी सहायता करने का प्रयत्न करते है और सदस्य या सेवार्थी व्यक्ति, समूह और समुदाय तीनों ही हो सकते हैं । उन पर अलग-अलग बल देने की जो बात ऊपर कही गयी है वह गुण-भेद पर नही, मात्रा-भेद पर आधारित होती है ।

संघटन के अन्तर्गत सामुदायिक संघटन की प्रक्रिया

अनेक अभिकरणों में अन्तःसमूह या प्रतिनिधि-सभाएँ संघटनात्मक कार्यक्रम का अविच्छिन्न अंग होती है । अनेक व्यवस्थापन-गृहों तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं में गृह-समितियों, वयवर्गीय समितियों तथा ऐसी ही अन्य समितियों का संघटन किया जाता है । इन समितियों में प्रायः अभिकरण के सदस्य, क्लबों के प्रतिनिधि अथवा एक निश्चित वयवर्ग के या विभागीय समूहों के प्रतिनिधि होते है । इन समितियों को कार्य तथा नीति-सम्बन्धी कुछ निश्चित उत्तरदायित्त्व और अधिकार सौंप दिये जाते हैं । सफलता-पूर्वक कार्य करने के लिए इन समितियों को अपने दुहरे उत्तरदायित्व-सम्बन्ध का निर्वाह करना आवश्यक होता है । क्लब को यह अवश्य जानना चाहिए कि वे समितियाँ क्या कर रही हैं और समितियों को भी समग्र कार्यक्रम के सर्वोत्तम हित की दृष्टि से कार्य करना चाहिए । वयवर्गीय समितियाँ भी इस ढंग से कार्य करती है; अन्तर इतना ही होता है कि इन समितियों के सदस्य केवल उन्हीं समूहों के प्रतिनिधि होते हैं जिनकी सदस्यता केवल एक निश्चित वयवर्ग के लोगों के लिए सीमित होती हैं, जैसे बालक-वर्ग, वयस्क युवक-वर्ग या १३ से १९ वर्ष तक की वय वालों का वर्ग । इन समूहों के प्रातिनिधिक

स्वरूप पर तथा समूहों की आवश्यकताओं और उनके सामाजिक लक्ष्य के दुहरे कैन्द्रिक महत्त्व पर निरन्तर बल देते रहना चाहिए अन्यथा ये समितियाँ अन्तःसमूह न बन पायेंगी, केवल समूह बन कर रह जायेंगी। यदि ये केवल समूह बन कर रह जाती हैं तो उस स्थिति में समिति के सदस्य उस प्रतिनिधि-सभा या समिति का उपयोग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति या स्वार्थ-साधन में करने लगते हैं और इस तरह उनके प्रातिनिधिक स्वरूप का उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

जिन समितियों का उल्लेख ऊपर किया गया है उन्ही से कुछ कुछ मिलती-जुलती एक अन्य प्रकार की समितियाँ वे होती हैं जो संघ-शासन के अन्तर्गत होती हैं और जिन्हें अन्तःकार्यालय समिति कहा जाता है। इनके अन्तर्गत अनेक सरकारी कार्यालय या अभिकरण सम्मिलित होते हैं और इनका निर्माण संयुक्त रूप से योजनाएँ बनाने और सहयोग के आधार पर कार्यक्रमों के संचालन के उद्देश्य से प्रातिनिधिक आधार पर होता है। अतः यहाँ भी प्रतिनिधियों को समिति और अपने कार्यालयों के साथ अपने दुहरे सम्बन्ध का बराबर निर्वाह करना आवश्यक होता है। समिति के सदस्य निश्चित रूप से अपने-अपने कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करते है, किन्तु विभिन्न प्रतिनिधियों को कार्य करने की स्वतन्त्रता भिन्न-भिन्न मात्रा में होती है यद्यपि कोई भी प्रतिनिधि अपने कार्यालय की प्रशासकीय नीति के नियमित मार्ग से भिन्न समिति की किसी अन्य नीति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होता। किसी कार्यालय या अभिकरण से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वे प्रायः ऐसे व्यक्ति होते है जिनके हाथ में कुछ विशेष प्रशासकीय अधिकार होते हैं तथा जिनका अपने कार्यालय में ऐसा पद होता है कि प्रतिनिधि-समिति में स्वीकृत किसी कार्यक्रम को अपने कार्यालय द्वारा आसानी से कार्यान्वित करा सकते हैं। शासकीय अन्तःकार्यालय-समितियों का एक उदाहरण "अन्तर्विभागीय बाल एवं युवा-समिति' है जिसका संघटन सन् १९४८ में राष्ट्रपति के निवेदन पर संघीय सुरक्षा-प्रशासक द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य संघीय अभिकरणों के सहकारी कार्यों को सशक्त बनाने में सहायता करना था ताकि किसी भी विभाग के कार्यों से अन्य विभागों के कार्यों को प्रभावपूर्ण योग-दान मिल सके। इस समिति के सदस्यों में कृषि, रक्षा, न्याय, गृह, श्रम आदि विभागों, संयुक्त राज्य-न्यायालय प्रशासन-कार्यालय, संघीय सुरक्षा-अभिकरण, आवास एवं गृह-वित्ताभिकरण और सेना-विभाग के भर्ती-सेवा-निकाय के प्रति निधि भी थे। बालकों और युवकों के लिए कार्यक्रमों को संचालित करने वाले अभिकरणों और विभागों के कार्यालयों या उपविभागों के प्रतिनिधि भी उस अन्तर्विभागीय समिति में सहयोगी सदस्य के रूप में अपने लिए उपयुक्त कार्य करने के उद्देश्य से सम्मिलित कि गये थे।

इस दिशा में कार्य करने वाले कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र मुख्यतः अभिकरणों तक ही

सीमित रहता है । वह प्रतिनिधियों की, अपने अभिकरणों का सही प्रतिनिधित्व करने में, सहायता करता है । अनेक बार तो सदस्यों के लिए इस दिशा में कार्य करने का यह प्रथम अनुभव होता है और ऐसे सदस्यों को विशेष रूप से इस तरह की सहायता की आवश्यकता होती है कि वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की चिन्ता छोड़ कर अपने समूह के सही प्रतिनिधि के रूप में उसी की आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करें । कार्यकर्ता प्रतिनिधि-समिति की इस बात में भी सहायता करता है कि उसके सदस्य अपने-अपने समूहों के संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर सभी अभिकरणों के व्यापक हित की दृष्टि से अन्तःकार्यालय-समिति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें तथा उसके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठायें । उस समिति में जो समूह सम्मिलित हैं उन्हें भी इस बात की सहायता की आवश्यकता होती है कि वे इस सहकारी उद्योग में हाथ बँटायें । ऐसी सहायता की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उनमें से कई समूहों के लिए यह एक नया अनुभव होता है । प्रतिनिधियों को व्यक्ति के रूप में भी सहायता देने की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि कोई व्यक्ति समूह के भीतर प्रभावपूर्ण ढंग से तभी कार्य कर सकता है जब कि पहले वह अपने भीतर ही अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा का अनुभव करता हो । उसी तरह यदि कोई समूह किसी सहकारी प्रयत्न में भाग लेना चाहता है तो सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए उसे पहले अपने कार्यक्षेत्र के भीतर ही सुरक्षा का अनुभव करना होगा । इस तरह कार्यकर्ता का यह उत्तरदायित्व है कि वह सामाजिक सुदृढ़ता और परिपक्वता की उपलब्धि में व्यक्तियों और समूहों की सहायता करे ।

स्थानीय स्तर पर सामुदायिक संघटन

सामुदायिक दान-पेटिका-संघों और सामुदायिक समितियों की विवेचना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पहले ही की जा चुकी है । वे ऐसे संघटनों के अच्छे उदाहरण हैं जिनका मुख्य कार्य सामुदायिक संघटन होता है । दान-पेटिका-संघ कोष-संग्रह और अनुदान-वितरण का कार्य करते हैं और सामुदायिक समितियाँ सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमों से सम्बन्धित सेवाओं को समन्वित करने, उनके लिए योजनाएँ बनाने तथा उनका स्तर ऊँचा करने में सहायता पहुँचाती हैं । किसी सामुदायिक दान-पेटिका-संघ की अधिकतर समितियों के सदस्य निश्चित रूप से अपने-अपने अभिकरण या संघटनों का प्रतिनिधित्व नहीं करते । वे मुख्यतः दान-पेटिका-संघ का ही प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा वे किसी-न-किसी समूह से आये हुए व्यक्ति होते हैं, जैसे व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग आदि, पर वे उन समूहों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते और न संघ के कार्यों के बारे में अपने समूहों को अवगत कराना ही अपना कर्त्तव्य समझते हैं । उदाहरण के लिए, आय-

व्ययकसमिति दान-पेटिका-संघ की कार्यकारिणी परिषद् का प्रतिनिधित्व करती है। परिषद् समुदाय के प्रति उत्तरदायी होती है। पर दान-पेटिका-संघ प्रायः पूरे नगर में कार्य करता है और उसका कार्य उत्तरोत्तर जनपदों में भी बढ़ता जा रहा है; इस तरह उसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नागरिक और ग्रामीण दोनों क्षेत्र सम्मिलित होते हैं यद्यपि उसके क्षेत्र को जनपदीय क्षेत्र और अन्य किसी भौगोलिक दृष्टि से निर्धारित क्षेत्र की ही संज्ञा दी जाती है। ऐसे उदाहरणों में यह प्रयत्न किया जाता है कि संघ में विभिन्न भौगोलिक इकाइयों का प्रतिनिधित्व हो।

समितियाँ या संघ भी प्रायः जनपदीय आधार पर ही कार्य करते है, पर स्वभावतः नागरिक क्षेत्रों में ही अपने कार्य को केन्द्रित करने की ओर उनकी प्रवृत्ति अधिक होती है। अतः ये संघटन अनिवार्यतः प्रातिनिधिक होते है जिनके प्रतिनिधि सदस्य अभिकरणों द्वारा मनोनीत कर के भेज जाते है। इन प्रतिनिधियो को विविध प्रकार की कार्य-भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं। प्रभाग के स्तर पर प्रतिनिधि को कम-से-कम दो कार्य-भूमिकाओं का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ता है। कुछ प्रकार के मतदानों के अवसर पर तो उससे निश्चित रूप से यह आशा की जाती है कि वह उस प्रश्न पर अपने अभिकरण के प्रतिनिधि के रूप में उसी के मत की अभिव्यक्ति करेगा। यदि किसी सामूहिक कार्य-प्रभाग में नौकरियों की रूप-रेखा और वेतन-क्रम के विषय में विचार किया जा रहा है तो बैठक में जो प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं उनसे यह आशा की जायेगी कि वे इस बारे में अपने-अपने अभिकरणो के सिद्धान्तों और दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करेंगे। यदि प्रतिनिधियों को अपने अभिकरण अथवा संघ दोनों के हित की दृष्टि से प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करना है तो उन्हें अपने दुहरे उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होगा। किन्तु किसी कार्यक्रम के सम्बन्ध में अन्तिम बार मतदान के अवसर पर प्रतिनिधि अपने अभिकरण के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि संघ के सदस्य की हैसियत से मतदान करेंगे और उन्हें इस बात की स्वतन्त्रता होगी कि वे व्यापक समुदाय तथा लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रख कर अभिकरणों के कार्यक्रमों को सुधारने के सम्बन्ध में अपने विवेक के आधार पर मत व्यक्त करें। प्रायः प्रतिनिधि अपने कार्यों में अपनी सम्पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी सही कार्य-भूमिका का ठीक-ठीक पता नहीं रहता है और इसी कारण प्रायः वे अपने अभिकरण के हितों का ही विशेष ध्यान रखते हैं जब कि उन्हें मुख्य रूप से समुदाय के हितों ध्यान रखना चाहिए।

सामुदायिक संघटन-कार्यक्रम का एक प्रकार वह होता है जो स्थानीय स्तर पर छोटे महल्लों में चलाया जाता है। इन कार्यक्रमों के भिन्न-भिन्न नाम होते हैं। अनेक स्थानों पर उन्हें समन्वय-समिति कहा जाता है। कहीं वे सामुदायिक समिति कहलाती हैं, और

इसी तरह अन्य स्थानों में उन्हें महल्ला-समिति कहा जाता है। किन्तु अधिकांश जगहों पर ऐसी समितियों का संघटन, स्वरूप और उनकी कार्य-पद्धतियाँ एक-जैसी होती हैं। उनका ध्यान मुख्यतः पास-पड़ोस में रहने वाले लोगों के जीवन को अधिक सुखी बनाने पर केन्द्रित होता है और उनके कार्यों का क्षेत्र सदस्यों की दिलचस्पी और कल्पना-शक्ति के अनुसार परिसीमित होता है। शुरू-शुरू में निर्मित होने वाली कई समितियों की दिलचस्पी मुख्यतः बाल-अपराध-सम्बन्धी सेवाकार्य में थी और वे बाल-अपराधों को रोकने तथा कम करने के काम पर विशेष बल देती थीं। उन समितियों को शीघ्र ही पता चल गया कि जो संस्था बाल-अपराध-सम्बन्धी कार्यों में दिलचस्पी रखती है उसे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यापक क्षेत्र में भी दिलचस्पी दिखानी पड़ेगी क्योंकि बाल-अपराध से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। उस सामाजिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत बहुत-सी बातें आती हैं, जैसे विद्यालयीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्यक्रम, पुलिस विभाग के संरक्षात्मक कार्यक्रम, सिनेमा और रेडियो कार्यक्रम (और अब टेलीविजन कार्यक्रम) और ऐसा साहित्य जो युवकों तथा अन्य लोगों को उपलब्ध होता है।

इस तरह विश्लेषण करने पर अन्ततोगत्वा जो भी वस्तु समुदाय के जीवन को प्रभावित करती है, समितियों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आ जाती है। इनमें से कुछ समितियाँ ऐसे व्यक्तियों या समूहों के नियंत्रण में आ गयी थी जो अपने स्वार्थ-साधन के लिए उनका उपयोग करते थे। इस स्थिति का अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि ये समितियां पतन के मार्ग पर बढ़ने लगी क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों की शक्ति इसी बात में निहित होती है कि सभी समूह—व्यवसायी, श्रमिक, पेशेवर वर्ग, धार्मिक और जातीय वर्ग तथा ऐसे ही अन्य सभी वर्ग—समूचे समुदाय के सर्वोत्तम हित की दृष्टि से कार्य करें, समुदाय के किसी एक अंश या खण्ड के ही हित की बात न सोचें। ऐसी समितियों को आधुनिक टाउन हाल कहा जा सकता है। इनके द्वारा महल्लों अर्थात् छोटे समुदायों को लोकतांत्रिक ढंग के पारस्परिक सहयोग की सुविधाएँ प्रदान करना था जो इस समय नागरिक सामुदायों में से तेजी से लुप्त होती जा रही हैं।

महल्ला-समितियों की, जिनकी अभिरुचि का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, तुलना में एक और प्रकार की समिति वह है जो स्थानीय समुदाय के स्तर पर कार्य करती है तथा किसी एक ही प्रकार की समस्या तक अपना ध्यान सीमित रखती है। इस विशेषीकृत कार्यक्रम के उदाहरण के रूप में नागरिक ऐक्य-समिति या ऐसे ही अन्य संघटनों का नाम लिया जा सकता है जो मुख्य रूप से अन्तःसांस्कृतिक, अन्तर्जातीय और अन्तःसाम्प्रदायिक सम्बन्धों के सुधारने पर विशेष बल देते हैं। ऐसे संघटनों में से कुछ तो आधिकारिक होते हैं क्योंकि वे नगर-शासन के अंग होते हैं और कुछ गैर-सरकारी तथा स्वेच्छा

से कार्य करने वाले संघटन होते हैं। वहाँ यह प्रयत्न किया जाता है कि उन समितियों में विभिन्न धार्मिक, जातीय, श्रम-सम्बन्धी, औद्योगिक और शैक्षणिक समूहों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों। कुछ उदाहरणों में तो उन समितियों के सदस्य अपने-अपने समूहों के चुने हुए प्रतिनिधि होते है और अन्य स्थितियों में उन्हें उनकी संस्था अपने प्रतिनिधि के रूप में नामज़द करती है। दोनों ही स्थितियों में चुनाव का आधार यही होता है कि वे व्यक्ति उन समूहों के सदस्य होते है और अपने समूहों के सदस्य के रूप में ही उनकी पहचान होती है। यह इस बात का उदाहरण है कि समुदाय में ऐसे प्रतिनिधियों की अपने समूह से, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, भिन्न अपनी वैयक्तिक मर्यादा का विशेष महत्व नहीं होता।

पहले सामाजिक सेवा-विनिमय का सामुदायिक संघटन प्रक्रिया, विशेषतः उसकी प्रशासकीय प्रक्रिया, के उदाहरण के रूप में उल्लेख किया जा चुका है। यह संगठन भी स्थानीय स्तर पर केवल सदस्यों और सहयोग करने वाले सामाजिक एवं स्वास्थ्य-सम्बन्धी अभिकरणों की सेवा का कार्य करता है। यद्यपि उसका यह कार्य सीमित क्षेत्र में होता है, किन्तु उस का महत्त्व बहुत अधिक है। 'सामाजिक सेवा-विनिमय' के सभी सदस्य-अभिकरण उसके कार्यालय में ऐसे कार्यार्थियों का नाम पंजीकृत कराते है जो चिकित्सा, वैयक्तिक सेवा-कार्य अथवा सामूहिक सेवा-कार्य से सम्बन्धित किसी प्रकार की भी सेवा से लाभ उठा रहे हैं। यद्यपि सामूहिक कार्य करने वाले अभिकरण इस प्रकार की सेवा का उपयोग नहीं करते, फिर भी उसका उपयोग करने वाले अभिकरणों की संख्या बहुत अधिक है। यदि कोई परिवार किसी वैयक्तिक सेवा-कार्य करने वाले अभिकरण से सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र देता है तो वह अभिकरण पहले इस सम्बन्ध में विनिमय के कार्यालय से पता लगाता है कि उस परिवार को इसी प्रकार की किसी अन्य संस्था से सहायता तो नहीं मिल रही है। यदि वह परिवार किसी दूसरे अभिकरण से सहायता पा रहा है तो पहला अभिकरण इस दूसरे अभिकरण से पूछताछ करके स्थिति का पता लगाता है और उसके बाद में ये दोनों अभिकरण मिलकर यह निर्णय करते हैं कि सेवार्थी की प्रार्थना वस्तुतः उचित है या नहीं अथवा वह केवल दोनों अभिकरणणों से सहायता प्राप्त करने की चाल चल रहा है। सामाजिक-सेवा-विनिमय का काम केवल इतना ही है कि वह इस प्रकार की पूछताछ करने वाले अभिकरणों को इस बात की सूचना दे कि कोई विशेष सेवार्थी किसी अन्य अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर रहा है या नहीं? विनिमय किसी अभिकरण को यह सूचना नहीं देता कि कोई सेवार्थी किसी अन्य अभिकरण की सेवा का कितना उपयोग कर रहा है अथवा वह सेवा किस प्रकार की है। उसके पास इस तरह की कोई सूचना रहती भी नहीं है। इस तरह की सूचना सीधे उस अभिकरण

से ही प्राप्त हो सकती है जो किसी सेवार्थी के लिए सेवा-कार्य कर रहा है और वह भी केवल उतनी ही सूचना देता है जितनी किसी विशेष स्थिति से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी होती है। इस तरह विनिमय केवल निकासी दफ्तर का काम करता है और उसका कार्य मुख्यतः प्रशासकीय उत्तरदायित्व से सम्बन्धित होता है, किन्तु इससे बहुत बड़ा लाभ यह होता है कि कोई व्यक्ति सेवाओं का दुहरा उपयोग नहीं कर पाता और इस तरह समुदाय को अनगिनत डालरों की बचत हो जाती है। इसके अतिरिक्त इससे कार्यक्रमों की समग्र योजना बनाने में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार इस संगठन का कार्य अपने आप में तो सामाजिक कार्य नही है, किन्तु उससे ऐसी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं जिससे सामाजिक कार्य अधिक सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

इस स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता का ध्यान मुख्यतः पूरे समुदाय के व्यापक क्षेत्र पर रहता है। अन्तःसामूहिक अभिकरण में जहाँ अधिकतर क्लब और अनौपचारिक समूह सम्मिलित होते हैं वहाँ विनिमय में पूरे समुदाय अथवा पास-पड़ोस के महल्लों में स्थित सामाजिक, धार्मिक, श्रम-सम्बन्धी नागरिक, व्यावसायिक तथा अन्य अनेक प्रकार के समूह सम्मिलित होते है। इस क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता के सामान्य उत्तरदायित्व तो वैसे ही होते हैं, किन्तु यहाँ कुल मिलाकर व्यक्तिगत सदस्यों और समूहों का अनुभव अधिक व्यापक होता है और उनमें सामाजिक परिपक्वता और दृष्टिकोण की उदारता भी अधिक मात्रा में होती है।

राज्य-स्तर पर सामुदायिक संघटन

राज्यस्तरीय कार्य का एक उदाहरण राज्य-सामाजिक कार्य-सम्मेलन है। इन सम्मेलनों के पेशेवर और गैर-पेशेवर दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। इनकी एक सामान्य पद्धति यह है कि वे एक ऐसे मुक्त वाक्पीठ या खुले मंच की सुविधा प्रदान करते हैं जहाँ किसी विशेष राज्य में किये जान वाले सरकारी और गैर-सरकारी समाज-कल्याण-सम्बन्धी सेवा-कार्यों के समुचित-विकास के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाओं का विनिमय और कार्योत्तेजक विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। ये सम्मेलन प्रायः राज्य-स्तर पर दो या तीन दिन के लिए आयोजित किये जाते हैं और कभी-कभी राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर छोटे क्षेत्रीय सम्मेलन भी किये जाते हैं। वर्ष भर तक सम्मेलन की विभिन्न समितियाँ राज्यस्तरीय तथा क्षेत्रीय सम्मेलनों की तैयारी करने में लगी रहती रहती हैं तथा अध्ययन, अनुसंधान और व्याख्या-सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती हैं। इन सम्मेलनों के सदस्य प्रायः व्यक्ति और अभिकरण दोनों ही होते हैं। जब कोई अभिकरण सम्मेलन का सदस्य बनता है तो वह सदस्यता-सम्बन्धी व्यवस्था के

अनुसार तथा आवश्यक शुल्क देने के बाद एक या एक से अधिक व्यक्तियों को प्रतिनिधि नियुक्त करता है जो सम्मेलन में भाग लेते तथा उसमें अपने अभिकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एक अन्य प्रकार की राज्यस्तरीय संस्था वह होती है जो राज्य भर में सरकारी तथा गैर-सरकारी स्रोतों के माध्यम से यथासंभव समाज कल्याण के सर्वोत्तम कार्यक्रमों की व्यवस्था करने का प्रयत्न करती है, किन्तु वह विधान से सम्बन्धित कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान देती है क्योंकि सेवा-सम्बन्धी सुविधाओं और कार्यक्रमों से उनका बहुत अधिक सम्बन्ध होता है। ये प्रायः स्वतन्त्र, निःस्वार्थ सेवा-भावना से संचालित नागरिक संघटन होते हैं। वे अनुसन्धान और ज्ञानवर्द्धन से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। ताकि तथ्यों पर आधारित जनमत तैयार किया जा सके और जनता को इस तरह प्रबुद्ध किया जा सके कि वह स्वास्थ्य और जन-कल्याण से सम्बन्धित राज्यस्तरीय महत्त्व की समस्याओं के सम्बन्ध में सामूहिक रूप से कदम उठाने के लिए सक्रिय हो सके। इस प्रकार के संघटन का उदाहरण पेन्सिलवानिया नागरिक-संघ है जिसके कार्यालय फिलाडेल्फिया और पिट्सवर्ग दोनों नगरों में हैं। इन संस्थाओं का संघटनात्मक स्वरूप उनके कार्य की प्रभावात्मकता की दृष्टि से विशेष सार्थकता रखता है। इस तरह के कुछ संघटन मुख्यतः वैयक्तिक सदस्यता पर ही अपना प्रयत्न केन्द्रित रखते हैं। ऐसे सदस्य प्रायः अपने समुदाय की कुंजी होते हैं और इस कारण वे अपने-अपने समुदाय के विभिन्न समूहों या संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने तथा उनमें अपने संघ के लिए अभिरुचि उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त करते है। किन्तु इनके सदस्य चूंकि स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं, अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि नहीं, इसलिए संघ का किसी कार्य में उन समूहों के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं हो पाता जिनके सहयोग की उसे अपेक्षा होती है। संघटन चाहे जो भी योजना हाथ में ले सब में उसका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि विधान सभा में प्रस्तावित, स्वास्थ्य और कल्याण-सम्बन्धी किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में जनमत तैयार किया जाय। उदाहरण के लिए, पेंसिलवानिया की विधान-सभा में गोद लेने से सम्बन्धित वर्तमान कानून की कमियों को दूर करने के लिए दो अलग-अलग विधेयक उपस्थित किये गये। अतः नागरिक समूहों के लिए यह जानना आवश्यक था कि इन दोनों विधेयकों की विशेषताएँ क्या हैं और उनका प्रभाव क्या होगा क्योंकि उन्हें अच्छी तरह समझे बिना उनमें से किसी एक का समर्थन करने का कोई उचित आधार या तर्क नहीं पाया जा सकता था। अतः पेन्सिलवानिया-नागरिक संघ ने इस दिशा में नेतृत्व ग्रहण किया और अन्य संस्थाओं ने भी उसका साथ दिया। इन संस्थाओं ने उक्त दोनों कानूनों की तुलना करते हुए जनता के बीच उनकी समानताओं और भेदों का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया और इस तरह उनके सम्बन्ध में

समाज के सम्मुख अपना दृष्टिकोण उपस्थित किया। इस तरह के आन्दोलन अथवा कार्यक्रम मुख्यतः शिक्षात्मक और उन्नयनात्मक होते हैं।

सामुदायिक कार्यक्रम राज्य भर की समस्याओं से सम्बन्धित होते हैं। किन्तु इनमें भी कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका यही होती है कि वह संघ में सम्मिलित होनेवाले समूहों तथा उनके प्रतिनिधियों की सहायता करे। सामाजिक कार्य की इस मंजिल पर पहुँचकर उन प्रतिनिधियों के भीतर अधिक परिपक्व और गहरी सामाजिक उत्तरदायित्व-भावना आ जाती है, जो उत्तरोत्तर व्यापक क्षेत्र में उत्तरदायित्व ग्रहण करने के कारण उपलब्ध उनके अनुभवों की देन होती है, किन्तु ऐसे संघटनों में किसी प्रतिनिधि की अपने निजी संघटन या समुदाय के हितों के संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठकर राज्य-स्तर पर काम करने की समस्या प्रायः वैसी ही होती है जैसी उस व्यक्ति की जो किसी अभिकरण संघ (अन्तः सामूहिक संघ) में पहले-पहल अपने क्लब का प्रतिनिधि बनकर सम्मिलित होता है। यद्यपि इस क्षेत्र में कार्य करने वाले संघटनों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों या कार्यकर्ताओं के उद्देश्य, उसके कुछ निश्चित कौशल तथा पद्धतियाँ, अन्य क्षेत्रों से अवश्य कुछ भिन्न होती हैं, किन्तु सामाजिक कार्य के मूल सिद्धान्त एवं दर्शन वे ही होते हैं जो अन्य क्षेत्रों में होते हैं।

राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम

जो संस्थाएँ राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक कार्य कर रही है उनमें से एक 'राष्ट्रीय सामाजिक कार्य-सम्मेलन' भी है जिसकी स्थापना सन् १८७४ में हुई थी और तभी से वह अबाध गति से कार्य करता आ रहा है। सन् १८७५ में उसकी पहली बैठक 'अमेरिकन समाज-शास्त्र संघ' द्वारा बुलायी गयी थी और उसमें मासाचुसुसेट्स, कनेक्टिकट, न्यूयार्क, और विस्कान्सिंग राज्यों के धर्मादा परिषदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। विभिन्न कालों में इस संस्था के भिन्न-भिन्न नाम प्रचलित थे, जैसे धर्मादा और सुधार-सम्मेलन, राष्ट्रीय धर्मादा और सुधार सम्मेलन। इस समय उसका नाम 'राष्ट्रीय सामाजिक कार्य-सम्मेलन' है। इसकी पहली बैठक में बहुत थोड़े व्यक्ति सम्मिलित हुए थे, किन्तु तब से विकसित होती हुई यह संस्था इतनी बड़ी हो गयी है कि उसके सदस्यों की संख्या करीब सात हजार है। इस सम्मेलन के उद्देश्य और कार्य निम्नलिखित हैं—

'समाज-कल्याण तथा उससे निकटतम सम्बन्ध रखने वाले क्षेत्रों की समस्याओं और तत्सम्बन्धी कार्य पद्धतियों के विषय में विचार विमर्श करना तथा उनका उन्नयन करना। यह सम्मेलन इसी तरह के विचार विमर्श का वाक्पीठ है। इस सम्मेलन में किसी विवाद-

ग्रस्त विषय पर कोई आधिकारिक निर्णय नही दिया जाता और न तो शिष्टाचार-सम्बन्धी प्रस्ताओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के प्रस्ताव ही पारित होते हैं[१०]।" इस सम्मेलन के सदस्य व्यक्ति और अभिकरण दोनों ही होते हैं, किन्तु चूंकि सम्मेलन किसी समस्या पर अपना निर्णय नही व्यक्त करता, इसलिए उसके कार्यक्रम सामाजिक सक्रियता वाले कार्यक्रम न होकर मुख्यतः शिक्षात्मक होते हैं। यह सम्मेलन पेशेवर और गैर-पेशेवर, सरकारी और गैर-सरकारी, स्थानीय, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के समूहों को अपने वार्षिक अधिवेशनों की खुली बैठकों तथा विभागीय समितियों की बैठकों में भाग लेने तथा एकत्र होने का अवसर प्रदान करता है। यही नहीं, सम्मेलन अपने सम्बद्ध समूहों को इस बात के लिए भी अवसर प्रदान करता है कि यदि वे चाहें तो सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन के साथ ही अपना अधिवेशन अथवा अपने कार्यों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं और इस तरह अपने शिक्षात्मक अनुभवों के क्षेत्र की सीमा का विस्तार कर सकते हैं। इससे एक बड़ा लाभ होता है कि विभिन्न विशेषीकृत कार्य करने वाले समूहों को सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशनों के समय एकत्र होकर एक दूसरे के कार्यों को जानने-समझने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे समूहों में वृत्तिक संस्थाएँ, सेवा-कार्य करने वाले संघटन, परिवीक्षा और पेरोल-सम्बन्धी कार्य करने वाले समूह और इसी तरह की दर्जनों अन्य संस्थाएँ होती है। सम्मेलन प्रतिवर्ष अपना वार्षिक कार्य-विवरण प्रकाशित करता है जिसमें वार्षिक अधिवेशन के समय पढ़े गये चुने हुए निबन्ध छपते हैं। इस उद्देश्य से कि अधिक से अधिक सदस्य इसके वार्षिक अधिवेशनों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर सकें सम्मेलन हर वर्ष देश के भिन्न-भिन्न नगरों में अपना अधिवेशन करता है, किन्तु इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वार्षिक अधिवेशन हर तीसरे वर्ष देश के पूर्वी भाग के किसी नगर में अवश्य हो क्योंकि सम्मेलन के सदस्यों की एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो पूर्वी भागों में रहते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयात्मक संघटन कार्य करने वाली संस्थाओं का एक अन्य उदाहरण 'राष्ट्रीय समाज-कल्याण-सभा' है। इस संस्था के सन् १९५२ के वार्षिक कार्य-विवरण में इसके उद्देश्यों और कार्यो का उल्लेख निम्नलिखित रूप में किया गया है—

(१) समाज-कल्याण-सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन और स्वरूप-निर्धारण करना तथा उनके समाधान के लिए कार्यक्रमों की योजना बनना।

(१०) सोशल वर्क इयर बुक—न्यूयार्क, अमेरिकन एसोशियेशन आफ सोशल वर्कर्स, १९५४, पृष्ठ ६४०।

(२) समाज-कल्याण-सम्बन्धी आवश्यकताओं और समस्याओं के विषय में सम्मेलन और विचार-विमर्श करने वाले अभिकरण के रूप में सेवा-कार्य करना ।

(३) प्रभावपूर्ण और संघटित समाज-कल्याण-कार्य करने के लिए अधिक सुविधाएँ प्रदान करना ।

(४) सम्बद्ध संस्थाओं, सहयोगी समूहों तथा सदस्यों के लिए नेतृत्व तथा सुविधाएँ प्रदान करना ताकि वे अपने सामान्य हित से सम्बन्धित मामलों में स्वेच्छापूर्वक एक साथ मिलकर योजना बना सकें तथा कार्य कर सकें ।

(५) समाज-कल्याण-कार्यों में अभिरुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों और अभिकरणों को स्वेच्छापूर्वक संयुक्तरूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें सशक्त बनाना ।

(६) जहाँ भी समाज-कल्याण-सम्बन्धी-कार्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का प्रश्न उपस्थित हो वहाँ उसके पक्ष में हर तरह का उद्योग करने के लिए प्रयत्न करना[११] ।

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, इस संस्था के सदस्य व्यक्ति और अभिकरण दोनों ही हो सकते हैं । सन् १९५२ में इसके सदस्यों में कुल २१६ व्यक्ति और ६१ प्रत्यावर्ती प्रतिनिधि थे । इनमें कुछ तो सम्बद्ध संस्थाओं और सहयोगी समूहों के नामजद प्रतिनिधि थे और कुछ अपने-अपने संघटनों के निर्वाचित प्रतिनिध । इस सभा (असेम्बली) के साथ पन्द्रह सरकारी तथा तीन गैर-सरकारी अभिकरण सम्बद्ध थे ।

अमेरिकी परिवार-सेवा-संघ राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले ऐसे संघटनों का उदाहरण है जिनके काम का क्षेत्र एक निश्चित दायरा होता है । इस संस्था का उद्देश्य पारिवारिक समाज-कल्याण-कार्यों का विकास और उन्नयन करना तथा पारिवारिक जीवन को सुखी और सुन्दर बनाना है । वस्तुतः यह संघ एक अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है क्योंकि इसके सदस्यों में कनाडा-निवासी भी है, किन्तु इसे यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय संस्था इस कारण नहीं कहा गया है कि इसमें केवल दो ही देशों के सदस्य सम्मिलित हैं । इस अध्याय में आगे उन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा जो संसार के विभिन्न देशों में व्यापक क्षेत्र से कार्य करती है । परिवार-सेवा-संघ अनेक प्रकार के सेवा-कार्य करता है । यह सरकारी तथा गैर-सरकारी पारिवारिक अभिकरण तथा उनसे सम्बन्धित संस्थाओं को परामर्श देने का कार्य करता है । यह अपने विषय-क्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाएँ देता तथा पारिवारिक क्षेत्र में काम करने वाले सुयोग्य कर्मचारियों की व्यवस्था

(११) नेशनल सोशल वेलफेयर असेम्बली—वार्षिक विवरण, १९५२, पृष्ठ २ ।

के कार्य में सहायता करता है। यह पारिवारिक समाज-सेवा-कार्य को व्यापक रूप में ग्रहण करता और इस आशा से यह कार्य करता है कि समान्य जनता पारिवारिक अभिकरणों को जिस रूप में समझती और जिस तरह उनका समर्थन करती है उसमें वह और भी अभिवृद्धि कर सकेगा। इसके सदस्य पेशेवर और गैर-पेशेवर व्यक्ति तथा सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरण, दोनों ही होते हैं। इस संस्था के कार्यों में सामुदायिक संघटन-सम्बन्धी तीनों प्रक्रियाएँ क्रियाशील दिखाई पड़ती हैं। इस संस्था में काम करने वाला परामर्शदाता उन तीनों प्रक्रियाओं में से शिक्षात्मक और उन्नयनात्मक प्रक्रिया का सहारा लेता है; पर वह ऐसे स्थानीय समूहों में कार्य करता है जो प्रातिनिधिक आधार पर कार्य करते हैं; अतः इस प्रकार उसे अन्तःसामूहिक प्रक्रिया का भी सहारा लेना पड़ता है।

इस देश-व्यापी संघटन-पद्धति के अन्तर्गत शासन की ओर से किये जाने वाले कार्यों का एक उत्कृष्ट उदाहरण 'ह्वाइट-हाउस-सम्मेलन' है जिसका प्रथम अधिवेशन सन् १९०९ में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के आदेश से हुआ था। उस समय उस का नाम "विभागीय बालक-सेवा सम्मेलन" था। तब से अब तक इस सम्मेलन के पाँच अधिवेश हो चुके हैं। अन्य अधिवेशन क्रमशः सन् १९०१९, १९३०, १९४० और १९५० में हुए थे। सन् १९५० का सम्मेलन सामुदायिक संघटन की प्रक्रिया की दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्व पूर्ण था। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय पैमाने पर एक स्थान पर तो हुआ ही था, साथ ही राज्य-स्तर पर प्रत्येक राज्य में उसकी विभिन्न समितियाँ भी संगठित की गयीं। ये समितियाँ अपने-अपने राज्यों में स्थानीय समुदायों में कार्य करने वाली विकास-समितियों को प्रोत्साहित करती थीं। इस तरह स्थानीय समुदाय के स्तर से क्षेत्रीय एवं राज्य-स्तर शिक्षात्मक और प्रशासकीय, दोनों ही प्रकार का था। सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार किया गया अथवा जो प्रतिवेदन पढ़े गये उनमें कुछ सीधे उन समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित किये गये थे जहाँ उन समस्याओं का प्रत्यक्षतः सामना करना पड़ रहा था और जहाँ के लिए प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता था कि वहाँ सेवा-कार्यों में कभी के कारण ही वे समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं और उसी आधार पर वहाँ की कार्य-पद्धति का आकलन होना चाहिए। इन प्रारम्भिक बैठकों और सम्मेलनों को, जिनकी क्रमिक सरणि से धीरे-धीरे स्थानीय समुदायों की समस्याओं एवं तथ्यों से सम्बन्धित सामग्री राज्य-स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने लगी, अपने प्रयत्नों को संघटित करने में ही कई महीने लग गये। इन कार्यों की योजनाओं के निर्माण में केवल बाल-कल्याण-कार्य करनेवाले सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों के अधिकारी ही नहीं, बल्कि उन अभिकरणों की परिषदों के गैर-पेशेवर सदस्य तथा बालकों के माता-पिता तथा युवकों के

प्रतिनिधि भी किसी-न-किसी स्तर की समिति के सदस्य थे और इस तरह इस संघटन की योजना-प्रक्रिया विशाल पैमाने पर क्रियाशील थी और इसका जो सर्वोच्च स्तरीय सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ उसमें युवकों का योगदान भी बहुत महत्त्वपूर्ण था। इस प्रक्रिया की दूसरी उतनी ही महत्त्वपूर्ण अवस्था वह थी जब कि उन्हीं समूहों को, जिन्होंने विभिन्न समस्याओं के अध्ययन, अनुसन्धान और जाँच-पड़ताल के कार्यों में प्रारम्भ में भाग लिया था, सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संस्तुतियों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस प्रकार की किसी राष्ट्रीय प्रायोजना में इतने अधिक व्यक्तियों और संघटनों का सहयोग इसके पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ था। जिन लाभार्थियों के लिए इस समस्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उन युवकों के सहयोगपूर्ण कार्यों से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्वरूप नवीन बन गया। इस संघटन के कार्यक्रमों में भी उपर्युक्त सामुदायिक संघटन की तीनों प्रक्रियाएँ प्रयोग में लायी गयीं। वाशिंगटन सम्मेलन की बैठकों में जिन नव-युवकों ने भाग लिया था उनमें से अधिकतर विद्यालयों, विभिन्न सामाजिक अभिकरणों तथा ऐसे ही अन्य समूहों द्वारा भेजे गये थे और उन संस्थाओं के प्रतिनिधि या सदस्य-प्रतिनिधि के रूप में उनमें से बहुतों ने सम्मेलन से लौटने के बाद अपनी संस्थाओं को सम्मेलन की कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराया और कुछ ने तो अन्य सामुदायिक समूहों में भी उसका विवरण उपस्थित किया। उत्तरदायित्वपूर्ण प्रातिनिधिक कार्य-पद्धति का यह एक सुन्दर उदाहरण है।

इस सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने वाली संस्थाओं की भाँति उसमें काम करने वाले कार्यकर्ता का भी ध्यान स्थानीय स्तर से ऊपर उठकर राष्ट्रीय तर पर केन्द्रित रहता है। किन्तु अब भी उसमें भाग लेने वाले कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने राज्यों या क्षेत्रों के हितों की संकीर्ण सीमा से बाहर निकल कर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कुछ व्यक्ति अथवा समूह अब भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस संघटन का उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ संस्थाएँ अभी इतनी परिपक्व नहीं हो सकी हैं कि वे इस उच्च स्तर तक उठकर कार्य कर सकें। कुछ व्यक्ति और संस्थाएँ अपना सामाजिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने को तैयार हैं। और उन समूहों की संख्या और भी अधिक है जो उन्हें ऐसा करने का अवसर देने को तैयार हैं। अतः यहाँ भी कार्यकर्ता की कार्य-भूमिका मूलतः पहले-जैसी ही होती है, किन्तु उसकी कठिनाइयाँ बड़ी होती हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी वह जो समस्याएँ हाथ में लेता है उन्हें सुलझाने में उसे फिर स्थानीय समुदायों के स्तर तक पहुँचना पड़ता तथा नये आयामों और नवीन सम्बन्धों से उत्पन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः इस स्तर पर पूर्ववर्ती अनुभव तथा पूर्व निर्देशन अपर्याप्त प्रतीत होने लगते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक संघटन

अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्य-सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है और उसकी कार्य-पद्धति भी वैसी ही है जैसी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले राष्ट्रीय सामाजक कार्य-सम्मेलन की। इसके अधिकारी अनेक देशों के व्यक्ति होते हैं और सम्मेलन के अधिवेशन भी संसार के भिन्न-भिन्न भागों में होते हैं। प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन सन् १९२८ में पेरिस में हुआ था, जिसमें ४२ देशों, ३२ सरकारों और २१ देशों की राष्ट्रीय समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था[१२]। जब फिर पेरिस में सन् १९५० में सम्मेलन का अधिवेशन हुआ तो उसमें कुल ४७ देशों के करीब १८०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस संस्था के प्रतिनिधि भिन्न-भिन्न देशों से चुन कर आते हैं, किन्तु यह छूट भी है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी, जो किसी देश से आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं हैं, व्यक्तिगत रूप से सदस्य हो सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजने वाले संघटनों की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या उन अभिकरणों की भी है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्य भी हैं (और जो अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर कार्य करते तथा सम्मेलन की द्विवार्षिक बैठकों में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं)। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाओं के उदाहरण के रूप में निम्नलिखित संस्थाओ का नाम गिनाया जा सकता है—रेडक्रास, युवा ईसाई-संघ, युवती ईसाई-संघ, को-आपरेटिव फार अमेरिकन रेमिटेन्स टु यूरोप अन्तर्राष्ट्रीय समाज-सेवा-संघ और उद्धार-सेना। स्थानीय मुहल्ला अभिकरणों में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिनिधित्व या सदस्य-प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित जो भी सिद्धान्त प्रचलित हैं वे सभी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यो पर भी लागू होते हैं।

प्रातिनिधिक और सदस्य-प्रातिनिधिक आधार पर कार्य करने वाले संघटनों का एक अन्य उदाहरण युनेस्को (संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघटन) है। इस संस्था के कार्यक्रम, नीतियों और आय-व्ययक का निश्चय सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा एक प्रतिनिधि-सभा के माध्यम से किया जाता है जिसे साधारण-सभा (जेनरल कान्फ्रेन्स) कहा जाता है। जैसा इस संस्था के नाम से ही प्रकट होता है, इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से विश्व की शान्ति और सुरक्षा में योगदान करना है। स्थानीय मुहल्ला-सभाओं के लिए एक साथ मिल कर प्रभावपूर्ण ढंग से काम करना

(१२) जू आर० हाफर—"कान्फ्रेंस आफ सोशल वर्क"—सोशल इयर बुक, १९५४, अमेरिकन एसोशियेशन आफ सोशल वर्कर्स, पृष्ठ १२८–१३४।

तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि उनके सामने कोई ऐसी संरचना न हो जो उनके सम्मुख कोई सामान्य लक्ष्य प्रस्तुत कर सके जिसमें उनका सच्चा विश्वास हो। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सिद्धान्त और भी अधिक लागू होता है। संरचना और प्रवृत्ति-निर्माण के लिए भी अत्यधिक कुशल नेतृत्व और धैर्य की आवश्यकता है। यहाँ भी अपने निजी समूह के संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठ कर वृहत्तर इकाई की ओर ध्यान देने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी उन क्षेत्रों में जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। स्थानीय समुदाय में अपने छोटे समूह के स्वार्थ से ऊपर उठकर समूचे समुदाय के कल्याण की बात सोचने की क्षमता का होना आवश्यक है और संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघटन में भी अपने देश की सीमा के संकीर्ण घेरे से बाहर निकल कर सारे संसार के हितों पर ध्यान केन्द्रित करना उतना ही महत्त्वपूर्ण है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति स्थानीय (मुहल्लों के) सकीर्ण घेरे से बाहर निकल कर अधिक विस्तृत और व्यापक क्षेत्र में अग्रसर होता जाता और अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच जाता है, त्यों-त्यों उत्तरोत्तर उसकी प्रवृत्ति अधिक परिवक्व और राजनीतिक होती जाती है। इस तरह इस संस्था में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता का ध्यान मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर केन्द्रित होता है। यह सबसे कठिन कार्य-क्षेत्र है क्योंकि इस क्षेत्र में कार्य करने का हमें बहुत कम अनुभव है; उसके पूर्व निदर्शन भी कम है तथा इस बात का ज्ञान भी अधिक नहीं है कि इस स्तर के सम्बन्धों की समस्याओं को कैसे निपटाना चाहिए। इस तरह प्रत्येक स्तर पर कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व उत्तरोत्तर अधिक गम्भीर होता जाता है क्योंकि ज्यों-ज्यों कार्य का क्षेत्र और स्तर व्यापक होता जाता है त्यों-त्यों उसके सम्बन्ध अधिकाधिक लोगों से बढ़ते जाते है तथा उसके कार्यों के परिणामों का प्रभाव भी अधिक लोगों पर पड़ता है।

सामुदायिक संघटन की प्रवृत्तियाँ

सामुदायिक धर्मादा-समितियों (दान-पेटिका-समितियों) के सम्बन्ध में विचार करते समय पहले कहा जा चुका है कि कोष-संग्रह की उनकी पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता और उसका सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान यह था कि विभिन्न अभिकरणों द्वारा कोष-संग्रह करने के स्थान पर इस पद्धति द्वारा कोष-संग्रह के लिए संयुक्त रूप से प्रयत्न किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों के भीतर फिर वैसी ही चिन्ताजनक समस्या उत्पन्न हो गयी है, क्योंकि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले ऐसे संघटनों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है जो सामुदायिक धर्मादा-समितियों के संयुक्त प्रयास में सम्मिलित न होकर अपने लिए अलग-अलग कोष-संग्रह करते हैं। चूँकि सामुदायिक धर्मादा-समितियों के साथ संबद्ध होना या न होना किसी अभिकरण की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए किसी भी अभिकरण

को इस संयुक्त प्रयास में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किन्तु इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि अधिक मात्रा में दान देने वाले दाता फिर पहले की तरह ही परेशान होकर कहने लगे हैं कि आखिर कितने लोगों को दान दिया जाय। यह प्रश्न उचित भी है क्योंकि यदि कोष-संग्रह के संयुक्त-प्रयास से सचमुच इतना अधिक लाभ हुआ है कि अलग-अलग कोष-संग्रह में होने वाला अत्यधिक अपव्यय समाप्त हो गया है और किसी भी अभिकरण को उसकी स्वास्थ्य एवं कल्याण-सम्बन्धी सेवाओं के परीक्षण एवं स्वीकृति के बाद उसके लिए संयुक्त कोष से विश्वास के साथ अनदान दिया जा सकता है तो फिर क्या कारण है कि बहुत-से अभिकरण इस संयुक्त प्रयास में सम्मिलित नहीं होते ? यद्यपि कुछ महत्त्वपूर्ण संस्थाओं, जैसे अमेरिकन रेडक्रास, द मार्च आफ टाइम्स, हृद्रोग एवं कैंसर संस्थान आदि के अलग-अलग कोष-संग्रह-सम्बन्धी प्रयत्नों पर कभी भी यह आपत्ति नहीं की गयी कि उनके कार्यक्रम अनावश्यक अथवा महत्त्व-पूर्ण नहीं है। किन्तु अलग-अलग कोष-संग्रह करने वाली अधिकांश संस्थाओं के बारे में, जिनकी संख्या बहुत अधिक है, यह आपत्ति पहले से ही रही है तथा आज भी की जाती है और इस तरह इस समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। पिछले कुछ वर्षों से इस समस्या के समाधान के लिए एक नवीन पद्धति का विकास हो रहा है। कुछ बड़े-बड़े उद्योगों में काम करने वाले मजदूर संघों ने अपने सदस्यों को यह आदेश दिया कि वे अपने वेतन से एक बार से अधिक चन्दा न दें। इस तरह इन संघों ने अपना अलग कोष निर्मित किया और उसी कोष से धर्मादा-समिति, रेड-क्रास तथा अन्य संस्थाओं को मजदूरों की ओर से संयुक्त रूप से दान दिया जाने लगा। मिसिगाँ के दी ट्रायट नामक नगर में एक नये ढंग का प्रयास प्रारम्भ हुआ। इसका नाम 'टार्च फण्ड' था और इसका उद्देश्य अलग-अलग कोष संग्रह करने वाले सभी संघटनों को, जिसमें दी ट्रायट सामुदायिक समिति भी थी, संयुक्त प्रयास के लिए एक साथ एकत्र करना था। दूसरे शब्दों में यह काष-संग्रह का 'महत्तम' प्रयास था जिसमें अन्य सभी प्रयासों को सम्मिलित कर लिया गया था। यद्यपि किसी भी नगर में कोष-संग्रह-सम्बन्धी इस प्रयास में सभी संस्थाओं का शत-प्रतिशत सहयोग नहीं प्राप्त होता, फिर भी सर्वत्र अधिक-से-अधिक संस्थाएँ संयुक्त प्रयास में सम्मि-लित होती हैं। संयुक्त प्रयास पर सबसे अधिक आपत्ति राष्ट्रीय स्तर पर संचालित स्वास्थ्य-सम्बन्धी सेवाओं के लिए कोष-संग्रह का काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाती है। उनमें क्षय, पोलियों, कैंसर तथा कुछ रोगों से सम्बन्धित सेवाएँ मुख्य हैं। आपत्ति करने वालों का यह कहना है कि संयुक्त प्रयास के कारण किसी विशेष अभिकरण की सहायता के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों पर गम्भीर आघात पहुँचता है अथवा उनका रास्ता ही बन्द हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि ये अभिकरण अलग-अलग कोष-संग्रह

करते हैं तो उन्हें संयुक्त प्रयास की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त होता है जिससे वे अधिक अच्छा और व्यापक पैमाने पर सेवा-कार्य कर सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि यदि वे अलग-अलग अपने कार्य का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कोष-संग्रह का काम करते हैं तो इस तरह वे जनता को अपने विषय में विशेष जानकारी देते, उसे शिक्षित बनाने तथा उसके सम्मुख अपने क्षेत्र की समस्याओं का विश्लेषण करने का कार्य अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं। दूसरी ओर सामूहिक या संयुक्त प्रयास से यह लाभ होता है कि समूचे समुदाय को एक साथ सक्रिय बनाया जा सकता है और सबके संयुक्त सहयोग से कोष-संग्रह के प्रयत्न में अधिक सफलता मिल सकती है। इस प्रकार संयुक्त प्रयास की यह पद्धति अधिकाधिक लोकप्रिय और उपयोगी होता जा रही है। किन्तु आज भी उससे सम्बन्धित कई ऐसी समस्याएँ हैं जिनका समाधान अभी तक नही हो सका है। इन परस्पर विरोधी मतों के सम्बन्ध में कोई एक निर्णय करना कठिन प्रतीत होता है जिसका कारण यह है कि दोनों मतों के प्रतिपादक अत्यन्त ईमानदारी और विश्वास के साथ अपनी बात कहते या कार्य करते हैं और दोनों का लक्ष्य भी एक ही है जो यह है कि ऐसी सर्वोत्तम सेवा की व्यवस्था की जाय जिससे समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दोनों में मतभेद लक्ष्य में नहीं, पद्धतियों के सम्बन्ध में है, किन्तु वस्तुतः पद्धतियों को लक्ष्यों और सिद्धान्तों से विलग नही किया जा सकता।

राज्य-स्तर पर किये जाने वाले प्रयास

स्थानीय 'टार्च फण्ड' की तरह राज्य-स्तर पर भी संयुक्त कोष-संग्रह के प्रयास की दिशा में नवीन प्रगति हुई है। राज्य-स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के अन्तर्गत देहाती क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे नगरों में कोष-संग्रह का कार्य संघटित किया जाता है और विभिन्न समुदायों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुदान का विनियोजन किया जाता है। इस दिशा में मिशिगन राज्य के संघटन कार्य को मार्ग-निर्देशक माना जा सकता है। वहाँ इस योजना को संचालित करने वाली संस्था का नाम संयुक्त स्वास्थ्य एवं कल्याण-कोष है और इसका केन्द्रीय कार्यालय राज्य की राजधानी में स्थित है। इस पद्धति की विशेषता यह बतायी जाती है कि इससे विभिन्न माध्यमों द्वारा किये जाने वाले कोष-संग्रह-प्रयासों के कारण उत्पन्न होने वाले संदेहों एवं परेशानियों का निराकरण हो जाता है, कार्य-कर्ताओं की शक्ति का अपव्यय नहीं हो पाता, कोष-सग्रह-सम्बन्धी व्यय में कमी होती है, आय-व्यय का सावधानी से निरीक्षण होने के कारण सदस्य अभिकरणों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता है, अलग-अलग कोष-संग्रह करने वाले अभिकरणों के बीच की प्रतियोगिता की भावना समाप्त होती है और संयुक्त रूप से बनायी गयी योजनाओं और सहयोगपूर्ण

प्रयत्नों का ठोस परिणाम निकलता है। एक समय समूचे समुदाय को एक साथ ऐक्य-सूत्र में बाँधने का यह परिणाम होता है कि सभी संबद्ध व्यक्ति और अभिकरण पहले से अधिक लाभान्वित होने लगते हैं। मिशिगन में राज्य-स्तर पर संयुक्त कोष-संग्रह का प्रयास सन् १९४९ में प्रारम्भ हुआ था और तब से अब तक इस प्रयास में सम्मिलित होने वालों की संख्या तथा संगृहीत धन-राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है।

निष्कर्ष

इस संक्षिप्त विवेचन में हमने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि समाज-कल्याण-सम्बन्धी सामुदायिक संघटन का सम्बन्ध आवश्यकता तथा साधन, दोनों से है। व्यक्ति, समूह और समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों की पर्याप्तता का प्रश्न उन साधनों के गुण और मात्रा का ही प्रश्न नहीं है, उनका महत्त्व इससे कहीं अधिक है। यही नहीं, सामुदायिक संघटन पारस्परिक सम्बन्धों के प्रश्न से भी सम्बद्ध होता है। समन्वय और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रभाव कार्य के गुण और मात्रा पर पड़ता है। सामुदायिक संघटन के व्यापक क्षेत्र के अन्तर्गत उसके अवयव के रूप में मान्य सामाजिक कार्यों की विभिन्न लोगों ने जो पारिभाषा निर्धारित करने का प्रयत्न किया है उनके सम्बन्ध में पहले विचार किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में साधारणतया सभी एक मत हैं कि सामुदायिक संघटन भी एक प्रक्रिया है और सामाजिक कार्य की आधारभूत प्रक्रियाओं के अन्तर्गत उसका भी स्थान है। सामाजिक कार्य की प्रक्रिया के रूप में सामुदायिक संघटन का कार्य अनेक अभिकरणों द्वारा किया जाता है। उन अभिकरणों में से कुछ का तो सामुदायिक संघटन ही प्रमुख सेवा-कार्य है। सामुदायिक कल्याण-समिति इसका उदाहरण है। किन्तु अन्य अभिकरण सामुदायिक संघटन का कार्य गौण रूप में ही करते हैं। स्थानीय मुहल्लों के क्षेत्र से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक के कार्यों के विभिन्न स्तरों पर संचालित होने वाले इस प्रकार के कार्यक्रमों के अनेक उदाहरण पहले ही दिये जा चुके हैं।

इन सभी कार्यक्रमों के केन्द्र में कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता की वृत्तिक कार्य-भूमिका का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यही है कि वह व्यक्तियों और समूहों के बीच अपने कौशल और विवेक के उपयोग द्वारा सहयोगपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कराने में कहाँ तक सफलता प्राप्त करता है। उसका कौशल अन्य बातों के अतिरिक्त इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें व्यापक क्षेत्र में स्थित विभिन्न प्रकार के समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के साथ काम करने, व्यक्तियों और समूहों को सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार करने, विभिन्न समुदायों में नेतृत्व करने के लिए

योग्य व्यक्ति तैयार करने, उपयुक्त अनुसंधान-सम्बन्धी पद्धतियों का उपयोग करने, संघर्ष की स्थिति में सही ढंग से काम करने, अच्छा प्रशासक बन सकने और अपने तथा अपने पक्ष के व्यक्तियों या समूहों के स्वार्थों से ऊपर उठकर समूचे समुदाय पर ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता है या नही ।

किसी समुदाय या राष्ट्र में किये जाने वाले सेवा-कार्य का गुणात्मक स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ स्वास्थ्य एवं कल्याण-सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों को परस्पर समन्वित करने तथा उन्हें एक समग्र कार्यक्रम के रूप में परिचालित करने में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है । सामुदायिक संघटन की प्रक्रिया से ही यह निश्चित हो सकता है कि किसी विशेष समुदाय के भीतर इस प्रकार का समन्वित कार्य हो रहा है या नही । इस तरह ज्यों-ज्यों समन्वय का कार्य अधिकाधिक आवश्यक बनता जाता है त्यों-त्यों किसी भी स्तर पर की जाने वाली स्वास्थ्य एवं कल्याण-सम्बन्धी सेवाओं की सफलता या असफलता सामुदायिक संघटन की प्रक्रियाओं की प्रभावात्मकता या अप्रभावात्मकता पर निर्भर होती है । यह एक बहुत बड़ी चुनौती तथा गंभीर उत्तरदायित्व का कार्य है जिसे वे ही स्वीकार कर सकते है जिनमें अत्यधिक साहस और दूरदर्शिता के गुण वर्तमान हैं और जो किसी एक अभिकरण, समुदाय अथवा राष्ट्र के संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठ कर बृहत्तर संदर्भों में अपनी दृष्टि का विस्तार करने की क्षमता रखते हैं ।

सहायक ग्रन्थ-सूची

पुस्तक और पुस्तिकाएँ

सौल डी० एलिन्स्की—रिवीली फ़ार रेडिकल्स—शिकागो, युनिवर्सिटी आफ़ शिकागो प्रेस, १९४६ ।

ब्रैडले बुएल और अन्य सहयोगी—कम्युनिटी प्लैनिग फ़ार ह्यूमन सर्विसेज—न्यूयार्क, कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस, १९५२ ।

जोवाना सी० कोलकार्ड—योर कम्युनिटी—इट्स प्राविजन्स फार हेल्थ, एजुकेशन सेफ्टी एण्ड वेलफेयर—(संशोधित संस्करण), न्यूयार्क, रसेल सेज फाउण्डेशन, १९४७ ।

कम्युनिटी चेस्ट्स एण्ड कौन्सिल्स आफ अमेरिका—आउटलाइन फार एप्राइजल आफ ए कम्युनिटी वेलफेयर कौंसिल—न्यूयार्क, १९४९—पालिसी स्टेटमेण्ट आन कम्युनिटी प्लैनिंग फार सोशल वेलफेयर, न्यूयार्क, १९५० ।.

सिडनी डिलिक—आर्गनाइज़ेशन फार नेबरहुड डेवलपमेण्ट : पास्ट एण्ड प्रेज़ेण्ट—न्यूयार्क, ह्वाइटमाइट, १९५३ ।

अर्ले ई० यूबैंक—द कान्सेप्ट्स आफ़ सोशियालोजी—बोस्टन, डी० सी०, हीथ एण्ड कम्पनी, १९३२ ।

वेलैण्ड जे० हेइज़—द स्माल कम्युनिटी लुक्स अहेड—न्यूयार्क, हरकोर्ट ब्रेस एण्ड कम्पनी, १९४७ ।

आर्थर हिलमैन—कम्युनिटी आर्गेनाइज़ेशन एण्ड प्लैनिग—न्यूयार्क, द मैकमिलन कम्पनी, १९५० ।

डोनाल्ड एस० हावर्ड (सम्पादन)—कम्युनिटी आर्गेनाइज़ेशन—इट्स नेचर एण्ड सेटिंग—न्यूयार्क, अमेरिकन एसोशिएशन आफ़ सोशल वर्कर्स, १९४८ ।

फ्लायड हण्टर—कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर—चैपेल हिल, युनिवर्सिटी आफ़ नार्थ कैरोलिना प्रेस, १९५३ ।

रे जान्स—द को-आपरेटिव प्रासेस एमङ्ग नेशनल सोशल एजेन्सीज़—न्यूयार्क, एसोसियेशन प्रेस, १९४६ ।

रेजान्स और डेविड एफ० डीमार्चे—कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड एजेन्सी रेस्पान्सिबिलिटी—न्यूयार्क, एसोसिएशन प्रेस, १९५१ ।

मारिस जे० कार्फ—जेविश कम्युनिटी आर्गेनाइज़ेशन इन द युनाइटेड स्टेट्स—न्यूयार्क, ब्लाश पब्लिशिंग कम्पनी, १९३८ ।

क्लेरेन्स किंग—आर्गेनाइजेशन फ़ार कम्युनिटी ऐक्शन—न्यूयार्क, हार्पर एण्ड ब्रदर्स, ११४८ ।

वेनी मैकमिलन—कम्युनिटी-आर्गेनाइजेशन फार सोशल वेलफेयर—शिकागो युनिवर्सिटी आफ़ शिकागो प्रेस, १९४५ ।

नेशनल सोशल वेलफेयर असेम्बली—शैल वी मेक ए स्टडी ?—न्यूयार्क, १९४९ ।

विलियम जे० नार्टन—द को-आपरेटिव मूवमेण्ट इन सोशल वर्क—न्यूयार्क, द मैकमिलन कम्पनी, १९२७ ।

जीन सी० आगडेन और जेम्स आगडेन—स्माल कम्युनिटीज़ इन ऐक्शन—न्यूयार्क, हार्पर एण्ड ब्रदर्स, १९४६ ।

वाल्टर डब्ल्यू० पेटिट—केस स्टडीज़ इन कम्युनिटी आर्गेनाइज़ेशन—न्यूयार्क, सेञ्चुरी कम्पनी, १९२८ ।

जेसी एफ स्टीनर—कम्युनिटी आर्गेनाइज़ेशन—न्यूयार्क, सेञ्चुरी कम्पनी, १९३० ।

लियोनार्ड अल्बर्ट स्टिडले—सेक्टेरियन वेलफेयर फेडरेशन्स एमंग प्रोटेस्टेण्ट्स—न्यूयार्क, एसोसियेशन प्रेस, १९४४ ।

हर्बर्ट एच स्ट्रूप—कम्युनिटी वेलफेयर आर्गेनाइज़ेशन—न्यूयार्क, हार्पर एण्ड ब्रदर्स, १९५२ ।

युनाइटेड स्टेट्स वीमेन्स ब्यूरो—द आउटलुक फ़ार वीमेन इन कम्युनिटी आर्गेनाइज़ेशन इन सोशल वर्क—वाशिंगटन, डी० सी० गवर्नमेण्ट प्रिंटिंग आफिस. १९५१ ।

महत्त्वपूर्ण लेख

इमर्सन एफ० एण्ड्रूज़—"न्यू ट्रेण्ड्स इन कारपोरेट गिविंग"—सोशल वर्क जर्नल, जिल्द ३३, अक्तूबर १९५२, पृष्ठ १७२–१७६ ।

पाल बेंजामिन—"स्टेट-वाइड कम्युनिटी आर्गेनाइज़ेशन"—प्रोसीडिंग्स आफ़ द नेशनल कान्फ्रेन्स आफ़ सोशल वर्क, १९४६ पृष्ठ १३९–१४८ ।

विलियम ई० क्लार्क—"ए प्रोजेक्ट फ़ार पिलग्रिम्स—द युनाइटेड फण्ड ऐज़ ऐन एक्सपेरिमेण्ट इन डेमोक्रेसी"—कम्युनिटी—जिल्द २९, सितम्बर १९५२, पृष्ठ ४–५ ।

"कोड आफ़ द चेस्ट एण्ड कौंसिल मूवमेण्ट"—कम्युनिटी, जिल्द २८, अप्रैल १९५४ पृष्ठ १६१–१६१ ।

कैथ्रिन फैरा—"नेबरहुड कौंसिल्स"—प्रोसीडिंग्स आफ़ द नैशनल कान्फ्रेंस आफ़ सोशल वर्क, १९४०, पृष्ठ ४४५–४५५ ।

लीस्टर बी० ग्रैंगर—"एजुकेशनल एण्ड प्रोमोशनल प्रासेस इन कम्युनिटी आर्गेनाइज़ेशन"—प्रोसीडिंग्स आफ नेशनल कान्फ्रेंस आफ सोशल वर्क—१९४७, पृष्ठ २१८–२२६ ।

हेलन डी० ग्रीन—"सोशियोमेट्री एण्ड सोशल इण्टरग्रूप वर्क"—सोशियोमेट्री—जिल्द १३, फरवरी, १९५० , पृष्ठ २२–२८ ।

एडवर्ड डी० लिण्डे—"द रोल आफ़ द कम्युनिटी आर्गेनाइज़ेशन प्रैक्टिशनर"—सेलेक्टेड पेपर्स इन ग्रूप वर्क एण्ड कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन, रैले, हेल्थ पब्लिकेशन्स इन्स्टीच्यूट, १९५२, पृष्ठ ११८–१२८ ।

एडवर्ड डी० लिण्डे—"टू प्रांग्ड अप्रोच टु कम्युनिटी प्लैनिंग"—सेलेक्टेड पेपर्स इन ग्रूप वर्क एण्ड कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन—रैले, हेल्थ पब्लिकेशन्स इन्स्टीच्यूट, १९५१, पृष्ठ १०४–१०७ ।

ईस्थर मूर—"हाउ डिड द कैम्पेन गो ?"—कम्युनिटी, जिल्द, २८, जनवरी १९५३, पृष्ठ ८३–८७ ।

एमिली के० नेलसन—"द कौंसिल लेड आफ़"—कम्युनिटी, जिल्द २८, दिसम्बर, १९५२, पृष्ठ ६९–७१ ।

विल्बर आई० न्यूस्टेटर—"द सोशल इण्टरग्रूप प्रासेस"—प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल कान्फ्रेंस आफ सोशल वर्क—१९४७, पृष्ठ २०५–२१७ ।

जेम्स टी० निकोल्सन—"इफेक्टिव डेवलपमेण्ट इन इण्टरनेशनल सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स टु इम्प्रूव कण्डिशन्स आफ लिविंग"—सेलक्टेड पेपर्स इन ग्रूप वर्क एण्ड कम्युनिटी आर्गेनाइज़ेशन —रैले, हेल्थ पब्लिकेशन्स इन्स्टीच्यूट,, १९५२, पृष्ठ ७३–७९ ।

केनेथ एल० एम० प्रे—"ह्वेन इज़ कम्युनिटी आर्गेनाइज़ेशन्न सोशल वर्क प्रैक्टिस ?" —प्रोसीडिंग्स आफ़ द नेशनल कान्फ्रेंस आफ़ सोशल वर्क—१९४७, पृष्ठ १९४–२०४ ।

डोनाल्ड वान वैलेन—"कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन : मेनिपुलेशन आर ग्रूप प्रासेस ?" —प्रोसिडिंग्स आफ द नेशनल कान्फ्रेंस आफ सोशल वर्क—१९४९, पृष्ठ ३२५–३४२ ।

"ह्वाट मेक्स ए गुड कौंसिल ?"—कम्युनिटी, जिल्द २८, मार्च १९५३, पृ० १२६–१२७ ।

—:०:—

ओकहर्स्ट की सामुदायिक समिति[1]

कुमारी जीन एच० ली
कार्यकारी निदेशिका
सामुदायिक समिति-केन्द्र एलेघेनी
जनपद-स्वास्थ्य एवं कल्याण-संघ,
पिट्सबर्ग, पेन्सिलवानिया ।

पृष्ठभूमि

१. ओकहर्स्ट के समुदाय के सम्बन्ध में ज्ञातव्य तथ्य—

(क) यह स्थान एक बड़े औद्योगिक नगर का उससे कुछ विच्छिन्न-सा भाग है और यहाँ की आबादी १५००० है । यहाँ के लोग पहाड़ों भरे इलाके में रहते हैं और उनमें से

(१) यहाँ इस अभिलेख का उपयोग केन्द्र की अनुमति से किया जा रहा है । इसमें नाम आदि बदल दिये गये हैं ताकि अभिलेख की गोपनीयता सुरक्षित रहे । इसकी लेखिका कुमारी ली इस समय नेब्रास्का प्रान्त के ओमाहा नामक स्थान में स्थित युनाइटेड कम्युनिटी सर्विस के परिवार एवं बाल-विभाग की सचिव हैं ।

करीब ५००० व्यक्ति, जिनमें से अधिकांश नीग्रो हैं, मुख्य समुदाय से एकदम विच्छिन्न होकर रहते हैं और जब इस स्थान का नाम लिया जाता है तो यहाँ की आबादी में उन लोगों को गिनना जरूरी नहीं माना जाता है। इस तरह व्यावहारिक मामलों की दृष्टि से वस्तुतः यहाँ की आबादी १०००० ही है। यहाँ कुल २५ संघटन कार्य करते हैं। इनमें नागरिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक और मनोरंजनात्मक सभी प्रकार की संस्थाएँ सम्मिलित हैं। इन कार्यक्रमों के लिए किसी भी स्वास्थ्य या कल्याण-कार्य करने वाले अभिकरण का अपना निजी भवन नहीं है। ये सभी कार्यक्रम विभिन्न अभिकरणों के नगर-कार्यालयों द्वारा संचालित होते हैं। इस स्थान पर कोई बैंक अथवा पुस्तकालय नहीं है और यहाँ के निवासियों को इन दोनों बातों की कमी बहुत खलती है। ओकहर्स्ट का समुदाय बहुत पुराना और सुसम्पन्न है जिसमें निम्न मध्य और उच्चमध्यवर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। ये प्रायः सबके सब यहीं के मूल निवासी हैं। इनकी आय इस की औसत वार्षिक आय से कुछ अधिक है। यहाँ के अधिकतर मकानों में स्वयं मकान मालिक ही रहते हैं। पेशे की दृष्टि से सफेद कालर वाले श्रमिकों की संख्या अधिक है। शिक्षा की दृष्टि से यहाँ का एक औसत नागरिक हाई स्कूल से उच्च स्तर की शैक्षणिक योग्यता रखता है। धार्मिक दृष्टि से इस समुदाय की ५० प्रतिशत आबादी कैथलिक, ४५ प्रतिशत प्रोटेस्टेण्ट, और ५ प्रतिशत यहूदी सम्प्रदाय की है। यहाँ की केवल एक सड़क पर व्यावसायिक चहल-पहल रहती है जो अन्य सड़कों की तुलना में कुछ समतल है और जो सबसे बड़ी पहाड़ी की ऊपर बनी है। इस सड़क के दोनों ओर के मकानों को देखने से एक छोटे नगर का रूप मालूम पड़ता है और शायद मुख्य नगर से अलग होने के कारण यह छोटी आबादी ही घनी मालूम पड़ती है। लोग जब एक बार इस पहाड़ी के ऊपर पहुँच जाते हैं तो वहाँ काफी देर तक रहते हैं। यहाँ के निवासी अपने समुदाय के विशिष्ट अस्तित्व तथा मुख्य नगर के साथ उसके सम्बन्ध के बारे में पूरी तरह अवगत हैं। नगर के प्रायः सभी लोग पहाड़ी के नीचे वाले भागों में काम-धाम करते है। इस क्षेत्र के दो छोरों, जिनके नाम मूर और ओकहर्स्ट (खास) हैं, के बीच मुख्य रूप से प्रतियोगिता या विरोध रहता है। मूर सबसे पुरानी बस्ती है, ओकहर्स्ट मध्यवर्ती काल का है और सबसे नयी बस्ती एल्मक्रेस्ट की है जो अभी पिछले पाँच वर्षों में आबाद हुई है। इस नयी बस्ती के निवासियों ने धीरे-धीरे नगर के अन्य लोगों को अपने अस्तित्व के महत्त्व का बोध कराना शुरू कर दिया है। इन तीनों बस्तियों का सम्मिलित नाम ओकहर्स्ट है। एल्महर्स्ट के निवासियों का जीवन-स्तर, शिक्षा, आय तथा विभिन्न प्रकार की नौकरियों की दृष्टि से ओकहर्स्ट के औसत नागरिक के जीवन-स्तर से कुछ ऊँचा है।

(ख) इस समुदाय में कई संघटनों द्वारा अनेक आकर्षक कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं, पर जिनको इन कार्यक्रमों में दिलचस्पी लेनी चाहिए वे उनमें सहयोग नहीं करते हैं। सभी सामुदायिक विकास के कार्य एक समय एक ही संस्था करती है अथवा कुछ थोड़े-से व्यक्ति करते हैं। यहाँ का पादरी-संघ बहुत अशक्त है यद्यपि सभी चर्च अलग-अलग रूप में काफी सम्पन्न और शक्तिशाली हैं। जनपदीय बाल एवं बालिका स्काउट-समितियों को यद्यपि अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाता, फिर भी स्काउट दल उन्नतिशील हैं। यद्यपि अधिकाधिक मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों की आवश्यकता बनी हुई है, फिर भी नृत्य तथा खेल-कूद सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न संस्थाओं द्वारा होता रहता है। कैथेलिक चर्च बहुत ही सुदृढ़ है, किन्तु वह सामुदायिक उत्सवों, जैसे क्रिस्मस ट्री, वार्षिक यात्रा-विहार, हैलोवीन परेड में बिलकुल सहयोग नहीं करता। व्यावसायिक-परिषद् व्यवसायियों के समर्थन के अभाव में एक नागरिक क्लब मात्र बन गयी है। ये व्यवसायी किसी भी मामले में संघटित नहीं है। इटालियन जाति के संघटनो (इस नगर में दूसरी और तीसरी पीढ़ी के इटालियन जातीय नागरिकों की जन संख्या अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक है) का मर्यादा-स्तर ऊँचा नहीं है। यद्यपि उन संघटनों के अनेक सदस्य कई उच्च स्तर वाले समूहों में, जैसे अमेरिकन लेजाँ, व्यवसाय परिषद्, कैथलिक चर्च आदि महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नीग्रो जाति के लोगों का कोई महत्त्व नहीं है। ओकहर्स्ट के नेता आपसी बातचीत में नीग्रो जाति के लोगों को 'पुराने निवासी' कहा करते हैं। यहाँ की स्वास्थ्य-समिति का अपनी स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रायोजना के सिलसिले में दो नीग्रो जातीय चर्चों के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ था तथा उसने एक अन्तर्जातीय अभिभावक-अध्यापक संघ के साथ भी सम्बन्ध स्थापित किया था, किन्तु समिति इन समुदायों को अपनी प्रायोजना में समिलित करने में सफलत नहीं प्राप्त कर सकी। यहाँ का एक नीग्रो पादरी पादरी-संघ का भी सदस्य है। यहाँ की आबादी में नीग्रो लोगों तथा गोरों के बीच सामाजिक भेदभाव का एक कारण संभवत यह है कि नीग्रो लोग ओकहर्स्ट से कुछ दूर पहाड़ी के नीचे वाले भाग में रहने के कारण शेष समुदाय से विच्छिन्न-से हैं और उनका एक अलग उपसमुदाय बन गया है।

ओकहर्स्ट की संघटन समिति का यह लक्ष्य रहा है कि सभी संघटनों को समूचे समुदाय के हित के लिए संचालित प्रायोजनाओं में सहयोग करने के लिए तैयार किया जाय तथ उसके लिए उनकी हर सहायता की जाय। इसी कारण समिति उन संस्थाओं वे कार्यों को समन्वित करने के प्रयत्न पर विशेष जोर देती रही है और प्रत्येक संघटन को यह सूचना देती रही है कि अन्य संघटन क्या कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही समिति प्रत्येक सदस्य-संघटन को अपने कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाले कार्यों को अच्छी तरह सम्पन्न करने

के लिए प्रोत्साहित भी करती रही है। इस तरह समिति कुछ प्रायोजनाओं का, जो अन्य किसी संघटन द्वारा नहीं चलायी जा सकतीं, संचालन स्वयं करती है तथा ऐसी प्रायोजनाओं को भी अपने हाथ में लेती है जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए अनेक संघटनों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ आगे जो उद्धरण दिये गये है उनमें इसी प्रकार की एक प्रयोजना का वर्णन किया गया है।

(ग) ओकहर्स्ट में आवासीय दुर्व्यवस्था, खराब स्वास्थ्य, मनोरंजनात्मक सुविधाओं का अभाव, आर्थिक सुरक्षाहीनता तथा इसी प्रकार की अन्य सामाजिक समस्याएँ प्रत्यक्ष रूप में वर्तमान नहीं हैं। यहाँ की मुख्य समस्या यह है कि समुदाय के विभिन्न भागों में संचार के समुचित साधन नहीं स्थापित हो सके हैं तथा समग्र समुदाय के नेतृत्व के लिए योग्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।

२. समिति से सम्बन्धित आँकड़े

(क) ओकहर्स्ट समिति के इतिहास से पता चलता है कि ओकहर्स्ट में इस प्रकार के समुदायिक संघटन के कार्यों में गत पन्द्रह वर्षों से दिलचस्पी ली जाती रही है, किन्तु यहाँ जो भी संघटन समिति बनी वह लगातार चार वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सकी। ये समितियाँ बहुधा किसी एक विशेष सामुदायिक प्रश्न को लेकर निर्मित होती रही हैं; जैसे युद्ध-काल में इस नगर में विजय-उद्यानों के निर्माण में बहुत अधिक दिलचस्पी दिखायी गयी। और उसी तरह सामुदायिक स्नान-कुण्ड की आवश्यकता पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया और इन दोनों कामों के लिए समितियों का संघटन हुआ था (स्नान-कुण्ड के लिए चार वर्ष पहले एक समिति संघटित की गयी थी)। इस समय जो समिति कार्य कर रही है उसे दो वर्ष पूर्व एक गम्भीर सामुदायिक संघर्ष का सामना करना पड़ा जिसका कारण यह था कि समिति ने स्वास्थ्य-सम्बन्धी अपनी एक प्रायोजना के लिए जो कोष-संग्रह किया था उसका धन अस्थायी रूप से किसी अन्य कार्य में लगा दिया गया था। समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष को, जो उस समय कोषाध्यक्ष भी था, अपनी बीमारी के कारण एक वर्ष तक कोष के धन की खोज-खबर लेने का अवसर नहीं मिल सका। जहाँ भी धन की बात होती है लोगों के मन में नाना प्रकार की शंकाएँ होने लगती हैं और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। कोष के धन के प्रश्न को लेकर लोगों में दोषारोपण, तनाव, शंका और क्रोध की तरह-तरह की भावनाएँ उत्पन्न हुईं और इन सभी भावनाओं का लक्ष्य बेचारे सभापति को बनना पड़ा, जो एक वर्ष तक बीमारी के कारण लाचार था और दिल की बीमारी होने के कारण जिसकी स्थिति इतनी गम्भीर थी कि कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में बात करने के लिए उससे मिल भी नहीं सकता था।

संघर्ष के प्रथम वर्ष में मुहल्ला-समिति-विभाग ने ओकहर्स्ट से अपने विभागीय कर्मचारियों को वापस बुला लिया क्योंकि वहाँ के झगड़े इतने अधिक थे जिन्हें सुलझाना असम्भव था। वर्ष के अन्त में ओकहर्स्ट के तीन निवासियों ने विभाग के पास यह सूचना भेजी कि विभाग को इस समुदाय की सहायता के लिए कुछ-न-कुछ अवश्य करना चाहिए। इस तरह समुदाय की ओर से पहली बार कुछ लोगों ने अपने समुदाय के लिए विभाग से कुछ करने की प्रार्थना की थी। अतः विभाग ने अपने एक कर्मचारी को यह पता लगाने के लिए नियुक्त किया कि ओकहर्स्ट के विभिन्न संघटन फिर एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। उस कर्मचारी ने सितम्बर से लेकर जून महीने तक यहाँ के पचीस संघटनों तथा उनके नेताओं और बीस ऐसे व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया जिनमें से सभी तीन-तीन संघटनों के सदस्य थे और समुदाय के नेता माने जाते थे। इस प्रकार सम्पर्क स्थापित करने से स्थानीय झगड़ों के स्थानीय स्वरूप, परस्पर विरोध करने वाले विभिन्न दलों के नेताओं तथा झगड़ों के मिटाने के सम्बन्ध में उनके सुझावों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गयी। उनके सुझाव ये थे कि समिति के कागज-पत्र तथा पिछले तीन वर्ष के हिसाब-किताब की सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षा होनी चाहिए और समिति के भूतपूर्व सभापति को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए कि बैंक में जमा कोष का धन कहाँ खर्च हुआ। हिसाब-किताब की लेखा परीक्षा हुई, कोष के धन का भी पता चल गया, बैंक के लेख-पत्रक के अनुसार आय-व्यय का मिलान किया गया और यह सब जानने के बाद समुदाय के लोगों ने चैन की साँस ली। यह सब कार्य फरवरी तक समाप्त हुआ और जून महीने में क्षेत्रीय कार्य सचिव की सहायता से इस समुदाय में फिर समिति की स्थापना की गयी, पुराने संविधान का संशोधन किया गया और नये अधिकारियों का चुनाव हुआ (उनमें से कोई व्यक्ति इसके पहले न तो समिति का पदाधिकारी था और न समिति में प्रतिनिधि के रूप में ही इसके पहले सम्मिलित हुआ था) अगले सितम्बर से (जब से इस अभिलेख का प्रारम्भ होता है) नयी-नयी समिति का कार्य आरम्भ हुआ। कौंसिल के सदस्य संघटनों की सूची देखने से पता चलता है कि इस नयी समिति में भी वे ही संस्थाएँ विशेष रूप से क्रियाशील थीं जो पुरानी समिति में झगड़ा शुरू होने से पहले सक्रिय रह चुकी थीं।

(ख) अभिलेख में उस वर्ष के जिन सदस्य-संघटनों के नाम दिये गये हैं उनमें से तेरह सशुल्क सदस्य, और तीन निःशुल्क सदस्य थे (निःशुल्क सदस्यों में दो विद्यालय और एक बालिका स्काउट-समिति थी जिन्हें किसी भी ऐसी सामुदायिक समिति या संस्था को शुल्क देने का कानूनन अधिकार नहीं है जो इन संस्थाओं का प्रत्यक्ष हित-साधन नहीं करतीं)। समिति की प्रतिनिधि-सभा की अगली आठ बैठकों में से औसतन प्रत्येक

बैठक में दस सदस्य संस्थाएँ भाग लेती रहीं। समिति के सदस्यों के नाम नये हैं—

पदाधिकारी—अध्यक्ष, श्री पाल मैकह्यू; उपाध्यक्ष, स्टीफेन जान्सन, अभिलेख-मंत्री, गोर्डन मैकक्रे; तत्स्थानी मंत्री, श्रीमती जेन लीड्स; कोषाध्यक्ष, अल्फ्रेड मैगानिनी।

दस व्यक्ति सामुदायिक कार्यों में अपनी व्यापक अभिरुचि के कारण कार्य समिति के सामान्य सदस्य चुने गये हैं। केवल इतने ही व्यक्ति समिति के व्यक्ति-सदस्य हैं, शेष सदस्य व्यक्ति नहीं, संघटन, क्लब, समितियाँ या समूह हैं। समिति ने इन्हीं १० व्यक्ति-सदस्यों में से अपने अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव किया।

सदस्य-संस्थाएँ—

बी'नाइ इसराइल कांग्रीगेशन
ओकहर्स्ट—पी० टी० ए०
ओकहर्स्ट विद्यालय
क्रिश्चियन चर्च
बालिका-स्काउट्स
मूर पी० टी० ए०
प्रेसबिटेरियन चर्च
मूर विद्यालय
बाल-स्काउट्स
व्यवसाय-परिषद्
अमेरिकन लेजाँ
चर्च आफ लैटर डे सेण्ट्स
इटालवी पुत्र और पुत्रियाँ
मेथाडिस्ट चर्च
सीनियर महिला-क्लब
मूर सामुदायिक क्लब।

(ग) समिति ने जो कार्यक्रम बनाये उनमें से एक दीर्घ प्रायोजना थी जो स्वास्थ्य-समिति के हाथ में दी गयी और तीन अल्पकालिक प्रायोजनाएँ थीं जिनमें से एक नेतृत्व-प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित थी। समिति का कार्यक्रम-सम्बन्धी वार्षिक सत्र सितम्बर से जून तक माना गया है।

३. ओकहर्स्ट में कर्मचारी वर्ग का कार्य

(क) कर्मचारियों के कार्यों में प्रतिनिधि-सभा, कार्यकारिणी-समिति और योजना-समिति के कामों में सहयोग करने का कार्य भी सम्मिलित था। योजना-समिति का काम

विभिन्न संघटनों के अन्तर्गत नेतृत्व -प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों की योजना बनाना था। ओकहर्स्ट समिति का क्षेत्रीय कार्य-मंत्री दो अन्य स्थानों की समितियों का भी काम देखता था और साथ ही मुहल्ला-समिति-विभाग का प्रशासकीय उत्तरदायित्व भी सँभालता था।

(ख) यहाँ आगे कर्मचारियों की कार्य-प्रक्रिया के जिन अभिलेखों के उद्धरण दिये जा रहे हैं उनमें यह विवरण उपस्थित किया गया है कि नेतृत्व-प्रशिक्षण के लिए समिति ने पाठ्यक्रम की योजना किस प्रकार कार्यान्वित की। इस के सम्बन्ध में सर्व-प्रथम नवम्बर में एक सदस्य-समूह ने सुझाव दिये थे। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम अप्रैल में चालू किया गया और महीने में चार दिन संध्या समय प्रशिक्षण-सम्बन्धी कक्षाओं की व्यवस्था की गयी। इन कार्यों के विवरण को समिति ने अपनी सितम्बर की बैठक मे स्वीकार किया। अभिलेख में प्रशिक्षण-सम्बन्धी सुझाव, प्रतिनिधि-सभा पर उसकी प्रतिक्रिया, समिति के कार्यों, अधिवेशनों और क्षेत्रीय कार्यमंत्री की कार्य-भूमिका आदि का विवरण दिया गया है।

ओकहर्स्ट सामुदायिक समिति

सामुदायिक समिति के क्षेत्रीय कार्यमंत्री का काम सदस्य-समूहों की इस बात में सहायता करना है कि यदि वे किसी कार्य को स्वयं कर सकने में अपने को असमर्थ पा रहे हों तो समिति से उस सम्बन्ध में सहायता लें। अतः क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी को बहुधा सदस्य-संस्थाओं की प्रार्थना पर उन संस्थाओं में जाकर सामुदायिक कार्य की महत्त्वपूर्ण योजनाओं आदि के बारे में भाषण करना पड़ता है। इसी प्रसंग में ओकहर्स्ट समिति की क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी ने मूर नागरिक क्लब में नगर के अन्य भागों तथा अन्य जनपदों में सामुदायिक समितियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में भाषण किया था। अपने भाषण में मंत्रिणी ने सामुदायिक समितियों के उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या की और बताया कि समितियों का एक उद्देश्य आस-पास के उपनगरों या मुहल्लों में सामुदायिक कार्य करने के लिए योग्य कार्यकर्ताओं (नेताओं) की खोज करना, और उनको प्रशिक्षित तथा विकसित करना है। नागरिक क्लब के एक सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा, मंत्रिणी ने उसका अपने अभिलेख में निम्नलिखित विवरण दिया है। (पूरे अभिलेख में क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी का नाम कहीं नहीं दिया गया है, उसने अपने को हर जग 'मैं' ही कहा है)

"१० नवम्बर—जब बैठक का कार्य जलपान के लिए थोड़ी देर के वास्ते स्थगित किया गया उस समय श्रीमती शील्ड्स ने मुझसे अपना परिचय देते हुए बताया कि वह

उसकी अध्यक्षा रह चुकी है। फिर उसने कहा, "लोग मुझे समुदाय की नेत्री समझते है, किन्तु वास्तविकता यह है कि संघटन का कार्य मुझे बिलकुल नहीं आता है। फिर भी मैं औरों की अपेक्षा कुछ अधिक जानकारी रखती हूँ। क्या समिति के माध्यम से इस सम्बन्ध में मेरे तथा अन्य लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है?" उसने मुझे स्मरण दिलाया कि मैंने अपने भाषण में कहा था कि सामुदायिक समितियों का एक उद्देश्य नेता या कार्यकर्ता बनने लायक योग्य नागरिकों की खोज करना, उन्हें प्रशिक्षित करना तथा उनकी इस तरह सहायता करना है कि वे सामुदायिक क्षेत्र में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें। मैंने श्रीमती शील्ड्स से उसके विगत अनुभवों के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे और उसने जो उत्तर दिये उनसे मुझे पता चल गया कि वह पर्याप्त बुद्धिमती थी। मैंने उसे सुझाव दिया कि यदि वह इस बात की आवश्यकता समझती है कि सभी प्रकार के संघटनों के प्रबन्ध-कार्य में कुशल संघटनकर्ता नेता तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए तो उसे समिति के सामने अपना यह विचार उपस्थित करना चाहिए। हम दोनों में ज्यों-ज्यों अधिक बातें होती गयीं त्यों-त्यों मेरा यह विश्वास बढ़ता गया कि समिति के लिए यहाँ नेतृत्व प्रशिक्षण की प्रायोजना प्रारम्भ करना बहुत उपयुक्त होगा।

मैंने समिति के अध्यक्ष से, जो कुछ देर से सभा में आये थे, उसका परिचय कराया। अध्यक्ष ने यह बात स्वीकार की कि यह ऐसा कार्य है जिसे समिति कर सकती है। मैं जानबूझ कर उन दोनों के पास से अलग हट गयी ताकि वे आपस में इस सम्बन्ध में बातें कर लें। मैं वहाँ से क्लब के अध्यक्ष के पास बातें करने के लिए चली गयी।"

क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी ने श्रीमती शील्ड्स की भावनाओं को समझ लिया था और उसने यह भी अनुभव कर लिया कि संघटनों की व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण की समस्या यहीं की नहीं, सभी जगहों की सामान्य समस्या है। इसीलिए उसने श्रीमती शील्ड्स को सुझाव दिया कि वह अपने विचार समिति के सामने रखें और इसी उद्देश्य से उसने उसका परिचय समिति के अध्यक्ष से कराया। उसने उन दोनों को अकेले बातचीत करने के लिए छोड़कर अलग हट जाने में भी अपने विवेक का परिचय दिया, क्योंकि इस तरह वे दोनों समिति की बैठक में इस योजना को उपस्थित करने के सम्बन्ध में स्वयं बातें कर सकते थे; समिति की मंत्रिणी की हैसियत से यह उसका काम नहीं था कि वह किसी कार्यार्थी को समिति के अध्यक्ष के सम्मुख अपनी बात कहने का अभ्यास कराये। उसके मन में उन दोनों व्यक्तियों—समिति के अध्यक्ष तथा श्रीमती शील्ड्स—की योग्यता के प्रति सम्मान की भावना थी और उसे विश्वास था कि वे तर्कपूर्ण ढंग से स्वयं उस योजना के सम्बन्ध में विचार कर सकते थे। उसका विश्वास सही सिद्ध हुआ क्योंकि समिति के अध्यक्ष ने यह वादा किया कि इस सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक कार्य शीघ्र ही शुरू किया

जायगा। उसने यह भी कहा कि इस बातचीत से उसे समिति की बैठक में होने वाले विचार-विमर्श में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

प्रतिनिधि-सभा की बैठक १४ नवम्बर को हुई और उसमें पाँच में से तीन अधिकारी तथा १७ में से ११ सदस्य-संघटनों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अध्यक्ष ने बड़ी शान्ति से बिना किसी विरोध के पिछली बैठक का कार्य-विवरण पढ़कर सुनाया। इसके बाद कोषाध्यक्ष का प्रतिवेदन तथा दो समितियों के प्रतिवेदन उपस्थित किये गये। (उनमें से एक समिति के दीर्घकालिक स्वास्थ्य-प्रायोजना के बारे में था।) साथ ही सामुदायिक मर्यादा-आन्दोलन की स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य और सामुदायिक समितियों के संघ की ओर से नया व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए काम सिखाने के उद्देश्य से स्थापित एक श्रमालय का प्रतिवेदन भी पढ़कर सुनाया गया। इस कार्यसूची में प्रथम स्थान मूर नागरिक क्लब की श्रीमती शील्ड्स का था—

"....समिति के अध्यक्ष श्री मैक ह्यू ने मूर नागरिक क्लब की श्रीमती शील्ड्स को आमंत्रित किया कि वह उस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करें जिसके बारे में क्लब की १० नवम्बर वाली बैठक में उससे बातें हुई थीं। श्रीमती शील्ड्स ने अपने विचार बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किये और बताया कि ओकहर्स्ट के क्लबों के अनेक अधिकारी जब कार्य-भार सँभालते हैं उस समय उन्हें इस कार्य का पर्याप्त अनुभव नहीं रहता है। उसने बताया कि स्वयं उसकी भी यही स्थिति रह चुकी है और यद्यपि लोग उसे अपने समुदाय की नेत्री समझते हैं, पर वस्तुतः नेतृत्व के कौशलों के बारे में बहुत कम जानकारी रखती है। उसने जो कुछ कहा उसका सदस्यों पर तत्काल प्रभाव पड़ा और उसकी बातों के बारे में लोगों के मन में दिलचस्पी उत्पन्न हो गयी। यह स्पष्ट मालूम पड़ रहा था कि जितने लोग वहाँ उपस्थित थे उनमें से अधिकांश व्यक्तियों की यही स्थिति रह चुकी है। श्रीमती शील्ड्स ने यह सुझाव दिया कि समिति इस सम्बन्ध में विचार करे कि संस्था चलाने की कला से सम्बन्धित ज्ञान का संग्रह करने तथा विभिन्न संस्थाओं को उससे अवगत कराने के सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद मैंने इस विचार-विमर्श का सारांश बताते हुए कहा कि आज की सभा में सदस्यों ने इस विषय में जो रुचि दिखायी है उसके आधार पर निस्संकोच कहा जा सकता है कि समिति को नेतृत्व-सम्बन्धी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम चलाना चाहिए। यह पाठ्यक्रम ऐसे विशेषज्ञों द्वारा संचालित होना चाहिए जो विचार-विमर्श-संचालन, संसदीय पद्धति आदि विषयों के पूर्ण ज्ञाता हों। समिति ने तुरन्त यह निश्चय कर लिया कि यह काम अवश्य होना चाहिए। इसके बाद इस सम्बन्ध में विचार किया जाने लगा कि पाठ्यक्रम की व्यवस्था कैसे की जायेगी। पहले तो विचार उपस्थित किये गये कि सामाजिक व्यवहार-सम्बन्धी विषय सिखाये जायँ, जैसे जलपान परोसना, सदस्यों

का एक दूसरे से परिचय कराना आदि । बाद में इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया कि पाठ्यक्रम में क्या-क्या विषय रखे जायँ । अन्त में अध्यक्ष ने यह कहकर विचार-विमर्श समाप्त कर दिया कि समिति की कार्यकारिणी परिषद् एक विशेष समिति की नियुक्ति करेगी जो पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी । इसके बाद अध्यक्ष ने मेरी ओर देखकर पूछा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्यकर्ता कैसे मिलेंगे ? मैंने उत्तर दिया कि सामुदायिक कल्याण-समिति के सामूहिक सेवा-कार्य-प्रभाग से इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए । मैंने यह सुझाव दिया कि समिति को पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में क्या-क्या विषय रहेंगे और वह किस प्रकार का होगा । इसके बाद ही उक्त प्रभाग से पूछ-ताछ करनी चाहिए । समिति ने यह निर्णय किया कि एक उपसमिति बना दी जाय जो यथाशीघ्र पाठ्यक्रम की रूपरेखा के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन तैयार करे । साथ ही यह भी विचार व्यक्त किया गया कि बड़े दिन की छुट्टी के पहले शायद प्रशिक्षण का कार्यक्रम लागू नहीं किया जा सकेगा । मैंने यह सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए जो उपसमिति बनायी जाय उसमें उन्हीं संस्थाओं के प्रतिनिधि रखे जायँ जिनकी इस योजना में सबसे अधिक दिलचस्पी है और जो इसमें सक्रिय भाग लेना चाहती हों । इस पर अध्यक्ष श्री मैक ह्यू ने तुरन्त कहा कि उपसमिति में दोनों पी० टी० ए०, मूर नागरिक क्लब तथा सीनियर महिला क्लब के प्रतिनिधि रखे जायँ । इन चारों संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उपसमिति में रहना स्वीकार कर लिया, किन्तु अध्यक्ष ने उनसे कहा कि पहले वे अपनी-अपनी संस्थाओं से इस विषय में परामर्श कर लें । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जितने प्रतिनिधि उपस्थित हैं वे सभी अपनी संस्थाओं से परामर्श करके इस विषय में अपना-अपना प्रतिवेदन उनके पास भेजें और वे उन्हें उपसमिति में विचार-विमर्श के लिए भेज दें ।"

इस तरह क्षेत्रीय कार्य-मंत्रिणी ने संघटनों के लिए नेताओं के प्रशिक्षण की योजना पर अच्छी तरह विचार-विमर्श करने में समिति की सहायता की । उसने बैठक में व्यक्त किये गये विचारों का सारांश सुनाया । एक नये और अपरिचित विषय पर विचार-विमर्श के प्रसंग में ऐसा करना बहुत आवश्यक है और उसका बहुत अधिक महत्त्व है क्योंकि इस सारांश-कथन की पद्धति से ही प्रायः इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए । यह अगला कदम यह था कि समिति ने आगे बढ़कर विचार किया कि प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होगा और उनमें कौन-से विषय रखे जायेंगे । क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी ने समिति के अध्यक्ष की, उपसमिति बनाने की योजना के सम्बन्ध में, सहायता की क्योंकि उसी ने यह सुझाव दिया कि उपसमिति में उन संस्थाओं के प्रतिनिधि रखे जा सकते है जो पाठ्यक्रम की योजना में भाग लेने की इच्छा रखती हों, और जिनकी

इसमें सबसे अधिक दिलचस्पी हो । समिति की कार्य-पद्धति के लिए यह एक नयी और असामान्य बात थी क्योंकि सामान्यतया समिति की ओर से जो उपसमितियाँ बनती हैं उनका संघटन प्रातिनिधिक आधार पर नहीं होता अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि समिति की सदस्यसंस्थाओं के प्रतिनिधि ही उनके सदस्य हों । इसका कारण यह है कि सामान्यतया यह माना जाता है कि उपसमितियों का कार्य मुख्यतः प्रशासकीय होता है और वे संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती हैं और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उनमें केवल इसलिए रखे जाते हैं कि वे उपसमितियों में समिति की इच्छा के अनुसार कार्य करें, अपनी संस्थाओं की इच्छा के अनुसार नही । किन्तु उस मामले में प्रातिनिधिक आधार पर उपसमिति का संघटन उचित ही था क्योंकि पाठ्यक्रम बनाने वाली उपसमिति को ही प्रशिक्षण की योजना कार्यान्वित करनी थी और इसी कारण यह आवश्यक था कि उपसमिति उन संस्थाओं के साथ यथासंभव अधिक से अधिक सम्पर्क रखे जिनकी इस विषय में विशेष दिलचस्पी थी । क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी ने अपनी कार्य-भूमिका का निर्वाह इस अर्थ में भी किया कि उसने यह सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत भाषण करने वालों की खोज के सम्बन्ध में सामुदायिक कल्याण-समिति के सामूहिक सेवा-कार्य-प्रभाग से सलाह लेनी चाहिए । इस तरह इस छोटे उपनगर के उपयोग के लिए उपनगरीय स्तर पर जनपदीय योजना-संघटन की सहायता की आवश्यकता हुई । समिति के अध्यक्ष ने यह प्रस्ताव करके कि सभी उपस्थित प्रतिनिधि अपनी संस्थाओं के साथ परामर्श करके अपने प्रतिवेदन उपस्थित करें जिन्हें उपसमिति में भेज दिया जायेगा, बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया क्योंकि इस तरह सदस्य-संस्थाएँ समिति के इस नये कार्यक्रम के प्रति लगाव का अनुभव कर सकती थीं । समिति की इस बैठक की कार्यवाही से स्पष्ट है कि उसको इस प्रकार के नये प्रश्नों और योजनाओं के सम्बन्ध में विचार करने का पहले से भी अभ्यास है क्योंकि अध्यक्ष के आदेश अनुभव और संसदीय पद्धति पर आधारित थे । उसने एक मामले में यह निर्णय दिया कि उसे कार्यकारिणी समिति में भेजा जायेगा, उसने बैठक में होने वाले विचार-विमर्श का नेतृत्व किया तथा सदस्य-संस्थाओं को भी काम में लगाने का उपाय निकाला । इसी तरह संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचार व्यक्त किये और पाठ्यक्रम-सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में विचार करने तथा प्रतिवेदन उपस्थित करने के लिए एक उपसमिति का संघटन किया ।

दिसम्बर में क्षेत्रीय कार्यमन्त्रिणी को बीमारी के कारण छुट्टी लेनी पड़ी, किन्तु उस अवधि में भी वह अपना उत्तरदायित्व नहीं भूली । इस सम्बन्ध में उसने दो कार्य किये । पहला काम तो यह था कि उसने उपसमिति के सदस्यों को एक पत्र लिखकर यह सुझाव दिया कि प्रशिक्षण-सम्बन्धी पाठ्यक्रम के निर्माण तथा उसमें रखे जाने वाले विषयों के

सम्बन्ध में उपसमिति को क्या करना चाहिए। उसके पत्र लिखने का कारण यह था कि समिति के अध्यक्ष ने उसे पत्र लिखकर यह प्रार्थना की थी कि वह इस सम्बन्ध में "कुछ सुझाव दे कि पाठ्यक्रम बनानेवाली उपसमिति के कार्यों के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति की क्या दृष्टि होनी चाहिए।" उसने दूसरा कार्य यह किया कि अपनी जगह समिति की प्रतिनिधि-सभा की दिसम्बर वाली बैठक में भाग लेने के लिए एक अन्य कर्मचारी को भेजने की व्यवस्था की। जनवरी में पाँच महिलाओं की एक समिति संघटित की गयी जिसमें मूर नागरिक क्लब, दो पी० टी० ए० और सीनियर महिला क्लब की प्रतिनिधि-सदस्याएँ थीं। उपसमिति संघटित करने का निर्णय समिति की १४ नवम्बर की बैठक में किया गया था, किन्तु बड़े दिन की छुट्टी पड़ जाने तथा क्षेत्रीय कार्यमन्त्रिणी के बीमार पड़ जाने के कारण ऐसी अनिवार्य परिस्थिति उत्पन्न हो गयी कि उपसमिति का संघटन जनवरी के प्रथम सप्ताह के पूर्व नही किया जा सका। समिति के अध्यक्ष ने प्रतिनिधि-सभा की १६ जनवरी की तथा कार्यकारिणी समिति की ३० जनवरी की बैठकों में यह सूचित किया कि यद्यपि पाठ्यक्रम उपसमिति का निर्माण हो गया है, पर अभी तक उसकी कोई बैठक नहीं हो सकी। क्षेत्रीय कार्यमन्त्रिणी ने फरवरी के प्रथम दो सप्ताहों में कई बार इस बात की कोशिश की कि उपसमिति की बैठक बुलायी जाय क्योंकि समिति के अध्यक्ष ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था। अध्यक्ष ने उपसमिति के लिए किसी अध्यक्ष की नियुक्ति नही की थी। क्षेत्रीय कार्यमंत्री प्रायः उपसमितियों की बैठकें बुला लिया करते हैं, यद्यपि उन्हें ऐसा करने से यथासम्भव बचना चाहिए क्योंकि समिति के कार्यकर्ता या नेता यदि यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते है तो इससे समिति के प्रतिनिधियों को अपने कार्य की गम्भीरता का बोध होगा और समिति अपना काम स्वयं कर सकने में अधिक सक्षम हो सकेगी, किन्तु यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाय तो सामुदायिक कार्यों के मामले में समिति के नेता भी वस्तुतः वृत्तिक कार्यकर्ता नही स्वयंसेवक ही हैं; अतः शुरू से ही यदि यांत्रिक ढंग के ब्योरे के कामों में उनकी यदाकदा सहायता की जाय तो आगे चलकर वे अपना काम अधिक अच्छी तरह कर सकते है। पाठ्यक्रम उपसमिति की बैठक अन्ततः १३ फरवरी को हुई—

"१६ फरवरी—प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम-उपसमिति की बैठक में मेरे अतिरिक्त निम्न-लिखित अन्य व्यक्ति उपस्थित थे—मूर नागरिक क्लब की श्रीमती टेट, मूर पी० टी० ए० की श्रीमती जान्सन, ओकहर्स्ट पी० टी० ए० की श्रीमती पीटसन और समिति के अध्यक्ष श्री मैक ह्यू। सीनियर महिला क्लब की श्रीमती स्मित और मूर पी० टी० ए० की श्रीमती स्टीवेन्स बैठक में उपस्थित न हो सकीं। बैठक के प्रारम्भ में ही श्रीमती टेट ने यह सूचित किया कि वह अपनी संस्था की प्रतिनिधि सदस्या श्रीमती स्नेडर की स्थानापन्न

सदस्या के रूप में प्रतिनिधित्व करने आयी है क्योंकि श्रीमती स्नेडर आँख की बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सकती थी। (श्री मैक ह्यू ने यह घोषित किया कि आज केवल उपसमिति की बैठक होगी, समिति की बैठक अगले बुधवार को होगी। अध्यक्ष ने प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम उपसमिति की बैठक प्रेसिबिटेरियन चर्च में करने की व्यवस्था की थी, यद्यपि जनवरी में श्रीमती पीटर्सन ने यह प्रस्ताव किया था कि उपसमिति की बैठक उसी के घर में की जाय, किन्तु बाद में ऐसा करना संभव नहीं दिखलाई पड़ा और इसी कारण चर्च में बैठक करनी पड़ी।) अध्यक्ष श्री मैक ह्यू को समझ में नही आ रहा था कि बैठक का कार्य कैसे प्रारम्भ किया जाथ। उन्होंने यह बताने की कोशिश नहीं की कि इस बैठक का क्या उद्देश्य है तथा आज उपसमिति के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव भी करना है। वस्तुतः कार्य-संचालन के मामले में वे बिलकुल मेरे ऊपर निर्भर हो गये थे और यह पहला अवसर था जब कि वे बैठक का कार्य-संचालन करने में असमर्थ मालूम पड़ रहे थे। सम्भवतः उनकी यह धारणा थी कि वे भी इस उपसमिति के एक सदस्य हैं, किन्तु अध्यक्ष के रूप में उनका जो उत्तरदायित्व था उसका वे निर्वाह नही कर पा रहे थे। अब यह एक समस्या बन गयी कि उपस्थित सदस्याओं को काम आगे बढ़ाने तथा विषय पर विचार करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाय। इसका परिणाम यह हुआ कि बिना अध्यक्ष के ही कार्यवाही शुरू हुई।

चूँकि मेरे कहने पर भी श्री मैक ह्यू ने बैठक बुलाने के उद्देश्य के सम्बन्ध में भाषण करना स्वीकार नही किया, अतः विवश होकर काम आग बढ़ाने के लिए मैंने ही यह कार्य किया। मैंने सदस्यों के सामने यह स्पष्ट किया कि इस उपसमिति का कार्य यह है कि वह प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित करे, यह निर्णय करे कि यह कार्यक्रम किसके लिए होगा तथा प्रशिक्षण का कार्य कब और कहाँ प्रारम्भ किया जायेगा; साथ ही उपसमिति का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह उन संस्थाओं के साथ, जो प्रशिक्षित होने के लिए कार्यकर्ता भेजने के लिए तैयार हों, सम्पर्क स्थापित करे। मैंने उपस्थित लोगों से पूछा कि तो क्या वे इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए तैयार हैं? श्रीमती पीटर्सन ने सुझाया कि हमें पहले पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने का कार्य प्रारम्भ करना चाहिए। इसके लिए सबने बारी-बारी से इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये कि पाठ्यक्रम में कौन-कौन से विषय रखे जायँ। किन्तु अधिकांश मत श्रीमती पीटर्सन द्वारा ही व्यक्त किये गये। निम्नलिखित विषयों की सूची बनायी गयी—नेता या कार्यकर्ता के गुण, नौकरियों के लिए आवश्यक अर्हताएँ, संसदीय पद्धति के सही और गलत तरीके, अध्यक्ष के कर्तव्य, विचोर-विमर्श-संचालन, मनोनयन समिति के उत्तरदायित्व और समुदाय के लोगों का संगठन। इसके बाद उपसमिति में पाठ्यक्रम के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार किया गया

और यह निश्चित हुआ कि उसमें केवल विभिन्न संघटनों के अधिकारी प्रशिक्षित हो सकेंगे। किन्तु श्रीमती टेट ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि उसका तो यह खयाल था कि जो भी आना चाहेगा, सबके लिए प्रशिक्षण का द्वार खुला रहेगा। अन्य महिलाओं ने यह मत व्यक्त किया कि यदि इसका द्वार सबके लिए खोल दिया जायेगा तो इस योजना की व्यवस्था करने में बहुत कठिनाई होगी क्योंकि तब पाठ्यक्रम में एसे विषयों को भी रखना होगा जो उन लोगों के लिए भी रुचिकर हो जो संस्थाओं के अधिकारी नहीं हैं। मैंन यह विचार प्रकट किया कि व्यवस्था के प्रश्न पर समिति की बैठक में विचार करना अनावश्यक है क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम में कितने लोगों का प्रवेश हो यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि वह स्थान कितना बड़ा या छोटा है जहाँ प्रशिक्षण-कार्य संचालित किया जायेगा।

इस पर श्री मैक ह्यू ने यह स्वीकार किया कि वह प्रशिक्षण के लिए स्थान की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने अपना यह विश्वास प्रकट किया कि प्रशिक्षण के लिए प्रेसबिटेरियन चर्च का व्याख्यान-कक्ष मिल जायेगा। इस सम्बन्ध में वे तुरन्त ही चर्च के अधिकारी रेवरेन्ड रावट्सन से बात करने के लिए चले गये। इस बीच बैठक में आगे की कार्यवाही होती रही और इस प्रश्न पर विचार किया गया कि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक सत्र में कुल कितने कक्षा-भाषण होंगे। मैंने यह प्रश्न किया कि उपस्थित सदस्याओं के विचार से प्रशिक्षणार्थी कुल कितने कक्षा-भाषणों में उपस्थित रह सकते हैं। पहले उन्होंने यह राय प्रकट की कि पाठ्यक्रम छः सप्ताह का होना चाहिए। जब मैंने उनसे पूछा कि पाठ्यक्रम का प्रारम्भ कब होना चाहिए तो उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि पहली अप्रैल से पहले तो उसका प्रारम्भ किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके पहले व्याख्यान देने वालों का प्रबन्ध करने तथा प्रशिक्षणार्थियों की व्यवस्था करने में पर्याप्त समय लग सकता है। अन्त में उन्होंने यह निश्चित किया कि चूंकि इस कार्य के लिए अप्रैल का महीना सबसे अच्छा होगा और मई में विभिन्न संस्थाओं का वार्षिकोत्सव तथा पदाधिकारियों का चुनाव होता है, इसलिए पाठ्यक्रम केवल चार सप्ताह का ही होना चाहिए। इसी समय श्री मैक ह्यू वापस आये और यह घोषणा की कि रावट्सन ने अप्रैल मास में प्रत्येक सोमवार को चर्च में पाठ्यक्रम-सम्बन्धी कक्षा-भाषण आयोजित करने की अनुमति दे दी है। संयोगवश यह बात उपसमिति की सदस्याओं की योजना के बिलकुल अनुरूप थी, अतः उन्हें इस बात की प्रसन्नता हुई कि वे अपने कार्य में उचित ढंग से आगे बढ़ रही हैं। विषय से अलग हटकर उन लोगों ने जलपान के विषय में भी विचार किया और यह निश्चित किया गया कि उप-समिति में जिन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व हुआ है वे हर बैठक में बारी-बारी से जलपान कराने का प्रबन्ध करेंगी। श्री मैक ह्यू ने यह विश्वास प्रकट किया कि चर्च की महिलाएँ उन्हें कॉफी पिलायेंगी, किन्तु तुरन्त ही अपनी बात का संशोधन करते हुए उन्होंने कहा—

"लेकिन इसके लिए मूल्य भी चुकाना होगा।" श्रीमती 'पीटरसन या टेट ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि क्या जलपान का व्यय समिति नहीं दे सकती ? इस पर श्री मैक ह्यू ने कहा कि यह प्रस्ताव उपसमिति के उस प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया जाय जो समिति के पास भेजा जायेगा। उन्होंने सदस्याओं से यह भी पूछा कि उनमें से कौन प्रतिवेदन लिखने को तैयार है ? ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह काम श्रीमती टेट को करना पड़ेगा क्योंकि अन्य महिलाएँ समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती थीं। श्रीमती टेट प्रतिवेदन लिखने से बहुत डर रही थी। उसका कहना था कि यह काम उसने इसके पहले कभी नही किया है। मैने उसे आश्वासन दिया कि मैं प्रतिवेदन की रूप-रेखा बता दूंगी, विषय बता दूंगी और प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के उद्देश्य, स्थान और समय के सम्बन्ध में सब कुछ लिख दूंगी, इस तरह इसका काम आसान हो जायेगा। श्रीमती पीटरसन का विचार था कि प्रतिवेदन की रूप-रेखा निर्मित करके उसकी प्रतियाँ उतरवा ली जायँ और उन्हें सदस्याओं को दे दिया जाय ताकि वे उसे अपनी-अपनी संस्था में ले जाकर दिखायें। मैने कहा कि यदि ऐसा करना ही है तो प्रतिवेदन के साथ एक-एक पंजी-पत्र भी भेज दिया जाय ताकि हमें इसका भी पता चल जाय कि कितनी संस्थाएँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पंजीकृत होना चाहती है। सबने यह बात स्वीकार कर ली।

ऐसा लग रहा था कि उपसमिति की सदस्याएँ यह सोच रही थी कि उपसमिति का कार्य अब समाप्त हो गया है और अब कोई काम करना बाकी नही है। इस कारण मैने उन्हें याद दिलाया कि अभी एक काम यह शेष था कि इस योजना के सम्बन्ध में सामूहिक कार्य-प्रभाग से परामर्श किया जाय। इस पर श्री मैक ह्यू ने फिर यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि यह काम वे स्वयं कर लेंगे। समिति की सदस्याएँ यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुईं और उन्होंने अध्यक्ष के ऊपर यह भार सौंप दिया; साथ ही यह भी कहा कि वे उनके लिए 'प्रख्यात भाषणकर्ता बुलाने का प्रबन्ध करें।" मैने पूछा कि अध्यक्ष का प्रतिवेदन सुनने के लिए उपसमिति की अगली बैठक कब होगी ? उन्होंने कहा कि एक सप्ताह बाद बैठक करना अच्छा रहेगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना है। मैने कहा कि उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषण करने वाले वक्ताओं से पहले से ही सम्पर्क स्थापित करना होगा और उन्हें बताना होगा कि उनसे किस विषय पर और किस तरह के भाषण की आशा की जाती है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं यह काम नहीं कर सकती। मैने कहा कि मैं यह नहीं कर सकती क्योंकि आधिकारिक रूप में वक्ताओं के पास निमंत्रण उन्हीं को ओर से जाना चाहिए। मैने यह भी पूछा कि पाठ्यक्रम में वक्ताओं के भाषण का विवरण लिखने के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी क्योंकि कार्य-विवरण

लिखना दो कारणों से बहुत आवश्यक है, एक तो यह कि विवरण से प्रत्येक वक्ता को यह सूचना मिल जायेगी कि क्या-क्या कार्यवाही हो चुकी है, दूसरा यह कि इन विवरणों के आधार पर चुने हुए और अच्छे भाषणों की एक पुस्तिका, यदि उसे प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित करना आवश्यक हुआ तो, तैयार हो सकती है। सभी लोगों ने इस बात में विशेष रुचि दिखायी कि यदि सम्भव हो तो कार्य-विवरण अवश्य प्रकाशित होना चाहिए और श्रीमती जान्सन ने तो यह मत व्यक्त किया कि वह पुस्तिका बिक भी सकती है।"

इस अभिलेख से स्पष्ट है कि उपसमिति की सदस्याओं में पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में दिलचस्पी की कमी नहीं थी और पाठ्यक्रम में कौन-कौन विषय सम्मिलित किये जायँ इस बारे में भी उनके पास विचारों की भी कमी नहीं थी। यह भी स्पष्ट था कि उस समिति की सदस्याओं का पाठ्यक्रम की योजना के प्रति झुकाव था और वे अपने इस उत्तरदायित्व को जानती थी कि उन्हें पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी है जिस पर ओकहर्स्ट समिति के सदस्यों द्वारा विचार किया जायेगा। इस बैठक में क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी को अधिक सक्रिय रूप में अपनी कार्य-भूमिका का निर्वाह करना पड़ा क्योंकि समिति के अध्यक्ष ने सहसा अपना अध्यक्षीय उत्तरदायित्व पूरा करने से इनकार कर दिया। इससे क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ और एकाएक उसे यह बात सूझ गयी कि यदि अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व पूरा करने में असमर्थ हो गया है तो इसका दुष्परिणाम यह होगा कि यह समूह एक उपसमिति के रूप में कार्य नहीं कर पायेगा। अतः क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी ने उपसमिति को औपचारिक ढंग से उपसमिति के रूप में कार्य करने की दिशा में प्रेरित करने की अपेक्षा यही अच्छा समझा कि वह स्वयं अध्यक्ष की तरह कार्य का संचालन करे। उसे उपस्थित व्यक्तियों को यह समझाना चाहिए था कि उपसमिति का उचित ढंग से कार्य करना इसलिए आवश्यक है कि इस तरह विभिन्न व्यक्तियों को अलग-अलग उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है, जैसे उपसमिति की बैठकें बुलाना, समिति के पास भेजने के लिए उपसमिति की ओर से प्रतिवेदन तैयार करना, उपसमिति द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। वे कार्य ये थे—वक्ताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करना, प्रचार, जलपान, पाठ्यक्रम की योजना में सम्मिलित होने के लिए संस्थाओं को पंजीकृत करना आदि। विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली नेत्री के रूप में क्षेत्रीय कार्य-मंत्रिणी अपना काम बहुत योग्यता से किया क्योंकि सदस्याओं ने मुक्त भाव से निस्संकोच होकर अपने विचार व्यक्त किये और विचार-विमर्श का स्तर ऊँचा था। किन्तु सदस्याओं को उत्तरदायित्व के कार्यों में हाथ बँटाने का अवसर नहीं मिल सका क्योंकि पाठ्य-क्रम की व्यवस्था से सम्बन्धित सभी जिम्मेदारी समिति के अध्यक्ष ने अपना काम कहकर, अपने ऊपर ले ली। इस तरह उन्होंने सामूहिक कार्य-प्रभाग से सम्पर्क स्थापित करने

का भार भी अपने ही ऊपर ले लिया क्योंकि वे इसे भी अपना उत्तरदायित्व समझते थे। अतः जब महिलाओं ने यह प्रश्न पूछा कि "अब हम लोगों को क्या करना बाकी है ?" तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नही थी। क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी ने जब यह संकेत किया कि उन्हें वक्ताओं को निमंत्रित करने के लिए जाना पड़ेगा तो उन्होंने इस पर आपत्ति की और उनका ऐसा करना स्वाभाविक भी था कि उन्हें जो असली काम करना था, जब वहीं नहीं करना पड़ रहा था तो वे उस उलझन में क्यों फँसने जातीं। फिर भी जब उन्हें यह आशा होती है कि उन्हें प्रदर्शनी तथा चलचित्र-प्रदर्शन देखने का अवसर मिल सकता है तो वे बैठकों में भाग लेने को तैयार हो गयीं और यह तय किया कि वे सप्ताह में एक बार उपसमिति की बैठक में मिला करेंगी। इस बैठक की सबसे महत्त्वपूर्ण अथवा मुख्य बात यह थी कि समिति के अध्यक्ष की अजीब हरकत के कारण क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी को अपनी कार्यभूमिका से अलग हट कर कार्य करना पड़ा। यदि उसने इस ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया होता कि उस स्थिति में उसका काम या तो अध्यक्ष को अपना अध्यक्षीय कार्य करने के लिए प्रेरित करना था अथवा उपसमिति की सदस्याओं को अपना एक अलग अध्यक्ष चुनने में सहायता करना था, तो निश्चय ही उस समूह ने औपचारिक ढंग से एक समिति के रूप में कार्य किया होता। क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी से यह गलती हुई कि उसने अध्यक्ष को एक व्यक्ति के रूप में देखा, अध्यक्षीय उत्तरदायित्व से युक्त एक पदाधिकारी के रूप में नहीं देखा। इस व्यावहारिक गलती के बावजूद उसने अपना कार्य बहुत अच्छी तरह और योजनापूर्ण ढंग से सम्पादित किया, समिति में उपस्थित करने के लिए प्रतिवेदन तैयार करने का उत्तरदायित्व एक सदस्य को सौप दिया गया और उपसमिति की अगली बैठक के लिए एक तिथि भी निश्चित कर दी गयी। सामुदायिक कल्याण-समिति ने ओकहर्स्ट समिति को अपने सभी साधनों का उचित उपयोग करने की अनुमति दे दी और अब पाठ्यक्रम के लिए निमंत्रित वक्ताओं, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति, उनकी खोज, प्रत्येक सत्र में भाषणों की निर्धारित संख्या आदि से सम्बन्धित कार्य अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। अध्यक्ष श्री मैक ह्यू को इस बात की विशेष स्वतन्त्रता है कि वे चर्च का उपयोग संस्था के लिए बड़ी आसानी से कर लेते है, और उन्हें अच्छी तरह पहचानने के लिए यह बात जान लेना आवश्यक है कि यद्यपि वे समिति के एक सदस्य है, किन्तु साथ ही उनके पीछे एक संघटन (उनके चर्च) की शक्ति भी वर्तमान है।

समिति की प्रतिनिधि-सभा में तीन अधिकारियों तथा ग्यारह संस्थाओं के सदस्य-प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समिति की स्वास्थ्य-प्रायोजना से सम्बन्धित प्रतिवेदन पढ़े जाने के बाद कार्यकर्ता-प्रशिक्षण-उपसमिति का प्रतिवेदन पढ़ा गया—

"१८ फरवरी—श्रीमती टेट ने कार्यकर्ता-प्रशिक्षण-उपसमिति का बहुत अच्छा

प्रतिवेदन तैयार किया था। उसने पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर विशेष बल दिया और इस से उसके उद्देश्य में बहुत सहायता मिली। पाठ्यक्रम की रूपरेखा को लोगों ने बहुत पसन्द किया और इस सम्बन्ध में प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम पर्याप्त व्यापक और विस्तृत होना चाहिए ताकि उसमें सम्मिलित विषयों को देख कर समग्र संघटन के स्वरूप का खाका मालूम पड़ जाय और उसमें विभिन्न अधिकारियों के कामों तथा विभिन्न कामों के पारस्परिक सम्बन्धों का समावेश हो। प्रतिवेदन में इस विषय का भी समावेश होना आवश्यक है कि उपसमितियाँ अपने अध्यक्षों में अपने अधिकारों का प्रतिनिधान कैसे करें और उपसमितियों के कार्यों के सम्बन्ध में अध्यक्ष को अपने उत्तरदायित्व का पालन किस रूप में करना चाहिए। संघटन द्वारा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है और इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श होना चाहिए कि प्रशिक्षण के लिए क्या व्यवस्था की जाय। अथवा प्रशिक्षण का स्वरूप क्या हो। इस विषय में एक समस्या यह भी उत्पन्न हो सकती है कि प्रशिक्षण का कार्य चलाने का भार एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों को हमेशा दिया जा सकता है, जो उचित नही है और यदि हर बार व्यवस्थापक बदलते रहेंगे तो इसके लिए समिति के पास काफी संख्या में आदमी होने चाहिए। बैठक में यह प्रश्न भी उठा कि किसी समिति में कितनी उपसमितियाँ बनायी जा सकती हैं। ये सुझाव लिख लिये गये और इसके बाद प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तारीख की समस्या पर विचार शुरू हुआ। श्री मैक ह्यू ने अपनी डायरी से तिथिसूची निकाली, जिसमें समिति की बैठकों का पूर्व निर्धारित तिथिक्रम लिखा गया था और जिसे क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी ने पिछले वसन्त में तैयार किया था। तिथिसूची से पता चला कि सोमवार इसके लिए सबसे अच्छा समय होगा और अन्त में उपसमिति के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम हर सोमवार की रात में आयोजित किया जाय। इस सम्बन्ध में कि प्रशिक्षणार्थी कौन लोग होंगे, समिति ने यह तय किया कि उसका द्वार सबके लिए खुला रहना चाहिए। यह जानने के लिए कि इस योजना में किन-किन संस्थाओं से प्रशिक्षणार्थी आयेंगे, यह निश्चित किया गया कि उपसमिति द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम की रूप-रेखा की प्रतियाँ समिति की सभी सदस्य-संस्थाओं को भेज दी जायँ। कुछ लोगों का यह विचार था कि वे प्रतियाँ उन व्यक्तियों या संघटनों के पास भी भेज दी जायँ, जो समिति के सदस्य नहीं हैं। अन्त में यह तय हुआ कि पाठ्यक्रम की रूप-रेखा की प्रतियाँ उन सब लोगों या संघटनों के पास भेज दी जायँ, जिनके साथ समिति का किसी भी विषय में पत्र-व्यवहार होता है।"

इस बैठक में प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों ने समिति की उपसमितियों को आदेश देने के अपने अधिकार का उपयोग किया और पाठ्यक्रम के विषयों की सूची में भी कुछ परिवर्तन

किया। साथ ही यह योजना बनायी गयी कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण-कार्यक्रम की ओर आकर्षित करने के लिए उन सभी संस्थाओं या व्यक्तियों के पास पाठ्यक्रम की रूपरेखा भेजी जाय, जिनके साथ समिति का पत्र-व्यवहार होता है। समिति को इस बात का ज्ञान था कि इस प्रायोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशिक्षण-कार्यक्रम उस दिन रखा जाय, जिस दिन समिति की कोई बैठक पहले से ही न रखी गयी हो। इसी कारण समिति के अध्यक्ष ने अपनी डायरी से तिथि देख कर यह पता लगाने की आवश्यकता समझी कि किस दिन प्रशिक्षण-कार्यक्रम रखना उचित होगा (इस तिथि-सूची को समिति के एक कर्मचारी ने पिछले वर्ष तैयार किया था) और उस दिन ओकहर्स्ट की किसी महत्त्वपूर्ण संस्था की कोई बैठक तो नही होने वाली है ?

"२० फरवरी—पहले से समय निश्चित करके श्री मैक ह्यू ठीक समय पर हमारे कार्यालय में आये। उनके आने का उद्देश्य कार्यकर्ता-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम के विषय में सामूहिक सेवा-कार्य-प्रभाग से सहायता प्राप्त करने के लिए उससे सम्पर्क स्थापित करने के सम्बन्ध में परामर्श करना था (श्री मैक ह्यू विशेष रूप से यह बात जानना चाहते थे कि क्या सामूहिक सेवा-कार्य-प्रभाग पाठ्यक्रम के लिए वक्ताओं की व्यवस्था कर देगा और क्या वह प्रदर्शनीय वस्तुएँ देने का भी प्रबन्ध कर सकेगा ? मैंने उनसे कहा कि उक्त प्रभाग के मंत्री श्री एलकाइण्ड ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे)। श्री मैक ह्यू ने बताया कि पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में लोगों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और वे प्रेसबिटेरियन चर्च के कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्रीमती स्टीवेन्स ने उन्हें सूचना दी है कि कुछ लोगों ने इसके लिए आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिये हैं; मैक ह्यू ने कहा कि मजेदार बात यह है कि श्रीमती स्टीवेन्स स्वयं उपसमिति की बैठक में उस दिन उपस्थित नहीं थीं जिस दिन पाठ्यक्रम के बारे में निर्णय किया गया था। मैंने उनसे कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है, यह पहला अवसर है कि किसी समिति ने विभिन्न संस्थाओं के पास इस तरह की सूचना प्रसारित की है। इस दृष्टि से मैंने उनसे कहा कि मेरा अनुमान है कि यदि कोई विशेष बाधा नही होगी तो सामूहिक सेवा-कार्य-प्रभाग इस विचार को बहुत पसन्द करेगा और यथासम्भव सहायता भी करेगा। श्री मैक ह्यू के कहने पर मैंने फोन पर उनकी श्री एलकाइण्ड से बात करायी और उन्होंने २१ फरवरी को मिलने की तिथि निश्चित की। श्री मैक ह्यू ने मुझसे कहा कि अच्छा हो, यदि मैं भी उनके साथ अगले दिन श्री एलकाइण्ड से मिलने चलूं। मैंने उनसे पूछा, "क्यों ?" उन्होंने उत्तर दिया, "क्योंकि आपको इस विषय में मुझसे अधिक जानकारी है।" उन्होंने फिर कहा कि उनके विचार से सम्भवतः मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ, जो इस मामले की "गाड़ी

को आगे ढकेल सकता है," क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए निमंत्रित वक्ता ओकहर्स्ट के निवासी तो होंगे नहीं, अतः उनको प्रशिक्षण की कक्षाओं में ले जाने का कुछ प्रबन्ध करना होगा तथा उन्हें पहले ही यह बता देना भी होगा कि पिछले वक्ता किस विषय पर क्या-क्या बोल चुके हैं।"

"२१ फरवरी—विषय—श्री मैक ह्यू और श्री एलकाइण्ड के बीच बातचीत। श्री मैक ह्यू ने बातचीत का क्रम बहुत अच्छे ढंग से चलाया और प्रशिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। उन्होंने उनको उपसमिति द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम की रूप-रेखा बतायी और कहा कि जिस तरह भी आवश्यक होगा, पाठ्यक्रम-उपसमिति प्रभाग के साथ सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने को तैयार है। श्री एलकाइण्ड को यह योजना बहुत पसन्द आयी और उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रभाग इस काम में पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने कुछ सम्भावित वक्ताओं के नाम बताये, किन्तु उन्होने यह भी कहा कि वे सामूहिक सेवा-कार्य-प्रभाग की कार्य-समिति की बैठक में इस विषय को विचारार्थ रखेगे और कार्यसमिति की राय जानना चाहेंगे। उन्होंने श्री मैक ह्यू से कहा कि वे अपनी बात लिख कर दें, ताकि उसके आधार पर प्रभाग आवश्यक कार्यवाही करे। श्री एलकाइण्ड के विचार से यह एक ऐसी योजना थी, जिसे अब तक किसी समिति ने नहीं शुरू किया था। उन्होंने पूछा कि लोग इस प्रायोजना में दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं? श्री मैक ह्यू ने उत्तर दिया कि लोगों की इस विषय में बहुत अधिक दिलचस्पी है और उनका खयाल है कि प्रशिक्षण के लिए करीब तीस प्रवेशार्थी मिल जायेंगे।

बातचीत समाप्त होने के बाद मैक ह्यू तथा मैने मिल कर एक पत्र का आलेख तैयार किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इस पत्र को उपसमिति की बैठक में विचारार्थ उपस्थित करना आवश्यक है? मैने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नही है क्योंकि उपसमिति ने उन्हें सामूहिक सेवा-कार्य से बातचीत करके आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार दे रखा है और यह पत्र उस अधिकार की सीमा के अन्तर्गत आता है।"

"२५ फरवरी—समिति के अध्यक्ष ने सामूहिक सेवा-कार्य-प्रभाग के पास पत्र भेजा।"

"२७ फरवरी—विषय—समिति की कार्यकारिणी परिषद् की बैठक। अध्यक्ष श्री मैक ह्यू ने परिषद् को सूचना दी कि कार्यकर्ता-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम की योजना में प्रगति हो रही है। इस सम्बन्ध में उन्होंने श्री एलकाइण्ड के साथ अपनी बातचीत का ब्योरे के साथ वर्णन किया। मैंने उन्हें उस पत्र की प्रतिलिपि दी जो सामूहिक सेवा-कार्य-प्रभाग के पास भेजा गया था। इस सम्बन्ध में स्वाभाविक ढंग से मजाक की कुछ बातें भी हुईं और हँसी-हँसी में कहा गया कि सम्भवतः यह पत्र उन्होंने नहीं लिखा था। उन्होंने भी उसे उसी ढंग से ग्रहण किया और बताया कि यद्यपि यह पत्र वस्तुतः मैंने लिखा था, पर इसके

विचार उन्हीं के थे, जिन्हें उन्होंने मुझे लिखने के लिए कहा था। फिर उन्होंने हँसते हुए कहा, "वे (मंत्रिणी) बहुत अच्छी महिला हैं, क्या आप लोग भी ऐसा ही नही सोचते ?" इसके बाद श्रीमती श्मिद्त ने जलपान के व्यय का प्रश्न उठाया और कहा कि उसके बारे में तो वह निश्चिन्त थी कि जलपान के लिए केक की व्यवस्था उपसमिति की सदस्याएँ ही कर देंगी, किन्तु उसके साथ काफी या चाय का भी प्रबन्ध हो जाता तो अच्छा होता। श्री मैक ह्यू की राय थी कि इसके लिए दस डालर मंजूर किया जाय, किन्तु अन्य अधिकारियों ने उनके प्रस्ताव पर आपत्ति की और कहा कि यह प्रस्ताव समिति की प्रतिनिधि-सभा द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। श्री मैक ह्यू ने बताया कि जलपान परोसने का कार्य चर्च की महिलाएँ करेंगी।"

"५ मार्च—कार्यकर्ता प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम-उपसमिति की बैठक प्रेसबिटेरियन चर्च में हुई। निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे—श्रीमती टेट, श्रीमती श्मिद्त, श्रीमती स्लेडर, श्रीमती जान्सन और श्री मैक ह्यू। श्री मैक ह्यू ने इस बात में कोई उत्साह नही दिखाया कि उपसमिति अपना अध्यक्ष निर्वाचित कर ले। इसके विपरीत उन्होने बैठक का कार्य संचालित करने का उत्तरदायित्व और भी अधिक अपने ही ऊपर ले लिया। सामूहिक सेवा-कार्य-प्रभाग के पास जो पत्र लिखा गया था, उसकी सूचना मिलते ही महिलाएँ उत्तेजित हो उठीं, किन्तु जब मैने उन्हें समझाया तो उन्होने उन लोगो के नामों की एक सूची बनायी, जिनसे सम्पर्क स्थापित करना था और काम बाँट दिया गया कि कौन सदस्या किन-किन वक्ताओं से सम्पर्क स्थापित करेगी। वक्ताओं के नामों का चुनाव इस आधार पर किया गया कि कौन वक्ता किस संस्था से सम्बन्धित था और उस संस्था में उसका पद क्या था। श्रीमती जान्सन ने सामुदायिक गृह के श्री टामस डेफ्ट के नाम का समर्थन किया और श्रीमती श्मिद्त ने श्रीमती कामेरान और श्रीमती डेविडसन को बुलाने का आग्रह किया। यह भी तय हुआ कि चौथे वक्ता सामूहिक सेवा-कार्य-प्रभाग के श्री एलकाइण्ड होंगे, किन्तु भाषण-क्रम में वे प्रथम वक्ता होंगे। मैक ह्य और मैने जिस समय उनसे बातचीत की थी, उसी समय उन्होंने भाषण देने के सम्बन्ध में हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया था और पत्र द्वारा भी उन्होंने अपनी स्वीकृति भेज दी थी। मैंने यह सुझाव रखा कि पहले सभी वक्ताओं से फोन पर बात कर ली जाय और उसके बाद सबके पास अलग-अलग औपचारिक पत्र लिखे जायँ। श्रीमती जान्सन ने कहा कि वह पत्र का आलेख तैयार कर देंगी। श्री मैक ह्यू ने यह सूचना दी कि चर्च के अधिकारियों ने प्रशिक्षण-कार्यक्रम के लिए अपना भाषण-कक्ष देना स्वीकार कर लिया है और चर्च की महिलाओं की एक समिति बना दी गयी है, जो जलपान परोसने का काम करेंगी। उपसमिति की सदस्याएँ इस बात पर बहुत प्रसन्न हुईं कि जलपान का भी प्रबन्ध होगा, किन्तु

मैंने उन्हें स्मरण दिलाया कि इसके लिए पहले समिति से स्वीकृति लेनी होगी । श्रीमती स्नेडर को यह काम सौंपा गया कि वे समिति से इसके लिए प्रार्थना करें । प्रदर्शनीय वस्तुओं के सम्बन्ध में कोई बात निश्चित रूप से तय नहीं हो सकी, यद्यपि सदस्याओं की यह राय थी कि श्रीमती पीटरसन को यह काम करना चाहिए क्योंकि उसका पी० टी० ए० समिति के साथ सम्पर्क था । मैंने यह प्रश्न रखा कि कार्य विवरण लिखने के सम्बन्ध में उपसमिति क्या सोचती है । सदस्याओं का खयाल था कि यह काम यदि मैं नहीं करूँगी तो अन्य किसी के लिए यह काम और कठिन होगा । अब प्रश्न यह था कि कार्य-विवरण लिखने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति मिले, जो शीघ्रता से तथा आसानी के साथ वक्ताओं के भाषण लिख सके तथा जल्दी-से-जल्दी उसे टंकित करा सके, ताकि उसकी प्रतिलिपि अगले वक्ता के पास भेजी जा सके । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कार्य-विवरण लिखने का भार स्वीकार कर लिया । मैंने कहा कि भाषण के पूर्व मैं प्रत्येक वक्ता से सम्पर्क स्थापित करूँगी और यह प्रयत्न करूँगी कि प्रत्येक वक्ता को पूर्ववर्ती कार्य-विवरण प्राप्त हो जाय ।"

"१८ मार्च —प्रतिनिधि-सभा की बैठक में श्रीमती स्नेडर ने कार्यकर्ता-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे सदस्यों ने बहुत पसन्द किया । समिति ने जलपान के लिए दस डालर खर्च करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । सामान्यतया सबने पाठ्यक्रम की आवश्यकता और उपयोगिता पर जोर दिया और कई व्यक्तियों ने यह कहा कि इससे सभी संघटनों को लाभ होगा । श्री मैक ह्यू ने प्रतिनिधियों से प्रार्थना की कि प्रशिक्षण-कार्यक्रम में वे अधिक-से-अधिक प्रवेशार्थी भेजने का प्रबन्ध करें क्योंकि प्रशिक्षण का द्वार सबके लिए खुला रहेगा ।"

समिति के अध्यक्ष की यह धारणा निरन्तर दृढ़ होती जा रही थी कि पाठ्यक्रम की योजना उनकी निजी योजना है और इसी कारण उनके सहयोगी अधिकारियों को उनपर अकुंश लगाना पड़ा । वे यह चाहते थे कि वे व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रीय कार्यमन्त्रिणी के सहयोग से अकेले ही काम करें और क्षेत्रीय कार्यमन्त्रिणी ही उपसमिति की बैठकों में उनकी कार्यभूमिका की व्याख्या करे और उसी की सहायता से वे उपसमिति का कार्य चलाने के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते रहें, किन्तु उनके सहयोगी अधिकारियों ने उनकी इस प्रवृत्ति पर आपत्ति की । प्रतिनिधि सभा की बैठकों में अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रार्थना की कि वे प्रवेशार्थी इकट्ठा करें । क्षेत्रीय कार्यमन्त्रिणी बीच-बीच में अध्यक्ष की सहायता करती रही और यह पूछती रही कि प्रशिक्षण-कार्यक्रम में कितने व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं और कार्य-विवरण लिखने के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया जा रहा है । क्षेत्रीय कार्यमन्त्रिणी के लिए यह उचित ही था कि उसने भाषणों का विवरण लिखने का कार्य स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह जल्दी का काम था और एक सप्ताह के भीतर ही प्रत्येक

भाषण का कार्य-विवरण टंकित कराकर अगले वक्ता के पास भेजना आवश्यक था। सामान्यतया इस तरह का कार्य समिति के सदस्यों को ही करना चाहिए, किन्तु असाधारण परिस्थिति में समिति के कर्मचारी भी यह कार्य कर सकते हैं, विशेषकर उस समय जब कि समिति के जिस सदस्य को यह कार्य सौंपा जाय, वह इसे करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करे और किसी कर्मचारी से अपनी जगह यह काम करने के लिए कहे। उपसमिति की सदस्याओं में यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ी कि वे वक्ताओं को बुलाने, स्वीकृति-पत्र लिखने तथा प्रचार-कार्य करने का उत्तरदायित्व ले सकती हैं। इस तरह यह पता चलता है कि यह उपसमिति यद्यपि औपचारिक ढंग से उपसमिति के रूप में कार्य नहीं कर रही थी, फिर भी वस्तुतः एक समूह के रूप में उसका कार्य अच्छी तरह चल रहा था। समिति की कार्यकारिणी-परिषद् में निम्नलिखित योजना बनायी गयी--

"२७ मार्च—श्री मैक ह्यू ने तत्काल कार्यकर्ता-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में चर्चा शुरू कर दी, जिसकी अधिकांश जिम्मेदारियाँ उन्होंने अपने ऊपर ले ली थीं। श्रीमती श्मिद्त ने यह सूचित किया कि श्रीमती डेविडसन तथा बालिका-स्काउट्स की श्रीमती कामेरान ने क्रमशः २० और २७ अप्रैल को भाषण देने का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है। मैंने उसे वह पत्र दिखलाया, जिसे श्रीमती जानसन ने श्री डेल्फ के पास लिखा था और जिसमें १३ मार्च को उनके भाषण की बात तय की गयी थी। मैंने यह सुझाव दिया कि वह (श्रीमती श्मिद्त) पत्र उक्त दोनों भाषण करने वाली महिलाओं के पास भेज दें। श्रीमती श्मिद्त ने कहा कि वह इस पत्र की प्रतियाँ अपनी पुत्री से टंकित करा ले। उसने यह भी पूछा कि कार्यवाही का विवरण कौन लिखेगा। श्री मैकह्यू ने मेरा नाम बताया और कहा कि मैंने कार्य-विवरण लिखने तथा उसके आधार पर अपना भाषण तैयार करने के लिए उसे बाद वाले वक्ताओं के पास भेजने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। मैंने यह प्रश्न उठाया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रवेशार्थियों को तैयार करने के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है। उपसमिति की राय थी कि इसके लिए दो काम किये जायँ--एक तो यह कि स्थानीय दैनिक पत्र (ओकहर्स्ट गजेट) के १० अप्रैल वाले अंक में इसका समाचार प्रकाशित कराया जाय और दूसरा यह कि विभिन्न संस्थाओं को फोन द्वारा इस योजना के सम्बन्ध में सूचित कर दिया जाय। श्री मैक ह्यू ने कहा कि यदि उपसमिति की अन्य कोई सदस्या पत्र में समाचार भेजने की जिम्मेदारी ले ले तो वे स्वयं विभिन्न संस्थाओं को फोन से सूचना दे देंगे। मैंने यह सुझाव दिया कि उपसमिति की सदस्याएँ विभिन्न संस्थाओं को फोन द्वारा सूचना देने के कार्य में सहायता कर सकती हैं। मेरा तात्पर्य यह था कि श्री मैक ह्यू यह समझ लें कि जो काम समिति की सदस्याओं का है, उसे उन्हें स्वयं करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी कहा कि क्या यह

सम्भव नही है कि अब, जब कि वक्ताओं के नाम निश्चित हो गये हैं, फिर से पाठ्यक्रम की सूचना प्रसारित की जाय ? मेरे इस कथन का यह कहकर विरोध किया गया कि स्वास्थ्य-प्रायोजना के सम्बन्ध में समिति द्वारा आयोजित आम सभाओं की विज्ञप्तियाँ भी बाँटी जा रही हैं, अतः उसी के साथ इसकी विज्ञप्ति भी वितरित करना ठीक नहीं होगा। अतः मैंने अपने सुझाव पर अधिक जोर नहीं दिया।"

पाठ्यक्रम-सम्बन्धी सभी मामले निश्चित हो गये थे और क्षेत्रीय कार्यमन्त्रिणी को यह बात पहले से भी अधिक स्पष्ट हो गयी थी कि समिति के अध्यक्ष उपसमिति के उचित ढंग से कार्य करने में बाधक बन रहे थे, किन्तु केवल सुझाव का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अतः उससे आगे बढ़कर इस बात की आवश्यकता पड़ी कि अध्यक्ष और क्षेत्रीय कार्यमन्त्रिणी मिलकर इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करें कि विभिन्न समितियों को स्वतन्त्र ढंग से काम करने का अवसर देने का कितना महत्त्व है और इसके लिए क्या करना चाहिए। क्षेत्रीय कार्यमन्त्रिणी बार-बार यह प्रयत्न करती थी कि उपसमिति की सदस्याएँ अपने उत्तरदायित्व को समझें और उसका निर्वाह करें; साथ ही उसने इस बात पर भी सबका ध्यान आकर्षित किया कि सभी संस्थाओं को अपने यहाँ से प्रवेशार्थी भेजने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जाय। वैयक्तिक सम्पर्क, प्रचार और विज्ञप्ति-वितरण इन सभी उपायों का सहारा लेने का निश्चय किया गया और ये सभी बातें उप-समिति अथवा कार्यकारिणी-परिषद् में तय हुई। क्षेत्रीय कार्यमन्त्रिणी ने प्रवेशार्थियों को आकर्षित करने के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया था उसी के कारण इन योजनाओं का रूप निश्चित किया जा सका।

"२७ अप्रैल—आज संध्या समय कार्यकर्ता-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज के वक्ता सामुदायिक कल्याण-समिति तथा सामुदायिक धर्मादा-समिति की कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य श्री स्टेनली डेविडसन थे, जिन्होंने अत्यन्त सुन्दर भाषण किया। सभी भाषणों का कार्य-विवरण समाचार-सम्बन्धी फाइल में नत्थी कर दिया गया। आँकड़ों का सारांश देखने से पता चलता है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कुल बारह संस्थाओं ने पैंतीस प्रवेशार्थी भेजे थे और प्रत्येक भाषण में औसतन बारह प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। उपस्थिति के आँकड़ों के अनुसार ग्यारह व्यक्ति चार भाषणों में, सात व्यक्ति तीन भाषणों में, छ व्यक्ति तीन भाषणों में और ग्यारह व्यक्ति एक भाषण में उपस्थित थे। पाँच संस्थाओं का चार भाषणों में, चार का तीन भाषणों में, दो का दो भाषणों में और एक का केवल एक भाषण में प्रतिनिधित्व हुआ। समिति ने समाचार-पत्र में केवल तीन लेख प्रकाशित करवाये—एक लेख पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने के पूर्व प्रकाशित हुआ और शेष दो लेख पाठ्यक्रम चालू रहने के अवधि के बीच प्रकाशित हुए। अन्तिम भाषण के

अवसर पर श्री मैक ह्यू ने उपसमिति की सदस्याओं से कहा कि चूंकि बहुत-से लोगों ने यह इच्छा प्रकट की है कि भाषणों की कार्यवाही प्रकाशित कर दी जाय, अतः क्या उपसमिति को यह प्रस्ताव स्वीकार है। उपसमिति ने तत्काल यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि समिति कार्यवाही प्रकाशित करे और विभिन्न संस्थाओं में उसके विक्रय का प्रबन्ध करे, किन्तु जिन संस्थाओं ने प्रशिक्षणार्थी भेजे थे, उन्हें उसकी एक-एक प्रति मुफ्त दी जाय।

प्रत्येक भाषण के समय लोगों की भावनाएँ बहुत उत्साहपूर्ण और प्रशंसनीय थी। औपचारिकता की मात्रा अधिक नहीं थी और जलपान की व्यवस्था के कारण लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया था। प्रत्येक भाषण के बाद श्रोताओं द्वारा जो टीका-टिप्पणी की जाती थी, उसमें वक्ता के स्नेह और मैत्रीपूर्ण भावना का उल्लेख होता था। सभी वक्ता अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ थे। यद्यपि उनमें से प्रत्येक को अपनी-अपनी संस्था में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, फिर भी उनमें मानवीयता की मात्रा बहुत अधिक थी। दो भाषणों में श्रोताओं के बीच कुछ प्रश्नोत्तर भी हो गया यद्यपि भाषणों के बीच इस प्रकार के प्रश्नोत्तर की कोई पूर्व निश्चित योजना नही बनायी गयी थी। सभी भाषणों में आधे से अधिक प्रशिक्षणार्थी प्रश्न पूछते या टीकाएँ करते थे। जलपान के समय वक्ताओं से बहुत कम व्यक्ति बातें करते थे और अधिकांश प्रशिक्षणार्थी जलपान लेकर अपनी-अपनी जगहों पर लौट जाते थे और वही बैठ कर जलपान करते थे। यहाँ के समुदाय की यह एक विशेषता है। ये लोग सामाजिक शिष्टाचार की बारीकियों में विश्वास नहीं करते अथवा उनमें इसकी कमी होती है, किन्तु मैत्री-भावना की कमी नहीं होती और परिचय हो जाने के बाद तो यह भावना उनमें और भी बढ़ जाती है और उस समय ये लोग अधिक बातचीत करना पसन्द करते है। मैंने इस कौशल का प्रयोग किया और प्रत्येक भाषण के अवसर पर मैं अधिक-से-अधिक लोगो से परिचय करके बातें करती थी और उनसे कहती थी कि वे वक्ता से भी बातें करें।

इस कार्य के अतिरिक्त मैंने अपनी दूसरी जिम्मेदारी भी पूरी की। मै दो वक्ताओं को उनके निवासस्थान से ओकहर्स्ट ले आयी और पूर्व निश्चित योजना के अनुसार मैंने भाषणों का विवरण टंकित करा कर उन्हें सभी परवर्ती वक्ताओं के पास पहले ही भेज देने का भी प्रबन्ध किया। २० अप्रैल को मुझे अचानक एक अन्य बैठक में जाना आवश्यक हो गया, अतः उस दिन भाषण का विवरण लिखने का काम मेरी जगह कर्मचारी-वर्ग की एक अन्य महिला कुमारी फील्ड ने किया। अन्तिम भाषण के समय श्री मैक ह्यू ने प्रयोगात्मक रूप में यह विचार उपस्थित किया कि मनोरंजन-सम्बन्धी कार्यक्रम पर विचार करने के लिए पूरे समुदाय के संघटन-कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया जाय। उनके मन में यह विचार श्रीमती डेविडसन के भाषण के कारण उत्पन्न हुआ

जिसमें उन्होंने मनोरंजनात्मक सामुदायिक योजना के सम्बन्ध में समिति की कार्य-भूमिका की व्याख्या की थी। उपसमिति ने श्री मैक ह्यू की योजना के प्रति दिलचस्पी दिखायी और यह तय हुआ कि श्री मैक ह्यू समिति के सदस्यों तथा गैर-सदस्य कार्यकर्ताओं की बैठक बुलायें। उन्होंने ऐसा करने का वादा किया और कहा कि इससे समिति की सदस्य-संख्या बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने उपस्थित सभी व्यक्तियों को २० मई को होने वाले समिति के वार्षिक अधिवेशन तथा २३ मई को होने वाले संघ के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किया।

मुझे 'शुद्ध' अन्तस्सामूहिक कार्य के जो थोड़े-से उदाहरण दिखाई पड़ते हैं उनमें से एक कार्यकर्ता-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम भी है। जो उदाहरण ऊपर दिया गया है उसमें पाठ्य-क्रम का विचार सबसे पहले समिति की एक सदस्य-संस्था द्वारा उपस्थित किया गया। फिर समिति ने इसके लिए एक उपसमिति का संघटन किया जिसमें इस योजना में दिलचस्पी रखने वाली संस्थाओं की प्रतिनिधि-सदस्याएँ रखी गयीं। इसके बाद यह उपसमिति बराबर अपने कार्यों का प्रतिवेदन समिति की प्रतिनिधि-सभा के पास भेजती रही। पाठ्यक्रम-योजना कार्यान्वित की गयी और वह सफल रही। उस सफलता का प्रमाण यही था कि लोगों ने उसका कार्य-विवरण प्रकाशित कराने की माँग की। इस समस्त कार्य-प्रक्रिया में एक मात्र दोष यही था कि उपसमिति कि कार्य-पद्धति सुदृढ़ नहीं थी। वस्तुतः उपसमिति ने कभी भी एक संस्था के रूप में कार्य नहीं किया। इसका एक कारण तो यह था कि अध्यक्ष श्री मैक ह्यू उस पर नियंत्रण रखना चाहते थे और दूसरा यह था कि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं संघटन-सम्बन्धी ब्योरे की बातों में उनकी तथा उपसमिति की अधिक सहायता करती।"

पाठ्यक्रम की योजना के सम्बन्ध में यह एक अत्यन्त उत्कृष्ट और विचारपूर्ण विश्लेषण है जिसमें मुख्य समस्या के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी की दृष्टि की गहरी पैठ के दर्शन होते हैं। इस प्रकार के अभिलेखों का महत्त्व बहुत अधिक है क्योंकि उनको पढ़ने से कार्यकर्ताओं को पता चलता है कि किसी योजना के कार्यान्वयन के प्रसंग में क्या-क्या गलतियाँ हुईं और उसकी सफलतापूर्ण समाप्ति से समुदाय को कितना लाभ पहुँचा।

अध्यक्ष के वार्षिक कार्य-विवरण में कार्यकर्ता-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें कही गयी हैं। यह कार्य-विवरण उन्होंने स्वयं लिखा है, अतः इसे पढ़ने से पता चलता है कि समिति के उद्देश्यों के सम्बन्ध में उनका ज्ञान उत्कृष्ट कोटि का था।

"२० मई—मेरा विश्वास है कि हम लोगों ने इस समिति को एक सुदृढ़ आधार-शिला पर स्थापित किया है। समिति के सदस्य-संघटन यह सोचते हैं कि समिति का कार्य हम

सबकी अधिक-से-अधिक सहायता करना है। वस्तुतः समिति का यही उद्देश्य है। उसका लक्ष्य किसी एक संस्था अथवा संस्थाओं के समूह पर निरंकुश शासन करना या अधिकार करना नहीं है, बल्कि किसी एक संस्था की समस्याओं की ओर अन्य सभी संस्थाओं का ध्यान आकर्षित करना और इस तरह सभी संस्थाओं के सम्मुख उस समस्या के सही स्वरूप को उद्घाटित करना है। इतनी बड़ी प्रतिनिधि-सभा में इस तरह की समस्याएँ प्रायः हर समय उपस्थित होती रहती हैं और उनके सम्बन्ध में सबको जानकारी होती रहती है। हम पिछले वर्ष देख चुके हैं कि किसी काम करने वाली समिति का क्या आदर्श होता है। इस कार्य-विवरण में समिति की सदस्य-संस्थाओं तथा व्यक्तिगत सदस्यों का समन्वय-कार्य और सहयोग ध्यान देने योग्य है।

.....६—कार्यकर्ता-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम मूर नागरिक क्लब की ओर से यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि अधिकारियों के प्रशिक्षण की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए एक उपसमिति बना दी गयी जिसमें पाँच सदस्य-संस्थाएँ सम्मिलित थीं। इस उपसमिति तथा हमारी क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी के प्रयत्न से तथा सामुदायिक कल्याण-समिति के सामूहिक कार्य-प्रभाग के सहयोग से प्रशिक्षण की योजना कार्यान्वित की गयी। प्रशिक्षण कार्य ६, १३, २० और २७ अप्रैल को प्रेसबिटेरियन चर्च में सम्पन्न हुआ। इसमें सम्मिलित होने के लिए बारह संस्थाओं ने कुल ३२ प्रशिक्षणार्थी भेजे थे। प्रत्येक भाषण में औसतन इक्कीस प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहते थे।"

९ जुलाई को क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी ने पाठ्यक्रम-सम्बन्धी कार्य-विवरण का आलेख तैयार करके उसे समिति के अध्यक्ष के पास इस ज्ञापन-पत्र के साथ भेज दिया कि वे उपसमिति की बैठक बुला कर उससे इस आलेख को स्वीकार करा लें और समिति की जैसी इच्छा हो उसके अनुसार इसमें संशोधन करा लें। इस तरह आलेख के साथ क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी का प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम-सम्बन्धी उत्तरदायित्व पूरा हो गया। ज्ञापन-पत्र में क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी ने यह भी लिख दिया कि कार्य-विवरण-सम्बन्धी पुस्तिका छपवाने में कितना धन व्यय होगा। इसका उद्देश्य यह था कि अध्यक्ष को इस अनुमित व्यय के आधार पर यह निर्णय करने में आसानी हो कि कार्य-विवरण की कितनी प्रतियाँ छपवायी जायँ।

२५ जुलाई को समिति की प्रतिनिधि-सभा की नये कार्य-वर्ष की प्रथम बैठक हुई जिसमें यह निश्चित हुआ कि कार्य-विवरण की कुल एक सौ बीस प्रतियाँ छपवायी जायँ और एक प्रति का मूल्य पन्द्रह सेण्ट रखा जाय।

क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी ने पिछले कार्य-वर्ष में लगातार विभिन्न तरीकों से समिति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करने का प्रयत्न किया। वह समिति की प्रतिनिधि-

सभा, उपसमिति और अध्यक्ष के कामों में सहयोग करती रही तथा उनसे बराबर मिलती-जुलती थी। उसने वक्ताओं से बातचीत की, उनके भाषणों का विवरण लिखा और कार्य-विवरण का आलेख तैयार किया। उसने बराबर इस बात के लिए प्रयत्न किया कि समिति के प्रतिनिधि योजना बनायें तथा बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लें। वह विभिन्न सम्बन्धों के प्रति सचेत रहती थी और समिति की प्रतिनिधि-सभा तथा पाठ्यक्रम-उप-समिति के पारस्परिक सम्बन्ध को पहचानती तथा दोनों का अन्तर समझती थी। साथ ही वह प्रतिनिधि-सभा और समुदाय के सम्बन्ध का भी अच्छी तरह ज्ञान रखती थी और मंत्रिणी के रूप में उपसमिति और पाठ्यक्रम के प्रति अपने उत्तरदायित्व का भी उसे बोध था। इसी कारण जब उसे अनिवार्य कारण वश उपसमिति की बैठक में अनुपस्थित रहना आवश्यक हो जाता था तो वह किसी अन्य कर्मचारी को अपनी जगह काम करने की व्यवस्था करती थी।

जैसा हम पहले देख चुके हैं, इस प्रसंग में सबसे बड़ा दोष यही था कि क्षेत्रीय कार्य-मंत्रिणी समिति के अध्यक्ष के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन नही कर सकी और वह कर्तव्य यह था कि उसे अध्यक्ष के व्यक्तिगत दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए था। समिति में उसकी कार्य-भूमिका का यह एक अनिवार्य अंग है क्योंकि (जैसा उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है।) अध्यक्ष के पास समिति से सम्बन्धित प्रशासकीय कार्य बहुत अधिक होते हैं। अतः किसी भी अध्यक्ष को उपसमितियाँ बनाने, उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने देने और लोगों को अपना-अपना उत्तरदायित्व वहन करने की सुविधा देने के कार्य में अपनी कार्य-क्षमता विकसित करने में उपयुक्त निर्देशन की आवश्यकता होती है। यदि क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी ने कार्यकर्ता-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम-उपसमिति की पहली बैठक के बाद ही समिति के अध्यक्ष से मिलकर विचार-विमर्श किया होता तो उसे अध्यक्ष को यह समझाने का अवसर मिला होता कि अध्यक्ष का इस तरह सभी कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर उपसमिति की कार्य-प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करना उचित नहीं है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बार व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता उस समय थी, जब कि कार्यकारिणी परिषद् की मार्च वाली बैठक में अध्यक्ष ने समिति के निर्णय करने के अधिकार की उपेक्षा करके एक विशेष प्रश्न पर स्वयं निर्णय करने की चेष्टा की और फलस्वरूप समिति के अन्य अधिकारियों ने उनके इस कार्य पर आपत्ति की और कहा कि उस विषय पर समिति ही कोई निर्णय दे सकती है। सामुदायिक संघटन के कामों में क्षेत्रीय कार्यमंत्रिणी की कार्य-भूमिका का यह एक अनिवार्य अंग है कि वह विभिन्न व्यक्तियों को समिति के प्रति अपने उत्तरदायित्वपूर्ण सम्बन्ध की जानकारी प्राप्त करने में उचित सहायता दे ताकि वे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य

करने की आवश्यकता का महत्त्व समझें और यह न समझें कि सारी जिम्मेदारी अकेली उन्हीं की है। कार्य-प्रक्रिया की कतिपय आवश्यक बातों की उपेक्षा से, जैसे अध्यक्ष के साथ वैयक्तिक सेवा-कार्य को भुला देने या जानबूझ कर छोड़ देने से अन्तःसामूहिक समाज-सेवा-कार्य की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उस कार्य का पूरा-पूरा और सफल उपयोग नहीं हो पाता और उससे उतना सामाजिक हित नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। उपर्युक्त उदाहरण में ओकहर्स्ट समिति की कार्यकारिणी-परिषद्, प्रतिनिधि-सभा तथा उपसमिति के सदस्य समिति की कार्य-पद्धति तथा कार्यों के सम्बन्ध में इतनी अच्छी तरह अवगत और जागरूक थे कि उनके कारण ही अध्यक्ष की त्रुटियों और दोषों की क्षतिपूर्ति हो सकी।

—:०:—

अध्याय १६

समाज-सेवा-वृत्ति

मंच तथा संस्था के रूप में

समाज-सेवा-कार्य ऐसी वृत्तिक सेवा है, जिसके आधार-भूत सिद्धान्त और उद्देश्य प्रजातांत्रिक समाज के मूल विश्वासों और आकांक्षाओं से निःसृत और उनके सर्वथा अनुरूप हैं। उनमें से प्रमुख उद्देश्य और सिद्धान्त ये हैं—

१. व्यक्ति की गरिमा, मूल्य और रचनात्मक शक्ति में दृढ़ आस्था।

२. व्यक्ति के स्वतन्त्र विचार रखने, उसे व्यक्त करने तथा उसके अनुसार कार्य करने के मूल अधिकार में तब तक पूर्ण विश्वास जब तक कि वह व्यक्ति इस प्रकार के विचारों या कार्यों से दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का अतिलंघन न करे।

३. प्रगतिशील और सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक मानव-प्राणी के अपना जीवन-लक्ष्य चुनने तथा अपने भविष्य का निर्माण करने के अन्तर्निहित और अहस्तान्तरणीय अधिकार मे अडिग विश्वास।

उपर्युक्त सिद्धान्त समाज-सेवा-कार्य के मूल लक्ष्य की आधार-भूमि है। वह लक्ष्य है व्यक्तियों की व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप में इस प्रकार सहायता करना कि वे अपनी विशेष इच्छाओं और क्षमता के अनुसार तथा समुदाय की इच्छा और क्षमता के साथ समन्वित रूप में अपने सम्बन्ध और जीवन-स्तर स्थिर कर सकें। सामाजिक सेवा-कार्य की वृत्ति के अन्तर्गत ऐसी विशेषीकृत सेवाओं की व्यवस्था की जाती है जिनसे व्यक्तियों और समूहों को उपर्युक्त लक्ष्यों तक पहुँचने में सहायता मिलती है और साथ ही इन विशेषीकृत सेवाओं की व्यवस्था करने में जो अनुभव प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं या पद्धतियों को सुधारने या पुनस्संघटित करने का प्रयास किया जाता है जो उपर्युक्त व्यापक प्रजातांत्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक और उनका विरोध करने वाली होती है[१]।

(१) स्टैण्डर्ड्स फार दी प्रोफेशनल प्रैक्टिस आफ सोशल वर्क—न्यूयार्क, अमेरिकन एसोशियेशन आफ सोशल वर्कर्स, १९५१।

ये शब्द उस वक्तव्य के प्रारम्भिक अंश से लिये गये हैं, जिसे सन् १९५१ में संयुक्त-राज्य सामाजिक कार्यकर्ता-संघ के सदस्यों ने अपने मंचीय वक्तव्य (संस्था की नीति से सम्बन्धित वक्तव्य) के रूप में स्वीकार किया था और जिसका शीर्षक था "समाज-सेवा-वृत्ति के व्यावहारिक प्रतिमान।" इस वक्तव्य की बातों का मानना संघ के प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य शर्त है। इस वक्तव्य में जो आदर्शवादी व्याख्या की गयी है, वह सम्भवतः इस बात की सूचक है कि संघ के सदस्य सैकड़ों वर्षों से चली आती इस सेवा के अन्तर्गत होनेवाले नवीन परिवर्तनों तथा उसके वृत्तिकीकरण के लिए किये जाने वाले अधुनातन प्रयासों से अच्छी तरह परिचित है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि सामाजिक सेवा-कार्य प्रायः एक हजार वर्ष से अधिक समय तक चर्च के तत्त्वावधान में, तीन सौ वर्षों से अधिक समय तक राज्य के तत्त्वावधान में और लगभग दो-तीन शताब्दियों से गैर-सरकारी अभिकरणो के तत्त्वावधान में अर्पित किये जाते रहे है। किन्तु इन सेवाओं को वृत्तिक सेवा के रूप में अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं को वृत्तिक सेवा-कार्यक्रम के रूप में मान्यता वर्तमान शताब्दी में ही मिली है।

इस वृत्तिकीकरण की अधुनातनता का पता इस बात से चल सकता है कि सन् १९२१ में सर्वप्रथम एक ऐसी संस्था की स्थापना हुई, जिसका नाम "संयुक्त राज्य सामाजिक कार्यकर्ता-संघ" था और जो पूर्णतः वृत्तिक संस्था थी। इसका सदस्य होने के लिए किसी सामाजिक सेवा-कार्य-विद्यालय का प्रशिक्षित स्नातक होना आवश्यक है। इसके सदस्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे अस्थायी, छात्र-सदस्य, कनिष्ठ सदस्य और पूर्ण सदस्य। पूर्ण सदस्य वे ही व्यक्ति हो सकते है जो सामाजिक सेवा-कार्य-विद्यालय में दो वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त करके स्नातक उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। सन् १९५४ के मध्य तक इस संघ में ४८ राज्यों और संघीय प्रदेशों के कुल १३ हजार सदस्य थे, जो १३३ शाखाओं में विभक्त थे। सामाजिक सेवाओं के, चाहे वे किसी भी अभिकरण के तत्त्वावधान में प्रदान की जाती हो, कार्य-स्तर को ऊँचा उठाना ही इस संघ का उद्देश्य है। साथ ही सामाजिक सेवा-कार्य-वृत्ति को ठीक ढंग से समझने में जनता की सहायता करना भी इसका एक उद्देश्य है। सामाजिक सेवा-कार्य-सम्बन्धी विभिन्न पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या प्रायः एक लाख है, अतः संघ के सदस्यों की उक्त १३ हजार की संख्या सामाजिक सेवा की वृत्ति में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या का एक लघु अंश मात्र है। यद्यपि संघ अपनी सदस्य-संख्या में वृद्धि करना चाहता है, पर उसकी चिन्ता का मुख्य विषय सदस्य-संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि यह है कि किस तरह सामाजिक सेवाओं का स्तर ऊँचा किया जाय तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की योग्यता का विकास किया जाय। इस उद्देश्य को निम्नलिखित आचार-संहिता में, जिसे 'सामाजिक सेवा-

कार्य-वृत्ति के व्यावहारिक प्रतिमानों' के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया था, जितनी स्पष्टता से व्यक्त किया गया है उतना सम्भवतः अन्यत्र कहीं नहीं किया गया है। चूंकि सभी प्रकार के सामाजिक सेवा-कार्यों के व्यावहारिक पक्ष का मूल आधार यही है और सामाजिक सेवाकार्य को एक वृत्ति के रूप में स्वीकार करके काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए इस आचार-संहिता को मानना आवश्यक है, अतः यहाँ उसे ज्यों-का-त्यों उद्धृत किया जा रहा है।

आचार-संहिता

नीचे दिये गये नैतिक आचार-सम्बन्धी सिद्धान्तों में इस वृत्ति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुशासन-सम्बन्धी आवश्यक नियमों की व्याख्या की गयी है। सामाजिक कार्यकर्ता-संघ के सदस्यों के लिए इन सिद्धान्तों का मानना आवश्यक है और वृत्तिक कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक सेवा-कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन्हें अवश्य मानना चाहिए।

वृत्तिक आचरण के सिद्धान्त

अपने वृत्तिक कार्य के प्रसंग में सामाजिक कार्यकर्ता को जिन लोगों और क्षेत्रों में सम्बन्ध स्थापित करना होता है, वे विविध प्रकार के होते हैं—जैसे कार्यार्थी, नौकरी देने वाला अभिकरण, उसके सहयोगी, उसका समुदाय और स्वयं उसका अपना वृत्तिक क्षेत्र।

(क) कार्यार्थी के साथ सम्बन्ध—कार्यार्थी व्यक्ति, समूह और समुदाय तीनों ही हो सकते हैं।

संयुक्त-राज्य सामाजिक कार्यकर्ता-संघ यह मानता है कि—

१. सामाजिक कार्यकर्ता को चाहिए कि वह कार्यार्थी का हित-साधन करना अपना प्रथम कर्तव्य समझे, किन्तु उसका यह हित-साधक कार्य सामान्य सामाजिक हितों के मेल में, अभिकरण के कार्यों से सम्बद्ध अथवा कानून की व्याख्या के अनुरूप होना चाहिए।

२. उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि वृत्तिक सम्बन्धों में वह सदैव अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों और विचारों की तुलना में अपने वृत्तिक कर्त्तव्यों को प्राथमिकता देगा।

३. उसे कार्यार्थी के स्वयं निर्णय करने तथा उसके अनुसार कार्य करने के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए और इसकी उपेक्षा करके स्वयं उसके लिए निर्णय करने या कार्य करने की जिम्मेदारी केवल तभी उठानी चाहिए, जब कि कार्यार्थी ने स्वेच्छापूर्वक यह अधिकार अभिकरण को दे दिया हो अथवा कार्यार्थी या समुदाय की रक्षा की दृष्टि से अभिकरण के लिए अभिरक्षात्मक कार्रवाई करना अनिवार्य हो गया हो।

४. उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि कार्यार्थी व्यक्तियों और समूहों को पूरी जानकारी और जिम्मेदारी के साथ निर्णय करने के लिए जिन तथ्यों या सामग्रियों की आवश्यकता हो, उन्हें यथासम्भव पूर्ण तटस्थता के साथ सुलभ करना उसका उत्तरदायित्व है।

५. उसका यह कर्तव्य है कि अभिकरण के साथ कार्यार्थी के सम्बन्धों की गोपनीयता को स्वीकार करते हुए उसकी रक्षा करे और वे सूचनाएँ दे, उनका गोपनीय ढंग से और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करे।

६. उसे चाहिए कि वह कार्यार्थी के साथ अपने सम्बन्धों का निर्वाह करते समय व्यक्तिगत विचार-भेद के प्रति सहिष्णु रहे तथा रुचिभेद या सैद्धान्तिक मतभेद के कारण उसके साथ किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करे।

(ख) नौकरी देनेवाले अभिकरण के साथ सम्बन्ध।

संयुक्त राज्य सामाजिक कार्यकर्ता-संघ का यह विश्वास है कि—

१. सामाजिक कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है कि किसी पद के लिए अभ्यर्थी होने की स्थिति में अपनी योग्यता का निर्धारण करने वाली वह जो सूचनाएँ दे, वे बिलकुल सही हों।

२. उसका कर्तव्य है कि चाहे वह अभ्यर्थी हो या कर्मचारी दोनों ही स्थितियों में वह अभिकरण के कार्यक्रम, नीतियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित नियमों के बारे में पूरी जानकारी रखे।

३. उसे चाहिए कि वह केवल ऐसे अभिकरण की ही नौकरी करना स्वीकार करे या नौकरी करना जारी रखे, जिसकी नीतियाँ और कार्य-पद्धतियाँ इस आचार-संहिता के सिद्धान्तों के अनुरूप हों तथा उन्हें पालन करने में उनके कारण कोई बाधा न उपस्थित हो। यदि उस अभिकरण के पास इस प्रकार के प्रतिमान न हों तो कार्यकर्ता उसमें उसी अवस्था में कार्य करे, जब कि वह अभिकरण अपनी नीतियों और पद्धतियों को इन सिद्धान्तों के अनुरूप संशोधित-परिवर्तित करने की दिशा में योजनापूर्ण ढंग से प्रयत्न कर रहा हो या करने को तैयार हो।

४. उसे चाहिए कि वह नौकरी से सम्बन्धित अनुबन्ध-पत्र की शर्तों का ईमानदारी से पालन करे और यदि वे उसके मनोनुकूल न हों, तो भी वह तब तक उनका पालन करता रहे, जब तक कि अभिकरण और कार्यकर्ता दोनों की सहमति से उन शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता।

५. उसे चाहिए कि कोई कार्यभार स्वीकार करते समय वह अपनी सीमाओं को पूरी तरह ध्यान में रखे। अधीक्षक अथवा प्रशासक के रूप में नियुक्त किये जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता को चाहिए कि वह अपने अधीन किसी पद पर किसी कार्यकर्ता को

नियुक्त करते समय अथवा किसी कर्मचारी को कोई कार्यभार सौंपते समय उसकी क्षमताओं के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से विचार कर ले ।

६. उसे चाहिए कि वह अभिकरण के उद्देश्य और नीतियों को निर्धारित पद्धतियों के अनुसार कार्यान्वित करते समय अभिकरण के कार्यों की मात्रा और गुण के लिए अपने को उत्तरदायी समझे । साथ ही उसे अभिकरण के स्रोतों के माध्यम से ही उसकी पद्धतियों, सेवाओं और कर्मचारियों से सम्बद्ध कार्यों में सुधार करने की दिशा में निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिए ।

७. प्रशासक या अधीक्षक की हैसियत से कार्य करते समय उसे चाहिए कि वह अभिकरण की नीतियों और पद्धतियों के निर्धारण में कर्मचारी वर्ग के योगदान के लिए माध्यम प्रस्तुत करे और कर्मचारियों को इन माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें उनके उपयोग की पूरी सुविधा प्रदान करे ।

८. अगर अभिकरण की नीतियाँ और पद्धतियाँ वृत्तिक प्रतिमानों का अतिक्रमण करती हों तो उसे चाहिए कि वह (क) उपयुक्त माध्यम और वृत्तिक स्रोतों के द्वारा उन्हें परिवर्तित करने के लिए सभी उचित प्रयत्न करने का दायित्व स्वीकार करे । (ख) अभिकरण की नीतियों की खुलेआम अनुत्तरदायित्वपूर्ण आलोचना न करे । (ग) अभिकरण से सम्बन्धित अन्य वृत्तिक स्रोतों के प्रभावहीन सिद्ध होने पर ही वह तथ्यपूर्ण तथा ठोस प्रमाण के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक व्यापक समुदाय से निवेदन करे । कुछ स्थितियों में किसी अभिकरण की नौकरी में निहित बन्धनों से अपने को मुक्त करने के लिए कर्मचारी अपने पद से त्याग-पत्र देने का भी निश्चय कर सकता है ।

९. उसे चाहिए कि यदि उसे किसी भी कारण से किसी अभिकरण की नौकरी से हटने के लिए विवश होना पड़े तो नौकरी करते समय प्राप्त सूचनाओं की गोपनीयता के सम्बन्ध में वृत्तिक नैतिकता के अनुसार जिम्मेदारी से कार्य करने के दायित्व को बराबर ध्यान में रखे ।

(ग) सहयोगियों के साथ सम्बन्ध ।

संयुक्त राज्य सामाजिक कार्यकर्ता-संघ यह मानता है कि हर सामाजिक कार्यकर्ता को चाहिए कि—

१. वह सहयोगियों के पदों और उनकी उपलब्धियों के प्रति आदर का भाव रखे और वृत्तिक कार्यों से सम्बन्धित मामलों में मान्य पद्धतियों के माध्यम से ही अपने मत व्यक्त करे ।

२. वह अपने सहयोगियों को अपनी जानकारी की बातें बतलाना अपनी जिम्मेदारी समझे ।

३. वह इस ढंग से कार्य करे कि उसके सहयोगियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने में उसके कारण कोई बाधा न पहुँचे, बल्कि सहायता प्राप्त हो।

४. वह अपने और सहयोगियों के बीच मतभेद उत्पन्न होने पर सहिष्णुता का व्यवहार करे और जहाँ तक सम्भव हो, ऐसे मतभेदों को दूर करने के लिए विधेयात्मक कदम उठाये।

५. वह सभी सहयोगियों के साथ बिना किसी भेद-भाव के समानता का बर्ताव करे।

६. अगर वह ऐसी संस्था में कार्य कर रहा हो, जहाँ किसी दूसरी शर्त या समूह का कार्य प्रधान हो, तो वहाँ वह अपने पेशे के साथ तादात्म्य सम्बन्ध बनाये रखे और संस्था के प्रधान कार्य और उद्देश्य के साथ उसका पूर्ण सामञ्जस्य स्थापित करे।

७. वह रोजगार-सम्बन्धी सूचनाएँ देते समय यह ध्यान रखे कि —(क) सभी सम्बन्धित तथ्य दिये गये है और वे वस्तुतः सत्य तथा वृत्तिक कार्य से सम्बद्ध हैं; (ख) कर्मचारी का सही मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है; (ग) अगर किसी विषय का मूल्यांकन करने का वृत्तिक दायित्व उसी का है तो वह ऐसी कोई सूचना नही देता है जिसका उस विषय से मुख्य रूप से सम्बन्ध नही है; (घ) उसने सूच्य विषय के साथ अपने सम्बन्ध का स्पष्ट उल्लेख किया है।

८. वह जिम्मेदारी के साथ सूचनाएँ प्राप्त करे और प्राप्त सूचनाओं को गोपनीय रखे।

९. वह उचित स्रोतों से प्राप्त तथ्यपरक और सम्बद्ध तथ्यों के आधार पर ही कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति और निष्कासन स्वयं करे या सम्बद्ध व्यक्ति से उसके लिए सिफारिश करे।

(घ) समुदाय के साथ सम्बन्ध।

संयुक्त राज्य सामाजिक कार्यकर्ता-संघ यह मानता है कि सामाजिक कार्यकर्ता को चाहिए कि—

१. वह सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों में अपने ज्ञान, कौशल और सहायता द्वारा योग-दान करे।

२. वह वृत्तिक शिक्षा, प्रशिक्षण और वृत्तिक क्षमता से सम्बद्ध अनुभव के महत्त्व को स्वीकार करे और उसकी विवेचना एवं व्याख्या करे।

३. वह अभिकरणों में कर्मचारियों की उत्तम कार्य-पद्धति के विषय में सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकार का समर्थन और स्पष्टीकरण करे।

४. यदि समाज-कल्याण-कार्यक्रमों में लगे हुए व्यक्तियों या संस्थाओं की कार्यपद्धति

अनैतिक हो तो वह समुदाय को उससे बचाने के लिए स्वयं प्रयत्न करने या ऐसे प्रयत्नों में योग देने की अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे ।

५. वह सार्वजनिक आपाती स्थिति में वृत्तिक सेवा प्रदान करे ।

६. वह किये गये कार्यों की मात्रा और गुण तथा कार्य-संचालन की क्षमता के लिए जनता के सम्मुख अपने को उत्तरदायी समझे ।

७. वह अपने सार्वजनिक वक्तव्यों या कार्यों में यह स्पष्ट बतलाये कि उसने व्यक्तिगत रूप से ऐसा किया है अथवा किसी वृत्तिक संघ या अभिकरण के सदस्य-प्रतिनिधि के रूप में । हर स्थिति में उसे तथ्यपूर्ण रहना चाहिए और उचित संयम रखते हुए दूसरे के मतों का आदर करना चाहिए ।

(ङ) सामाजिक सेवा-कार्य-वृत्ति के साथ सम्बन्ध ।

संयुक्त राज्य सामाजिक कार्यकर्ता-संघ यह मानता है कि सामाजिक कार्यकर्ता को चाहिए कि—

१. वह अपनी वृत्ति के प्रतिमानों का समर्थन करे और उनका स्तर ऊँचा करने का निरन्तर प्रयास करे ।

२. वह व्यक्तिगत व्यवहार में आत्मानुशासन और ईमानदारी का परिचय देकर इस वृत्ति के प्रति जनता के मन में विश्वास बनाये रखने और उसे निरन्तर बढ़ाने का प्रयास करे ।

३. वह अनुचित विरोधों और गलत प्रचारों से समाज-सेवा की वृत्ति की रक्षा करे ।

४. वह ऐसी उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न करने और वास्तविकता के आधार पर उनका निश्चय करने का दायित्व स्वीकार करे, जिसमें समाज-सेवावृत्ति की औचित्यपूर्ण ढंग से आलोचना हो सके ।

वृत्तिक सदस्यता वाले संघटन

संयुक्त राज्य सामाजिक कार्यकर्ता-संघ के अतिरिक्त ऐसे छः और भी वृत्तिक सदस्यता वाले संघ हैं, जो सामाजिक सेवा-कार्य की वृत्ति से सम्बन्धित हैं । इनमें से सबसे पुराना 'संयुक्त राज्य चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता-संघ' है, जिसकी स्थापना सन् १९१८ में 'संयुक्त राज्य चिकित्सालयीय सामाजिक कार्यकर्ता-संघ' के नाम से हुई थी । इन संघों में सबसे नया 'सामाजिक सेवा अनुसन्धान-समिति' है, जो सन् १९४९ में स्थापित किया गया था । 'राष्ट्रीय विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता-संघ' की स्थापना सन् १९१९ में 'राष्ट्रीय अतिथि-अध्यापक संघ' के नाम से हुई थी और 'संयुक्त राज्य मनश्चिकित्सकीय

सामाजिक कार्यकर्ता संघ' सन् १९२६ में स्थापित हुआ था। 'संयुक्त राज्य सामूहिक-सेवा अध्ययन-संघ' के भीतर से ही सन् १९४६ में 'संयुक्त राज्य सामूहिक सेवा कार्यकर्ता संघ' का जन्म हुआ। सामुदायिक संघटन के अध्ययन के लिए भी एक संघ स्थापित है[२]।

सामाजिक सेवाकार्य के सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित एक सामान्य वृत्तिक संघ की स्थापना की दिशा में भी सन् १९४९ से ही प्रयत्न होता आ रहा है। सन् १९५३–१९५४ में उपर्युक्त संघटनों ने ऐसी योजनाएँ बनायीं, जिनका लक्ष्य निकट भविष्य में ही सामाजिक सेवाकार्य से सम्बन्धित एक सामान्य संघटन की स्थापना करना था। किन्तु इसके मार्ग में अभी अनेक कठिनाइयाँ हैं; इससे सम्बन्धित कई समस्याओं का समाधान ढूंढ़ना अभी बाकी है। इसके लिए बहुत-से न्यस्त स्वार्थों से बचना होगा। सामान्य संघटन की स्थापना के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों की प्रगति की शिथिलता का प्रधान कारण यह है कि अनेक वृत्तिक संघटनों को यह मिथ्या भय है कि सामान्य संघटन की स्थापना से उनका पृथक् अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। साथ ही आर्थिक चिन्ता का भार भी इस ओर अधिक प्रयत्नशील होने से उन्हें रोकता रहता है। इन सबके परिणामस्वरूप इस दिशा में जितनी आशा की जाती थी उससे बहुत कम प्रगति हो सकी है। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ लोगों ने इस सम्बन्ध में जितनी निराशा व्यक्त की थी, उसकी तुलना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है[३]।

अभिकरण-संघ

सामाजिक सेवाकार्य के क्षेत्र में और कई ऐसे संघ हैं, जिन्हें उपर्युक्त संघों से इस अर्थ में भिन्न करके देखा जा सकता है कि उनमें क्षमता के स्तरों पर आधारित अभिकरण-सदस्यता के नियमों पर विशेष बल दिया जाता है। ऐसे संघों की संख्या छः है, जो ये हैं—राष्ट्रीय व्यवस्थापन एवं उपनगर-केन्द्र-संघ (स्थापित १९११), संयुक्त राज्य

(२) इस संघ की सदस्यता के नियमों के सम्बन्ध में —जो प्रायः यह है कि सदस्य के लिए सामाजिक सेवाकार्य-सम्बन्धी किसी वृत्तिक स्नातक विद्यालय में प्रशिक्षित होना आवश्यक है—जो भी सूचना प्राप्त करनी है, वह इस संघ के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 'सामाजिक सेवाकार्य-शब्दकोश'—के सन् १९५४ वाली जिल्द में इस संस्था के उद्देश्यों का उल्लेख हुआ है तथा उसके पते भी दिये गये हैं।

'(३) मेल्विन ए० ग्लैसर—"टार्जेट : ए सिंगिल प्रोफेशनल मेम्बरशिप आर्गेनाइजेशन इन १९५५"—सोशल वर्क जर्नल, जिल्द, ३४, अप्रैल १९५४, पृष्ठ ५७–६०।

पारिवारिक सेवा-संघ (१६११), संयुक्त राज्य सामुदायिक धर्मादा संघ एवं समितियाँ (स्था० १६१८), धर्माध्यक्षीय युवक सेवा समिति (स्था० १६१६), राज्य बाल-कल्याण-परिषद् (१६२०) और यहूदी संघ एवं कल्याण-कोश (१६३२)।

अन्य सामाजिक सेवाकार्य-सम्बन्धी संघटन

अभी जिन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें व्यक्तिगत सदस्यता का आधार वृत्तिक प्रशिक्षण या अनुभव होता है अथवा किसी ऐसे अभिकरण की सदस्यता होता है, जिसका स्तर ऊँचा हो। किन्तु इन संघों के अतिरिक्त कुछ ऐसे संघटन भी हैं, जिनमें सदस्यता के लिए किसी विशेष कार्य—आमतौर से किसी विशेष रुचि या कार्यक्रम में योगदान—में दिलचस्पी लेने की शर्त निर्धारित होती है। ऐतिहासिक क्रम के अनुसार इन संस्थाओं के नाम ये हैं—राष्ट्रीय सामाजिक सेवा-कार्य-सम्मेलन (१६६६), राष्ट्रीय परिवीक्षा और पेरोल-संघ (१६०७), राष्ट्रीय कैथलिक लोकहित-सम्मेलन (१६१०), संयुक्त राज्य राजकीय कल्याण-संघ (१६३०) और ईसाई सामाजिक कल्याण-संघ (१६३०), जो 'चर्च सामाजिक सेवा-कार्य-सम्मेलन' और 'चर्च सामाजिक कार्यकर्ता-संघ' का संयुक्त और परिवर्तित रूप है।

वृत्तिक-प्रशिक्षण[४]

सामाजिक सेवा-कार्य-सम्बन्धी वृत्तिक प्रशिक्षण का इतिहास ५० वर्ष से कुछ पहले से प्रारम्भ हुआ था। इसके पूर्व शिशिक्षुता की जो पद्धति चली आ रही थी, इस प्रशिक्षण के कारण उससे अलग हटकर एक नवीन पद्धति का प्रारम्भ हुआ। यह प्रगति विधि-शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति के ही समान थी। राष्ट्रीय दान एवं सुधार-सम्मेलन (बाद में इसका नाम राष्ट्रीय सामाजिक सेवा-कार्य-सम्मेलन हो गया) में सन् १६१५ में भाषण करते हुए श्री फेलिक्स फ्रैंकफर्टर ने, जो उस समय हावर्ड विधि-विद्यालय में अध्यापक थे, विधि-शिक्षा के इतिहास को तीन कालों में विभाजित किया था—प्रथम, किसी वकालत

(४) वृत्तिक शिक्षा के सम्बन्ध में ईस्थर लुसिले ब्राउन की उत्कृष्ट कृतियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—ईस्थर लुसिले ब्राउन—लायर्स, ला स्कूल्स एण्ड द पब्लिक सर्विस—न्यूयार्क रसेल सेज फाउण्डेशन, १६४८। सोशल वर्क ऐज ए प्रोफेशन (संशोधित संस्करण)—न्यूयार्क, रसेल सेज फाउण्डशन, १६४२। "कम्पेयरेटिव डेवलपमेण्ट्स इन सोशल वर्क,मडिसिन एण्ड ला"—द फेमिली, जिल्द २४,नवम्बर १६४३,पृष्ठ २४३–२५५।

करने वाले वकील के अधीन शिशिक्षुता का काल, द्वितीय व्यक्तिगत स्वामित्व वाले विधि विद्यालयों की स्थापना का काल (ऐसे विद्यालयों का एक उदाहरण कनेक्टिकट में न्यायाधीश रीव्स का विद्यालय था); तृतीय, जिसमें विश्वविद्यालयों द्वारा उन व्यक्तियों को स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी, जो वकालत करने या न्याय करने योग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं। विश्वविद्यालयों के अंग के रूप में विविध विद्यालयों का प्रारम्भ और संचालन होने लगा। इसका एक उदाहरण सन् १८१७ में स्थापित हावर्ड का विधि-विद्यालय है। इसी तरह सामाजिक सेवा-कार्य की शिक्षा शिशिक्षुता की अवस्था से आगे बढ़कर व्यक्तिगत स्वामित्ववाले विद्यालयों की स्थिति में पहुँची (इस देश में सामाजिक सेवा-कार्य का प्रथम विद्यालय न्यूयार्क परोपकार विद्यालय था, जिसे न्यूयार्क दान-संघटन-समिति ने स्थापित किया था) और उस स्थिति से गुजरती हुई अन्त में वह विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हो गयी (अमेरिकन सामाजिक सेवा-कार्य-विद्यालय-संघ के उद्योग से सन् १९३९ में यह नियम बन गया कि प्रत्येक सामाजिक सेवा-कार्य-विद्यालय को अनिवार्यतः अमेरिकी विश्वविद्यालय-संघ द्वारा स्वीकृत किसी-न-किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के एक अंग के रूप में होना चाहिए)।

इस देश में सामाजिक सेवा-कार्य-सम्बन्धी वृत्तिक शिक्षा का प्रारम्भ सन् १८९८ से मानना चाहिए जब कि न्यूयार्क की दान-संघटन समिति ने ग्रीष्म ऋतु में इस विषय का प्रथम प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम शुरू किया था[५]। सन् १९०३ में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जाड़े में ६ मास का प्रशिक्षण-सत्र प्रारम्भ हुआ था। अगले वर्ष इन सभी पाठ्यक्रमों को मिला कर एक प्रशिक्षण-विद्यालय की स्थापना हुई जिसका नाम न्यूयार्क-परोपकार-विद्यालय था। बाद में इसका नाम न्यूयार्क सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालय हो गया और वह कोलम्बिया विश्वविद्यालय का एक अंग बन गया। दूसरा विद्यालय भी इसी प्रकार के प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों की शृंखला का ही विकसित रूप था। ये पाठ्यक्रम शिकागो विश्व-विद्यालय के प्रसार-विभाग द्वारा, जो उस समय शिकागो-समाज-विज्ञान-संस्थान कहलाता था, चलाये जाते थे। सन् १९०८ में इसी पाठ्यक्रम-सम्बन्धी कार्यक्रमों को मिला कर शिकागो नागरिक शास्त्र एवं परोपकार विद्यालय की स्थापना हुई। बाद में इसका नाम सामाजिक सेवा-प्रशासन-विद्यालय हो गया और यह शिकागो विश्वविद्यालय का एक अंग बन गया। इसके बाद से विगत ५० वर्षों में इस प्रकार के सामाजिक सेवाकार्य-

(५) एलिजाबेथ जी० मीयर—ए हिस्टरी आफ द न्यूयार्क स्कूल आफ सोशल वर्क—न्यूयार्क, कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस, १९५४।

विद्यालयों की बराबर वृद्धि होती रही है और सन् १९५४ में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, हवाई और पोर्टोरिको के विभिन्न स्थानों में स्थित प्रख्यात विद्यालयों की संख्या ५८ तक पहुँच गयी थी ।

सन् १९१९ में सामाजिक सेवाकार्य की शिक्षा से सम्बन्धित सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्वतन्त्र विद्यालयों का एक संघ बना जिसका नाम 'वृत्तिक सामाजिक सेवाकार्य-प्रशिक्षण विद्यालय-संघ" था । सन् १९३३ में इस संस्था का, जिसमें अब तक प्रशिक्षण-कार्यक्रम चालू करने वाले और भी बहुत-से विद्यालय सम्मिलित हो गये थे, नाम बदल कर "अमेरिकन सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालय-संघ" हो गया । सन् १९५२ में 'सामाजिक सेवाकार्य-समिति' की स्थापना हुई, और इस तरह सामाजिक सेवाकार्य-स्नातक विद्यालयों, पूर्वस्नातक विभागों, राजकीय (कर पर आश्रित) अभिकरणों, गैर-सरकारी अभिकरणों, वृत्तिक सदस्य-संघटनों और उच्च शिक्षा तथा अन्य सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले नागरिकों में से सामान्य प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले व्यक्तियों, सबको एक ही संस्था के अन्तर्गत एकत्र होने का अवसर मिला । १ जुलाई सन् १९५४ तक इस समिति के सदस्यों की सूची में ५८ सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालय, ७५ पूर्वस्नातक विभाग जहाँ पूर्व-सामाजिक सेवाकार्य-पाठ्यक्रम का अध्यापन होता है, २९ अभिकरण, ७ सदस्यता के आधार पर संघटित संघ, २७ सहकारी समूह और ३३० व्यक्ति जो सहयोगी या अंशदान देनेवाले सदस्य थे, सम्मिलित थे ।

सामाजिक सेवाकार्य की शिक्षा के अन्तर्गत कम से कम दो वर्ष तक वृत्तिक प्रशिक्षण के बाद अन्त में एम० ए० की उपाधि दी जाती है । उसके अध्ययन के लिए प्रवेश पाने का यह नियम रखा गया है कि प्रवेशार्थी व्यक्तिगत रूप से उस विषय के लिए उपयुक्त हो तथा उसके अनुरूप अपने को ढाल सकने की क्षमता रखता हो । स्नातक-उपाधि की कक्षा में प्रवेशार्थी के लिए सामाजिक विज्ञान में एक विशेष स्तर का ज्ञान रखना आवश्यक होता है । पाठ्यचर्या के अन्तर्गत कक्षा की पढ़ाई के अतिरिक्त किसी कल्याण-कार्य करने वाले अभिकरण में परिवीक्षित क्षेत्रीय कार्य शिक्षण की भी व्यवस्था की गयी है । सामाजिक कार्य-शिक्षा में पहले व्यवसाय-प्रशिक्षण अथवा विविध विषयों या विस्तृत पाठ्यक्रम की जानकारी पर ही विशेष बल दिया जाता है, किन्तु इधर कुछ वर्षों से, विशेष कर सामाजिक कार्य-शिक्षा-समिति के संघटन के बाद से, दो वर्ष की सुसंघटित सामान्य पाठ्यचर्या को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है । समिति के पाठ्यचर्या-सम्बन्धी नीति-वक्तव्य में जोर देकर कहा गया है कि "पाठ्यक्रम एक संश्लिष्ट इकाई है—जिसका लक्ष्य शिक्षार्थी को पर्याप्त मात्रा में वृत्तिक ज्ञान और कौशल की जानकारी कराना, सामाजिक सेवा-कार्य की पद्धति और स्वरूप के महत्त्व से अध्येता को परिचित कराना तथा उसकी

तद्विषयक समझ को विकसित करना है और समाज-सेवा के कार्य सम्पन्न करने के लिए आवश्यक योग्यता प्रदान करना है। इसमें कक्षा की पढ़ाई के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्य-सम्बन्धी पाठ्यक्रम और शोधकार्य की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अपने सैद्धान्तिक ज्ञान को प्रयोग की कसौटी पर कस कर उसका परीक्षण कर सके, वृत्तिक कौशलों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके, वृत्तिक आत्मनियन्त्रण की क्षमता उपलब्ध कर सके और उस सामाजिक दर्शन को अपने भीतर विकसित कर सके जिसका मूल मानव की स्वतःसिद्ध गरिमा के प्रति सम्मान की भावना में निहित है[६]।"

कक्षा की पढ़ाई और क्षेत्रीय कार्य दोनों साथ-साथ चल सकते हैं, उदाहरण के लिए, शैक्षणिक वर्ष की अवधि में प्रति सप्ताह अथवा क्षेत्रीय कार्य की 'खण्ड-पद्धति' के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को काम दिया जा सकता है जिसमें विद्यालय की सीमा के भीतर रहकर कक्षा में अध्ययन के लिए कुछ समय—प्रायः आधे वर्ष का सत्र—निर्धारित किया जा सकता है और उसके बाद विद्यालय के घेरे के बाहर किसी अभिकरण में सप्ताह के शेष समय का अथवा द्वितीय अर्द्धवार्षिक सत्र का उपयोग क्षेत्रीय कार्य के लिए किया जा सकता है और फिर दूसरे सप्ताह में—अथवा दूसरे वर्ष के प्रथम अर्द्ध-वार्षिक सत्र में—पिछले वर्ष के कार्यक्रम पूरा करने के लिए कक्षा की पढ़ाई का क्रम चलाया जा सकता है। इसके बाद फिर पिछले वर्ष का क्रम दुहराया जा सकता है अर्थात् या तो सैद्धान्तिक शिक्षण और क्षेत्रीय कार्य दोनों साथ-साथ चलाये जा सकते हैं अथवा खण्ड-पद्धति के अनुसार प्रथम अर्द्ध-वार्षिक सत्र में सैद्धान्तिक शिक्षण और द्वितीय अर्द्ध-वार्षिक सत्र में व्यावहारिक शिक्षण या क्षेत्रीय कार्य का क्रम अपनाया जा सकता है। दूसरे वर्ष इस बात के लिए अधिक अवसर रहता है कि निम्नलिखित व्यावहारिक कार्यों में से किसी एक में विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाय—राजकीय सहायता, बाल-कल्याण, विद्यालयीय सामाजिक सेवा, मनश्चिकित्सकीय सामाजिक सेवाकार्य, चिकित्सकीय सामाजिक सेवाकार्य, दण्ड एवं सुधार-सम्बन्धी सेवाएँ, सामूहिक समाज-सेवाकार्य, सामुदायिक संघटन, प्रशासन, शोधकार्य आदि। दूसरे वर्ष प्रत्येक छात्र को उसकी रुचि और इच्छा के अनुरूप किसी सामाजिक अभिकरण में काम करने के लिए रखवा दिया जाता है जिसकी व्यवस्था विद्यालय करता है। वहाँ उसे अभिकरण के निदेशानुसार उसके प्रत्यक्ष परिवीक्षण के अन्तर्गत रह कर काम करना पड़ता है।

•

(६) कैथेराइन ए० केण्डाल—"एजुकेशन फार सोशल वर्क"—सोशल वर्क इयर बुक, १९५४, पृष्ठ १७४।

अभिकरण का परिवीक्षक विद्यार्थी के विकास-सम्बन्धी सभी मामलों में सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालय के निकट सम्पर्क में रहता है। विद्यालय के क्षेत्रीय कार्य-शिक्षण का निदेशक अभिकरण के परिवीक्षक से मिल कर बराबर परीविक्षण-विषयक परामर्श किया करता है। क्षेत्रीय कार्य-शिक्षण कक्षा के शिक्षण के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध और समन्वित होता है। विद्यार्थी जो क्षेत्रीय कार्य करता है उसके बारे में न केवल उस विद्यार्थी और अभिकरण के परिवीक्षक के बीच विचार-विमर्श होता है, बल्कि उसका विवरण कक्षा में उपस्थित किया जाता है और वह विद्यार्थी, उसके सहपाठी तथा शिक्षक मिलकर उसके सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते हैं। यह पद्धति केवल वैयक्तिक सेवाकार्य-सम्बन्धी कार्य-निर्धारण में ही नहीं, सामूहिक समाज-सेवाकार्य, प्रशासन-कार्य और सामुदायिक संघटन विषयक कार्य-निर्धारण में भी अपनायी जाती है। क्षेत्रीय कार्य-शिक्षण समग्र पाठ्यचर्या का एक अविभाज्य अंग है और प्रशिक्षण-काल में विद्यार्थी के ज्ञान और कौशल की वृद्धि और विकास करने वाले अन्य विभागों के पाठ्यक्रम के समान ही उसका भी महत्त्व है। किसी अभिकरण में विद्यार्थी के निर्धारित कार्य के परिवीक्षण की प्रक्रिया सहायता द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया है और यद्यपि कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया से इसकी पद्धति भिन्न है, पर उसके शैक्षणिक अनुभवों से इसके अनुभव अधिक भिन्न नही हैं, दोनों प्रकार के अनुभवों में समानता के तत्त्व अधिक हैं।

जब विद्यार्थी दो वर्ष का कार्यक्रम, जिसमें एक प्रबन्ध लिखना भी सम्मिलित है, सन्तोषजनक रीति से समाप्त कर लेता है तो उसे एम० ए० के समकक्ष उपाधि दी जाती है। अधिकांश विद्यालय वृत्तिक सामाजिक सेवाकार्य विषयक एम० एस० डबल्यू० (मास्टर आफ सोशल वर्क) की उपाधि देते हैं। कुछ विद्यालयों में प्रथम वर्ष का कार्यक्रम सन्तोषजनक ढंग से पूरा हो जाने पर विद्यार्थियों को प्रवीणता का प्रमाण पत्र देते हैं। बारह सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालयों में एम० एस० डबल्यू० की उपाधि प्राप्त करने के बाद शोधकार्य पूरा करने वाले छात्रों को डाक्टरेट की उपाधि भी दी जाती है जिसे कहीं डी० फिल० और कहीं डी० एस० डबल्यू० कहा जाता है।

सन् १९५४ के नवम्बर मास के आँकड़ों के अनुसार उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सभी सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालयों में पूरे समय तक अध्ययन करने वाले पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या ३९२५ थी। जिन छात्रों ने पिछले साल दो वर्ष का कार्यक्रम पूरा कर लेने के बाँद उपाधि प्राप्त की थी उनमें से आधे के करीब छात्रों को पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सामाजिक सेवाकार्य-शिक्षण-विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की—जिनमें अध्यापक, क्षेत्रीय-कार्य-परिवीक्षक अथवा एक ही साथ दोनों कार्य करने वाले

अध्यापक, सभी सम्मिलित हैं, कुल संख्या १०९१ थी। उनमें से आधे से अधिक ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक सेवाकार्य-शिक्षण के कार्य में लगे पूर्णकालिक वैतनिक कर्मचारी थे।

प्रशासन-प्रशिक्षण

समाज-सेवा-सम्बन्धी कार्यों के प्रशासकीय पदों पर बहुत-से व्यक्ति भी कार्य करते हैं जिन्हें कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इस विषय का कोई अनुभव या प्रशिक्षण नहीं प्राप्त रहता है। वृत्तिक प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह बात ज्ञात रहती है और इसी लिए जब कभी इस प्रकार के व्यक्ति की किसी प्रशासकीय पद पर,विशेष कर राजनीतिक कारणों से किसी उच्चतम प्रशासकीय पद पर, नियुक्ति होती है तो उन्हें बहुत चोट पहुँचती है। प्रायः थोड़ा विचार करने पर ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालयों में प्रशासन-कार्य के प्रशिक्षण की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इस स्थिति के निराकरण के लिए अनेक सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालयों में यह व्यवस्था की गयी है कि द्वितीय वर्ष के अनुभवी तथा बौद्धिक दृष्टि से परिपक्व विद्यार्थियों को अथवा एम० एस० डबल्यू० की उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद उच्चतर अध्ययन में लगे उन विद्यार्थियों को जिन्हें सफलतापूर्वक कार्य करने का अनुभव प्राप्त है, प्रशासन-सम्बन्धी प्रशिक्षण की सुविधा दी जाय। यह उन राज्यों के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है, जिनमें देहाती और विरल आबादी वाले जनपदों की संख्या अधिक है। कारण यह है कि ऐसे राज्यों में अनेक बार अप्रशिक्षित या अनुभवहीन कार्यकर्ताओं को जनपदों में राजकीय जन-कल्याण-विभाग के अधीक्षक-पद पर काम करने के लिए भेज दिया जाता है। कुछ विद्यालयों में प्रशासन-सम्बन्धी परम्परागत शैक्षणिक पाठ्यक्रम से अलग हट कर अधिक गत्यात्मक और पुनस्संघटित पाठ्यक्रम अपना लिया गया है जिसमें शिक्षण, परिवीक्षण और परामर्श, सभी प्रकार के कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण का परिणाम भी बहुत सन्तोषप्रद हुआ है।

अनुसन्धान

वैयक्तिक समाज-सेवाकार्य वाले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि इस विषय में अनुसन्धान-कार्य की बहुत अधिक आवश्यकता है। यह बात जितनी वैयक्तिक समाज-सेवाकार्य के क्षेत्र के लिए महत्त्वपूर्ण है उतनी ही अन्य क्षेत्रों, जैसे सामूहिक समाज-सेवा-कार्य, सामुदायिक कल्याणकार्य-संघटन, प्रशासन-कार्य आदि, के लिए भी है। सामाजिक सेवाकार्य के पेशे का विकास मुख्यतः सामाजिक सेवाओं से ही हुआ है। वर्षों तक जनता तथा समुदायों की आवश्यकताओं का दबाव इतना

अधिक था कि सामाजिक सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को न तो इस बात के लिए समय मिल पाता था, न इस ओर उनका झुकाव ही हो पाता था और सम्भवतः उनमें इतनी योग्यत भी नहीं होती थी कि वे सतर्कतापूर्ण अनुसन्धान-सम्बन्धी विश्लेषण के कार्य में प्रवृत्त होते। किन्तु इधर कुछ वर्षों से सामाजिक सेवा-कार्यकर्ताओं को समाज-विज्ञान-वेत्ताओं और यहाँ तक कि सामान्य लोगों के इस प्रकार के पेचीदा सवालों का लगातार सामना करना पड़ा है कि क्या वे—सामाजिक सेवा-कार्यकर्ता इस बात को ठीक-ठीक समझते है कि वे क्या कर रहे हैं और जो कुछ कर हैं, क्यों कर रहे है और वे क्यों उसी विशेष पद्धति से उस काम को कर रहे है, अन्य किसी पद्धति से नहीं, क्या वह पद्धति प्रभावपूर्ण है, यदि है तो क्यों है और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्या उससे भी अधिक प्रभावपूर्ण कोई अन्य पद्धति हो सकती है ? ये और ऐसे ही अनगिनत प्रश्न, जो अब तक वैज्ञानिक लोग स्वयं अपने से पूछते थे, अब सामाजिक सेवा-कार्यकर्ताओं से पूछे जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने तो दिखा दिया है कि अनुसन्धान द्वारा किस तरह नयी पद्धतियों और तथ्यों की एक अब तक अज्ञात दुनिया ही उद्घाटित की जा सकती है। सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालय इन प्रश्नों को टालने या हलके ढंग से ग्रहण करने की जगह, अपने पेशे के प्रति उठाये गये इन प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार कर रहे है। अब तक आँकड़ों पर आधारित विवरणों को ही अनुसन्धान समझा जाता था, पर अब कुछ सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरण इन आँकड़ों से आगे बढ़कर अनुसन्धान-कार्य को और गहराई तक ले जाने की ओर प्रवृत्त हुए हैं। जनता के लिए सामाजिक सेवा की व्यवस्था करने की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी और उनका बराबर विस्तार भी करते रहना होगा, किन्तु उसके साथ-साथ यह बात भी अनिवार्य होगी कि उन सेवाओं के समानान्तर स्वेच्छापूर्वक अध्ययन और विश्लेष का कार्य किया जाय तथा ज्ञान और जानकारी के नये लोकों का उद्घाटन एवं आविष्कार किया जाय।

सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालयों का उत्तरदायित्व

सामाजिक सेवाकार्य की शिक्षा के विगत ५० वर्षों के इतिहास में इस विषय के विद्यालयों में वृत्तिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों में भी बराबर परिवर्तन और संशोधन होता आया है। १९३५ में सामाजिक सुरक्षा-कानून स्वीकृत होने के बाद से लेकर संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों के स्तर पर संचालित सरकारी जनकल्याण-कार्यक्रमों के विकास के समय तक, एक दशक की अवधि के भीतर ही, इस वृत्ति के पूरे क्षेत्र में आधारभूत और क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि परिवर्तनों का

सिलसिला अब समाप्त हो गया है । इसके विपरीत यह प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई पड़ रही है कि राजकीय सहायता से चलने वाली सेवाएँ हमारे आर्थिक और राजनीतिक जीवन को उत्तरोत्तर अधिक प्रभावित करने का कार्य करेंगी । राजकीय सहायता से चलने वाले जन-कल्याण-कार्यों के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ गैर-सरकारी सहायता से चलने वाले लोक-सेवा-अभिकरणों द्वारा परिचालित सेवाओं के क्षेत्र में भी उनकी महत्त्वपूर्ण प्रयोगात्मक, प्रदर्शनात्मक तथा सहायता पहुँचाने वाली क्रियात्मक कार्य-भूमिका पर विशेष बल दिया जा रहा है । इन बातों के कारण सामाजिक सेवाकार्य-सम्बन्धी वृत्तिक विद्यालयों के ऊपर यह जिम्मेदारी आ गयी है, जैसी इसके पहले कभी नही आयी थी, कि वे अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में बहुत आगे न बढ़ें तो कम से कम स्थिति का डट कर सामना तो अवश्य ही करें ।

इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक सेवाकार्य की शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा के शिक्षण तथा क्षेत्रीय कार्य-शिक्षण की समाकलित और समाकलनकारी पाठ्यचर्या को और भी सुदृढ़ एवं विस्तृत करना अनिवार्य हो गया है । प्रशिक्षण-कार्यक्रम को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने की दिशा में होने वाली इस प्रगति का आधारभूत कारण केवल यही नहीं है कि इससे जन-कल्याण-विभागों की निचली श्रेणियों के पदों पर कार्य करने के लिए तत्काल पर्याप्त कार्यकर्ता तैयार किये जा सकेंगे, बल्कि उसका एक उद्देश्य यह भी है कि इससे ऐसे छात्र भी तैयार किये जा सकेंगे जो अपनी आन्तरिक क्षमता और शक्ति के बल पर उत्तरोत्तर विकास करते हुए उच्चतर प्रशासकीय और नीति-निर्धारण के अधिकारवाले पदों पर प्रतिष्ठित हो सकेंगे ।

वृत्तिक सामाजिक सेवाकार्य के प्रशिक्षण की अत्यधिक माँग की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालय किसी-न-किसी विश्वविद्यालय के अविभाज्य अंग के रूप में कार्य करे । यह भी आवश्यक है कि उन विद्यालयों के अध्यापक और अन्य कर्मचारी समसामयिक सामाजिक सेवाकार्यों में पूर्णतः प्रशिक्षित और अनुभवी हों । ऐसे विद्यालयों को विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से परामर्श और सहायता भी लेनी चाहिए । उन्हें इस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे सामाजिक सेवाकार्य की शिक्षा के हित की दृष्टि से और व्यावहारिक सामाजिक सेवा-कार्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी पाठ्यचर्या निश्चित कर सकें । इन शर्तों की पूर्ति होने पर ही कोई सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालय विश्वविद्यालयीय शिक्षा के अंग के रूप में अपने उत्तरदायित्व के अनुरूप कार्य कर सकता है और इसी तरह वह सामान्य जनता की भी उचित सेवा कर सकता है जिसके लिए ऐसे विद्यालयों की स्थापना की गयी है ।

वृत्तिक प्रशिक्षण के पूर्व की तैयारी

सामाजिक सेवाकार्य के विभिन्न पदों पर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं की इतनी अधिक माँग है, विशेषकर सरकारी कल्याण-विभाग के क्षेत्र में यह माँग इतनी अधिक है और सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालयों से एक या दो वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त करके निकलने वाले विद्यार्थियों की संख्या (उस माँग की तुलना में) इतनी कम है कि अधिक विद्यार्थी विद्यालय से स्नातक-उपाधि प्राप्त करने के बाद तुरन्त ही सामाजिक सेवा के क्षेत्र में नौकरियों में ले लिये जाते हैं। इनमें से कुछ विद्यार्थियों के पास तो सामाजिक विज्ञान-सम्बन्धी पृष्ठभूमि तैयार रहती है और कुछ उसमें बिलकुल कोरे रहते हैं। इस स्थिति का सामना करने की दृष्टि से देश भर में अनेक विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पूर्व-स्नातक कक्षाओं में एक या एक से अधिक ऐसे विषयों का पाठ्यक्रम रखा गया है जिनसे विद्यार्थी सामाजिक सेवाकार्य के क्षेत्र में निचली श्रेणी के, विशेष कर जनपद-कल्याण-विभागों के, पदों पर काम करने लायक आवश्यक योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। यदि केवल एक ही ही विषय का पाठ्यक्रम होता है तो प्रायः उसे "सामाजिक सेवाकार्य की भूमिका" या "सामाजिक सेवाकार्य का क्षेत्र" कहा जाता है और उसे प्रायः प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ता है। यदि पाठ्यक्रम में कई विषय रखे जाते हैं तो उनमें विषय-प्रवेश के अतिरिक्त अन्य विषयों, जैसे राजकीय जन-कल्याण-कार्य, बाल-कल्याण-सम्बन्धी समस्याएँ, लोक-हित-कार्यों का इतिहास, सामुदायिक नेतृत्व आदि को भी सम्मिलित कर लिया जाता है।

पूर्व-स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को सामाजिक सेवाकार्य की पद्धतियों और कौशलों के शिक्षण की आवश्यकता है, यह बात यद्यपि सतही दृष्टि से देखने पर उचित मालूम पड़ सकती है, परन्तु अनुभव के आधार पर तथा अन्य लोगों के मतों के अनुसार यह बात उचित नहीं कही जा सकती। कौशलों और प्रविधियों का शिक्षण निश्चित रूप से वृत्तिक प्रशिक्षण का ही एक अंग है जिसकी व्यवस्था स्नातकोत्तर शिक्षा के अन्तर्गत होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिश्रमी और उत्तरदायी परिवीक्षकों की देख-रेख में स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को ही, जो बौद्धिक दृष्टि से परिपक्व और अनुशासनपूर्ण अनुभवों से युक्त हो चुके हैं, इन विषयों में प्रशिक्षित किया जाय। इसके अतिरिक्त बहुत-से अध्यापकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह विश्वास है, जो उचित ही है, कि पूर्व-स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों का समय ऐसे विषय को, जिन्हें समझना उनकी शक्ति के बाहर की बात है, पढ़ाने में नष्ट करना न केवल उनका अहित करना है, बल्कि जानबूझ कर उन्हें ऐसे व्यापक और सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा से वंचित

कर देना है जो उनके पूर्व-स्नातक-स्तर के कार्यक्रमों की दृष्टि से अधिक उपयुक्त हैं। अनेक जन-कल्याण-विभागों ने इस समस्या का समाधान यह निकाला है कि वे पहले ऐसे ही लोगों को नौकरियों में नियुक्त करते हैं जिनकी सामाजिक विज्ञान-सम्बन्धी जानकारी अच्छी होती है और इसके बाद वे उन नये कार्यकर्ताओं को नौकरी में रहते हुए ही सेवा-कार्यों का प्रशिक्षण देते हैं। इस अनुभव के बाद प्रायः कार्यकर्ता यह समझने लगते हैं कि वस्तुतः सामाजिक सेवा ही उनके मन का कार्य है और उसीको वे सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं। इस अनुभव के फलस्वरूप वे किसी स्नातक-स्तर वाले वृत्तिक समाज-सेवाकार्य-विद्यालय में एक या दो वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रविष्ट हो जाते हैं।

सामाजिक सेवाकार्य-सम्बन्धी नौकरियाँ और वेतन

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाले बहुत-से विद्यार्थियों को स्नातक हो जाने के बाद जनपद कल्याण-विभाग में नौकरियाँ मिल सकती हैं। ये नौकरियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे वैयक्तिक सेवाकार्य, सहायक का कार्य, कार्यार्थियों के घर जाने का कार्य, जाँच-पड़ताल करने का कार्य आदि। इन पदों पर कार्य करने वालों का वेतन-क्रम विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होता है, किन्तु औसत के हिसाब से उनका वार्षिक वेतन अनुमानतः २४०० डालर से २८०० डालर के बीच होता है।

एक वर्ष तक वृत्तिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्यकर्ताओं को जनपद कल्याण-विभागों, कुछ राज्यों के राज्य-कल्याण विभागों, बाल-कल्याण और सुधार-संस्थाओं, कहीं-कहीं रेडक्रास-समितियों और कुछ पारिवारिक-सेवा-अभिकरणों द्वारा नौकरियाँ दी जाती हैं। इन नौकरियों में वार्षिक वेतन २४०० डालर से ३६०० डालर के बीच भिन्न-भिन्न संस्थाओं में अलग-अलग होता है।

सामाजिक सेवा-विद्यालयों से एम-एस० डबल्यू० उपाधि-प्राप्त स्नातकों के सामने विभिन्न संस्थाओं और विभागों में अनगिनत नौकरियों के द्वार खुले रहते हैं, जैसे जनपद-कल्याण-विभाग, राज्यों के जन-कल्याण-विभागों में क्षेत्रीय सेवा-कार्यकर्ता का पद, पारिवारिक सेवा-कार्य, बालक-व्यवस्थापन कार्य, चिकित्सकीय सामाजिक सेवा-कार्य, बाल-निर्देशन-स्वास्थ्य-गृह, मानसिक स्वास्थ्य-चिकित्सालय, मानसिक चिकित्सालयों के सामाजिक सेवा-विभाग, सुधारात्मक सेवाएँ, रेडक्रास, विद्यालयीय सामाजिक सेवाएँ, सामुदायिक धर्मादा-समिति, सामुदायिक योजना-समिति, सामाजिक व्यवस्थापन, सामूहिक सेवा-कार्य-अभिकरण आदि। निष्कर्ष यह कि उनके लिए सामाजिक सेवाकार्य का समस्त

क्षेत्र खुला हुआ है । उनका वार्षिक वेतन इनके सामाजिक सेवा-कार्य-सम्बन्धी पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ३६०० डालर से लेकर ४००० डालर तक से प्रारम्भ होता है । अपवाद रूप में सबसे अधिक वेतन अवकाश प्राप्त सैनिक-प्रशासन की नौकरियों में मिलता है । उनमें वार्षिक वेतन करीब ४००० डालर से लेकर ४५०० डालर तक होता है ।

इन नौकरियों में पदोन्नति व्यक्ति की योग्यता, कार्य-कुशलता, अभिकरण में उसके समस्त कार्य-कलाप तथा अन्य अभिकरणों द्वारा उसकी सेवाओं की माँग पर निर्भर करती है । इस तरह वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता उन्नति करके अधीक्षण-सम्बन्धी किसी पद पर पहुँच सकते हैं और प्रशासक उन्नति करके राज्य-संघटनों, राष्ट्रीय संघटनों और संघ के क्षेत्रीय या केन्द्रीय कार्यालयों के परामर्शदाता के पद तक जा सकते हैं । यद्यपि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता कभी अपनी नौकरी के वेतन के बल पर धनी नहीं बन सकता, पर इस क्षेत्र में यह अवसर अवश्य मिलता है कि कोई कार्यकर्ता उन्नति करके उच्चतम पदों पर पहुँच जाय और उसे ६ हजार, १० हजार या १५ हजार डालर तक वार्षिक वेतन मिलने लगे । यह सही है कि इन उच्च पदों पर बहुत कम कार्यकर्ता ही पहुँच सके हैं, किन्तु ऐसे महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए, जो प्रशासकीय कार्यों की थका देने वाली जिम्मेदारियों को अपनी निर्णय-शक्ति तथा नीति और कर्मचारियों से सम्बन्धित अनगिनत विवादों को सुलझाने की क्षमता द्वारा पूरा कर के सन्तोष कर सकते हैं, इस क्षेत्र में उच्च पदों पर पहुँचने के पर्याप्त अवसर मिलते है ।

सामाजिक सेवाकार्य-सम्बन्धी प्रकाशन

इस अपेक्षाकृत नवीन और आत्मचेतन वृत्ति को अपनाने वाले कार्यकर्ताओं को अपनी वृत्तिक विचार-धारा और कार्य-पद्धति के सम्बन्ध में बहुत अधिक लिखने-पढ़ने, भाषण करने और विचार-विमर्श या वाद-विवाद करने की आवश्यकता पड़ती है । इसका प्रमाण वे राशि-राशि पत्र-पत्रिकाएँ, कार्य-विवरण, पुस्तिकाएँ, प्रतिवेदन और पुस्तकें है जो बराबर प्रकाशित, वितरित, और परिसंचारित होती रहती हैं । अन्य क्षेत्रों की भाँति इस क्षेत्र में भी सिद्धान्त और व्यवहार-सम्बन्धी नये विचारों, प्रयोगों और प्रदर्शनों का प्रकाशन पुस्तकों से अधिक पत्र-पत्रिकाओं और वार्षिक कार्य-विवरणों में ही होता है । सामाजिक-सेवा-कार्य के प्रारम्भिक विद्यार्थी अथवा कार्यकर्ता के लिए ये प्रकाशन परस्पर विरोधी या विवादात्मक विचारों के कारण बहुत उलझन में डालने वाले प्रतीत हो सकते हैं, किन्तु इनका अध्ययन ही एक मात्र ऐसा विश्वस्त मार्ग है जिसके द्वारा वे सामाजिक सेवाकार्य की शक्ति और महत्त्व का सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय सामाजिक सेवाकार्य-सम्मेलन प्रतिवर्ष अपना वार्षिक कार्य-विवरण 'प्रोसी-

डिग्म" नाम से प्रकाशित करता है, पर इधर कुछ वर्षों से उसका नाम "समाज-कल्याण" वाक्पीठ" (सोशल वेलफेयर फोरम) हो गया है। उसमें हर खण्ड में गत वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर पढे गये लेखों या भाषणों का सारांश और कुछ चुने हुए भाषण भी प्रकाशित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसके पूरक के रूप में सम्मेलन में पढ़े गये निबन्धों को एकत्र करके विषयानुसार अलग-अलग पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित की जाती हैं। ये विषय कई प्रकार के होते हैं, जैसे वैयक्तिक सेवाकार्य, सामूहिक सेवाकार्य, सामुदायिक संघटन, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धों से सम्बन्धित सेवाकार्य आदि। अन्य राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन , जैसे यहूदी सम्प्रदाय-सेवा-सम्मेलन, कैथलिक दान-समिति, राष्ट्रीय परिवीक्षा और पेरोल-सम्मेलन, चर्च, समाज-सेवा-सम्मेलन आदि, भी वार्षिक कार्य-विवरण तथा पत्र प्रकाशित करते हैं। कुछ राज्यों में राज्य-सामाजिक-सेवाकार्य-सम्मेलन भी अपना वार्षिक कार्य-विवरण प्रकाशित करते हैं।

'सामाजिक सेवाकार्य-अब्दकोश,' (सोशल वर्क ईयर बुक) का प्रकाशन हर तीसरे वर्ष 'संयुक्त राज्य सामाजिक कार्यकर्ता-संघ' द्वारा होता है। इसमें सामाजिक सेवा के व्यावहारिक कार्यों के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते हैं।

विभिन्न अभिकरण समय-समय पर जो विशेष अध्ययन, प्रतिवेदन, और निबन्ध-संग्रह प्रकाशित करते रहते हैं, उनका उल्लेख करना भी आवश्यक है। वे अभिकरण ये हैं—संयुक्त राज्य बाल-कल्याण-परिषद्, सामुदायिक धर्मादा-संघ एवं समितियाँ, संयुक्त राज्य पारिवारिक सेवा संघ, संयुक्त राज्य राजकीय जन-कल्याण-संघ, संयुक्तराज्य सामाजिक कार्यकर्ता-संघ, सामाजिक सेवाकार्य-शिक्षा-समिति, संयुक्तराज्य मनश्चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता-संघ, संयुक्त राज्य बाल सेवाकेन्द्र और सामाजिक सुरक्षा-प्रशासन।

पत्र-पत्रिकाएँ और प्रतिवेदन

वार्षिक सम्मेलनों के कार्य विवरणों तथा अभिकरणों एवं संघों द्वारा प्रकाशित अध्ययनात्मक निबन्धों और प्रतिवेदनों के प्रकाशन के अतिरिक्त सामाजिक सेवाकार्य के क्षेत्र से सम्बन्धित और भी बहुत-सी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती है जिन्हें विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं को जानना और पढ़ना चाहिए*।

(७) इन पत्र-पत्रिकाओं, इनके प्रकाशकों, इनके पते, प्रकाशन के समय आदि के बारे में पूरी सूचना के लिए देखिए—सोशल वर्क इयर बुक, १९५४, पृष्ठ ६७५-६७९।

अनेक राज्यों के जनकल्याण-विभागों द्वारा पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं जो प्रायः मासिक या त्रैमासिक होती हैं और जिनमें राजकीय जनकल्याण-कार्यों के क्षेत्र में होने वाले कामों का ताजा-से-ताजा लेखा-जोखा प्रकाशित किया जाता है।

संघीय अभिकरण भी बहुत-सी पुस्तक-पुस्तिकाएँ तथा विशेष प्रतिवेदन प्रकाशित करते हैं जिन्हें सामाजिक सेवाकार्य से सम्बन्धित सभी विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं को अवश्य जानना चाहिए। इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 'स्वास्थ्य-शिक्षा-कल्याण-विभाग' के हैं जिनके नाम ये ढैं—'ऐजिंग' (वृद्धावस्था एवं वृद्ध-रोग-समिति द्वारा प्रकाशित) चिल्ड्रेन (बाल-सेवा-केन्द्र द्वारा प्रकाशित), पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट्स (राजकीय स्वास्थ्य-विभाग द्वारा प्रकाशित) और सोशल सेक्योरिटी बुलेटिन[८] (सामाजिक सुरक्षा-प्रशासन द्वारा प्रकाशित)।

स्वास्थ्य-शिक्षा और कल्याण-विभाग के सचिव द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन में विभिन्न राजकीय सेवाओं और अभिकरणों, जैसे सामाजिक सुरक्षा-प्रशासन, बाल-सेवा-केन्द्र, राजकीय स्वास्थ्य-सेवा व्यावसायिक व्यवस्थापन-कार्यालय आदि के वार्षिक कार्य-विवरण सम्मिलित रहते हैं। इन प्रतिवेदनों में इस सम्बन्ध में पूरी सूचना संग्रहीत रहती है कि इन विभागों और अभिकरणों द्वारा क्या किया जा रहा है और उनकी आगे की योजनाएँ क्या है। "फेडरल प्रोबेशन' नामक पत्रिका संयुक्त राज्य न्याय-विभाग के प्रशासकीय कार्यालय द्वारा कारागार-कार्यालय के सहयोग से प्रकाशित होती है और इसमें परिवीक्षा, पेरोल और सुधारात्मक सेवाओं के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये जाते हैं। साथ ही इन विभागों के निदेशकों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रकाशित किये जाते हैं जो पठनीय होते हैं। कई वर्षों से संयुक्त राज्य कारागार-कार्यालय द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है वह जितना स्पष्ट और आकर्षक होता है उतना संघीय सरकार के अन्य किसी भी अभिकरण का प्रतिवेदन नहीं होता। उसके द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन अपने सुपाठ्य अक्षरों, निदर्श-चित्रों, पर्याप्त हाशिया और सावधानी से प्रस्तुत मूल पाठों के कारण इतना आकर्षक होता है कि उसे इस बात के लिए प्रमाण

(८) 'सोशल सेक्योरिटी बुलेटिन में उपयोगी प्राधिकारपूर्ण लेखों तथा सामाजिक और आर्थिक विषयों से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सामग्री के अतिरिक्त प्रतिमास की नयी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं में प्रकाशित लेखों आदि पर सामयिक टिप्पणियाँ भी प्रकाशित होती हैं।

रूप में उपस्थित किया जा सकता है कि सरकारी प्रतिवेदन भी पठनीय और ठोस सामग्री से युक्त हो सकते हैं।

चलचित्र

प्रतिवर्ष अनगिनत संख्या में तथा अनेक प्रकार के ऐसे चलचित्र निर्मित और प्रदर्शित होते हैं जो या तो सामाजिक सेवाकार्य की केन्द्रीय समस्याओं से सम्बन्धित होते हैं अथवा उस क्षेत्र की परिधि का स्पर्श करने वाले होते हैं। इनमें से अनेक चलचित्र अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं और कई उदाहरणों में तो लिखित या घोषित शब्दों अर्थात् व्याख्यानों और लिखित पुस्तकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। चूंकि प्रतिवर्ष अनगिनत चलचित्र निर्मित और प्रदर्शित होते हैं और उनमें से बहुत-से शीघ्र ही अप्रचलित अथवा लोपोन्मुख होकर भुला दिये जाते हैं, इसलिए यहाँ उनमें से किसी का भी नामोल्लेख नहीं किया जा रहा है। यहाँ इतना ही पर्याप्त प्रतीत होता है कि इन चलचित्रों में से कुछ के स्रोतों की सूची प्रस्तुत कर दी जाय ताकि जिन पाठकों को उनमें रुचि हो वे स्वयं उन स्रोतों से पत्र-व्यवहार कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें[९]।

(९) नीचे जो सन्दर्भ दिये जा रहे हैं वे संगृहीत हैं। बहुधा राज्यों के स्वास्थ्य-विभाग बहुत उपयोगी चलचित्र तैयार करते हैं जो अधिकतर बालकों और वृद्धों के जीवन से सम्बन्धित होते हैं--

- **आर्मंड फोर्सेज इन्स्टीच्यूट आफ फैथालोजी, चीफ, मेडिकल इलस्ट्रेशन सर्विस, सेविन्थ स्ट्रीट एण्ड इनडिपेण्डेण्ट एवेन्यू, एस० डबल्यू०, वाशिंगटन, डी० सी०।**
- **एसोशियेशन फिल्म्स, ३४७ मडिसन एवेन्यू, न्यूयार्क, १७, एन० वाई०।**
- **एथेना फिल्म्स, १६५ डबल्यू, ४६वीं स्ट्रीट, न्यूयार्क, एन० वाई०।**
- **ब्रिटिश मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन, ३०, राकफेलर प्लाज़ा, न्यूयार्क २०, एन० वाई०।**
- **कोलम्बिया युनिवर्सिटी एजुकेशनल फिल्म्स, ४३१ डबल्यू, ११७वीं सड़क, न्यूयार्क, २७, एन० वाई०।**
- **एजुकेटर्स गाइड टु फ्री फिल्म्स, एजुकेटर्स प्रोग्रस लीग, रेण्डोल्फ, विसकान्सिन।**
- **एजुकेशनल फिल्म गाइड, एच० डबल्यू० विल्सन कम्पनी, ९५० युनिवर्सिटी एवेन्यू, न्यूयार्क, ५२, एन० वाई०।**

जीवनी और आत्मकथा

पूर्ववर्ती पृष्ठों में सामाजिक सेवाकार्य के ऐतिहासिक विकास और प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया है। बीच-बीच में व्यक्तियों के नामों का भी उल्लेख किया गया है, किन्तु उनके कार्यों का इस प्रकार वर्णन कहीं नहीं किया गया है जिससे पाठकों को यह पता चले कि उन व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से सामाजिक सेवाकार्य की प्रगति को कितना प्रभावित किया है। जिस ढंग की यह पुस्तक है, उसमें उपर्युक्त विवरण के लिए अधिक अवसर नहीं था और सम्भवतः इसी कारण विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत कार्यों का विवरण न देना अनिवार्य प्रतीत हुआ। फिर भी यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वस्तुतः सामाजिक सेवाकार्य के विकास में, विशेष कर अमेरिका और इङ्गलैण्ड में पिछले दो सौ वर्षों में, जो भी नये कार्य किये गये थे वे विशेष व्यक्तियों द्वारा अथवा उनकी प्रेरणा से ही किये गये थे। किन्तु यह पुस्तक इतिहास और प्रक्रिया को आधार बना कर लिखी गयी

— इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका फिल्म्स, २० एन वैकर ड्राइव, शिकागो ६, इलिनाय।
— फिल्म डाक्यूमेण्ट्स, २०८ ई०, ७२वीं स्ट्रीट, न्यूयार्क २१, एन० वाई०।
— फिल्म पब्लिशर्स, २५ ब्राड स्ट्रीट, न्यूयार्क ४, एन० वाई०।
— फिल्म स्ट्रिप हाउस, २५, ब्राड स्ट्रीट, न्यूयार्क, ४ एन० वाई०।
— "गाइड टु यू० एस० गवर्नमेण्ट पिक्चर्स", लाइब्रेरी आफ कांग्रेसे, वाशिंगटन डी० सी०।
— ग्राइडियल फिल्म्स, २०७ डबल्यू, ३७वीं स्ट्रीट, न्यूयार्क १६, एन० वाई०।
— इण्टर नेशनल फिल्म ब्यूरो, ५७ ई० जैक्सन, शिकागो ४, इलिनॉय।
— मैकग्राहिल बुक कम्पनी, टेक्स्ट फिल्म डिपार्टमेण्ट, ३३० डबल्यू० ४२वी० स्ट्रीट, न्यूयार्क, १८, एन० वाई०।
— मेण्टल हेल्थ फिल्म बोर्ड, ११६ ई० ३८वीं स्ट्रीट, न्यूयार्क, १६, एन० वाई०।
— "मेण्टल हेल्थ मोशन पिक्चर्स"—नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ मेण्टल हेल्थ, यू० एस० गवर्नमेण्ट प्रिंटिंग आफिस, वाशिंगटन २५, डी० सी०।
— "मोशन पिक्चर्स आफ चाइल्ड लाइफ"—यू० एस० गवर्नमेण्ट प्रिंटिंग आफिस, वाशिंगटन २५, डी० सी०।
— नेशनल एसोसियेशन फार मेण्टल हेल्थ, १७९० ब्राडवे, न्यूयार्क, १९, एन० वाई०।

है, अतः किसी को इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि इसमें व्यक्तियों की जानबूझ कर उपेक्षा की गयी है। निश्चय ही यह दावा किया जा सकता है कि इस पुस्तक में सर्वत्र यह बात निहित है कि सामाजिक सेवाकार्य के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन घटित हुए वे व्यक्तियों के प्रयत्नों के ही परिणाम थे; यहाँ तक कि सन् १९३० से १९४० के बीच के मन्दी के काल में सामाजिक सेवाकार्य-सम्बन्धी जो प्रगति हुई वह भी विशेष व्यक्तियों के प्रयत्नों का ही परिणाम थी, यद्यपि ऊपर-ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि वह प्रगति तत्कालीन ऐतिहासिक घटना-चक्र की शक्ति की देन थी; किन्तु वास्तविकता यह है कि उस समय वह शक्ति उन व्यक्तियों की थी जिनके प्रयत्न फलप्रद और परिवर्तन घटित करने वाले सिद्ध हुए। सच पूछा जाय तो इस पुस्तक के पूरक के रूप में एक अलग पुस्तक की आवश्यकता है जिसमें केवल इस बात का अनुसन्धान-पूर्ण विवरण उपस्थित किया जा सके कि सामाजिक सेवाकार्य की प्रगति और प्रक्रियाओं पर व्यक्तियों का क्या और कितना प्रभाव पड़ा है।

— नेशनल फिल्म बोर्ड आफ कैनाडा, जान एण्ड ससेक्स स्ट्रीट, ओटावा तथा ६२०, फिफ्थ एवेन्यू, न्यूयार्क, २०, एन० वाई०।
— नेशनल फिल्म ब्यूरो, ६ एन० मिशिगन एवेन्यू, शिकागो २, इलिनॉय।
— नेशनल मेण्टल हेल्थ फाउण्डेशन, १५२० रेस स्ट्रीट, फिलाडेल्फिया।
— नेशनल प्रोबेशन और पेरोल एसोशियेशन, १७९० ब्राडवे, न्यूयार्क १९, एन० वाई०।
— नेवी डिपार्टमेण्ट, चीफ, ब्यूरो आफ मेडिसिन एण्ड सर्जरी, पोटोमैक अनेक्स, २३वीं एण्ड ई० स्टेट्स, एन० डबल्यू०, वाशिंगटन २५, डी० सी०।
— न्यूयार्क युनिवर्सिटी फिल्म लाइब्रेरी, वाशिंगटन स्क्वायर, न्यूयार्क, ३, एन० वाई०।
— पेन्सिलवानिया स्टेट युनिवर्सिटी, आडो-विजुअल ऐड्स लाइब्रेरी, स्टेट कालेज।
— टीचिंग फिल्म कस्टोडियन्स, २५ डबल्यू, ४३वीं स्ट्रीट, न्यूयार्क १७, एन० वाई०।
— यूनाइटेड वर्ल्ड फिल्म्स, १४४५ पार्क एवेन्यू, न्यूयार्क २९, एन० वाई०।
— वेटेरन्स ऐडमिनिस्ट्रेशन, चीफ, साइकियाट्री एण्ड न्यूरालोजी डिविजन, डिपार्टमेण्ट आफ मेडिसीन एण्ड सर्जरी, वाशिंगटन २५, डी० सी०।

जीवनी और आत्मकथा का मूल्य बहुत अधिक होता है, चाहे वे पुस्तक के रूप में हों या पत्र-पत्रिकाओं में लेखों के रूप में या उनके संस्मरणांकों के रूप में। इस पुस्तक के कई अध्यायों के अन्त में जो सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची दी गयी है उसमें इस प्रकार के ग्रन्थों और पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेख किया गया है। जिन पाठकों को इस विषय में अधिक रुचि हो वे उन सन्दर्भ-सूचियों को पढ़कर उनमें से इस प्रकार की सामग्रीवाले ग्रन्थों या पत्रिकाओं का पता लगा लें। उन सूचियों में निम्नलिखित व्यक्तियों की जीवन-परक कृतियों का उल्लेख हुआ है—क्लीमेण्ट एटली, बीट्रिस वेन, जेन ऐडम्स, लिलियन वाल्ड, डोरोथिया डिक्स, क्लिफोर्ड बियर्स, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, हैरी हाप्किन्स, एडवर्ड डिवाइन, विलियम मैथ्युज आदि।[१०]

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने वाले सामाजिक सेवाकार्य

अमेरिका में आज हम जिसे सामाजिक सेवाकार्य कहते हैं वह सामन्तवाद के प्रभाव से मुक्त होने वाले आधुनिक यूरोप की देन है। वही सामाजिक सेवाकार्य आज एक नवीन आणविक युग के द्वार पर खड़ा है। अमेरिका में आज जिसे सामाजिक सेवाकार्य कहा जाता है, वह अब किसी एक देश की सम्पत्ति नहीं रह गया है, आज वह समस्त मानव-जाति की सम्पत्ति बन गया है।

इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में पर्याप्त विस्तार से इस बात की व्याख्या की गयी है कि सामाजिक सेवाकार्य की पद्धति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, जैसे परिवारों, बालकों, वृद्धों, बाधाग्रस्त व्यक्तियों और अपराधियों, की किस तरह सहायता की जाती है, समूहों या संस्थाओं की कैसे सहायता की जाती है और समुदायों की सहायता के लिए क्या किया जाता है। किन्तु हमने इस ग्रन्थ में अमेरिका में अपनी संस्कृति की सीमा और परिप्रेक्ष्य के भीतर किये जाने वाले जिन सामाजिक सेवाकार्यों का विवेचन किया है, वे केवल इसी देश पर लागू नहीं होते। उनकी उपयोगिता किसी भी ऐसे देश के लिए हो सकती है जहाँ मनुष्य रहते हैं, चाहे उनकी संख्या एक हो, दस लाख हो या पाँच अरब हो।

(१०) ब्रुकलिन कालेज के अध्यापक श्री हरबर्ट स्ट्रूप ने एक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ लिखा है जो अभी अप्रकाशित है। उसका नाम है 'दी यूज आफ बायोग्राफी इन प्रोफेशनल सोशल वर्क एजुकेशन"। उन्होंने जीवनी-ग्रन्थों का चुनाव करके एक सूची भी तैयार की है। ये कृतियाँ प्रारम्भिक विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं के लिए विशेष उपयोगी हो सकती हैं।

शर्त यही है कि वे सन्तोषपूर्ण और रचनात्मक जीवन बिताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

विश्व-युद्ध की समाप्ति के बाद और आणविक शक्ति के आविष्कार के परिणाम-स्वरूप संसार में जिस नवीन और क्रान्तिकारी युग का प्रारम्भ हुआ है उसके सम्बन्ध में सन् १९४६ में राष्ट्रीय सामाजिक सेवाकार्य-सम्मेलन के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए श्री केनेथ प्रे ने कहा था—

"इस क्रान्ति के उद्देश्य ही हमारे उद्देश्य हैं। यह क्रान्ति जिस नवीन संसार का निर्माण कर रही है वही वह संसार है—और एक मात्र वही वह संसार है—जिसमें सामाजिक सेवाकार्य उन्नति कर सकता तथा अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है क्योंकि सामाजिक सेवाकार्य का अत्यन्त प्राचीन काल से चला आता, सीधा-सादा और सर्वग्राही व्यापक उद्देश्य मानव की इस तरह सहायता करना है कि उसे अपने चरम विकास की सुविधाएँ और प्रोत्साहन प्राप्त हो सकें और इस तरह वह समस्त समाज की उन्नति और भलाई के कार्य में अधिक से अधिक योगदान कर सके। अतः आज संसार का जो स्वरूप निर्मित हो रहा है वही इस बात के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कि हम मानव की अविच्छिन्न अखण्डता तथा उसके स्वतन्त्र मानव-व्यक्तित्व में निहित आन्तरिक रचनात्मक क्षमता के प्रति अपनी गहरी आस्था की परीक्षा ले सकें और अन्ततः उसे कसौटी पर कस कर उसकी सचाई को प्रमाणित कर सकें[११]।"

ये शब्द उन सभी स्थानों के लिए, जहाँ मानव जाति रहती होगी, सत्य है। इन शब्दों में निहित भावना अमरीकी सामाजिक कार्यकर्ताओं और अमरीकी सामाजिक सेवाकार्य-संघटनों के उन सभी प्रयत्नों के भीतर निहित है जो संसार के विभिन्न भागों में किये जा रहे हैं। ये शब्द उन सभी सेवाओं पर लागू होते हैं जो या तो हमारी अपनी सरकार के माध्यम से विभिन्न देशों में संचालित हो रही हैं अथवा विविध गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा परिचालित है। उन गैर-सरकारी अभिकरणों में प्रमुख ये हैं—अमेरिकन रेडक्रास, अमेरिकन फ्रेण्ड्स सर्विस कमिटी, द नेशनल सोशल वेलफेयर असेम्बली। यह काम अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी किया जा रहा है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाएँ हैं—विश्व-स्वास्थ्य-संघ (वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन या 'हू'), संयुक्त राष्ट्र बाल-कल्याण-कोश (संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल-आपाती कोश—

(११) केनेथ एल० एम० प्रे—"सोशल वर्क इन ए रिवोल्यूशनरी एज"—प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल कान्फ्रेंस आफ सोशल वर्क—सन् १९४६, पृष्ठ ६–७।

(यूनिसेफ), संयुक्त राष्ट्रशिक्षा-विज्ञान-संस्कृति-संघ (यूनेस्को), अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ (इलो), और खाद्य-कृषि-संघ (फाओ)। वे शब्द हर प्रकार की सामाजिक सेवा पर लागू होते हैं जैसे भूख की पीड़ा से मुक्ति, युद्ध-पीड़ित समुदायों का पुनरुत्थान, शरणार्थियों का पुनर्व्यवस्थापन, विभिन्न समुदायों की स्वावलम्बित प्रायोजनाओं के लिए प्राविधिक सहायता, शैक्षिक विचार-गोष्ठी, और प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति और शिक्षावृत्ति[१२]। यदि हम अन्य देशों को अपनी सेवाएँ अर्पित करने का कार्य जारी रखना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उन देशों के लोग उन सेवाओं को स्वीकार करते रहें, तो उन सेवाओं को अर्पित करने का आधार-भूत सिद्धान्त क्या होना चाहिए, इस सम्बन्ध में श्री प्रे का कहना है कि उनका उद्देश्य जनता की इस तरह सहायता करना होना चाहिए कि जनता अपनी चरम उन्नति के लिए सुविधाएँ और प्रोत्साहन प्राप्त कर सके और इस तरह समस्त समाज की उन्नति और भलाई के कार्यों में अधिकतम योगदान कर सके। बीसवीं शताब्दी के मध्यवर्ती काल के इन प्रारम्भिक वर्षों में आज सामाजिक सेवाकार्य इसी स्थिति में है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

पुस्तकें और पुस्तिकाएँ

एडिथ एबाट—सोशल वेलफेयर एण्ड प्रोफेशनल एजुकेशन (संशोधित संस्करण)—शिकागो, युनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, १९४२।

—सम अमेरिकन पायोनियर्स इन सोशल वेलफेयर—शिकागो, युनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, १९३७।

क्लीमेण्ट एटली—ऐज इट हैपेण्ड—न्यूयार्क, वाइकिंग प्रेस, १९५४।

जेनेट बेवरिज—बेवरिज एण्ड हिज प्लैन—लन्दन, हाडर एण्ड स्टाउटन, १९५४।

हर्बर्ट बिस्नो—द फिलासोफी आफ सोशल वर्क—वाशिंगटन, डी. सी., पब्लिक अफेयर्स प्रेस, १९५२।

(१२) अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवाकार्य के क्षेत्र में संचालित कार्यक्रमों और सुविधाओं के पूर्ण विवरण की सूचना के लिए देखिए—"इण्टरनेशनल सोशल वर्क"—सोशल वर्क ईयर बुक, १९५४, पृष्ठ २६६–२८५।

ईस्थर लूसिले ब्राउन—सोशल वर्क ऐज ए प्रोफेशन—न्यूयार्क रसेल सेज फाउण्डेशन, १९४२।

फ्रैन्क जे० ब्रुनो—ट्रेण्ड्स इन सोशल वर्क ऐज रिफ्लेक्टेड इन प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल कान्फ्रेंस आफ सोशल वर्क, १८७४–१९४६—न्यूयार्क, कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस, १९४८।

मार्गरेट कोल—बीट्रिस वेब—न्यूयार्क, ऐप्लेटन-सेंचुरी, १९४०।

डेविड जी० फ्रेञ्च—ऐन ऐप्रोच टु मेजरिंग रिज़ल्ट्स इन शोसल वर्क—न्यूयार्क, कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस, १९५२।

जोसेफाइन गोल्डमार्क—इम्पेशेण्ट क्रूसेडर—अर्बाना, इलिनॉय, युन्विर्सिटी आफ इलिनॉय प्रेस, १९५३, (अन्तिम अध्याय फ्लोरेन्स केली द्वारा लिखित।)

अर्नेस्ट वी० हालिस और एलिस एल० टेलर—सोशल वर्क एजुकेशन इन द युनाइटेड स्टेट्स—न्यूयार्क, कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस, १९५१।

जे० मैकवी हण्ट और लियोनार्ड एस० कागन—मेजरिंग रिज़ल्ट्स इन सोशल केस-वर्क–न्यूयार्क, फेमिली सर्विस एसोसियेशन आफ अमेरिका, १९५०।

कोरा कैसियस—नान्सी क्लार्क : सोशल वर्कर—न्यूयार्क, डाड, मीड एण्ड कम्पनी, १९४९।

———(सम्पादन)—न्यू डाइरेक्शन इन शोसल वर्क—न्यूयार्क, हार्पर एण्ड ब्रदर्स, १९५४।

पोर्टर आर० ली—सोशल वर्क ऐज काज़ एण्ड फक्शन—न्यूयार्क, कोलम्बिया, युनिवर्सिटी प्रेस, १९३७।

हेलेन ई० मार्शल—डोरोथिया डिक्स : फारगाटेन सेमैरिटन—चैपेल हिल, युनि-वर्सिटी आफ नार्थ कैरोलिना प्रेस, १९३७।

एलिज़ाबेथ जी० मीयर—ए हिस्ट्री आफ द न्यूयार्क स्कूल आफ सोशल वर्क—न्यूयार्क, कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस, १९५४।

द आउटलुक फार वीमेन इन सोशल वर्क—जेनरल समरी—सोशल वर्क सिरीज बुलेटिन, सं० २३५–८, वीमेन्स ब्यूरो, यू० एस० डिपार्टमेण्ट आफ लेबर, वाशिंगटन, डी० सी०, १९५२। देखिए उसी माला में प्रकाशित—द आउटलुक फार वीमेन इन सोशल केस वर्क इन ए मेडिकल सेटिंग—सं० २३५–१, सन् १९५०।—द आउटलुक फार वीमेन इन सोशल केस वर्क इन ए साइकियाट्रिक सेटिंग, सं० २३५–२, १९५०।—द आउटलुक फार वीमेन इन सोशल केस वर्क विथ चिल्ड्रेन, सं० २३५–३, १९५१।—द आउटलुक फार वीमेन इन कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन इन सोशल वर्क, सं० २३५–५,

१९५१। द आउटलुक फार वीमेन इन सोशल वर्क ऐडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग, एण्ड रिसर्च; संख्या २३५–६, १९५१।—द आउटलुक फार वीमेन इन सोशल ग्रुप वर्क, सं० २३५–७, सन् १९५१।

जी० ब्रामले आक्सनम—पर्सनैलिटीज़ इन सोशल रिफार्म—नाशविले, टेनेसी, एबिंगडन—कोक्सबरी प्रेस, १९५०।

केनेथ एल० एम० प्रे— सोशल वर्क इन ए रिवोल्यूशनरी एज—फिलाडेल्फिया, युनिवर्सिटी आफ पेन्सिलवानिया प्रेस, १९४९।

पब्लिक सोशल वेलफेयर परसानेल—युनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेण्ट आफ हेल्थ, एजुकेशन एण्ड वेलफेयर; वाशिंगटन, डी० सी० १९५३।

बर्था सी० रेनाल्ड्स—लर्निंग एण्ड टीचिंग इन द प्रैक्टिस आफ सोशल वर्क—न्यूयार्क, फैरार एण्ड राइनहार्ट, १९४२।

—सोशल वर्क एण्ड सोशल लिविंग, न्यूयार्क, सिटेडल प्रेस, १९५१।

राबर्ट ई० शेरवुड—रूजवेल्ट एण्ड हापकिन्स : एन इण्टिमेट हिस्टरी—न्यूयार्क, हार्पर एण्ड ब्रदर्स, १९४८।

मेरी क्रिसबरी सिमखोविच—हियर इज गाड्स प्लेण्टी—न्यूयार्क, हार्पर एण्ड ब्रदर्स, १९४९।

सोशल वर्क ऐज ह्यूमन रिलेशन्स—ऐनिवर्सरी पेपर्स आफ द न्यूयार्क स्कूल आफ सोशल वर्क एण्ड द कम्युनिटी सर्विस सोसाइटी आफ न्यूयार्क—न्यूयार्क, कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस, १९४९।

सोशल वर्कर्स इन १९५० : ए रिपोर्ट आन द स्टडी आफ सैलरीज एण्ड वर्किंग कण्डिशन्स इन सोशल वर्क, १९५०—न्यूयार्क, अमेरिकन एसोसियेशन आफ सोशल वर्कर्स, १९५०।

बिट्रिस वेब्ब—माई अप्रेन्टिसशिप—लन्दन एण्ड न्यूयार्क, लांगमैन्स, ग्रीन एण्ड कम्पनी, १९२६।

बिट्रिस वेब्ब (बारबेरा ड्रेक एण्ड मारगरेट कोल द्वारा सम्पादित)—आवर पार्टनरशिप—न्यूयार्क, लांगमैन्स, ग्रीन एण्ड कम्पनी ,१९४८।

हेलेन एल० विटमेर—सोशल वर्क, ऐन एनलिसिस आफ ए सोशल इन्स्टीच्यूशन—न्यूयार्क, फारर एण्ड रिनेहार्ट, १९४२।

महत्त्वपूर्ण लेख

स्वीथन ओ० एम० आई० बावर्स—"सोशल वर्क एण्ड द सोशल वर्कर इन द नेक्स्ट

हाफ सेन्च्युरी"—सोशल वर्क जर्नल, जिल्द, ३३, अक्तूबर १९५२, पृष्ठ १६७–१७१, २००।

इलोनर काकेरिल—"द इन्टरडिपेन्डेन्स आफ द प्रोफेशन्स इन हेल्पिग पीपुल"—सोशल केस वर्क, जिल्द ३४, नवम्बर १९५३, पृष्ठ ३७१–३७८।

विलियम ई० गार्डन—"द प्रोफेशनल बेस आफ सोशल वर्क रिसर्च—सम एसेन्शल एलिमेण्ट्स"—सोशल वर्क जर्नल, जिल्द ३३, जनवरी १९५२, पृष्ठ १७–२२।

डोनाल्ड एस० हावर्ड—"द कामन कोर आफ सोशल वर्क इन डिफरेन्ट कन्ट्रीज़"—सोशल वर्क जर्नल, जिल्द ३२, अक्तूबर १९५१, पृष्ठ १६३–१७१।

हर्बर्ट एच० स्ट्रूप—"दि यूज़ आफ बायोग्रैफी इन प्रोफेशनल सोशल वर्क एजुकेशन"—सोशल केस वर्क, जिल्द ३३, मई १९५२, पृष्ठ १७९–१८६।

राल्फ डब्ल्यू० टिलर—"डिस्टिन्कटिव ऐट्रीब्यूट्स आफ एजुकेशन फार द प्रोफेशन"—सोशल वर्क जर्नल, जिल्द ३३, अप्रैल, १९५२, पृष्ठ ५५–६२, ९४।

—:०:—

पारिभाषिक शब्दावली

(अंग्रेजी से हिन्दी)

A

Abnormal—असामान्य, अपसामान्य
Academic—शैक्षणिक
Academic year—शैक्षणिक वर्ष
Acceleration—त्वरण
Activity—क्रिया
Activities—क्रिया-कलाप
Adequacy—प्रर्याप्तता
Adjustment—समायोजन, समानुरूपण
Adjustment Committee—समायोजन-समिति, समानुरूपण-समिति
Administrative Office—प्रशासन कार्यालय
After-care—चिकित्सोत्तर देख-भाल
Age group—आयु-वर्ग
Age-group Council—आयुवर्गीय समिति
Agent—अभिकर्ता
Aging—वृद्धता
Aide—सहायक अधिकारी
Alacrity—तत्परता
Alley—क्रीड़ा-भूमि, खेल का मैदान
Alms House—दानगृह, अनाथालय
Alternates—प्रत्यावर्ती प्रतिनिधि
Altruism—परार्थ-भावना
American Association of Psychiatric Social Workers—संयुक्तराज्य मनश्चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता-संघ
American Association of Schools of Social Work—संयुक्तराज्य सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालय-संघ
American Association of Social workers—संयुक्तराज्य सामाजिक कार्यकर्ता-संघ
American Public Welfare Association—संयुक्तराज्य जनकल्याण-संघ
Annotation—टिप्पण-लेखन, टिप्पणी
Anomalous—संगतिविहीन, असंगत
Annual Report—वार्षिक कार्य-विवरण
Antagnism—विरोध, शत्रुता
Anthropology—मानव-विज्ञान
Apparatus—उपकरण, यन्त्र
Appendicitis—उण्डक शोथ (अपेण्डिसाइटिस)
Apprenticeship—प्रशिशिक्षुता
Approach—उपागम
Appropriation—विनियोजन
Approved—स्वीकृत, स्वीकृति-प्राप्त
Arbiter—निर्णयकर्ता, मध्यस्थ
Armistice—युद्ध-विराम
Arteriosclerosis—धमनी-काठिन्य
Arthritis—सन्धि-शोथ
Assembly—सभा, विधान-सभा
Asset—परिसम्पत्ति
Assign—कार्य-निर्देश, काम सौंपना
Assignment—निर्दिष्ट कार्य, अधिन्यस्त कार्य

Asistant to the Superintendent—अधीक्षण-सहायक
Associate Group—सहयोगी संस्था, सहयोगी समूह
Asthma—दमा
Athletic Director—व्यायाम-निदेशक
Attendance Officer—उपस्थिति अधिकारी
Attitude—अभिवृत्ति, दृष्टिकोण
Audit—लेखापरीक्षा
Auspices—तत्त्वावधान
Authority—प्राधिकार, प्राधिकारी
Authorized—अधिकृत, प्राधिकृत
Autonomous—स्वायत्त, स्वतंत्र
Avocation—धन्धा, उद्योग
Award—पुरस्कार
Awareness—जागरूकता, परिज्ञान।

B

Baccalauriate Degree—स्नातक-उपाधि, विश्वविद्यालय की प्रथम उपाधि
Back slide—पाप में फँसना
Bacteriology—जीवाणु-विज्ञान
Bacteriologist—जीवाणु-वैज्ञानिक
Balance—सन्तुलन
Banner—नामांकित ध्वज, विज्ञप्ति-पट
Barrack—बैरक
Bed Rock—मूल सिद्धान्त
Beneficiary—हिताधिकारी
Benefit—लाभ, बीमा-लाभ
Benign—अघातक, अतीव्र
Biennial—द्विवार्षिक
Bio-chemistry—जीव-रसायन-शास्त्र
Biological—जैव, जीव-वैज्ञानिक
Bio-physics—जीव-भौतिकी
Biopsy—जीवोतिपरीक्षा
Blade—फलक
Blight—मुरझा देना, वृद्धिका ह्रास करना
Blithely—खुशीसे
Blotch—छाल
Block System—खण्ड-पद्धति
Boarding home—आवास-गृह
Board of Charity—धर्मादा-परिषद्, दान-परिषद्
Board of Directors—निदेशक-मण्डल
Board of Education—शिक्षा-परिषद्
Board of Guardians—अभिभावक-परिषद्
Board of Managers—प्रबन्धक-परिषद्
Board of Trade—व्यवसाय-परिषद्
Body—निकाय, सभा
Boxing Match—मुष्टि-युद्ध-प्रतियोगिता
Boys Club—बाल-क्लब
Brace—पट्टी
Budget—आय-व्ययक
Bulletin—बुलेटिन, विज्ञप्ति
Bureau—केन्द्र, कार्यालय, परिषद्
Bureau of Census—जनगणना-कार्यालय
Bureau of Prisons—कारागार-कार्यालय
By-laws—उपनियम

C

Callousness—क्रूरता, कठोरता
Cancer—कैन्सर, कर्क
Care—देख-भाल, सेवा
Careholder—पालन-गृह-स्वामी, पालक-गृहस्वामी या पालिका गृहिणी
Cardiology—हृदय-विज्ञान
Cardiovas-cular Disease—हृद्-वाहिका-रोग
Case-consultant—सेवाकार्य-परामर्शदाता
Case-history—वैयक्तिक जीवन-वृत्त
Case load—कार्यभार, सेवाकार्य-भार

Case-record—व्यक्ति-वृत्त-अभिलेख
Case-worker—वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता
Casual Labor—अनियमित मजदूरी
Catatonic state—कैटेटोनियाकी स्थिति
Ceramics—मृत्तिका-शिल्प
Cerebral Hemorrhage—मस्तिष्क-रक्त-स्राव
Certificate—प्रमाण-पत्र
Cervical—ग्रैव, ग्रीवा-सम्बन्धी
Channel—सरणि, माध्यम
Chapter—शाखा, अध्याय
Chater—शासन-पत्र, चार्टर
Charitable Agency—दान-अभिकरण, परार्थ-अभिकरण
Charity Organization Society—दान-संघटन-समिति
Check—जॉच-पड़ताल, अवरोध
Chest—दानादाय, दान-पेटिका
Child Guidance Clinic—बाल-निर्देशन-स्वास्थ्य-गृह
Child Labor Law—बाल-श्रम कानून
Children's Aid Society—बाल-सहायता समिति
Child Bureau—बाल-सहायता-केन्द्र
Children's Charter—बाल-कार्य-शासन-पत्र
Children's Home—बाल-निकेतन बाल-गृह
Child Welfare League of America—संयुक्त राज्य-बाल-कल्याण-परिषद्
Child Welfare Service—बाल-कल्याण-सेवा
Chronic—चिरकालिक, जीर्ण
Circulation—परिसंचार
Citizen's Association—नागरिक-संघ
City Government—नगर-शासन
Civic Centre—नागरिक-केन्द्र
Civil Service—नागरिक सेवा, असैनिक सेवा
Civil Works Administration—असैनिक-श्रम-प्रशासन
Classification Clinic—वर्गीकरण-चिकित्सालय
Classification Committee—वर्गीकरण-समिति
Clearing House—निकासी-कार्यालय, समाशोधन-गृह
Client—सेवार्थी
Code of Ethics—आचार-संहिता
Coed—सहपाठिनी
Cohesive Whole—संश्लिष्ट इकाई
Colitis—बृहद् अन्त्र-शोथ
Colleteral—आनुषंगिक
Combat Division—लड़ाकू सैन्य-प्रभाग
Combustion—दहन-इंजन
Commissary—सामग्री-अधिकारी
Committee on Administration Management—प्रशासन-प्रबन्ध-समिति
Communicant—ईसाई सम्प्रदायमें दीक्षित होनेवाला, सम्प्रदाय-दीक्षित
Communication—सम्प्रेषण, संचार
Community centre—सामुदायिक केन्द्र
Community Chest—सामुदायिक दानादाय, सामुदायिक दान-पेटिका
Community Dynamics—सामुदायिक गति-विज्ञान
Community House—सामुदायिक भवन
Community Organization—सामुदायिक संघटन
Community Oraganization Worker—सामुदायिक संघटन-कार्यकर्ता
Community Planning Council—सामुदायिक योजना-समिति

Community Welfare Council—सामुदायिक कल्याण-समिति
Compatible—अविरोधी
Complex—जटिल
Component—अवयव, संघटक अवयव
Compute—गणना करना
Concept—धारणा, मान्यता
Conduct—संचालन, आचरण
Conference—परामर्श गोष्ठी, विचार-विमर्श, सम्मेलन
Confinement—कारावास, परिरोध
Confounded—हतबुद्धि
Conformity—नियम परायणता
Configuration—सापेक्षिक व्यवस्था
Conservation—संरक्षण
Consistent—अनुरूप
Constitution—संविधान
Contributory Pension—अंशदान-वृत्ति
Convalescent Hospital—स्वास्थ्य-लाभ-अस्पताल
Co-operative work—सहकारी कार्य
Co-ordination—समन्वय
Co-operative Group—सम्मिलित समूह सहयोगी समूह
Correctional Services—सुधारात्मक सेवाएँ
Correlate—समवाय-सम्बन्ध स्थापित करना
Corresponding Secretary—तत्स्थानी मंत्री
Cortisone—कार्टीजोन
Council of Social Agencies—सामाजिक अभिकरण-समिति
Council of Social Education—सामाजिक शिक्षा-समिति
County—जनपद
Couty welfare Department—जनपद-कल्याण-विभाग
Course—पाठ्यक्रम
Court—न्यायालय
Covered Employment—पूर्व-निर्धारित रोजगार
Coveted—वांछित, इच्छित
Criminal Court—आपराधिक न्यायालय, फौजदारी कचहरी
Criminal justice—आपराधिक न्याय
Crippled—विकलांग
Criteria—निकष, कसौटी
Critical—गम्भीर
Cross-Examination—जिरह
Cross-Section Community—विभिन्न वर्गीय समुदाय
Crutch—अवलम्बन, बैसाखी
Cub-Scouts—शेर-बच्चा-बालचर दल, शिशु-बालचर
Cumulative—संचित
Curriculum—पाठ्यचर्या
Current—सामयिक
Custodial Officer—अभिरक्षा-अधिकारी
Custodian—अभिरक्षक

D

Dairy—दुग्धशाला
Data—तथ्य, सामग्री
Dating—डेटिंग, समय निश्चित करके पर-स्त्री-पुरुषका बाहर घूमने-फिरने जाना
Day Centre—दिवा-केन्द्र, दिवस-केन्द्र
Degenerative—अपकर्षी
Decipher—अस्पष्ट लिपि बाँचना
Decode—संकेत-वाचन
Defence—रक्षा, प्रतिरक्षा
Defence Department—रक्षा-विभाग, प्रतिरक्षा-विभाग
Defence Project—रक्षा-प्रायोजना, सैन्य-प्रायोजना

Degree—उपाधि, मात्रा
Delegate—प्रतिनिधि
Delegate Member—प्रतिनिधि सदस्य
Delegate Body—प्रतिनिधि निकाय, प्रतिनिधि-सभा
Demography—जनांकिकी
Demote—पदावनत करना
Demur—आपत्ति करना, आगा-पीछा करना
Denominational—साम्प्रदायिक
Departmet of Pupil, Personnel and counseling—छात्र-कर्मचारी परामर्श-विभाग
Department of Public Welfare—जन-कल्याण-विभाग
Department of Social Werfare—सामाजिक कल्याण-विभाग
Department of School Social Services—विद्यालयीय सामाजिक सेवा-विभाग
Dependibility— पराश्रयता, परनिर्भरता, भरोसा
Depository—संग्रहागार
Depressed—अवसादग्रस्त
Deputy Keeper—सहायक अधीक्षक, सहायक पालक
Desertion—उत्तरदायित्व-त्याग, पलायन
Destructive—हानिकर, ध्वंसात्मक
Detention—नजरबन्दी
Detention Home—नजरबन्दी गृह
Determinism—नियतिवाद
Diabetes—मधुमेह
Diagnosis—निदान
Diagnostic—नैदानिक, निदान-सम्बन्धी
Dictum—सिद्धान्त-वाक्य
Dietician—आहार-विशेषज्ञ
Differential Gear—भिन्नक गियर
Digestion—पाचन-क्रिया
Dignity—गरिमा, प्रतिष्ठा
Dilemma—द्विविधा, संशय
Direction—निदेशन
Director—निदेशक
Directory—निदेशिका, निदर्शिका
Disable—अक्षम
Dis-abled—अक्षम
Dis-charge—सेवामुक्त, मुक्त, रिहा
Disciplinary—आनुशासनिक, अनुशासन-सम्बन्धी
Dismiss—निष्कासन, पदच्युति
Division—प्रभाग, श्रेणी
Division of child welfare—बाल-कल्याण-प्रभाग
Division of Special Services—विशिष्ट सेवा-प्रभाग
Document—प्रलेख
Doity—छोटा रुमाल
Dolt—मूर्ख
Domestic Relation Court—पारिवारिक सम्बन्ध-न्यायालय
Draft—आलेख, प्रारूप
Drive—प्रयास, उद्योग, यत्न
Drive-shaft—चालन-दण्ड
Dynamic—गतिक, गत्यात्मक
Dystrophy—दुष्पोषण

E

Echeton—सोपानक, श्रेणी
Eczema—उकँवत
Educational—शैक्षिक, शैक्षणिक, शिक्षात्मक
Educational Process—शिक्षात्मक प्रक्रिया
Elaborate—विवृत, विस्तृत
Eligibility—पात्रता

Emergency—आपात, आपाती संकटकालीन
Emergency Basis—आपाती आधार, आपत्कालीन आधार
Emergency Period—संकटकाल, आपत्-काल, आकस्मिक स्थिति
Emergency Meeting—आपाती बैठक
Emergency Relief Act—आपाती सहायता कानून
Emotion—भाव, संवेग
Employer—मालिक, स्वामी
Employment Office—रोजगार-दफ्तर
Eneuresis—अनैच्छिक मूत्रस्राव
Enterprise—उद्यम
Enunciation—प्रतिपादन, प्राव्यापन, प्रारम्भ
Environment—पर्यावरण, परिवेश
Episcopal Service for Youth—धर्माध्यक्षीय युवक सेवा-समिति
Equanimity—संतुलन, धैर्य
Equipment—उपकरण, साज-सामान, परि-पूर्ति
Equity—साम्य
Etiology—हेतु-विज्ञान, हेतुकी
Evacuation—निष्क्रमण, खाली करना
Evaluation—मूल्यांकन, आकलन
Evolution—विकास-प्रक्रिया
Exchange—विनिमय
Exchange Arrangments—विनिमय-व्यवस्था
Executive—कार्यकारी
Exeutive Committee—कार्यकारिणी-समिति
Executive Officer—कार्यकारी अधिकारी, कार्याधिकारी, अधिशासी अधिकारी
Executive Order—कार्यान्वयन आज्ञा, अधिशासी आज्ञा
Exhaustion Centre—क्लान्ति-केन्द्र
Exibit—प्रदर्शनीय वस्तु
Extent—विस्तार-सीमा

F

Facc Sheet—मुख पृष्ठ
Facetous—हास्यास्पद
Facile—सुगम
Factor—घटक, तथ्य, कारण
Family Agency—पारिवारिक अभिकरण
Family Case-work—परिवारगत वैयक्तिक सेवाकार्य
Family Court—पारिवारिक न्यायालय
Family Foster-care—परिवारगत पालन-सेवा
Family Service Agency—पारिवारिक सेवा-अभिकरण
Family Service Association of America—संयुक्तराज्य पारिवारिक सेवा-संघ
Family Service Society—पारिवारिक सेवा-समिति
Family Society—पारिवारिक सहायता-समिति
Federal Department of Public welfare—संघीय जन-कल्याण-विभाग
Federal Government—संघीय-शासन, संघ-सरकार
Federal Security Administration संघीय सुरक्षा-प्रशासन
Federal Security Agency—संघीय सुरक्षा-अभिकरण
Federation of Social Agencies—सामाजिक अभिकरण-संघ
Fee—शुल्क
Feeling—भावना
Fellow-ship—शिक्षा-वृत्ति

Fend—व्यवस्था करना
Fervid—दृढ़
Field Intstruction—व्यावहारिक कार्य-शिक्षण, क्षेत्रीय-कार्य-शिक्षण
Field Secretary—व्यावहारिक कार्य-मन्त्री (मन्त्रिणी), क्षेत्रीय-कार्य-मन्त्री (मन्त्रिणी)
Field Training—व्यावहारिक-कार्य प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्य-प्रशिक्षण
Field Work—व्यावहारिक कार्य, क्षेत्रीय कार्य
Field Worker—व्यावहारिक कार्यकर्ता, क्षेत्रीय कार्यकर्ता
File—मिसिल
Finance—वित्त
Financial Federation—वित्तीय संघ
Focus—ध्यान-केन्द्र
Folk-ways—लोकरीति
Form—विधा, रूप
Foster care—पालन-सेवा
Foster Home—पालन-गृह
Foster Home Placement—पालन-गृह में व्यवस्थापन
Fraternal—बिरादरी-सम्बन्धी, भ्रात्रीय
Frustration—नैराश्य, कुण्ठा, वंचना
Function—आयोजन, समारोह

G

Gasoline—गैस-नलिका
Gastric Ulcer—आमाशय-व्रण
General Conference— महासम्मेलन महाधिवेशन
Generalization—सामान्यीकरण, साधारणीकरण
Geriatrics—जराव्याधि-चिकित्सा-शास्त्र
Gerontology—वृद्ध-रोग-विज्ञान
Gland—ग्रन्थि
Glandular—ग्रन्थि सम्बन्धी, ग्रन्थिल
Glandular Disfunction—ग्रन्थिल क्रियाहीनता
Graduate—स्नातक
Grant-in-aid—सहायतानुदान, अनुदान
Groove—लीक, प्रणाली
Ground Parole—क्षेत्रीय पेरोल
Group Discussion—सामूहिक विचार-विमर्श, सामूहिक विवाद-गोष्ठी
Group Home—सामूहिक आवास-गृह
Group Therapy—सामूहिक चिकित्सा
Group Work—सामूहिक सेवा-कार्य, समूहगत सेवा-कार्य
Group Work Agency—सामूहिक कार्य-अभिकरण
Group Worker—सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता
Guard—अभिरक्षण, अभिरक्षक
Guidance—निर्देशन
Guidance Bureau—निर्देशन-केन्द्र
Gynaecology—स्त्रीरोग-विज्ञान

H

Habeaus Corpus—बन्दी-प्रत्यक्षीकरण
Hall—सभाकक्ष
Handicapped—अवरोधग्रस्त, बन्धित
Hang out—मिलना-जुलना
Hay Fever—परागज-ज्वर
Health Insurance—स्वास्थ्य-बीमा
Helping-learning Process—सहायता-ज्ञानार्जन-प्रक्रिया
History Interview—जीवनवृत्त-साक्षात्कार
Hoax—छल, चाल
Hobby—शौक, अभिरुचि
Home for the Aged—वृद्धावास, वृद्ध-निवास-गृह

N

National Association of Housing officials—राष्ट्रीय आवास-अधिकारी संघ

National Association of Societies for Organizing Charity—राष्ट्रीय-दान-संघटन-समिति-संघ

National Charity and Correction-Conference—राष्ट्रीय दान एवं सुधार-सम्मेलन

National Civic Fedration—राष्ट्रीय नागरिक-संघ

National Committee of Visiting Teachers—राष्ट्रीय अतिथि-अध्यापक-समिति

National Conference of Social Work—राष्ट्रीय सामाजिक सेवा-कार्य सम्मेलन

National Federation of Settlement राष्ट्रीय व्यवस्थापन-संघ

National Federation of Settlements and Neighbourhood Centres राष्ट्रीय व्यवस्थापन एवं पड़ोस-केन्द्र-संघ

National Selective Service System—राष्ट्रीय सैनिक-चुनाव-सेवा-परिषद्

National Social Welfare Assembly—राष्ट्रीय समाज-कल्याण-सभा

Native—सहजात, नैसर्गिक

Neighbourhood Council—महल्ला-समिति, पड़ोस-समिति

Nephritis—गुर्दाशोथ

Nervous System—तन्त्रिका-तन्त्र, स्नायु-तन्त्र

Neuro-psychiatric Dis-order—स्नायविक मनोविकृति

Neurology—तन्त्रिका-विज्ञान

Neurosis—उन्माद, आधि

Niggardly—मितव्ययी

Nodule—ग्रन्थि, गिल्टी

Nomination—नामांकन, मनोनयन

Nonprofit—निःस्वार्थ

Normal—सामान्य, स्वाभाविक

Normalcy—सामान्यता

Notation—संकेतन

Nub—विषय

Nursing—उपचर्या

O

Objective—वस्तुनिष्ठ

Objectivity—वस्तुपरकता

Observation—प्रेक्षण, पर्यवेक्षण

Observer—प्रेक्षक, पर्यवेक्षक

Obsession—मनोग्रस्तिरोग, कुण्ठा

Obsolescent—लोपोन्मुख, अप्रचलनोन्मुख

Obsolete—अप्रचलित, लुप्त, अप्रयुक्त

Obstretics—प्रसूति-विज्ञान

Occupational Therapy—व्यावसायिक चिकित्सा

Officials—अधिकारी-वर्ग

Official Delegate—आधिकारिक प्रतिनिधि

Old Age and Survivors Insurance वृद्धावस्था एवं उत्तराधिकारी बीमा

Old Folks Home—वृद्धावास, वृद्ध-निवासगृह

Open Forum—मुक्त वाक्पीठ, खुला मंच

Operation—शल्य-चिकित्सा

Ophthalmology—नेत्रचिकित्सा-विज्ञान

Optimum—अनुकूलतम, सर्वोत्तम

Orientation—पुनर्नवीकरण

Orthopedics—विकलांग-चिकित्सा

Otolaryngology—कर्ण-रोग-चिकित्सा

Outing—सैर
Overlapping—परस्परव्यापी
Oversimplification—अतिसरलीकरण

P

Paid—सशुल्क, वैतनिक
Panic—आतंक
Parents Night—अभिभावक सम्मिलन-उत्सव
Parent - Teacher - Association—अभिभावक-अध्यापक-संघ
Parlance—बोलचाल की शब्दावली
Parliamentary Procedure—संसदीय पद्धति
Parolee—वचनबद्ध कारावकाश-मुक्त अभियुक्त, पेरोल पर छूटा व्यक्ति
Parole Bureau—पेरोल-कार्यालय, कारावकाश-कार्यालय
Parole-office—कारावकाश - अधिकारी, पेरोल-अधिकारी
Part-time Job—अंशकालिक काम
Pastoral Psychiatry—धर्मोपदेशकीय मनश्चिकित्सा
Pathology—रोग-विज्ञान
Patriarchal State—पितृ-सत्ताक राज्य-व्यवस्था
Pediatrics—बालरोग-विज्ञान
Peer—साथी
Penal Institution—दण्ड-संस्था
Penitentiary—बन्दी-सुधार-गृह
Pent-up—नियंत्रित, अवरुद्ध
Perfunctory—उदासीन, लापरवाह
Perphery—परिधि, परिमा
Perplexity—परेशानी,
Personnel—कार्मिक, कर्मचारी-वर्ग
Personnel Officer—कार्मिक-अधिकारी
Personality—व्यक्तित्व
Pest—पीड़क, बाधा
Phase—अवस्था, प्रावस्था
Phobia—भीति, भय
Physiology—शरीर-विज्ञान
Picnic—सैर-सपाटा
Pituitary Gland—पीयूष ग्रन्थि
Placement—काम देना, कार्यनिर्धारण, कार्य-व्यवस्थापन
Placing—व्यवस्थापन
Platform—मंच
Pledge to Children—बाल-कार्य प्रतिज्ञा-पत्र
Plight—दुर्दशा
Pneumonia—फुफ्फुस-दाह
Pneumothorax—वातिल-वक्ष
Policy Statement—नीति-वक्तव्य
Poliomyelitis—शिशु-पक्षाघात, पोलिओ
Pool—स्नान-कुण्ड
Poor Farm—निर्धन-कृषिफार्म
Poor House—निर्धन-आवास-गृह
Position—पद
Positive—विधेयात्मक
Postencephalitis—उत्तर मस्तिष्क-शोथ रोग
Philanthropic School—लोकोपकार-विद्यालय
Practice—व्यवहार, पेशा, कार्य
Precedence—पूर्व निदर्शन, नजीर
Preceding—पूर्वगामी
Predatory—उपद्रवी (परभक्षी)
Preference—वरीयता
Prejudice—पूर्वग्रह
Pre-placement period—पूर्व-व्यवस्थापन-काल
Pre-social work Course—पूर्व-सामाजिक सेवाकार्य-पाठ्यक्रम

Prevention—निवारण, निरोध
Preventive Service—निवारक-सेवा, निरोधक-सेवा
Primal—बुनियादी
Private Residence Care—निजी आवास-व्यवस्था-सेवा
Probation—परिवीक्षा
Probotionary Period— परिवीक्षा-अवधि
Probationer—परिवीक्षाधीन व्यक्ति
Probation Department—परिवीक्षा-विभाग
Problem-child—समस्या-बालक
Proceeding—कार्यवाही, कार्य-विवरण
Procedure—क्रिया-विधि, पद्धति
Process—प्रक्रिया
Productivity—रचनात्मकता, उत्पादन-शक्ति
Production—उत्पादन
Profession—वृत्ति, पेशा
Professional Genius—वृत्तिक कौशल
Profession Membership Association—वृत्तिक-सदस्य-संघटन
Professional Organization—वृत्तिक संघटन
Professional Skill—वृत्तिक कौशल
Professional Social Work—वृत्तिक सामाजिक सेवाकार्य
Professional Social Worker—वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता
Proficiency—प्रवीणता
Prognosis—फलानुमान
Project—प्रायोजना
Projection—प्रक्षेपण
Project Method—प्रक्षेप-पद्धति
Promote—पदोन्नति करना
Promotional Process—उन्नयनात्मक प्रक्रिया
Propinquity—सान्निध्य-सम्बन्ध
Prosecuting Attorney—अभियोजक अटार्नी
Protection—संरक्षण
Protective Services—संरक्षणात्मक सेवाएँ
Proviso—शर्त, प्रतिबन्ध
Psyche—मन
Psychological clinic—मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य-गृह
Psychometric—मनोमितिक
Psychometry—मनोमिति
Psychosis—मनोविक्षिप्ति, मनोविक्षेप
Psycho-somatic—मनःशारीरिक
Public Assistance—राजकीय सहायता
Public Assistancl Worker—राजकीय सहायता-कार्यकर्ता
Public Education Association—लोक-शिक्षा-संघ
Public Servie—राजकीय सेवा, लोक सेवा
Public Work House—राजकीय श्रम-गृह, राजकीय श्रमालय
Purpose—उद्देश्य
Prosecution—अभियोजन

Q

Qualification—अर्हता, योग्यता
Quarantere—संग-रोध
Quarter—निवास-स्थल
Questionnaire—प्रश्न-पत्रक

R

Reality—वास्तविकता
Recency—अधुनातनता
Receptionist—स्वागतकर्ता

Reception Unit—स्वागत-दल, स्वागत-यूनिट
Recommendation—संस्तुति
Reconstruction Finance Corporation—पुनर्निर्माण-वित्त-निगम
Record—वृत्त, अभिलेख
Recreation Director—मनोरंजन निदेशक
Referral—अन्यत्र प्रेषण
Reflex—सहजक्रिया
Reformatory—सुधारालय
Reform school—सुधार-विद्यालय
Refreshment—उपाहार
Refugee—शरणार्थी, विस्थापित
Regimentation—अधिशासन, एकमार्गीकरण
Regional—क्षेत्रीय
Registration Form—पंजी-पत्र
Regulation—नियम, नियमन
Rehabilitation—पुनर्वास
Relativity—सापेक्षता
Relevance—संगति, सम्बन्धता
Relief and Aid Society—सहायता एवं अनुदान समिति
Report—प्रतिवेदन, कार्य-विवरण
Report-card—प्रगति-पत्रक
Representative—प्रतिनिधि
Requirement—आवश्यकता, शर्त अर्हता
Research—अनुसन्धान
Reserch Centr for Group Dynamics—सामूहिक गत्यात्मकता अनुसन्धान-केन्द्र
Reservation—आरक्षण
Resident Programme—आवासी कार्यक्रम
Resident Club—आवासी-क्लब
Resource—साधन, स्रोत
Response—अनुक्रिया
Restaurant—उपाहार-गृह
Retarded—विलम्बित, पिछड़ा हुआ
Retirement—सेवा-निवृत्ति, अवकाश-प्राप्ति
Retribution—प्रतिशोध, प्रतिकार, दण्ड
Revocation—प्रतिसंहरण
Rheumatic Heart—आमवातिक हृदय
Righteous—धर्मपरायण, न्यायपूर्ण
Role—कार्य-भूमिका, कार्य
Rouud—निरीक्षण, दौरा
Rumpus—कोलाहल, हला-गुला

S

Safeguard—सुरक्षोपाय
Salvation Army—निस्तार-सेना, उद्धार-सेना
Sarcoidosis—चर्म-गिल्टी-रोग
Salient—मुख्य, प्रमुख
Scape-goat—कलंकित व्यक्ति
Scare—अकारण भय
Scared—अकारण भयभीत
Scheme—योजना
Scholarship—छात्रवृत्ति
School Counselor—विद्यालयीय परामर्शदाता
School of Philanthropy—लोकोपकार-विद्यालय, लोकहित-विद्यालय
School Social Worker—विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता
Screening—अन्वीक्षण
Segment—अंश, टुकड़ा
Segregation—पृथक्करण, अलगाव, तनहाई
Selective Service System—भर्ती-सेवा-निकाय
Self-government—स्वायत्त-शासन

Semester—अर्द्धवार्षिक सत्र
Seminar—विचार-गोष्ठी
Senate—धारा-सभा
Senior Apartment Hotel—वृद्धावास-कक्ष वाले होटल
Sensitive—संवेदनशील, सुग्राही
Sequelae—अनुप्रभाव
Service—सेवा, सहायता, नौकरी, उपासना
Service Organization—उपासना-संस्था
Session—अधिवेशन, बैठक, कक्षा-भाषण
Settlement House—व्यवस्थापन-गृह
Shiftless—निरुपाय, लाचार
Shop—श्रमालय
Shop-group—दूकानदार-वर्ग
Short Range Project—अल्पकालिक प्रायोजना
Sibling—सहोदर
Situation—स्थिति, परिस्थिति
Skeptical—संशयशील, सन्देहशील
Skill—कौशल
Slum—गन्दी बस्ती
Smoldering—अन्तर्जलन
Social Adjustment—सामाजिक समायोजन, समाजिक सुसंगति
Social Agency—सामाजिक अभिकरण
Social Case-work—सामाजिक व्यक्ति-सेवा-कार्य
Social Ease—सामाजिक सुख-चैन
Social Group Work—सामाजिक समूह-सेवा-कार्य
Social History—सामाजिक जीवन-वृत्त
Social Insurance—सामाजिक बीमा-योजना
Social Inter-group Work—सामाजिक अन्तस्समूह-सेवा-कार्य
Social Maturity—सामाजिक परिपक्वता (प्रौढ़ता)
Social Planning—सामाजिक आयोजना
Social Planning Staff—सामाजिक आयोजना-विभाग
Social Science—सामाजिक विज्ञान, समाज-विज्ञान
Social Sciences—समाज-वैज्ञानिक विषय (शास्त्र)
Social Security Act—सामाजिक सुरक्षा-कानून
Social Security Administration—सामाजिक सुरक्षा-प्रशासन
Social Service Agency—सामाजिक सेवा-अभिकरण
Social Settlement—सामाजिक व्यवस्थापन
Social Welfare—सामाजिक कल्याण-कार्य, समाज-कल्याण
Social Welfare Forum—समाज-कल्याण-वाक्पीठ
Social Work Research Group—सामाजिक सेवा-अनुसंधान-समिति
Social Work Year Book—सामाजिक सेवा कार्य-अब्दकोश
Sociology—समाजशास्त्र
Soma—शरीर
Sound—सुस्थित, सुदृढ़
Sound Movies—सवाक् चलाचित्र
Sparsely Populated—विरल आबादी-वाला
Specialization—विशेषीकरण
Special Teacher—विशेष अध्यापक
Specific—निश्चित, निर्धारित, विशिष्ट
Sponsor—प्रायोजन
Sponsorship—प्रायोजकत्व
Spontanious प्रतिक्रिया
Spur—प्रेरित क

Squealing—मुखविरी
Stablity—स्थायित्व
Staff—कर्मचारी-वर्ग, कार्मिक, विभाग
Staff-conference—कार्मिक-गोष्ठी
Standard—प्रतिमान, मानक
Statistic—सांख्यिकी
Statistical—सांख्यिकीय
Status—प्रतिष्ठा, मर्यादा, पद
Statute—परिनियम, संविधि
Statutory—सांविधिक, परिनियमगत
Step-father—सौतेला पिता
Stigma—दोष, कलंक
Stomach-ulcer—उदर-व्रण
Stricture—कड़ी आलोचना, निन्दा
Structure—ढाँचा, संरचना
Stutterign—तुतलाना
Sub-committee—उपसमिति
Sub-normal—अवसामान्य, अवसाधारण
Subsidy—उपदान, आर्थिक सहायता
Succinct—संक्षिप्त, लघु
Sullenness—विक्षोभ, रोष
Summer Camping—ग्रीष्म-शिविर
Super—महत्तम
Superintendent—अधीक्षक
Supervision—पर्यवेक्षण, परिवीक्षण
Supervised Parole—परिवीक्षित पेरोल
Supervisor—परिवीक्षक, पर्यवेक्षक
Supervisory Personality—परिवीक्षण व्यक्तित्व
Survey—सर्वेक्षण
Swelling—सूजन, शोथ
Symptomatic—लक्षणात्मक
Symptomatology—रोग-लक्षण विज्ञान
Synagogy—यहूदी उपासना-गृह
Syphilis—उपदंश
System—व्यवस्था, पद्धति, निकाय

T

Tag—फीता
Technician—प्रविधिज्ञ
Technical Assistance—प्राविधिक सहायता
Technique—प्रविधि
Terminal Care—सात्रिक देख-भाल
Territory—प्रदेश (संघ-शासित)
Tier—श्रेणी, पंक्ति, विभाग
Therapy—चिकित्सा
Thesis—प्रबन्ध, शोध-प्रबन्ध
Timid—संकोची, भीरु
Timidity—संकोच, भीरुता
Transgression—अतिक्रमण
Transient—एकाकी
Traumatic—अभिघातज
Trend—प्रवृत्ति, झुकाव
Treatment—उपचार
Treatment Centre—उपचार-केन्द्र
Treatment Interview—उपचार-साक्षात्कार
Truancy—पलायन, आवारागर्दी
Truant—आवारा
Truculent—लड़ाकू, झगड़ालू
Tuberculosis—क्षय-रोग
Tumor (Tumour)—गुल्म, गिल्टी

U

Ulcer—नासूर, अल्सर
Unacceptable—अस्वीकार्य, अग्राह्य
Under-graduate—पूर्वस्नातक
Under-privileged—अल्पसुविधा-प्राप्त
Unemployment—बेकारी, बेरोजगारी
Unemployment Insurance—बेकारी का बीमा

Unemloyment Trust Fund—बेकारी न्यास-कोष
Unification—एकीकरण, मिलन
Unit—इकाई, शाखा, विभाग
United Help and Welfare Fund—संयुक्त स्वास्थ्य एवं कल्याण-कोष
United States Children's Bureau—संयुक्तराज्य बाल-सेवा-कार्यालय
Unpaid—निःशुल्क
Upper Middle Class—उच्च मध्य-वर्ग
Urinary System—मूत्र-तंत्र
Urology—मूत्र-रोग-विज्ञान

V

Value—मूल्य, जीवन-मूल्य
Vegetate—निश्चेष्ट होना, निष्क्रिय होना
Vent—प्रकाशन, अभिव्यक्ति
Venture—उपक्रम, साहस
Vertical—उर्ध्वस्तरीय, उर्ध्वाधर
Veteran—सेवा-निवृत्त सैनिक, भूतपूर्व सैनिक
Veteran Administration—सेवा-निवृत्त सैनिक-प्रशासन
Veto—निषेधाधिकार
Victory Gardens—विजय-उद्यान
Vindictiveness—दण्ड-भावना, प्रतिशोध-भावना
Violate—अतिक्रमण करना
Visiting Housekeeper—अतिथि-गृह-कार्य-सहायक
Visiting Teachr—अतिथि अध्याप
Visiting Teacher Project—अतिथि अध्यापक-प्रायोजना
Visitor—आगन्तुक, अतिथि

W

Waiting List—प्रतीक्षक-सूची
Ward—वार्ड, खण्ड
Warden—संरक्षक, खण्डपाल, वार्डन
Wayfarer's Lodge—यात्री-निवास, पद यात्री-निवास, पद-यात्री-संवास
Welfare Agency—समाज कल्याण-अभिकरण
Welfare Federation—समाज-कल्याण-संघ
Well Adjusted—सुव्यवस्थित, सामंजस्य-युक्त
Will—इच्छा-शक्ति, संकल्प
Wing Officer—कक्ष-अधिकारी, टुकड़ी-अफसर
Wood-work—काष्ठ-शिल्प
Work-a-day—कामकाजी, व्यवहारी
Worker—श्रमिक, मजदूर, कार्यकर्ता
Work-house—श्रम-गृह, श्रमालय
Work Relief Activity—श्रम-सहायता-कार्यक्रम
Work Supervisor—श्रम-परिवीक्षक, श्रमनिरीक्षक

(हिन्दी से अंग्रेजी)

अ

अंश—Segment
अंशकालिक काम—Part-time Job
अंशदान-वृत्ति—Contributory Pension
अकारण भय—Scare
अकारण भयभीत—Scared
अक्षम, अपंग—Disabled
अखण्डता—Integrity
अघातक—Benign
अतिक्रमण—Transgression
अतिथि-अध्यापक—Visiting Teacher
अतिथि अध्यापक-प्रायोजना—Visiting Teacher Project
अतिथि-गृहकार्य-सहायक—Visiting Housekeeper
अतिलंघन—Infringement
अतिसरलीकरण—Over-simplification
अधकपारी—Migraine
अधिकृत—Occupied
अधीक्षक—Superintendent
अधीक्षक का सहायक—Assistant to the Superintendent
अधिशासी आज्ञा—Executive Order
अधुनातनता—Rececy
अनगिनत, असंख्य—Myriad
अनिर्धारित, अनिश्चित—Indeterminate
अनुज्ञा-पत्र—Licence
अनुबन्धन, करारबद्धता—Indenture
अनुप्रभाव—Seq. eeae
अनुरक्षण, रखरखाव—Maintenance
अनुरूप—Consistent
अनुशासनिक—Disciplinary
अनुसन्धान—Research
अनैच्छिक मूत्र-स्राव—Eneuresis
अनौपचारिक—Informal
अन्तर्कार्यालय-समिति—Inter-bureau co mmitee
अन्तर्जलन—Smoldering
अन्तर्दृष्टि—Insight
अन्तर्बाधा, आवर्जना—Inhibition
अन्तःसामूहिक, अन्तःसमूह—Inter-group
अन्तःसामूहिक समाज-सेवा-कार्य—Socia Inter-group Work
अन्वीक्षण—Screening
अपकर्षी—Degenerative
अप्रचलित, लुप्तप्रयोग—Obsolete
अप्रचलनोन्मुख, लोपोन्मुख—Obsolescent
अभिकरण—Agency
अभिकर्ता—Agent
अभिघातज—Traumatic
अभिप्रेरण, प्रेरण—Motivation
अभिभावक-अध्यापक-संघ—Guardian-Te

अभियोजक अटार्नी—Prosecuting Attorney
अभियोजन—Prosecution
अभिरक्षक—Custodian
अभिरक्षा-अधिकारी—Cusodial Officer
अभिलेख—Record
अभिवृत्ति, दृष्टिकोण—Attitude
अमेरिकन सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालय-संघ—American Association of Schools of Social Work
अर्धवार्षिक सत्र—Semester
अर्हता, आवश्यकता—Requirement
अलंघनीय—Inviolable
अल्पकालिक प्रायोजना—Short-range Project
अल्प-सुविधा-प्राप्त—Under-privileged
अवरोधग्रस्त, बाधित—Handicapped
अवरोधन-गृह—Detention House
अवसादग्रस्त—Depressed
अवसामान्य, अवसाधारण—Sub-normal
अविरोधी—Comatible
असामान्य, अपसामान्य—Abnormal
असामंजस्य, कुसमंजन—Maladjustment
अस्पताली चिकित्सा कराना—Hospitalization
अस्पष्ट लिपि-वाचन—Decipher
अस्वीकार्य, अग्राह्य—Unacceptable
अहस्तान्तरणीय—Inalienable

आ

आगन्तुक—Visitor
आचार-संहिता—Code of Ethics
आतंक—Panic
आदिवासी इण्डियन-विभागीय कार्यालय—Indian Affairs Bureau
आधिकारिक, सरकारी—Official
आधिकारिक प्रतिनिधि—Official Delegate
आनुषंगिक—Collateral
आपत्ति करना, आगा-पीछा करना—Demur
अपराध—Offence, Crime
आपराधिक न्याय—Criminal Justice
आपराधिक न्यायालय, फौजदारी कचहरी—Criminal Court
आपात, आपाती—Emergency
आपाती आधार—Emergency Basis
आपाती बैठक—Emergency Meeting
आपाती सहायता कानून—Emergancy Relief Act
आपाती स्थिति, संकटकाल—Emergency Period
आप्रवास—Immigration
आमवातिक हृदय—Rheumatic Heart
आमाशय व्रण—Gastric Ulcer
आय-व्ययक—Budget
आयु-वर्ग—Age-group
आयु-वर्गीय-समितियाँ—Age-group Councils
आयोजन, समारोह—Function
आयोजना—Planning
आरक्षण—Reservation
आलेख, प्रारूप—Draft
आवयविक, घटक—Components
आवर्जना, कुंठा—Inhibition
आवारा—Truant
आवारागर्दी—Truancy
आवास-गृह—Boarding House
आवास-शाखा, आवास-यूनिट—Hosing Unit
आवासी-कार्यक्रम—Resident-programme
आवासीय क्लब—Residence Club
आवेग—Impulse

आवेगशील—Impulsive
आहार-विशेषज्ञ—Dietician

इ, ई

इकाई—Unit
ईसाई सम्प्रदायमें दीक्षित—Communicant
ईसाई नवयुवक-संघ—Young Men's christian Association
ईसाई नवयुवती-संघ—Young Women's Christian Association

उ

उकवत—Eczema
उच्च-मध्यवर्ग—Upper Middle Class
उण्डुक शोथ—Appendicitis
उत्तरदायित्व-त्याग, पलायन—Desertion
उद्देश्य—Purpose
उन्नयनात्मक प्रक्रिया—Promotional Process
उत्पादन—Production
उत्पादन-शक्ति—Productivity
उन्माद, आधि—Neurosis
उद्यम—Enterprise
उद्योग—Enterprise, Effort
उल्लंघन—Violation
उदरव्रण—Stomach Ulcer
उदासीन, लापरवाह—Perfunctory
उदाहरण-पाठ—Illustration
उपकरण, यंत्र, यंत्रोपकरण—Apparatus
उपकरण, उपस्कर, साधन—Equipment
उपक्रम—Venture
उपचर्या—Nurse
उपचार—Treatment
उपचार-केन्द्र—Treatment Centre
उपचार-साक्षात्कार—Treatment Interview
उपचारिका—Nurse
उपदान, आर्थिक सहायता—Subsidy
उपद्रवी—Predatory
उपनियम—By-laws
उपसमुदाय—Sub-committee
उपव्यवसाय, धन्धा—Avocation
उपागम—Approach
उपाधि, मात्रा—Degree
उपासना-संस्था—Service Organization
उपाहार—Refreshment
उपाहार-गृह—Refreshment Room, Restaurant
उपस्थिति-अधिकारी—Attendence Officer
उर्ध्वस्तरीय—Vertical

ए

एकीकरण—Unification
एकमार्गीकरण—Regimentation
एकाकी—Transient

औ

औषध—Medicine
औषधीकरण—Medication

क

कक्ष—Wing
कक्ष-अधिकारी—Wing Officer
कक्षा—Class
कक्षा-भाषण—Classroom Lecture, Session
कड़ी आलोचना, कटु निन्दा—Stricture
कण्ठ शोथ—Laryngitis
कनिष्ठ सदस्य—Junior Member
कर्क, कैन्सर—Cancer
कर्ण-रोग-चिकित्सा—Octolaryngology
कर्मचारी—Employee
कर्मचारी-वर्ग, कर्मचारी मण्डल—Staff
कलंक, दोष—Stigma
कलंकित व्यक्ति—Scape-goat

कल्याण—Welfare
कल्याण-कार्य-अभिकरण—Welfare Agency
कानूनी सहायता-समिति—Legal Aid Society
कामकाजी, व्यवहारी—Work-a-day
कारागार-कार्यालय, कारागर-ब्यूरो—Bureau of Prisons
कारावास, कैद—Incarceration
कार्मिक, कर्मचारी-वर्ग—Personnel
कार्मिक-अधिकारी—Personnel Officer
कार्मिक-परामर्श-गोष्ठी—staff Conference
कार्य—Activity, Function. Role, Practice, Work
कार्यकर्ता—Worker, Leader
कार्यकर्ता-प्रशिक्षण—Leadership Training
कार्यकारिणी-समिति—Executive Committee
कार्यकारी—Executive
कार्यकारी अधिकारी—Executive Officer
कार्यकारी सचिव—Executive Secretary
कार्यनिर्धारण, व्यवस्थापन—Placement
कार्य-पद्धति—Procedure
कार्य-भार—Case-load
कार्य-भूमिका, कार्य—Role
कार्यवाही—Proceeding, Minutes
कार्य-विवरण—Minutes, proceding
कार्यार्थी—Client
कार्यान्वयन—Implement
कार्यालय—Office, Bureau
काष्ठ-कला—Wood-work
कुंठा, नैराश्य—Frustration
कुसमंजन, असामंजस्य—Maladjustment
केन्द्र— Centre, Bureau
कोलाहल, हल्ला-गुल्ला—Rumpus
कौशल—Skill
क्रिया-कलाप, कार्य—Activities
क्रिया-विधि—Procedure
क्रियाशील—Active
क्रीड़ा-भूमि—Alley
क्रूरता, कठोरता—Callousness
क्लान्ति-केन्द्र—Exhaustion Centre
क्षत-स्थल—Lesion
क्षति—Impairment
क्षय-रोग—Tuberculosis
क्षेत्र—Region, Field, Ground
क्षेत्रीय—Regional
क्षेत्रीय कार्य—Field Work
क्षेत्रीय पेरोल—Ground Parole
क्षेत्रीय सामाजिक सेवा-कार्य—Field Social Service

ख

खण्ड—Block, Section
खण्ड-पद्धति—Block System
खतरनाक—Critical, Dangerous

ग

गणना, गिना जाना—Compute
गतिक, गत्यात्मक—Dynamic
गन्दी बस्ती—Slum
गम्भीर, खतरनाक—Critical
गरिमा—Dignity
गिल्टी—Noduler
गुर्दा—Kidney
गुर्दा-शोथ—Nephritis
गूढ—Labyrinthine
गृहकार्य-सहायक—House-keeper
गृहकार्य-सहायता-सेवा—Home - maker-service
गृह-चिन्ता-रोग—Home Sickness
गृह-परिवार-वित्ताभिकरण—Housing and Home Finance Agency
गृह-माता या गृह-पिता—House Parent

गृह-माता-पिता—House Parents
गैस-नलिका—Gasoline
गोष्ठी-कक्ष—Meeting Room
ग्रन्थि—Gland
ग्रन्थिल क्रियाहीनता—Glandular Disfunction
ग्रन्थिल स्थिति, ग्रन्थि-सबन्धी रोग—Glandular Condition
ग्रीष्म-शिविर—Summer-camp
ग्रैव, ग्रीवा-सम्बन्धी—Cervical

घ

घटक—Factor
घरेलू नौकरी, घरेलू रोजगार—House Employment

च

चक्रव्यूह, भूल-भुलैया—Maze
चर्म-गिल्टी-रोग—Sarcoidosis
चर्म-शिल्प—Leather Work
चालन-दण्ड—Drive shaft
चिकित्सा—Therapy
चिकित्सीय उपचार—Medical Treatent
चिकित्सकीय—Medical
चिकित्सकीय समाज-सेवा-विभाग—Medical Social Service Department
चिकित्सालय—Hospital
चिकित्सालयीय सामाजिक-सेवा—Hospital Social Service
चिकित्सोत्तर सेवा—After-care
चिरकालिक, जीर्ण—Chronic

छ

छल, चाल—Hoax
छाल—Blotch
छात्र कर्मचारी एवं परामर्श-विभाग—Department of Pupil Personnel and Counselling
छात्र-वृत्ति—Scholarship

ज

जच्चा-बच्चा-कानून, मातृ-शिशु-कानून—Maternity and Infancy Law
जटिल, पेचीदा—Complex
जन-गणना-कार्यालय—Bureau of Census
जनपद—County
जनपद-कल्याण-विभाग—County Welfare Department
जनांकिकी—Demography
जरा-व्याधि-चिकित्सा-शास्त्र—Geriatrics
जाँच, परीक्षण—Check
जाँच-पडताल, अनुसन्धान—Investigation
जिरह—Cross Examination
जीर्ण, चिरकालिक—Chronic
जीवन-मूल्य—Value
जीवन-रक्षक—Life-guard
जीवनवृत्त-साक्षात्कार—History Interview
जीव-भौतिकी—Bio-physics
जीव-रसायन शास्त्र—Bio-chemistry
जीव-विज्ञान—Biology
जीवाणु-विज्ञान—Bacteriology
जीवोति-परीक्षा—Biopsies
जैविक—Biological

ट

टिप्पण-लेखन—Annotation
टिप्पणी—Note

त

तंत्र—System
तंत्रिका-तंत्र—Nervous system
तंत्रिका-विज्ञान—Neurology
तत्परता—Alacrity
तत्त्वावधान—Auspices
तत्स्थानी—Corresponding

तुतलाना—Stuttering
त्वरण—Acceleration

द

दंड-संस्था—Panel Institution
दमा—Asthma
दहन-इंजन—Combustion
दान-गृह, अनाथालय—Alms House
दान-संघटन-समिति—Charity Organization Society
दानादाय, दान-पेटिका—Chest
दिवस-केन्द्र, दिवा-केन्द्र—Day Centre
दीर्घकालिक प्रायोजना—Long-range Project
दूकानदार-वर्ग—Shop-group
दुग्धशाला, डेरी—Dairy
दुर्दशा—Plight
दुष्पोषण—Dystrophy
दृढ़—Fervid
दृष्टिकोण, अभिवृत्ति—Attitude
देखभाल, सेवा—Care
द्विवार्षिक—Biennial
द्विविधा—Dilemma

ध

धन्धा, उपव्यवसाय—Avocation
धमनी-काठिन्य—Arteriosclerosis
धर्म-परायण, न्यायपूर्ण—Righteous
धर्मादा-परिषद्, दान-परिषद्—Board of Charity
धर्माध्यक्षीय युवक-सेवा-समिति—Episcopal Service For Youth
धर्मोपदेशकीय मनश्चिकित्सा—Postol-psychiatry
धातु-शिल्प—Metal-work
धारणा, मान्यता—Concept
धारा-सभा—Senate
धार्मिक विश्वास, सम्प्रदाय—Move
ध्यान-केन्द्र—Focus

न

नगर शासन—City Government
नजरबन्दी—Detention
नजरबन्दी-गृह, अवरोधनगृह—Detention House
नागरिक केन्द्र—Civic Centre
नागरिक श्रम-प्रशासन—Civil Works Administration
नागरिक सेवा, असैनिक सेवा—Civil Service
नागरिक संघ—Citizen's Association
नामांकन, मनोनयन—Nomination
नामांकित ध्वज—Banner
नासूर—Ulcer
निकष—Criteria
निकाय—Body, System
निकासी कार्यालय, समाशोधन-गृह—Clearing House
निजी-आवास व्यवस्था-सेवा—Private Residence care
निदर्श-चित्र, उदाहरण-पाठ—Illusrations
निदान—Diagnosis
निदेशक—Director
निदेशक-मण्डल—Board of Directors
निदेशन—Direction
नियंत्रित, अवरुद्ध—Pent up
नियतिवाद—Diterminism
नियम—Regulation
नियमपरायणता—Conformity
निरंकुश—Arbitrary
निरीक्षण—Inspection, To Make round
निरुपाय, लाचार—Shiftless
निरोध, निवारण—Prevention

निर्णयकर्ता, मध्यस्थ—Arbiter
निर्दिष्ट कार्य, सौंपा गया कार्य, अधिन्यस्त कार्य—Assignment
निर्देशन—Guidance
निर्देशन-केन्द्र—Guidance Bureau
निर्देशिका—Directory
निर्धन आवास-गृह—Poor House
निर्धन कृषि-फार्म—Poor Farm
निवारक सेवा, निरोधक सेवा—Prevention Service
निवास-स्थल—Quarter
निःशुल्क—Unpaid
निश्चित, विशिष्ट—Specific
निश्चेष्ट होना, निष्क्रिय होना—Vegetate
निषेधाधिकार—Veto
निष्कासन, पदच्युति—Dismissal
निष्क्रमण—Evacuation
निस्तार-सेना, उद्धार-सेना—Salvation Army
निरस्वार्थ—Non-profit
नीति-वक्तव्य—Policy Statement
नेत्र-चिकित्सा-विज्ञान—Ophthalmology
नैदानिक—Diagnostic
नैराश्य, कुंठा—Frustration
न्यायपूर्ण, धर्म-परायण—Righteous
न्यायार्थी, कार्यार्थी, लाभार्थी—Client
न्यायालय—Court
न्यायिक—Judicial

प

पंजिका—Register
पंजी-पत्र—Registration
पट्टी—Brace
पड़ोस-समिति, मुहल्ला-समिति—Neighbourhood Council
पद, नौकरी—Position
पदावनति—Demotion
पदोन्नति—Promotion
पद्धति, व्यवस्था, निकाय, परिषद्—System
परस्परव्यापी—Overlapping
परागज-ज्वर—Hay Fever
परामर्श के लिए प्रेषण—Referral
परामर्श-गोष्ठी, विचार-विमर्श—Conference
परिज्ञान—Awareness
परिधि, परिमा—Periphery
परिनियम, संविधि—Statute
परिरोध कारावास—Confinement
परिवारगत पालन-सेवा—Family Foster Care
परिवारगत वैयक्तिक सेवाकार्य—Family Casework
परिवार-सहायता-समिति—Family Society
परिवार-सेवा-समिति—Family Service Society
परिवीक्षक—Superviser
परिवीक्षण—Supervision
परिवीक्षण-कर्मचारी—Supervisory Personnel
परिवीक्षा—Probation
परिवीक्षा-अवधि—Probationary Period
परिवीक्षाधीन व्यक्ति—Probationer
परिवीक्षा-विभाग—Probation Department
परिवीक्षित पेरोल—Supervised Parole
परिसंचार—Circulation
परिसम्पत्ति—Asset
परेशानी—Perplexity
परोपकार विद्यालय, लोकोपकार विद्यालय—School of Philanthropy
पर्यवेक्षण—Observation, Supervision
पर्याप्तता—Adequacy
पर्यावरण—Environment

पश्चात् मस्तिष्क-शोथ-रोग—Postencephalitis
पाचन-क्रिया—Digestion
पाठ्यक्रम—Course
पाठ्यचर्या—Curriculum
पात्रता—Eligibility
पाप में पड़ना—Backslide
पारिवारिक अभिकरण—Family Agency
पारिवारिक न्यायालय—Family Court
पारिवारिक सम्बन्ध न्यायालय, घरेलू सम्बन्ध न्यायालय—Domestic Relation Court
पारिवारिक सेवा-अभिकरण—Family Service Agency
पालक—Keeper
पालन-गृह—Foster Home
पालन-गृह में व्यवस्थापन—Foster Home Placement
पालन गृह स्वामी, पालिका गृहिणी—Careholder
पालन-सेवा—Foster Care
पिण्ड—Lump
पितृ-सत्ताक राज्य—Patriarchal State
पीड़क, बाधा—Pest
पीयूष-ग्रन्थि—Pituitary Glands
पुनर्नवीकरण—Reorientation
पुनर्निर्माण-वित्त-निगम—Reconstruction Finance Corporation
पुनर्वास—Rehabiliation
पुरस्कार—Award
पूर्वगामी—Preceding
पूर्वग्रह—Prejudice
पूर्व-निदर्शन, नजीर—Precedence
पूर्व-निर्धारित रोजगार—Cared Employment
पूर्व-व्यवस्थापन-काल—Preplacement Period
पूर्व-सामाजिक सेवाकार्य-पाठ्यक्रम—Presocial Work Course
पृथक्करण, अलगाव, तनहाई—Segregation
पेरोल, कारावकाश मुक्ति—Parole
पेरोल अधिकारी—Parole Officer
पेरोल-कार्यालय—Parole Bureau
पेरोल-मुक्त अभियुक्त—Parolee
प्रकाशन—Vent
प्रक्रिया—Process
प्रक्षेपण—Projection
प्रक्षेप-पद्धति—Project Method
प्रगति-पत्रक—Report Card
प्रतिनिधि—Representative, Delegate
प्रतिनिधि-सदस्य—Delegate Member
प्रतिनिधि-सभा, प्रतिनिधि-निकाय—Delegate Body
प्रतिपादन, व्याख्यापन—Enunciation
प्रतिमान, मानक—Standard
प्रतिवेदन, कार्यविवरण—Report
प्रतिशोध-भावना, दण्ड-भावना—Vindictiveness
प्रतिशोध लेना, दण्ड देना—Retribution
प्रतिष्ठा, मर्यादा—Status
प्रतिसंहरण—Revocation
प्रतीक्षक-सूची—Waiting List
प्रत्यावर्ती प्रतिनिधि—Alternates
प्रदर्शनीय वस्तु—Exhibit
प्रदेश (संघ शासित)—Territory
प्रबन्ध १—Monograph
प्रबन्ध २—Thesis
प्रबन्ध ३—Management
प्रबन्धक-परिषद—Board of Managers
प्रभाग-श्रेणी—Division
प्रमाण-पत्र—Certificate
प्रयास—Drive
प्रलेख—Document

प्रविधि—Technique
प्रविधिज्ञ—Technician
प्रवीणता—Proficiency
प्रवृत्ति, झुकाव—Trend, Inclination
प्रशासन-प्रबन्ध-समिति—Committee on Administration Management
प्रशासन-कार्यालय—Administrative Office
प्रशिशिक्षुता—Apprenticeship
प्रश्न-पत्रक—Questionaire
प्रसूति-विज्ञान—Obstretics
प्रस्तावनात्मक, परिचयात्मक—Introductory
प्राधिकार—Authority
प्राधिकृत—Authorized
प्रायोजकत्व—Sponsorship
प्रायोजन—Sponsor
प्रायोजना—Project
प्रावस्था, अवस्था—Phase
प्राविधिक सहायता—Technical Assistance
प्रासंगिक व्यय—Incidental Expenses
प्रेक्षक—Observer
प्रेक्षण—Observation
प्रेरक-तंत्रिका—Motor Nerve
प्रेरण-केन्द्र—Induction Centre
प्रेरणा, बल—Impetus
प्रेरित करना—Spur

फ

फलक—Blade
फलानुमान—Prognosis
फीता—Tag
फुफ्फुस-दाह—Pneumonia

ब

बंदी-प्रत्यक्षीकरण—Habeas Corpus
बर्फ पर फिसलना—Ice-skating
बाल-अपराध, किशोर-अपचार—Juvenile Delinquency
बाल-कल्याण-प्रभाग—Division of Child Welfare
बाल-कल्याण-सेवा—Child Welfare Service
बाल-कार्य-प्रतिज्ञा—Pledge to Children
बाल-कार्य-शासन-पत्र—Children's Charter
बाल-क्लब—Boy's Club
बाल-निकेतन, बाल-भवन—Children's Home
बाल-निर्देशन-स्वास्थ्य-गृह—Child Guidance Clinic
बाल-न्यायालय—Juvenile Court
बाल-रोग-विज्ञान—Pediatrics
बाल-सहायता-केन्द्र—Child Bureau
बाल-सहायता-समिति—Children's Aid Society
बाल-श्रम-कानून—Labour Law
बिरादरी सम्बन्धी, भ्रात्रीय—Fraternal
बुनियादी—Basic, Primal
बुलेटिन, विज्ञप्ति—Bulletin
बेकारी-न्यास-निधि—Unemployment Trust Fund
बेकारी बीमा—Unemployment Insurance
बैरक—Barrack
बैसाखी, अवलम्बन—Crutch
बोलचाल की शब्दावली Parlance

भ

भय—Phobia
भरोसा—Dependibility
भर्ती करना—Intaking
भर्ती करने वाला डाक्टर—Intake Doctor

भर्ती-सेवा-निकाय—Selective Service System
भाव, संवेग—Emotion
भावना—Feeling
भिन्नक गियर—Differential Gear
भिन्न वर्गीय समुदाय—Cross-section Community
भीति, भय—Phobia

म

मंच—Platform
मधुमेह—Diabetes
मध्यवर्ती चतुर्थ श्रेणी का स्तर—Middle Fourth Grade Level
मनः-शारीरिक—Psychosomatic
मन—Psyche
मनोग्रस्ति, ग्रस्तता—Obsession
मनोबल, हौसला—Morale
मनोमितिक—Psychometris
मनोरंजन कार्य निदेशक—Recreation Director
मनोविक्षिप्ति, मनोविक्षेप—Psychosis
मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यगृह—Psychological Clinic
मस्तिष्क-रक्तस्राव—Cerebral Hemorrhage
महत्तम—Super
महासम्मेलन, महाधिवेशन—General Conference
मानव-विज्ञान, नृतत्त्वशास्त्र—Anthropology
मार्ग-भेद—Leeway
मानसिक आरोग्य-आन्दोलन—Mental Hygiene Movement
मानसिक आरोग्यशास्त्र—Mental Hygiene
मानसिक व्यतिक्रम, मानसिक असन्तुलन—Mental disorder
मानसिक स्वास्थ्य—Mental Health
मालिक—Employer
मितव्ययी—Niggardly
मिलना-जुलना—Hangout
मिसिल—File
मुक्त वाक्-पीठ, खुला मंच—Open forum
मुख-पृष्ठ—Face-sheet
मुखबिरी—Squealing
मुख्य, प्रमुख—Salient
मुष्टि युद्ध-प्रतियोगिता—Boxing Match
मूर्ख—Dolt
मूल सिद्धान्त—Bed Rock
मूल्य—Value, Worth
मूल्यांकन, आकलन—Evaluation
मूत्र-रोग-विज्ञान—Urology
मृत्तिका-शिल्प—Ceramics
मेट्रल-संकट—Metral stenosis

य

यंत्रीकरण—Mechanization
यहूदी-उपासना-गृह—Synagogue
यहूदी कल्याण-कार्य-परिषद—Jewish Welfare Board
यहूदी खाद्य की दुकान—Kosher
यहूदी सामुदायिक सेवा-संघ—Jewish Community Services
यात्री-निवास, यात्री-संवास—Wayfarer's Lodge
युद्ध-विराम—Armistice
योग्यता, अर्हता—Qualification
योजना—Scheme

र

रक्षक—Guard
रक्षा, प्रतिरक्षा—Defence
रक्षा-प्रायोजना, प्रतिरक्षा-प्रायोजना—Defence Project

रक्षा-विभाग—Defence Department
राजकीय श्रम-गृह—Public Work-house
राजकीय सहायता—Public Assistance
राजकीय सहायता-कार्यकर्ता—Public assistance worker
राष्ट्रीय अतिथि अध्यापक समिति—National Committee of Visiting Teachers
राष्ट्रीय-आवास-अधिकारी संघ—National Association of Housing Officials
राष्ट्रीय दान-संघटन-समिति-संघ—National Association of Societies for Organizing Charities
राष्ट्रीय दान एवं सुधार-सम्मेलन—National Charity and Correction Conference
राष्ट्रीय नागरिक संघ—National Civic Federation
राष्ट्रीय व्यवस्थापन-संघ—National Federation of Settlements
राष्ट्रीय व्यवस्थापन एवं पडोस-केन्द्र—National Federation of Settlements and Neighbourhood Centres
राष्ट्रीय समाज-कल्याण-सभा—National Social Welfare Assembly
राष्ट्रीय सामाजिक सेवाकार्य-सम्मेलन—National Conference of Social Work
राष्ट्रीय सैनिक चुनाव-सेवा-निकाय—National Selective Service System
रोगभ्रमी—Hypochondriac
रोग-लक्षण-विज्ञान—Symptomatology
रोग-विज्ञान—Pathology
रोगी-गृह, रुग्णावास—Infirmary
रोजगार—Job, Employment
रोजगार-दफ्तर—Employment office

ल

लक्षणात्मक—Symptomatic
लड़ाकू—Trucutent
लसीका—Lymph
लाभ, बीमा-लाभ—Benefit
लीक, प्रणाली—Groove
लेखा-परीक्षा—Audit
लोक-कल्याण-विभाग—Department of Public Welfare
लोक-रीति—Folk-ways
लोक-शिक्षा-संघ—Public Education Association
लोक-सेवा—Public Service
लोकाचार, लोक-संस्कृति—Mores
लोकोपकार-अभिकरण, दान-अभिकरण—Charity Agency
लोकोपकार विद्यालय—Philanthropic School

व

वरीयता—Preference
वर्गीकरण-समिति—Classification Committee
वर्गीकरण चिकित्सालय—Classification Clinic
वस्तुनिष्ठ, वस्तुपरक—Objective
वांछित, इच्छित—Coveted
वातावरण, स्थिति—Milieu
वातिलवक्ष—Pneumothorax
वार्ड, खण्ड—Ward
वार्डेन, खण्डपाल, संरक्षक—Warden
वार्षिक कार्य-विवरण—Annual Report
वास्तविकता—Reality
विकलांग—Crippled
विकलांग-चिकित्सा—Orthopedics
विकास—Evolution

विक्षोभ-रोष—Sullenness
विचार-गोष्ठी—Seminar
विजय-उद्यान—Victory Garden
विज्ञप्ति, बुलेटिन—Bulletin
वित्त—Finance
वित्तीय संघ—Financial Federation
विद्यालय-सामाजिक सेवा-विभाग—Department of School Social Services
विद्यालयीय परामर्शदाता—School Counselor
विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता—School Social Worker
विधा, रूप—Form
विधान सम्बन्धी, वैधानिक—Legislative
विधि, कानून—Law
विधेयात्मक—Positive
विनिमय-व्यवस्था—Exchange Arrangement
विनियोजन—Appropriation
विभाग—Department, Staff
विरल—Sparse
विरोध, शत्रुता—Antagonism
विलम्बित, पिछडा हुआ—Retarded
विलीनीकरण—Merger
विवृत—Elaborate
विशिष्ट सेवा-प्रभाग—Division of Special Services
विशेषाध्यापक—Special Teacher
विशेषीकरण—Specialization
विषय—Nub
विषाद-रोग—Melancholia
विस्तार, सीमा—Extent
वृत्ति—Profession, Pension
वृत्तिक कुशलता—Professional Guns
वृत्तिक कौशल—Professional Skill
वृत्तिक संघटन—Professional Organization
वृत्तिक सदस्य-संघटन—Professional Membership Organization
वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता—Professional Social Worker
वृत्तिक सामाजिक सेवा-कार्य—Professional Social Work
वृद्ध-आवास-गृह—Old Folk's Home
वृद्धता—Aging
वृद्ध-रोग-विज्ञान—Gerontology
वृद्धावस्था एवं उत्तराधिकारी-बीमा—Old Age and Survivors Insurance
वृद्धावास, वृद्ध-निवास-गृह—Home for the Aged
वृद्धावास-कक्षवाले होटल—Senior Apartment Hotel
वृहद् आन्त्र-शोथ—Colitis
वैयक्तिक जीवन-वृत्त—Case-history
वैयक्तिक सेवा-कार्य—Case-work
वैयक्तिक सेवा-कार्यकर्ता—Case-worker
वैयक्तिकीकरण—Individualization
वैयक्तिकीकृत सेवा—Individualized Service
व्यक्तित्व—Personality
व्यक्ति-वृत्त-अभिलेख—Case-record
व्यतिक्रमण—Infraction
व्यवसाय-परिषद्—Board of Trade
व्यवस्था करना—Fend
व्यवस्थापन—Settlement, Placement
व्यवस्थापन-गृह—Settlement House
व्यादेश—Injunction
व्यायाम-निदेशक—Athletic Director
व्यावसायिक चिकित्सा, व्यवसाय मूलक चिकित्सा—Occuptional Therapy
व्यावहारिक कार्य, क्षेत्रीय कार्य—Field-work
व्यावहारिक कार्यकर्ता, क्षेत्रीय कार्यकर्ता—Field-worker

व्यावहारिक कार्य-प्रशिक्षण—Field-training
व्यावहारिक कार्य मंत्री, क्षेत्रीय कार्य-मंत्री—Field Secretary
व्यावहारिक कार्य-शिक्षण, क्षेत्रीय कार्य शिक्षण—Field-instruction

श

शरणार्थी, विस्थापित—Refugee
शरीर—Body, Soma
शरीर-विज्ञान—Phisiology
शर्त, प्रतिबन्ध—Priviso
शल्य-चिकित्सा—Operation
शाखा—Chapter
शासन—Government
शासन-पत्र—Charter
शिक्षक—Instructor
शिक्षात्मक प्रक्रिया—Educational Process
शिक्षा-परिषद्—Board of Education
शिक्षा-वृत्ति—Fellowship
शिशु-पक्षाघात, पोलियो—Poliomyelitis
शुल्क—Fee
शेरबच्चा-बालचर-दल—Cub-scouts
शैक्षणिक—Academic
शैक्षणिक वर्ष—Academic Year
शैक्षिक, शैक्षणिक, शिक्षात्मक—Educational
शौक, अभिरुचि—Hobby, Interest
श्रम-गृह—Work-house
श्रम-परिवीक्षक, श्रम-पर्यवेक्षक—Work Supervisor
श्रम-सहायता-कार्य—Work Relief Activity
श्रमालय—Shop, Workshop
श्रमिक, मजदूर, कार्यकर्ता, कार्मिक—Worker
श्रमिक-संघ, मजदूर संघ—Labour Union
श्रेणी, पंक्ति, विभाग—Tier

स

संकल्प, इच्छा-शक्ति—Will
संक्रामक—Infectious
संकेतन—Notation
संकेत-वाचन—Decode
संकोच, भीरुता—Timidity
संकोची, भीरु—Timid
संक्षिप्त—Succinct
संगति विहीन, असंगत—Anamalous
सग-रोध—Quarantine
संगीत-चिकित्सा—Musical Therapy
सग्रहागार—Depository
संघ-शासन—Federal Government
सघीय जन कल्याण-विभाग—Federal Department of Public Welfare
संघीय सुरक्षा-अभिकरण—Federal Security Agency
संघीय सुरक्षा प्रशासन—Federal Security Administration
संचार—Communication
संचालित करना—Conduct
संचित—Cumulative
संतुलन—Balance
संधि-शोथ—Arthritis
सम्बद्धता, संगति—Relevance
संयुक्त-राज्य जन-कल्याण-संघ—American Public Welfare Association
संयुक्त-राज्य पारिवारिक सेवा-संघ—Family Service Association of America
संयुक्त-राज्य बाल-कल्याण-संघ—Child Welfare League of America
संयुक्त-राज्य बाल-सेवा-केन्द्र—United States Children's Bureau

संयुक्त-राज्य मनश्चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता-संघ—American Association of Psychiatric Social Workers

संयुक्त-राज्य सामाजिक कार्यकर्ता-संघ—American Association of Social Workers

संयुक्त स्वास्थ्य एवं कल्याण-कोश—United Help and welfare Fund

संरक्षण—Conservation

संरक्षा—Protection

संरक्षात्मक सेवाएँ—Protective Services

संरचना, ढाँचा—Structure

संवासी—Inmate

संविधान—Constitution

संविधि, परिनियम—Statute

संवेदनशील, सुग्राही—Sensitive

संशयशील, संदेहशील—Skeptical

संश्लिष्ट इकाई—Cohesive whole

संसदीय पद्धति—Parliamentary Procedure

संस्तुति—Recommendation

संस्थागत पालन-सेवा—Institutional Foster Care

संस्थात्मकीकरण—Institutionalization

संस्थान—Institute

सभा-कक्ष—Hall

समचित्तता, समत्व—Equanimity

समतुल्य आधार—Matching Basis

समन्वय—Co-ordination

समवाय सम्बन्ध—Correlation

समस्तरीय—Horizontal

समस्या, प्रश्न—Issue

समस्या बालक—Problem Child

समाकलन, समन्वयन—Integration

समाज-कल्याण, सामाजिक कल्याण-कार्य—Social Welfare

समाज-कल्याण-वाक्पीठ—Social Welfare Forum

समाज-कल्याण-संघ—Welfare Federation

समाज-विज्ञान—Social Science

समाज वैज्ञानिक विषय—Social Sciences

समाजशास्त्र—Sociology

समाजीकरण, सामाजिकीकरण—Socialization

समायोजन, सामंजस्य-स्थापन, संगति-स्थापन—Adjustment

समायोजन-समिति—Adjustment Committee

समीक्षण, जिज्ञासा—Inquisition

समूह, संस्था—Group

सम्पर्क—Liaison

सम्प्रेषण, संचार—Communication

सम्मिलित समूह—Corporate Group

सरणि, माध्यम—Channel

सर्वेक्षण—Survey

सवाक् चलचित्र—Sound-movies

सशुल्क—Paid

सहकारी कार्य—Co-operative Work

सहज क्रिया—Reflex Action

सहजात, नैसर्गिक—Native

सहपाठिनी—Coed

सहयोगी संस्था, सहयोगी समूह—Associate Group

सहायक—Aide

सहायक, अधिरक्षक, सहायक पालक—Deputy Keeper

सहायता एवं अनुदान-समिति—Relief and Aid Society

सहायता द्वारा ज्ञानार्जन की प्रक्रिया—Helping-learning Process

सहोदर—Sibling
सांख्यिकी—Statistics
सांख्यिकीय—Statistical
सांविधिक—Statutory
साक्षात्कार, मुलाकात—Interview
सान्त्रिक सेवा, सान्त्रिक देखभाल—Terminal Care
साथी—Peer
साधन-स्रोत—Resource
सान्निध्य-सम्बन्ध—Propinquity
सापेक्षिकता—Relativity
सापेक्षिक व्यवस्था—Configuration
सामग्री, तथ्य—Data, Material
सामग्री-अधिकारी—Commissary
सामयिक—Current
सामाजिक अभिकरण-संघ—Federation of Social Agencies
सामाजिक अभिकरण-समिति—Council of Social Agencies
सामाजिक आयोजना—Social Planning
सामाजिक आयोजना-विभागीय कर्मचारी—Social Planning Staff
सामाजिक कल्याण-विभाग—Department of Social Welfare
सामाजिक जीवन-वृत्त—Social History
सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक प्रौढ़ता—Social Maturity
सामाजिक बीमा-योजना—Social Insurance Scheme
सामाजिक विज्ञान, समाज-विज्ञान—Social Science
सामाजिक व्यक्ति-सेवा-कार्य—Social Case-work
सामाजिक व्यवस्थापन—Social Settlement
सामाजिक शिक्षा-समिति—Council of Social Education
सामाजिक समायोजन, सामाजिक सुसंगति—Social Adjustment
सामाजिक समूह-सेवा-कार्य—Social Group-work
सामाजिक सेवा-अभिकरण—Social Service Agency
सामाजिक सेवा कार्य अनुसन्धान-संस्था—Social Work Research Group
सामाजिक सेवा-कार्य अब्दकोश—Social Work Year book
सामाजिक सेवा-कार्य-प्रशिक्षण-विद्यालय-संघ—Association of Schools of Social Works
सामाजिक सुख-चैन—Social Ease
सामाजिक सुरक्षा-कानून—Social Security Act
सामाजिक सुरक्षा-प्रशासन—Social Security Administration
सामान्य, स्वाभाविक—Normal
सामान्यता—Normalcy
सामान्यीकरण—Generalization
सामुदायिक आयोजना-समिति—Community Planning Council
सामुदायिक केन्द्र—Community Centre
सामुदायिक गति-विज्ञान—Community Dynamics
सामुदायिक-गृह—Community House
सामुदायिक दानादाय, सामुदायिक दान-पेटिका—Community Chest
सामुदायिक संघटन—Community Organization
सामुदायिक संघटन-कार्यकर्ता—Community Organization Worker
सामूहिक आवास-गृह—Group-house
सामूहिक गत्यात्मकता-अनुसन्धान-केन्द्र—Research Centre for Group Dynamics

सामूहिक चिकित्सा—Group Therapy
सामूहिक विकास-प्रयोगशाला—Laboratory for Group Development
सामूहिक विचार-विमर्श, सामूहिक विवाद-गोष्ठी—Group Discussion
सामूहिक सेवा-कार्य, समूहगत सेवा-कार्य—Group-work
सामूहिक सेवाकार्य-अभिकरण—Group-work Agency
सामूहिक सेवा-कार्यकर्ता—Group-worker
साम्प्रदायिक, धार्मिक—Denominational
साम्य—Equity
सिद्धान्त-वाक्य—Dictum
सीमा, प्रतिबन्ध, बंधन—Limit
सुगम—Facile
सुधार-गृह—Penitentiary
सुधार-विद्यालय—Reform School
सुधारात्मक सेवा—Correctional Service
सुधारालय—Reformatory
सुरक्षोपाय—Safeguard
सुसमायोजित, सुव्यवस्थित—Well Adjusted
सुस्थित, दृढ़—Sound
सूजन—Swelling
सेवा, सहायता, नौकरी—Service
सेवा-कार्य-सलाहकार—Case-Consultant
सेवा-निवृत्त सैनिक-प्रशासन—Veteran Administration
सेवा निवृत्ति, अवकाश प्राप्ति—Retirement
सेवामुक्ति—Discharge
सैर—Outing
सैर-सपाटा—Picnic
सोपानक; श्रेणी—Echelon
सौतेला बाप, उपपिता—Step-father
स्त्री-रोग-विज्ञान—Gynaecology
स्थानीकरण—Localize
स्थायित्व—Stability
स्थिति—Situation
स्नातक—Graduate
स्नातक-उपाधि—Baccalaureate Degree
स्नातकपूर्व—Under-graduate
स्नान-कुण्ड—Pool
स्नायविक मनोविकृति—Neuropsy chiatric disorder
स्नायु तंत्र, स्नायु-संस्थान, तंत्रिकातंत्र—Nervous System
स्वागतकर्ता—Receptionist
स्वागत-विभाग, स्वागत-यूनिट—Reception Unit
स्वायत्त, स्वतंत्र—Autonomous
स्वायत्त शासन, स्वशासन—Self-government
स्वास्थ्य-बीमा—Health Insurance
स्वीकृत, स्वीकृति-प्राप्त—Approved

ह

हतबुद्धि, किंकर्तव्यविमूढ़—Confounded
हानिकारक, ध्वंसात्मक—Destructive
हास्यास्पद—Facetious
हिताधिकारी—Beneficiary
हृदय-विज्ञान—Cardiology
हेतु-विज्ञान—Etiology
हौसला, मनोबल—Morale

संक्षिप्त नामों की सूची

A A. M. S. W.—American Association of Medical Social Workers—राष्ट्रीय चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता-संघ

A. A. S. G. W.—American Association for the Study of Group Work—सामूहिक सेवाकार्य-अध्ययन-संघ

A. A. P. S. W.—American Association of Psychiatric Social Workers—संयुक्त-राज्य मनश्चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता-संघ

A. A. S. S. W.—American Association of Schools of Social Work—संयुक्त-राज्य सामाजिक सेवाकार्य-विद्यालय-संघ

A. A. S. W.—American Association of Social Workers—संयुक्त-राज्य सामाजिक कार्यकर्ता-संघ

A. B.—Aid to the Blind—अन्ध-सहायता

A. D. C. (i)—Aid to Dependent Children—आश्रित-बाल-सहायता

A. D. C. (ii)—Aid to Disabled Children—अशक्त-बाल-सहायता

A. P. T. D.—Aid to the Permanently and Toatlly Disabled—स्थायी रूप से एवं पूर्णतः अशक्त-व्यक्तियों की सहायता

A. P. W. A.—American Public Welfare Association—संयुक्त-राज्य लोककल्याण-संघ

A. R. C.—American Red Cross—अमरीकी रेड क्रॉस

C. A. R. E.—Co-operative for American Remitence to Europe—यूरोप के लिए अमरीकी प्रेषण-सहकारी-समिति

C. C. C.—Civilian Conservation Corps—नागरिक संरक्षण-दल

C. C. C A.—The Commuity Chests and Councils of America—संयुक्त-राज्य सामुदायिक दानादाय और समितियाँ

C. F.—Commonwealth Fund—राष्ट्रमण्डल-निधि, कामनवेल्थ कोश

C. J. F. W. F.—The Council of Jewish Federation and Welfare Funds—यहूदी संघ एवं कल्याण-निधि

C. O. S—Charity Organization Society—दान-संघटन-समिति

C. O. S. M.—Charity Organization Society Movement—दान-संघटन-समिति-आन्दोलन

C. S. W. A—Christian Social Welfare Association—ईसाई-समाज कल्याण-संघ

C. W. A.—Civil Work Administration—नागरिक श्रम-प्रशासन
C. W. A.—Civil Works Association—नागरिक श्रम-संघ
C. W. L. A.—The Child Welfare League of America—संयुक्त-राज्य बाल-कल्याण-परिषद्
D. S. W.—Doctor of Social Work—डी. एस. डब्ल्यू
E. M. I. C. P.—Emergency Maternity and Infant Care Program—आपाती मातृ-शिशु-सेवा-कार्यक्रम
F. A. O.—Food and Agriculture Organization—खाद्य-कृषि-संघटन
F. E. R. A.—Federal Emergency Relief Act—आपाती सहायता कानून
I. L. O.—International Labour Organization—अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघटन (अं. श्र. सं.)
M. W. H. C.—Mid-Century White House Conference—मध्य-शती ह्वाइट हाउस-सम्मेलन
N. A. S. S. W.—National Association of School Social Workers—राष्ट्रीय विद्यालयीय सामाजिक कार्यकर्ता-संघ
N. C. C. C.—National Conference of Catholic Charities—राष्ट्रीय कैथलिक दान-सम्मेलन
N. C. M. H.—National Committee for Mental Hygiens—राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य-समिति
N. C. V. T.—National Committee on Visiting Teachers—अतिथि अध्यापकों से सम्बन्धित राष्ट्रीय-समिति
N. M. C. C. Y.—National Mid-century Committee for Children and Youth—राष्ट्रीय मध्यशती बाल-युवक-कल्याण-समिति
N. C. J. C. S.—National Conference of Jewish Communal Service—राष्ट्रीय यहूदी सम्प्रदाय-सेवा-समिति
N. C. S. W.—National Conference of Social Work—राष्ट्रीय सामाजिक सेवाकार्य-सम्मेलन
N. F. S. N. C.—National Federation of Settlements and Neighbourhood Centres—राष्ट्रीय व्यवस्थापन एवं पडोस केन्द्र-संघ
N. H. S.—National Health Service—राष्ट्रीय स्वास्थ्य-सेवा
N. M. H. A.—National Mental Health Act—राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य-कानून
N. P. P. A—National Probation and Parole Association—राष्ट्रीय परिवीक्षा एवं पेरोल-संघ
N. S. W. A.—National Social Welfare Assembly—राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण-सभा

N. Y. A.—National Youth Administration—राष्ट्रीय युवक-सेवा-प्रशासन
O. A. A.—Old Age Assistance—वृद्धावस्था-सहायता
O. A. S. I.—Old Age Survivors Insurance—वृद्धावस्था एवं उत्तराधिकारी-बीमा
S. I. A.—Social Insurance Act—सामाजिक बीमा-कानून
S. P. C. A.—Society for the Prevention of Cruelty to Animals—पशु-निर्दयता-निरोधक-समिति
T. E. R. A. (i)—Temporary Emergency Relief Act—अस्थायी आपाती-सहायता-कानून (टेरा)
T. E. R. A. (ii)—Temporary Emergency Relief Administration—अस्थायी आपाती-सहायता-प्रशासन (टेरा)
U. A. B.—Unemployment Assistance Board—बेरोजगार-सहायता-परिषद्
U. N. E. S. C. O.—United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization—संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति-संघटन (यूनेस्को)
U. N. I. C. E. F.—United Nations International Children's Emergency Fund—संयुक्त राष्ट्र बाल-आपाती-निधि (उन्सेफ)
U. S. B. P.—United States Bureau of Prisons—संयुक्त-राज्य कारागर कार्यालय-(ब्यूरो)
U. S. C. B.—United States Children's Bureau—संयुक्त-राज्य बाल-सेवा-कार्यालय (ब्यूरो)
U. S. P. H. S.—United States Public Health Service—संयुक्त राज्य लोक-स्वास्थ्य-सेवा
U. S. W. B.—United States Women's Bureau—संयुक्त-राज्य महिला-सेवा-कार्यालय (ब्यूरो)
V. A.—Veterans Administration—सेवा-निवृत्त (अवकाश-प्राप्त) सैनिक-प्रशासन
W. H. C.—White House Confernce—ह्वाइट हाउस-सम्मेलन
W. H. O.—World Health Organization—विश्व-स्वास्थ्य-संघटन (हू)
W. P. A.—Works Progress Administration (Works Projects Administration—श्रम-प्रगति-प्रशासन (श्रम प्रायोजना-प्रशासन)
Y. M. C. A.—Young Men's Christian Association—ईसाई-नवयुवक-संघ
Y. M. H. A.—Young Men's Hebrew Association—यहूदी नवयुवक-संघ
Y. W. C. A.—Young Women's Christian Association—ईसाई नवयुवती-संघ
Y. W. H. A.—Young Women's Hebrew Association—यहूदी नवयुवती-संघ।